सिराते मुस्तकीम

कुरआन और सहीह हदीस की रौशनी में

अहले सुन्नत-वल-जमाअत (बरेल्वी, हनफी) के आकिदो का ऑपरेशन

९ सुरे

मस्नुन दुआए

दुरूद शरीफ

इख्तिलाफी मसाईल

और

दिनी मालुमात

किताब लिखने का मक्सद

बरेल्वी जमाअत के उलेमा आम लोगो को जईफ हदीसे, मनघडत हदीसे और हनफी मसले ही बताते है जिस की वजह से आम लोग कुरआन और सहीह हदीस से नावाकीफ रहते है और ये चिज़े कुरआन और सहीह हदीस से टकराती है। इसी तरहा से बरेल्वी उलेमा आम लोगो के दिमाग में फिरकावारीयत का ज़हेर घोलते हुए कहते है के, सिर्फ अहले सुन्नत-वल-जमाअत ही जन्नत में जाने वाली है क्युं के हमारी जमाअत ही हक पर है, हम ही आशिके रसुल है, वलीयो को मानने वाली है और दिगर जमाअत वाले जहान्नुमी है, गुस्ताखे रसुल है, नजदी है, मुनाफीक है, वहाबी है और इन के पिछे नमाज नही होती। आम लोग अपने उलेमाओ की बातों में आ कर दिगर जमाअतो से नफरत करते है, दिगर जमाअतो के घर में रिश्ता नही करते और यहा तक के उन के सलाम का जवाब भी नही देते। कुछ बरेल्वी नमाज और आमाल के बारें में बेपरवाह हो जाते है। वो ये समझते है के रसुलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) हमारी शफाअत फरमाएंगे और हमारे वली हमें जहान्नम में जाने से बचा लेंगे।

हम इस किताब में बरेल्वी जमाअत के अकिदो को बेनकाब करेंगे और बताएंगे के बरेल्वी जमाअत के अकिदे हकीकत में कुरआन और सुन्नत से कितने दुर है और उलेमाओ की वजह से बरेल्वी लोग गुमराही की ज़िंदगी जीते है। इस किताब को पढ कर आप समझ जाएंगे के उलमाओ ने अपने पेट-पानी के लिए, अपनी कमाई के लिए आम लोगो को किस तरहा अंधेरे में रखा है।

--०-०--

इस किताब के लिखने वाले इंजिनियर मुहंम्मद इरफान खान किसी भी फिरके और जमाअत से तालुक नही रखते है और सब मुसलमानो को फिरकावारीयत, फिरके की किताबे (फैजाने सुन्नत-बरेल्वी, फजाईले आमाल-देवबंदी)**, कबरपरस्ती, बुजुर्गपरस्ती, पिर-परस्ती, बाप-दादा व मौलवीयो की अंधी पैरवी, और अंधी तकलीद छोड कर अल्लाह के रसुल** (صلى الله عليه وسلم) **के आखरी खुतबे के वसीयत के मुताबीक अल्लाह की किताब** (कुरआन) **और रसुल की सुन्नत** (सहीह हदीस) **की तरफ आने की और मुकम्मल तौहीद पर चलने की दावत देते है!**

* फहेरीस्त (विषय सूची) *

सुरे [पहेला हिस्सा]

सुरे अल-फातेहा.. १३
आयतुल कुर्सी १३
सुरे अल बकराह का पहेला और आखरी रुकु.. १४
सुरे यासीन.. १५
सुरे अर-रहेमान.. २१
सुरे अल-काफेरुन.. २४
सुरे अल-इख्लास (कुलहुवल्लाह) २४
सुरे अल-फलक २४
सुरे अन-नास २५

मस्नुन दुआए [दुसरा हिस्सा]

कुरआनी दुआए २६
हर बिमारी के लिए शिफा और सांप के काटने से शिफा २६
नेक काम की कबुलियत के लिए दुआ.. २६
आखेरत की भलाई की दुआ २७
खता बख्शी के लिए दुआ.. २७
सिराते मुस्तकीम पर (सिधे रास्ते पर) चलने की दुआ........................ २७
इक्तेदार कायम व दायम रहने और अदाईगे कर्ज की दुआ २७
औलाद मांगने की दुआ २८
नेक औलाद मांगने की दुआ.. २८
ताहाज्जुद के लिए निंद से उठने पर ये दुआ २८
जालीम से निजात पाने की दुआ २९
गुलामी और जुल्म से निजात की दुआ.. ३०
जालीमो से निजात पाने की दुआ ३०
मुकदमे में की दुआ.. ३०
रिज्क बढने की दुआ.. ३१
सफर शुरु करते वक्त पढने की दुआ.. ३१
मुसाफीर को अलवीदा कहने की दुआ ३१
सवारी से उतरने या नही नई जगह कयाम करने की दुआ........................ ३२
माँ बाप के लिए रहेमत की दुआ.. ३२
हाकीम के पास जाने से पहले पढने की दुआ.. ३२
इल्म में इजाफे की दुआ.. ३३
बिमार की दुआ ३३
शैतान के वसवसो से बचने की दुआ ३३
गुनाहो की बख्शीश मांगने की दुआ ३३

जब खुशखबरी सुने तो ये दुआ पढे ३४
अच्छे आमाल की तौफीक की दुआ..३४
फितने से बचने की दुआ ३४
एक बहेतरीन दुआ..३५
बीवी और औलाद की अताअत, फरमाबरदारी के लिए दुआ ३५
हजरत आदम व हव्वा (अलैहिस्सलाम) की दुआ ३५
हजरत नुह (अलैहिस्सलाम) की दुआ ३५
हजरत युनुस (अलैहिस्सलाम) की दुआ..३६
हजरत शोएब (अलैहिस्सलाम) की दुआ..३६
हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की दुआ..३६
हजरत लुत (अलैहिस्सलाम) की दुआ ३७
हजरत याकुब (अलैहिस्सलाम) की दुआ..३७
हजरत युसुफ (अलैहिस्सलाम) की दुआ..३७
हजरत युसुफ (अलैहिस्सलाम) की दुआ..३७
हजरत मुसा (अलैहिस्सलाम) की दुआ ३८
हजरत जकरीया (अलैहिस्सलाम) की औलाद मांगने की दुआ ३९
नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) की दुआ..३९
असहाबे कहफ की दुआ ३९
मुजाहीदीन की दुआ ४०
अल्लाह के सिपाही की दुआ..४०
सय्यदुल अस्तगफार (सहीह बुखारीः ६३०६) ४०
सोते वक्त पढने की दुआए और आदाब ४२
निंद में घबराहट और बेचैनी का इलाज ४५
निंद से बेदार होते वक्त पढने की दुआ ४५
निंद से बेदार होते ही पढने की दुआ..४५
सुबाह और शाम पढने की दुआ..४६
बैतुलखला जाने की दुआ..५०
बैतुलखला निकलते वक्त पढने की दुआ ५०
वज़ु की दुआए..५०
मस्जिद की तरफ जाते वक्त पढने की दुआ ५१
मस्जिद मे दाखील होने और मस्जीद से निकलने की दुआ..........................५२
घर मे दाखील होने की और घर से निकलने की दुआए ५४
आजान की दुआए और आदाब..५६
नमाज शुरू करते वक्त की दुआ..५७
रुकू और सजदे के अजकार (जिक्र)..५७
नमाज के आखीर की दुआए..६१
नमाज के बाद के अजकार (जिक्र) ६२

दुआए कुनुत ६५
कुनुते नाजिला ६५
दुआए इस्तेखारा ६६
लैलतुल कद्र में पढने की दुआ ६७
नमाजे जनाज़ा की दुआए ६७
लिबास पहेन्ने की दुआए और आदाब ६९
खाने पिने की दुआए और आदाब ७०
इफ्तार की दुआ ७१
मेजबान के हक में दुआ ७१
शुक्रिया का जवाब ७१
सलाम करने, छिंकने और जमाही के आदाब ७१
निकाह के मौके पर मुबारकबाद देना ७२
दुल्हन से पहिली मुलाकात पर ये दुआ पढे ७२
बिवी से सोहबत करते वक्त की दुआ ७३
बच्चे को बलाओ से महेफुज रखने की दुआ ७३
सफर की दुआए और आदाब ७३
बाजार में दाखील होने की दुआ ७५
कब्रस्तान जाने पर ये दुआ पढे ७६
बिमार की अयादत के लिए जाए तो ये दुआ पढे ७६
बिमारी और दर्द दुर होने के लिए ये दुआ पढे ७६
मरीज की शफायाबी की दुआ ७७
सांप और बिच्छु के काटने का इलाज ७८
रिज्क बढने की और गरीबी से निजात की दुआ ७८
कर्ज से निजात पाने की दुआ ७८
मुसीबतज़दा को देख कर ये दुआ पढे ७९
नुकसान और मुसीबत के वक्त पढने की दुआ ७९
बेचैनी और इज्तेराब के मौके पर पढने की दुआ ७९
दहेशत, वहशत और खौफ के मौके पर पढने की दुआ ८०
परेशानी के वक्त मांगने की दुआ ८१
किसी हुकमरान या किसी चिज का खौफ हो तो ये दुआ पढे ८१
अल्लाह की राह मे शहादत के लिए दुआ ८२
मुसीबत के चक्कर में फस जाए तो ये दुआ पढे ८२
शैतान से महेफुज रहने का विर्द ८२
बदशगुनी के मौके की दुआ ८२
गुस्सा दुर करने की दुआ ८३
बेहुदा बातो की मजलीस मे पढने की दुआ ८३
गधे की आवाज सुन कर ये दुआ पढे ८३

मुर्गे की आजान सुन कर ये दुआ पढे..८४
नया चाँद देखकर ये दुआ पढे ८४
आंधी देखकर ये दुआ पढे..८४
बादल को आता देखकर ये दुआ पढे ८५
बरसात के लिए दुआ..८५
बिजली की चमक, कडक और गरज सुन कर ये दुआ पढे ८६
जामे दुआए जो रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने खुद वक्तन फवक्तन पढे और सहाबा इकराम (रजि) को तालीम फरमाए ८६
अल्लाह को महेबुब तरीन कलमात..९०
जादु और जिन का असर दुर करने की दुआ ९०
जादु का मरीज बेहोश होने पर पढने की दुआ..९०

दुरूद शरीफ [तिसरा हिस्सा]

दुरूद शरीफ पढने की फजीलत और हदीस ९१
दुरूद शरीफ नं.१ ....९२
दुरूद शरीफ नं.२ ....९२
दुरूद शरीफ नं.३ ....९२
दुरूद शरीफ नं.४ ....९३
दुरूद शरीफ नं.५ ....९३
दुरूद शरीफ नं.६ ....९३
दुरूद शरीफ नं.७ ....९४
दुरूद शरीफ नं.८ ....९४
दुरूद शरीफ नं.९ ....९४
दुरूद शरीफ नं.१०..९५
दुरूद शरीफ नं.११..९५
दुरूद शरीफ नं.१२..९५
दुरूद शरीफ नं.१३..९५
दुरूद शरीफ नं.१४..९६

इख्तीलाफी मसाईल और दिनी मालुमात [चौथा हिस्सा]

अंबीया (नबी की जमा) /prophets/ पैगंबर ९७
नबी और रसुल मे क्या फर्क है?..९७
खुलफा-ए-राशीदीन ९७
साहबा (साहबी की जमा)..९८
ताबयीन..९८
तबे-ताबयीन ९८
मोहदसीन..९८
औलिया अल्लाह (वली अल्लाह) ९८

तकलीद क्या है? तकलीद शिर्क कब बन जाती है? १०२
तकलीद कब जायज़ है? १०३
इस्लाम के चार उसुल (कुरआन, सुन्नत, इजमा, इज्तेहाद)-......................... १०४
किन उलेमाओ ने हदीस की किताबे लिखी?.. १०४
सुन्नत और हदीस किसे कहते है? १०५
हदीसे कुदसी किसे कहते है? १०५
हदीस की किसमें (सहीह, हसन, जईफ, मौजु), हदीस कैसे लिखी गई?, और सनद किसे कहते है?.. १०६
क्या जईफ हदीस पर अमल किया जा सकता है? १०७
अल्लाह के ९९ नाम और उन के मायनी (Attributes of Allah) - १०९
शिर्क और कुफ्र क्या है ११०
बिदअत क्या है? ११५
शिर्क और बिदअत करने वाले की सज़ा ११९
तौहिद क्या है? १२१
''अल्लाह देता है और नबी बांटते है''इस हदीस का हकीकी मतलब १२१
जुमा मुबारक कहना बिदअत है १२२
इसाले सवाब और फातेहा की हकीकत १२२
फातेहा की हकीकत १२६
नियाज करना कैसा है?... १२७
झुठी हदीस पेश करने वाले की सजा.. १२७
क्या हम फातेहा का खाना खा सकते है? १२७
कव्वाली मे ढोल बाजा और शिर्की अल्फाज १२८
ईदे मिलादुन्नबी मनाना कैसा है? १२८
रसुलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) हाजीर व नाजीर है या नही? १२९
कायनात पर हुकुमत और हुकम देना वाला और कायनात का हकीकी मालीक और बादशाह अल्लाह तआला ही है १३२
क्या रसुलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) ने अल्लाह का दिदार किया है?.......................... १३२
मोहर्रम का महिना और नए दुल्हा-दुल्हन की मुंह छुपाई? १३२
आज़ान और इकामत से पहेले दुरुद शरीफ पढना, खास वक्त में इज्तेमाई तौर पर खडे हो कर नबी और दिगर हस्तीयो पर सलाम पढना कैसा है?........................ १३३
क्या मुर्दे कबरो मे आवाज़ सुनते है? १३४
'या रसुलुल्लाह' कहना कैसा है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसुलुल्लाह कहना कैसा है? १३५
क्या नबी (صلى الله عليه وسلم) अपनी कबर मुबारक मे ज़िंदा है ? १३५

नबी (ﷺ) को कबरे मुबारक में जिंदा बता ने वालो ने नबी की शान में किस तरहा गुस्ताखी की? १३७
क्या नबी (ﷺ) जन्नत के मालिक है? १३९
क्या वली कबर में ज़िंदा है या नही? क्या मरे हुए इंसान वापस आते है? १३९
हमारे नबी को इल्मे-गैब किस तरहा है? १४०
गैरुल्लाह से मांगना और गैरुल्लाह को पुकारना कैसा है? १४३
दुआ एक इबादत है इसलिए दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए १४५
वसीला क्या है और वसीले से मांगना कैसा है? १४५
आदम (अलैहिस्सलाम) ने नबी (स.स.) के वसीले से दुआ नही की थी १४८
कयामत के दिन अपनी मर्जी से कोई किसी की सिफारीश नही कर पाएगा १४९
अंगुठे चुमना और कबर पर आजान देना और कबर मे अहदनामा रखना कैसा है? १४९
कुरआन पढने वाला हिदायत पाता है या गुमराह होता है? १५१
मुनाफीक की पहचान १५२
कबर पर (मस्जीद (इबादतगाह) बनाना, दिया जलाना, पक्की करना, सब्जा-फुल और पानी डालना, चादर चढाना, सजदा करना, अगरबत्ती लगाना, चुमना, तवाफ करना) कैसा है? १५३
मजारात (दरगाह) पर जाना क्यु गलत है ? १५६
तावीज और नाडा बांधना १५९
तावीज शिफा कैसे मिल जाती है? १६०
जादुगर (जादु टोना) कभी कामयाब नही हो सकता १६१
औरतो का मजारात पे जाना १६१
नबी (ﷺ) नुर है या बशर? १६२
कब्रस्तान मे नमाज पढना मना है १६६
मन्नत (नजर) मांगना १६६
इबादत क्या है? १६७
पँट के पायचे मोड के नमाज़ पढना १६७
जन्म दिन और नया साल मनाना १६९
मंगलसुत्र और चुडिया पहेन्ना १७०
कबर में ३ नही ४ सवाल पुछे जाएंगे १७०
फिरको में बटना कैसा है? १७१
मौत का गम मनाने की मुद्दत १७२
क्या यज़ीद पर जन्नती बशारत वाली हदीस फिट होती है? १७२
बैत और पिर-मुरीदी की शरई हैसीयत १७३
बुजुर्गो और उल्माओ की अंधाधुंद पैरवी का नतीजा १७५
लफ्ज 'आशिके रसुल' इस्तेमाल करना हुजुर की तौहीन है १७७
फैजाने सुन्नत या फैजाने बिदअत १७७

गरीब नवाज कौन? दाता कौन? १७९
बरेलवी सुफीयो की गुस्ताखिया १७९
क्या हनफी फिकाह कुरआन और हदीस का निचोड है? हनफी फिकाह के कुछ गंदे तरीन और फुजुल मसाईल.. २००
बरेलवी की ज़िंदगी में शिर्क, बिदआत, हिंदुआना और इसाई रसोमात की पैरवी ... २२४
गुस्ल का तरीका.. २३५
वज़ु का तरीका.. २३६
किन चिज़ो से वज़ु टुटता है? २३७
किन चिज़ो से वज़ु नही टुटता है? २३७
उलेमाओ के जरीए की गई नमाज़ की दर्जाबंदी.. २३८
मर्दो की नमाज़ का जईफ हदीस से तरीका (हनफी तरीका) २३८
औरतो की नमाज़ का जईफ हदीस से तरीका (हनफी तरीका) २४०
नमाज पढने का सुन्नत तरीका (सहीह हदीस से साबीत) मर्द और औरत के लिए... २४०
रफा-इ-दैन मंसुख (cancel) नही हुआ.. २४६
वो काम जो नमाज़ के दौरान करना जायज़ है २४९
अव्वल वक्त मे नमाज पढना अफ़ज़ल है २५०
क्या सिर्फ फर्ज नमाज पढ लेना काफी है? २५०
चार रकात सुन्नत नमाज पढने का सही तरीका?................................. २५१
मस्जीद मे दाखील होने के बाद बैठने से पहेले २ रकात पढना जरूरी है २५२
जमाअत मे देर से शामिल होने पर क्या करें? २५२
कसर की नमाज़ के उसुल.. २५३
उलमा की राय (फिकाह) के मुताबीक कसर नमाज के उसुल २५३
कज़ाए उमरी नमाज बिदअत है.. २५४
जुमा की नमाज का सही तरीका जुमे की नमाज और खुतबे के मुतालीक कुछ गलत फहेमीया.. २५४
जुमे की नमाज छुट जाए तो क्या करे २५५
क्या जुमा की नमाज के लिए २ आजान देना जरूरी है? २५५
फर्ज नमाज की इकामत पुकारते वक्त नमाज के लिए कब खडे होना चाहिए २५६
फर्ज नमाज की इकामत पुकारने के बाद कोई भी नमाज काबीले कबुल नही २५६
फजर की सुन्नत नमाज छुटने पर क्या करे... २५६
तरावीह की ८ रकात या २० रकात? २५६
वितर की नमाज का सही सुन्नत तरीका तहाज्जुद और वितर पढने का सही तरीका २५७
सलातुल तस्बीह नमाज पढने का सही तरीका...................................... २५९
ईद की नमाज पढने का सुन्नत तरीका २५९
सजदा-ए-तिलावत और सजदा-ए-शुक्र २६०
नमाजी के आगे से गुज़रना २६१
छोटे बच्चे को गोद मे लेकर नमाज पढ सकते है २६२

दाढी किस तरहा रखनी चाहिए और दाढी के डिजाईन बनाना कैसा है? २६२
तयम्मुम का तरीका (वज़ु और गुस्ल का एक ही तरीका)............................. २६४
बिमार इंसान इशारो से नमाज़ कैसे पढे ? २६५
सजदा-सहु के मसईल और तरीका २६५
नमाज की नियत करना कैसा है?.. २६७
कुरआन पढने की फजीलत.. २६८
कुरआन को तरतील से पढने के उसुल २६८
तहारत और बैतुलखला के मसले.. २७५
मर्द हज़रात पैशाब के बाद इस्तीबरा कैसे करे?.................................... २७६
तहारत क्या है? नजासत की किस्में... २७६
हैज़ के मसले २७९
निफास के मसले २७९
हैज (period) की हालत मे औरत कौन सी दुआए पढ सकती है?..................... २८०
हमबिस्तरी (मुबाशेरत, जिमा) के ताल्लुक से इस्लाम की रौशनी मे रहेनुमाई २८०
औलाद की पैदाईश रोकने के दो कुदरती तरीके.................................... २८२
सदका (charity/नफली सदका) २८२
सदका-ए-फितर (फितरा) २८२
जकात के मसाईल... २८३
जकात निकालने का तरीका ? २८५
विरासत के तकसीम का तरीका २८६
बच्चा गोद लेना कैसा है? और गोद लिए हुए बच्चे का विरासत मे कोई हिस्सा क्यु नही है?.. २८८
हमल गिराना (अबॉर्शन/Abortion) करना कैसा है?................................. २८८
तलाक के मुकम्मल मसाईल २८८
हलाला (शरई तरीके से) २९१
कुर्बानी के मुकम्मल मसाईल २९२
वालेदैन (माँ-बाप) के हुकूक व एहतेराम २९३
जिहाद क्या है?... २९४
शहीद का मरतबा.. २९४
खुदकुशी करना कैसा है? २९५
सफर का महिना कैसा है और इस महिने मे शादी करे या नही? २९६
वही क्या है? कुरआन कब, कहा और कैसे नाजील हुआ?.......................... २९६
कुरआन गलती से गिरने पर कफ्फारा (दंड) क्या है? और कुरआन को बोसा देना (चुमना) कैसा है? २९६
मेहरम कौन है? २९७
जिनत (Adornment, शृंगार, सज़ावट) क्या है ?................................... २९७
औरत अपनी जिनत किस को बता सकती है?....................................... २९७

औरत मेहरम के सामने और दुसरी औरतो के सामने पर्दा कैसे करे? २९७
हिजाब २९७
मुसलमान औरतो के लिए चंद जरुरी हिदायते.................................... २९७
मुसलमान मर्दो के लिए ड्रेस कोड... २९८
शादी में गैरइस्लामी रसुमात.. २९८
शादी मे हराम पैसो का खाना खाने का उसुल...................................... २९९
शादी किस उमर मे करनी चाहिए २९९
शोहर के पैसे अपने मायके वालो को देना २९९
बीवी बच्चो पर और घर वालो पर खर्च करने का सवाब २९९
शोहर बीवी की बात ना माने तो बीवी क्या करे ३००
शोहर ने बीवी से कैसा सुलुक करना चाहिए.. ३००
बीवी अलग रहने की बात कब कर सकती है?....................................... ३००
शोहर के फराएज और बीवी के हुक़ूक.. ३००
बीवी को उस के वालिदैन से मिलने के लिए रोकना ३०१
ना-शुक्र, बद-तमीज और ना-फरमान बीवी का अंजाम ३०१
बच्चो को बाप या माँ के खिलाफ बहेकाना ३०२
मुसलमान मर्द के लिए चार शादीया जायज़ है ३०२
क्या बीवी शोहर का नाम ले सकती है? ३०२
लडका या लडकी को दुध पिलाने मुद्दत ३०३
पानी पिने का सुन्नत तरीका और फायदे ३०३
बैठ कर पानी पिने का सुन्नत तरीकाः ३०३
सोने का सुन्नत तरीका... ३०४
चलने का सुन्नत तरीका.. ३०४
तिजारत (धंदा, business) के चंद इस्लामी उसुल ३०४
नाखुन, जिस्म के बाल और मुंछे काटने का शरई हुकूम ३०६
नाखुन कब काटे ३०६
नाखुन तरशने का सुन्नत तरीका ३०६
लोगो को हंसाने के लिए झुठ बोलना ३०६
मगरीब के वक्त बच्चो की हिफाजत कैसे करें? ३०७
अल्लाह का ज़िक्र और फज़ीलत... ३०७
दुआ मांगने का सही तरीका.. ३०९
बालों को कलर करना (मर्दो और औरतो के लिए) ३१०
बात बात पर कर्ज़ा लेना ३१०
किसी पर झुठी तोहमत (झुठा इल्ज़ाम) लगाकर उस को सब के सामने ज़लील करना ३११
बच्चे का नाम रखना और अकीका करना ३११
किसी को कोसना और गाली देना... ३११
लोहे महेफ़ुज़ क्या है?... ३१२

घर मे इंसान या जानवर की फोटो लगाना और कुत्ते पालना ३१२
खाते वक्त सलाम करना और सलाम का जवाब देना ३१३
खाने के बरतन ढांकना.. ३१३
क्या टुटी हुई चिज़े इस्तेमाल करने से दलींदरी आती है? ३१३
उलटे हाथ (left hand) से खाना या पिना.. ३१३
टेबल और कुर्सीयो पर खाना खाना.. ३१३
नशीली चिज़े हराम है ३१३
क्या सुवर का नाम ले सकते है ?.. ३१३
सिपलक और गिरगीट को मारना कैसा है?.. ३१३
आधे आस्तीन (half sleeve) के शर्ट पर नमाज़ होती है.............................. ३१४
बुरी नज़र लगना और बुरी नज़र का इलाज.. ३१४
जिस्म पर टॅटु (tattoo) बनाना मना है ३१४
बार बार पेशाब और हवा निकलने की बिमारी वाले मरीज़ क्या करे?............... ३१५
जन्नत मे औरतो को क्या मिलेगा? ३१५
गिबत कब जायज़ होती है? ३१५
झुठ बोलना कब जायज़ है? ३१५
क्या न्युज चॅनल की म्युज़िक सुनना हराम है? ३१५
क्या बददुआ लगती है? लानत करना कैसा है? ३१६
बदला लेना... ३१६
हामेला औरत (pregnant) का मय्यत वाले घर मे जाना ३१६
अल्लाह कहा है?... ३१७
आलमे बरजख क्या है?.. ३१७
गैर मुसलमानो के चंद खास सवालात के जवाबात.................................. ३१७
रमजान के आदाब, रोज़े की नियत और सहेर ३१९
रोज़े को तोडने वाली और नही तोडने वाली बाते ३२०
रोज़े के दौरान के कुछ मसनुन अमल ३२१
रोज़ा छोडने की किसे छुट है?.. ३२१
मय्यत के मुकम्मल मसाईल ३२२
हज व उमरा का तरीका व मसाईल.. ३२७
मस्जिदे-नबवी में हाज़री देने का सही तरीका ३३६
१०० प्यारी बातें ३३७

सुरे अल-फातेहा

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

आयतुल कुर्सी

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ

مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

सुरे अल बकराह का पहेला और आखरी रुकु

पहेला रुकु

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

आखरी रुकु

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ
الْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا
وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ
اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ
اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

सुरे यासीन

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ

مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ

اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ

لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى

الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ

سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ

اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ

جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا

فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا

مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ

لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾ قَالُوْٓا

اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ

مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۗ اَئِنْ

ذُكِّرْتُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا

الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ

شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾ اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِنِّيْٓ

اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۭ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ

يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ

اَنْزَلْنَا عَلٰي قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾ يٰحَسْرَةً عَلَي

الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ يَرَوْا

كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾ وَاِنْ

كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ښ

اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ

مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ

ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۭ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ

الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ښ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۳۸﴾ وَالْقَمَرَ

قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿۳۹﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ

لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ

يَّسْبَحُوْنَ ﴿۴۰﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۴۱﴾ ۙ

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ

لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿۴۳﴾ ۙ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿۴۴﴾ وَاِذَا

قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۴۵﴾ وَمَا

تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿۴۶﴾ وَاِذَا

قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۴۷﴾

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۴۸﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ

اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿۴۹﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۵۰﴾ ع وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ

مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿۵۱﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا

مِنْ مَّرْقَدِنَا ؕ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۵۲﴾

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ

أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلٰلٍ

عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فٰكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَّأَنِ اعْبُدُونِي هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ

مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِي

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ

نَخْتِمُ عَلٰٓى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنّٰى

يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا

مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا

يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهٗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ

مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٧٠﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَآ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ

وَمَشَارِبُ ؕ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ

يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَا

يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ

أَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ

نَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ

أَنْشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ

الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِيْ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۗ وَهُوَ

الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَآ أَمْرُهٗٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

सुरे अर-रहेमान

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلرَّحْمٰنُ ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿۲﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿۳﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۴﴾

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿۵﴾ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿۶﴾ وَالسَّمَآءَ

رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿۷﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿۸﴾ وَاَقِيْمُوا

الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿۹﴾ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا

لِلْاَنَامِ ﴿۱۰﴾ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿۱۱﴾ وَالْحَبُّ

ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿۱۲﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۳﴾

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿۱۴﴾ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ

مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿۱۵﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۶﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ

رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿۱۷﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۸﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

يَلْتَقِيٰنِ ﴿۱۹﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿۲۰﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۱﴾

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۲۲﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۳﴾

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿۲۴﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۵﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿۲۶﴾ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ

وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾
سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا
تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ
فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَ
الْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ
بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا
عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ

فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ
بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا
جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾
فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا
الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُوْنِهِمَا
جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾
فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾
فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾
فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِاَىِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

सुरे अल-काफेरुन

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾ وَ
لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿۶﴾

सुरे अल-इख्लास (कुलहुवल्लाह)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ
يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

सुरे अल-फलक

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا
وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

सुरे अन-नास

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ

صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾

कुरआनी दुआए

हर बिमारी के लिए शिफा और सांप के काटने से शिफा

- हर बिमारी के लिए शिफा (इलाज) (सुनन दारमी :३३८३)
- हजरत अबु सईद खुदरी (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) के एक सहाबी ने सांप के डसे हुए एक शख्स का इलाज सुरे फातेहा पढ कर दम करने से किया और वो शख्स बिल्कुल तंदरुस्त हो गया (सहीह बुखारी :५७३६)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

नेक काम की कबुलियत के लिए दुआ

- ये दुआ सय्यदना इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और उन के साहब जादे इस्लाईल (अलैहिस्सलाम) की है जो वो बैतुल्लाह की तामीर के वक्त पढते जाते थे।
- ये दुआ अपने नेक कामे की कबुलीयत के लिए खास तौर पर मांगते रहना चाहिए।

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ﴾ (البقرة:١٢٧، ١٢٨)

(सुरे बकरा (२), आयत-१२७-१२८)

आखेरत की भलाई की दुआ

- हजरत अनस (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) सब दुआओ से ज्यादा ये जामे दुआ मांगा करते थे (सहीह बुखारी : ६३८९)

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (البقرة:٢٠١)

(सुरे बकरा (२), आयत-२०१)

खता बख्शी के लिए दुआ

- हजरत अनस (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) सब दुआओ से ज्यादा ये जामे दुआ मांगा करते थे (सहीह बुखारी : ६३८९)

﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

(सुरे बकरा (२), आयत-२८५)

सिराते मुस्तकीम पर (सिधे रास्ते पर) चलने की दुआ

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (آل عمران:٨)

(सुरे इमरान, आयत-८)

इक्तेदार कायम व दायम रहने और अदाईगे कर्ज की दुआ

﴿اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (آل عمران:٢٦،٢٧)

”اے اللہ، مالک بادشاہی کے! دیتا ہے تو حکومت جسے چاہے اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہے۔ عزت دیتا ہے تو جسے چاہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہے ہر طرح کی خیر۔ بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور نکالتا ہے جاندار کو بے جان میں سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار میں سے اور رزق دیتا ہے تو جسے چاہے بے حساب۔“

(सुरे इमरान, आयत-२६,२७)

नोट : जो शख्स इन आयात के जरीए दुआ मांगेगा, इस पर अगर उहद पहाड के बराबर भी कर्ज होगा, अल्लाह तआला इस के कर्ज की अदाईगी का जरूर कोई सामान कर देगा।

औलाद मांगने की दुआ

- ये दुआ जकरीया (अलैहिस्सलाम) ने आखरी उमर मे औलाद पाने के लिए मांगी थी जिस को अल्लाह तआला ने मंजुर फरमाया।

﴿رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ﴾

"اے میرے مالک! عطا کر مجھے اپنی قدرتِ خاص سے پاکیزہ اولاد، بے شک
تو ہی ہے ہر ایک کی دعا سننے والا ہے۔" (آل عمران:٣٨)

(सुरे इमरान, आयत-३८)

नेक औलाद मांगने की दुआ

- ये दुआ हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने औलाद पाने के लिए मांगी थी जिस पर अल्लाह तआला ने आप के हजरते इस्माईल (अलैहिस्सलाम) जैसी नेक औलाद अता फरमाई।

﴿رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾ (الصافات:١١٠)

"اے میرے رب! عطا فرما تو مجھے (اولاد جو) صالحین میں سے ہو۔"

(सुरे अल-साफात, आयत-११०)

ताहाज्जुद के लिए निंद से उठने पर ये दुआ

- इब्ने अब्बास (रजि) फरमाते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब ताहाज्जुद के लिए जागे तो आप ने सुरे आले-इमरान की आखरी दस आयात तिलावत फरमाई। (सहीह बुखारी:४५६९, सहीह मुस्लीम:७६३)

﴿إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۞ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى
جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ
النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ۞ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا
يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ
عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ
وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ
رَبُّهُمْ أَنِّيْ لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى بَعْضُكُمْ

مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ * لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ * لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ * وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ * يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾

(آل عمران:۱۹۰تا۲۰۰)

(सुरे इमरान, आयत- १९० से२०० तक)

जालीम से निजात पाने की दुआ

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا﴾ (النساء:۷۵)

”اے ہمارے ربّ! نکال تو ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں اس کے باشندے اور بنا ہمارے لئے اپنی جناب خاص سے کوئی حامی اور بنا ہمارے لئے اپنی جناب خاص سے کوئی مددگار۔“

(सुरे निसा, आयत-७५)

गुलामी और जुल्म से निजात की दुआ

- ये दुआ हजरत मुसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम को तलकीन फरमाई ताके उन में से अपने रब पर भरोसा करने की सलाहीयत पैदा हो और वो फिरोन के जुल्म और उस की गुलामी से नजात पाए।

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾ (یونس:۸۵،۸۶)

"اے ہمارے رب! نہ بنا تو ہم کو فتنہ ظالم لوگوں کے لئے اور نجات دلا ہم کو اپنی مہربانی سے کافر لوگوں سے۔"

(सुरे युनुस, आयत-८५,८६)

जालीमो से निजात पाने की दुआ

- ये दुआ हजरत मुसा (अलैहिस्सलाम) ने मिस्त्र से निकलते वक्त फिरोन के शर से बचने के लिए मांगी थी, जिस के नतीजे मे अल्लाह तआला ने उन को सलामती के साथ मंजील मक्सुद पर पहोंचाया।

﴿رَبِّ نَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ﴾ (القصص:۲۱)

"اے میرے رب! نجات دلا تو مجھے ان ظالم لوگوں سے۔"

(सुरे कसस, आयत-२१)

मुकदमे में की दुआ

﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ﴾

"اے ہمارے رب! فیصلہ کر ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔" (الاعراف:۸۹)

(सुरे अल-आराफ, आयत-८९)

रिज्क बढने की दुआ

﴿اَللّٰھُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ﴾ (المائدۃ:۱۱۴)

”اے اللہ! تو ہی ہمارا رب ہے۔ نازل فرما ہم پر کوئی خوان آسمان سے کہ ہوجائے ہمارے لئے خوشی کا موقع، ہمارے اگلوں کے لئے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لئے بھی اور نشانی قرار پائے تیری طرف سے اور ہم کو رزق عطا فرما اور تو ہی تو ہے بہترین رزق دینے والا۔“

(सुरे अल-मॉएदा, आयत-११४)

सफर शुरु करते वक्त पढने की दुआ

- नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) को मक्का से हिजरत करते वक्त अल्लाह तआला ने ये दुआ मांगने का हुकम दिया था।

﴿رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾ (بنی اسرائیل:۸۰)

”اے میرے رب! لے جا تو مجھے (جہاں لے جائے) سچائی کے ساتھ اور نکال تو مجھے (جہاں سے نکالے) سچائی کے ساتھ اور بنا تو میرے لئے اپنی جنابِ خاص سے کسی صاحب اقتدار کو میرا مددگار۔“

(सुरे बनी इस्राईल, आयत-८०)

मुसाफीर को अलवीदा कहने की दुआ

﴿فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ﴾ (یوسف:۶۴)

”سو اللہ ہی سب سے بہتر محافظ اور وہی ہے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔“

(सुरे युसुफ, आयत-६४)

सवारी से उतरने या नही नई जगह कयाम करने की दुआ

- हजरत नुह (अलैहिस्सलाम) को हुकम हुआ था के तुफान के वक्त कश्ती मे सवार हो कर ये दुआ पढे

﴿رَبِّ اَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ﴾ (المومنون:۲۹)

''اے میرے رب! اُتار مجھ کو برکت والی جگہ اور تو سب سے بہتر اُتارنے والا ہے۔''

(सुरे मोमीनुन, आयत-२९)

माँ बाप के लिए रहेमत की दुआ

- अल्लाह तआला ने तमाम इंसानो को अपने वालेदैन के हक में इस तरहा दुआ मांगने का हुकम फरमाया।

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِی صَغِيْرًا﴾ (بنی اسرائیل:۲۴)

''اے میرے رب! رحم فرما ان (والدین) پر جس طرح پالا ہے ان دونوں نے مجھے (رحمت وشفقت کے ساتھ) بچپن میں۔''

(सुरे बनी इस्राईल, आयत-२४)

हाकीम के पास जाने से पहले पढने की दुआ

- हजरत मुसा (अलैहिस्सलाम) ने उस वक्त ये दुआ मांगी थी जब अल्लाह तआला ने उन को फिरोन के पास जा कर उसे पैगामे हक पहोंचाने का हुकम दिया था।

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَيَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِیْ يَفْقَهُوْا قَوْلِیْ﴾ (طٰہٰ:۲۵تا۲۸)

''اے میرے رب! کشادہ کردے میرے لئے میرا سینہ اور آسان بنا دے میرے لئے میرا کام اور کھول دے گرہ میری زبان کی کہ وہ سمجھیں میری بات۔''

(सुरे ता-हा, आयत-२५ से २८)

इल्म में इजाफे की दुआ

- ये दुआ मांगने का हुकम खुद नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) को दिया गया

﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طٰہٰ:۱۱۴)

''اے میرے رب! زیادہ کر میرا علم۔''

(सुरे ता-हा, आयत-११४)

बिमार की दुआ

- ये हजरत अय्युब (अलैहिस्सलाम) की दुआ है जिस की बरकत से उन की सब तकलीफे दुर हो गई।

﴿رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ﴾ (الانبیاء:۸۳)

''اے میرے رب! لگ گئی ہے مجھے بیماری (اس سے نجات دلا کہ) تو ہے
سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا۔''

(सुरे अंबिया, आयत-८३)

शैतान के वसवसो से बचने की दुआ

- हुजुर (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) को ये दुआ मांगने का हुकम हुआ, मुखालीफीन से सवाल व जवाब के वक्त इस का पढना बहोत मुफीद है।

﴿رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنِ﴾ (المومنون:۹۸،۹۷)

''اے میرے رب! پناہ مانگتا ہوں میں تیری شیطان کی اکساہٹوں سے اور اے
میرے رب! پناہ مانگتا ہوں میں تیری اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔''

(सुरे मोमिनुन, आयत-९७-९८)

गुनाहो की बख्शीश मांगने की दुआ

﴿رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴾

''اے ہمارے رب! ایمان لائے ہم، پس بخش دے تو ہم کو اور رحم فرما ہم پر
اور تو ہی تو ہے سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا۔'' (المومنون:۱۰۹)

(सुरे मोमीनुन, आयत-१०९)

जब खुशखबरी सुने तो ये दुआ पढे

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ﴾

”تمام تعریف اور ہر شکر اس اللہ کے لئے ہے جس نے دُور کر دیا ہم سے ہر قسم
کا رنج و غم، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔“ (الفاطر:۳۴)

(सुरे फातीर, आयत-३४)

अच्छे आमाल की तौफीक की दुआ

- ये दुआ ज्यादा से ज्यादा मांगते रहना चाहिए

﴿رَبِّ اَوْزِعْنِیْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْٓ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی
وَالِدَیَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ اِنِّیْ
تُبْتُ اِلَیْكَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ﴾ (الاحقاف:۱۵)

”اے میرے رب! توفیق دے تو مجھ کو کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری ان
نعمتوں کا جو تو نے عطا فرمائیں مجھے اور میرے والدین کو اور (توفیق دے) کہ
میں کرتا رہوں ایسے نیک کام جن سے تو راضی ہو اور نیک بنا دے تو میری خاطر
میری اولاد کو۔ میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور اور میں ہوں تیرے تابع فرمان
بندوں میں سے۔“

(सुरे अहकाफ, आयत-१५)

फितने से बचने की दुआ

- ये दुआ हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के है जो आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने अपने वालीद और अपनी कौम की इज़ार रसानी के वक्त मांगी थी।

﴿رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَیْكَ اَنَبْنَا وَاِلَیْكَ الْمَصِیْرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴾

”اے ہمارے رب! تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہم نے، تیری ہی طرف رجوع کیا ہم
نے، تیرے ہی حضور لوٹ کر جانا ہے ہمیں۔ اے ہمارے رب! نہ بنائیو ہم کو فتنہ
ان لوگوں کے لئے جو کافر ہیں اور معاف فرما دے تو ہمارے قصور۔ اے
ہمارے رب! بے شک تو ہی ہے زبردست اور حکمت والا۔“ (الممتحنۃ:۴،۵)

(सुरे मुमतहना, आयत-४,५)

एक बहेतरीन दुआ

﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴾ (المؤمنون:۱۱۸)

”اے میرے رب! بخش دے مجھ کو اور رحم فرما (میرے حال پر) اور تو ہی تو ہے سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا۔“

(सुरे मोमीनुन, आयत-११८)

बीवी और औलाद की अताअत, फरमाबरदारी के लिए दुआ

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا﴾ (الفرقان:۷۴)

”اے ہمارے رب! عطا فرما تو ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا تو ہمیں متقیوں میں سے سب سے آگے۔“

(सुरे अल-फुरकान, आयत-८४)

हजरत आदम व हव्वा (अलैहिस्सलाम) की दुआ

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ (الاعراف:۲۳)

”اے ہمارے رب! ظلم کیا ہے ہم نے اپنی جانوں پر اور اگر نہ معاف فرمایا تو نے ہمیں اور نہ رحم فرمایا تو نے ہم پر تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔“

(सुरे अल-आराफ, आयत-२३)

हजरत नुह (अलैहिस्सलाम) की दुआ

- ये दुआ हजरत नुह (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम की इज़ा रसानी के वक्त मांगी थी। जब आदमी चारो तरफ से दुश्मनो में घिरा हुआ हो और बच निकलने की कोई तदबीर कारगर ना होती हो तो निहायत आजज़ी से ये दुआ बकसरत पढे।

﴿رَبِّ أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (القمر:۱۰)

”پس پکارا اس نے اپنے رب کو: میں مغلوب ہو چکا ہوں اب تو ان سے انتقام لے۔“

(सुरे अल-कमर, आयत-१०)

हजरत युनुस (अलैहिस्सलाम) की दुआ

- ये दुआ हजरत युनुस (अलैहिस्सलाम) ने सख्त तकलीफ की हालत में मच्छली के पेट में पढी थी। और आप की दुआ कबुल हुई थी।
- हजरत साअद-बिन-अबी वकाज (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जब कोई बंदा मोमीन अपनी किसी तकलीफ और परेशानी के मौके पर वो दुआ मांगता है जो युनुस (अलैहिस्सलाम) ने मच्छली के पेट में मांगी थी तो उसे जरूर शर्फ कबुलीयत हासील होता है (सहीह तिरमीजी: २७८५)

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِينَ﴾ (الانبیاء:۸۷)

"نہیں کوئی معبود مگر تو۔ پاک ہے تیری ذات، بے شک میں ہی ہوں قصوروار۔"

(सुरे अंबिया, आयत-८७)

हजरत शोएब (अलैहिस्सलाम) की दुआ

- हर काम में जाहीरी तदाबीर इख्तीयार करने के बाद इस के बहेतर अंजाम के लिए ये दुआ मांगे

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (ہود:۸۸)

"نہیں ہے مجھ میں کچھ کرنے کی توفیق مگر اللہ (کے فضل وکرم) سے، اسی پر
بھروسہ کیا میں نے اور اُسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں (ہر معاملہ میں)"

(सुरे हुद, आयत-८८)

हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की दुआ

- बैतुल्लाह की तामीर के बाद हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने ये दुआ मांगी जिस में अपने, अपनी औलाद, तमाम मोमीनीन और अपने वालेदैन के लिए अल्लाह तआला से मगफीरत मांगी।

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ * رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

"اے میرے ربّ! بنا تو مجھ کو ایسا کہ قائم رکھوں میں نماز کو اور میری اولاد میں
سے بھی (ایسے لوگ اُٹھا جو یہ کام کریں) ہمارے مالک! قبول فرما تو ہماری یہ
دعا۔ اے ہمارے مالک! بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور سب مؤمنوں کو
اس دن جب حساب قائم ہوگا۔" (ابراہیم:۴۰،۴۱)

(सुरे इब्राहीम, आयत-४०,४१)

हजरत लुत (अलैहिस्सलाम) की दुआ

- ये दुआ हजरत लुत (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम के शर से बचने के लिए मांगी थी जो कबुल हुई।

﴿رَبِّ انْصُرْنِیْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِیْنَ﴾ (العنکبوت:۳۰)

”اے میرے رب! مدد فرما تو میری ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں۔“

(सुरे अल-अनकबुत, आयत-३०)

हजरत याकुब (अलैहिस्सलाम) की दुआ

﴿إِنَّمَا أَشْكُوْا بَثِّیْ وَحُزْنِیْ إِلَى اللّٰهِ﴾ (یوسف:۸۶)

”میں تو اپنی پریشانی اور رنج وغم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں (اس کے سوا کسی سے نہیں)۔“

(सुरे युसुफ, आयत-८६)

हजरत युसुफ (अलैहिस्सलाम) की दुआ

﴿فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِیّٖ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ﴾ (یوسف:۱۰۱)

”اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے! تو ہی سرپرست اور کارساز ہے میرا، دُنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اُٹھا تو مجھے اس دُنیا سے اس حال میں کہ میں تیرا فرمانبردار ہوں اور شامل کر تو مجھے اپنے نیک بندوں میں۔“

(सुरे युसुफ, आयत-१०१)

हजरत युसुफ (अलैहिस्सलाम) की दुआ

- अल्लाह तआला की तरफ से किसी न्यामत के हसुल और खुशी व खुशखबरी के मौके पर ये दुआ पढनी चाहिए

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِيْٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ﴾ (النمل:١٩)

"اے میرے رب! توفیق دے مجھ کو کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے عطا فرمائیں مجھے اور میرے والدین کو (اور مجھے توفیق عطا فرما) کہ میں کرتا رہوں ایسے نیک کام جن سے تو راضی ہو اور داخل کر تو مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔"

(सुरे नमल, आयत-१९)

हजरत मुसा (अलैहिस्सलाम) की दुआ

- सय्यदना हजरत मुसा (अलैहिस्सलाम) अपनी कौम में सत्तर आदमी मुंतखब फरमा कर तुर के पहाड पर ले गए थे। इन लोगो से वहा एक बे-अदबी सरजद हो गई जिस के नतीजे में वो हलाक हो गए, इस वक्त हजरत मुसा (अलैहिस्सलाम) ने ये दुआ मांगी थी जिस का असर ये हुआ के वो सब दोबारा जिंदा हो गए (इब्ने जरीर तबरी:९/८१)

① ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ﴾

"تو ہی ہے ہمارا سرپرست، سو بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور لکھ دے ہمارے لئے اس دُنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی، ہم نے رجوع کر لیا تیری طرف۔" (الاعراف:١٥٥،١٥٦)

(सुरे अल-आराफ, आयत-१५५,१५६)

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ﴾ (الانبیاء:٨٩)

"اے میرے رب! نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا اور تو ہی ہے سب سے بہتر وارث۔"

یہ دعا حضرت زکریاؑ نے حصولِ اولاد کے لئے مانگی تھی جسے بارگاہِ الٰہی میں شرفِ قبول حاصل ہوا اور نتیجتاً انہیں حضرت یحییٰؑ جیسا فرزند عطا ہوا۔

ये दुआ भी हजर मुसा (अलैहिस्सलाम) ने बेसरो सामानी की हालत में हजरत शोएब (अलैहिस्सलाम) की बकरीयो को पानी पिलाने के बाद मांगी थी, जिस के नतीजे मे अल्लाह तआला ने सिर्फ ये के उन के कयाम व तआम और निकाह वगैरा का इंतेजाम फरमाया बल्के इस के बाद नबुवत जैसी अजीम न्यामत अता फरमाई।
(सुरे अल-कसस, आयत-२४)

हजरत जकरीया (अलैहिस्सलाम) की औलाद मांगने की दुआ

- ये दुआ हजरत जकरीया (अलैहिस्सलाम) ने औलाद हासील करने के लिए मांगी थी जो कबुल हुई।

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ﴾ (الانبیاء:۸۹)

"اے میرے رب! نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا اور تو ہی ہے سب سے بہتر وارث۔"

یہ دعا حضرت زکریا نے حصولِ اولاد کے لئے مانگی تھی جسے بارگاہِ الٰہی میں شرفِ قبول حاصل ہوا اور نتیجتاً انہیں حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا ہوا۔

(सुरे अंबिया, आयत-८९)

नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) की दुआ

﴿اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ﴾ (الزمر:۴۶)

"اے اللہ! پیدا فرمایا ہے (تو نے ہی) آسمان اور زمین کو، جاننے والا ہے (تو ہی) چھپے اور کھلے کا۔ تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔"

(सुरे अल-जुमर, आयत-४६)

असहाबे कहफ की दुआ

- ये दुआ असहाबे कहफ ने मांगी थी। इस दुआ का असर ये हुआ के अल्लाह तआला ने उसे मंजुर फरमाया और बतोरे खास उन की हिफाजत फरमाई।

﴿رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

"اے ہمارے رب! نواز تو ہمیں اپنی رحمتِ خاص سے اور مہیا فرما ہمیں ہمارے معاملات میں درستگی۔" (الکہف:۱۰)

(सुरे अल-कहफ, आयत-१०)

मुजाहीदीन की दुआ

﴿رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِیْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾ (آل عمران:۱۴۷)

”اے ہمارے رب! معاف فرما دے ہمارے گناہ اور بے اعتدالیاں جو ہم سے سرزد ہوئیں اپنے معاملات میں اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح عطا فرما ہمیں کافروں پر۔“

(सुरे अल-बकरा, आयत-२८६)

अल्लाह के सिपाही की दुआ

- अल्लाह तआला फरमाता है के तालुत के लष्कर मे जो मुसलमान थे, उन्हो ने जालुत (काफीर) के खिलाफ जिहाद करते वक्त ये दुआ मांगी थी। इस दुआ का असर ये हुआ के अल्लाह तआला के हुकम से मुसलमानो ने काफीरो के शिकस्त दे दी।

﴿رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾ (البقرة:۲۰۵)

”اے ہمارے ربّ! فیضان کر ہم پر صبر کا اور جمائے رکھ ہمارے قدم اور فتح عطا فرما ہمیں کافر لوگوں پر۔“

(सुरे अल-बकरा, आयत-२०५)

सय्यदुल अस्तगफार (सहीह बुखारी: ६३०६)

- हजरत शिदाद-बिन ओवेस (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जो शख्स इस अस्तगफार को सुबाह व शाम पढे और इस के मायनी व मफहुम को समझ कर इस पर पुरा यकीन रखे, अगर इस का इसी दिन शाम से पहेले या इसी रात सुबाह से पहेले इंतेकाल हो जाए तो वो सिधा जन्नत में जाएगा।

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ»

''اے اللہ! تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور اس عہد اور وعدے پر حتی المقدور قائم ہوں جو میں نے تجھ سے کیا ہے۔ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اپنے اعمال کے شر سے، تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، جن سے تو نے مجھے نوازا ہے اور اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ تو میرے گناہ بخش دے، کیونکہ گناہ صرف تو ہی بخشتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا۔''

सोते वक्त पढने की दुआए और आदाब

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) रिवायत करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जब कोई शख्स सो जाता है तो शैतान इस के सरहाने बैठ जाता है और उस की गुदी पर तीन गिरहे लगा देता ह। हर गिरहा के साथ ये बात फुंकता है के बहोत तवील रात पडी है, मजे से सोते रहो।

  अब अगर ये शख्स जाग जाता है और अल्लाह का नाम लेता है तो एक गिरहा खुल जाती है, फिर जब वजु करता है तो दुसरी गिरहा खुल जाती है और जब नमाज पढता है तो तिसरी गिरहा खुल जाती है और इंसान हशाश बशाश और पाकीजा नफ्स उठाता है, वरना बदमिजाज़ और सुस्ती का मारा रहता है।
  (सहीह बुखारीः११४२)
- हजरत बिरा बिन आजीब रिवायत करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने मुझे हिदायत फरमाई के जब तुम सोने का इरादा करो तो वजु कर लो, जैसा के नमाज के लिए वजु किया जाता है
  (सहीह बुखारी:६३११, सहीह मुस्लीम:२७१०)

इस के बाद निचे दिए हुए जिक्र पढे :

१) आयतुल कुर्सीः

हजरत अबु हुरेरा (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने इस बात की तस्दीक फरमाई के अगर सोते वक्त आयतुलकुर्सी पढी जाए तो अल्लाह तआला की तरफ से एक फरीश्ता हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है जो पढने वाले की शैतान से हिफाजत करता रहता है। (सहीह बुखारी:५०१०)

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ﴾ (البقرة:٢٥٥)

२) सुरे बकरा की आखरी दो आयातः

हजरत अबु मसउद अन्सारी (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जो शख्स सुरे बकरा की आखरी दो आयात सोते वक्त तिलावत करेगा, ये आयात इसे हर बला से बचाने के लिए किफायत करेगी। (सहीह बुखारी:४००८)

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ * لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾

३) सुरे इख्लास

हजरत आयशा (रजि) रिवायत करती है के, ाबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब सोने के लिए लेटते तो अपनी दोनो हथेलीयो को जोड लेते और फिर सुरे इख्लास पढ कर अपने हाथो पर दम करते और फिर जिस्म पर जहा तक हाथ पहोंच सकते फेर लेते। (सहीह बुखारी:५७४८)

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے پھیر لیتے۔

(صحیح بخاری:۵۷۴۸)

फिर लेट कर निचे दिए हुए दुआए पढे:

१) हजरत खजीफा बिन यमान (रजि) बयान करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो अपने दाहिने पहेलु के बल लेटते और दस्ते मुबारक को दाए रुख्सार (गाल मुबारक) के निचे रख लेते और फिर ये दुआ पढते (सहीह बुखारी:६३१२)

«اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى» (صحیح بخاری:۶۳۱۲)

”اے اللہ! میں تیرے ہی نام سے مروں گا اور تیرے ہی نام سے زندہ رہوں گا۔“

२) हजरत अबु हुरेरा (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने बिस्तर पर जाए तो पहेले उसे झाड ले फिर बिस्मील्लाह पढ कर अपने दाए (सिधे) पहेलु (बाजु) लेटे और ये दुआ पढे : (सहीह मुस्लीम:२७१४)

«سُبْحٰنَكَ رَبِّی بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِیْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ» (صحیح مسلم:۲۷۱۴)

''پاک ہے تو اے میرے رب! تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو بستر پر رکھ رہا ہوں اور تیرا ہی نام لے کر اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری جان روک لے تو اسے بخش دیجیو اور اگر اسے واپس بھیج دے تو اس کی اس طرح حفاظت فرمائیو، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی فرماتا ہے۔''

३) हजरत बिरा-बिन आजीब (रजि) रिवायत करते है के (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने मुझ से फरमाया,जब तुम सोने लगो तो पहेले वजु कर लो फिर अपनी दाई करवट लेट कर ये दुआ पढो :

«اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِیْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِیْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِیْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِیْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِیْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِیْ أَرْسَلْتَ»

''اے میرے آقا و مولا! میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رُخ تیری طرف موڑ دیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا اور تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا۔ یہ سب میں نے تیرے ثواب کے شوق میں اور تیرے عذاب کے ڈر سے کیا ہے، کیونکہ میرا ٹھکانہ تیرے سوا کوئی نہیں اور تیرے عذاب سے بچنے کی پناہ گاہ بھی تیرے سوا کوئی اور نہیں۔ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور ایمان لایا تیرے نبی پر جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا۔''

आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया के अगर तुम इसी रात दुनिया से रुख्सत हो गए तो तुम्हारी मौत दिने फितरत (इस्लाम) पर होगी और अगर तुम को सुबाह उठना नसीब हुआ तो तुम भलाई पाओगे और आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया के ये दुआ सोते वक्त तुम्हारी जबान पर जारी होने वाले आखरी कलेमात होने चाहिए (सहीह बुखारी:६३१३, ६३११)

निंद में घबराहट और बेचैनी का इलाज

- अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि) बिनुल आस से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, निंद में घबराहट के वक्त ये दुआ पढो :

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ» (صحیح ترمذی:۲۷۹۳)

''میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں،اس کے غضب سے،اس کے عذاب سے،اس کے بندوں کے شر سے،شیطان کے چوکوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔''

(सहीह तिरमीजी: २७९३)

निंद से बेदार होते वक्त पढने की दुआ

- हजरत बिरा-बिन-आजीब (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब निंद से बेदार होते तो ये दुआ पढते थे।

«اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِیْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ»

''تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا،اس کے بعد کہ (شب گزشتہ) اس نے ہمیں موت سے ہمکنار کردیا تھا اور بالآخر سب کو اسی کے حضور لوٹ کر جانا ہے'' (صحیح بخاری:۶۳۱۲،صحیح مسلم:۲۷۱۱)

(सहीह बुखारी: ६३१२, सहीह मुस्लीम: २७११)

निंद से बेदार होते ही पढने की दुआ

- हजरत इबादा-बिन-सामत (रजि) रिवायत करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया: जो शख्स निंद से बेदार होते ही निचे की दुआ पढे और इस के बाद अपनी मग्फीरत की या कोई और दुआ मांगे तो अल्लाह तआला इस की दुआ कबुल फरमाता है और फिर जब वजु कर के नमाज अदा करता है तो इस की नमाज शर्फे कबुलीयत पाती है।

«لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»

''اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔حمد اللہ ہی کیلئے ہے، اللہ پاک اور بے عیب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی تدبیر اور قوت کارگر نہیں ہوسکتی۔'' (بخاری:۱۱۵۴)

(सहीह बुखारी: ११५४)

सुबाह और शाम पढने की दुआ

- हजरत अब्दुल्लाह बिन मसउद (रजि) रिवायत करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) सुबाह के वक्त ये दुआ पढा करते थे।

«أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ! أَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ [هٰذَا الْيَوْمِ] وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ [هٰذَا الْيَوْمِ] وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ»

"ہم نے صبح (شام) کی اور اللہ کے ملک نے صبح (شام) کی، حمد وثنا اللہ ہی کے لئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ یکتا یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ملک بھی اسی کا اور حمد بھی اسی کیلئے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب! اس دن (رات) میں جو خیر پنہاں ہے اور جو اس کے بعد ہے، میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں اور اس دن (رات) کے شر سے اور اس کے بعد والے کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے میرے ربّ! میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے ربّ! میں آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔" (صحیح مسلم:۲۷۲۳)

(सहीह मुस्लीम: २७२३)

नोट : **शाम की दुआ मे** अस्बाह-ना व अस्ब-हा **की जगह पर** अम-सैना व अम-सा

हाज़ल यौमी की जगह पर **हाज़ेहील लैलती**

मा-बा-दा की जगह पर **मा-बा-द-हा** पढे

- हजरत उस्मान बिन अफ्फान (रजि) रिवायत करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जो शख्स सुबाह और शाम के वक्त तिन बार निचे की दुआ पढ ले, इसे कोई चिज नुकसान नही पहोंचा सकती : (सहीह तिरमीजी:२६९८)

«بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ» (صحیح ترمذی:۲٦۹۸)

”اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز
نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔“

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) अपने सहाबा (रजि) को ये दुआ सुबाह पढने की तालीम देते थे।

«اَللّٰھُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ»

”اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے
شام کی اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم
مریں گے اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔“

- और शाम के वक्त :

«اَللّٰھُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ» (صحیح ترمذی:۲۷۰۰)

”اے اللہ! تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے
صبح کی اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مریں
گے اور تیری ہی طرف ہم نے دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔“

- हजरत अब्दुल रहेमान बिन अबु अबजा से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) अपने सहाबा (रजि) सुबाह और शाम ये दुआ पढते (सहीह जामे सगीर:४६७४)

«أَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الإِخْلَاصِ وَدِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَمِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ»

”ہم نے صبح (شام) کی فطرت اسلام اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی کے دین
اور اپنے باپ ابراہیم حنیف مسلم کی ملت پر اور وہ مشرک نہیں تھے۔“
(صحیح الجامع الصغیر:۴۶۷۴)

نوٹ: شام کے وقت أَصْبَحْنَا کی جگہ پر أَمْسَيْنَا پڑھیں۔

नोट : शाम के वक्त **अस्बाहना** की जगह पर **अम-सैना** पढे

- हजरत अबुबकर (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ये

दुआ सुबाह व शाम ३-३ बार पढते : (सहीह अबु-दाऊद:४५४२)

«اَللّٰهُمَّ عَافِنِى فِى بَدَنِى ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِى فِى سَمْعِى ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِى فِى بَصَرِى لا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ» (صحیح ابوداود:۴۵۴۲)

''اے اللہ! مجھے میرے جسم میں عافیت دے۔ اے اللہ! مجھے میرے کانوں میں عافیت دے۔ اے اللہ! مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ! میں کفر اور تنگدستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔''

- हजरत इब्ने उमर (रजि) फरमाते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) सुबाह और शाम ये दुआ पढते :(सहीह अबु-दाऊद:४२३९)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَّوْعَاتِيْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ» (صحیح ابوداود:۴۲۳۹)

''اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنے اہل، اپنے مال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن میں رکھ۔ اے اللہ! میرے سامنے سے، میرے پیچھے، میرے دائیں طرف سے اور میرے بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت کر اور اس بات سے میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔''

- हजरत अबुबकर (रजि) को नबी (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने सुबाह व शाम ये दुआ पढने की तलकीन फरमाई : (सहीह तिरमीजी:२७०१)

«اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطٰنِ وَشِرْكِهٖ» (صحیح ترمذی:۲۷۰۱)

"اے اللہ! اے غیب اور حاضر کو جاننے والے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہر چیز کے پروردگار اور مالک! میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے۔"

- नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने हजरत फातेमा (रजि) को सुबाह और शाम ये दुआ पढने की तलकीन फरमाई : (सहीह तरगीब वितर हैब:६५७)

«يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ» (صحیح الترغیب والترہیب:۶۵۷)

"اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے! میں تیری ہی رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ میرے تمام کام درست کر دے اور ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔"

- अब्दुल्लाह बिन खबीब (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने मुझे सुबाह और शाम ३-३ मतरबा ये दुआ पढने की तलकीन फरमाई : (सहीह तिरमीजी:२८२९)

«قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ»

(صحیح ترمذی:۲۸۲۹)

- हजरत अबु हुरेरा से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबाह और शाम ये दुआ १०० मरतबा पढी कयामत के दिन इस से अफजल किसी का अमल ना होगा (सहीह मुस्लीम:२६९२)

«سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ» (صحیح مسلم:۲۶۹۲)

- सुबाह और शाम **आयतुल कुर्सी** पढने वाला शैतान से महेफुज रहता है (सहीह तरगीब वितर हैब : ६५८)
- हजरत अबु दरदा (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर सुबाह और शाम १० मरतबा दुरूद भेजे वो कयामतवाले दिन मेरी शफाअत को पा लेगा (सहीह तरगीब वितर हैब:६५९)

बैतुलखला जाने की दुआ

- हजरत अनस (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जब कोई शख्स बैतुलखला मे दाखील हो तो ये दुआ पढे

«بِسْمِ اللهِ... اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»

''اللہ تعالیٰ کے نام سے ...اے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم کی گندگی سے اور گندی باتوں سے اور نر اور مادہ شیطانوں سے۔'' (بخاری:۶۳۲۲)

(सहीह बुखारी: ६३२२)

बैतुलखला निकलते वक्त पढने की दुआ

- हजरत आयशा (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब भी बैतुलखला से बाहर निकलते तो फरमाते :

«غُفْرَانَكَ»

(सहीह तिरमीजी: ७)

वज़ु की दुआए

- हजरत अबु सईद खुदरी (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जिस ने वजु करते वक्त **बिस्मील्लाह** नही पढी इस का वजु नही हुआ। (सहीह इब्ने माजा:३१८)
- हजरत उमर बिन खत्ताब (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जो शख्स अच्छी वजु करे और ये दुआ पढे तो इस के लिए जन्नत के आठो दरवाजे खोल दिए जाते है, जिस मे से चाहे जन्नत में दाखील हो जाए। (सहीह मुस्लीम: २३४)

«أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ» (صحیح مسلم:۲۳۴)

''نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ یکتا اور یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

तिरमीजी की रिवायत मे ये इजाफा है :

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ»

''اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو توبہ کرتے رہتے ہیں اور جو ہر وقت پاک صاف رہتے ہیں۔'' (صحیح ترمذی:۴۸)

मस्जिद की तरफ जाते वक्त पढने की दुआ

● हजरत इब्ने अब्बास (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने घर में फजर की सुन्नते पढने के बाद मस्जिद मे जाते हुए ये दुआ पढी :

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِي نُوْرًا وَّفِيْ لِسَانِي نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا وَّفِيْ دَمِيْ نُوْرًا وَّفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَشَرِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا وَّفَوْقِيْ نُوْرًا وَّتَحْتِيْ نُوْرًا وَّاَمَامِيْ نُوْرًا وَّخَلْفِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا» (صحیح مسلم:۷۶۳)

''اے اللہ! میرے دل کو نور سے معمور کردے اور بھردے میری زبان میں نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے رگ وریشہ میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میرے بالوں میں نور، میری جلد میں نور اور میرے دائیں طرف نور، میرے بائیں طرف نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور اور کردے میرے لئے نور۔ اور میرے نفس میں نور بھردے اور میرے نور کو بڑا کردے۔ اے اللہ! مجھے نور عطا فرما۔''

(सहीह मुस्लीम: ७६३)

मस्जिद मे दाखील होने और मस्जीद से निकलने की दुआ

- हजरत फातेमा (रजि) से रिवायत है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब मस्जीद में दाखील होते तो ये कहते: (सहीह इब्ने माजा: ६२५)

«بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» (صحیح ابن ماجہ:۶۲۵)

"اللہ کے نام کے ساتھ (میں داخل ہوتا ہوں) اور سلامتی ہو رسول اللہ ﷺ پر اے اللہ! میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔"

- हजरत अबु हमीद (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया तुम में से जब कोई मस्जीद मे दाखील हो तो नबी पर सलाम भेजे फिर ये दुआ पढे : (अबु दाऊद:४४०)

(بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ) «اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» (صحیح ابوداود:۴۴۰)

- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस (रजि) रिवायत करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब मस्जीद मे दाखील होते तो ये दुआ पढते : (सहीह अबु दाऊद:४४१)

«اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ» (صحیح ابوداود:۴۴۱)

"پناہ طلب کرتا ہوں میں اللہ عظیم کی، اس کے وجہ کریم کی اور اس کے سلطان قدیم کی، شیطان مردود سے۔"

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के, रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जीद में दाखील हो तो नबी (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) पर सलातु सलाम कहे फिर ये दुआ पढे (मुस्तदरक हाकीम:३०७/१, सहीह इब्ने हबान:२०४८)

(بِسْمِ اللهِ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ)«اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِى مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ» (مستدرک حاکم:۱/۲۰۷،صحیح ابن حبان:۲۰۴۸)

''اللہ کے نام کے ساتھ (میں داخل ہوتا ہوں) درود وسلام ہو آپ پر، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھ۔''

- अबु उसेद (रजि) से रिवायत से मुजरीद ये दुआ भी साबीत है : (सहीह मुस्लीम:७१३)

«اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» (صحیح مسلم:۷۱۳)

- ''اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔''

<u>मस्जीद से निकलते वक्त निचे की दुआए पढना मसनुन है :</u>

- हजरत फातेमा (रजि) से रिवायत है के, रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब मस्जीद से निकलते तो ये कहते (सहीह इब्ने माजा:६२५)

«بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ» (صحیح ابن ماجہ:۶۲۵)

''اللہ کے نام کے ساتھ (میں نکلتا ہوں) اور سلامتی ہو رسول اللہ ﷺ پر اے اللہ! میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔''

- हजरत अबु हमीद (रजि) से रिवायत है के रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, तुम मे से जब कोई मस्जीद से निकले तो ये दुआ पढे (सहीह अबुदाऊद :४४०)

(بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ) «اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (صحیح ابوداود:۴۴۰)

''اللہ کے نام کے ساتھ (میں نکلتا ہوں) اور سلامتی ہو آپ ﷺ پر۔ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔''

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के, रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया के तुम मे से जब कोई मस्जीद से निकले तो नबी (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) पर सलाम भेजे फिर ये दुआ पढे (सहीह इब्ने माजा:६२७)

(بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ) «اَللّٰهُمَّ أَعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ» (صحیح ابن ماجہ:۶۲۷)

”اللہ کے نام کے ساتھ (میں نکلتا ہوں) اور سلامتی ہو آپ ﷺ پر۔ اے اللہ! مجھے مردود شیطان سے محفوظ رکھ۔“

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के, रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया के तुम मे से जब कोई मस्जीद से निकले तो नबी (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) पर सलाम भेजे फिर ये दुआ पढे (सहीह इब्ने हबान:२०४८)

(بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ) «اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ» (صحیح ابن حبان:۲۰۴۸)

”اللہ کے نام کے ساتھ (میں نکلتا ہوں) سلام ہو آپ پر، اے اللہ! مجھے شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھ۔“

- अबु सईद (रजि) की रिवायत से मुजरीद ये दुआ भी साबीत है (सहीह मुस्लीम)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (صحیح مسلم:۷۱۳)

”اے اللہ! میں تیرا فضل مانگتا ہوں۔“

घर मे दाखील होने की और घर से निकलने की दुआए

- हजरत अनस (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : जो शख्स घर से निकलते वक्त ये दुआ पढता है, इसे बशारत दी जाती है के तेरा काम सुधार दिया गया, तु महेफुज हो गया, तु हिदायत पा गया और शैतान इस से कन्नी कतरा जाता है (सहीह तिरमीजी:२७२४)

«بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»

”اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا، کوئی قوت و تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہوسکتی۔“ (صحیح ترمذی:۲۷۲۴)

* हजरत उम्मे सलमा (रजि) रिवायत करती है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब कभी मेरे घर से बाहर निकलते तो आस्मान की जानीब निगाह उठा कर ये दुआ पढते (सहीह अबु दाऊद:४२४८)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَیَّ» (صحیح ابوداود:۴۲۴۸)

''اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ بھٹک جاؤں یا کوئی دوسرا مجھے بھٹکا دے یا میں خود لغزش کھا جاؤں یا کوئی دوسرا مجھے ڈگمگا دے اور اس سے کہ میں خود ظلم کروں یا کوئی دوسرا مجھ پر ظلم کرے اور اس سے کہ میں خود نادانی کی بات کروں یا کوئی دوسرا مجھے جہالت میں مبتلا کرے۔''

* हजरत अबु मालीक शैरी (रजि) बयान करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स घर मे दाखील हो तो ये दुआ पढे सहीह जामे सगीर:८९२)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَسْئَلُكَ خَيْرَالْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا» (صحیح الجامع الصغیر:۸۹۲)

''اے اللہ! میں تجھ سے خواستگار ہوں کہ میرا یہاں داخل ہونا باعث خیر ہو اور نکلنا بھی باعث خیر ہو۔ اللہ کا نام لے کر ہم یہاں داخل ہوئے اور اسی کا نام لے کر باہر جائیں گے اور اپنے رب پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔''

* हजरत खवला बिनते हकीम (रजि) बयान करती है के मैं ने नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) को फरमाते सुना, जो शख्स किसी नई जगह ठहरे और ये दुआ पढे तो यकीनन वहा से कुच करने तक कोई चिज इसे नुकसान ही पहोंचाएगी (सहीह मुस्लीम:२७०७)

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» (صحیح مسلم:۲۷۰۷)

''پناہ طلب کرتا ہوں میں اللہ کے کلمات تامہ کی ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، اے اللہ! مجھے برکت والی جگہ اتارنا، تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔''

आजान की दुआए और आदाब

- हजरत उमर बिन खत्ताब (रजि) और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर व बिन आस (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जब आजान सुनो तो जो अल्फाज मोअजन कहे वो दोहराते जाओ, अलबत्ता जब वो **हय्या अलस-सला** और **हय्या अलल फला** कहे तो तुम **ला-हवला वला कुवता इल्ला बिल्लाह** कहो (सहीह मुस्लीम :३८३, ३८४)
- आजान खत्म हो जाए तो **दुरूद शरीफ पढो** और **ये दुआ मांगे** और जो शख्स ये दुआ मांगता है वो रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) की शफाअत का हकदार हो जाता है। (सहीह बुखारी:६१४)

«اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ»

"اے اللہ! اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے مالک، محمد ﷺ کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور آپ ﷺ کو مقام محمود پر فائز فرما، جس کا تو نے آپ ﷺ سے وعدہ فرمایا ہے۔" (صحیح بخاری:٦١٤)

- हजरत अनस (रजि) रिवायत करते है के रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, आजान और इकामत के दरमियान जो दुआ मांगी जाए व रद्द नही होती (सहीह तिरमीजी:२८४३)
- हजरत साअद बिन अबी वकास (रजि) से रिवायत है के रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, आजान सुन कर ये कहना चाहिए (सहीह मुस्लीम:३८६)

«أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا»

"میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور بلا شبہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، میں راضی ہوا، اللہ کو اپنا رب ماننے پر۔ اسلام کو اپنا دین بنانے پر اور حضرت محمد ﷺ کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرنے پر۔" (صحیح مسلم:٣٨٦)

नमाज शुरू करते वक्त की दुआ

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) तकबीरे तहरिमा के बाद नमाज के शुरू मे ये दुआ पढा करते थे : (सहीह बुखारी:८४४)

«اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ»

"اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس قدر دوری کردے جتنی مشرق ومغرب کے درمیان ہے۔ الٰہی! مجھے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کردے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف اور اُجلا کیا جاتا ہے۔ الٰہی! میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھوڈال۔" (صحیح بخاری:۷۴۴)

- हजरत आयशा (रजि) और हजरत अबु सईद खुदरी (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) नमाज की शुरूवात इस दुआ से फरमाते थे (सहीह तिरमीजी:२०२)

« سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ» (صحیح ترمذی:۲۰۲)

"پاک ہے تیری ذات اے اللہ! اور حمد وثنا تیرے لئے ہے، برکت والا ہے تیرا نام۔ سب سے بلند وبالا ہے تیری شان اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔"

रुकू और सजदे के अजकार (जिक्र)

- हजरत आयशा (रजि) बयान करती है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) रुकू व सुजुद मे कसरत से ये दुआ पढा करते थे (सहीह बुखारी:७९४, सहीह मुस्लीम:४८४)

« سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ»

"پاک ہے تو اے اللہ! ہمارے پروردگار اور حمد وثنا ہے تیرے لئے۔ الٰہی! مجھے بخش دے۔" (صحیح بخاری:۷۹۴، صحیح مسلم:۴۸۴)

- और एक रिवायत मे है के हजरत आयशा (रजि) फरमाती है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु

अलैहि व-सल्लम) रुकु और सुजदा मे ये कलमात पढा करते थे (सहीह मुस्लीम:४८७)

«سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوحِ» (صحیح مسلم:۴۸۷)

”(الٰہی تو) نہایت پاک اور قدوس ہے، فرشتوں اور روح الامین (جبریل) کا پروردگار ہے۔“

- हजरत हजीफा (रजि) बयान करते है के मै ने नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) को रुकु की हालत में ये कलेमात कहते सुना, आप ने ये कलमा तीन बार कहे

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ»

”پاک ہے میرا رب، عظمت والا۔“

सजदे मे ये कलीमात ३ बार कहे :

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الاَعْلٰى»

”بے عیب ہے میرا رب بلند و برتر“

(सहीह इब्ने माजा:७२५)

- हजरत साअद (रजि) से रिवायत है के आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) रुकु और सजदा मे ये दुआ ३ दफा पढते (सहीह अबु दाऊद:७८७):

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» (صحیح ابوداود:۷۸۷)

”اللہ (ہر عیب سے) پاک ہے (ہم) اس کی تعریف کے ساتھ (اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔)“

- हजरत आयशा (रजि) से रिवायत है के, आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) रुकु और सजदा मे ये दुआ पढते (सहीह मुस्लीम:४८५)

«سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ» (صحیح مسلم:۴۸۵)

”اے اللہ! تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔“

- हजरत अवफ बिन मालीक अशजई (रजि) बयान करते है के आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) रुकु और सजदा मे ये दुआ पढते : (सहीह अबु दाऊद:७७६)

«سُبْحٰنَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ»

”قہر (غلبے) بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ پاک ہے۔“

(صحیح ابوداود:۷۷۶)

- हजरत अली (रजि) से रिवायत है के आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) **रुकु मे ये**

कहते :(सहीह मुस्लीम:७१७)

«اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ» (صحیح مسلم:۷۱۷)

''اے اللہ! میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرمانبردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے۔''

और सजदे मे ये कहते

«اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ» (صحیح مسلم:۷۷۱)

''اے اللہ! تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرمانبردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ کو کھولا، بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے۔''

- हजरत आयशा (रजि) से रिवायत है के आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने सजदे मे ये रिवायत पढी : (सहीह मुस्लीम:४८६)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِیْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ» (صحیح مسلم:۴۸۶)

''اے اللہ! میں تیری رضا مندی کے ذریعے تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری تعریف کو شمار نہیں کرسکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔''

- हजरत इब्ने अब्बास (रजि) से रिवायत है के आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) सजदो में ये दुआ पढते थे (सहीह मुस्लीम:७६३) :

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا، وَفِي سَمْعِي نُوْرًا، وَفِي بَصَرِي نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِي نُوْرًا، وَأَمَامِي نُوْرًا، وَخَلْفِي نُوْرًا، وَفَوْقِي نُوْرًا، وَتَحْتِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِي نُوْرًا» (صحیح مسلم:۷۶۳)

"اے اللہ! میرے دل، میری سماعت اور بصارت کو منور فرما، میرے دائیں بائیں، سامنے اور پیچھے، اوپر نیچے نور پھیلا دے اور میرے لیے نور ہی نور کر دے۔"

- **सजदा तिलावत की दुआ :** हजरत आयशा (रजि) फरमाती है के आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) सजदा तिलावत में ये दुआ पढते : (सहीह तिरमीजी:२७२३, हाकीम:२२०/१)

«سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ» (صحیح ترمذی:۲۷۲۳، حاکم:۱/۲۲۰)

"سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کو جس نے اسے پیدا فرمایا اور اس نے اس کے کان اور آنکھ کے سوراخ بنائے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے۔"

- रुकु से उठ कर जब इमाम **समीअल्लाहु लिमन हमीदा** कहे तो मुक्तदी के लिए **रब्बना व ल-कल-हम्दु हमदन कसीरन तय्येबम मुबारकन फीह** कहना अजीम सवाब का बाअस है (सहीह बुखारी:७९९)
- हजरत इब्ने अब्बास (रजि) रिवायत करते है के आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने दोनो सजदो के दरमियानी वक्फा मे ये दुआ पढी : (सहीह अबु दाऊद:७५६)

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي»

"اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے۔" (صحیح ابوداود:۷۵۶)

नमाज के आखीर की दुआए

- हजरत अबुबकर सिद्दीक (रजि) बयान करते है के आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने मुझे ये दुआ सिखाई ताके मै इस को नमाज में पढा करू (सहीह बुखारी:८३४)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ»

(صحیح بخاری:۸۳۴)

”اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، لہٰذا تو اپنی خاص مغفرت سے میرے گناہ بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔“

- हजरत आयशा (रजि) रिवायत करती है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) तशहुद के बाद और सलाम से पहेले ये दुआ पढा करते थे : (सहीह बुखारी:८३२, सहीह मुस्लीम:५८१)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّی أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ» (صحیح بخاری:۸۳۲وصحیح مسلم:۵۸۹)

”اے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں عذاب قبر سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں گنہگار کرنے والی باتوں سے اور مقروض ہونے سے۔“

- हजरत अली (रजि) फरमाते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) तशहुद के बाद सलाम फेरने से पहेले ये दुआ पढते (सहीह मुस्लीम:७७१)

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ» (مسلم:۷۷۱)

नमाज के बाद के अजकार (जिक्र)

- हजरत इब्ने अब्बास (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) नमाज से फारीग हो कर बुलंद आवाज से **अल्लाहु अकबर** कहा करते थे (सहीह बुखारी:८४१, ८४२)
- हजरत सोबान (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) नमाज से फारीग हो कर तीन बार **अस्तगफीरुल्लाह** कहा करते थे (सहीह मुस्लीम:५९१)
- हजरत माअज बिन जबल (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने मुझे हर नमाज के बाद ये दुआ पढने की तलकीन फरमाई (सहीह अबु दाऊद:१३४७)

«اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

”اے اللہ! میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں اور
بہترین طریقے سے تیری عبادت کروں۔“ (صحیح ابوداود:١٣٤٧)

- हजरत मगीरा बिन शेबा (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) नमाज से फारीग हो कर ये दुआ पढा करते थे (सहीह बुखारी:८४४)

«لَا اِلٰـــهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَـلٰـى كُـلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا
مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (صحیح بخاری:٨٤٤)

”نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت
بھی اسی کی، حمد بھی اسی کی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! جو تو دے اسے
کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک لے، اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی شخص کی
بڑائی اسے تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔“

- हजरत आयशा (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) नमाज से फारीग हो कर ये दुआ पढा करते थे (सहीह मुस्लीम:१३३५)

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» (صحیح مسلم:۱۳۳۵)

''اے اللہ! تو سلام ہے، سلام تیری ہی طرف سے ہے، اے جلال وعزت والے! تو بہت بابرکت ہے۔''

- आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) उकबा बिन आमीर (रजि) को हुकम फरमाया के हर नमाज के बाद मओजात (वो सुरते जो **कुल अऊजु** से शुरु होती है जिस मे सुरे इख्लास भी शामील है) पढते : (सहीह अबु दाऊद :१३४८)
  मिसाल के तौर पे **कुल अऊजुबी रब्बील फलक, कुल अऊजुबी रब्बीन-नास, कुलहुवल्लाहु आहद ।**
- हजरत अबु इमामा (रजि) से रिवायत है के आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जिस ने हर फर्ज नमाज के आखीर में (सलाम के बाद) आयतुल कुर्सी पढी वो शख्स मरते ही जन्नत मे दाखील हो जाएगा (सुनन कुबरा निसाई :९८४८)।

﴿اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ﴾ (سورۃ البقرۃ)

''اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگھ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین وآسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین وآسمان کو گھیر رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔''

- इब्ने जुबेर (रजि) कहते है के नबी करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) हर नमाज के बाद ये पढते थे (सहीह मुस्लीम :५९४)

لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَـلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ (مسلم:۵۹۴)

"کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لئے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت نہ عبادت کرنے کی قوت ہے مگر اللہ کی توفیق سے، نہیں ہے کوئی معبود (برحق) مگر اللہ، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کا احسان بزرگی اور اچھی تعریف بھی اسی کے لئے ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود (برحق) مگر اللہ، ہم دین میں اس کے لئے خالص ہیں اگرچہ کافر لوگ اسے برا کیوں نہ سمجھیں۔"

<u>नमाज के बाद के तस्बीहात</u>

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) और हजरत काब बिन अजरा (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने इरशाद फरमाया, नमाज से फारीग हो कर ये तस्बीहात पढने वाला कभी खसारे में ना रहेगा और इस के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते है, ख्वा वो समंदर की झाग के बराबर हो। (सहीह मुस्लीम:५९७, ५९६)

سُبْحَانَ اللهِ — ३३ बार

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ — ३३ बार

اللهُ اَكْبَرُ — ३३ बार

لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ — १ बार

दुआए कुनुत

- हजरत हसन (रजि) ने फरमाया के मुझे नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने ये दुआ सिखाई ताके मै इसे नमाजे वितर मे पढा करू (सहीह तिरमीजी:३८३, बेहाकी:२०९/२)

«اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَـوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُـقْـضٰـى عَلَيْكَ إِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَـعِـزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» (صحیح ترمذی:۳۸۳،بیہقی:۲۰۹/۲)

”اے اللہ! مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دی، مجھے عافیت دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت دی، مجھ کو دوست بنا ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے دوست بنایا۔ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور مجھے اس چیز کے شر سے بچا جو تو نے مقدر کردی ہے، اس لئے کہ تو حکم کرتا ہے، تجھ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا۔ جس کو تو دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہوسکتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پاسکتا۔ اے ہمارے رب! تو برکت والا ہے، بلند و بالا ہے۔“

कुनुते नाजिला

- हजरत उबेद बिन अमीर (रजि) बयान करते है के हजरत उमरे फारूक (रजि) ने नमाजे फजर की दुसरी रकात मे रुकू के बाद खडे हो कर ये दुआए कुनुत पढी (बहकी:२१०/२, मुसन्नीफ अब्दुल रज्जाक, ४९६९ बा-सनद मकबुल)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْـنَ قُـلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَـدُوِّهِـمْ اَللّٰهُـمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْـلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَ كَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ

كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ * اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ الْجِدَّ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكٰفِرِيْنَ مُلْحِقٌ

(بیہقی: ۲/۲۱۰، مصنف عبدالرزاق: ۴۹۶۹ بہ سند مقبول)

दुआए इस्तेखारा

- हजरत जाबीर (रजि) बयान करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) हमे दुआए इस्तेखारा इस तरहा सिखाते थे जैसे कुरआन की सुरत सिखाया करते थे, चुनांचे जब कोई मुश्कील पेश आए और आदमी के सामने मामले के एक से ज्यादा पहेलु हो तो सहीह पहेलु के बारे में शरह सदर हासील करने के लिए अल्लाह तआला से इस्तेखारा करे। इस का तरीका ये है के मकरू और ममनु अवकात छोड कर किसी वक्त २ रकात नफील पढे, पहेली रकात मे सुरे फातेहा के बाद **कुल याअय्युहल काफीरुन** और दुसरी में **कुलहुवल्लाहु आहद** पढे और नमाज से फारीग हो कर ये दुआ पढे (सहीह बुखारी:११६२)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الاَمْرَ (یہاں اپنی حاجت کا نام لے) خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهٖ» (صحیح بخاری: ۱۱۶۲)

लैलतुल कद्र में पढने की दुआ

- हजरत आयशा (रजि) रिवायत करती है के मै ने नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) से अरज किया के अगर मैं लैलतुल कद्र पा लु तो क्या दुआ मांगु? तो आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने ये दुआ तलकीन फरमाई (तिरमीजी:२७८९)

«اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ» (ترمذی:۳۷۸۹)

”اے اللہ! تو معاف فرمانے والا ہے، اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا میرے گناہ معاف فرمادے۔“

नमाजे जनाज़ा की दुआए

- हजरत अवफ बिन मालीक (रजि) बयान करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने नमाजे जनाज़ा पढाई तो मैं ने ये दुआ याद कर ली जो आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने नमाज में पढी थी: (सहीह मुस्लीम:९६३)

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهٖ اَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِمَآءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهٖ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» (صحیح مسلم:۹۶۳)

”اے اللہ! اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اسے معاف فرمادے، اس کو عافیت دے، عزت کے ساتھ اس کی مہمانی فرما، اس کی قبر کو کشادہ کردے، اس کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، اس کو گناہوں سے ایسا پاک وصاف کردے، جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کیا جاتا ہے، اس کے گھر سے بہتر اسے گھر عطا فرما، اس کے اہل سے بہتر اسے اہل عطا فرما، اس کی بیوی سے بہتر اسے بیوی عطا فرما، اس کو جنت میں داخل کر اور فتنۂ قبر اور عذاب دوزخ سے بچا۔“

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) बयान करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने एक नमाजे जनाज़ा पढाई जिस में आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने ये दुआ पढी:

(सहीह इब्ने माजा: १२१७)

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

''اے اللہ! بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضرین کو، ہمارے غائبین کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، اے اللہ! ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو موت دے اسے اسلام پر موت دے۔ الٰہی! اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور نہ ہمیں اس کے بعد گمراہ کرنا۔'' (صحیح ابن ماجہ: ۱۲۱۷)

लिबास पहेन्ने की दुआए और आदाब

- हजरत अबु सईद खुदरी (रजि) रिवायत करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब कोई नया कपडा पहेनते तो इस का नाम ले कर (मसलन कमीस या पाजामा) इरशाद फरमाते : (सहीह अबु दाऊद:३३९३)

«اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهٗ»

”اے اللہ! تیرا شکر، تو نے ہی مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں وہ خیر جو اس کپڑے میں ہے اور اس مقصد کی خیر جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس کپڑے کے شر سے اور اس غرض کے شر سے جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے۔“ (صحیح ابوداود:۳۳۹۳)

- मआज बिन अनस (रजि) से रिवायत है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया जो शख्स लिबास पहेने तो ये दुआ पढे (सहीह अबु दाऊद:३३९४)

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِيْ هٰذَا (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ» (صحیح ابوداود:۳۳۹۴)

”ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے یہ (لباس) پہنایا اور عطا کیا مجھے یہ میری ذاتی قوت طاقت کے بغیر۔“

नया लिबास पहेन्ने वालो के लिए दुआ :

- हजरत अबु सईद खुदरी (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया के नया लिबास पहेन्ने वाले के लिए ये कहा जाए (सहीह अबु दाऊद:३३९३)

① «تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى» (صحیح ابوداود:۳۳۹۳)

”تم اسے بوسیدہ کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں اور دے۔“

- इब्ने उमर (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया के नया लिबास पहेन्ने वाले को ये दुआ देते (सहीह इब्ने माजा:२८६३)

② «اِلْبِسْ جَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا» (صحیح ابن ماجہ:۲۸۶۳)

”پہن نیا لباس اور زندگی بسر کر قابل تعریف اور فوت ہو شہید بن کر۔“

खाने पिने की दुआए और आदाब

- हजरत उमर व बिन अबी सलमा (रजि) बयान करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने मुझे हिदायत फरमाई के खाना शुरू करने से पहेले **बिस्मील्लाह** पढो और सिधे हाथ से खाओ और अपने आगे से खाओ (सहीह बुखारी:५३७६)
- हजरत आयशा (रजि) रिवायत करती है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, अगर कोई शख्स शुरू में **बिस्मील्लाह** भुल जाए तो जब याद आए ये दुआ पढे (सहीह तिरमीजी:१५१३)

«بِسْمِ اللهِ فِىْ اَوَّلِهٖ وَاٰخِرِهٖ» (صحیح ترمذی:۱۵۱۳)

"اللہ کے نام سے ابتدا بھی اور انتہا بھی۔"

- हजरत मआज (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जो शख्स खाने और पिने के बाद निचे की दुआ पढता है, इस के तमाम साबेका गुनाह माफ कर दिए जाते है (सहीह तिरमीजी:२७५१)

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ» (صحیح ترمذی:۲۷۵۱)

"اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری تدبیر و طاقت کے بغیر اسے میرے مقدر میں کیا۔"

- हजरत अनस (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) मशरुब पिते वक्त बिस्मील्लाह पढते और तिन सांस में पिते (सहीह बुखारी:५६३१)
- हजरत अबु इमामा (रजि) से रिवायत है के दस्तरख्वान जब उठ जाता तो ये दुआ पढते : (सहीह बुखारी:५४५८)

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا» (بخاری:۵۴۵۸)

"سب تعریف ثابت ہے اللہ کے لئے، بہت پاکیزہ، بابرکت نہ کفایت کی گئی نہ چھوڑی گئی اور نہ بے پرواہی کی گئی اس سے، اے ہمارے پروردگار (ہماری حمد قبول فرما)"

इफ्तार की दुआ

- हजरत इब्ने उमर (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) इफ्तार के वक्त ये दुआ पढते थे : (सहीह अबु दाऊद:२०६६)

«ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ»

(صحیح ابوداود:۲۰۶۶)

''پیاس چلی گئی، رگیں تر ہوگئیں اور ان شاء اللہ اجر ثابت ہوگا۔''

नोट : रोज़ा रखने की दुआ साबीत नही है और जो भी दुआ बाजार में मिलती है वो साबीत नही है और गलत लिखी गई है, इसलिए दिल मे रोजे की नियत करना बहेतर है।

मेजबान के हक में दुआ

- हजरत अब्दुल्लाह बिन बसर (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) मेरे वालीद के महेमान ठहरे, हम ने आप (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) की खिदमत में खाना और हरीसा वगैरा पेश किया, आप (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने इस मे से कुछ तनावल फरमाया। जब आप (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) रवाना होने लगे तो मेरे वालीद ने दरख्वास्त की के आप (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) हमारे लिए दुआ फरमाए। आप (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने ये दुआ दी : (सहीह मुस्लीम:२०४२)

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ»

''اے اللہ! تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرما۔'' (صحیح مسلم:۲۰۴۲)

शुक्रिया का जवाब

- जब कोई एहसान करे तो उस का शुक्र अदा करे और कहे **जज़ा-कल्लाहु खैरा** (सहीह तिरमीजी:१६५७)

सलाम करने, छिंकने और जमाही के आदाब

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, छोटा बडे को सलाम करे, पैदल चलने वाला बैठे हुए को, तादाद मे कम लोग उन को सलाम करे जो तादाद में ज्यादा हो और सवार पैदल चलने वाले को सलाम करे। (सहीह बुखारी:६२३१)
- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि) से रिवायत है के एक आदमी ने नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) से पुछा के इस्लाम में सब से बहेतर खैर क्या है तो आप (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : खाना खिलाओ और हर शख्स को सलाम

करो, ख्वा तुम इसे जानते हो या न जानते हो (सहीह बुखारी:६३३६)

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने इरशाद फरमाया : जमाही शैतान की तरफ से है, लेहाजा जब किसी को जमाही आए तो इसे हती मकदुर रोके और दफा करने की कोशीश करे (सहीह बुखारी:३२८९)
- हजरत अबु हुरेरा (रजि) ने रिवायत किया के नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने इरशाद फरमाया : जब छिंक आए तो कहे **अल्हमदुलिल्लाह** और करीब बैठने वाला भाई या साठी **यर-हमुकल्लाह** कहे और छिंकने वाला जवाबन कहे :

يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ' (اللہ تم کو

ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کرے) (صحیح بخاری:۶۲۲۴)

(सहीह बुखारी:६२२४)

निकाह के मौके पर मुबारकबाद देना

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) बयान करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब किसी को शादी पर मुबारकबाद देते तो फरमाते (सहीह तिरमीजी:८७१)

« بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ »

''اللہ تمہیں برکت دے اور تم پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے۔'' (صحیح ترمذی:۸۷۱)

दुल्हन से पहिली मुलाकात पर ये दुआ पढे

- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : तुम जब शादी के बाद पहिली बार बिवी से मिलो तो उस की पेशानी के बाल पकड कर ये दुआ पढो : (सहीह अबु दाऊद:१८९२)

« اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ » (صحیح ابوداود:۱۸۹۲)

''اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس (عورت) کی خیر کا اور اس فطرت کی خیر کا جس پر تو نے اسے پیدا فرمایا اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس (عورت) کے شر سے اور اس فطرت کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔''

बिवी से सोहबत करते वक्त की दुआ

- हजरत इब्ने अब्बास (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : जब कोई शख्स अपनी बिवी से सोहबत करते वक्त ये दुआ पढ लेगा तो इस की औलाद नेक होगी और शैतान इस पर काबु ना पा सकेगा। (सहीह बुखारी:१४१)

«بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطٰنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطٰنَ مَا رَزَقْتَنَا»

"اللہ کے نام سے، اے اللہ! بچا ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس اولاد سے جو تو ہمیں عطا فرمائے گا۔" (صحیح بخاری:۱۴۱)

बच्चे को बलाओ से महेफुज रखने की दुआ

- हजरत इब्ने अब्बास (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) हजरत हसन (रजि) व हजरत हुसेन (रजि) को नजरे बद से बचाने के लिए निचे की दुआ पढ कर दम किया करते थे (सहीह बुखारी:३३७१)

«اُعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» (بخاری:۳۳۷۱)

"میں تجھے اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر ڈرانے والے شیطان سے اور ہر نقصان پہنچانے والی آنکھ سے۔"

सफर की दुआए और आदाब

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : जो शख्स सफर पर जाना चाहे वो अपने पसमांदगान से मुखातीब हो कर कहे

«اَسْتَوْدِعُكُمُ اللهُ الَّذِیْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ»

(السلسلة الصحيحة :١٦)

"میں تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کردہ امانتیں ضائع نہیں ہوتیں۔"

- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) सफर पर जाने वाले शख्स को जब अलविदा कहते तो फरमाते : (सहीह तिरमीजी:३४४३)

«اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ»

(صحیح ترمذی:۳۴۴۳)

"میں تمہارے دین وامانت اور تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔"

सफर शुरू करते वक्त और सवारी पर बैठ कर पढने की दुआ :

- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) सवारी पर बैठ कर ये दुआ पढा करते थे (सहीह मुस्लीम:१३४२)

«اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، ﴿سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ»

"اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے اور بیشک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ! ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقویٰ کا سوال کرتے ہیں اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو تو پسند کرے۔ اے اللہ! ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ! تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے اہل وعیال میں ہمارا خلیفہ ہے۔ اے اللہ! میں سفر کی تکلیف سے، برے منظر سے اور مال اور اہل وعیال میں برے وقت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔" (صحیح مسلم:۱۳۴۲)

सफर के दौरान ये दुआ पढे

- हजरत अब्दुल्लाह बिन सर जिस (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) सफर के दौरान ये दुआ पढा करते थे (सहीह मुस्लीम:१३४३)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَآءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ»

"اے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سفر کی تکلیف سے، اس جگہ کی بُرائی سے جہاں لوٹ کر آنا ہے، نفع کے بعد نقصان سے، مظلوم کی بددعا سے اور اہل و مال میں برا منظر دیکھنے سے۔" (صحیح مسلم:۱۳۴۳)

<u>सफर से वापसी की दुआ</u>

- नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) सफर से वापसी पर अपने शहर के करीब पहोच कर ये दुआ पढते थे (सहीह मुस्लीम:१३४५)

«آئِبُوْنَ، تَـآئِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ»

"ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔" (صحیح مسلم:۱۳۴۵)

बाजार में दाखील होने की दुआ

- हजरत इब्ने उमर (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : बाजार में दाखील होने वाला ये पढे (सहीह तिरमीजी:२७२६)

«لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُـمِيْـتُ وَهُـوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ» (صحیح ترمذی:۲۷۲۶)

"نہیں کوئی حاکم، حاجت روا، مشکل کشا اور معبود سوائے اللہ اکیلے کے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

कब्रस्तान जाने पर ये दुआ पढे

- हजरत बरीदा (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : जब कब्रस्तान जाओ तो ये दुआ पढे (सहीह मुस्लीम:९७५)

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ لَلَاحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»

''اے اس دیار کے مؤمن اور مسلمان باسیو! تم پر سلام ہو، ان شاء اللہ ہم تم سے عنقریب آملیں گے۔ میں اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔'' (صحیح مسلم:٩٧٥)

बिमार की अयादत के लिए जाए तो ये दुआ पढे

- हजरत इब्ने अब्बास (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब किसी बिमार की अयादत के लिए तशरीफ ले जाते तो ये दुआ पढते (सहीह बुखारी:३६१६)

«لَا بَأْسَ طُهُوْرٌ إِنْ شَآءَ اللهُ»

''کوئی حرج نہیں، یہ بیماری ان شاء اللہ تمہارے لئے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہوگی۔'' (صحیح بخاری:٣٦١٦)

बिमारी और दर्द दुर होने के लिए ये दुआ पढे

- हजरत आयशा (रजि) रिवायत करती है के जब हम मे से कोई बिमार पढ जाता तो नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ये दुआ पढते और मरीज पर अपना सिधा हाथ फेरते (सहीह बुखारी:५६७५)

«أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، إِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»

''تکلیف دور فرما، اے لوگوں کے پروردگار! اسے شفا عنایت فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کہیں شفا نہیں۔ ایسی شفا دے جو بیماری کا نام و نشان نہ رہنے دے۔'' (صحیح بخاری:٥٦٧٥)

- हजरत आयशा (रजि) रिवायत करती है के जब कोई शख्स बिमार होता या किसी को जख्म या फोडा वगैरा लाहक होता तो नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम)

अपनी अंगुश्ती मुबारक पर लुआब दहन (थुक मुबारक) लगाकर जमीन पर रखते फिर उठा कर तकलीफ की जगह पर फेरते और ये दुआ पढते (सहीह मुस्लीम:२१९४)

«بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَىٰ بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا»

(صحیح مسلم:۲۱۹۴)

"اللہ کے نام سے، ہماری زمین کی خاک اور ہم میں سے کسی کے لعاب دہن کی برکت سے ہمارا مرض شفا پائے گا، ہمارے رب کے اذن سے۔"

- हजरत उस्मान बिन अबी आस (रजि) रिवायत करते है के जिस्म में दर्द की शिकायत के लिए नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने मुझे ये अमल तलकीन फरमाया के दर्द की जगह पर अपना हाथ रख कर तिन बार **बिस्मील्लाह** पढो और सात मरतबा ये दुआ पढो, अल्लाह के फजल से दर्द दुर हो जाएगा (सहीह इब्ने माजा:२८३९)

ہو جائے گا: «أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»

(صحیح ابن ماجہ:۲۸۳۹)

"میں اللہ کے جلال اور اس کی قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بیماری کے شر سے جو اس وقت مجھے لاحق ہے اور جس کے آئندہ ہونے کا اندیشہ ہے۔"

मरीज की शफायाबी की दुआ

- हजरत अबु सईद (रजि) रिवायत करते है के जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) के पास आए और पुछा : क्या आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) बिमार है? आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : हा। तो जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) ने ये दुआ पढी : (सहीह मुस्लीम:२१८६)

«بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اَللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ» (صحیح مسلم:۲۱۸۶)

"اللہ کے نام کی برکت سے میں تمہارے لئے شفا طلب کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے۔ ہر نفس کے شر سے یا حاسد کی نظر بد سے۔ اللہ تم کو شفا عطا فرمائے۔ میں اللہ کا نام پڑھ کر تمہارے لئے شفا طلب کرتا ہوں۔"

सांप और बिच्छु के काटने का इलाज

- हजरत अबु सईद खुदरी (रजि) रिवायत करते है एक शख्स को सांप या बिच्छु ने डस लिया, आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) के एक सहाबी (रजि) ने इस का इलाज सुरे फातेहा से किया। ये साहब सुरे फातेहा पढ पढ कर इस पर दम करते रहे और जख्म पर अपना लुआब दहन (थुक) लगाते रहे। देखते ही देखते मरीज शफायाब हो गया (सहीह मुस्लीम:२२०१)

रिज्क बढने की और गरीबी से निजात की दुआ

- रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) का फरमान है : जिस ने ये दुआ पढी इसे बख्श दिया जाता है ख्वा वो मैदाने जिहाद से पिठ फेर कर भाग आया हो (सहीह अबुद दाऊद:१३४३)

«اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ»

”میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندۂ جاوید ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔“ (صحیح ابوداود:۱۳۴۳)

कर्ज से निजात पाने की दुआ

- हजरत अबु वाईल (रजि) बयान करते है के हजरत अली (रजि) के पास एक मकातीब गुलाम आया और इस ने अरज किया के मैं अपने आका को जर मकातीब अदा कर के जल्द अज़ जल्द आजाद होना चाहता हुँ, आप (रजि) मेरी मदत फरमाए। हजरत अली (रजि) ने फरमाया के मैं तुम्हे वो दुआ सिखाता हुँ रजो मुझे रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने सिखाई है। अगर तुम पर पहाड के बराबर भी कर्ज होगा तो अल्लाह तआला इसे अदा फरमा देगा, वो दुआ ये है : (सहीह तिरमीजी:२८२२)

«اَللّٰهُمَّ اكْفِنِیْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

وَاَغْنِنِیْ بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ» (صحیح ترمذی:۲۸۲۲)

”اے اللہ! مجھے اپنا رزقِ حلال عنایت فرما کر حرام روزی سے بچالے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دے۔“

मुसीबतज़दा को देख कर ये दुआ पढे

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) बयान करते है के रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : जब किसी मुसीबत में मुबतेला शख्स को देखो तो ये दुआ पढो, इस की बरकत से तुम इस बिमारी और बला से महेफुज रहोगे : (सहीह तिरमीजी:२७२९)

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِیْ

عَلٰی كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا» (صحیح ترمذی:۳۴۳۱)

"اللہ کا شکر ہے، جس نے مجھے محفوظ رکھا اس مصیبت سے جس میں تو مبتلا ہے

اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے نمایاں فضیلت بخشی۔"

नुकसान और मुसीबत के वक्त पढने की दुआ

- हजरत उम्मे सलमा (रजि) बयान करती है के मै ने रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) को फरमाते हुए सुना के जिस बंदा मुस्लीम पर मुसीबत आ पढे और वो ये दुआ पढ ले तो अल्लाह तआला इसे मुसीबत का अजर भी अता फरमाएगा और न्यामल बदल भी इनायत फरमाएगा :

«إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ

خَيْرًا مِّنْهَا»

"ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے

اللہ! مجھ کو اس مصیبت کا اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل مرحمت فرما۔"

हजरत उम्मे सलमा (रजि) फरमाती है के जब अबु सलमा (रजि) (उम्मे सलमा रजि.के पहेले शोहर) का इंतेकाल हुआ तो मै ने नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) की हिदायत के मुताबीक ये दुआ पढी तो अल्लाह तआला ने मुझे इस का न्यामल बदल ये इनायत फरमाया के मुझे नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जैसा शोहर नसीब हुआ। (सहीह मुस्लीम:९१८)

नोट : अगर कोई चिज गुम हो जाए तो इस दुआ का पढना फायदामंद है।

बेचैनी और इज्तेराब के मौके पर पढने की दुआ

- हजरत अनस (रजि) बयान करते है के रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब किसी वजह से बेकरार होते तो ये दुआ पढते (सहीह तिरमीजी:२७९६)

«يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ» (صحیح ترمذی:۲۷۹۶)

''اے زندۂ جاوید ہستی، اے کائنات کے مدبر و منتظم، میں تیری رحمت کے وسیلہ سے فریاد کرتا ہوں۔''

- हजरत सईद बिन अबी वकास (रजि) रिवायत करते है के रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : हजरत युनुस (अलैहिस्सलाम) ने मछली के पेट मे अल्लाह तआला से जो इल्तीजा की थी, जब बंदा मोमीन अपनी किसी तकलीफ और परेशानी के मौके पर वही दुआ मांगता है तो इसे जरूर शर्फ कबुलीयत हासील होता है और वो दुआ ये है : (सहीह तिरमीजी:२७८५)

«لَا اِلٰـهَ اِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ»

(صحیح ترمذی:۲۷۸۵)

''تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب اور پاک ہے، بے شک میں نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔''

दहेशत, वहशत और खौफ के मौके पर पढने की दुआ

- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि) बयान करते है के रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : दहेशत, वहशत और खौफ के मौके पर ये दुआ पढो (सहीह तिरमीजी:२७९३)

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ» (صحیح ترمذی:۲۷۹۳)

''پناہ طلب کرتا ہوں میں اللہ کے کلمات تامہ کی اللہ کے غضب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسے سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔''

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) बयान करते है के रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : कर्ब मे मुब्तेला शख्स ये दुआ पढे (सहीह अबु दाऊद:४२४६)

«اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوا فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طُرْفَةَ عَيْنٍ وَّأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ» (صحیح ابوداود:۴۲۴۶)

''اے اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے لحہ بھر کے لئے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، تو خود ہی میرے تمام کام درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔''

परेशानी के वक्त मांगने की दुआ

- हजरत इब्ने अब्बास (रजि) बयान करते है के रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) परेशानी और बेचैनी के वक्त ये दुआ पढा करते थे : (सहीह बुखारी:६३४६)

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ» (صحیح بخاری:۶۳۴۶)

''کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو بڑی عظمت والا، بُردبار ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو عرش عظیم کا مالک ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور مالک ہے عرش کریم کا۔''

किसी हुकमरान या किसी चिज का खौफ हो तो ये दुआ पढे

- हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि) के एक बार रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : जब तुम हुकमरान या किसी चिज का खौफ लाहक हो तो ये दुआ पढ लिया करो

«اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ كُنْ لِّي جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلَائِقِكَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَوْ يَطْغٰى، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ»

(الادب المفرد:۷۰۷، صحیح)

''اے اللہ! جو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب ہے۔ اے اللہ اپنی مخلوق میں سے فلاں بن فلاں اور اس کے گروہ سے میرے لیے پناہ گاہ بن جا اس بات سے کہ ان میں سے کوئی مجھ پر زیادتی کرے یا مجھ پر سرکشی کرے، اے اللہ! تیری پناہ میں جو آیا سرخرو ہوا، تیری ثنا بہت بلند ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔''

अल्लाह की राह मे शहादत के लिए दुआ

- हजरत हफसा (रजि) रिवायत करती है के हजरत उमर फारूक (रजि) ये दुआ मांगा करते थे : (सहीह बुखारी:१८९०)

«اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ» (صحیح بخاری:۱۸۹۰)

"اے اللہ! مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول ﷺ کے شہر (مدینہ) میں مجھے موت دے۔"

मुसीबत के चक्कर में फस जाए तो ये दुआ पढे

- हजरत इब्ने अब्बास (रजि) फरमाते है के जब हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को आग में डाला गया था तो हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने और जब गजवा उहद के मौके पर मुसलमानो को दुश्मनो के अमंड आने का शदीद खतरा पैदा हुआ तो नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने भी ये दुआ पढी थी : (सहीह बुखारी:४५६३)

«حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ» (صحیح بخاری:۴۵۶۳)

"ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔"

शैतान से महेफुज रहने का विर्द

- हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि) से रिवायत है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) शैतानो की शरारतो से महेफुज रहने के लिए अकसर ये दुआ पढा करते थे : (सहीह इब्ने माजा:६५८)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ»

"اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی دراندازی، اس کی پھنکار سے اور اس کی سحر طرازی سے۔" (صحیح ابن ماجہ:۶۵۸)

बदशगुनी के मौके की दुआ

- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि) से रिवायत है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : अगर किसी शख्स के दिल में किसी काम के बारे में बदशगुनी पैदा हो तो ये दुआ पढे :

«اَللّٰھُمَّ لا خَیْرَ اِلَّا خَیْرُكَ وَلا طَیْرَ اِلَّا طَیْرُكَ وَلا اِلٰـهَ غَیْرُكَ»

"اے اللہ! کوئی بھلائی نہیں آتی مگر تیری طرف سے، کوئی برائی نہیں پہنچتی مگر تیری طرف سے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔" (سلسلہ صحیحہ از البانیؒ:۱۰۶۵)

गुस्सा दुर करने की दुआ

- हजरत सुलेमान बिन सरद (रजि) बयान करते है के, मै नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) के पास बैठा था के दो शख्स आपस में झगड पडे, इन मे से एक दुसरे गुस्से मे गालीया दे रहे थे और इस का चेहरा सुर्ख था, आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने ये देखकर इरशाद फरमाया : मुझे एक ऐसे कलमे का इल्म है के अगर ये शख्स वो पढ ले तो इस की ये कैफीयत दुर हो जाएगी, वो कलमा ये है (सहीह बुखारी:६११५)

«أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ» (صحیح بخاری:۶۱۱۵)

"پناہ طلب کرتا ہوں میں اللہ کی، شیطان مردود سے۔"

बेहुदा बातो की मजलीस मे पढने की दुआ

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) बयान करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : जो शख्स किसी ऐसी मजलीस मे बैठे, जहा कसरत से नाशाएस्ता और बेहुदा बाते हो रही हो तो उठने से पहेले ये दुआ पढ ले, ये दुआ इन तमाम बेहुदा बातो का कफ्फारा हो जाएगी जो इस मजलीस मे सरज़द हुई होगी : (सहीह तिरमीजी:२७३०)

«سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ» (صحیح ترمذی:۲۷۳۰)

"پاک ہے تو اے اللہ! حمد وستائش تیرے ہی لئے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔"

गधे की आवाज सुन कर ये दुआ पढे

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) बयान करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : जब गधे की आवाज सुनो तो कहो : (सहीह बुखारी:३३०३)

«أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ» (صحیح بخاری:۳۳۰۳)

”میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، شیطان مردود سے۔“

کیونکہ شیاطین وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔

मुर्गे की आजान सुन कर ये दुआ पढे

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) बयान करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : जब तुम मुर्गे की आजान सुनो तो ये दुआ पढो, क्युंके इस ने फरीश्ता देखा है : (सहीह बुखारी:३३०३)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (صحیح بخاری:۳۳۰۳)

”اے اللہ! میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔“

नया चाँद देखकर ये दुआ पढे

- हजरत तलहा बिन उबेदुल्लाह (रजि) बयान करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब नया चाँद देखते तो ये दुआ पढा करते थे : (सहीह तिरमीजी:२७४५)

« اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ

وَالإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ» (صحیح ترمذی:۲۷۴۵)

”اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ! یہ چاند ہم پر امن وایمان اور سلامتی اور

اسلام کے ساتھ نکال۔ اے چاند! تیرا اور میرا پروردگار اللہ ہے۔

आंधी देखकर ये दुआ पढे

- हजरत आयशा (रजि) बयान करती है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब आंधी उठती देखते तो ये दुआ पढते थे : (सहीह मुस्लीम:८९९)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا أُرْسِلَتْ بِهِ»

(صحیح مسلم:۸۹۹)

”اے اللہ! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ آندھی باعث خیر ہو اور تجھ سے مانگتا ہوں وہ خیر جو اس کے اندر ہے اور جس مقصد سے یہ بھیجی گئی ہے، اس کی بھی خیر اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس آندھی کے شر سے اور اس شر سے جو اس کے اندر ہے اور جس غرض کے لئے بھیجی گئی ہے، اس کے شر سے۔“

बादल को आता देखकर ये दुआ पढे

- हजरत आयशा (रजि) बयान करती है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब आस्मान पर कोई अबर का टुकडा देखते तो ये दुआ पढते : (सहीह अबुदाऊद:४२५२)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهَا» (صحیح ابوداود:۴۲۵۲)

”اے اللہ! اس کے اندر جو شر ہے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

اور جب بادل برسنے لگتا تو فرماتے:

«اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» (صحیح بخاری:۱۰۳۲)

”اے اللہ! یہ بارش سیراب کرنے والی اور نفع بخش ہو۔“

बरसात के लिए दुआ

- हजरत आयशा (रजि) बयान करती है के, लोगो ने नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) से बारीश ना होने की शिकायत की। आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ईदगाह तशरीफ ले गए और मिंबर पर बैठ कर अल्लाह तआला की हमद व सना और तकबीर व तकदीस के बाद इरशाद फरमाया : अल्लाह तआला का हुकम है के मुसीबत के वक्त इस की बारगाह में दुआ और गिरयाजारी करो, उस का तुम से वादा है के वो दुआओ को कबुल करेगा। इस के बाद आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने ये दुआ मांगी : (सहीही अबु दाऊद:१०४०)

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَآءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلٰى حِيْنٍ»

"تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو کائنات کا رب ہے، بے حد مہربان، نہایت
رحم کرنے والا، روز جزا کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے
کرتا ہے۔ اے اللہ! تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم بے
کس ومحتاج ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور جو تو نازل فرمائے، اسے ہمارے لئے
قوت کا باعث اور بھلائی تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔"

फिर अल्लाह ने मुसलाधार बारीश बरसा दी।

- हजरत जाबीर बिन अब्दुल्लाह (रजि) बयान करते है के खुश्क साली (कहत) के मौके पर नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने ये दुआ मांगी : (सहीह अबु दाऊद:१०३६)

«اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا نَّافِعًا
غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ» (صحیح ابوداود:١٠٣٦)

"اے اللہ! ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو ہماری فریاد رسی کا سبب ہو،
خوشگوار اور بہار آفرین ہو، نافع اور بے ضرر ہو، بلا تاخیر جلد آنے والی ہو۔"
آپ ﷺ نے یہ دعا مانگی ہی تھی کہ لوگوں پر بادل چھا گئے۔

बिजली की चमक, कडक और गरज सुन कर ये दुआ पढे

- हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि) जब बादल की गरज सुनते तो बातचित बंद कर देते और कुरआन मजीद की ये आयत तिलावत करते :

سُبْحَانَ الَّذِي «يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ»

"بادلوں کی گرج اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی
ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔" (الادب المفرد:٧٢٣ صحیح)

जामे दुआए जो रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने खुद वक्तन फवक्तन पढे और सहाबा इकराम (रजि) को तालीम फरमाए

१. हजरत आयशा (रजि) रिवायत करती है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने मुझे ये दुआ तालीम फरमाई : (सहीह इब्ने माजा:३१०२)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ»

''اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر بھلائی کا جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا، اور اے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر برائی سے جو مجھے معلوم ہے اور جو معلوم نہیں۔'' (صحیح ابن ماجہ:۳۱۰۲)

२. हजरत इब्ने अब्बास (रजि) रिवायत करते है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ये दुआ मांगा करते थे (सहीह तिरमीजी:२८१६)

«رَبِّ أَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ لِيَ الْهُدٰى وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيْبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ» (صحیح ترمذی:۲۸۱۶)

''اے میرے پروردگار! میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، مجھے کامیاب کر، میرے اوپر کسی کو کامیاب نہ کر، میرے حق میں تدبیر کر، میرے خلاف کسی کی چال کو کارگر نہ کر، مجھے راست رو بنا اور راست روی میرے لئے آسان کردے۔ جو مجھ پر زیادتی کرے، اس پر مجھے غلبہ دے۔ اے پروردگار! مجھے توفیق دے کہ میں تیرا انتہائی شکرگزار رہوں اور سراپا ذکر و سراپا خوف ہوجاؤں اور سراپا اطاعت و سراپا فروتنی بن جاؤں، تیرے حضور گریہ و زاری کرنے والا اور سراپا رجوع بن جاؤں۔ پروردگار! میری توبہ قبول کرلے، میرے گناہ دھودے اور میری دعا قبول فرما، میری دلیل و حجت کو (دین کی راہ میں) مضبوط بنا، اور میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو راست گو بنا، اور میرے دل کی کدورت نکال دے۔''

३. हजरत अनस बिन मालीक (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) कसरत से ये दुआ पढते थे : (सहीह जामे सगीर:१२९०, १२८९)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»

(صحیح الجامع الصغیر:۱۲۸۹،۱۲۹۰)

”اے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں فکر وغم سے، درماندگی اور سستی سے، بخل وبزدلی سے، قرض کے بارے اور لوگوں کے دباؤ میں آنے سے۔“

४. हजरत इब्ने उमर (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) अपनी दुआ में ये फरमाया करते थे : (सहीह मुस्लीम:२७३९)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاْءَةِ نِقْمَتِكَ وَمِنْ جَمِيْعِ سَخَطِكَ» (صحیح مسلم:۲۷۳۹)

”اے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے اور تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے اور تیری سزا کے اچانک وارد ہوجانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔“

५. हजरत अनस (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) अकसर अवकात ये दुआ पढते थे : (सहीह अबु दाऊद:१३२६)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَسْئَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ»

”اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس لئے کہ سزاوار حمد تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو احسان کرنے والا ہے تو ہی آسمان وزمین کا موجد ہے، اے صاحب عظمت وجلال اور انتہائی کرم کرنے والے! اے زندۂ جاوید ہستی! اے پوری کائنات کو سنبھالنے والے!“ (صحیح ابوداود:۱۳۲۶)

६. हजरत बरीदा (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने एक आदमी को ये दुआ मांगते हुए सुना तो आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : (सहीह अबु दाऊद:१३२४)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ»

''اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لئے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اسکا کوئی ہمسر ہے۔''(صحیح ابوداود:۱۳۲۴)

७. हजरत आयशा (रजि) रिवायत करती है के, नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने मुझे ये दुआ पढने की तलकीन फरमाई :

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْعَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْئَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَأَعُوْذُبِكَ مِمَّا تَعَوَّذُ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَمَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا» (الادب المفرد:٦٣٩صحیح)

''اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر خیر کا، وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے، جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر شر سے جو جلد آنے والا ہو یا دیر سے اور جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور ہر ایسے قول وفعل کا جو مجھے جنت سے قریب کرے۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہنم سے اور ہر ایسے قول وفعل سے جو مجھے جہنم سے قریب کرے اور میں سوال کرتا ہوں ہر اس خیر کا جو تجھ سے تیرے رسول حضرت محمد ﷺ نے طلب فرمائی اور اس چیز کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے جس سے محمد ﷺ نے تجھ سے پناہ پکڑی اور جو کچھ تو نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے اس کا انجام اچھا فرما۔''

८. हजरत उम्मे सलमा (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) अकसर ये दुआ मांगा करते थे : (सहीह तिरमीजी:२७९२)

«يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰی دِيْنِكَ» (صحیح ترمذی:۲۷۹۲)

''اے دلوں کو گردش دینے والے! ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم کر دے''

अल्लाह को महेबुब तरीन कलमात

- हजरत अबु हुरेरा (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने इरशाद फरमाया दो कलमे जो जबान पर निहायत हलके है, लेकीन कयामत के दिन वजन में बहोत वजनदार और रहेमान को निहायत महेबुब है, ये है : (सहीह बुखारी : ७५६३)

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ»

''میں اللہ اس تسبیح بیان کرتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں پاک ہے اللہ جو بہت عظیم ہے۔'' (صحیح بخاری:۷۵۶۳)

जादु और जिन का असर दुर करने की दुआ

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩﴾

इस दुआ को ३ बार पढे और सुरे फातेहा १ बार पढे और पानी पर दम कर के मरीज को पिलाए। इन्शाअल्लाह जादु और जिन्न का असर दुर होगा।

जादु का मरीज बेहोश होने पर पढने की दुआ

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

ये दुआ पढ कर पानी पर दम करे और हाथ के चुल्लु मे भर कर मरीज के चेहरे पर जोर से मारे। इन्शाअल्लाह शैतान और जादु का असर खत्म होगा और मरीज होश मे आ जाएगा।

दुरूद शरीफ पढने की फजीलत और हदीस

१. सय्यदना अनस (रजि) कहते है के रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया: जिस ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा अल्लाह तआला इस पर दस मरतबा रहमते नाजील फरमाएगा, दस गुनाह माफ करेगा और दस दर्जे बुलंद फरमाएगा।

२. **मजलीस मे जिक्रे इलाही और दुरूद शरीफ की फजीलत :**
जिस मजलीस मे लोग अल्लाह का जिक्र और नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) पर दुरूद ना भेजे तो वो मजलीस कयामत के दिन इन के लिए बाअसे हसरत होगी (पछताने की वजह होगी), अगरचा वो आमाले सालेहा (अच्छे आमाल) और सवाब की बिना पर जन्नत मे दाखील भी हो जाए।

३. रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया: जिस मजलीस मे अल्लाह का जिक्र ना किया गया वो मजलीस कयामत के रोज इन के लिए बाअसे हसरत और नदामत होगी और जो आदमी किसी रास्ते पर चला और इस मे अल्लाह का जिक्र ना किया तो ये चलना भी इस के लिए कयामत के दिन बाअसे हसरत होगा और जो आदमी बिस्तर पर लेटा फिर अल्लाह का जिक्र ना किया तो ये लेटना भी इस के लिए कयामत के दिन बाअसे नदामत और शर्मींदगी होगा।

४. बखील कौन है? रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : बखील (कंजुस) वो है जिस के यहा मेरा जिक्र किया गया और इस ने मुझ पर दुरूद ना पढा।

५. **कसरत से दुरूद शरीफ पढना:** रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया: जब तक कोई मुस्लमान मुझ पर दुरूद भेजता रहता है उस वक्त तक फरीश्ते भी इस के लिए दुआए रहेमत करते रहते है, अब चाहे तो कोई कम पढे या ज्यादा।

६. रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : यकीनन अल्लाह तआला के कुछ खास फरीश्ते जमीन मे गश्त करते रहते है और मेरी उम्मत की तरफ से भेजा गया सलाम मुझ तक पहोंचाते है।

७. जुमे की रात और जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढा करो, जिस ने मुझ पर एक दफा दुरूद पढा अल्लाह तआला इस पर दस रहमते नाजील फरमाएगा।

८. जब तुम मे से कोई शख्स दुआ करना चाहे तो दुआ की शुरूवात में अल्लाह की हमद व सना (जैसे अल्हमद का सुरा या कुलहुवल्लाहु आहद) और इस की बुजुर्गी से करे, फिर रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) पर दुरूद पढे, फिर इस के बाद जो दुआ करना

चाहे करे।

९. हजरत अबु हुरेरा (रजि) कहते है के रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया : वो आदमी ज़लील व रुस्वा हो जिस के सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दुरूद ना पढे, वो आदमी ज़लील व रूस्वा हो जिस ने रमज़ान का पुरा महिना पाया और वो अपने गुनाह ना बख्शवा सका, वो आदमी भी ज़लील व रुस्वा हो जिस की जिंदगी मे इस के माँ बाप बुढापे की उम्र को पहोंच जाए और वो उनकी खिदमत कर के जन्नत मे दाखील ना हो।

१०. **<u>आज़ान के बाद दुरूद शरीफ पढने का हुकम :</u>** रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया "जब मोजन की आजान सुनो तो वही कुछ कहो जो मोजन कहता है, फिर मुझ पर दुरूद पढो, क्युंके मुझ पर दुरूद पढने वाले पर अल्लाह तआला दस रहमते नाज़ील फरमाता है, इस के बाद मेरे लिए अल्लाह तआला से वसीले का सवाल करो, वसीला जन्नत मे एक अला मुकाम है जो अल्लाह के बंदो मे से किसी एक बंदे को दिया जाएगा, मुझे उमीद है के वो बंदा मैं ही हुँगा, लेहाजा जो शख्स मेरे लिए वसीला वाली दुआ करेगा इस के लिए मेरी शफाअत वाजीब हो जाएगी" (सहीह मुस्लीम: अल-सलाह, ३८४, सहीह बुखारी, अल-आजान, ६१४)

दुरूद शरीफ नं. १

سَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

(सुरे नमल (२७), आयत-५९)

दुरूद शरीफ नं. २

وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ

(सुरे अस-साफ्फात (३७), आयत-१८१)

दुरूद शरीफ नं. ३

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ
(طبرانی)

(तबरानी)

दुरूद शरीफ नं.४

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَآئِمَةِ وَالصَّلٰوةِ النَّافِعَةِ

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّارْضَ عَنِّىْ رِضًا لَّا تَسْخَطُ بَعْدَهٗ اَبَدًا ☆

(मुस्नद अहमद)

दुरूद शरीफ नं.५

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ

وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ☆

(ابن حبان)

(इब्ने हबान)

दुरूद शरीफ नं.६

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ

وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ☆

(بيهقى)

(बैहेकी)

दुरूद शरीफ नं.७

(तबरानी)

दुरूद शरीफ नं.८

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

दुरूद शरीफ नं.९

اللّٰهمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيّتِهِ، كَمَا صَلّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

(सहीह बुखारी)

दुरूद शरीफ नं.१०

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

(अल-मुस्तदरक हाकीम)

दुरूद शरीफ नं.११

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

(सहीह बुखारी)

दुरूद शरीफ नं.१२

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ

(सुनन अबु दाऊद)

दुरूद शरीफ नं.१३

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ

(सुनन नसई)

दुरूद शरीफ नं.१४

﴿اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
اَهْلِ بَيْتِهٖ، وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ
النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ اَهْلِ بَيْتِهٖ، وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا
بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ﴾

रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) के रोज़े मुबारक पर दुरूद शरीफ पढने का सही तरीका

सय्यदना इब्ने उमर (रजि) से रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) की कबर मुबारक पर दुरूद व सलाम पढना सहीह सनद से साबीत है के जब वो सफर से लौटते तो मस्जीदे नबवी मे जाते, मस्जीद मे दो रकात नमाज अदा करते और आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) की कबरे मुबारक पर दुरूद व सलाम पढते :

अस्सलामु अलैका या रसुलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या अ-ब-ताह

"ऐ अल्लाह के रसुल! आप पर सलामती हो, ऐ अबुबकर! आप पर सलामती हो, ऐ अबा जान! आप पर भी सलामती हो"

जरुरी नोट : इस से मालुम हुआ के जो शख्स रोजा-ए-रसुल पर हाजरी दे तो इन इल्फाज से रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) पर और सय्यदना अबुबकर (रजि) और सय्यदना उमर (रजि) पर दुरूद व सलाम पढ सकता है और आप की वफात के बाद रोजा-ए-रसुल के सिवा किसी भी जगह पर **अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसुलुल्लाह** जैसे कलेमात से दुरूद भेजना किसी सहीह हदीस या सहाबी (रजि) के अमल से साबीत नही।

मस्जीद मे दाखल होते वक्त पढने का दुरूद शरीफ :

सय्यदा फातेमा (रजि) फरमाती है, मुझे रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जब तुम मस्जीद मे दाखील हो तो ये दुआ पढा करो :

﴿بِسْمِ اللّٰهِ، وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
وَّاغْفِرْ لَنَا وَسَهِّلْ لَنَا اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ﴾ (فضل الصلاة على النبي:٧٢)

और जब मस्जीद से बाहर निकलो तो आखीर में कहो

﴿وَسَهِّلْ لَنَا اَبْوَابَ فَضْلِكَ﴾

अंबीया (नबी की जमा) /prophets/ पैगंबर

नबी की जमा (plural) अंबीया है। दुनिया मे अल्लाह तआला ने कम व बेश १,२४,०००/- (एक लाख चौबीस हजार) नबी भेजे। जिन मे से कुरआन शरीफ मे २५ अंबीया के नाम मौजुद है। और आखरी नबी हुजुर (ﷺ) है।

नबी और रसुल मे क्या फर्क है?

अल्लाह ने जिन नेक बंदो को अपने मख्लुक की हिदायत और रहेनुमाई के लिए अपना पैगाम ले कर भेजा उन्हे रसुल कहते है। नबी और रसुल के माना मे कोई भी फरक नही है। नबी वो है जो बगैर किताब के तशरीफ लाते है और रसुल वो है जो नई शरीयत (इस्लामी कानुन) और नई किताब के साथ तशरीफ लाते है। रसुल पर वही आती है। हर रसुल नबी हो सकते है लेकीन हर नबी रसुल नही हो सकते।

मिसाल के तौर पे - १) तौरात - हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम पर नाजील हुई, २) जबुर - हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजील हुई थी, ३) इंजील- हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजील हुई, और ४) कुरआन - हज़रत मोहंमद मुस्तफा (ﷺ) पर नाजील हुई। इन चार कितोबा को आस्मानी किताबे कहते है। कुरआन शरीफ को छोड कर हर किताब को लोगो ने बदल डाला है। कुरआन की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है इसलिए आज तक इस मे कोई बदल नही कर पाया।

खुलफा-ए-राशीदीन

चार खलीफाओ को खुलफा-ए-राशीदीन कहते है १) हज़रत अबुबकर (रजि.), २) हज़रत उमर (रजि.), ३) हजर उस्मान (रजि.) और ४) हज़रत अली (रजि.)। खलीफा का मतलब होता है इस्लामी रियासतो पर हुकुमत करने वाला।

हुजुर (ﷺ) की वफात के बाद मुसलमानो के मसले और इस्लाम रियासतो के मसले, देखभाल और जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई तो रहेनुमा (लिडर, रास्ता दिखाने वाला) होना जरूरी था इसलिए हज़रत अबुबकर (रजि.) पहेले खलीफा बनाए गए। खलीफा (deputy, successor) का काम मुस्लमानो की लिडरर्शिप करना होता था और लोगो को सही रास्ता बताना और गुनाहो से बचाना होता था। इस तरहा दुसरे खलीफा हज़रत उमर (रजि.) बने, फिर तिसरे हजर उस्मान (रजि.) और फिर चौथे हज़रत अली (रजि.) खलीफा बने। खुलफा-ए-राशीदीन अपने अपने वक्त मे दिन और इस्लाम को फैलाने की लागातर कोशीश करते रहे।

उमयद (Umayyads) उस वक्त का ताकतवर खानदान था। चारो खलीफा इंतेकाल कर जाने के बाद उमयद ने अपने उमिदवार को खलीफा बनाने की पेशकश की जो झगडो की बडी वजह बनी। क्योंकी कुछ लोग चाहते थे की रसुलुल्लाह (ﷺ) के खानदान से कोई खलीफा बने और कुछ चाहते थे के इलेक्शन के जरीए खलीफा बनाया जाए। लोगो की अलग-अलग सोच की वजह से इस्लाम का बंटवारा हुआ और सुन्नी, शिया और इबादी ऐसे फिरको मे लोग बंट गए।

साहबा (साहबी की जमा)

रसुलुल्लाह (ﷺ) के हयाते मुबारका मे जिन लोगे ने आप (ﷺ) को देखा, या उनसे मिले, या उनसे बाते की, और इमान की हालत मे जिंदा रहे और इमान की हालत मे ही इंतेकाल कर गये उन लोगो को सहाबा (या सहाबा किराम) कहते है। सहाबी के नाम के आगे एक दुआ "रजि-अल्लाह-तआला-अन्हो" लगाई जाती है।

ताबयीन

रसुलुल्लाह (ﷺ) की वफात के बाद जो जमाना आया वो ताबयीन का आया। ताबयीन वो है जो इमान की हालत मे जिंदा रहे और इमान की हालत मे ही इंतेकाल कर गये । ताबयीन ने साहबा की पैरवी (नक्शे कदम पर चलना) की। ताबयीन ने आनेवाले नसलो के लिए प्रेरणास्त्रोत (role model) का काम किया।

तबे-ताबयीन

ताबयीन के बाद जो जमाना आया वो तबे-ताबयीन का आया। वो लोग जिन्हो ने कम से कम एक ताबयीन को देखा, जो इमान की हालत मे जिंदा रहे और इमान की हालत मे ही इंतेकाल कर गये उन्हे ताबयीन कहते है। तबे-ताबयीन ने ताबयीन की पैरवी (नक्शे कदम पर चलना) की।

मोहदसीन

हदीस लिखने वाले को मोहदसीन कहते है।

औलिया अल्लाह (वली अल्लाह)

वली का मतलब होता है दोस्त, मदतगार, मुहाफीज, करीबी।

सुरे बकराह (२) की आयत नं.-२५७ में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है के, "अल्लाह वाली (मदतगार) है मुसलमानो का इन्हे अंधेरो से नुर की तरफ निकालता है"। अल्लाह के रसुल (ﷺ) भी वली है, सहाबा इकराम भी वली है, ताबयीन और तबे-ताबयीन भी वली है, इसी तरहा से जो लोग इमान लाए और नेक काम करते रहे वो भी वली है। जो इंसान जितना मुत्तकी उतने बडे दर्जे का वली।

<u>वली बनाने के गलत तरीके:</u>

मुसलमानो का एक तबका अल्लाह के वली होते है ये नही मानता जब के दुसरा तबका मानता है के अल्लाह के वली होते है। लेकीन वो तबका दलील के ऐतेबार से अल्लाह के वली को नही मानता, किसी का दिल बोलता है के फला शख्स वली है, किसी शख्स के किस्से या अजीब व गरीब चिजे देख कर आदमी बोलने लगता है के ये अल्लाह के वली है, इसी तरहा से एक आदमी अगर कपडे फाडने लगे, सब से हट के अजीब व गरीब चिज करने लगे और सब कुछ छोड छाड के जुनुन में मुबतेला हो जाए तो बहोत सारे लोगो के नजदीक ये भी विलायत की चिज होती है। इसी तरहा से लोग उन को भी वली मान लेते है जो ना पाकी का खयाल रख सकते है और ना वो अल्लाह की इबादत का एहतेमाम करते है, ना उन के मुंह से इल्म और हिकमत की बात निकलती है, लेकीन लोग उन के अजीब होने की वजह से वली बना लेते है। बहेरहाल, लोगो के अलग अलग पैमाने है वली बनाने के। तो लोगो के वली बनाने के ये तरीके गलत है। हम अपने दिल और अपनी मर्जी से फैसला नही कर सकते के वली कौन है, इस के लिए हमे कुरआन व सुन्नत देखना होगा।

<u>वली कौन होता है?</u>

वली को मालुम करने के लिए कुरआन और हदीस ती तरफ आईये। अल्लाह तआला कुरआने करीम में सुरे युनुस (१०), आयत नं.-६२ में फरमाता है के, "सुन लो बेशक अल्लाह के वलीयो पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम"। मालुम हुआ के वली की दो बाते है १) उन पर खौफ नही है, २) उन पर गम नही है। जिंदगी में

ये दो चिजे इंसान के परेशानी का सबब बनती है। अल्लाह के वली को दुनिया में डर व गम होता है लेकीन अल्लाह उन के साथ दुनिया व आखेरत में ऐसा कुछ नही करेगा जो उन के लिए डर वाला हो।

विलायत की शर्तः

सुरे युनुस (१०) की आयत नं.-६३ मे अल्लाह तआला फरमाता है के, "वो जो इमान लाए और परहेजगारी करते रहे"। यानी अल्लाह के वली मे दो सिफात होती है १) सही अकिदा और २) तकवा (बचना, परहेजगारी)। उन के पास इमान था, वो कुफ्र और शिर्क से बचते रहे, वो आज़ाद जिंदगी नही जिये, वो हलाल और हराम से बचने वाले लोग थे। वो वली नही होगा जिस मे ये दो सिफात ना हो। जिस में ये दो सिफात जिस दर्जे के हो वो उस दर्जे का वली होता है। हदीस में आता है के, "जिन का अमल, अकिदा कुरआन है वो अल्लाह के खास बंदे होते है।

वली के बारे मे लोगो की गलत फहेमियाः

१. जो नमाज ना पढे, जो नजीस (नापाक, गंदा) रहे, जो गालीया दे, जो औरतो को छुए, जो चरस गांजा पिते हो और अल्लाह की याद मे मशगुल रहते हो, जो अल्लाह के हुकम को तोड कर जिंदगी गुजारे वो वली हरगीज नही हो सकते।

२. लोगो ने अपने दिल से अकिदे बना लिए के, कुतुब, अब्दाल, गौस वगैरा वगैरा ये विलायत के दर्जे है, ये सुन्नत से साबीत नही है।

३. लोग कहते है के, आस्मान और जमीन का निजाम अब्दाल ने थांब रखा है, जब के हकीकत ये है के अल्लाह तआला आस्मान और जमीन का निजाम चलाता है।

४. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के सब से बहेतर मेरा जमना (सहाबा का जमाना), उस के बाद ताबयीन का और फिर तबे ताबयीन का जमाना। पता चला के फजीलत के ऐतेबार से सहाबा, ताबयीन और तबे-ताबयीन सब से बहेतर तबका है। उम्मत में कोई वली कितना भी बडा हो जाए वो सहाबा से बडा हो नही सकता क्युंके सहाबी अल्लाह के वली भी है और साथ में उन की सहाबा होनी की फजीलत भी है।

५. अल्लाह तआला फरमाता है के, किसी नबी के बस में नही है के वो अपने तौर पर कोई निशानी या मौजज़ा ले आए। यानी नबी खुद मौजज़ा नही दिखा सकते, मौजज़ा अल्लाह करता है अपने अंबिया के लिए। मिसाल के तौर - इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने ठंडी की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 'ऐ आग तु ठंडी हो जा' इस तरहा कहे कर आग को खुद ठंडा नही किया। इसी तरहा से हजरत युनुस (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह ने मछली के पेट से बाहर निकाला, वो खुद से नही निकले। इसी तरहा से अल्लाह ने हुजुर (ﷺ) के लिए चाँद के दो तुकडे किए (ये वाकीया सहीह बुखारी नं.३६३६, ३८६८ और सहीह मुस्लीम नं.६७२४ से ६७३० तक और सुरे कमर (५४) की आयत नं.१ से ४ में है, कही भी नही लिखा है के आप (ﷺ) ने अपने उंगली के इशारे से चाँद के दो तुकडे किये थे)। हुजुर (ﷺ) का एक मौजज़ा जो आज तक बाकी है वो है कुरआन, मौजज़ा का मतलब होता है निशानी।

६. हजरत जकरीया (अलैहिस्सलाम) और हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) जो के अपने वक्त के नबी है लेकीन अपनी बीवी को औलाद नही दे सकते है, वो अल्लाह से दुआ करते है, फिर अल्लाह उन की दुआ कबुल फरमाता है और उन्हे औलाद देता है। एक नबी खुद औलाद हासील नही कर सकते। लेकीन बरेलवी हजरात के मनघडत अकिदो के मुताबीक वली दुसरो को औलाद देते है जो के कबर मे है। **ऐसा कहना नबी के दर्जे को वली के दर्जे से कम करता है।**

७. रसुलुल्लाह (ﷺ) की गोद मुबारक में उन के बेटे ने दम तोडा, आप (ﷺ) रो-रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे है लेकीन औलाद को नही बचा पाए। लेकीन बरेलवी हजरात के मनघडत अकिदो के मुताबीक दरगाह पर मुर्दे जिंदा होते है। **ऐसा कहना नबी के दर्जे को वली के दर्जे से कम करता है।**

८. अल्लाह के नबी (ﷺ) ने अपने चाचा अबु तालीब को इमान लाने की बहोत दावत दी फिर भी अबु तालीब को हिदायत नही मिली और उन का इंतेकाल इमान पर नही हुआ। लेकीन बरेलवी हजरात के

मनघडत अकिदो के मुताबीक वली ने किसी चोर पर नजर डाली तो उसे हिदायत मिल जाती है। **ऐसा कहना नबी के दर्जे को वली के दर्जे से कम करता है।**

९. कुरआने करीम सुरे अल-कसस (२८), आयत नं.५६ मे अल्लाह तआला फरमाता है के, "ऐ नबी आप हिदायत नही दे सकते जिसे आप पसंद करो बल्की ये अल्लाह ही है जिसे चाहे हिदायत दे"। अल्लाह तआला ने नबी (ﷺ) को हिदायत के लिए भेजा है लेकीन आप का किसी के दिल पर इख्तीयार नही। लेकीन बरेलवी हजरात के मनघडत अकिदो के मुताबीक वली ने जानवर पर निगाह डाली तो वो वली बन गया। **ऐसा कहना नबी के दर्जे को वली के दर्जे से कम करता है।**

१०. जंगे ओहद में जब आप (ﷺ) के दंदाने मुबारक शहीद हुए और आप जखमी हुए तो आप (ﷺ) ने फरमाया के, ''ये गिरोह कैसे फलाह पाएगा जिस ने अपने पैगंबर से ये सुलुक किया जब के वो इन्हे खुदा की तरफ से दावत देता है''। इस बात पर अल्लाह तआला की तरफ से ये सुरे इमरान (३), आयत नं.१२८ नाज़ील हुई और अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया के ''किसी किस्म का इख्तीयार तुम्हे नही है मगर ये के खुदा चाहे के इन्हे माफ करे दे या सज़ा दे क्युंके वो ज़ालीम है''। **पता चला के नबी करीम (ﷺ) की ज़बाने मुबारक से जो जुमला निकले वो अल्लाह की मर्जी के बगैर पुरा नही हो सकता । जब के कुछ बद अकिदा मुसलमान कह देते है के हमारे वली ने जो कह दिया वही होता है....माअजअल्लाह। इस तरहा से वली का दर्जा नबी से बडा कर दिया जाता है।**

११. गौस का मतलब होता है के मदत करने वाला और गौसे आजम का मतलब होता है बडा मदत करने वाला। सुरे अनफाल (८), आयत नं.१० में अल्लाह तआला फरमाता है के, "अगर मदत है तो अल्लाह ही की तरफ से होती है"। अल्लाह के नबी (ﷺ), साहाबा इकराम, ताबयीन, तबे-ताबयीन अल्लाह ही से मदत मांगते थे, वो किसी नबी या कबर से मदत नही मांगते थे। इसी तरहा से सुरे इमरान (३) की आयत नं.८ मे हमे बताती है के दस्तगीर अल्लाह ही है "के जब हिदायत बख्शी है तु ने हमे और अता फरमा हमे अपने पास से रहेमत, यकीनन तु बडा अता फरमाने वाला है"।

१२. आज का मुसलमान शिफा के लिए दरगाह पर जा कर पडा है, जब के सुनन अबु दाऊद की सहीह हदीस नं.३८८३ है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने हमे ये दुआ सिखाई "ऐ इंसानो के रब' दुर कर दे ये बिमारी और शिफा दे तु, तु ही शिफा देने वाला है, नही कोई शिफा तेरी शिफा के सिवा और (ऐसी शिफा जिस से) कोई तकलीफ बाकी ना रहे"।

१३. आज के मुसलमान मजार पर किसी चिज को रात भर रख कर अपने पास रखते है। उन का ये मानना है के रात भर उस चिज को मजार पर रखने के बाद उस में पॉवर आ जाता है और वो चिज हमारी हिफाजत करती है। जब के काबे में जो पत्थर लगा उसे हजरे अस्वद कहते है। ये पत्थर जन्नत से आया है और जिबराईल (अलैहिस्सलाम) ने इसे लाया है और पहिली बार इसे काबे में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने लगाया था और जब काबा दुसरी बार तामीर हुआ तो दुसरी बार इसे नबी-ए-करीम (ﷺ) ने काबे में ये पत्थर लगाया था। इस पत्थर के बारे में हजरत उमर (रजि) कहते है के, "मैं जानता हुँ के तु एक पत्थर है, तु ना नुकसान पहोचा सकता है ना नफा, अगर मै ने अल्लाह के नबी (ﷺ) को चुमते ना देखा होता तो मैं कभी तुझे नही चुमता।

१४. आज के मुसलमान मजारो पर सजदा करते है और हद तो ये हो गई के लोग औलिया की इबादत की जगह को, तोते की कबर को, घोडे की, नाग की जगह को भी सजदा करते नजर आते है। जब के सुनन अबी दाऊद की सहीह हदीस नं.२१४० है के, नबी (ﷺ) ने ताजीमी सजदा भी करने से मना फरमाया है।

१५. आज का मुसलमान सोचता है के वली की दरगाह पे जा कर उस की हर मुराद पुरी हो जाती है, वली रहेम वाले होते है जल्दी दुआ कबुल करते है किसी को खाली हाथ नही लौटाते। जब की सुरे फातीर (३५) की आयत नं.१५ में अल्लाह तआला फरमाता है के, "ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के दर के फकीर हो,अल्लाह तो गणी व हमीद है"। इसी तरहा से अल्लाह तआला हम से ७० मां से ज्यादा बंदे से मोहब्बत करता है। बिस्मील्लाह हिर्रहेमा निर्रहीम का मतलब होता है अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा महेरबान और रहेम वाला है।

१६. आज का मुसलमान वली से सिफारीश की उमीद लगाता है। शैतान ने लोगो के दिमाग में डाल रखा है के, अल्लाह दुआ कबुल नही करता, हम को वसीले से जाना पडेगा। जब के सुरे बकरा (२) की आयत नं.२५५ में अल्लाह तआला फरमाता है के "कौन है जो अल्लाह के पास सिफारीश करे अल्लाह की इजाज़त के बगैर"। पता चला के अल्लाह इजाज़त दे तो ही सिफारीश की जा सकती है और फिर अल्लाह कबुल करे ना करे ये अल्लाह की मर्जी।

पता चला के किसी को हिदायत देना, किसी को औलाद देना, मुर्दे को जिंदा करना वगैरा वगैरा ये वली के बस में नही है। ये चिज किसी ने बयान कर दी, सुन्ने वाले ने आँख बंद कर के सुना, इस चिज की कुरआन और हदीस मे जांच नही की और ये बात बाप दादाओ से होते हुए चली आई इसलिए लोग इसे दिन समझ बैठे।

दरगाह पे मुराद पुरी हो जाए तो क्या मांगना जायज़ हो जाता है?

बहोत सारे लोग जो गैर-मुसलमान होते है वो अपने बुतो से मांगते है और उन को भी मिल जाता है, तो वो भी ये कह सकते है के हम सही है। अगर कोई आदमी गुमराह हो और किसी का इलाज अजीब व गरीब तरीके से कर दे तो क्या उस को वली मान सकते है क्या? यहा बात ये है के अल्लाह ही देता है चाहे आप सही तरीके से हासील करे या गलत तरीके से।

अगर कोई पत्थर से औलाद मांगे और उसे औलाद मिले तो इस का ये मतलब नही है के पत्थर से मांगना जायज़ होगा। इसी तरहा से वली से भी नही मांगा जा सकता है। कबरो से मांगना जायज़ है या नही इस के लिए हमे किताब व सुन्नत की तरफ रुजु करना पडेगा।

इमाम शाफई फरमाते है :

इमाम शाफई फरमाते है के, अगर कोई अजीब व गरीब चिज कर के बताए तो इस के धोके में ना आना। उस की जिंदगी किताब और सुन्नत के मुताबीक है या नही ये जाच लेना चाहिए। अगर उस की जिंदगी किताब व सुन्नत के मुताबीक है तो वो कुछ करता है तो करामत है और अगर वो किताब व सुन्नत के मुताबीक जिंदगी नही गुजारता है तो वो वली नही है बल्की धोकेबाज आदमी है।

बाज औकात शैतान और जिन्न उस धोकेबाज आदमी की मदत करते है ऐसी अजीब व गरीब चिज करने में।

औलीया का एहतेराम :

औलीया का एहतेराम करना, उन के नकशे कदम पे चलना हमारे लिए जरूरी है क्युंके बुखारी शरीफ की हदीस (हदीसे कुदसी) है हुजुर (ﷺ) इरशाद फरमाते है के अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "और मेरा बंदा जिन जिन इबादतो से मेरा कुर्ब हासील करता है (यानी मेरे करीब आता है) कोई इबादत मुझ को उस से ज्यादा पसंद नही है जो मैने उस पर फर्ज की है। और मेरा बंदा फर्ज अदा करने के बाद नवाफील इबादत कर के मुझ से इतना ज्यादा नजदीक हो जाता है के मैं उस से मोहब्बत करने लगता हुँ, फिर जब मैं उस से मोहब्बत करने लगता हुँ तो मैं उस का कान बन जाता हुँ जिस से वो सुनता है, उस की आँख बन जाता हुँ जिस से वो देखता है, उस का हाथ बन जाता हुँ जिस से वो पकडता है, उस का पाव बन जाता हुँ जिस से वो चलता है। और अगर मुझ से मांगता है तो मैं उसे देता हुँ, अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह का तालीब होता है तो मैं उस को महेफुज रखता हुँ और मैं जो काम करना चाहता हुँ उस में मुझे इतना तरददुद (हिचकिचाहट) नही होता जितना की अपने मोमीन बंदे की जान निकालने में होता है वो तो मौत को पसंद नही करता और मुझे भी उस को तकलीफ देना अच्छा नही लगता (Hadees-E-Qudsi : Hadees २५, **Sahih** al-Bukhari : Hadees ६५०२, Book ref. : ८१, Hadees ९१, Eng ref. : Vol. ८, Book ७६, Hadees ५०९)

तकलीद क्या है? तकलीद शिर्क कब बन जाती है?

चार बडे फुकहा/इमाम (fuqaha) हो गुजरे हैं।

१. इमाम अबु हनीफा (हनफी) (80 AH - 150 A.H. /699 AD - 767 AD)
२. इमाम शाफी (शाफई) (150 AH - 204 A.H/767 - 820 AD)
३. इमाम अहमद इब्ने हंबल (हंबली) (164 AH - 241/780 AD - 855 AD)
४. इमाम मलीक (मलीकी) (93 AH - 179 AH/715 - 795 AD)

(AH = हिजरी कॅलेंडर AD = ख्रिश्चन कॅलेंडर)

हुजुर (ﷺ) [570 AD - 632 AD - 571 C.E.]

आप (ﷺ) ने सन ६२२ C.E. में हिजरत की थी, उस वक्त आप की उम्र मुबारक ५३ साल थी। और आप (ﷺ) की हिजरत से हिजरी सन शुरू हुआ। हुजुर (ﷺ) के वफात के ८० साल बाद इमाम अबु हनीफा (रहे) की पैदाईश हुई। इमाम अबु हनिफा (रहे) ने १२१ हिजरी में फिक की किताबे लिखी यानी ये ताबयीन का जमाना था।

चारो इमामो को **आईम्मा अरबा या फुकहा** कहा जाता है। इन इमामो ने अपनी सोच (कयास, राय) से मसले बताए। इस इमाम की राय पर बगैर सोचे समझे, बगैर तहकिक किए और बगैर दलील के पैरवी (follow) करना **तकलीद** कहलाता है और इन उलमाओ ने जो मसले बताए उन्हे **फिक** कहा जाता है। इमामे अबु हनिफा ये हनफी फिक के मालीक है।

जो लोग इमामो की तकलीद करते है उन्हे **मुकल्लीद** कहा जाता है। बहोत सारे लोग जो अपने आप को बरेलवी और देवबंदी कहते है वो तकलीद करते है। उन्हो ने नबी (ﷺ) के होते हुए उम्मती को (आईम्मा अरबा को) अपना इमाम बना लिया है। उल्माए हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जैसे कई बडे मोहदसीन **मुकल्लीद** नही थे वो **मुत्तबे** थे। **मुत्तबे का मतलब होता है रसुल की बात मानने वाले।** जो हजरात तकलीद नही करते उन्हे **गैरमुकल्लीद** कह दिया जाता है, गरम का उलटा गैर-गरम नही होता उसी तरहा **मुकल्लीद का उलटा गैर-मुकल्लीद नही होता**। जो मुकल्लीद है वो दुसरो को गैर-मुकल्लीद जैसे नाम दे कर सुन्नत के माननेवालो का दिल दुखाते है, जब के **जो मुकल्लीद नही होता और रसुल के अलावा किसी दुसरे की बात नही मानता वो मुत्तबे होता है ना के गैर-मुकल्लीद**।

तकलिद करने वाले हजरात का ये मान्ना है के चारो मसलक जन्नत में जाने के चार दरवाजे है और इन की पैरवी करने वाले जन्नत में किसी भी दरवाजे से जा सकते है (यानी किसी एक इमाम की पैरवी कर के जन्नत में दाखील हो सकते है)। तो उन को हम ये बताना चाहते है के, ये चारो इमाम तो बहोत बाद में आए उन से पहेले जो लोग थे (यानी सहाबा इकराम) वो जिस दरवाजे से जन्नत जाएंगे हम वही दरवाजे से जन्नात जाना चाहते है और वो दरवाजा है इमामे आज़म हजरत मुंहम्मद मुस्तफा (ﷺ) की पैरवी। जिन्हे रसुलुल्लाह (ﷺ) का दरवाजा मिल जाए उन्हे किसी और दरवाजे की जरूरत नही क्युंके सुरज के निकलने के बाद दिये की जरूरत नही होती। हमारी कामयाबी रसुलुल्लाह (ﷺ) के सुन्नत पर अमल करने में है (यानी रसुल की इत्तेबा में) ना के तकलीद में, क्युं के हमारे आका रसुलुल्लाह (ﷺ) की बात अल्लाह की बात है जबके तकलीद एक नबी की बात नही है बल्की ये उम्मती की राय (सोच) है।

नफाई कबीर, सफा नं.१६ में मौलाना अब्दुल हई फरमाते है के, ''हमारा अबु हनिफा (रहे) के बारे में ये अकिदा है के, अगर वो जिंदा रहते हदिसो के जमा होने तक तो हदीस को ले लेते और तमाम कयासो (राय) को छोड देते''।

सुरे बकराह (२), अयात नं.१११ मे अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है के, ''और एहले किताब बोले हरगीज जन्नत में ना जाएगा मगर वो जो यहुदी या नसरानी हो, ये इन का खयाल बंदीया है, तुम फरमाओ लाओ अपनी दलील अगर सच्चे हो''। **इस आयते करीमा मे अल्लाह तआला फरमाता है के, यहुदी और नसरानी का ये दावा है के वो ही जन्नत में जाएंगे ये खयाल बंदीया (बकवास) है। आगे अल्लाह तआला आप (ﷺ) से इरशाद फरमाता है के उन से पुछो के अगर तुम (यहुदी/नसारा)**

सच्चे हो तो कोई दलील ले कर आओ यानी साबीत करो के तुम ही जन्नत में जाओगे। जिस तरहा यहुदी और नसरानी बगैर दलील के जन्नत मे जाने का दावा करते है उसी तरहा तकलीद करने वाले लोग भी बगैर दलील के जन्नत में जाने का दावा करते है और उन का ये दावा बकवास है।

एक बार उमर-ए-फारूक (रजि) हाथ में तौरात ले कर पढ रहे थे, प्यारे नबी (صلى الله عليه وسلم) का चेहरा मुबारक गुस्से से तबदील हो रहा था। सय्यदना अबुबकर (रजि) आप (صلى الله عليه وسلم) के चेहरे मुबारक को देखते है और उमर-ए-फारुक (रजि) से कहते है के, आप मेरे आका को चेहरे को नही देख रहे, उमर (रजि) ने आप (صلى الله عليه وسلم) के चेहरे मुबारक को देखा के आप गुस्से में है तो फौरन तौरात को निचे रख दिया और कहा के, मै अल्लाह के रब होने पर राजी, मुंहम्मद रसुलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) के नबी होने पर राजी, इस्लाम के दिन होने पर राजी। आप (صلى الله عليه وسلم) ने फरमाया, ''ऐ उमर आज तो तुम तौरात पढ रहे हो अगर मुसा भी जिंदा हो कर आ जाए और उस ने निजात पा ली हो तो उसे भी मुंहम्मद के पिछे चलना पडेगा, तुम मुझे छोड दो मुसा के पिछे चल पडो तो राहे मुस्तकीम से (सिधे रास्ते से) गुमराह हो जाओगे''। पता चला के, मुसा (अलैहिस्सलाम) एक नबी है लेकीन रसुलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) की बात को छोड कर मुसा (अलैहिस्सलाम) की बात मानी जाने से आदमी गुमराह हो जाएगा तो सोचो के फिरके के बुजुर्ग की, मस्लक की (तकलीद), गुमराह पिर की और गुमराह मुल्लाओ की बात मान कर हमारा क्या अंजाम होगा।

सुरे बनी इस्त्राईल (१७) आयत नं.७१ में अल्लाह तआला इरशाद फरमा रहा है के, ''जिस दिन हम हर जमाअत को इस के पेशवा (इमाम) समेत बुलाएंगे, फिर जिन का भी अमाल नामा दाए (सिधे) हाथ दे दिया गया वो तो शौक से अपना अमल नामा पढने लगेंगे और एक धागे के बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। और जो कोई इस जहा में अंधा रहा वो आखेरत में भी अंधा और रास्ते से बहोत ही भटका हुआ रहेगा''। **हाफीज इब्ने कसीर (वफात ७७४ हिजरी) तफसीर इब्ने कसीर में लिखते है के, यहा पेशवा (इमाम) से मुराद नबी है, हर उम्मत कयामत के दिन अपने नबी (अलैहिस्सलाम) के साथ बुलाई जाएगी जैसे के कुरआन की एक आयत में है ''हर उम्मत का रसुल है, फिर जब इन के रसुल आएंगे तो इन के दरमियान अदल के साथ हिसाब किया जाएगा''।**

फिक अगर कुरआन और हदीस से टकराए तो नही ली जाएगी क्युंके चारो इमामो ने खुद कहा है के अगर हमारी कोई बात कुरआन और हदीस से टकराए तो छोड दी जाए। इसी तरहा से चारो में से किसी भी इमाम ने नही कहा के तुम मेरे नाम का मज़हब बना लो

अगर हदीस का इल्म होने के बावजुद भी कोई इंसान कुरआन और हदीस की बात को रद्द कर के फिक की बात को ही मानता है तो वो शख्स अंधी तकलीद कर रहा है। अंधी तकलीद करने का मतलब दुसरे को रब बनाना है, इसलिए उलेमाओ के नजदीक अंधी तकलीद करना भी शिर्क है।

तकलीद कब जायज़ है?

इमाम की बात को बगैर दलिल के मान लेना **तकलीद** कहलाता है। हनफी फिका के मानने वाले को **एहनाफ** कहते है।

❖ जिन मसलो पर कुरआन और हदीस में साफ तौर पर हुकुम है उन मसलो में फिक की बात मान्ना शिर्क है।
❖ अगर फिक की बात कुरआन और हदीस से नही टकराती तो फिक की बात मान सकते है यानी तकलीद कर सकते है।

हम किसी भी बुजुर्ग को रसुलुल्लाह के दर्जे पर नही ले जा सकते। चारो में से किसी इमाम ने नही कहा के हमारी तकलीद करो। हुजुर (صلى الله عليه وسلم) नमाज में रफयुलदैन करते थे। और चारो में से इमाम अबु हनिफा (रहे) को छोड कर तिनो इमाम (शाफई, हंबली, मलीकी) रफयुलदैन करथे थे। इसलिए ये कहना दुरूस्त नही है के मै

रफयुलदैन इसलिए करता हुँ क्युंके इमाम शाफई रफयुलदैन करते थे। कयामत वाले दिन हमे ये नही पुछा जाने वाला के आप कौन से इमाम के पिछे चले थे, हमे सिर्फ रसुलुल्लाह (ﷺ) की इताअत (पैरवी) के बारे में पुछा जाएगा।

हदीस : ...... और जिस ने रसुलुल्लाह (ﷺ) की बात मानी उस ने अल्लाह की बात मानी, और जिसने रसुलुल्लाह (ﷺ) की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। मुहंम्मद (ﷺ) लोगो मे हक और बातील के दरम्यान फर्क है (सहीह बुखारी: हदीस-७२८१)

इस्लाम के चार उसुल (कुरआन, सुन्नत, इजमा, इज्तेहाद)

<u>इस्लाम के चार उसुल है</u>

१. कुरआन
२. सुन्नत (सहीह हदीस)
३. इजमा (उम्मत की एक राय)
४. इज्तेदाद (सोच, कयास, personal opinion)

हमारे सामने अगर कोई मसला पेश आए तो पहेले हम **कुरआन** से मसले का हल देखेंगे, अगर कुरआन में हल ना मिले तो **हदीस (सुन्नत)** में देखेंगे और अगर कुरआन और सुन्नत में भी हल ना मिले तो **उम्मत का इजमा** देखेंगे और अगर इन तीनो में भी ना मिले तो फिर हम **इज्तेहाद (अपनी सोच से)** मसले का हल निकालेंगे। **आप (ﷺ) ने फरमाया के मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर एखट्टा नही होंगी।**

<u>कुरआन, सुन्नत, इजमा और इज्तेहाद की दलीले:</u>

१. "अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसुल की बात मानो और वो लोग जिन के पास इल्म है, अगर उल्मा मे इख्तेलाफ है तो फिर से अल्लाह और अल्लाह के रसुल पर लौट जाओ (सुरे निसा (४), आयत-५९)

   <u>इस आयत से चार बाते पता चली</u>

   १. कुरआन से मसले का हल निकालो **(कुरआन)**
   २. हदीस से मसले का हल निकालो **(सुन्नत)**
   ३. कुरआन और सुन्नत में हल ना मिले तो उम्मत का इत्तेफाक (एक राय) देखो **(इजमा)**
   ४. अगर मसले का हल कुरआन, सुन्नत और इजमा में ना मिले तो कुरआन और हदीस की रौशनी में सोचो **(इज्तेहाद)।**

२. और जो रसुल के खिलाफ करे बाद इसके के हक रास्ता इस पर खुल चुका और मुसलमानो की राह से जुदा राह चले हम उसे उस के हाल पर छोड देंगे और उसे दोजख में दाखील करेंगे और क्या ही बुरी जगह पलटने की (सुरे निसा (४), आयत-१५५)

<u>मिसाले :</u>

१. सुरे मैदाह (५) की आयत नं.६ हमे बताती है के नमाज के पहेले वजु करो।
२. हमे हदीस से ये बात पता चलती है के जिस्म के एक-एक हिस्से को तीन-तीन बार धोना चाहिए।
३. रमजान में पुरा महिना भर ईशा के बाद तरावीह पढना ये उमर (रजि) के दौर में सहाबा के इजमा से साबीत है
४. कोकेन हराम है ये इज्तेहाद (सोच, कयास) से साबीत है।

किन उलेमाओ ने हदीस की किताबे लिखी?

हुजुर (ﷺ) के वफात के १७८ साल बाद इमाम बुखारी (रहे) की पैदाईश हुई। इमाम मोहंमद (रहे) के उस्ताद है इसहाक (रहे) आप ने एक दिन इमाम बुखारी (रहे) के सामने ख्वाहीश का इजहार किया के "मै ये चाहता हुँ के एक हदीस की किताबो का ऐसा मजमुआ (sum) तयार किया जाए के जिस मे सिर्फ वो हदीसे हो

जो सही हो। यानी उस हदीस के बयान करने वाले मे कोई भी कमी ना हो ताके वो हदीस का मजमुआ लोगो मे पहोंचे और लोग उस पर आँख बंद करके भरोसा करे और कुरआने अजीम के बाद वो किताब एक मस्तनद (authorised) जखीरा बन के लोगो मे पहोंचे"। तो उन्हे ने इमाम बुखारी से कहा के तुम इस सिलसिले मे कुछ काम करो। ये बात इमाम बुखारी (रहे) के जहेन मे बैठ गई। इस के बाद इमाम बुखारी (रहे) ने ख्वाब देखा के वो आप नबी-ए-करीम (ﷺ) के पास खडे है और इस तरहा पंखा चल रहा है जैसे मक्खीया उडाई जाती है। जब आप ने इस ख्वाब की ताबीर पुछी तो ये मालुम हुआ के हुजुर (ﷺ) की हदीसो मे लोगो ने जो झुठी बाते डाली है तो आप वो सब अलग करेंगे और सही हदीसो का एहतेमाम करेंगे। आप को अल्लाह की तरफ से इशारा मिल गया था तो फिर आपने **सहीह हदीस** की किताब की तरफ तवज्जो फरमाई। इस तरहा से इमाम बुखारी ने पहेले अपनी किताब में, सहीह, जईफ और मौज़ु (झुठी) हदीसे लिखी और किताब का नाम दिया **बुखारी** और हकीकत मालुम होने के बाद में उन में से जईफ और मौज़ु हदीस को रद्द कर के **सहीह** हदीसे अलग की और किताब का नाम दिया **सहीह बुखारी**। इसी तरहा **इमाम मुस्लीम** ने भी सिर्फ **सहीह हदीसे** ही चुनी और अपनी किताब **सहीह मुस्लीम** बनाई। लेहाज़ा **सहीह बुखारी और सहीह मुस्लीम** की तमाम हदीसे सहीह है इसलिए उन पर बिल्कुल भी शक नही किया जा सकता।

* हदीस की किताबे जो मुस्नद (सहीह सनद के साथ, authentic) है -

१. इमाम बुखारी (Sahih Bukhari) (८१० AD - ८७० AD) **(७५००से ज्यादा हदीसे, ९७ किताबे)**
२. इमाम मुस्लीम (Sahih Muslim) (८२१ AD - ८७५ AD) **(७५००के करीब हदीसे, ५७ किताबे)**
३. इमाम तिरमीजी (Sunnah Tirmidhi) (८२४ AD - ८९२ AD)**(४४००के करीब हदीसे,४६ किताबे**
४. इमाम अबु दाऊद (Sunnah Abu Dawood) (८१७ AD - ८८९ AD) **(५२७४ हदीसे, ४३ किताबे)**
५. इमाम नसाई (Sunnah Nasai) (२१४ AH - ३०३ AH) **(५७०० के करीब हदीसे, ५२ किताबे)**
६. इमाम इब्ने माजाह (Sunnah ibn Majah) (८२४ C.E.) **(४३४१ हदीसे, ३७ किताबे)**
७. अलमुवत्ता इमाम मालीक **(१७२० हदीसे)**
८. मुस्नद इमाम अहमद **(२७६४७ हदीसे)**

इन किताबो मे से सहीह बुखारी और सहीह मुस्लीम १००% सहीह है और बाकी किताबो मे सहीह, हसन और जईफ हदीसे मौजुद है। कुरआन के बाद सहीह बुखारी और सहीह मुस्लीम को माना जाता है। हदीस की ये आठ किताबे पहेले ३०० साल (सहाबा, ताबयीन, तबे-ताबयीन) के ज़माने मे लिखी गई।

सुन्नत और हदीस किसे कहते है?

सुन्नत : सुन्नत का मतलब ये है के रसुलुल्लाह (ﷺ) की आदत को हम ने भी आदत बनाना और अपनाना।
हदिस : वो चिज़े और वो अमल जो रसुलुल्लाह (ﷺ) ने कही है और की है। हदीस मे दोनो चिज़े आएंगी १) रसुलुल्लाह (ﷺ) के सुन्नत वाले काम भी, २) रसुलुल्लाह (ﷺ) के आदत वाले काम भी।

हदीसे कुदसी किसे कहते है?

हदीसे कुदसी वो हदीस है जिस के अल्फाज हजुर (ﷺ) से मिले और उन के मायनी (मतलब) अल्लाह से मिले। यानी वो हदीस जिन्हे अल्लाह ने इरशाद फरमाया और हुजुर (ﷺ) ने इस को बयान फरमाया।

हदीस की किसमें (सहीह, हसन, जईफ, मौजु), हदीस कैसे लिखी गई?, और सनद किसे कहते है?

अल्लाह तआला ने हुजुर (ﷺ) को दुनिया के लोगो के लिए एक मिसाल (नमुना) बनाकर भेजा था। साहाबा के दौर मे भी कुछ लोगो ने हदीसे लिखना शुरू कर दी थे क्योंकी नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "इल्म (knowledge) को लिखकर मुकैय्यद (कैद) कर लो" इसलीए साहबा इकराम लिख लिया करते थे। और एक साहबी के बारे मे आता है के वो हर बात आप (ﷺ) की लिख लिया करते थे। ये सिलसिला साहबा के दौर मे शुरू हो चुका था और उसके बाद ताबयीन और तबे-ताबयीन के दौर मे भी लोग हदीसे जमा करते रहे। लेकीन साहबा इकराम ने जो हदीसे जमा की वो बहोत थोडी थी। फिर ताबयीन और तबे-ताबयीन ने जो हदीसे जमा की उन मे इस बात का खयाल नही रखा गया था के, सिर्फ वही हदीसे ली जाए जिस के रावी (बयान करने वाले) हर लेहाज से तनकीद से महफुज हो (यानी सब से सब नेक, परहेजगार, मुत्तकी, बा-शराह, आदील, जबरदस्त कुवते हाफेजा (memory) रखने वाले, उन पर कोई scandal ना बना हो और इसी तरहा वो बेमुरव्वती वाला काम ना करते हो (बेमुरव्वत = भिड वाली जगह पर साईड मे बैठकर पेशाब करना, रास्ते पर खडे होकर खाना, वगैरा))। लेहाजा ताबयीन और तबे-ताबयीन ने हदीस जमा करते वक्त इस बात का खयाल नही रखा था। बाद मे हदीसो को जांचा गया और उन को अलग कर के चार किसमो में बाटा गया।

१) सहीह हदीस :

सहीह हदीस का मतलब ये होता है के उस हदीस को बयान करने वाले रावीयो (रिवायत बयान करने वाला) मे से कोई भी रावी किसी भी वक्त मे कमजोर नही है।

सहीह हदीस वो है जिस मे चार खुबीया है -

१. उसकी सनद लगातार (continuous) हो के कोई रावी (रिवायत बयान करने वाला) ना छुटा हो।
२. उसके सारे रावी पहेले दर्जे के मुत्तकी परहेजगार हो, कोई फासीक (इस्लाम के कानुन को नही मानने वाला) या गैर अकीदे वाला ना हो।
३. तमाम रावी निहायत अच्छी याददाश्त (memory) के हो के किसी की याददाश्त बिमारी या बुढापे की वजह से कमजोर ना हो।
४. वो हदीस बयान के खिलाफ ना हो। यानी पहेले जैसे बयान की थी वैसे ही बाद मे रावी ने बयान की हो।

२) हसन हदीस :

हसन हदीस वो हदीस है जिस के रावी में उपर की (सहीह हदीस मे दी हुई) तमाम सिफत है पर इतनी आला दर्जे की नाही है। यानी किसी रावी का तकवा इतना आला दर्जे का नाही है। (तकवा = अल्लाह का डर, परहेजगार, गुन्हा से रुकने वाला)

३) जईफ हदीस (कमजोर हदीस) :

१. हदीस की सनद बीच में कही ना कही टुटी हो।
२. कोई एक रावी या हर रावी झुठ बोलने में मशहुर हो।
३. रावी बिदअती हो और अपने बिदअत के सपोर्ट मे कोई हदीस बयान करता हो।
४. रावी की दिमागी याददाश्त बहोत ही कमजोर हो।
५. रावी हदीस लेने में और बयान करने मे लापरवाही और कोताही बरतता हो।
६. रावी हदीस घडने मे मशहुर हो।

४) मोजु हदीस (forge/fake hadith) :

मोजु हदीस झुठी और बनावटी हदीस होती है। मोजु हदीस को छोड दिया जाए क्योंकी ये बिल्कुल भी कबुल के लायक नही है।

हुजूर (ﷺ) के विसाल (इंतेकाल) के बाद उन के सुन्नत व हदीस को कयामत तक जिंदा रखना था। लेहाजा अल्लाह तआला ने दिन-ए-इस्लाम के मोहदसीन, इमाम व फुकहा को आप (ﷺ) की हदिसे जमा कर

के किताबो मे महेफुज़ करने की हिदायत अता फरमाई। इन्होने हदीस जमा करने का उसुल बनाया। एक हदीस के कई रावी बने। यानी एक ही हदीस को बहोत से रावी ने बयान किया। फिर आईम्मा (इमाम की जमा) और मोहदसीन ने अपनी किताब मे लिखकर हदीस को महेफुज़ किया। तो ये मालुम हुआ के हदीस हासील करने मे रावीयो की एक कडी बनी। लेहाजा इस कडी को **"सनद (कडी, chain of transmission)"** कहते है।

<u>सनद</u>

क्या जईफ हदीस पर अमल किया जा सकता है?

बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का जईफ हदीस के बारे में अकिदा : पहेले सहीह हदीस ही लि जाएगी... लेकीन जिन उमुर (मामलो) में सहीह हदीसे मौजुद ना हो वहा जाहीर सी बात है के जईफ हदीस से ही इस्तीदलाल (दलील लेना) करना पडेगा... इसलिए जईफ हदीस की अहेमियत को भी नजर अंदाज नही किया जा सकता।

बरेलवीयो का जईफ हदीस के बारे में अकिदा गलत है : जईफ हदीस मे ये शक होता है की, शायद वो साबीत ना हो। मतलब हमे ये पक्का नही पता की ये बात रसुलुल्लाह (ﷺ) से साबीत है की नही। और अल्लाह तआला कुरआन मजीद में फरमाता है "जिस बात का तुम्हे इल्म ही ना हो उस के पिछे मत पडो क्युंकी तुम्हारे कान और आँख और दिल में से हर एक से पुछ-ताछ की जानेवाली है।" [Sure Al-Isra (१७), ayat-३६]

<u>हदीस:</u> रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, "जो चिज हलाल है वो बता दिया गया है और जो चिज हराम है वो बता दिया गया है, और उन दोनो के बिच चिज है जिन पर शक है जो बहोत से लोग नही जानते। जो आदमी अपने आप को ऐसी चिजो से बचाता है जो शक और शुबात पैदा करे वो अपनी दिन की हिफाजत करता है और अपने आप की हिफाजत करता है, और जो शक और शुभे वाली चिज पर अमल पैरा होता है वो हराम की तरफ चला जाता है उसी तरहा जिस तरहा एक चरवाहा अपने जानवरो को चराता है किसी की और की जमीन के पास ये लाजीम है के वो उस में पड जाए" (**सहीह** मुस्लीम :किताब-१०, हदीस-३८८२)

- **इमाम मुस्लीम (रहे) फरमाते है के जाईफ हदीस बिल्कु नही ली जाए यहा तक के फजाईल के मामले में भी नही।**
- **कुछ उलेमा सिर्फ फजाईल के मामले में (हलाल और हराम के मामले में नही) जईफ हदीस कुबुल कर लेते है, लेकीन निचे लिखी हुई शर्तो के साथ:**

पहेली शर्त : *वो बहोत कमजोर नही होनी चाहिए, वो झुठो, घडने वालो और बहोत बडी गलती करने वालो की रिवायत नही होनी चाहिए।*

दुसरी शर्त : *ये आम तौर पर सबुत के मुताबीक होनी चाहिए।*

तिसरी शर्त: *उस पे अमल करते वक्त ये यकीन नही करना चाहिए के ये अमल अच्छी तरहा से कायम या साबीत है।*

चौथी शर्त : *जो उस पर अमल करता है उस को ये यकीन करना चाहिए के ये जईफ हदीस है।*

पांचवी शर्त: *जईफ हदीस को एक अच्छे अमल का जिक्र करना चाहिए जो की शरीयत के बुनियाद में से हो।*

छटी शर्त : *वो जईफ हदीस किसी सहीह हदीस की वज़ाहत के लिए शुमार नही करना चाहिए।*

अक्सर जईफ हदीसे कुरआन और सहीह हदीस से टकराती है। जईफ हदीस बयान करते वक्त उलेमा को चाहिए के लोगो के बता दे के ये जईफ हदीस है। लेकीन उलेमा ये बात आम लोगो को नही बताते और आम लोग इसे सहीह समझ कर अमल करने में लग जाते है। चुंके इन हदीसो का सहीह हदीस और कुरआन से टकराव अक्सर होता है इस वजह से फितने पैदा हो जाते है, कुछ जईफ हदीसे ऐसी है जिस से इमान जाने का डर है। इसी तरहा से बुखारी और मुस्लीम की सहीह हदीसो में जिंदगी के ९९% उसुल मिल जाते है इसलिए इमाम मुस्लिम फरमाते है के जईफ हदीस की जरूरत ही बाकी नही रहती। तो नतीजा ये निकला के जईफ हदीसो को छोडना ही बहेतर है।

एक मिसाल :

<u>जईफ हदीस :</u>

अबु दाऊद (किताबुत तहारा, हदीस-१७०) की एक रिवायत में है के इस दुआ को आस्मान की तरफ नजर उठा पढे।

«أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ» (صحیح مسلم:۲۳۴)

"نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ یکتا اور یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک
نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔"

नतीजा: ये हदीस जईफ है और ये सहीह हदीसे के खिलाफ है।

सहीह हदीस : हजरत उमर बिन खत्ताब (रजि) रिवायत करते है के नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया, जो शख्स अच्छी वजु करे और ये दुआ पढे तो इस के लिए जन्नत के आठो दरवाजे खोल दिए जाते है, जिस मे से चाहे जन्नत में दाखील हो जाए। (**सहीह** मुस्लीम: २३४)

अल्लाह के ९९ नाम और उन के मायनी

(Attributes of Allah)

* हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानो का पालने वाला है (सुरे फातेहा)

* और जमीन मे जितने दरख्त है सब कलम बन जाए और समंदर सियाही बन जाए और उस के बाद सात समंदर और सियाही बन जाए तो अल्लाह के कलेमात खत्म नही हो सकते। बेशक अल्लाह गालीब हिकमत वाला है (सुरे लुकमान (३१), आयत-२७)

१)	**अर-रहेमान**	बहोत महेरबान	२)	**अर-रहीम**	निहायत रहेम वाला
३)	**अल-मलीक**	बादशाह	४)	**अल-कुद्दुस**	पाक ज़ात
५)	**अस-सलाम**	सलामती वाला	६)	**अल-मुमीन**	अमन देने वाला
७)	**अल-मुहैमिन**	निगरानी करने वाला	८)	**अल-अज़ीज**	गालीब
९)	**अल-जब्बार**	जबरदस्त	१०)	**अल-मुतकब्बीर**	बढाई वाला
११)	**अल-खालीक**	बनाने वाला	१२)	**अल-बारी**	पैदा करने वाला
१३)	**अल-मुसव्वीर**	सुरते बनाने वाला	१४)	**अल-गफ्फार**	बखशने वाला
१५)	**अल-कहार**	बहोत गलबे वाला	१६)	**अल-वहाब**	बहोत देने वाला
१७)	**अर-रज़्जाक**	रोजी देने वाला	१८)	**अल-फत्ताह**	खोलने वाला
१९)	**अल-अलीम**	जानने वाला	२०)	**अल-काबीज़**	तंग करने वाला
२१)	**अल-बासीत**	कुशादा करने वाला	२२)	**अल-खाफीज़**	पस्त करने वाला
२३)	**अर-राफी**	बुलंद करने वाला	२४)	**अल-मुईज**	इज्जत देने वाला
२५)	**अल-मुज़ील**	ज़िल्लत देने वाला	२६)	**अस-समीअ**	खुब सुन्ने वाला
२७)	**अल-बसीर**	खुब देखने वाला	२८)	**अल-हकीम**	फैसला करने वाला
२९)	**अल-अदल**	इंसाफ करने वाला	३०)	**अल-लतीफ**	महेरबान
३१)	**अल-खबीर**	खबर रखने वाला	३२)	**अल-हलीम**	बडे जलवे वाला
३३)	**अल-अज़ीम**	बहोत अज़मत वाला	३४)	**अल-गफुर**	खुब बख्शीश देने वाला
३५)	**अश-शकुर**	कदरदान	३६)	**अल-अली**	बुलंदी वाला
३७)	**अल-कबीर**	बहोत बडा	३८)	**अल-हफीज**	हिफाजत करने वाला
३९)	**अल-मुकीत**	रोजी पहोंचाने वाला	४०)	**अल-हसीब**	किफायत करने वाला
४१)	**अल-जलील**	बुजुर्गी वाला	४२)	**अल-करीम**	इज़्जत वाला
४३)	**अर-रकीब**	निगेहबान	४४)	**अल-मुजीब**	कबुल करने वाला
४५)	**अल-वासी**	हर जगह मौजुद	४६)	**अल-हकीम**	हिकमत वाला
४७)	**अल-वदुद**	मोहब्बत वाला	४८)	**अल-मजीद**	बडी शान वाला
४९)	**अल-बाईस**	उठाने वाला	५०)	**अश-शहीद**	हाजीर
५१)	**अल-हक**	सच्चा मालीक	५२)	**अल-वकील**	काम बनाने वाला
५३)	**अल-कवी**	सब से ज्यादा ताकतवर	५४)	**अल-मतीन**	कुवत वाला
५५)	**अल-वली**	हिमायत करने वाला	५६)	**अल-हमीद**	खुबीयो वाला
५७)	**अल-मुहसी**	गिन्ने वाला	५८)	**अल-मुबदी**	पहेली बार पैदा करने वाला
५९)	**अल-मुयीद**	दोबारा पैदा करने वाला	६०)	**अल-मुहयी**	ज़िंदा करने वाला
६१)	**अल-मुमीत**	मारने वाला	६२)	**अल-हयी**	ज़िंदा
६३)	**अल-कय्युम**	सब का थामने वाला	६४)	**अल-वाजीद**	पाने वाला

६५)	**अल-माजीद**	इ़ज़्ज़त वाला	६६)	**अल-वाहीद**	अकेला
६७)	**अल-अहद**	एक	६८)	**अस-समद**	हमेशा रहने वाला
६९)	**अल-कादीर**	कुदरत वाला	७०)	**अल-मुक्तदीर**	ताकत वाला
७१)	**अल-मुकद्दीम**	आगे करने वाला	७२)	**अल-मुअख्खीर**	पिछे करने वाला
७३)	**अल-अव्वल**	सब से पहेले	७४)	**अल-आखीर**	सब से आखीर
७५)	**अज़-ज़ाहीर**	ज़ाहीर	७६)	**अल-बातीन**	छुपा हुआ
७७)	**अल-वाली**	मालीक	७८)	**अल-मुतआल**	बुलंद सिफतो वाला
७९)	**अल-बरर**	एहसान करने वाला	८०)	**अत-तव्वाब**	तौबा कबुल करने वाला
८१)	**अल-मुंतकीम**	बदला लेने वाला	८२)	**अल-अफुव**	माफ करने वाला
८३)	**अर-रऊफ**	नरमी करने वाला	८४)	**मालीकुल मुल्क**	बादशाही का मालीक
८५)	**ज़ुलजलाले वल-इकराम**	जलाल वाला और इनाम वाला	८६)	**अल-मुकसीत**	इंसाफ करने वाला
८७)	**अल-जामी**	एकट्ठाह करने वाला	८८)	**अल-गनी**	बे परवा (बे नियाज)
८९)	**अल-मुगनी**	बे परवा करने वाला	९०)	**अल-मानी**	रोकने वाला
९१)	**अज़-ज़ार**	नुकसान पहोंचाने वाला	९२	**अन-नाफी**	नफा पहोचाने वाला
९३)	**अन-नुर**	रौशन करने वाला	९४)	**अल-हादी**	हिदायत देने वाला
९५)	**अल-बदी**	नई तरहा पैदा करने वाला	९६)	**अल-बाकी**	बाकी रहने वाला
९७)	**अल-वारीस**	सब का वारीस	९८)	**अर-रशीद**	नेक राह बताने वाला
९९)	**अस-सबुर**	सब्र करने वाला			

शिर्क और कुफ्र क्या है

शिर्कः

१. अल्लाह की **ज़ात**(**personality**), **सिफात**(**attributes**), **हुकुक**(**rights**) **व इख्तीयारात**(**power/influence/control/authority**) में किसी और को शामील करना शिर्क कहलाता है।

२. अल्लाह के ९९ नाम (अस्माए-हुस्ना) ये अल्लाह के सिफात हैं। (उपर के टॉपीक में देखीए-**अल्लाह के ९९ नाम**)

३. **अस-समीअ** यानी **सुन्ना** अल्लाह तआला की सिफत है, वो हर बंदे की पुकार सुन लेता है चाहे वो बंदा जोर से कहे या आहिस्ता से, दिन मे कहे या रात में। अगर कोई ये कहे के कोई बुजुर्ग भी पुकार दुर से सुन लेते है तो उस ने अल्लाह की ये सिफत में शिर्क किया।

४. हदीस शरीफ : एक आदमी ने नबी (ﷺ) से कहा, "वही होगा जो अल्लाह और आप (ﷺ) चाहे तो"। तो आप (ﷺ) ने फरमाया "तुने मुझे अल्लाह तआला का शरीक ठहराया", सिर्फ इतना कहो "वही होगा जो अल्लाह तआला चाहेगा" (Ahmed १/२१४)

५. हदीस शरीफ : नबी (ﷺ) ने फरमाया "जिस ने अल्लाह के सिवा किसी दुसरे की कसम उठायी, उसने शिर्क किया"(Tirmizi,kitabul Emaan,Hadees no: १५३५) **यानी अल्लाह के अलावा दुसरे की (गैरुल्लाह की) कसम खाना शिर्क है-ये हदीस सहीह है**

१. गुनाहे कबीरा (बडा) मे सब से बडा गुनाह शिर्क है। शिर्क करने वाले को मुशरीक कहते है।

२. अल्लाह के सिवा किसी मख्लुक को इबादत में, मोहब्बत में, ताजीम में अल्लाह के बराबर समझना शिर्क है। इसी तरहा से अल्लाह के खास सिफात जैसे खालीक, राज़ीक, हाजत रवा, मुश्कील कुशा वगैरा में मख्लुक को शरीक समझना भी शिर्क है। कोई बुजुर्ग या नबी दुर से हर एक की पुकार सुन लेते है ऐसा सोचना या कहना शिर्क है क्युंके ये सिर्फ सिर्फ अल्लाह की है।

३. अता करना (देना) और छिन लेना (वापस लेना) ये अल्लाह की सिफत है। अगर कोई ऐसा अकिदा रखे के अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदे भी अता कर सकते है या छिन सकते है तो ये अकिदा शिर्क है।

४. अल्लाह तआला की इबादत में कोई और नियत भी शामील करना शिर्क है। जैसे के कुछ लोग रोजा, नमाज, हज, जकात वगैरा इबादात में अल्लाह की मर्जी ढुंढते है और साथ ही साथ लोगो की नेक नामी और बढाई भी ढुंढते है यानी लोगो ने उन की बढाई करना ये भी ढुंढते है तो अल्लाह तआला फरमाता है के "ये सब इसी दुसरे को दो मुझे इस की किसी चिज की जरूरत नही है"। कहने का मतलब ये है के रियाकारी (दिखावा) शिर्क है और इबादत सिर्फ अल्लाह को खुश करने की नियत से ही की जानी चाहिए, चुनांचे गैरुल्लाह को खुश करने की नियत से अल्लाह की इबादत करना शिर्क है।

५. **अल्लाह के नबी भी शिर्क नही कर सकते:** अल्लाह तआला कुरआन मजीद में **सुरे अनाम (६) की आयत नं.८३ से ८६** में १८ अंबिया (नबी) का जिकर कर रहा है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है के अगर ये १८ में से कोई नबी भी शिर्क कर लेता तो हम इन के सारे आमाल बरबाद कर देते। इसी तरहा से **सुरे जुमर (३९) की आयत नं.६५** में अल्लाह तआला नबी-ए-करीम (ﷺ) को इरशाद फरमाता है के, "ऐ नबी हम ने आप की तरफ वही की और आप से पहेले भी वही करते रहे, ऐ नबी अगर तुम ने भी शिर्क किया तो तुम्हारे सारे आमाल बरबाद कर दुंगा और तुम खसारा उठाने वालो में से हो जाओगे"। **पता चला के अल्लाह तआला अंबीयाओ को भी शिर्क करने के इजाजत नही देता।**

६. अल्लाह पाक फरमाता है : "जिन को तुम उसके सिवा पुकार रहे हो वो तो खजुर की गुठली के छिलके के भी मालीक नही है, अगर तुम उन को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नही और अगर (मान लो) सुन भी ली तो तुम्हारी फर्याद पुरी नही करेंगे, बल्की कयामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इंकार कर देंगे" (Sure Fatir (३५), Ayat-१३,१४) ।

७. अल्लाह पाक फरमाता है : "ऐ लोगो बयान की जाती है एक मिसाल तो गौर से सुनो उसे यकीनन वो जिन को पुकारते हो तुम अल्लाह के सिवा हरगीज नही पैदा कर सकते वो एक मक्खी भी अगरचा जमा हो जाए वो सब इस काम के लिए और अगर छिन ले जाए इन से मक्खी कोई चिज तो नही छुडा सकते इस को इस से, कमजोर है (मदत) मांगने वाला भी और वो भी जिन से (मदत) मांगी जाती है। नही पहेचान सके ये अल्लाह को जैसा के हक है इस को पहेचानने का, यकीनन अल्लाह ताकतवर और गालीब है"। (सुरे हज (२२), आयत-७३,७४)

८. अल्लाह तआला फरमाता है : "और अल्लाह को छोड कर ऐसी चिज की इबादत मत करना जो तुझ को ना कोई नफा पहोंचा सके और ना कोई नुकसान पहोंचा सके, फिर अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इस हालत मे जालीमो मे से हो जाओगे, और अगर अल्लाह तुम को कोई तकलीफ पहोंचाए तो अल्लाह के सिवा उस को दुर करने वाला कोई नही, और अगर वो तुम को कोई खैर पहोंचाना चाहे तो उस के फजल को हटाने वाला कोई नही है, वो अपना फजल अपने बंदो में से जिस पर चाहे उतारता, और वो बडी रहेमत और बडी मगफीरत वाला है।" (Sure Yunus (१०)-१०६,१०७) ।

९. हदीस शरीफ : "हजरत नौमान-बिन-बशीर (रज़ि) से रिवायत है रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया दुआ एक इबादत है, फिर आप ने सुरे मोमीन की आयत नं.६० पढी, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबुल करूंगा, और जो लोग मेरी इबादत (दुआ) से तकब्बुर करते है वो ज़लील व ख्वार हो कर जहान्नुम मे दाखील होंगे।" (Tirmizi J#5 P#243 H#3372) **- ये हदीस सहीह है - इस हदीस से**

पता चला के दुआ एक इबादत है। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। तो अल्लाह को छोड कर गैरुल्लाह से दुआ मांगना शिर्क है।

१०. अनस-बिन-मालीक रिवायत करते है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया दुआ इबादत का मग्ज है (Tirmizi J#5 P#243 H#3371) - **ये हदीस जईफ है**

११. शिर्क करने वाला अगर सच्चे दिल से माफी मांगे और दोबारा शिर्क ना करे तो उसे अल्लाह माफ कर देंगा। अगर कोई शिर्क की हालत मे मर गया तो उस के बाद उस की कोई माफी नही है, रसुलुल्लाह (ﷺ) भी उस की शफाअत नही कर पाएंगे और उस का हमेशा का ठिकाणा जहान्नम है। दुसरे गुनाह करने वाले अपनी सजा जहान्नुम मे काट कर जन्नत मे लौटेंगे लेकीन शिर्क करने वाला जहन्नुम में ही रहेगा, उस के लिए हमेशा के लिए जहान्नम है।

१२. अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक समझना शिर्क है।

१३. अल्लाह के अलावा किसी को उस की जात और सिफात मे शरीक करना शिर्क है।

१४. अल्लाह तआला का बेटा और बीवी है, हाथ और पैर है वगैरा ऐसा तसव्वुर कर लेना शिर्क है।

१५. अल्लाह के अलावा किसी और को माबुद समझकर सजदा किया (सजदा-ए-इबादत) तो शिर्क है।

१६. अल्लाह की जो सिफात (attributes) है उस मे से कोई भी सिफत दुसरे के लिए मान लेना शिर्क है। मिसाल के तौर पे - अल्लाह तआला किसी का मोहताज नही है यानी वो गैरे-मोहताज है, तो अल्लाह के अलावा किसी और को गैरे-मोहताज मान लेना शिर्क है।

१७. जो अमल अल्लाह को राजी करने के लिए होना चाहिए वो अमल अगर किसी मख्लुक (इल्लाह के बंदे) को राजी करने के लिए किया जाए तो शिर्क है। जैसे - नियाज वगैरा।

१८. अल्लाह की जो सिफात (attributes) है किसी बंदे मे वैसी सिफात समझना और कहेना शिर्क है।

१९. काबे के दरवाजे को तुगरा बना कर घर मे लगाना और उस के सामने नमाज पढना शिर्क है, काबे के दरवाजे से दुआ मांगना शिर्क है, तुगरे और घर मे लगाई हुई आयतो से हिफाजत आती है ये समझना शिर्क है। (नोट : घर आयतुलकर्सी, तुगरे, लोहे कुरआनी, कुल, काबे का दरवाजा वगैरा लगाना दुरूस्त नही। अगर घर मे कुछ लगाना हो तो याद करने के लिए कुरआनी आयते लगाए, हमे आयते पढ कर अल्लाह से मदत मांगनी है और मदत और हिफाजत सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है) घर में ये चिजे लगाना इसलिए शिर्क है क्युं के ये चिज़े गैरुल्लाह है और घर में हिफाजत और बरकत अल्लाह देता है गैरुल्लाह नही।

२०. कोई भी चिज जो आप ये समझ कर पहेनते है, खाते है, पिते है, गाढते है, ठोकते है, लटकाते है के ये चिज मेरा अच्छा कर देंगी, मुझे शैतान से दुर कर देंगी, मेरी रिज्क में बरकत पैदा कर देंगी, मेरी हिफाजत करेंगी, मुझे औलाद देंगी, मेरी बिमारी दुर करेंगी, मेरे लिए लकी होंगी और मेरा फला फला करेंगी तो ये तमाम शिर्क है। **मिसाल के तौर पे** - लिंबु लटकाया जाता है ये सोच कर के ये हमारी शैतान को दुर रखेंगा तो ये शिर्क है।

२१. तागे, धागे, सिपी, कौडी, मनका, पत्थर, अंगुठी, माला, निंबु, किले, भिलावा, सिक्के, नारीयल, मिर्ची, चावल, तावीज, कबर की मिट्टी, कपडा, अंडे, घोडे की नाल, इमाम जामीन वगैरा लगना, ठोकना, लटकाना, खाना, पिना, दबाना, छुपाना, गाढना इस नियत से के ये शैतान को दुर करेंगे, खौर व बरकत लाएंगे, हमारी हिफाजत करेंगे वगैरा तमामा शिर्क है क्युं के ये चिज़े गैरुल्लाह है और घर में हिफाजत और खैर व बरकत अल्लाह देता है गैरुल्लाह नही।

२२. हजरत अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहा ताकतवर मोमीन कमजोर मोमीन से बहेतर और पसंदीदा है अलबत्ता दोनो में अच्छाई मौजुद है। जो चिज तुम्हे फायदा पहोचा सकती है उसे हासील करने की कोशीश करो और अल्लाह तआला से मदत मांगो और बेबस हो कर ना बैठो। और अगर तुम्हे कोई नुकसान पहोच जाए तो ये मत कहो **अगर मै इस तरहा कर लेता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता,** बल्की युं कहो **''अल्लाह तआला की तकदीर युंही थी और उस ने जो चाहा कर दिया''**, याद रखो! ''अगर'' ये लफ्ज शैतान की दखलअंदाजी का दरवाजा

खोल देता है। (**सहीह** मुस्लीम, किताब-३३, हदीस-६४४१, उर्दु-६७७४, ६९४५) - **पता चला के अल्लाह की तकदीर पर राजी रहेना चाहिए।**

२३. ऐसे कलीमात को पढना जो गैरुल्लाह को खुश करने के लिए होते है जैसे जिन और शैतान को खुश करने के लिए कुछ दुआए होती है ये तमाम शिर्क है।

२४. गैरुल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करना और नियाज करना शिर्क है क्युं के ये उन की इबादत करने जैसा है।

२५. जिनो और शैतानो को खुश करने के लिए बली (कुर्बानी) देना, अंडा उतारना शिर्क है।

२६. अल्लाह के अलावा दुसरो को (गैरुल्लाह को) खुश करने की नियत से इसाले सवाब करना या नियाज वगैरा करना।

२७. अल्लाह के अलावा किसी से मन्नत मांगना शिर्क है।

२८. गैरुल्लाह को गौसुल आजम (बडा मदत करने वाला), गरीब नवाज, बंदा नवाज, दाता कहना शिर्क है। क्युंके अल्लाही ही बडा मदत करने वाला है, अल्लाह ही गरीबो को और बंदो को नवाजने वाला है।

२९. **वंदे मातरम** (मै दुआ करता हुँ/झुकता हुँ माँ) और **नमस्कार या नमस्ते** (किसी के आगे झुक कर सलाम करना) कहना शिर्क है। क्युंके हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुक नही सकते।

३०. कुरआन से मदत मांगना शिर्क है क्युंके कुरआन गैरुल्लाह है। कुरआन को पढ कर अल्लाह से मदत मागना चाहिए।

३१. अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगना या पनाह (हिफाजत में जाना) मांगना शिर्क है।

३२. हम सुरे फातेहा (अल्हद का सुरा) में इस तरहा गवाही देते है की" ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते है और तुझ ही से मदत मांगते है"। अब बताईये मदत किस से मांगना चाहिए? अल्लाह से या गैरुल्लाह से?

३३. जो हस्तीया इंतेकाल कर गई है उन को पुकारना (दुआ), उन से मदत मांगना शिर्क है। जैसे - या गौस अल-मदद, या अली अल-मदद वगैरा। या बात और है के वो मदत कर सकते है या नही लेकीन उन को मदत के लिए पुकारना शिर्क है।

३४. अल्लाह तआला हमारे दुआ कही से भी सुनता है। अगर कोई ये कहे या दिल मे ऐसा खयाल रखे के फला फला वली मेरी पुकार कही से भी सुन लेते है तो उस ने अल्लाह के समाअत के (सुन्ने के) हक को अल्लाह के साथ मिला दिया लेहाजा उस ने शिर्क किया।

३५. दरगाह या मकबरे या आसतानो पर या कबरो पर, ताजीयो पर जाना, इन से मांगना, इन पर तवाफ करना, इन के लिए कुर्बानी करना, इन के खुश करने की नियत से नियाज बनाना, इन से मन्नत मांगना वगैरा सब शिर्क है।

३६. जादु का करना कुफ्र है और शिर्क तक लेजाता है।

३७. फाल खोलना शिर्क है।

३८. बुरी नजर या बिमारी से बचने के लिए या इलाज के लिए तावीज पहेन्ना शिर्क है। क्युं के तावीज गैरुल्लाह है और बुरी नजर और बिमारी से बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है गैरुल्लाह नही।

३९. बंदो से ऐसी मोहब्बत करना जो अल्लाह से करने का हक है या बंदो से ऐसा डरना जो अल्लाह से डर ने का हक है शिर्क है।

४०. खुद को या बच्चे को काला टिका या कुछ निशान लगाना इस नियत से लगाना के ये टिका उस को बुरी नजर से बचाएगा शिर्क है।

४१. सुरज या चांद या सितारो के आने जाने में तासीरात है ऐसा समझना शिर्क है। मिसाल के तौर पे - जुमे के दिन नए कपडे पहेन्ना, अकरब के दिन शादी नही करना, असर के बाद ही शादी करना, शादी का दिन भी जुमा ही लेना, जुमा के अलावा दुसरे दिनो को बदशगुनी समझना, फला काम करना है तो इसी दिन करना, अबजत देख कर नाम रखना वगैरा।

४२. हदीसे पाक है - किसी ने बदशगुनी ली और बदशगुनी ने किसी उसे अमल से रोक दिया तो उस ने शिर्क किया। मिसाल के तौर पे - बिल्ली चले गए अब हम आगे नही जा सकते, टॉवेल गिरा तो महेमान आएंगे, कंव्वा चिल्लाया तो ये होता, घर के अंदर झाड लगाए तो रिश्ते नही आते, दुध खाकर गए तो जॉब मिल

जाती, सफेद चिज खाए तो दिवाला निकल जाता, चप्पल उलटी हो गई तो तकदीर पलट जाती, झाडु से कचरा निकालने से तकदीर बदल जाती है, झाडु घुमा दी जाए तो अच्छे से अच्छा शैतान निकल जाता है, वगैरा-वगैरा।

४३. बुखारी की हदीस है के, दिखावा करना शिर्क है। नमाज, रोजा, जकात, सदका, हज वगैरा इबादते दिखावे के लिए करना के लोगो में धाक जमेगी, लोग नाम लेंगे, पहेचान बढेगी ये सोच कर दिखावे की इबादत करना शिर्क है।
४४. गैब की बाते मालुम करने की कोशिश करना या मालुम होने का दावा करना शिर्क है। मिसाल के तौर पे- किसी बाबा के पास जा कर तकदीर के बारे में या कल क्या होगा ये मालुम करना।
४५. नमाज को छोडना कुफ्र है और शिर्क भी है।
४६. दोस्ती के बँड (फ्रेंडशीप बँड) ये समझ के बांधना के ये दोस्ती कायम रखेंगी शिर्क है। क्युंके दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह की तरफ से होती है।
४७. हाथ में मुख्तलीफ बँड, धागे, कडे पहेन्ना के ये दोस्ती के लिए है, ये सुकुन के लिए है, ये शो के लिए है, ये भाई बहन के रिश्ते के लिए है, ये मोहब्बत के लिए है शिर्क है। दोस्ती, मोहब्बत, रिश्ता वगैरा ये अल्लाह के हुकूम से होते है ना के इन चिजो की वजह से।
४८. अंगुठी इस नियत से पहेन्ना के मोहब्बत पैदा कर सकती है, हिफाजत कर सकती है शिर्क है। अंगुठी पहेन्ना सुन्नत है लेकीन नियत सवाब की ही होनी चाहिए।
४९. टुटते सितारो से दुआ मांगना शिर्क है। जब शैतान फरीश्तो की बाते सुन्ने के लिए उपर जाते है तो फरीश्ते उसे तारा फेक कर मारते है।
५०. गिरती पलक के बाल से दुआ मांगना शिर्क है।
५१. zodiac science (राशी चक्र विज्ञान) शिर्क है। आज ये मत करो, आज दान करो, आज बाहर मत जाओ, आज काला रंग मत पहेनो, आज आप को ये मिलेगा वो मिलेगा वगैरा-वगैरा।
५२. मुशरीको (हिंदू और दिगर) के इदो को मनाना और उन्हे मुबारकबाद देना शिर्क है। मुशरीक इद उन के माबुदो को खुश करने के लिए मनाते है।
५३. हाथो की उंगलीयो के लकीरे पढना, पढाना और उस पर यकीन रखना शिर्क है।
५४. तोतो से तकदीर जानना।
५५. पेन पर फुका कर लाना, कितोबो पर फुका कर लाना इस नियत से के पेपर अच्छे जाएंगे, याद जल्दी होगा शिर्क है।
५६. एस.एम.एस., झेरॉक्स, व्हॉटस-अप, हाईक, लाईन, फेसबुक या कोई भी मिडीया पर आता है के आप ने इस खबर को इतने लोगो को बाटे तो आप को ये सवाब मिलेगा या नही बांटे तो ये नुकसान होगा... तो इस चिज पर भरोसा कर के उस पर अमल करना शिर्क है।
५७. तकदीर का हाल मालुम करना, किसी सॉफ्टवेअर के जरीए, या पेशानी पढ कर, या हाथ पढ कर या किसी दुसरे तरीके से शिर्क है।
५८. मुशरीको को उन के त्योहार के लिए वर्गणी (पैसे) देना शिर्क है।
५९. ये सोचना के मै ऐसा करता तो ये हो जाता, मैं वहा नही जाता तो बच जाता, इस चिज की नाट लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाते तो बच जाता वगैरा-वगैरा ऐसा सोचना भी शिर्क है। क्युंके कोई भी अच्छी और बुरी चिज, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है तुम्हारे अमल में नही है।
६०. सुरज ग्रहन या चंद ग्रहन की वजह से प्रेगनंट औरत के हमल को नुकसान होता है ये सोचना शिर्क है।

कुफ्र :

१. कुफ्र का मतलब है "इन्कार करने वाला"। इस्लाम के मुताबीक कुफ्र की तारीफ इस तरहा है "हक का इन्कार करने वाला, दिने इस्लाम का इन्कार करने वाला, कुरआन और सुन्नत का इन्कार करने वाला, नबीयो (अंबीया) की दावत का इन्कार करने वाला।"
२. कुफ्र करने वाले को काफीर कहते है।

३. अल्लाह तआला और उस के रसुल के किसीभी हुकम का (कुरआन व हदीस का) इंकार करना कुफ्र है चाहे अंजाने मे हो या जानबुछ कर।
४. जो बात इस्लाम मे हलाल/जायज़ है उसे नाजायज़/हराम कहना या जो बात इस्लाम मे नाजायज़/हराम है उसे हलाल/जायज़ कहना या समझना कुफ्र है।
५. मायुसी और नाउमीदी कुफ्र है।
६. शोहर की नाफरमानी एक तरहा का कुफ्र है।

बिदअत क्या है?

बिदअत का मतलब है दिन में (ना के दुनिया में) नया काम शुरू करना जो आप (ﷺ) के दौरे मुबारक के बाद शुरू हुआ। ऐसा काम करना जिन्हे करने का हुकुम रसुलुल्लाह (ﷺ) ने हमे नही दिया और जिन की असल दिन में मौजुद नही है वो काम बिदअत कहलाता है। सुन्नत तरीके को छोड कर नए तरीके अपना लेना बिदअत है।

<u>मिसाल के तौर पे</u> - फातेहाख्वानी, कुरआनख्वानी, ईदे मिलाद मनाना, कुंडे की ईद, शबे मेअराज की इबादते, आजान के पहेले दुरूद शरीफ पढना, किसी खास दिन और खास वक्त में (यानी जुमे के दिन, फजर के बाद) एक साथ खडे हो कर सलातो सलाम पढना, दुरूदख्वानी करना, खाना खिलाने का वक्त मुकर्रर करना (जैसे तिजा, दसवा, बिसवा, तिसवा, चालिसवा, सालाना), नमाज के पहेले मुंह से नियत पढना, वजु के बाद उंगली आस्मान की तरफ उठा कर कलमा शहादत पढना (सिर्फ कलमा शहादत पढना साबीत है), कबर पर आजान देना, कबर पर उंगली गाढकर कर सुरे बकरा की आयते पढना वगैरा वगैरा............और भी बेशुमार बिदअते आज माशरे मे नजर आती है। हमे दिन का इल्म ना होने की वजह से हम इन बिदअतो को सवाब समझ कर कर लेते है और जो लोग दिन की मालुमात रखते है वो अगर मना करे तो उन की नही सुनते सिर्फ ये सोच कर के वो फला फिरके का है।

किसी को बिदअत के बारे मे समझाया जाए तो कहते है के, हम ने कर लिया तो क्या हुआ सवाब का तो काम है। तो इन लोगो से पुछीये के क्या आप जनाज़े की नमाज की आज़ान दे सकते है? क्या आप फजर की नमाज २ रकात की बजाए ४ रकात पढ सकते है? क्या आप नमाज में अत्तहियात की जगह पर सुरे फाते पढ सकते है। आप कहेंगे के नही ये तो साबीत नही है तो हमारा भी यही कहना है के ये चिजे जो अप कर रहे है ये साबीत नही है। जो चिज साबीत नही है वो करना अल्लाह के और अल्लाह के रसुल के हुकम की नाफरमानी करना है, अल्लाह के कानुन (शरीयत) की खिलाफवर्जी है। ये बिदअते सवाब नजर आती है, नेक काम नजर आती है लेकीन ये अल्लाह के बनाए हुए कानुन के खिलाफ बगावत है जो इंसान की आखेरत खराब कर देगी।

<u>आईये हम कुरआन और हदीस की रौशनी में बिदअत के बारे में समझते हैं:</u>

१. हर नया काम बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहान्नुम मे ले जाएगी (**Sahih** Muslim,Hadith-८६७&Sunan Nasai-Hadith १५७९ - **ये हदीस सहीह है**)
२. और जो नबी-ए-पाक तुम्हे दे वो लो और जिस से रोक दे रुके रहो (सुरे हशर (५९),आयत-७)।
३. ऐ लोगो इस पर चलो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा इसे छोड कर और हाकीमो के पिछे ना जाओ बहोत ही कम समझते हो (Surah airaf(७), ayat-३)
४. आज मै ने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया, और तुम पर अपनी न्यामत को पुरा कर दिया और तुम्हारे लिए दिने इस्लाम को पसंद किया। (सुरा मैदाह (५), आयत-३)। **पता चला के रसुलुल्लाह (ﷺ) के हयाते मुबारका में अल्लाह ने दिन को मुकम्मल कर दिया, इस के बाद अल्लाह ने बनाई हुई शरीयत को कोई बदल नही सकता। रसुलुल्लाह (ﷺ) के दुनिया से जाने के बाद जो भी काम दिन में नया होगा वो बिदअत कहलाएगा।**

५. हजरत अब्दुल्लाह-बिन-मसुद (रजि) बयान करते है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने एक सिधी लकीर खिंच कर फरमाया, ये अल्लाह तआला का रस्ता है। फिर आप ने दाए और बाए चंद लकीरे खिंच कर फरमाया, ये बहोत से रास्ते जो है इन में से हर एक रास्ते पर शैतान बैठा है, जो अपनी तरफ दावत देता है और आप (ﷺ) ये आयत तिलावत फरमाई - ''और ये के ये है मेरा सिधा रास्ता तो इस रास्ते पर चलो, और राहे ना चलो के तुम्हे इस की राह से जुदा कर देगी.....'' (सुरे अनम (६), आयत-१५३)

६. हदीसे कुदसी है "सब से बहेतरीन किताब अल्लाह की है और सब से बहेतरीन तरीका नबी-ए-पाक (ﷺ) का है और सब से बद-तरीन तरीका बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है (**Sahih** Muslim , book४ , hadith १८८५)

७. नबी-ए-पाक (ﷺ) ने फरमाया "लोगो दिन पे ज्यादा जोर ना दो, ज्यादा सवाल ना करो के तुमसे पहेले लोग भी इसी वजाह से तबाह हुए, सो जो मैं तुम्हे कहुं वो करो और जिस से रोकु रुके रहो और उतना ही करो जितना मै ने कहा।"(**Sahih** bukhari, Volume ९, Book ९२, Number ३९१)

८. और जो शख्स अल्लाह और उस के रसुल (ﷺ) की ना-फरमानी करे और उस की मुकर्रर हदो से आगे निकले उसे वो जहान्नुम मे डाल देगा जिस में वो हमेशा रहेगा ऐसो ही के लिए रुस्वाकुन अजाब है (सुरे निसा (४), आयत-१४)

९. अपने दिन के बारे में हद से ना गुजर जाओ................ (सुरे निसा(४), आयत-१७१)

१०. हजरत आयशा (रजि) से रिवायत है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया की जिस ने हमारे इस दिन मे कुछ ऐसी बात शामील की जो उस में से नई है तो वो मरदुद (रद्द) है। (**Sahih** al bukhari-२६९७, Sahih Muslim-१७१८)

११. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया की मेरी सुन्नत और खुलफा राशिदीन की सुन्नत को दांतो की मजबुती से पकडे रहेना और हर नयी चिज जो दिन मे निकाली जाए उस से बचना क्युंकी हर नई चिज गुमराही है।[Musnad Ahmad (४/१२६) and at-Tirmidhee (२६७६) **-ये हदीस सहीह है**

१२. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया की जब भी कभी एक रसुल भेजा जाता था तो उस के कुछ हवारी और सहाबा होते थे, वो सहाबी, अपने नबी की सुन्नतो को मजबुती से पकड लेते थे और उसी पर जामे रहते थे। फिर हमेशा ऐसा हुआ है की उन के बाद कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जो वो कहते थे करते ना थे, और करते वो थे जिस का हुकूम भी नही हुआ था। तो सुन लो जो उन से जिहाद करेगा अपने हाथो से, अपने जुबान से, अपने दिल से वो मोमीन होगा, और इस के बाद इमान तो राई के दाने के बराबर भी नही है। (**Sahih** Muslim,The Book of Faith (Kitab Al-Iman) [Book-००१: hadees-००८१] **पता चला के बिदअत करने वाले को हाथ से रोको, ये ना कर सको तो जबान से रोको, ये ना कर सको तो दिल में इस चिज़ को बुरा जानो लेकीन दिल में बिदअत को बुरा जान्नेवाला सब से कम इमानवाला है।**

१३. अगर कोई शख्स बिदअत इजाद करता है तो वो जिम्मेदार होगा इस के लिए। अगर कोई शख्स बिदअत इजाद करता है या किसी बिदअती को पनाह देता है, तो उस पर अल्लाह, उस के फरीश्तो और सारे लोगो की लानत होती है। (Sunan of Abu-Dawood Hadith ४५१५) **-ये हदीस सहीह है**

१४. हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया लोगो के इस तलबियाह और तस्बीह छोड देने पर ताज्जुब है। मेरे नजदीक तकबीर अच्छी चिज है, लेकीन शैतान इंसान के पास गुनाह के दरवाजे से आता है, जब वो इस से बच जाए तो उस के पास नेकी के दरवाजे से आता है ताके वो सुन्नत को छोड कर बिदअत को अपना ले। (MUSNAD ISHAAQ BIN RAWAIYAH, HADITH ४८२ .)

शैतान ने अल्लाह तआला से वादा किया है के वो बिदअत को सुन्नत और अच्छा काम बता कर पेश करेगा और लोगो को बहेकाएगा। शैतान के बहेकावे में आ कर लोग बिदअत को अच्छा काम समझ कर करते है, और इस गुनाह को सवाब समझने वालो के लिए माफी मांगने का कोई तसव्वुर भी नही होता।

बिदअत के बारे मे बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का गलत अकिदा:

१. बिदअत की ३ बडी किसमे है :

- ऐसा नया काम शुरू किया गया जो इस्लामी अकिदे के खिलाफ है, या बुरा अमल है जो कुरआन और हदीस खिलाफ है उसे **बिदअते सैय्येआ (बुरी बिदअत)** का नाम दिया है। जो बिदअते सैय्येआ करेगा उसे गुनाह मिलेगा।
- अगर वो काम ऐसा है के पहेले तो नही था लेकीन दिने इस्लाम की तरक्की का सबब बन रहा है, अल्लाह के करीब करने का सबब बन रहा है, लोगो को गुनाहो से दुर करने का सबब बन रहा है, उसे **बिदअते हसना (अच्छी बिदअत)** कहते है। जैसे - मस्जीदो को पक्का करना, मदरसो मे तालीम का तरीका वगैरा। इस तरहा की बिदआत करना गुनाह मे शामील नही है। जो अच्छी बिदअत करेगा उसे सवाब मिलेगा।
- अगर ऐसा काम है जिस मे ना दिन का फायदा है ना दुनिया का और ना कुरआन और हदीस के खिलाफ है उसे **बिदत-ए-मुबाहा** कहते है। मिसाल के तौर पे - दुनिया के जितने भी इजादात (invention) सब बिदत-ए-मुबाहा है। जैसे माईक, वायर, गाडी, रेल वगैरा।

२. हजरत उमर (रजि) ने कहा था के "ये एक अच्छी बिदअत है"।

बरीलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा गलत है :

१. नबी-ए-करीम (ﷺ) ने हमे बता दिया है के "हर बिदअत गुमराही है" तो अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत का क्या मतलब। क्या हम ऐसा कह सकते के "अच्छी शराब और बुरी शराब या अच्छा नाले का पानी या बुरा नाले का पानी"। भाई जब शराब हराम है तो उस में अच्छी और बुरी का क्या मतलब? बिदअत करने वालो को बिदअत करना है इसलिए उस की अलग अलग किस्में बना दिए गए और मासुम लोगो को गुमराह किया गया।

२. दुनिया में चाहे जितने नए काम कर ले वो दिन का हिस्सा नही है। बरेलवी हजरात दुनियावी बातो को बिदअत के तौर पर बता कर लोगो को गुमराह करते है। जैसा के, घडी पहेन्ना बिदअत है क्युं के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने घडी नही पहेनी थी। अब आप बताईये घडी क्या इस्लाम का कोई कानुन है? क्या घडी पहेन्ने और ना पहेन्ने से इमान मे कोई फरक पडता है? क्या घडी पहेन्ने का कोई सवाब है?

३. बरेलवी हजरात के पास दो ही हदीसे है जिन से वो अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत साबीत करने की कोशिश करते है। तो दोनो हदीसो की क्या हकीकत है देखीए -

(१) बरेलवी हजरात एक हदीस को पेश करते है *"अब्दुर रहेमान बिन-अब्दुल कारी (रज़ि) कहते है की मैं एक बार रमजान की रात उमर (रज़ि) के साथ मस्जीद आया और पाया की लोग अलग अलग जमाअत में पढ रहे है। एक आदमी अकेले पढ रहा है और एक आदमी छोटे से जमाअत में उस के पिछे पढ रहा है। तो उमर (रजि) ने कहा के मेरे राय में ये बहेतर होगा की एक कारी की इमामत में सब को जमा कर दो। तो उन्हो ने सब को उबई-बिन-काब के पिछे जमा करने का अपना मन बनाया। फिर दुसरी रात मैंने उन के साथ फिर गया और (देखा की) लोग किरात करने वाले के पिछे पढ रहे है। और इस पर उमर (रजि) ने कहा "ये एक अच्छी बिदअत है"* (**Sahih** al-Bukhari, hadith- २०१०)

आईये देखीए के इस हदीस की हकीकत क्या है...........

ये बिदअत लुघवी है शरई नही है। रसुलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हयाते तय्येबा में जमाअत से ३ दिन तरावीह की नमाज पढाई थी (Sahih Bukhari, Vol ३, hadith २०१२) तो ये बिदअत कैसे हुई। उमर (रजि) ने उस मरी हुई सुन्नत को जिंदा किया था ना के दिन में कोई नया काम इजाद किया था। **बिदअत उस चिज को कहते है जिस की अस्ल दिन में मौजुद ना हो।** इस हदीस से ये भी पता चला के अगर कोई मुरदा सुन्नत को जिंदा करता है तो उसे अच्छी बिदअत कहा जा सकता है।

(२) बरेलवी हजरात दुसरी हदीस को पेश करते है *"जिस ने हमारे दिन मे इस्लाम मे कोई अच्छा तरीका जारी किया तो उस को उसका अजर मिलेगा और जितने लोग उस पर कयामत तक अमल करते रहेंगे सब का सवाब इस को मिलेगा।"*

आईये देखीए के इस हदीस की हकीकत क्या है...........

<u>हदीस इस तरहा है</u> : मुनधीर-बिन-जरीर रिवायत करते है अपने वालीद से, उन्हो ने कहा की हम रसुलुल्लाह (ﷺ) के पास दिन के पहेले हिस्से में थे (यानी सुब्हा सवेरे बैठे हुए थे)। वो कहते है के आप (ﷺ) के पास कुछ लोग नंगे पाव, नंगे बदन, फटे हुए उनी चादरे या सोब पहने हुए तलवारे लटकाए हुए आए। उन की अकसरीयत मुदार कबीले से थी बल्की वो सब के सब मुदार कबीले से ही थे। उन के गरीबी को देख कर रसुलुल्लाह (ﷺ) का चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। आप (ﷺ) अंदर तशरीफ ले गए फिर बाहर आए और बिलाल (रज़ि) को इरशाद फरमाया। उन्हो ने आजान दी और इकामत कही। आप (ﷺ) ने नमाज पढी और फीर खिताब फरमाया। फरमाया ऐ लोगो अपने उस रब का तकवा इख्तीयार करो जिस ने तुम्हे एक जान से पैदा किया और उस का जोडा बनाया और फिर उन दोनो में से मर्दो और औरतो को बकसरत फैला दिया और अल्लाह से डरो जिस के नाम का वासता दे कर तुम एक दुसरे से मांगते हो और रहमो के (तकाजो का) भी खयाल रखो। यकीनन अल्लाह तुम पर निगरान है। और सुरे-हशर की आयत तिलावत फरमाई।

इस पर एक शख्स अपने दिनार से सदका करता है, अपने दिरहम से, अपने कपडे से, अपने गंदुम के सा से, अपने खजुर के सा से, यहा तक के फरमाया ख्वा खजुर के तुकडे से। रावी कहते है की अन्सार में से एक शख्स एक छोटी सी थैली ले कर आया, करीब था की इस के हथेलीया इस से आजीज़ आ जाते बल्की वो आजीज़ थे। रावी कहते है की फिर लोग पे लोग आने लगे यहा तक के मै नें रसुलुल्लाह (ﷺ) का चेहरा मुबारक दमकता हुआ देखा गोया की वो सोने का एक तुकडा है। **''रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया जिस ने इस्लाम में अच्छी सुन्नत (precedent, मिसाल) कायम की उस को उस का अजर और उन का अजर भी जो उस के बाद उस पर अमल करे बगैर इसके की उन के अजर में से कुछ कम किया जाए। और जिस ने इस्लाम में बुरा तरीका (बुरी मिसाल) कायम किया उस पर उस का बोझ होगा और उन का बोझ जिन्हो नें उस के बाद उस पर अमल किया बगैर इस के की उन के बोझ में से कुछ कम किया जाए''। (Sahih** Muslim, Hadith २२१९)

इस हदीस के आखरी के अल्फाज इस तरहा है..................

" مَنْ سَنَّ فِي

الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي

الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ " .

उपर देख कर पचा चलता है के इस हदीस में से **सुन्नतन हसनतन** लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना के **बिदअतन हसनतन।** बरेलवी हजरात ने इस को लफ्ज **सुन्नत** को बदल कर **बिदअत** कर दिया है (जो के आप साफ तौर से उपर उरबी में देख सकते है) इस तरहा कर के ये लोग खुद भी गुमराह हो गए है और लोगो को भी गुमराह कर रहे है।

३. अनस-बिन-मालीक (रज़ि) फरमाते है के रसुलुल्लाह (ﷺ) की इबादत के बारे में पुछने के लिए ३ शख्स आयशा (रजि) के पास आए, जब उन लोगो को रसुलुल्लाह (ﷺ) की इबादत का तरीका बताया गया तो उन्हो ने आप (ﷺ) इबादत को थोडी समझी और कहा, हमारा रसुलुल्लाह (ﷺ) से क्या मुकाबला?, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिये है। उन में से एक ने कहा मै हमेशा रात भर नमाज पढता रहुंगा। दुसरे ने कहा मै हमेशा रोजा रखा करुंगा। तिसरे ने कहा की मैं औरतो से दुर रहुंगा, मै निकाह

नही करूंगा। उन मे ये गुफ्तगु हो रही थी के रसुलुल्लाह (ﷺ) आए और फरमाया, क्या तुम लोगो ने ये बात कही है? गौर से सुनो, अल्लाह की कसम मैं तुम में सब से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हुँ और तुम में सब से ज्यादा तकवा इख्तीयार करने वाला हुँ, लेकीन मैं रोजा रखता हुँ और नही भी रखता, रात को नमाज पढता हुँ और सोता भी हुँ (नही भी पढता) और औरतो से निकाह भी करता हुँ, तो सुन लो यही मेरा तरीका (सुन्नत) है जिस ने मेरे तरीके (सुन्नत) से हटकर किया वो मुझ में से नही है (**Sahih** al-Bukhari ५०६३)

पता चला के रसुलुल्लाह (ﷺ) के तरीके से हट कर करना कितनी बुरी बात है चाहे वो अच्छा काम क्यु ना हो ।

बिदअत कर लिए तो क्या हुआ:

कुछ लोग कहते है के, हम ने ये काम (बिदअत) कर लिए तो क्या हुआ? नेक काम ही तो है। तो ऐसे लोगो के लिए कुरआन में एक आयत है-

सुरे नुर (२४) की आयत नं.६३ में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है के, रसुल के पुकारने को आपस में ऐसा ना ठहरा लो जैसा तुम में एक दुसरे को पुकारता है, बेशक अल्लाह जानता है जो तुम में चुपके निकल जाते है किसी चिज़ की आड ले कर तो डरे जो रसुल के खिलाफ करते है के इन्हे कोई फितना पहोंचे या इन पर दर्दनाक अज़ाब पडे।

तो पता चला के अगर कोई शख्स जानबुछकर बिदअत को नेकी समझ कर करता है तो अल्लाह तआला उस को अज़ाब और फितने में मुबतेला कर देता है।

शिर्क और बिदअत करने वाले की सज़ा

१. "(कयामत के दिन) फिर मेरे पैरोकारो को दाए (जन्नत की) तरफ ले जाया जाएगा, लेकीन बाज़ को बाए (यानी जहान्नम की) तरफ घसीटा जाएगा। मै कहुंगा 'ऐ मेरे रब! मेरे उम्मती!', लेकीन मुझे (अल्लाह तआला की तरफ से) बताया जाएगा के '(ऐ नबी) आप नही जानते उन्हो ने आप के बाद क्या किया, जब आप इनसे जुदा हुए तो ये इस्लाम से फिर गए थे'। मैं उस वक्त वही कहुंगा जो (अल्लाह के) नेक बंदे ईसा-इब्ने-मरीयम ने कहा था के 'मैं इन पर गवाह रहा जब तक इन में मौजुद रहा। फिर जब तु ने मुझको उठा लिया तो तु ही इन पर निगरान रहा। और तु हर चिज से खबरदार है"। (**सहीह** बुखारी-३४४७)

२. हजरत अबु हुरेरा (रजि) कहते है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, हर नबी के लिए एक दुआ ऐसी है जो जरूर कबुल होती है, तमाम अंबिया ने वो दुआ दुनिया में ही मांग ली, लेकीन मैं ने अपने दुआ कयामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महेफुज कर रखी है। मेरी शफाअत इन्शाअल्लाह हर उस शख्स के लिए होगी जो इस हाल में मरा के उस ने किसी को अल्लाह तआला के साथ शरीक नही किया। (**सहीह** मुस्लीम, किताबुल इमान, हदीस-३९९)

३. हुजुर (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के, अल्लाह तआला कयामत के दिन इसी तरहा जैसे हम दुनिया में जमा होते है, मोमीनो को इखट्टा करेगा (वो गरमी वगैरा से परेशान हो कर) कहेंगे काश हम किसी की सिफारीश अपने मालीक के पास ले जाते ताके हमें अपनी इस हालत पे आराम मिलता. चुनांचे सब मिल कर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, इन से कहेंगे आदम ! आप लोगो का हाल नही देखते किस बला में गिरफ्तार है? आप को अल्लाह तआला ने (खास) अपने हाथ से बनाया और फरीश्तो से आप को सजदा कराया और हर चिज के नाम आप को बताए, कुछ सिफारीश किजीए ताके हम लोगो को इस जगह से नजात हो कर आराम मिले। कहेंगे मैं इस लायक नही, इन को वो गुनाह याद आ जाएगा जो इन्हो ने किया था (ममनु दरख्त में से खाना) मगर तुम लोग ऐसा करो नुह अलैहिस्सलाम पैगंबर के पास जाओ, वो पहेले पैगंबर है जिन्हे अल्लाह तआला ने जमीन वालो की तरफ भेजा था। आखीर वो लोग सब नुह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी यही जवाब देंगे, मैं इस लायक नही, अपनी खता जो इन्हो ने की थी याद करेंगे। कहेंगे तुम लोग ऐसा करो इब्राहीम पैगंबर के पास जाओ जो अल्लाह के खलील है (इन के पास जाएंगे) वो भी अपनी खताए याद कर के कहेंगे मै इस लायक नही तुम मुसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ अल्लाह ने

इन को तौरात इनायत फरमाई, इन से बोल कर बातें की। ये लोग मुसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे वो भी वो भी यही कहेंगे मैं इस लायक नही, अपनी खता जो इन्हो ने दुनिया में की थी याद करेंगे। मगर तुम ऐसा करो ईसा पैगंबर के पास जाओ वो अल्लाह के बंदे है। ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे वो कहेंगे मैं इस लायक नही, तुम ऐसा करो मुंहम्मद (ﷺ) के पास जाओ वो अल्लाह के ऐसे बंदे है जिन की अगली पिछली खताए सब बख्श दी गई है। आखीर ये सब लोग जमा हो कर मेरे पास आएंगे। मैं जाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में हाजीर होने की इजाज़त मांगुंगा। उस वक्त मैं अल्लाह की बारगाह मे सजदा करूंगा और अल्लाह कहेगा के "ऐ मोहंमद (ﷺ) अपना सर उठीईये और मांगीये आप को अता किया जाएंगा, आप शफाअत करे आप की शफाअत कुबुल की जाएगी"। मैं अल्लाह की तारीफे करूंगा जो वो मुझे सिखा चुका है। फिर लोगो की शफाअत शुरू कर दी जाएगी। शफाअत की एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी, इन लोगो को मैं जन्नत में दाखील करूंगा। मैं फिर वापस लौट कर परवरदिगार के पास हाजीर होऊंगा और सजदे में जाऊंगा, अल्लाह जब तक चाहेगा मैं सजदे में रहुंगा। फिर अल्लाह कहेगा के "ऐ मोहंमद अपना सर उठीईये और मांगीये आप को अता किया जाएंगा, आप शफाअत करे आप की शफाअत कुबुल की जाएगी"। अपना सर उठीईये और मांगीये आप को अता किया जाएंगा, आप शफाअत करे आप की शफाअत कुबुल की जाएगी"। मैं अल्लाह की तारीफे करुंगा जो अल्लाह ने मुझे सिखाई है। शफाअत की एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी, इन लोगो को मैं जन्नत में दाखील करुंगा। मैं फिर वापस लौट कर परवरदिगार के पास हाजीर होऊंगा और सजदे में जाऊंगा, अल्लाह जब तक चाहेगा मैं सजदे में रहुंगा। फिर अल्लाह कहेगा के "ऐ मोहंमद अपना सर उठीईये और मांगीये आप को अता किया जाएंगा, आप शफाअत करे आप की शफाअत कुबुल की जाएगी"। मैं अल्लाह की तारीफे करुंगा जो अल्लाह ने उन्हे सिखाई है। शफाअत की एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी, इन लोगो को मैं जन्नत में दाखील करुंगा। मैं फिर वापस लौट कर परवरदिगार के पास हाजीर होंगे और अब कहुंगा, ’’या पाक परवरदिगार अब तो दोजख में ऐसे ही लोग रह गए है जिन्हे कुरआन ने रोक लिया (यानी काफीर और मुशरीक)। अनस (रजि) ने कहा के हुजुर (ﷺ) फरमाते है, दोजख से वो लोग निकाल लिए जाएंगे जिन्हो ने दुनिया में ला-इलाहा-इललल्लाह कहा होगा। और जिन के दिल में जौ बराबर भी इमान होगा वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे। फिर वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे जिन्हो ने ला-इलाहा-इललल्लाह कहा होगा और इन के दिल में गेहु बराबर इमान होगा। फिर वो भी निकाल लिए जाएंगे जिन्हो ने ला-इलाहा-इललल्लाह कहा होगा जिन के दिल में चुंटी (मुंगी) बराबर इमान होगा। (**सहीह** बुखारी-७४१०)

४. अल्लाह शिर्क करने वाले को कभी माफ नही करेगा (सुरे निसा(४), आयत-४८ और ११६)। **शिर्क के अलावा जो गुन्हा किए गए है अल्लाह चाहे तो उसे मार्फ कर दे या थोडी सजा दे कर जन्नत में डाल दे लेकीन शिर्क करने वाला हमेशा के लिए जहान्नम मे रहेगा।**
५. जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करे, अल्लाह ने उन पर जन्नत को हराम करार दिया है और उस का ठिकाणा आग है और इन जालीमो के लिए कोई मददगार नही (सुरे अल-मैदाह (५), आयत:७२)
६. जो कोई इस हाल मे मरे की वो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारता हो तो वो जहान्नम मे दाखील होगा (सहीह बुखारी-४४९७, सहीह मुस्लीम-९२)
७. रसुलुल्लाह (ﷺ) हौजे कौसर से अपने उम्मतीयो को पानी पिला रहे होंगे और उन्हे रोक दिया जाएगा, इन को भी नबी (ﷺ) यही समझेंगे के ये तो मेरे फरमाबरदार उम्मती है लेकीन आप (ﷺ) को मुतला किया जाएगा (बताया जाएगा) के ’ऐ नबी (ﷺ) आप नही जानते के इन्हो ने आप के जाने के बाद क्या कुछ किया, इन्हो ने आप के बाद दिन मे (शरीयत में) नयी-नयी चिजे निकाल ली थी’, तो आप (ﷺ) फरमाएंगे "इन के लिए (रहेमत से) दुरी हो! इन के लिए (रहेमत से) दुरी हो! जिन्हो ने मेरे बाद दिन को बदल डाला"[**Sahih** Bukhari, Vol.8, kitab ur-Riqaaq, Hadith- 6584]

तौहिद क्या है?

तौहिद का मतलब होता है के अल्लाह एक है और उस का कोई शरीक नही।
''लाईलाहा ईललल्लाहु मुहंमदुर रसुलुल्लाह'' ये कलमा हमारी तौहीद है, इस कलमे के दो हिस्से है,

*पहेला हिस्सा है **''लाईलाहा ईललल्लाहु''** यानी मैं गवाही देता हुँ के अल्लाह के सिवा कोई माबुद नही।
मतलबः कलमे का जो पहेला हिस्सा है उस के मतलब होते है अल्लाह के अलावा कोई खालीक नही, कोई देने वाला नही, कोई छिनने वाला नही, कोई इबादत के लायक नही, कोई गम या परेशानी दुर करने वाला नही, कोई गम या परेशाने देने वाला नही, कोई रिज़्क देने वाला नही, कोई औलाद देने वाला नही, कोई पैदा करने वाला नही, कोई मारने वाला नही, कोई खिलाने वाला नही......... **यानी कलमे का पहेला हिस्सा ''लाईलाहा ईललल्लाह'' हमे शिर्क करने की इजाज़त नही देता।**

*दुसरे हिस्सा **''मुहंमदुर रसुलुल्लाह''** यानी मुंहमद रसुलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह तआला के रसुल है।
मतलबः कलमे का जो दुसरा हिस्सा है ये हमे बताता है के हम को सिर्फ अल्लाह के रसुल की बात माननी है। जिस तरहा "लाईलाहा ईललल्लाह" का मतलब शिर्क से बचना है उसी तरहा "मुहंमदुर रसुलुल्लाह'' का मतलब है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) के अलावा किसी दुसरे बंदे की इताअत (बात मानना) शिर्क है। .... **यानी कलमे का दुसरा हिस्सा हमे रसुल के अलावा किसी और बंदे की बात मानने की इजाज़त नही देता**

तो कलमा "**लाईलाहा ईललल्लाहु मुहंमदुर रसुलुल्लाह''** से ये पता चला के हम शिर्क नही कर सकते और हमे सिर्फ रसुलुल्लाह (ﷺ) की ही बात माननी है।

बरेलवी हजरात कलमे के दोनो भी हिस्सो को समझने की कोशिश नही करते और अमल भी नही करते जबके **देवबंदी हजरात** की समझ और अमल कलमे के पहेले हिस्से पर ही है लेकीन पुरी तरहा से नही। **जब तक हम कलमे के दोनो हिस्सो पर अंमल नही करेंगे हम सही मुसलमान नही हो सकते।**

''अल्लाह देता है और नबी बांटते है''इस हदीस का हकीकी मतलब

बरेलवी हजरात के ये मानना है के, अल्लाह ने रसुलुल्लाह (ﷺ) के सुपुर्द हर चिज़ कर दी है और रसुलुल्लाह (ﷺ) हमे वो हर चिज़ बांटते है।

आईये देखते है के बरेलवीयो का ये दावा किस तरहा गलत है -
हदीस शरीफ :
मावीया (रजि) बयान करते है के, मैं ने नबी (ﷺ) को ये फरमाते हुए सुना के, जिस शख्स के साथ अल्लाह तआला भलाई का इरादा करे इसे दिन की समझ इनायत फरमा देता है। और मैं तो महेज तक्सीम करने वाला हुँ। देने वाला तो अल्लाह ही है और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुकुम पर कायम रहेगी और जो शख्स इन की मुखालेफत करेगा, इन्हे नुकसान नही पहोंचा सकेगा, यहा तक के अल्लाह का हुकम (कयामत) आ जाए। (**सहीह** बुखारी, हदीस नं.७१) - **इस हदीस से पता चला के शरीयत को बनाने वाला अल्लाह ही है, नबी (ﷺ) शरीयत बताने है यानी लोगो में दिन तक्सीम करने वाले है। जो इस शरीयत के खिलाफ होगा वो शरीयत का कोई नुकसान नही पहोंचा पाएगा यहा तक के कयामत आ जाएगी।**

जब भी दिन की बात हो तो हम यु कहते है के अल्लाह और उस के रसुल बहेतर जानते है लेकीन जहा तौहीद की बात आती है तो सिर्फ अल्लाह ही का नाम लिया जाता है। **मिसाल के तौर पे -** एक आदमी ने नबी

(ﷺ) से कहा, "वही होगा जो अल्लाह और आप (ﷺ) चाहे तो"। तो आप (ﷺ) ने फरमाया "तुने मुझे अल्लाह तआला का शरीक ठहराया", सिर्फ इतना कहो "वही होगा जो अल्लाह तआला चाहेगा" (Ahmed १/२१४)

जुमा मुबारक कहना बिदअत है

जुमे का दिन दिनो का सरदार है, जुमे का दिन मुस्लमानो की ईद है। लेकीन जुमे का दिन त्योहार के हिसाब से ईद नही है बल्की हुकम और इबादत के ऐतेबार से ईद है। जुमा इबादत के लेहाज से हुकमी ईद है और रमजान ईद और बकरी ईद ये हकीकतन त्योहार है।

जुमा मुबारक कहना सुन्नत और सहाबा सा साबीत नही है, इसलिए जुमा मुबारक कहना बिदअत है, लेकीन रमजान ईद और बकरी ईद की मुबारकबाद देना साबीत है।

इसाले सवाब और फातेहा की हकीकत

इसाले सवाब के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा

इसाले सवाब यानी कुरआने-मुकद्दस की तिलावत, नफली इबादत, कलीमा शरीफ, जिकर-व-वजाईफ, दुरुदो-सलाम, नफली नमाज का सवाब, या बदीन या माली इबादत का सवाब दुसरो को पहोचाना इसाले सवाब कहलाता है।

इसाले सवाब के बारे में बरेलवीयो का अकिदा गलत है :

इसाल का मतलब होता है पहोचाना और **इसाले सवाब** का मतलब होता है **सवाब पहोंचाना**। मरहुम (मरे हुए) की औलाद जो भी नेक अमल करे तो इस का सवाब मरहुम को खुद-ब-खुद पहोच जाता है, इस के लिए फातेहा पढने कोई जरूरत नही है। अपने वालेदैन की तरफ से हज्जे बदल किया तो हज्जे बदल का सवाब उस को भी मिलेगा और उस के वालेदैन को भी मिलेगा। सब से अहम चिज जो मुर्दे को फायदा पहोचा सकती है वो ये है की उस की नेक औलाद उस के लिए दुआ करे, खास तौर पर उनकी मगफीरत (गुनाह की माफी) के लिए और दुसरी दुआए भी।

लेकीन ये जो हमारी सोसायटी मे हो रहा है के घर में किसी की वफात होने पर, खुशी या गम के मौके पर कुरआन ख्वानी की जाती है। जिस मे मोहल्ले के लोग, या रिश्तेदार, या यतीम खाने के बच्चे, या मदरसे के बच्चो को बुलवा कर उन्हे पैसे या खाना खिलवा कर कुरआन पढवाया जाता है और इस का सवाब मरहुमीन को पहोंचाया जाता है। शरीयत ने इसाले सवाब की एक हद रखी है और हम लोग हद से बढ चुके है। कौन इसाले सवाब कर सकता है और कौन नही कर सकता, कौन से आमाल से इसाले सवाब पहोचता है और कौन आमाल से नही पहोचता ये समझने की जरूरत आहे। जो लोग कहते है के इसाले सवाब बिल्कुल नही होता वो गलत है, और जो कहते है के इसाले सवाब किसी को भी कोई भी कर सकता है वो भी गलत है। इस चिज को कुरआन और हदीस की रौशनी मे समझना बहोत जरूरी है जो हम समझाने की कोशीश कर रहे है।

मरहुमीन (मरे हुए लोग) को किन चिजो का सवाब मिलता है?

१. माली इबादत जैसे सदका, खैरात, हज्जे बदल का सवाब मरहुमीन को मिल सकता है।
२. मरहुम के नाम पर सदका-ए-जारीया वाले काम जैसे मस्जीद की तामीर, पानी का कुंआ खुदवा कर पानी देना, दिनी मदरसो की तामीर करवाना या तामीर मे हिस्सा लेना, पेड लगाना जिस के फलो, पत्तो और फुलो और साये का फादा इंसान व परिंदो को मिले, दिनी किताबो की तक्सीम कर के या अपनी जबान से दिन के इल्म को फैलाना, मुसाफीरो को ठहरने के लिए घर बनाना, यतीमो या गरीबो के लिए घर बनाना, नहर जारी करवाना वगैरा।
३. अपनी जिंदगी में कुछ माल सदके के लिए निकाल कर रख देना जायज़ है।

४. किसी के नजर के रोजो (मन्नत के रोजे) बाकी है और वो मर गया तो उस के वारीस उस की तरफ से रोजे रख सकते है।
५. किसी पर कर्ज चुकाना बाकी था लेकीन व मर गया तो उस की तरफ से कोई भी (सिर्फ वारीस ही नही) उस के कर्ज की अदायगी कर सकता है।
६. हज व उमरा उस के वारीस कर सकते है और इस का सवाब मरहुम को मिलता है।
७. मरने वाले ने किसी को पैसे देने का वादा किया था या किसी पर खर्च करने का वादा किया था या कोई काम करने का वादा किया था तो उस की तरफ से खर्च किया जा सकता है और मरहुम के वादे को पुरा किया जा सकता है, तो उसे सवाब मिलेगा।
८. मरहुम की औलाद खर्च करे तो मुरहुम को सवाब मिलता है क्युंके औलाद उस की कमाई में से है।
९. अपने पिछे नेक औलाद छोड गया जो उस के लिए मगफीरत की दुआ करती है। नेक औलाद अपने मा बाप के लिए सब से बडी सवाबे जारीया होती है।
१०. मरहुम के रिश्तेदार, दोस्त, पडोसी वगैरा (जो वारीस नही है) उस के लिए सिर्फ दुआ कर सकते है, इसाले सवाब नही कर सकते है।

मरहुमीन (मरे हुए लोग) को किन चिजो का सवाब नही मिलता?

१. अकसर उलेमा की इस बात पर एक राय है के जिस्मानी इबादत (जैसे नमाज, रोजा वगैरा) के सवाब को किसी मरहुम के लिए इसाले सवाब नही किया जा सकता।
२. नमाज, जिक्र व अजकार, कलमे तय्यबा, दुरूद शरीफ का सवाब मरहुम को नही मिलता।
३. नबी-ए-करीम (ﷺ) ने और सहाबा ने किसी भी फौतशुदा (मरे हुए) को कुरआन पढ कर नही बख्शा यहा तक के एक सुरा भी पढ कर कभी नही बख्शा।
४. मय्यत के लिए खुद अस्तगफार कर सकते है, मय्यत को अस्तगफार का सवाब मिलता है। लेकीन अस्तगफार पढने के लिए लोगो को बुलाकर मजलीस बिठाना और सब को मिल कर बिजो (चियो) पर अस्तगफार पढना रसुलुल्लाह (ﷺ) या साहाबा से साबीत नही है लेहाजा मजलीस बुलाकर अस्तगफार पढवाना बिदअत है।
५. मय्यत को सवाब पहोचाने के लिए खाना खिलाने का खास दिन मुकर्रर कर देना बिदअत है। जैसे-पहेले दिन, तिसरे दिन, दसवे दिन, बिसवे दिन, तिसवे दिन और चालीसवे दिन, जुमेरात के ही दिन और साल होने पर खाना करना और खास सदके देना बिदआत है। सदका कभी भी दिया जा सकता, सदका देना बिदअत नही है लेकीन उस के लिए खास दिन मुकर्रर कर देना बिदअत है। इसीतरहा से खाना कभी भी खिलाया जा सकता है, खाना खिलाना बिदअत नही है लेकीन उस के लिए खास दिन मुकर्रर कर देना बिदअत है। खाना खिलाना सदका है और इस का सवाब मय्यत को मिलता है।
६. कुल की मजलीस करना और अल्लाहु समद की मजलीस करना साबित नही है इसलिए बिदअत है। इस का कोई सवाब मय्यत को नही मिलता।
७. आयते करीमा की मजलीस और लाईलाहा इललल्लाह की मजलीस बिजो (चियो) या मोतीयो पर करना बिदअत है इस का सवाब मय्यत को नही मिलता।
८. कुरआन ख्वानी का सवाब मय्यत को नही मिलता। आज लोग मदरसो के बच्चो को या रिश्तोदारो को या पडोसीयो को बुलाकर मय्यत के सवाब के लिए कुरआन ख्वानी करते है ये सहाबा से या हुजुर (ﷺ) से साबित नही है इसलिए बिदअत है। इस के अलावा कुरआन खरीद कर किसी को पढने देना सदका है क्यांके सवाब के लिए पैसा खर्च करना सदका है।
९. नमाज और कुरआन पढ कर मुर्दे के सवाब देने से मुर्दे को सवाब नही मिलता क्युंके इस की कोई दलील साबीत नही है। क्युंके नमाज और कुरआन पढना बदनी इबादत है जो जिंदगी मे मय्यत को खुद करनी थी।

कुरआन का सवाब पहोचाने मे उलेमा की एक राय नही है। कुछ उलेमा फरमाते है के कुरआन का सवाब मुर्दे को पहोचाया जा सकता है और बाज का कहेना है के नही पहोचाया जा सकता। जो उलेमा कहते है के नही पहोचा सकते उन मे इमाम शाफई (रहे) भी है।

१०. चालीसवे दिन या बरसी के दिन मय्यत की पसंदीदा मिठाई और फल वगैरा लाकर लोगो को खिलाना बिदअत है इस से मय्यत को सवाब नही मिलता।

११. बिस्मील्लाह का कुरआन पढना और कुरआन की हर लाईन पर बिस्मील्लाह पढने का सवाब मय्यत को नही मिलता, ये बिदअत है।

१२. कबरो पर फुल डालना और कबर को पास झाड लगाना साबीत नही है इस से मय्यत को सवाब नही मिलता। हुजुर (ﷺ) ने दो कबरो पर खजुर की टहनी गाढी थी तो ये चिज आप (ﷺ) को वही के जरीये मालुम हुई थी के दो कबरो पर अजाब हो रहा है। क्या आप अपने मुर्दे के बारे मे ये सोचते है के उसे भी अजाब हो रहा है। मुर्दे के साथ बदगुमानी (बुरी सोच) रखना शरीयतन जायज़ नही है। दुसरी बात आप (ﷺ) ने खजुर की टहनी लगाई थी फुल नही डाला था।

१३. सवाब की नियत से मयत की कबर मे अहदनामा रखना, कुरआन रखना, मय्यत के सिने पर या पेशानी पर कुछ लिखना ये चिजे दुरुस्त नही है।

१४. मय्यत के इसाले सवाब के लिए ४० रोज किसी मर्द या औरत को खाना दिया जाता है। खाना खिलाना सदका है, खाना कभी भी खिलाया जा सकता है, कितने भी दिन खिलाया जा सकता है और इस का सवाब मय्यत को मिलता है लेकीन ये अमल ४० दिन के लिए खास कर देना बिदअत है क्युंके ये सहाबा से साबीत नही है।

कुरआन और हदीसे पाक की रौशनी मे कुछ दलीले निचे दी गई हैः

१. हजरत अबु हुरेरा (रजि) से मरवी है के, हुजुर (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "जब किसी इंसान का इंतेकाल हो जाता है तो उस के अमल का सिलसिला रुक जाता है सिवाय तिन चिज़ो के १) सवाबे जारीया (जारी रहने वाला सवाब), मिसाल- कुंवा बनवा देना, नहेर खुदवा देना, मस्जीद बनवा देना वगैरा, २) वो इल्म जिस से फायदा उठाया जाता रहे, ३) नेक औलाद (बेटा) जो अपने वालेदैन के लिए दुआ करती है।
(Sahi Muslim Volume : ०३, Kitab No २५ - Kitabul Wasaya, Page : १२५५, Hadees : १६३१)
(Sunan Abu Dawood, Volume : ०३, Kitab No १८ -Kitab Al Wasaya, Page : ११७, Hadees : २८८०)
(Imam Bukhari ne Al Adab Ul Mufrad, Volume : ०१, Page : २८, Baab No १९ - Barril Walidain Baadl Mautameen, Hadees : ३८) **-ये हदीस सहीह है**

इस हदीस से मालुम हुआ के मरने के बाद इंसान का आमालनामा बंद हो जाता है सिवाय तिन चिजो के १) सवाबे जारीया, २) वो इल्म जिस से फायदा उठाया जाता रहे, ३) नेक औलाद। अब कोई इसाले सवाब कर के उस के आमाल नामे मे सवाब डालने की कोशीश करे तो सवाब कैसे पहोचेगा? लेहाजा पता चला के उपर दी गई तिन चिजे ही मुर्दे के काम आ सकती है।

२. हुजुर (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "एक शख्स के जन्नत मे दर्जे बुलंद होंगे, फिर वो पुछेगा की ये कैसे हुआ, फिर उस से कहा जाएगा तुम्हारे औलाद (बेटा) की मगफीरत की दुआओ की वजह से जो वो तुम्हारे लिए करते है। (इब्ने माजा नं.३६६०) **-ये हदीस हसन है**

३. हुजुर (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "बेशक सब से पाकीजा जो इंसान खाता है वो उस के हाथो की कमाई है और उस की औलाद भी उस की कमाई है।" (सुनान अबु-दाऊद, हदीस-३५२८) **-ये हदीस सहीह है**

४. एक शख्स ने हुजुर (ﷺ) से कहा "मेरी वालेदा (मां) का इंतेकाल हो गया है, और अगर वो बोल पाती तो उन्हो ने कुछ सदका किया होता। तो अगर मै उन की तरफ से कुछ सदके मे दे दुं तो क्या उन्हे सवाब मिलेगा?" हुजुर (ﷺ) ने फरमाया "हां"। (**सहीह** बुखारी, fath -१३८८)

५. हजरत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रजि) से रिवायत है के, एक शख्स ने बारगाहे रिसालत (ﷺ) से अरज किया, "या रसुलुल्लाह (ﷺ) मेरी वालेदा (मां) फौत (मर) हो चुकी है, अगर मैं उनकी तरफ से सदका दुं तो क्या वो उसे कोई नफा देगा?" आप (ﷺ) ने फरमाया "हां"। उस ने अरज किया "मेरे पास एक बाग (गार्डन) है आप गवाह रहें मै ने उस की तरफ से सदका कर दिया"। **-ये हदीस सहीह है**
(Sunan Tirmizi, Volume : ०२, Page : ५६, Kitab Az Zakat, Baab No ३३, Hadees : ६६९)
(Sunan Abu Dawood, Volume : ०३, Page : ११८,Kitab No १८ - Kitabal Wasaya, Hadees : २८८२)
Albani Ne Bhi Abu Dawood Ki Hadees Ko Sahi Kaha Hai.

(Sunan Nasai Volume : ०६, Page : २५२, Kitab No ३०, Kitab Al Wasaya, Baab No ०७, Hadees : ३६५५)
(Imam Nasai Sunan Al Kubra Volume : ०४, Page : ११०, Hadees : ६४८२)

६. हजरत अब्दुल्लाह-इब्ने-अब्बास (रजि) से रिवायत है के, कबीला जुहेना की एक खातुन (औरत) ने हुजुर (ﷺ) की बारगाह मे हाजीर हो कर अरज किया "मेरी मां ने हज की मन्नत मांगी थी लेकीन वो हज ना कर सकी यहा तक की फौत (मर) हो गई, क्या मैं उन की तरफ से हज करू"। हुजुर (ﷺ) ने फरमाया "हा तुम उस की तरफ से हज करो, भला बताओ क्या तुम्हारी मां पर कर्ज होता तो क्या तुम अदा ना करती? फिर अल्लाह अज़वजल का हक अदा करो वो ज्यादा हकदार है के उसका हक अदा किया जाए।"

-ये हदीस सहीह है

(Sunan Nasai, Volume : ०५, Kitab २४ Kitabul Hajj, Baab No ०७ -Faut Shuda Logo Ke Badle Hajj Ka Bayan Jo Hajj Ki Mannat Rakhte The, Page : ११६, Hadees : २६३२)
(Sunan Al Kubra Volume : ०२, Page : ३२२, Hadees : ३६१२)
(Imam Tabrani Al Muajamul Kabir, Volume : १२, Page : ५०, Hadees : १२४४३)

७. हजरत अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के नबी-ए-अकरम (ﷺ) की खिदमत में एक शख्स ने अरज किया "या रसुलुल्लाह (ﷺ) मेरा बाप फौत (मर) हो गया है और उस ने माल छोडा है और वसीयत भी नही की, अगर मैं उसके तरफ से सदका करू तो क्या ये सदका उस के गुनाहो का कफ्फारा हो जाएगा? आप (ﷺ) ने फरमाया "हां"।

-ये हदीस सहीह है

(Sahi Muslim Volume : ०३, Page : १२५४, Kitab No २५ - Al Wasayiat, Baab No ०२ Sadakat Ke Sawab Ka Shudagan Tak Pahuchna, Hadees: १६३०)
(Sunan Nasai, Volume : ०६, Page : २५१, Kitab ३०, Kitabul Wasaya, Baab No ०२, Shudagan Ke Badle Sadkat Karne Ke Fazail, Hadees : ३६२५)
(Sunan Ibn Majah, Volume : ०२, Page : २०६, Kitab No २२ - Kitab Al Wasaya, Hadees : २७१६)

८. हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा (रजि) से रिवायत है के "एक शख्स नबी-ए-करीम (ﷺ) की बारगाह मे हाजीर हुआ और अरज किया "मेरी वालेदा (मां) अचानक फौत (मर) हो गई है और मेरा खयाल है की अगर वो (मरते वक्त) गुफ्तगु कर सकती तो सदके (की अदायगी का हुकुम) करती, अगर मैं उस की तरफ से खैरात करू तो क्या उसे सवाब पहोचेगा? नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फरमाया "हां"।**-ये हदीस सहीह है**

(Sahi Bukhari Volume : ०३, Kitab ५५ - Kitabul Wasaya, Baab No १९ - Sadakat Ke Sawab ka Shudagan Tak Pahuchne, Hadees : २७६०)
(Sahi Muslim Volume : ०२, Kitab १२ : Al Zakat, Baab No १५ : Sadakat Ke Sawab Ka Shudagan Tak Pahuchna, Hadees : १००४)
(Sunan Abu Dawood, Volume : ०३, Kitab No १८ : Kitabul Wasaya, Baab No : १०६८ Page : ११८, Hadees : २८८१)
Albani Ne Bhi Isko Sahi Likha Hai
(Sunan Nasai, Volume : ०६, Kitab No ३० : Kitabul Wasaya, Baab No : ०७ Kisi Shaks Ki Maut Par Uske Gharwaalo Ke Sadke Karne Ka Bayan, Page : २५०, Hadees : ३६४९)
(Imam Nasai Sunan Al Kubra, Volume ०४, Pg : १०९, Hadees - ६४७६)

९. हजरत साद-बिन-उबादा (रजि) अरज करते है "या रसुलुल्लाह (ﷺ) मेरी मां विसाल (इंतेकाल) कर गई, मैं उन की तरफ से सदका करना चाहता हुँ, कौन सा सदका अफजल रहेगा"। हुजुर (ﷺ) ने फरमाया "पानी"। चुनांचे उन्हो ने एक कुंवा खुदवाया और कहा "ये उम्मे साद के लिए"। **-ये हदीस हसन है**

(Sunan Abu Dawood Volume : ०२, Kitab ०९ : Al Zakat, Baab ५६१ : Paani Pahuchane Ke Fazail, Page : १८०, Hadees : १६८१)
(Mishkat Al Masabih Volume : ०१, Page : ३६२, Hadees : १९१२)
(Imam Munzir ne At Targhib Wa Tarhib, Volume : ०२, Page : ४१, Hadees : १४२४)

ये बात गौर के काबील है के, उपर जो हदिसे दी गई है वो सिर्फ औलाद का जिक्र करती है इसलिए के सिर्फ वालेदैन को औलाद के आमाल काम आएंगे, किसी पैसे दिए हुए मौलवी, पडोसी, मदरसे के बच्चे, यतीम खाने के बच्चे, या रिश्तेदार के आमाल नही। **दुसरी बात ये है के मुर्दे को उस के वारीसो के नेक आमाल का सवाब खुद-ब-खुद मिल जाता है इस के लिए फातेहा देने की कोई जरूरत नही। फातेहा देना दिन मे बाद मे शुरू हुआ और जो काम दिन मे बाद मे शुरु हुआ उसे बिदअत कहते है।**

कुरआन की आयते जो हमे सिखाती है के हम किसी भी शख्स के लिए दुआ कर सकते है:

१. ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे मां-बाप को और सब मुसलमानो को जिस दिन हिसाब कायम होगा" (Sura Ibrahim (१४), Ayat#४१)
२. और वो जो इन के बाद आए, अरज करते है ऐ रब हमे बख्श दे और हमारे भाईयो को जो हम से पहेले इमान लाए और हमारे दिल में इमान वालो की तरफ से किना ना रख, ऐ हमारे रब तु ही निहायत महेरबान रहेम वाला है। (Sura e Hashar (५९), Ayat#१०)

फातेहा की हकीकत

फातेहा, इसाले सवाब पहोचाने का एक तरीका इजाद किया गया जो के सुन्नत, हदीस और कुरआन से साबीत नही है। हमारे कुछ मुसलमान भाई और बहेने बात-बात पर फातेहा तो देते है लेकीन अगर उन्हे फातेहा के सबुत मांगे जाए तो एक हदीस पेश कर देते है। वो हदीस निचे दी हुई है :

"अनस-इब्ने-मालीक (रजि) इस हदीस के रावी है, आप कहते है के, मेरी वालेदा उम्मे सुलेन ने घी और आटे का मलीदा बनाया और एक प्याले में रख के कहा के सरकार (ﷺ) की खिदमत मे इसे लेजाओ और सरकार से कहना के ये मेरी वालेदा उम्मे सुलेन की जानीब से है और आप के बेटे इब्राहीम के लिए है। हजरते इब्राहीम जो रसुलुल्लाह के बेटे थे उन का ४० दिन पहेले इंतेकाल हुआ था। अनस-इब्ने-मालीक (रजि) ये प्याला रसुलुल्लाह के खिदमत मे प्याला ले गए, वहा ७० सहाबी मौजुद थे। अनस-इब्ने-मालीक (रजि) ने कहा के ये मेरी वालेदा उम्मे सुलेन की जानीब से है और आप के बेटे इब्राही के लिए है। तो रसुलुल्लाह ने प्याले को अपने सामने रख लिया और हाथो को उठाया और कुरआन से जितना चाहा उतना तिलावत फरमाया। उस के बाद अनस-इब्ने-मालीक (रजि) से कहा के ऐ अनस प्याले को उठा और मेरे हर सहाबी के सामने रख देना। अनस-इब्ने-मालीक (रजि) फरमाते है के मै प्याला हर साहबी के सामने रख देता और रसुलुल्लाह फरमाते के "इतना खाओ के शिकम सेर हो जाओ (पेठ भर के खाओ)"। वो पेट भर खाते मै प्याला दुसरे साहबे के पास रखता वो पेट भर खाते फिर प्याला तिसरे साहबी के पास रखता। यहा तक के वो प्याला ७० सहाबी के पास से फिर कर के रसुलुल्लाह के पास वापस आया। आप (ﷺ) ने भी कुछ खाया और मुझ से कहा के जाओ हमारी तरफ से ये प्याला अपनी वालेदा उम्मे सुलेन को देना। अनस-इब्ने-मालीक (रजि) कहते है के मै हैरतजदा था के जब लाया तब ज्यादा था के अब ले जा रहा हुँ तो अब ज्यादा है।" (**Sahih** Muslim Volume : ०२ , Kitab No १६ Kitabun Nikah, Hadees : १४२८) (Jamai Tirmizi Kitab No ४७ Kitabut Tafseer, Hadees : ३५२४)

इस हदीस पर गौर करे :

१. क्या ये हदीस फातेहा के सबुत के लिए मुनासीब है? या फिर ये नबी-ए-करीम (ﷺ) का मोजज़ा था?
२. आप (ﷺ) ने जो कुछ भी पढा था तो क्या आपने ये सब को बताया था, या बडे आवाज में पढ कर सब को सुनाया था? क्या आप ने सहाबा को बताया के आप ने कौन-कौन से सुरे पढे थे?
   (जवाब - नही)
३. अगर ये अमल उम्मत के लिए होता तो क्या आप छुपाते (जवाब - नही)।
४. अगर ये इतनी बडी चिज थी तो भी आप ने सब पर जाहीर क्यु नही किया?
५. जो सहाबा आप (ﷺ) के पास मौजुद थे क्या उन्हो ने आप (ﷺ) से पुछा के आप ने क्या पढा।
६. इस अमल को देखकर क्या सहाबीयो ने भी ये अमल शुरू किया **(जवाब - नही)**
७. मालुम हुआ के ये अमल सहाबा ने नही किया तो हम नेक है या सहाबा नेक थे? (जवाब - सहाबा)
८. अगर ये अमल आप के लिए खास नही होता तो आप इसे आम करते।

तो पता चला के फातेहा देना ये किसी सहीह हदीस और कुरआन से साबीत नही है। जो चिज हुजुर (ﷺ) के बाद इस्लाम मे नयी की गई उसे बिदअत कहते है। जाहीर सी बात है के फातेहा बिदअत है।

नियाज करना कैसा है?

आज कल इसाले सवाब के नाम पर गैरुल्लाह को खुश करने के लिए बहोत ज़ोरो व शोर से नियाज का एहतेमाम किया जाता है। ग्यारवी, बारवी, कुंडे और पता नही क्या क्या।

ग्यारवी की नियाज ये हजरत अब्दुल कादीर शाह जिलानी (रहे) जो एक मोहदसीन और वली है उन के लिए की जाती है। जो नियाज आज बनाई जा रही है ये किस के हुकूम से बनाई जा रही है, क्या अल्लाह ने इस का हुकूम दिया, क्या रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इस का हुकूम दिया या किसी सहाबी ने ये किया। अगर ये बात पुछी जाए तो लोग कह देते है के ये इसाले सवाब के लिए की जा रही है। लेकीन हकीकत ये है के ये बुजुर्ग को खुश करने के लिए की जाती है, मुश्किलो में उन से मदत मांगना मक्सद होता है, उन का कुर्ब हासील करने के लिए नियाज की जाती है। ये काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाना चाहिए था लेकीन अफसोस गैरुल्लाह के लिए किया जा रहा है।

इस्लाम में फौतशुदा के इसाले सवाब के लिए खाना पका कर खिलाना जायज़ है लेकीन ये अगर खास दिन, खास वक्त, खास नाम से किया जाए जैसे ग्यारवी, बारवी वगैरा तो बिदअत है और गैरुल्लाह को खुश करने की नियत से किया जाए तो शिर्क है।

झुठी हदीस पेश करने वाले की सजा

१. हजरत सलमा (रजि) से रिवायत है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया की जो शख्स मेरे नाम से वो बात बयान करे जो मैंने नही की तो वो अपना ठिकाणा जहान्नुम में बना ले। {**Sahih** Bukhari, Vol १, १०९}
२. हजरत अली (रजि) से रिवायत है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया मुझ पर झुठ ना बोलो क्युं की जो मुझ पर झुठ बोलेगा वो जहान्नम मे दाखील होगा। {**Sahih** Bukhari, Vol १, १०७}

क्या हम फातेहा का खाना खा सकते है?

१. फातेहा ये अमल बिदअत है। लेकीन इस अमल से खाना हराम नही हो जाता क्युंके खाना तब ही हराम होता है जब उस पर अल्लाह के अलावा किसी दुसरे का नाम लिया गया हो।
२. अल्लाह के अलावा अगर किसी और के नाम से (यानी गैरुल्लाह के नाम से) खाना पका कर खिलाया जाए, या गैरुल्लाह के नाम से किसी जानवर को जुबाह किया जाए तो ये खाना हराम है। मिसाल के तौर पे - ये फलाने वली का खाना है, ये फलाने का बकरा है, वगैरा।
   कुरआने मजीद मे चार जगाहो पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। "तुम पर हराम है मुरदार (मरे हुए) और खुन और खिंजीर (सुवर) का गोश्त और वो जानवर के पुकारा गया हो गैरुल्लाह (का नाम) जिस पर और (जो मरा हो) गला घोट कर.........." (Surah baqarah(१) ayat १७३, surah maida(५) ayat ३, surah anaam(६) ayat १४५, surah nahl(१६) ayat ११५)
३. जिस चिज पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसे खाना हराम नही होता। "तेरा रब खुब जानता है कौन बहेका है उस की राह से और वो खुब जानता है हिदायतवालो को तो खाओ उस में से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया अगर तुम उसकी आयते मानते हो और तुम्हे क्या हुआ तुम उन में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया" (सुरे अनम (६), आयत नं.११७,११८,११९)
४. कुछ लोग फातेहा का खाना बिल्कुल नही खाते ये सोच कर के बिदअत करने वालो को सपोर्ट मिल जाएगा और बिदअती कहेगा के खुद तो नही करता लेकीन खाना खाता है।

कव्वाली मे ढोल बाजा और शिर्की अल्फाज

कव्वालीयो और नातो में रुसुलुल्लाह (ﷺ) और औलियाओ को उन के मकाम और दर्जे से बढा कर अल्लाह के के मकाम और दर्जे पर रख दिया जाता है, रुसुलुल्लाह (ﷺ) के और औलियाओ से मांगा जाता है जो के शिर्क है इसलिए इसतरहा की कव्वाली और नात नही सुन्नी चाहिए।

इसी तरहा से कव्वाली मे ढोल बाजे इस्तेमाल किये जाते है इसलिए कुछ उलेमा कव्वाली सुनने को भी मना करते है। और कुछ उलेमा ये कहते है के, शरीयत ने म्युझीक को हराम इसलिए कहा है क्योंके इन को सुनने के बाद दिल मे गफलत पैदा होती है और दुनिया की तरफ दिल माईल होता है और अल्लाह की याद और इबादात से दिल उचाट होता है। अगर ये म्युझिक पाकीजा कलाम के साथ होगी तो दिल में ऐसी कैफीयात पैदा नही करेगी और उस कलाम के असर को बढाने का सबब बनेगी, इसलिए जायज़ होना चाहिए। ये दो अलग अलग राय है। आप खुद ही फैसला करे के आप के लिए क्या बहेतर है। इस्लाम में म्युझीक के सब आलात हराम है सिर्फ डफ को छोड कर।

शिर्कीया कव्वाली सुन्ने वालो जरा अल्लाह का कलाम भी सुनो :

१. शायर कहता है "भर दो झोली मेरी या मुहम्मद, लौट कर न जाऊंगा खाली"।
अल्लाह कह रहा है "ऐ नबी! लोगो से कह दीजिए के तुम्हारे नफा और नुकसान का इख्तीयार सिर्फ अल्लाह के पास है" (सुरह जिन्न)।
२. शायर कहता है "शाहे मदीना सारे नबी तेरे दर के सवाली"।
अल्लाह कह रहा है "ऐ लोगो! तुम सिर्फ अल्लाह के दर के फकीर हो" (सुरह फातिर)।
३. शायर कहता है "खुदा के पास सिवाय वहदानियत के क्या रखा है, जो मांगना है दर ए मुस्तफा से मांग"।
अल्लाह कह रहा है "जो मांगो सिर्फ मुझसे मांगो बेशक मैं ही तुम्हारी दुआ कबुल करता हुँ " (सुरे मोमिन)।
४. शायर कहता है ''ना बंदा रहेगा ना अल्लाह रहेगा, खुदाई का मालीक मुहंम्मद रहेगा''
इस से बडा कुफ्र और क्या हो सकता है... नऊजबिल्लाह।
५. शायर कहता है ''पढी नमाजे रखे रोज़े जन्नत पा ली मुल्ला, मैं ख्वाजा के इश्क में खोया मिल गया मुझ को अल्लाह, यहा ख्यावाजा का सिक्का चलता है''
इस कव्वाली में कव्वाल ने अल्लाह की, नमाज की और जन्नत की तौहीन की है और जन्नत तक पहोचने का वो रस्ता बताया है जो कुरआन और सुन्नत में नही है।

ईदे मिलादुन्नबी मनाना कैसा है?

ईदे मिलाद के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा :

हम इदे-मिलाद के में क्या करते है? - नात ख्वानी करना, आप (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) के फजाईल और कमालात बयान करना, आप के पैदाईश के वाकीयात बयान करना, जुलुस निकालना, झंडीया लगाना, लंगर वगैरा तकसीम करना। इन तमाम के मजमुए को मिलाद कहते है। ये तमाम चिज़े जो हम एक साथ कर रहे है, ये नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) के दौर मे एक साथ नही की गई, लेकीन इन मे से एक-एक चिज़ को देखेंगे तो पता चलता है के सब चिज़े नबी-ए-करीम के दौर मे भी की गई थी और आप के दौर से पहेले भी की गई थी।

हमारा सवाल है के? - क्या नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने बिरयानी खाई थी?, पुलाव खाया था?, चॉकलेट खाई थी, आप ने गाडी मे सफर किया था?, आपने माईक मे बयान किया था?, क्या मस्जीदो मे कालीन बिछाए गए थे?, क्या मस्जीदो मे गुंबद व मिनार बनाए गए थे?, क्या नमाज़ो की जमाअत के वक्त मुकर्रर किया गए थे?, क्या नबी-ए-करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने इल्मे दिन सिखाने की दरजाबंदी की थी (यानी के पहेले साल मे फलाह किताबे पढनी है, दुसरे साल मे फहाह, तिसरे मे फलाह.... आठवे साल मे फलाह, इस वक्त खत्मे बुखारी होगा, इस वक्त मेरी हदीसे खत्म होगी तो तुम्हारी दस्तार बांधी जाएंगी)। तो क्या ये सब उस दौर मे था, नही, ये सब इस दौर मे शुरू हुआ है। ये सब बिदआत है लेकीन

जाएज है तो मिलादे मुस्तफा मनाना कैसे नाजाएज हो सकता है? इसी तरहा से शरीयत ने जो काम मना नही किया वो काम जायज़ होता है।

बरेलवीयो का ईदे मिलाद का अकिदा गलत है :

इदे मिलादुन्नबी (ﷺ) मनाना किसी सहीह हदीस से साबीत नही है। मिलाद मनाना जायज़ नही है क्युं के हमारे सलफ-सालेहिन (सहाबा+ताबयीन+तबेताबयीन) में से किसी ने भी नही मनाया। चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से भी ये मनाना साबीत नही है।

बरेलवी जो मिसाल उपर दे रहे है ये दुनियावी एजादात है। चॉकलेट खाना, माईक में बयान देना, मस्जीदो में कालीन बिछाना, मस्जीदो में गुंबद व मिनार बनाना ये सब दुनियावी एजादात है, इन का सवाब और गुनाह से कोई तालुक नही। क्या कालीन पर नमाज पढने से या जमीन पर नमाज पढने से सवाब में कोई कमी ज्यादती होती है? क्या माईक में बयान देने से या बगैर माईक के बयान देने से सवाब में कमी ज्यादती होती है?। दुनियावी मिसालो को दिन में देना कम इल्मी है और बरेलवी ये भी कहते है के शरीयत ने जो काम मना नही किया वो जायज़ होता है तो ऐसा कहना भी कम इल्मी है। इस बात को एक मिसाल से समझीए - वजु किन चिजो से टुटता है ये बता दिया गया है अब आप ही समझ ले के वजु किन चिजो से नही टुटता। अगर किन चिजो से वजु नही टुटता ये बताया जाता तो फहेरीस्त बहोत लंबी हो जाती। इसी तरहा से बरेलवी हजरात ये क्यु भुल जाते है के वही लोग जन्नत में जाएंगे जो नबी (ﷺ) के और सहाबा के तरीके पे चलेंगे, इसलिए ये नेकी का काम करने से पहेले ये जरूर देखा जाएगा के क्या नबी (ﷺ) ने इस का हुकूम दिया था? और क्या सहाबा इकराम ने ये काम किया था?

१२ रबीयुल अव्वल का दिन नबी (ﷺ) की जिंदगी मे ६३ बार आया...
खुलफा-ए-राशीदीन मे से अबुबकर (रज़ि) की खिलाफत मे २ बार आया....
उमर (रज़ि) की खिलाफत मे १० बार आया....
उस्मान (रज़ि) की खिलाफत मे १२ बार आया...
और अली (रज़ि) की खिलाफत मे ४ बार आया...

क्या इन में से किसी ने भी ईदे मिलादुन्नबी मनाया? क्या सहाबा, ताबयीन, आईम्मा अरबा में से किसी एक ने भी ये दिन मनाया? नही ना! तो जान ले के ये तिसरी ईद बिदअत है और "हर बिदअत गुमराही है जिस का अंजाम जहान्नम की आग है"।

रसुलुल्लाह (ﷺ) की वसीयत है के :"मेरी और मेरे खुलफा-ए-राशीदीन की सुन्नत को पकड कर रखना, और दिन (इस्लाम) में नए काम से बचना" [Musnad Ahmad (४/१२६) and at-Tirmidhee (२६७६)] **-ये हदीस सहीह है**

हुजुर (ﷺ) से मोहब्बत हर इंसान ने करनी चाहिए। क्या हम सहाबा से ज्यादा हुजुर को चाहते है? क्या हम सहाबा से ज्यादा नेक बन गए है? जो काम सहाबा ने नही किया वो हम कर के अपनी मोहब्बत का सबुत दे रहे है और इस्लाम ने बताई हुई हद से बाहर जा कर बिदअत जैसा गुनाह कर रहे है।

रसुलुल्लाह (ﷺ) हाजीर व नाजीर है या नही?

बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा :

नबी-ए-करीम (ﷺ) को हाजीर और नाजीर मानने मे शरअन कोई हरज नही है। हाजीर व नाजीर का मतलब ये नही है के नबी-ए-करीम (ﷺ) हर जगह मौजुद है। जिस ने ये सोचा उसने गलत सोचा। हाजीर व नाजीर का शरई मतलब होता है "अजीमो शान कुवत और कुदरत रखने वाला, एक मकाम पर बैठ कर पुरी कायनात को इस तरहा देखे जैसे के अपनी हथेली, दुर और नजदीक की आवाज सुनने पर कुदरत रखता हो, जहा जाना चाहे

पल भर मे अल्लाह की अता से जाए, जो चाहे जिस को चाहे अल्लाह की अता से दे सके (चाहे बैठे बैठे हाथ बढाकर या पुरे जिस्म के साथ जाकर)"। ये हाजीर व नाजीर की शरई तारीफ है।

आज सायन्स ने आम इंसान को फोन और इंटरनेट दिया। जिन की वजह से इंसान दुनिया मे कही भी बैठे हुए किसी भी शख्स को देख सकता है, उस की आवाज सुन सकता है, लाईव मॅच देख सकता है, दुनिया की हर मालुमात हासील कर सकता है। जब आम इंसान को ये जिचे सायन्स के जरीए मिल चुकी है तो क्या अल्लाह तआला अपने प्यारे नबी को ऐसी चिजे देने पर कुदरत नही रखता?

बरेलवीयो का हाजीर व नाजीर का अकिदा गलत है :

१. चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से भी ये हाजीर व नाजीर का अकिदा साबीत नही है।

२. **हदीस शरीफ है :** "(कयामत के दिन) फिर मेरे पैरोकारो को दाए (जन्नत की) तरफ ले जाया जाएगा, लेकीन बाज़ को बाए (यानी जहान्नम की) तरफ घसीटा जाएगा। मै कहुंगा 'ऐ मेरे रब! मेरे उम्मती!', लेकीन मुझे (अल्लाह तआला की तरफ से) बताया जाएगा के '(ऐ नबी) आप नही जानते उन्हो ने आप के बाद क्या किया, जब आप इनसे जुदा हुए तो ये इस्लाम से फिर गए थे'। मैं उस वक्त वही कहुंगा जो (अल्लाह के) नेक बंदे ईसा-इब्ने-मरीयम ने कहा था के 'मैं इन पर गवाह रहा जब तक इन में मौजुद रहा। फिर जब तु ने मुझको उठा लिया तो तु ही इन पर निगरान रहा। और तु हर चिज से खबरदार है"। [**Sahih** al-Bukhari ३४४७]

इस हदीस से साबीत होता है के अंबिया इकराम फौत होने पर इस दुनिया से बेखबर होते है।

३. **हदीस शरीफ है :** रसुलुल्लाह (ﷺ) हौजे कौसर से अपने उम्मतीयो को पानी पिला रहे होंगे और उन्हे रोक दिया जाएगा, इन को भी नबी (ﷺ) यही समझेंगे के ये तो मेरे फरमाबरदार उम्मती है लेकीन आप (ﷺ) को मुतला किया जाएगा (बताया जाएगा) के 'ऐ नबी (ﷺ) आप नही जानते के इन्हो ने आप के जाने के बाद क्या कुछ किया, इन्हो ने आप के बाद दिन मे नयी-नयी चिजे निकाल ली थी', तो आप (ﷺ) फरमाएंगे "इन के लिए (रहेमत से) दुरी हो! इन के लिए (रहेमत से) दुरी हो! जिन्हो ने मेरे बाद दिन को बदल डाला"[**Sahih** Bukhari, Vol.८, kitab ur-Riqaaq, Hadith- ६५८४]

इस हदीस से मालुम हुआ के नबी-ए-करीम (ﷺ) भी नही जानते के उन के उम्मती ने उन के इंतेकाल के बाद दिन मे क्या-क्या बिदअते इजाद की।

४. "बेशक अल्लाह जिसे चाहता है सुना देता है, और तुम (नबी) उन लोगो को नही सुना सकते जो कबरो में है" [surah Al-Faatir (३५), Ayat-२२] - **पता चला के वफात के बाद कबर वाले बे-खबर होते है।**

५. "ये गैब की खबरे है जो हम तुम पर वही करते हैं, हालाके तुम उस वक्त उन के पास मौजुद ना थे जब वो अपने कलम डाल रहे थे के मरीयम (अलैहिस्सलाम) की किफालत कौन करेगा, और ना तुम उस वक्त इन के पास थे जब वो झगड रहे थे" [surah Imran (३), Ayat-४४]

६. हजरत जुनदुब-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि) से रिवायत है के मैने रसुलुल्लाह (ﷺ) को इन के वफात से पाच रोज पहेले ये फरमाते हुए सुना के "तुम से पहेले लोग अंबिया और नेक लोगो की कबरो को इबादतगाह बना लिया करते थे। खबरदार! तुम कबरो को इबादतगाह ना बना लेना, मैं तुम्हे इस तरजे अमल से मना करता हुँ। [**sahih** Muslim, Kitab-ul-Masajid, Hadith no.५३२]

७. "और ये इबादत करते है अल्लाह के सिवा उन की जो ना नुकसान पहोचा सकते है उन्हे और ना नफा दे सकते है और कहते है के ये (जिन को पुजते है हम) हमारी सिफारीश करने वाले है। अल्लाह के हुजुर कह दो! क्या खबर देते हो तुम अल्लाह को ऐसी बात की जो नही जानता वो आस्मानो में ना जमीन मे। पाक है उस की जात और बुलंद है वो इस शिर्क से जो ये करते है।" (Surah Yunus (१०), ayat-१८)

८. "जान लो अल्लाह ही का हक है खालीस इबादत व इताअत और वो लोग जिन्हो ने बना रखे है उस के सिवा दुसरे सरपरस्त (और कहते है) के नही इबादत करते हम इन की मगर इस गर्ज़ से के पहोचा दे वो हमे करीब अल्लाह के किसी दर्जे में बेशक अल्लाह फैसला करेगा इन के दरमियान इन सब बातो का जिन

मे वो इख्तीलाफ कर रहे है। बिला-शुबा अल्लाह नही राह दिखाता ऐसे शख्स को जो हो झुठा और मुंकीरे हक" (Surah Zumar (३९), ayat-३)

इस आयत से मालुम हुआ के पिछली उम्मत कबरो को सजदागाह बना लेती थी, यानी उन्हे हाजत रवाई और मुश्कील कुशाई के लिए पुकारते और उन्हे अल्लाह तक पहोचाने का वसीला बनाते थे। इस पर अल्लाह ने फरमाया "मसीह इब्ने मरीयम (अलैहिस्सलाम) सिवाय (अल्लाह के) रसुल होने के और कुछ भी नही, इन से पहेले भी बहोत से रसुल आ चुके है और इन की वालीदा (मां) एक रास्त बाज (सच्ची) औरत थी। और वो दोनो खाना खाते थे, आप देखे किस तरहा हम ने इन के सामने दलाईल रखे है, फिर गौर किजीए किस तरहा वो उलटे फिराए जाते है। आप कह दिजीए 'क्या तुम अल्लाह के सिवा उन की इबादत करते हो जो ना तुम्हारे किसी नुकसान के मालकी है और ना किसी नफा के, (बल्की) अल्लाह ही खुब सुन्ने और जानने वाला है (surah Al-Maidah (५), Ayat:७५-७६)

खुलासा ये हुआ के चाहे वो हजरत मरीयम (अलैहिस्सलाम) हो या कोई रसुल हो, वो ना तो हमें नफा पहोचा सकता है और ना नुकसान (अगर हम उसे पुकारे), क्युंकी वो पुकारने वालो की पुकार से बेखबर है, और सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ सुन्ने और जान्ने वाला है।

९. "और उस से बढकर कौन गुमराह हो सकता है जो अल्लाह के सिवा किसी दुसरे को पुकारे, जो कयामत तक उस की पुकार का जवाब ना दे सके, बल्की उस के पुकारने से भी गाफील हो। फिर जब लोग रोजे आखेरत इखट्टे किये जाएंगे तो वही पुकारेंगे लोग इन पुकारने वालो के दुश्मन बन जाएंगे, और इन की परस्तीश से साफ इन्कार कर देंगे" [Surah Al-Ahqaf (४६), Ayat: ५-६]

१०. "अपने घरो को कबरे ना बनाओ (इन मे नवाफील पढा करो) और मेरी कबर को जश्ने-इज्तेमा (बार बार आने की जगह) ना बनाओ और मुझ पर दुरूद पढा करो, क्युंकी तुम्हारा दुरूद मुझ पर पहोचा दिया जाता है जहा कही भी तुम हो" [Sunan Abu dawud, Book #10, Hadith #2037] **-ये हदीस सहीह है**

मालुम हुआ के नबी-ए-करीम (ﷺ) के पास दुरुद व सलाम फरीश्तो के जरीए पहोचाया जाता है। अगर आप हाजीर व नाजीर होते तो फरीश्तो के जरीए दुरूद व सलाम पहोचाने की कोई जरूरत नही होती।

११. "भला कौन है जो मजबुर की पुकार को कुबुल करता है जब वो उसे पुकारता है, और तकलीफ को दुर करता है? (इलावा अल्लाह के) और तुम को जमीन पर खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबुद भी है? (हरगीज नही) बल्की तुम बहोत कम ही सोचते समझते हो"। [Surah An-Naml (२७), Ayat-६२]

मालुम हुआ के तुम ये क्यु नही समझते के सिर्फ अल्लाह ही पुकार सुनता है और तकलीफ दुर करता है और अल्लाह की सिफात मे कोई शरीक नही है।

१२. "उस जैसी कोई चिज नही, और वो सब कुछ सुन्ने और देखने वाला है" [surah Shuraa (४२), ayat ११]

१३. "और ना पुकारो तुम अल्लाह के सिवा किसी को जो तुम को नफा दे सके और ना नुकसान पहोंचा सके, अगर ऐसा करोगे तो जालीमो में से हो जाओगे (गुनाह करोगे)"। [surah Younus (१०), Ayat-१०६]

१४. ऐ सुन्ने वाले क्या तुने ना देखा के अल्लाह जानता है जो कुछ आस्मानो में है और जो कुछ जमीन में जहा कही तीन शख्सो की सरगोशी (बातचीत) हो तो चौथा वो (अल्लाह) मौजुद है और पांच की तो छटा वो (अल्लाह) और ना इस से कम और ना इस से ज्यादा मगर ये के वो इन के साथ है जहा कही हो फिर फिर इन्हे कयामत के दिन बता देगा जो कुछ इन्हो ने किया बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। (सुरे मुजादिला (५८), आयत-७)

कायनात पर हुकुमत और हुकम देना वाला और कायनात का हकीकी मालीक और बादशाह अल्लाह तआला ही है

१. वही अल्लाह है जिस के सिवा कोई इबादत के लायक नही, बादशाह-ए-हकीकी, हर ऐब से पाक, सलामती देने वाला, इमान देने वाला, निगेहबान, गालीब, जबरदस्त बढाई वाला, अल्लाह मुशरीको के शिर्क से पाक है। (सुरे हशर (५९), आयत-२३)
२. हुकुम देना सिर्फ अल्लाह ही का हक है, इस का फरमान है के तुम सब इस के सिवा किसी और की इबादत ना करो, यही दिन दुरूस्त है लेकीन अक्सर लोग नही जानते (सुरे युसुफ (१२), आयत-४०)
३. क्या इन लोगो ने अल्लाह तआला के सिवा औरो को सिफारीश करने वाला मुकर्रर कर रखा है, तो कह दे के क्या उस सुरत में भी जब को वो किसी चिज के मालीक नही और ना ही कोई अकल रखता है? कह दे के तमाम सिफारीश का मुख्तार अल्लाह तआला ही है, आस्मान और जमीन की बादशाही उसी की है, फिर उस की तरफ तुम सब (मरने के बाद) लौट जाओगे। (सुरे जुमर (३९), आयत-४३,४४)
४. कौन है जो इस की जनाब मे इस की इजाज़त के बगैर सिफारीश कर सके (सुरे बकरा (२), आयत-२५५)
५. और वो अपने हुकुम मे किसी और को शरीक नही करता (सुरे कहफ (१८), आयत-२६)
६. और अल्लाह जैसा चाहता है हुकुम करता है कोई इस के हुकुम को रद्द करने वाला नही (सुरे राअद (१३), आयत-४१)

क्या रसुलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाह का दिदार किया है?

अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने अल्लाह को मेअराज की रात नही देखाः

सहीह बुखारी हदीस नं.७५१७ मे रसुलुल्लाह (ﷺ) की अल्लाह तआला से मुलाकात साबीत है लेकीन दिदार साबीत नही है। नबी (ﷺ) फरमाते है के, मेरे और अल्लाह के दरमियान इतना ही फासला रह गया था जैसा के दो कमान के दरम्यान जितना फासला होता है।

नोट : अल्लाह और रसुलुल्लाह (ﷺ) के बिच दो कमान के इतना फासला बच गया था लेकीन दिदार साबीत नही है। ऐसी भी रिवायत आती है के वो अल्लाह तआला नही था बल्की जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद थे, ये रिवायत नही ली जाएगी क्युं के रसुलुल्लाह (ﷺ) खुद फरमाते है के वो अल्लाह तआला था।)

अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने अल्लाह को ख्वाब में देखा :

जामे तिरमीजी की बडी तवील हदीस (हदीस नं.३२३५) मौजुद है के, "रसुलुल्लाह (ﷺ) फरमाते है के मैने अपने रब को ख्वाब में बडी अच्छी सुरत में देखा"। इमाम तिरमीजी कहते है के, मैने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से जब इस हदीस के बारे में पुछा तो उन्हो ने फरमाया ये हदीस सहीह है। इमाम तिरमीजी ने इसे सहीह कहा, इसी तरहा से शेख अल्बानी (रहे) ने भी इसे सहीह कहा। इसी तरहा इब्ने अब्बास से रिवायत है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाह तआला को अपने दिल की आँख से २ दफा देखा।

मोहर्रम का महिना और नए दुल्हा-दुल्हन की मुंह छुपाई?

आज मुस्लमानो मे ये ये रिवाज बन चुका है के, जिस किसी लडकी की शादी होती है और मोहर्रम का महिना आता है तो उस लडकी को मोहर्रम का चांद दिखने पर १० दिनो के लिए उसके मायके भेज दिया जाता है ताके इन १० दिनो मे मिया-बीवी के बिच तालुकात ना बने। कुछ लोग बिवीयो से सोबत करना बंद कर देते है और कुछ लोग कुछ अलग तरीके अपना कर गम मनाते है। शरीयत मे इन बातो की कोई हौसीयत नही है। मोहर्रम मे गम मानाना और मातम करना शियाओ का तरीका रहा है और शरीयत के खिलाफ है। हुजुर (ﷺ) की हदीसे पाक है के "किसी भी मरने वाले का गम ३ दिन से ज़्यादा ना मनाया जाए सिवाय उस औरत के जिस के शोहर का इंतेकाल हुआ हो"। जिस औरत के शोहर का इंतेकाल होता है उसे ४ महिने १० दिन इद्दत के

गुजारनी है यानी इन दिनो मे गम मनाना है लेकीन बाकी लोगो को ३ दिन से ज़्यादा गम मनाना हराम है। ३ दिन के बाद कयामत तक मौत का गम मना नही सकते और गम भी शरीयत के दायरे मे ही मनाया जाएगा। इस का मतलब ये नही है के हर साल उसी तारीख पर गम मनाया जाए। कर्बला में इमामे हुसेन रजि. को शहीद हो कर सदीया गुजर गई। गम तो तब था जब ये वाकीया गुजरा था। अब कयामत तक गम मनाना नाजायज़ नही, शरीयत के खिलाफ है और हर साल गम मनाने को नबी-ए-करीम (ﷺ) ने सख्ती से मना किया है। अलबत्ता खुशी का हुकूम हो रहा है। कुफेवाले शिया ही थे जिन्हो ने हज़रत इमाम हुसेन रजि. को खत लिखकर बुलाया था और यजीद के साथ मिलकर उन्हे शहीद कर दिया और बाद मे गम का इजहार भी किया।

इब्ने जियाद के कहने पर कर्बला के शहिदो के सरो को तलवार के नेजो पर रख कर कुफे की गलीयो मे घुमाया गया। हज़रते इमामे हुसेन का सरे मुबारक आगे आगे और बाकी शहीदो के सर उन के पिछे। लोग अपनी छतो पर खडे हो कर रोते थे, कुछ ने सरो के बाल खोल दिए थे, सर मे खाक डालते थे, सर के बाल नोचते थे और मातम मना रहे थे। ये देख कर हज़रत जैनब रजि. ने इस जुलुस को रोका और खुदबा दिया और कहा के "ऐ धोकाबाजो, ऐ झुठी मोहब्बते जताने वालो, अब तुम हम पर रोते हो, तुम्हारे रोने से ये जाहीर होता है के शायद हमे कत्ल किसी और ने किया, लेकीन कसम खुदा की तुम ने ही हमे कतल किया है"।

शियाओ की किताबो में भी मोहर्रम के महिने मे गम मनाने को मना किया गया है फिर भी ये लोग मातम कर के गम मनाते है और सुन्नी भी कम इल्म की वजह से उन का साथ देते है। झुठ बोलना और यहा तक के झुठी कसम खाने को शिया सवाब मानते है। जिसे **"तकीया"** कहते है। मिसाल के तौर पे - घर मे बीवी और बच्चे इंतेजार कर रहे है के घर का कमाने वाला शख्स बाहर से खाने के लिए कुछ ले आएगा। अब उस शख्स का खाने चिज़ खरीद कर घर लाने का कोई इरादा नही था और वो जानबुछ कर कुछ नही लाया और वैसे ही घर आ गया और घरवालो को खुश करने के लिए उन से झुठ बोला के "मै तो खाने की चिज़ खरीदने गया था लेकीन फला फला वजह से मै ला नही सका और इस पर कसम भी झुठी खा ली" तो ये है "तकीया"। और यही तकीया इन लोगो ने मैदाने कर्बला मे कर रखा ता। अंदर से हज़रत इमामे हुसेन के साथ थे और बाहर से यजीद के साथ थे।

आज़ान और इकामत से पहेले दुरुद शरीफ पढना, खास वक्त में इज्तेमाई तौर पर खडे हो कर नबी और दिगर हस्तीयो पर सलाम पढना कैसा है?

बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा :

अल्लाह ने हुकूम दिया नबी पर दुरूद पढो और खुब सलाम भेजो। लेकीन इस मे कोई कंडीशन नही लगाई जैसे के - उर्दु में, अरबी में, दिन में, रात में, खडे हो कर, बैठ कर, अकेले या इज्तेमाई तौर पर, आज़ान से पहेले या बाद में। कोई भी बंदा खुद की तरफ से कुरआन की आयत पर कोई कंडीशन नही लगा सकता। अगर उसे कंडीशन लगानी है तो दो तरीके है १) कुरआन की दुसरी आयत ले कर आए, २) हदिसे मशहुरा से।

इसलिए आप चाहे सलातु सलाम दिन मे पढे, रात मे पढे, इज्तेमाई तौर पर पढे या अकेले पढे, जुमे के बाद पढे या फजर के बाद पढे। जब इस पर अल्लाह ने कोई कंडीशन नही लगाई है तो बंदे कौन होते है कंडीशन लगाने वाले।

इसीतरहा आज़ान और इकामत से पहेले दुरूद शरीफ पढना जरूरी ना समझे। आज़ान से पहेले दुरूद शरीफ पढने के बाद कुछ वक्फा ठहर जाए फिर आज़ान दी जाए ताके दुरुद शरीफ आज़ान का हिस्सा ना बन जाए।

बरेलवी हजरात का ये अकिदा गलत है :

अल्लाह तआला कुरआने करीम मे सुरे अहजाब (३३) की आयत नं.५६ में इरशाद फरमाता है के "बेशक अल्लाह और उस के फरीश्ते दुरूद भेजते है नबी (ﷺ) पर, ऐ इमानवालो तुम भी नबी-ए-करीम (ﷺ) पर

दुरूद भेजो और सलाम भेजो और ऐसा जैसे भेजने का हक है"। लेकीन ये चिज़ एक साथ मिलकर पढना (मजलीस में पढना) बिदअत है। क्युंके हुजुर (ﷺ) के दौर मे सलफ-सालेहिन (सहाबा+ताबयीन+तबेताबयीन) ने और खुलफाए राशीदीन ने कभी ये चिजे मजलीस में (एक साथ मिल कर) नही की थी। लेहाजा मजलीस में पढना सुन्नतो किताब से साबीत नही होने की वजह से बिदअत है। अगर ये साबीत होता तो सलाम अरबी में पढा जाता ना के हिंदी में और इस में अहमद रज़ा का नाम ना लिया जाता और कर्बला का जिक्र नही होता क्युं के ये चिजे दिन मुकम्मल होने के बाद हुई। इसी तरहा किसी भी अमल को खास कर देना (जैसे जुमे की ही नमाज के बाद या फजर के ही बाद सलाम पढना, आजान के पहेले दुरुद शरीफ पढना) बिदअत है। आप को पढने से नही रोका जा रहा है, सिर्फ इस अमल को खास दिन और खास वक्त में पढने से मना किया जा रहा है।

रसुलुल्लाह(ﷺ) के मरतबे पर अपने उलमा, इमामो को और नेक हस्तीयो को लेजाना:

दुरूद और सलाम पढने का हुकम हमे कुरआन दे रहा है और सिर्फ रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर। यानी दुरूद व सलाम के हकदार कौन है? रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व सल्लम) और **रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व सल्लम) का हक किसे दिया जा रहा है देखीए -**

औलिया नक्श कुदरत पे लाखो सलाम, पंजतन की सयादत पे लाखो सलाम,
फजले रहेमान से अजमत नबी की सिखी, इस मजदीद की जिदद पे लाखो सलाम,
कादरी, नक्शबंदी व चिश्ती गुलो की, करम पश निगहत पे लाखो सलाम,
जिसे बिबि जोहरा बनाया है बेटा, फजले रहेमान की निस्बत पे लाखो सलाम,
डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सय्यदी आला हजरत पे लाखो सलाम,

और पता नही किन किन हस्तीयो को सलाम भेजते है ये बरेलवी हजरात। क्या ये इस्लाम है, क्या ये रसुलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत से साबीत है, क्या एक जगह जमा होकर इज्तेमाई तौर पर इस तरीके से सलाम पढना सहाबा, ताबयीन, तबे-ताबयीन, सलफ-सालेहीन, आईम्मा अरबा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली)) और मोहदसीन से साबीत है?

क्या मुर्दे कबरो मे आवाज़ सुनते है?

मुर्दे इतनी ही आवाज सुनते है जितना के अल्लाह तआला उन्हे सुनाना चाहता है। जो लोग कहते है के मुर्दे बिल्कुल नही सुनते वो गलत है और जो लोग कहते है के मुर्दे सब सुनते है वो भी गलत है।

१. और बराबर नही है जिंदे और मुर्दे बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे चाहे, और तुम नही सुनाने वाले इन्हे जो कबरो में पढे है। (सुरे फातीर (३५), आयत-२२)
२. हदीस मे आता है के मुर्दा अपनी कबर मे दफना कर जाने वालो की जुतो और चप्पल की आवाज सुनता है।
३. जंगे बदर मे आप (ﷺ) ने कुफ्फार के कबर पर जा कर मुर्दो से मुखातीब हो कर फरमाया था क्या तुम्हे वो मिल गया जिस से मै तुम्हे डराया करता था (यानी अजाब)। सहाबा ने रसुलुल्लाह (ﷺ) से पुछा के क्या ये मुर्दे सुन रहे है? आप (ﷺ) ने फरमाया के मै जो कुछ उन से कह रहा हुँ तुम उन से ज्यादा नही सुनते, हा लेकीन ये जवाब नही दे सकते। - **ये रसुलुल्लाह (ﷺ) का मोजज़ा था । मोहदसीन ने इस हदीस को मोजज़े के चॉपटर में लिखा है। इस हदीस से एक और बात पता चलती है के साहाबा इकराम को इल्म था के मुर्दे नही सुनते इसलिए आप (ﷺ) से इसतरहा का सवाल किया।**

'या रसुलुल्लाह' कहना कैसा है?
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसुलुल्लाह कहना कैसा है?

अरबी में 'या' का माना होता है **खिताब करना** या **तवज्जे कराना**। मिसाल के तौर पे - १) मै आप से बात करना चाहु तो कह सकता हुँ 'या अब्दुल रहेमान'...... २) तवज्जे कराना (मेरी तरफ देखो), मिसाल के तौर पे - या अल्लाह (यानी अल्लाह को मुतवज्जे करना)

'या' कब लगाया जाता है?

१. जिंदा हो और सामने मौजुद हो। (कोई शख्स सामने मौजुद है)
२. वो शख्स की लाश सामने मौजुद हो। (आप (ﷺ) ने जंगे बदर मे मरने वाले कुफ्फार से खिताब की थी)
३. जब हम कबर पर मौजुद हो तो कबर वाले को 'या' से खिताब कर सकते है। (जैसा के कबर पर जा कर हम जो दुआ पढते है उस मे 'या' लफ्ज इस्तेमाल हुआ है)।

पता चला के रसुलुल्लाह (ﷺ) के रोजे मुबारक के अलावा कही से भी 'या रसुलुल्लाह' कहना गलत है और रसुलुल्लाह (ﷺ) की मजारे मुबारक पर 'या रसुलुल्लाह' कहना दुरूस्त है। इस से ये बात भी पता चलती है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) के रोजे मुबारक के अलावा कही से भी "अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसुलुल्लाह" कहना दुरूस्त नही है। आप (ﷺ) को 'या रसुलुल्लाह' खिताब करते हुए दुरूद व सलाम भेजने मे कोई हरज नही है लेकीन **'या रसुलुल्लाह' कहते हुए मदत के लिए पुकारना गलत है।**

क्या नबी (ﷺ) अपनी कबर मुबारक मे ज़िंदा है ?

बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा :

"अल्लाह तआला ने अंबिया के जिस्मों पर मिट्‌टी को हराम फरमाय दिया है, अल्लाह के नबी जिंदा होते है, उन्हे रिज़्क भी दिया जाता है" (इब्ने माजा, जिल्द-२, पेज नं.२९१) **- ये हदीस जईफ है**

जिन उलेमाओ ने हदीस को अलग अलग दर्जे दिए उन्ही उलेमाओ ने फरमाया के अगर फजीलत (features, एक खास क्वॉलिटी) साबीत करनी हो तो जईफ हदीस को दलील के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस से ये साबीत होता है के, नबी-ए-करीम (ﷺ) अपने कबर मे हयात है लेकीन उन के हयाती का शऊर (योग्यता, काबलीयत) हमे हासील नही है। जैसे के शहीदो के बारे कुरआन मजीद बता रहा है के "जो अल्लाह की राह मे मारे जाए उन्हे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है लेकीन तुम्हे इस का शऊर हासील नही"। फिर नबीयो की ज़िंदगी शर्फ व आला है।

नबी को मुर्दा कहने वाले लोग ये भुल गए के हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम अपनी कबर मे नमाज़ पढ रहे थे ये हदीस से साबीत है [सुनन नसई, किताब-२०, हदीस-१६३२] **- ये हदीस हसन है** ।

हुजुर (ﷺ) ने फरमाया "जुमा के दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजा करो क्योंकी तुम्हारा दुरूद पढना मुझ पर पेश किया जाता है, लोगो ने कहा या रसुलुल्लाह हमारा दुरूद पढना आप पर किस तरहा से पेश होगा जब के आप तो मिट्‌टी हो गए होंगे, तो आप ने फरमाया अल्लाह ने अंबिया किराम के जिस्म को मिट्‌टी पर हराम कर दिया है" [सुनन अबु-दाऊद, वोल्युम-१, हदीस नं.१०३५] **- ये हदीस जईफ है**

बरेलवी हजरात का ये अकिदा के नबी कबरे मुबारक में जिंदा है गलत है :

बाज़ लोग नबी-ए-करीम (ﷺ) की वफात (मौत) को नही मानते। और आप को कबर मे जिंदा तसव्वुर करते है। इस अकिदे की वजह से वो नबी को पुकारते है और मदत की दरख्वास्त करते है और नबी को

हाजीर व नाजीर मान कर आप (ﷺ) की रुह मुंबारक हर घर में होती है ये अकिदा रख कर बरेलवी बाहर से घर में दाखील हो ने के बाद नबी (ﷺ) पर सलाम भेजते है। और जो लोग कुरआन और सुन्नत के मुताबीक ये अकिदा रखते है के नबी (ﷺ) वफात पा चुके है ऐसे लोगो को गुस्ताखे रसुल कहा जाता है। और कहते है के नबी (ﷺ) के लिए वफात का लफ्ज इस्तेमाल करना इन की शान मे गुस्ताखी है। नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल करना गुस्ताखी नही है क्युंके अल्लाह तआला ने नबी (ﷺ) के लिए मौत का लफ्ज कुरआने करीम मे इस्तेमाल किया है। आप (ﷺ) ने खुद और सहाबा इकराम (रज़ि) ने भी आप (ﷺ) के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया।

अगर नबी अपने मजारे मुबारक में दुनियावी जिंदगी जी रहे होते और लोगो की मदत कर रहे होते तो सब से पहेले इमाम अबु हनिफा (रहे) आप (ﷺ) के मजारे मुबारक पे जा कर सवाल करते के मुझे फला फला मसला समझ में नही आ रहा है और वो आप से मसला मालुम कर लेते। इसी तरहा से इमाम बुखारी (रहे) भी आप (ﷺ) के मजारे मुबारक पे जा कर सवाल करते के मुझे बताईये के ये हदीस सहीह है या ज़ईफ।

बरेलवी हजरात एक हदीस पेश करते है के "मुसा (अलैहिस्सलाम) अपनी कबर मे नमाज पढ रहे थे"। ये बात सच है लेकीन मुसा (अलैहिस्सलाम) आप (ﷺ) को मेअराज के सफर में मिले थे वहा वो लाल रेत पर खडे होकर अपनी कबर मे नमाज पढ रहे थे, ना के दुनिया वाली कबर, ये हदीस से साबीत है। आप (ﷺ) की जो मेअराज थी ये गैब है और हमारा इमान गैब पर है, इसलिए गैब के बारे मे ये सवाल करना के आस्मान मे कबर कैसे? ये सवाल करना दुरूस्त नही है।

बरेलवी हजरात कहते है के कलमे मे लिखा है के "मुंहम्मद रसुलुल्लाह अल्लाह के नबी है"। कलमे में है लिखा है थे नही लिखा है, लेहाजा मेरे नबी जिंदा है। बरेलवी हजरात को ये समझ में नही आता के ये कलमा-ए-तौय्यबा आप (ﷺ) के हयाती में आया था, ना के आप के दुनिया से जाने के बाद। अगर किसी के वालीद का इंतेकाल हो जाए तो मरने के बाद भी वही उसी के वालीद कहलाते है लेकीन वालीद कहलाने से उन का जिंदा होना साबीत नही होता। दुसरी दुनियावी मिसाल से देखे तो हम कहते है के "महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है", महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन थे इस तरहा नही कहा जाता, जब के महात्मा गांधी अब इस दुनिया में नही है।

हदीस से आप (ﷺ) की वफात के सबुतः

जिस तरहा शहीद जन्नत में जिंदा है और वो दुनिया में दोबारा जिंदा हो कर आ नही सकते उसी तरहा रसुलुल्लाह (ﷺ) जिंदा है लेकीन जन्नत में।

वफाते नबी पर सहाबा इकराम (रज़ि) का एक तहलका मच गया था तो अबुबकर सिद्दीक (रज़ि) ने कितने सख्त अल्फाज कहे.......

हजरत आयशा (रज़ि) से रिवायत है के जब मोहंम्मद (ﷺ) की वफात हो गई तो अबुबकर (रज़ि) अपने घर से जो सनाह मे था घोडे पे सवार हो कर आये और उतरते ही मस्जीद में तशरीफ ले गए, फिर आप किसी से गुफ्तगु (बातचित) के बगैर आयशा (रज़ि) के घर में आए जहा नबी (ﷺ) की लाशे मुबारक रखी हुई थी। और नबी (ﷺ) के तरफ गए, हुजुरे अकरम को (यमान की बनी हुई चादर) से ढांक दिया गया था, फिर आपने हुजुर (ﷺ) की चादर मुबारक खोला और झुक के इसका बोसा लिया और रोने लगे, आप ने कहा के मेरे "मां-बाप" आप पर कुर्बान हो ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ) अल्लाह तआला दो मौत आप पर कभी जमा नही करेगा सिवा एक मौत के जो आप के मुकद्दर में थी, सो आप वफात पा चुके।

अबु सलमा ने कहा के मुझे इब्ने-अब्बास (रज़ि) ने खबर दी के हजरत अबुबकर (रज़ि) जब बाहर तशरीफ लाए तो हजरत उमर (रज़ि) इस वक्त लोगो से कुछ बातें कर रहे थे। और हजरत उमर (रज़ि) कह रहे थे के ये हो ही नही सकता के अल्लाह के नबी (ﷺ) फौत हो जाए। हजरत सिद्दीक अकबर (रज़ि) ने फरमाया बैठ

जाओ, लेकीन हजरत उमर (रज़ि) नही माने, आखीर हजरत अबुबकर (रज़ि) ने कलमा-ए-शहादत पढी तो तमाम मजमा आप की तरफ मुतवज्जा हो गया और हजरत उमर (रज़ि) को छोड दिया।

हजरत अबुबकर सिद्दीक (रज़ि) ने फरमाया "अम्मा बाद"! अगर कोई शख्स तुम में से मोहंम्मद (ﷺ) की इबादत करता था इसे मालुम होना चाहिए की आप (ﷺ) की वफात हो चुकी, और अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह बाकी रहने वाला है, कभी वो मरने वाला नही फिर एक आयत तिलावत फरमाई। हजरत उर कहते है के जब मैने ये आयत सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आयत अभी नाजील हुई और मुझे यकीन हो गया के मोहंम्मद (ﷺ) वफात पा चुके है।(**Sahih** al-Bukhari १२४१, १२४२)

सहाबा का ये खयाल भी हो गया था के "मोहंम्मद (ﷺ) " दोबारा जिंदा होंगे, इसी लिए "हजरत अबुबकर सिद्दीक (रज़ि)" ने फरमाया अल्लाह पाक आप पर दो मौत तारी नही करेगा (यानी आप को दोबोरा जिंदा नही करेगा)। {**Sahih**-Bukhari, Kitabul-Janayez, Hadis-no-१२४१}

इसी तरहा से चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से भी ये अकिदा साबीत नही है।

कुरआन पाक से आप (ﷺ) की वफात के सबुतः

१. "और हम ने तुम (हुजुर ﷺ) से पहेले किसी आदमी के लिए दुनिया मे हमेशगी ना बनाई तो क्या अगर तुम इंतेकाल फरमाओ तो ये हमेशा रहेंगे" (सुरे अंबिया (२१), आयत-३४)

२. "जमीन पर जितने है सब को फना है, और बाकी है तुम्हारे रब की जात अजमत और बुजुर्गी वाला" (सुरे रहेमान (५५), आयत-२६,२७)

३. "बेशक तुम्हे (हुजुर सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम को) इंतेकाल फरमाना है और इन्हे भी मरना है" (सुरे जुमर (३९), आयत-३०)

४. "और हम ने इन (रसुलो) के ऐसे जिस्म नही बनाए थे जो खाना ना खाते हो और ना थे वो दुनिया में हमेशा रहने वाले" (सुरे अंबिया (२१), आयत-८)

५. "तुम (हुजुर सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) फरमाओ बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानीया और मेरा जिना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो रब सारे जहा का" (सुरे अनम (६), आयत-१६२)

६. जंगे-अहद के मौके पर कुफ्फार ने ये अफवा फैला दी थी के नबी (हुजुर सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) शहीद कर दिए गए है तो ये खबर सुन कर सहाबा इकराम के हौसले पस्त हो गए और उन के कदम लडखडाने लगे तो अल्लाह तआला ने इस आयत का नुजुल फरमाया "और मोहंम्मद तो सिर्फ एक रसुल है इन से पहेले भी रसुल आ चुके है अगर ये फौत हो जाए या कत्ल कर दिए जाए तो क्या तुम उलटे पाव फिर जाओगे वो अल्लाह का कुछ नुकसान नही करेगा और अल्लाह तआला जल्दीही बदला देगा शुक्र करने वालो को" (सुरे इमरान (३), आयत-१४४)

नबी की बीवीयो को नबी के वफात के बाद दुसरी शादी की इजाज़त क्यु नही है?

सुरे अहज़ाब (३३) के आयत नं.६ में अल्लाह तआला फरमाता है के, "नबी की बीवीया नबी की उम्मत की मां है"। क्या माँ से कोई शादी करता है। जब के बरेलवी हजरात का ये कहना गलत है के, नबी जिंदा है इसलिए उन की बीवीयो को दुसरी शादी की इजाज़त नही है।

नबी (ﷺ) को कबरे मुबारक में जिंदा बता ने वालो ने नबी की शान में किस तरहा गुस्ताखी की?

आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी की किताब मलफुज़ात में किसी ने अहमद रज़ा खान बरेलवी से पुछा के ''अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया इकराम की हयाते बरजखीया (कब्र में हयाती) में क्या फरक है''?

इस सवाल पर अहमद रज़ा खान बरेलवी ने युं जवाब दिया -

''अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की हयात हकीकी हिस्सी व दुनियावी है (यानी नबी कब्र मुबारक में दुनिया जैसी जिंदगी जीते है) इन पर एक दीन की मौत तारी होती है फिर फौरन इन को वैसे ही हयात फरमा दी जाती है। इस हयात पर वही हुकुमे दुनियावी है के इन का तरका (माल, जायदाद) बांटा ना जाएगा, इन की अज़्वाज (बीवीया) को निकाह हराम और इद्दत नही। वो (नबी) अपनी कबरो में खाते पिने नमाज पढते है। बल्के सय्यदी मोहंम्मद बिन अब्दुल बाकी जुरकानी फरमाते है के **अंबिया अलैहिस्सलाम की कबर में अज़्वाजे मुतहेरात (उन की बीवीया) पेश की जाती है और वो इन के साथ शब बाशी (हमबिस्तरी) फरमाते है।''**

अहमद रजा खान और उन के बुजुर्ग सय्यदी मोहंम्मद बिन अब्दुल बाकी जुरकानी का ये मानना है के नबी कबरो में जिंदा है, अपनी कबरो में दुनियावी जिंदगी जिते है और कबरो में अपनी बिवीयो के साथ शब बाशी (हमबिस्तरी) फरमाते है। **(नऊजुबिल्लाह, अस्तगफीरुल्लाह)**। ऐसी गुस्ताखी कर के भी अहमद रज़ा खान बरेलवी ने माफी मांग कर रुजु नही किया है। ये किताब alahazrat.net इस वेबसाईट से download की जा सकती है।

नोट : दावते इस्लामे ने नई मलफुज़ात में इस बात को शामील नही किया है।

وہ کنیز پسند ہے عرض کی ہاں ہاں اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہئے ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کی۔ اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرماتے ہیں۔ معاً وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کے نظر کی۔ خادم کو اشارہ ہوا انھوں نے آپ کی نذر کردی ارشاد فرمایا عبدالوہاب اب دیر کا ہے کی فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔

عرض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے۔

ارشاد انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات حقیقی حسی دنیاوی ہے ان پر تصدیق وعدۂ الٰہیہ کے لئے محض ایک آن کی آن کو موت طاری ہوتی ہے پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرمادی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیویہ ہیں ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا۔ ان کی ازواج کو نکاح حرام نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں بلکہ سیدی محمد بن عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو حج کرتے ہوئے لبیک پکارتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اولیاء علماء شہداء کی حیات برزخیہ اگرچہ حیات دنیویہ سے افضل اعلیٰ ہے مگر اس پر احکام دنیویہ جاری نہیں اور ان کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ ان کی ازواج عدت کریں گی اور حیات برزخیہ کا ثبوت تو عوام کے لئے بھی ہے۔ حدیث میں ہے مثل مومن کی اس طائر کی طرح جو قفس میں ہے کہ جب تک وہ قفس میں ہے اس کی اڑان اسی تک ہے اور جب اس سے آزاد ہوا تو اس کی اڑان کتنی ہوگی۔ بعد مرنے

क्या नबी (ﷺ) जन्नत के मालिक है?

बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा :

बरेलवीयो के बातील अकिदो में से एक अकिदा ये भी है के रसुलुल्लाह (ﷺ) जन्नत के मालिक है।

बरेलवी हजरात का ये अकिदा गलत है :

बेशुमार आयते और हदिसे मिलती है जो बताती है के जन्नत का मालिक अल्लाह है और रसुलुल्लाह (ﷺ) जन्नत की तरफ बुलाने वाले अल्लाह के रसुल है। निचे देखीए.....

१. सुरे अनाम (६), आयत नं.५० में अल्लाह तआला रसुलुल्लाह (ﷺ) से कहलवा रहा है के, ''तुम फरमा दो मैं तुम से नही कहता मेरे पास अल्लाह के खजाने है और ना ये कहु के मैं आप (खुद) गैब जान लेता हुँ और ना तुम से ये कहु के मैं फरीशता हुँ मै तु इस का ताबे हुँ जो मुझे वही (अल्लाह का पैगाम) आती है। तुम फरमाओ क्या बराबर हो जाएंगे अंधे और आँख वाले तो क्या तुम गौर नही करते''।

इस आयत से साफ जाहीर हो जाता है के अल्लाह तआला के खजानो के मालिक आप (ﷺ) नही है। और जन्नत भी अल्लाह तआला के खजानो में से है।

२. हुजुर (ﷺ) ने उन के चाचा अबु तालीब से बहोत गुजारीश की के वो इमान लाए लेकीन वो इमान नही लाए, अबु तालीब को मरते वक्त भी आप (ﷺ) ने कलमा पढने के लिए इरशाद फरमाया ताके ये कलमा अल्लाह की बारगाह में पेश करके उन की बख्शीश करवा सके। लेकीन अबु तालीब ने कलमा पढने से इनकार कर दिया और उन का इंतेकाल कुफ्र पर हुआ। अबु तालीक के इंतेकाल पर आप (ﷺ) को बहोत गम हुआ। अबु तालीब ने हर वक्त आप (ﷺ) का साथ दिया था और इस्लाम की बहोत मदत की, अबु तालीब को नबी की ज़ात से नही बल्की नबी की बात से इन्कार था। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयते करीमा उतारी ''ऐ महेबुब तुम इस का गम ना करो, तुम अपना मनसबे तबलीग अदा कर चुके...ऐ नबी तुम हिदायत नही देते जिसे दोस्त रखो, हा खुदा हिदायत देता है जिसे चाहे वो खुब जानता है जो राह पाने वाले है ''। दुसरी आयत में अल्लाह तआला फरमाता है के, ''रवा नही नबी और इमान वालो को के अस्तगफार करे मुशरीको के लिए अगरचे वो अपने करीबी हो बाद इसके के उन पर जाहीर हो चुका के वो भडकती आग मे जाने वाले है''। **अगर नबी करीम (ﷺ) जन्नत के मालीक होते तो उन्हे अबु तालीब के मौत का गम ना होता और आप उन्हे जहान्नम में ना जाने देते बल्की जन्नत में डाल देते।**

३. जंगे ओहद में जब आप (ﷺ) के दंदाने मुबारक शहीद हुए और आप जखमी हुए तो आप (ﷺ) ने फरमाया के, ''ये गिरोह कैसे फलाह पाएगा जिस ने अपने पैगंबर से ये सुलुक किया जब के वो इन्हे खुदा की तरफ से दावत देता है''। इस बात पर अल्लाह तआला की तरफ से ये सुरे इमरान (३), आयत नं.१२८ नाज़ील हुई और अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया के ''किसी किस्म का इख्तीयार तुम्हे नही है मगर ये के खुदा चाहे के इन्हे माफ करे दे या सज़ा दे क्युंके वो ज़ालीम है''। **पता चला के नबी करीम (ﷺ) की ज़बाने मुबारक से जो जुमला निकले वो अल्लाह की मर्जी के बगैर पुरा नही हो सकता।**

क्या वली कबर में ज़िंदा है या नही?
क्या मरे हुए इंसान वापस आते है?

हमारे बरेलवी हजरात का मानना है के, वली अपनी कबरो में जिंदा है और वो अपनी बात मनाने के लिए शहीद की हदीस को वली पर फिट कर देते है। कुरआन और हदीस (सहीह) में कही नही लिखा है के वली जिंदा है। इसी तरहा से चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से भी ये अकिदा साबीत नही है।

अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है के, शहीद जन्नत में जिंदा है और उन्हे रिज़्क दिया जाता है, तुम्हे इल्म नही। शहीद की रुह हरे रंग के परींदो में बसती है और वो परींदा जन्नत की सैर कर के अर्श के निचे कंदील

में आता है। अल्लाह तआला शहीदो से कहता है के, तुझे और क्या चाहिए लेकीन शहीद और कुछ नही मांगता. अब शहीद को अल्लाह तआला का जवाब देना होता है तो वह अल्लाह तआला से कहता है के मुझे दोबारा दुनिया में भेज मैं फिर तेरी राह में कत्ल होकर आना चाहता हुँ। इस पर अल्लाह तआला उन्हे कुछ नही कहता। लेहाजा शहीद दुनियावी जिंदगी मांग रहा है फिर भी उसे दोबारा दुनिया में अल्लाह तआला नही भेजता तो एक आम इंसान मरने के बाद कैसे दुनिया में वापस कैसे आ गया? अगर रूह मरने के बाद वापस आती तो सब से पहेले उस से बदला लेती जिस ने उसे मारा है।

हमारे नबी को इल्मे-गैब किस तरहा है?

इल्मे गैब के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा :

इल्मे-गैब (गैब की खबर) वो इल्म है जो अपने अकल से ना जान सके और अपने हवासे खमसा (देखकर, सुन कर, सुंग कर, चख कर, छु कर) से ना जान सके, सिर्फ किसी के बताने से हमे खबर हो। जन्नत मौजुद है ये किसने बताया? नबी ने बताया। इस का मतलब नबी को इल्मे-गैब है। नबी को हर किस्म का गैब का इल्म है, उन से कुछ छुपा नही है।

बरेलवी हजरात का ये अकिदा गलत है :

कुरआन और सहीह हदीस से सबुत मिलते है के आप (ﷺ) को इल्मे गैब था लेकीन उतना ही था जितना आप को अल्लाह वही के जरीए बता देता था। जो लोग कहते है के आप (ﷺ) इल्मे गैब बिल्कुल नही था वो भी गलत है और जो कहते है के आप (ﷺ) को हर चिज का इल्मे गैब था वो भी गलत है।

१. **हदीस :** आयशा (रजि) ने बयान किया के अगर तुम से कोई कहता है मुहम्मद (ﷺ) इल्मेगैब जानते थे तो गलत कहता है (झुठा है) क्युंकी अल्लाह तआला खुद कहता है के गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नही {Sahih-Bukhari, Vol No:- 08, Book: 98 (Kitaab-ul-Tauheed) Hadees No:- 7380}{Sahih-Bukhari, Vol No:- 06, Book: 65 (Kitaab-ul-Tafseer) Hadees No:- 4855}
२. **हदीस :** हजरत अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के एक दिन रसुलुल्लाह (ﷺ) लोगो में तशरीफ फरमा हुए थे के आप के पास एक शख्स आया इस ने पुछा कयामत कब आएगी? आप (ﷺ) ने फरमाया के, "इस के बारे मे जवाब देने वाला पुछने वाले से कुछ ज्यादा नही जानता" {Sahih-Bukhari, Vol-no: 01, Book: 02(Kitaab-ul-Emaan), Hadees-no: 50}
३. और वो कोई बात अपने ख्वाहीश से नही करते, वो तो नही मगर वही जो इन्हे की जाती है। (सुरे नजम (५३), आयत-३,४)
४. आप फरमा दिजीए के मैं खुद अपनी ज़ात खास के लिए किसी नफा का इख्तीयार नही रखता और ना किसी नुकसान का मगर इतना ही के जितना अल्लाह ने चाहा हो। और अगर मैं गैब की बाते जानता होता तो मैं बहोत से नफा हासील कर लेता और कोई नुकसान मुझ को ना पहोंचता, मैं तो सिर्फ डराने वाला और बशारत देने वाला हुँ इन लोगो को जो इमान रखते है। (सुरे ऐराफ (७), आयत-१८८)

<u>इस आयत की तफसीरः</u>

- खरीदारी के वक्त मुझे ये मालुम हो जाता के मुझे किस चिज में नुकसान होगा और इस तरहा जो चिज भी मैं बेचता मुझे इस में नफा ही हासील होता और मुझे कोई तकलीफ ना पहोंचती (तफसीर इब्ने-आबी-हातीम, १६२९/५)
- इमाम इब्ने जारयार फरमाते है के मुफस्सरीन ने इस के माने ये बयान किये है के अगर मैं गैब की बात जानता होता तो खुशहाली के दौर में कहत साली की तैयारी कर लेता। (तफसीर तिबरीयाई-१९०/९)

- अब्दुल रहेमान बिन-अस्लम (रहे) ने इस के माने ये बयान किये है के किसी मुसीबत के आने से पहेले मैं इस से बचने की तदबीर इख्तीयार कर लेता और इस से बच जाता। (तफसीर इब्ने आबी हातीम, १६३०/५)

५. गैब का जान्नेवाला अपने गैब को किसी पर जाहीर नही करता सिवाय अपने रसुलो के जिसे वो पसंद कर ले, और उन के आगे पिछे पहेरेदार मुकर्रर कर देता है। (सुरे जिन्न (७२), आयत : २६-२७)
इस आयत से पता चला के गैब की बात की निगरानी फरीश्ते करते है, ये गैब की बात जिबराईल अलैहिस्सलाम लाया करते थे। अगर आप (ﷺ) को इल्मे गैब होता तो जिबराईल अलैहिस्सलाम को आ कर गैब की खबर देने की क्या जरूरत थी? और उस खबर को इतनी निगरानी की क्या जरूरत थी?

६. शहेद का वाकीया जिस में रसुलुल्लाह (ﷺ) की दो बिवीयो ने मंसुबा-बंदी की और उस के नतीजे में रसुलुल्लाह (ﷺ) ने अपने उपर शहेद हराम फरमा लिया, बाद में अल्लाह ने आप (ﷺ) को सारी बात बता दी। (सुरे तेहरीम (६६), आयत :१-४) (**सहीह** बुखारी, किताबुल तफसीर, हदीस-४९१२, ५२६७, ५२६८, **Bukhari Volume 6, Book 60, Number 434**)

७. एक सफर में हजरत आयशा (रजि) का हार गुम हो गया। रसुलुल्लाह (ﷺ) इसे ढुंढने के लिए रुक गए और लोग भी आप के साथ रुक गए। हजरत आयशा के वालीद बहोत खफा हुए, बाद में उस उंट को खडा किया गया जिस पर हजरत आयशा (रजि) सवार थीं तो हार उस के निचे से मिल गया (**सहीह** बुखारी, हदीस-३३४, ३६७२) (**सहीह** मुस्लीम, किताब : अल-हैज़, हदीस-३६७)

८. आप (ﷺ) के बिमारी में जब आप की बिमारी बढ गई तो आप बार-बार बेहोश हुए, जब होश आता तो फरमाते क्या लोगो ने नमाज पढ ली? अर्ज किया जाता ’नही’, लोग आप (ﷺ) का इंतेजार कर रहे है, ऐसा तीन बार हुआ (**सहीह** बुखारी, किताबुल आज़ान, हदीस-६८७, **सहीह** मुस्लीम, किताबुस सलाह, हदीस-४१८)

९. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने ४० या ७० कुरआन के आलीम सहाबा की एक जमाअत मुशरीकीन के पास भेजी थी, मुशरीकीन ने उन को रास्ते में कत्ल कर दिया। (**सहीह** बुखारी, किताबुल वितर, हदीस-१००१, १३००) - **अगर आप (ﷺ) को इल्मे गैब होता तो आप सहाबा को मुशरीकीन के साथ जाने ना देते।**

१०. एक दफा सुरज ग्रहन हुआ तो आप (ﷺ) बहोत घबरा कर उठे, इस डर से के कही कयामत ना कायम हो जाए (**सहीह** बुखारी-१०५९, **सहीह** मुस्लीम-९१२)

११. एक सहाबीया फौत हो गई लेकीन रसुलुल्लाह (ﷺ) को उस की वफात की खबर किसी ने ना दी। वो सहाबीया मस्जीद में झाडु लगाया करती थी। एक दीन आप (ﷺ) ने खुद याद फरमाया के वो शख्स दिखाई नही देती। सहाबा (रजि) ने कहा उस का तो इंतेकाल हो गया। आप (ﷺ) ने फरमाया, फिर तुम ने मुझे खबर क्यु ना दी, चलो मुझे उस की कबर बता दो। (**सहीह** बुखारी-४५८, **सहीह** मुस्लीम-९५६, **सहीह** बुखारी किताब-४, हदीस-२०८८)

१२. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, मैं अपने घर जाता हुँ, वहा मुझे मेरे बिस्तर पर खजुर पडी हुई मिलती है, मैं उसे खाने के लिए उठा लेता हुँ लेकीन फिर ये डर होता है के कही ये सदका की खजुर ना हो तो मैं उसे फेंक देता हुँ। (**सहीह** बुखारी-२४३२, **सहीह** मुस्लीम-१०७०)

१३. एक यहुदी औरत रसुलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत में ज़हेर मिला बकरी का गोष्त लाई। आप (ﷺ) ने उस में से कुछ खाया फिर जब उस औरत को लाया गया तो उस ने ज़हेर का इकरार कर लिया तो कहा गया के क्युं ना इसे कत्ल कर दिया जाए? आप (ﷺ) ने फरमाया, ’नही’। हजरत अनस (रजि) कहते है के उस ज़हेर का असर मै ने हमेशा रसुलुल्लाह (ﷺ) के तालु (uvula) में महेसुस किया। (**सहीह** बुखारी-२६१७, **सहीह** मुस्लीम-२१९०)

एक यहुदी औरत ने आप को दावत की और खाने में ज़हेर मिला दिया जिसे आपने भी खाया और सहाबा (रजि) ने भी, हत्ता के कुछ सहाबा (रजि) ने खाने के ज़हिरेपन से हलाक (मौत) ही हो गए और खुद नबी-ए-करीम (ﷺ) उमर भर इस ज़हेर के असरात महेसुस फरमाते रहे। **- अगर आप (ﷺ) को इल्मे गैब होता तो आप सहाबा को ज़हीरीला खाना क्यु खाने देते?**

<u>दिगर दलाईल:</u> कुरआन की बेशुमार आयते और बेशुमार हदीसे हे, सब को लिखना मुमकीन नही है इसलिए आप को सुरा नंबर और आयत नंबर बताई जा रही है इसी तरहा हदीस नंबर बताया जा रहा है। इन्हे पढने के बाद आप खुद ही फैसला कर देंगे के हकीकत क्या है।

<u>कुरआन से दलीले :</u>

- [Surah Shuraa, 42:52] [Surah Qasas, 28:44-46]
- [Surah Qasas, 28:86] [Surah Namal, 27:65] [Surah Nisa, 4:164]
- [Surah Maidah, 5:109] [Surah Namal, 27:65] [Surah Luqmaan, 31:34]
- [Surah Muddassir, 74:31] [Surah ‘abasa, 80:1-12] [Surah Taubah, 9:101]
- [Quran 35:22] [Quran 30:52] [Quran 6:50]
- [Quran 7:188]
- [Surah Ahzab, 63 ‘ Surah Shoora, 17 ‘ Surah A’raaf, 187 ‘ Surah Ta-Ha, 15 ‘ Surah Namal, 65 ‘ Surah Luqman, 34 ‘ Surah Fussilat, 47 ‘ Surah Zukhruf, 85 ‘ Surah Mulk, 25-26]

<u>सहीह हदीस से दलीले :</u>

- [Surah Noor, 24:16-26 ‘ Bukhari, Kitaab Al-Maghaazi, Hadith#4141]
- [Surah Tehreem, 66:1-4 ‘ Sahih Bukhari, Kitab-ul-Tafseer, Hadith#4912’5267’5268]
- [Sahih Muslim, Hadith#2538]
- [Sahih Bukhari, Kitaab As-Salaah, Hadith#349’4233 ‘ Sahih Muslim, Kitaab Ul-Emaan, Hadith#163]
- [Sahih Bukhari, Hadith#6999 ‘ Sahih Muslim, Kitaab Ul-Emaan, Hadith#169]
- [Sahih Bukhari, Kitaab Al-Tafseer (Surah wa-Najam), Hadith#4855 ‘ Sahih Muslim, Kitaab Al-Emaan, Hadith#177]
- [Sahih Bukhari, Hadith#6573 ‘ Sahih Muslim, Kitaab Ul-Emaan, Hadith#182]
- [Sahih Bukhari, Kitab Al-Ghusl, Hadith#280]
- [Sahih Bukhari, Hadith#334’3672 ‘ Sahih Muslim, Kitaab Al-Haiz, Hadith#367]
- [Sahih Bukari, Kitaab Ul-Azaan, Hadith#687 ‘ Sahih Muslim, Kitaab Us-Salaah, Hadith#418]
- [Sahih Bukhari, Kitaab Ul-Witr, Hadith#1001’1300]
- [Sahih Bukhari, Hadith#595 ‘ Sahih Muslim, Hadith#680’681]
- [Bukhari: 1151]
- [Bukhari: 3206]
- [Bukhari: 1059 ‘ Muslim: 912]
- [Bukhari: 1254’1258 ‘ Muslim:939]
- [Bukhari: 458 ‘ Muslim: 956]
- [Bukhari: 6443]
- [Bukhari: 1466 ‘ Muslim: 1000]
- [Bukhari: 2432 ‘ Muslim: 1070]
- [Bukhari: 2576 ‘ Muslim:1077]
- [Bukhari: 2016 ‘ Muslim: 1167]
- [Bukhari: 305]
- [Bukhari: 1568 ‘ Muslim: 1216]

- [Bukhari: 3044 ‘ Muslim: 1357]
- [Bukhari: 5155 ‘ Muslim: 1426]
- [Bukhari: 371 ‘ Muslim:1365]
- [Bukhari: 5210 ‘ Muslim: 1438]
- [Bukhari: 2647 ‘ Muslim: 1455]
- [Bukhari: 2097 ‘ Muslim]
- [Bukhari: 5316 ‘ Muslim: 1497]
- [Bukhari: 4577 ‘ Muslim: 1616]
- [Bukhari: 2586 ‘ Muslim: 1623]
- [Bukhari: 3018 ‘ Muslim: 1671]
- [Bukhari: 3141 ‘ Muslim:1752]
- [Bukhari: 4117 ‘ Muslim: 1769]
- [Bukhari: 3962 ‘ Muslim: 1800]
- [Bukhari: 5537 ‘ Muslim: 1946]
- [Bukhari: 4889’3798 ‘ Muslim: 2054]
- [Bukhari: 5470 ‘ Muslim: 2144]
- [Bukhari: 6250 ‘ Muslim: 2155]
- [Bukhari: 6241 ‘ Muslim: 2156]
- [Bukhari: 2617 ‘ Muslim: 2190]
- [Bukhari: 7047 ‘ Muslim: 2275]
- [Bukhari: 2908’2627 ‘ Muslim: 2307]
- [Bukhari: 2412 ‘ Muslim: 2374]
- [Bukhari: 3383 ‘ Muslim: 2378]
- [Bukhari: 122 ‘ Muslim: 2380]
- [Bukhari: 5226’3679 ‘ Muslim: 2394]
- [Bukhari: 441 ‘ Muslim: 2409]
- [Bukhari: 2846’3719’4113 ‘ Muslim: 2415]
- [Bukhari: 5884’2122 ‘ Muslim:2421]
- [Bukhari: 1342]
- [Bukhari: 4141]
- [Bukhari: 1336]
- [Bukhari: 6517]
- [Bukhari: 7018]
- [Bukhari: 3045]

गैरुल्लाह से मांगना और गैरुल्लाह को पुकारना कैसा है?

सुरे बकरा (२) आयत नं.१५३ मे अल्लाह तआला फरमाता है के ’’ऐ इमान वालो सबर और नमाज से मदत मांगो बेशक अल्लाह सबर करने वालो के साथ है’’। बरेलवी हजरात इस आयत को गैरुल्लाह से मदत मांगने की दलील बनाकर गैरुल्लाह से मांगने को जायज़ करार देते है।

बरेलवी हजरात कुरआन की इस आयत को गलत तरीके से दलील बना कर पेश करते है। कोई भी शख्स नमाज से मदत इसतरहा नही मांग सकता के ’’ऐ नमाज मुझे फला दे दे, ऐ नमाज मेरी फला परेशानी दुर कर’’। इस आयत का हकीकी मतलब ये है के, **नमाज पढ कर अल्लाह से मदत मांगनी चाहिए**। नमाज गैरुल्लाह है। मदत सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है गैरुल्लाह से नही।

जो चिज अल्लाह के इख्तीयार में है वो चिज बंदो से मांगना शिर्क है।

मिसाल के तौर पर - ऐ वली मुझे औलाद दे दिजीए, मेरी परेशानी दुर कर दिजीए.......

जो चिज बंदो के इख्तीयार में है उसे मांगना शिर्क नही है।
मिसाल के तौर पर - मुझे पेन दे दिजीए, मुझे खाना दिजीए, मुझे गाडी दे दिजीए वगैरा वगैरा।

या अली मदत, या गौस अल-मदत, या ख्वाजा अल-मदत वगैरा पुकारना शिर्क है क्युंके कही से भी पुकारना और उस पुकार का सुने जाना सिर्फ अल्लाह की सिफत है। जरा गौर कीजिए के, किन मामुली कामो के लिए इतनी बडी हस्तीयो को मदत के लिए पुकारा जा रहा है - वजन उठाने के लिए, गाडी को धक्का लगाने के लिए, गाडी को किक मारने के लिए, गुमी हुई चिज को ढुंढने के लिए, सर का दर्द दुर करने के लिए..... माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।

<u>कुरआन कै पैगाम :</u>

१. और बराबर नही है जिंदे और मुर्दे बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे चाहे, और तुम नही सुनाने वाले इन्हे जो कबरो में पडे है। (सुरे फातीर (३५), आयत-२२)
२. वाकई, तुम अल्लाह को छोड कर जिन को पुकारते हो वो भी तुम्हारी तरहा अल्लाह के बंदे है, सो तुम इन को पुकारो! फिर इन्हे भी चाहिए के तुम्हारा जवाब दे, अगर तुम सच्चे हो। (सुरे ऐराफ (७), आयत-१९४
३. और अल्लाह तआला पर जो भरोसा रखता है इस के लिए अल्लाह काफी है (सुराह तलाक (६५), आयत-३)
४. ऐ नबी (ﷺ) कहे दिजीए इंसानो से के तुम्हारा नफा और नुकसान का इख्तीयार सिर्फ अल्लाह के पास है। (सुराह जिन (७२), आयत-२१)
५. ऐ लोगो! तुम सिर्फ मेरे दर के फकीर हो (सुराह फातीर (३५), आयत-१५)
६. और तुम्हारे रब का फरमान है की मुझ से मांगो मै तुम्हारी दुआओ को कबुल करूंगा (सुराह मोमिन (४०), आयत-६०)
७. और तुम्हारा अल्लाह के अलावा कोई भी ना कारसाज है और ना मदतगार (सुराह अश-शुरा (४२), आयत-३१)
८. भला बताओ तो अल्लाह के अलावा तुम जिन को पुकारते हो अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहोंचाना चाहे तो क्या ये उस की दी हुई तकलीफ को दुर कर सकते है या अल्लाह मुझ पर इनायत करना चाहे तो ये उस की इनायत को रोक सकते है (सुराह जुमर (३९), आयत-३८)
९. कह दिजीए की तो क्या तुम ने (फिर भी) उस के अलावा और कारसाज करार दे दिए है तो अपनी ही जात के लिए नफा और नुकसान का इख्तियार नही रखते (सुराह राअद (१३), आयत-१६)
१०. और उस से बढकर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के अलावा औरो को पुकारे जो कयामत तक भी उस की बात ना सुने बल्की उन के पुकारने की खबर तक ना हो (सुराह अहकाफ (४६), आयत-५)
११. ऐ नबी (ﷺ) ! आप और आप के पैरोकार अहले इमान को बस अल्लाह ही काफी है (सुराह अनफाल (८), आयत-६४)
१२. बेशक मेरा वाली (मदतगार) अल्लाह है जिस ने किताब उतारी और वो नेको को दोस्त रखता है (सुरे ऐराफ (७), आयत:१९६)
१३. तो क्या काफीर (इंकार करने वाला) ये समझते है के मेरे बंदो को मेरे सिवा हिमायती बना लेंगे बेशक हम ने काफीरो की महेमानी को जहान्नुम तयार कर रखी है (सुरे कहफ (१८), आयत:१०२)
१४. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, अल्लाह उन से नाराज होता है जो अल्लाह से नही मांगते (सुनन तिरमीजी, किताब-४८, हदीस- ३३७३)**- ये हदीस जईफ है**
१५. सुरे युनुस (१०), आयत:२८-३६ देखीए।

दुआ एक इबादत है इसलिए दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए

"हजरत नौमान-बिन-बशीर (रज़ि) से रिवायत है रसुलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) ने फरमाया दुआ एक इबादत है, फिर आपन सुरे मोमीन की आयत नं.६० पढी, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबुल करूंगा, और जो लोग मेरी इबादत (दुआ) से तकब्बुर करते है वो ज़लील व ख्वार हो कर जहान्नुम मे दाखील होंगे।"
(Tirmizi J#५ P#२४३ H#३३७२) **- ये हदीस सहीह है**

पता चला के दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, गैरुल्लाह से दुआ मांगना शिर्क है।

<u>कुरआन का पैगाम :</u>

सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगो और वही दुआ कबुल करने वाला है।

१. और ऐ महेबुब जब तुम से मेरे बंदे पुछे तो मै नज़दीक हुँ दुआ कुबुल करता हुँ पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे तो इन्हे चाहिए मेरा हुकुम माने और मुझ पर इमान लाए के कही राह पाए (सुरे बकराह (२), आयत:१८६)
२. सब खुबीया अल्लाह को जिस ने मुझे बुढापे में इस्माईल व इसहाक दिए बेशक मेरा रब दुआ सुन्ने वाला है। (सुरे इब्राहीम (१४), आयत:३९)
३. और वही है जो अपने बंदो की तौबा कबुल फरमाता है और गुनाहो से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। और दुआ कबुल फरमाता है इन की जो इमान लाए और अच्छे काम किये इन्हे अपने फजल से और इनाम देता है और काफीरो के लिए सख्त अजाब है (सुरे शुरा (४२), आयत:२५-२६)
४. ऐ लोगो! तुम सिर्फ मेरे दर के फकीर हो (सुराह फातीर (३५), आयत-१५)

वसीला क्या है और वसीले से मांगना कैसा है?

वसीले के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा :

१. मुसलमान का ये अकिदा होना चाहिए के अल्लाह तआला से ही मांगा जाए और अल्लाह तआला ही इस का हकदार, लायक है। अंबीया इकराम, सहाबा इकराम, औलीया इकराम सब के सब अल्लाह के बारगाह से हासील करते है फिर आगे अता (देना) फरमाते है। इसी तरीके से हम सब लोग अल्लाह तआला से ही हासील करते है और फिर एक दुसरे की मदत करते है। अल्लाह तआला मोहताज नही होने के बावज़ुद वो एक चिज़ को दुसरी चिज़ के जरीए देता है। आप अपने आस पास गौर कर ले के जो भी चिज़ आप के पास है क्या वो डायरेक्ट अल्लाह तआला के पास से आप के घर मे आ कर गिर गई थी या आप ने उस जिच को किसी जरीए से हासील किया। मालुम ये हुआ के अल्लाह की बारगाह से कोई भी चिज़ हासील करनी हो तो वसीले के बगैर हासील नही होंगी और बेशक देने वाला सिर्फ अल्लाह तआला है।
२. मुस्लीम की रिवायत है हुजुर (صلى الله عليه وسلم) ने इरशाद फरमाया के, "मैदाने महेशर तारी (छा जाना) होगा, जमीन तांबे की बना दी जाएगी, कुफ्फार गर्मी की वजह से अपने पसीने मी डुबकीया खा रहे होंगे और हिसाब किताब शुरु भी हो रहा होंगा, लोग अल्लाह की बारगाह मे इल्तीजा करेंगे कोई जवाब नही मिलेगा तो आपस मे मशवरा करेंगे के क्या करे, कोई कहेंगा के हम आदम अलैहिस्सलाम के पास जा कर दरख्वास करेंगे के कम से कम हिसाब किताब शुरू हो जाए, तो सब आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे और मुश्कील से उन के पास पहोंचेंगे, आदम अल्लैहिस्सलाम फरमाएंगे ये सिफारश मै नही कर सकता, ऐसा कह कर दुसरे नबी के पास जाने के लिए कहेंगे, दुसरे नबी भी मना कर देंगे और तिसरे नबी के पास भेज देंगे और तिसरे नबी मना कर के चौथे के पास भेज देंगे, उस के बाद लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे वो कहेंगे के मैं तुम्हारी सिफारीश नही कर सकता तुम्हारी अगर कोई सिफारीश कर सकते है तो वो रसुले खुदा मोहंमद मुस्तफा (صلى الله عليه وسلم) है। अब सारे लोग हुजुर (صلى الله عليه وسلم) की बारगाह मे हाजिर होंगे और कहेंगे या रसुलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) अल्लाह की बारगाह मे सिफारीश किजीए। उस वक्त आप (صلى الله عليه وسلم) अल्लाह की

बारगाह मे सजदा करेंगे और अल्लाह कहेगा के "ऐ मोहंमद अपना सर उठीईये और मांगीये आप को अता किया जाएंगा, आप शफाअत करे आप की शफाअत कुबुल की जाएगी"। {SAHEEH MUSLIM,१:११० , SAHEEH BUKHARI, २:९७१} इस से मालुम ये हुआ के देने वाला अल्लाह तआला ही है लेकीन उस की आदते करीमा है के वो वसीले से ही देता है।

३. साहबा इकराम से बहोत बार साबीत है के वो हुजुर (ﷺ) के पास आए और अपनी जरुरतो को पेश किया, कभी पानी की कमी की वजाह से दरख्वास की, कभी भुक की वजह से दरख्वास्त की, कभी खाना मांगा, कभी बिमारी के इलाज और शिफा के लिए आते थे, कभी कर्जे की अदाईगी के लिए, दुनियावी माल के लिए भी, दुआ के लिए भी और नबी-ए-करीम (ﷺ) ने भी उन की मदत फरमाई। आप ने ये नही कहा के मेरे पास क्या आ रहो हो, तुम अल्लाह की बारगाह मे डायरेक्ट मांग सकते हो। आप (ﷺ) ने साबीत कर दिया के देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह तआला की ही होती है लेकीन उसके मकबुल बंदो को वसीला बना लिया जाए तो अल्लाह तआला बहोत जल्द अता फरमाता है।

४. आदम (अलैहिस्सलाम) ने हुजुर (ﷺ) के वसीले से दुआ फरमाई थी और आप की दुआ कबुल हुई थी।

बरेलवी हजरात का वसीले का अकिदा गलत है :

१. इस्लामी शरीयत ने हमे अल्लाह के नाम और अपने नेक आमाल (काम) के जरीये से मांगने की इजाज़त दी है। और अगर कोई नेक इंसान जिंदा है तो उस से दुआ करवा सकते है लेकीन नेक लोग जो मर चुके हो उन का वसीला लगाकर दुआ मांगना गलत है। कुरआन और सुन्नत मे कही भी नही लिखा है के दुआ मे मरे हुए नेक लोगो का वसीला लगना चाहिए या मरे हुए नेक लोगो का वसीला लगाने से दुआ जल्दी कुबुल होती है। नबी (ﷺ) ने जितने भी दुआ हमे सिखाई उस में कही भी वसीला नही है।

२. सहाबा इकराम नबी (ﷺ) से दुआ करवाते थे, लेकीन आप (ﷺ) हयात थे तब तक, आप के इंतेकाल के बाद किसीने अल्लाह के रसुल के वसीले से दुआ नही मांगी।

३. हजरत उस्मान-बिन-हुनैफ (रजि) से रिवायत है के, एक नाबीना (अंधा) शख्स नबी (ﷺ) की बारगाह में हाजीर हुआ और बोला, आप मेरे लिए दुआ किजीए की अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। तो आप (ﷺ) ने फरमाया, अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बहेतर होगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं। तो उस ने कहा आप दुआ किजीए। आप (ﷺ) ने फरमाया, जाओ, अच्छी तरहा वज़ु करो और फिर २ रकात नमाज़ पढो और फिर इस तरहा दुआ करो, ''ऐ अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हुँ, और तेरी तरफ रुख करता हुँ और मुहंम्मद (ﷺ) नबी-ए-रहेमत के वसीले से तुझ से दुआ करता हुँ, ऐ मुहंम्मद (ﷺ) , मै ने अपनी हाजत के लिए आप के वसीले से अल्लाह की तरफ रुख किया, ऐ अल्लाह! ये वसीला कबुल फरमा। [Tirmidhi As-Sunan, Vol-05, Page-569, Hadith-3578][Imam Hakim Al Mustadrak Vol : 01, Pg : 313, Hadees : 519] [Ibn Majah As-Sunan, Volume-01, Page-197, Kitab : Iqamat Al Salat Wa Sunnat, Hadith-1385] [Nasa'i - Amal Al Yawm Wal Layla Pg : 417, Hadees -658,659]

इस हदीस से साबीत हुआ के वसीले के लिए ३ शर्ते जरुरी है। १) नबी का हयात होना, २) मांगने वाले के लिए अल्लाह के रसुल खुद दुआ करे और ३) मांगने वाला भी अल्लाह से अल्लाह के रसुल के वसीले से दुआ करे। आज कल लोग दुआ के आखीर में अल्लाह के रसुल का वास्ता दे कर दुआ करते है, ये अमल साबीत नही, ना सहाबा से, ना अल्लाह के रसुल ने हमे ऐसा सिखाया और ना किसी इमाम और मोहदसीन ने ऐसा किया।

४. गैरुल्लाह से दुआ मांगना शिर्क है और गैरुल्लाह के वसीले से दुआ मांगना शिर्क के हुकूम में है।

५. **<u>अल्लाह के रसुल (ﷺ) कयामत मे उन की शफाअत करेंगे जो शिर्क कर के नही मरे :</u>**
<u>हदीस :</u> हजरत अबु हुरेरा (रजि) कहते है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, हर नबी के लिए एक दुआ ऐसी है जो जरूर कबुल होती है, तमाम नबीयो ने वो दुआ दुनिया मे ही मांग ली, लेकीन मै ने अपनी दुआ कयामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महेफुज कर रखी है, मेरी शफाअत इन्शाअल्लाह हर

उस शख्स के लिए होगी जो इस हाल में मरा के उस ने किसी को अल्लाह के साथ शरीक नही किया (**सहीह** मुस्लीम, किताबुल इमान, हदीस-३९९)

६. "अनस-बिन-मालीक (रज़ि) रिवायत करते है के, जब कभी हजरत उमर (रज़ि) के जमाने मे कहत पडता तो उमर (रज़ि) हजरत अब्बास-बिन-अब्दुल मुत्तालिब के वसीले से दुआ करते और फरमाते के ऐ अल्लाह पहेले हम तेरे पास अपने नबी-ए-करीम (ﷺ) का वसीला लाया करते थे तो तु पानी बरसाता था। अब हम अपने नबी-ए-करीम (ﷺ) के चाचा को वसीला बनाते है तो तु हम पर पानी बरसा, अनस (रज़ि) ने कहा के चनांचा बारीश खुब ही बरसी"(**Saheeh** Bukhari, Hadees १०१०).

इस हदीस से ये मालुम हुआ के रसुलुल्लाह (ﷺ) के दुनियासे जाने के बाद आप के कबरे अन्वर पर जमा होकर बारीश के लिए दुआ नही मांगी जाती थी और दुआ मे आप का वसीला नही लिया जाता था बल्की की आप के चाचा हजरत अब्बास (रज़ि) के वसीले से करवाई जाती थी जो की हयात थे।

५. अल्लाह पाक फरमाता है : "हा खालीस अल्लाह ही की बंदगी है और जिन्हो ने इस के सिवा और वली बना लिए कहते है हम तो इन्हे सिर्फ इतनी बात के लिए पुजते है के ये हमे अल्लाह के पास नज़दीक कर दे अल्लाह इन में फैसला कर देगा इस बात का जिस मे इख्तेलाफ कर रहे है बेशक अल्लाह राह नही देता इसे जो झुठा बडा ना शुक्र हो" (Surah az zumar (३९), ayat ३)

६. अल्लाह पाक फरमाता है : "और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चिज को पुजते है जो इन का कुछ भला ना करे और कहते है के ये अल्लाह के यहा हमारे सिफारशी है तुम (नबी) फरमाओ क्या अल्लाह को वो बाते जताते हो जो इस के इल्म में ना हो आस्मानो में है ना जमीन में इसे पाकी और बरतरी है इन के शिर्क से" (Surah Yunus (१०), ayat-१८)

७. अल्लाह पाक फरमाता है : "ये इस पर हुआ के जब एक अल्लाह पुकारा जाता तो तुम कुफ्र करते (इंकार करते, नही मानते) और इस का शरीक ठहराया जाता तो तुम मान लेते तो हुक्म अल्लाह के लिए है जो सब से बुलंद बडा" (Surah-Momin-(Fussilat) (४०), ayat-१२)

ये आयते साफ तौर पर मुशरीकीने मक्का की हालत बयान करती है पर अफसोस है के आज के कुछ मुसलमान ऐसे ही अकिदे के है।

८. (ऐ नबी सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करे तो आप कहे दिजीए के मैं बहोत करीब हुँ, हर पुकार करने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे कबुल करता हुँ, इसलिए लोगो को भी चाहिए के वो मेरी बात मान लिया करे और मुझ पर इमान रखे, यही इन की भलाई का जरीया है। (सुरे बकराह (२), आयत-१८६)

पता चला के दुआ अल्लाह से बगैर वसीले के दुआ मांगी तो भी सुनी जाती है।

९. क्या इन लोगो ने अल्लाह तआला के सिवा औरो को सिफारीश करने वाला मुकर्रर कर रखा है, तो कह दे के क्या उस सुरत में भी जब को वो किसी चिज के मालीक नही और ना ही कोई अकल रखता है? कह दे के तमाम सिफारीश का मुख्तार अल्लाह तआला ही है, आस्मान और जमीन की बादशाही उसी की है, फिर उस की तरफ तुम सब (मरने के बाद) लौट जाओगे। (सुरे जुमर (३९), आयत-४३,४४)

१०. कौन है जो इस की जनाब मे इस की इजाज़त के बगैर सिफारीश कर सके (सुरे बकरा(२), आयत-२५५)

११. और वो अपने हुकुम मे किसी और को शरीक नही करता (सुरे कहफ (१८), आयत-२६)

१२. और अल्लाह जैसा चाहता है हुकुम करता है कोई इस के हुकुम को रद्द करने वाला नही (सुरे राअद (१३), आयत-४१)

१३. हदीस शरीफ है : बुखारी शरीफ की हदीस (हदीसे कुदसी) है हुजुर (ﷺ) इरशाद फरमाते है के अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "और मेरा बंदा जिन जिन इबादतो से मेरा कुर्ब हासील करता है (यानी मेरे करीब आता है) कोई इबादत मुझ को उस से ज्यादा पसंद नही है जो मैने उस पर फर्ज की है। और मेरा बंदा फर्ज अदा करने के बाद नवाफील इबादत कर के मुझ से इतना ज्यादा नजदीक हो जाता है के मैं उस से मोहब्बत करने लगता हुँ, फिर जब मैं उस से मोहब्बत करने लगता हुँ तो मैं उस का कान बन जाता हुँ जिस से वो सुनता है, उस की आँख बन जाता हुँ जिस से वो देखता है, उस का हाथ बन जाता हुँ जिस से वो

पकडता है, उस का पाव बन जाता हुँ जिस से वो चलता है। और अगर मुझ से मांगता है तो मैं उसे देता हुँ, अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह का तालीब होता है तो मैं उस को महेफुज रखता हुँ और मैं जो काम करना चाहता हुँ उस में मुझे इतना तरददुद (हिचकिचाहट) नही होता जितना की अपने मोमीन बंदे की जान निकालने में होता है वो तो मौत को पसंद नही करता और मुझे भी उस को तकलीफ देना अच्छा नही लगता (Hadees-E-Qudsi : Hadees २५, **Sahih** al-Bukhari : Hadees ६५०२, Book ref. : ८१, Hadees ९१, Eng ref. : Vol. ८, Book ७६, Hadees ५०९)
इस हदीस से मालुम हुआ के अल्लाह का कुर्ब (करीब आना) कुछ अमल करने से हासील होता है ना के वसीले से।

वसीला साबीत करने के लिए वकील और जज की मिसाल दे कर अल्लाह की गुस्ताखी :

बहोत से भाई वसीले को साबीत करने के लिए वकील और जज की दुनियावी मिसाल देते है के, जज तक जाने के लिए वकील की जरूरत पडती है। तो इन लोगो से हमारा सवाल है के, क्या मेरा रब भी जज जैसा है? जज को केस के बारे में पता नही होता, उसे केस की गहराई का इल्म नही होता इसलिए वकील की जरूरत पडती है, क्या अल्लाह को भी जज की तरहा इल्म नही है? क्या अल्लाह को भी किसी की जरूरत है के कोई उस तक बाते पहोचाए? ऐसी बाते अल्लाह की शान के खिलाफ है और आदमी को कुफ्र तक ले जाती है।

कुरआन में वसीले का लफ्ज २ बार आया है, आईये इस का क्या मतलब है देखे :

वसीले के मतलब उर्दु में 'जरीया' होता है और अरबी में 'कुर्ब' होता है। अरबी में कुछ लफ्ज ऐसे है जिन के मायनी उर्दु से बिल्कुल अलग है और कुछ के मायनी में थोडा थोडा फरक है। मिसाल के तौर पे - ज़लील लफ्ज के मायनी उर्दु में 'कमीने' के होते है और अरबी में 'कमजोर'। इसी तरहा से जाहील के उर्दु में मायनी 'अनपड' के होते है और अरबी में 'जज़बाती होना' के होते है। कुरआन मजीद में वसीला २ जगहो पर आया है -

१. अल्लाह तआला से डरते रहो और उस का कुर्ब (नजदीकी) तलाश करो और उस की राह में जेहाद करो ताके तुम कामयाब हो। (सुरे मॉएदा (५), आयत-३५) **यानी अल्लाह का कुर्ब हासील करने के लिए जेहाद करो। जेहाद के मायनी है कोशिश करना।**
२. वो मकबुल बंदे जिन्हे ये काफीर पुजते है वो आप ही अपने रब की तरफ कुर्ब हासील करते है के इन में कौन ज्यादा मुकर्रब है, इस की रहेमत की उमीद रखते और इस के अजाब से डरते है, बेशक तुम्हारे रब का आजाब डर की चिज है (सुरे अल-इसरा (१७), आयत-५७) **- पती चला के गैरुल्लाह को (नेक बंदो को) पुकार के लोग कुफ्र करते है, लेकीन लोग जिन्हे पुकारते है वो खुद अल्लाह से रहेमत की उमीद रखते है और इस के अजाब से डरते है।**

आदम (अलैहिस्सलाम) ने नबी (स.स.) के वसीले से दुआ नही की थी

आदम अलैहिस्सलाम के तौबा पर जईफ हदीस :

रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया, जब हजरत आदम (अलैहिस्सलाम) से भुल हुई तो उन्हो ने अर्ज की के ऐ परवरदिगार! मैं तुझ से बा-वास्ता मुंहम्मद (ﷺ) सवाल करता हुँ के मेरी मगफीरत फरमा दे।

अल्लाह ने इरशाद फरमाया : ऐ आदम (अलैहिस्सलाम) तु ने मुहंम्मद (ﷺ) के कैसे पहेचाना हालांके अभी मै ने इन को पैदा नही किया?

आदम (अलैहिस्सलाम ने फरमाया) : ऐ मेरे रब! मैं ने उन्हे इस तरहा पहेचाना के जब तु ने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और अपनी तरफ से मेरे अंदर रुह फुंकी, मै ने सर उठा कर देखा तो अर्श के पायो ये लिखा हुआ था (ला ईलाहा इललल्लाहु मुंहमदुर रसुलुल्लाह) सो मै ने जान लिया के तु ने अपने मुकद्दस नाम के साथ ऐसी हस्ती के नाम को मिलाया है जो तेरे नजदीक तमाम मख्लुक से ज्यादा प्यारी है।

अल्लाह तआला ने फरमाया : ऐ आदम (अलैहिस्सलाम)! तुम ने सही समझा, वाकई मुंहम्मद (ﷺ) मेरे नजदीक तमाम मख्लुक से ज्यादा प्यारे है और जब तुम ने उन के वास्ते से मुझ से दरख्वास्त की है तो मै ने

तुम्हारी मगफीरत की और मुंहम्मद (ﷺ) ना होते तो मै तुम्हे भी पैदा ना करता। (मुस्तदरक हाकीम, २/४८६ छ ४२२८, तिबरानी ओसत-६/३१३ छ ६५०२, वगैरा)

नतीजाः ये हदीस जईफ है, ये हदीस कितोबो में अधुरी सनद के साथ नकल की गई है। इस का रावी रहेमान बिन जईद बिन असलम अपने वालीद से मैजु (झुठी) हदीसे बयान करता था। ये रिवायत कुरआन की आयतो और सहीह हदीसे से टकराती है।

सुरे अल-बकरा (२), आयत-३७ : आदम (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से चंद बाते सिख ली और अल्लाह तआला ने उन की तौबा कबुल फरमाई, बेशक वही (अल्लाह) तौबा कबुल करने वाला और रहेम करने वाला है।

सुरे ऐराफ (७), आयत-२३ : दोनो ने कहा ऐ हमारे रब ! हम ने अपना बडा नुकसान किया और अगर तु हमारी मगफीरत ना करेगा हम पर रहेम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालो में से हो जाएंगे।

सुरे जारीयात (५१), आयत-५६ : अल्लाह ने नही पैदा किया, जिनो और इंसानो को मगर अपनी बंदगी के लिए।

कयामत के दिन अपनी मर्जी से कोई किसी की सिफारीश नही कर पाएगा

१. सुरे बकराह (२), आयत-२५५
२. सुरे अनाम (६), आयत-५१, ७०, ९४
३. सुरे युनुस (१०), आयत-३
४. सुरे मरीयम (१९), आयत-८७

अंगुठे चुमना और कबर पर आजान देना और कबर मे अहदनामा रखना कैसा है?

अंगुठे चुमने के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा :

अंगुठा चुमना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये कोई नाजायज़, हराम, बिदअत, शिर्क नही बल्के इस से आँखो की रौशनी तेज होती है आँखे कभी अंधी नही होती.

मुस्नाद अल-फिरदोस में दायलमी लखते है के, सय्यदुना सिद्दीके अकबर (रज़ी) से रिवायत है के आप ने मोज्जीन (आज़ान देने वाला) से अश्हदु-अन्ना-मोहंमदर-रसुलुल्लाह कहते सुना तो आप ने वही कहा जो मोज्जीन ने कहा और दोनो कलमे की उंगलीयो के अंदर के हिस्से को चुमा और अपनी आँखो से लगाया। जब रसुलुल्लाह (ﷺ) ने ये देखा तो फरमाया, मेरी सिफारीश इस पर वाजीब हो जाती है जो इसी तरहा करता है जैसे मेरे महेबुब ने किया (AL MAQASID AL-HASANAH HADITH ९७६) ।

एक और हदीस है के, जन्नत मे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चलते थे तो आप को पिछे से आवाज आती थी। आप ने पुछा मालीक ये क्या माजरा है तो कहा गया के "तुम्हारे पुश्त (पीठ) मे नुरे मोहंमद है, इस नुर की जियारत करने के लिए फरीश्ते आते है"। तो आप ने फरमाया मालीक मै भी इस नुर को देखना चाहता हुँ, तो अल्लाह तआला ने हुजुर (ﷺ) का जलवा आदम को उन के अंगुठो मे बताया। जल्वा देख कर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगुठो को चुमकर अपनी आँखो से लगा लिए। लेहाजी हम इसी सुन्नत पर अमल करते है।

कबर पर आजान देने से शैतान दुर भाग जाता है और मुर्दे को सवाल जवाब देने में आसनी पेश आती है। इसी तरहा से कबर मे अहदनामा रखने से ये अहदनामा की बरकत से मुर्दे के गुनाह माफ हो जाते है।

बरेलवी हजरात का अकिदा गलत है :

बरेलवी हजरात ने जो हदीस पेश की है वो सहीह नही है। अंगुठा चुमना और कबर पर आजान देना ये किबात व सुन्नत और चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से भी साबीत नही है। लेहाजा अंगुठे चुमना बिदअत है। इसी तरहा से कबर मे अहद नामा रखने की भी कोई शरई हैसीयत नही है क्युंके अहदनामा ये दुआ भी साबीत नही है।

अंगुठा चुमने की जईफ हदीसः

दायलमी रिवायत करते है के, हजरत अबु बकर सिद्दीक (रजि) ने एक बार कहा, जब मैं मोअज्जन को ''अश्हदु अन्ना मुहंम्मदर रसुलुल्लाह (ﷺ) '' कहते हुए सुना तो मैं ने वही कहा और कलीमा के अंगली के अंदर के हिस्से को चुमा और अपने आँखो पर लगाया। जब रसुलुल्लाह (ﷺ) ने ये देखा तो कहा, मेरी सिफारीश उस पर वाजीब हो जाती है जो इसी तरहा करता है जैसे मेरे महेबुब ने किया। (अल-मकासीद, अल-हसनाह हदीस-९७६)

नतीजाः ये हदीस जईफ है और ये सहीह हदीसे के खिलाफ है।

सहीह हदीस : जो शख्स अपने सच्चे दिल से आज़ान का जवाब देगा तो जवाब की बरकत से जन्नत मे दाखील हो जाएगा **(Sahih Muslim: al Salah ३८५)**

अजान	:	अल्लहु अकबर, अल्लाहु अकबर
जवाब	:	अल्लहु अकबर, अल्लाहु अकबर
अजान	:	अश्हदुअल-ला-इलाहा इललल्लाह
जवाब	:	अश्हदुअल-ला-इलाहा इललल्लाह
अजान	:	अश्हदु-अन्ना-मोहंमदर-रसुलुल्लाह
जवाब	:	अश्हदु-अन्ना-मोहंमदर-रसुलुल्लाह (ﷺ)
अजान	:	हय्या अलस्सला
जवाब	:	लाहोल वला कुवता इल्ला बिल्ला
अजान	:	हय्या अललफला
जवाब	:	लाहोल वला कुवता इल्ला बिल्ला
अजान	:	अल्लहु अकबर, अल्लाहु अकबर
जवाब	:	अल्लहु अकबर, अल्लाहु अकबर
अजान	:	लाईलाहा इललल्लाह
जवाब	:	लाईलाहा इललल्लाह

अहमद रज़ा खान बरेल्वी ने खुद कहा : रसुलुल्लाह का नाम सुन कर अंगुठे चुमना और फिर आँख पर मलना किसी भी मारुफ हदीस से साबीत नही है और इस के बारे में जो रिवायात है वो कोई भी तक्रीर से आज़ाद नही, इसलिए जो इस दलील को नज़र में रखता है या इस दलील पे अमल करने को सोचता है या जो इस पर अमल ना करे उन पर इल्जाम लगाता है तो वो बेशक गलती पर है। (अब्रार अल-मकाल फी किब्लतील अजलाल, पेज-१२)

कुरआन पढने वाला हिदायत पाता है या गुमराह होता है?

* चंद मफाद परस्तो ने कह दिया के कुरआन पढने से गुमराह हो जाओगे इसलिए हमारे कई नादान मुसलमानो ने कुरआन से दुरी इख्तीयार कर ली...
* उसी कुरआन को किसी के मरने के बाद जाहिलाना अकिदे से बख्शवाते है लेकीन कभी जिंदगी में उसे खोल कर उस के पैगामात पर गौर नही करते....
* आखेरत मे बहोत सख्त मामला होगा उन लोगो के साथ जो अल्लाह की हिदायत के साथ ऐसा सुलुक करते है......
* कुरआन मे मुसलमानो के लिए अल्लाह की तरफ से मॅसेज है लेकीन अफसोस की बात है के हम फेसबुक और व्हॉटसॲप के मॅसेज को अल्लाह के मॅसेज से ज्यादा पसंद करते है।
* हमे जो भी जबान मे महारत हासील है उस जबान में हम ने कुरआन का तरजुमा (ट्रान्सलेशन) पढना चाहिए

*		
*	कुरआन अमल की किताब है	हम ने वजीफो की किताब बना दिया
	कुरआन समझने की किताब है	हम ने पढने की किताब बना दिया
	कुरआन जिंदो का दस्तुर है	हम ने मुर्दो का मंशुर बना दिया
	कुरआन इंकलाब की किताब है	हम ने सिर्फ सवाब की किताब बना दिया
	कुरआन इल्म की किताब है	हम ने उसे ला-इल्मो के हाथ थमा दिया
	कुरआन मुर्दा कौम को जिंदा करने आई है	हम ने मुर्दो पर बख्शवाने पर लगा दिया

आईये अल्लाह तआला कुरआन मे क्या फरमा रहा है दखीए :

१. और हम ने कुरआन को नसीहत के लिए आसान कर दिया है तो क्या कोई है जो इस से नसीहत हासील करे? (सुरे कमर (५४), आयत-१५,१७,२२,३२)

२. ये कुरआन तो ऐ नबी हिदायत और रहेमत है मोमीनो के लिए (सुरे नमल (२७), आयत-७७)

३. जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो कभी गुमराह नही होगा (सुरे ताहा (२०), आयत-१२३)

४. ये अल्लाह की किताब है, नही कोई शक इस में हिदायत है (अल्लाह से) डरने वालो के लिए (सुरे बकरा (२), आयत-२)

५. गुमराही मे मुबतेला करता है अल्लाह ऐसी बातो से बहोतो को और हिदायत फरमाता है इन के जरीए बहोतो को और नही गुमराह करता इस से (कुरआन से) मगर नाफरमानो को (सुरे बकरा (२), आयत-२६)

पता चला के गुमराह होना या हिदायत पाना ये इंसान के आमाल (नेक और बद नियत) पर है। नेक है तो हिदायत पाएगा और बद (नाफरमान) है तो अल्लाह उसे गुमराह कर देगा।

६. ऐ नबी (ﷺ) आप के पास आप के रब की तरफ से एक खुली दलील और निशानी आ चुकी और हिदायत आ चुकी है और रहेमत आ चुकी है (सुरे अनाम (६), आयत-१५७)

७. और तुम सब मिल कर अल्लाह की रस्सी को मजबुती से थाम लो और आपस में फिरको में मत बटो (सुरे इमरान (३), आयत-१०३)

८. इरशाद हुआ उतर जाओ तुम दोनो यहा से सब के सब। (और रहोगे तुम) एक दुसरे के दुश्मन फिर अगर आए तुम्हारे पास जो जरूर आएगी मेरी तरफ से हिदायत तो जो पैरवी करेगा मेरी हिदायत की वो ना तो भटकेगा और ना बद-बख्त होगा। (सुरे ताहा (२०), आयत-१२३)

९. हम ने कहा उतर जाओ यहा से तुम सब, अब होगा ये के जरूर आएगी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत सो जो तो पैरवी करेगे मेरी हिदायत की तो ना कोई खौफ है उन के लिए और ना वो गमगीन ही होंगे (सुरे बकरा (२), आयत-३८)

१०. बेशक आ गई है तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रौशनी और किताबे मुबीन दिखाता है उस के जरीये से अल्लाह हर उस शख्स को जो तालीब हो उस की रजा का, सलामती की राहे और निकालता है उन को अंधेरो से रौशनी की तरफ अपने अजन से और चलाता है उन को सिधी राह पर (सुरे मैदाह (५), आयत-१५-१६)

११. हदीसो से बहोत किस्से मिलते है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने जब यहुदीयो को कुरआन की आयते सुनाई तो उन्हो ने इस्लाम कबुल कर लिया। इसी तरहा से आज गैरमुस्लीम कुरआन पढ कर हिदायत पा रहा है और इमान ला रहा है। **कुरआन को सुन कर यहुदी मुसलमान हो सकता है, गैरमुस्लीम इमान ला सकता तो मुसलमान अगर कुरआन पढ ले तो वो गुमराह कैसे हो सकता है?**

१२. हदीस : जब कबर मे फरीश्तो के जरीये पुछे गए तीन सवालो के जवाब देने मे कामयाब हो जाएगा तो फरीश्ते उस से पुछेंगे **तुझे कैसे इल्म हुआ?** (यानी तुने इस सवाब के जवाबात कैसे दिए?) वो कहता है मैं ने अल्लाह की किताब पढी है, इस पर इमान लाया और इस की तस्दीक की। (Abu Dawood, ४७५३; Ahmad, १८०६३- **Sahih**) और **सहीह बुखारी (हदीस नं.१३७४)** में लिखा है के, जब वो शख्स तीनो सवालो के जवाब नही दे पाएंगा तो फरीश्ते उसे कहेंगे की "ना तो तु जानता था और ना ही तुने रहेनुमाई (कुरआन पढ कर) ली"।

१३. हदीस : रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो आगाह हो जाओ! मैं भी इंसान हुँ, करीब है के मेरे पास मेरे रब का कासीद (मौत का फरीश्ता) आए और मैं उस की बात कबुल कर लु। मैं अपने बाद तुम में दो अजीम चिजे छोड कर जा रहा हुँ। १) पहिली चिज तो अल्लाह की किताब (कुरआन) है, इस मे हिदायत और नुर है, तुम अल्लाह की किताब को पकडो और उस से तालुक मजबुत करो, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जिस ने उस की इत्तेबा की वो हिदायत पर है औ जिस ने उसे छोड दिया वो गुमराह हो गया। २) (दुसरी चिज) मेरे अहेले बैत है, मैं अपने अहेले बैत के मुतालीक तुम्हे अल्लाह से डराता हुँ (उन से अच्छा बरताव करना) **(सहीह मुस्लीम, किताबुल फजाईल, हदीस नं.६२२८)**

१४. बेशक मै अपने बाद तुम मे दो ऐसी चिजे छोड कर जा रहा हुँ के अगर इन्हे मजबुती से पकडलोगे तो कभी गुमराह नही होंगे १) अल्लाह की किताब (कुरआन) और २) उस के रसुल की सुन्नत (जो सहीह हदीस से ही माखुज हो) (Al mustadrak ul Hakim,kitab ul Ilm:३१८)

१५. हदीस : तुम मे बहेतरीन लोग वो है जो कुरआन सिखे और दुसरो को सिखाए ***(Sahih Bukhari H#५४५)***

१६. हदीस : कुरआन सिखने के लिए जो शख्स घर से निकला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस के लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है (सहीह मुस्लीम)

१७. कुरआन पढने- पढाने वाले अल्लाह वाले है और ये अल्लाह के चहीते बंदे होते है (सुनन इब्ने माजा)

१८. कुरआन के पढने-पढाने वालो पर अल्लाह तआला सकीनत नाजील फरमाता है (सुकुन और इत्मीनान नाजील करता है)... फरीश्ते इन की मजलीसो को एहतेराम से घेर लेते है... और अल्लाह तआला इन लोगो का जिकर फखर के तौर पर फरीश्तो के सामने करता है..... (सहीह मुस्लीम)

१९. हदीस : कुरआन का एक सिरा अल्लाह के हाथ मे है और दुसरा सिरा अहले इमान के हाथ में है... बस जो इसे थामे रखेगा दुनिया में गुमराह नही हो सकेगा और आखेरत में हलाक नही होगा... (तिबरानी)

तो पता चला के कुरआन को पढने वाला हिदायत पाता है और नही पढने वाला गुमराह होता है।

मुनाफीक की पहचान

मुनाफीक के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा :

जब दावत दी जाती है के आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह के अहकाम की तरफ और रसुल की तरफ तो मुनाफीको की पहचान ये है के अल्लाह की तरफ दौडे दौडे जाते है और रसुल की बारगाह मे जाने से हर वक्त कत्राते है। जो अल्लाह की तरफ शौक से जाए और रसुल की तरफ जाने से घबराए उसे मुनाफीक कहते है। शाने मुस्तफा सुन कर जो चेहरा खुशी सी टिम टिमा नही उठता कुरआन कहता है पहेचान लो यही मुनाफीक है।

मिसाल के तौर पे - बरेल्वी हजरात को छोड कर सब जमाअते और फिरके मुनाफीक है।

बरेलवी हजरात मुनाफीक की गलत पहेचान करते है :

मुनाफीक की की ३ नशानीया है :

अबु हुरेरा (रज़ि) से रिवायत है की रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया मुनाफीक की ३ निशानीया है।

१. जब बोलता है तो झुठ बोलता है।
२. जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है और
३. जब उसे अमीन बनाया जाता है तो खयानत करता है (अमानत मे खयानत करता है, बेईमानी करता है)। (**सहीह** बुखारी, ६०९५)

कबर पर (मस्जीद (इबादतगाह) बनाना, दिया जलाना, पक्की करना, सब्जा-फुल और पानी डालना, चादर चढाना, सजदा करना, अगरबत्ती लगाना, चुमना, तवाफ करना) कैसा है?

पक्की कबर के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा :

किसी की भी कबर को बगैर जरूरत पक्का करना जायज़ नही है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे फुकहा की हो, औलिया की हो या फिर अंबिया अलैहिस्सलाम की भी हो।

जहा जरूरत हो वहा कबर को पक्का करना बिल्कुल जायज़ है।

मिसाल के तौर पे -

१. जहा पर कोई कफन चोर हो,
२. या पानी आने से कबर बैठ जाने का अंदेशा हो,
३. या ऐसे जानवर हो जो कबर खोद कर लाश की बेहुरमती करेंगे,
४. जहा बेअदबी ज़्यादा आम हो चुकी हो, जहा लोग आम कबरो की जैसे बेहुरमती करते है तो किसी नबी की, वली की, सहाबी की कबर की बेहुरमती करेंगे तो उस कबर को इस इरादे से पक्का करना ताके लोग दुर से देखकर ये समझ जाए के ये किसी बुजुर्ग की कबर है और वो बेअदबी से महफुज हो जाए।

बरेलवी का वली की मजार के चौकट और दरवाजे को चुमने के बारे मे अकिदा

कुछ सुन्नी उलेमा फरमाते है के मजार को चुमना बेअदबी है। मजार के पास चार हाथ के फासले पर खडा रहना चाहिए। लेहाजा मजार को चुमने का सवाल ही पैदा नही होता। मजार, चौकट या दरवाजे को चुमना नाजायज़ या हराम तो नही है लेकीन इस से बचा जाए।

बरेलवी का कबर पर सजदा करने के बारे मे अकिदा : सजदे दो तरहा के होते है १) सजदा-ए-ताजीमी, २) सजदा-ए-इबादत

१) सजदा-ए-ताजीमी: किसी को अजीम (great, magnificent) समझकर उस की ताजीम मे सदजा करना सजदा-ए-ताजीमी कहेलाता है (जैसा युसुफ अलैहि सलातो सलाम को उन के भाईयों ने सजदा किया था, ये कुरआन से साबीत है) । इस तरहा का सजदा करना हराम है और वो गुनाहगार है लेकीन काफीर नही होता।

२) सजदा-ए-इबादत : किसी को इबादत के लायक समझ कर सजदा करना सजदा-ए-इबादत कहेलाता है। ये सजदा अगर अल्लाह के अलावा किसी और को किया तो काफीर व मुशरीक हो जाएगा।

आईये देखते है के बरेलवी हजरात के ये अकिदे सहीह है या गलत है?

रसुलुल्लाह (ﷺ) ने उन लोगो पर लानत की है जो लोग कबरो पर जा कर चिराग जलाते है (सुनान अबु दाऊद, हदीस-३२३०) **- ये हदीस सहीह है - रसुलुल्लाह (ﷺ) पर जिन लोगो ने पत्थर बरसाए उन पर आप ने लानत नही की लेकीन कबरो पर चिराग लगाने वालो पर आप ने लानत की है।**

हजरत जाबीर (रज़ि) रिवायत करते है की, नबी (ﷺ) ने कबरो पर बैठना, कबर का पक्का करवाना और कबर पर इमारत बनवाना मना फरमाया था। (***Sahih** Muslim, kitabul janaza,Kitab-४, Hadith-२११६.)*

हुजुर (ﷺ) ने फरमाया : आगाह रहेना उन लोगो से जिन्हो ने अपने नबी और नेक बुजुर्गो की कबरो को इबादत की जगह ले लिया है लेकीन तुममे से ऐसा कोई मत करना मै तुम्हे मना फरमाता हु इस चिज से। (***Sahih** al bukhari, thee Book of Prayers (Kjitab Al-Salat) [००४:१०८३]*)

हजरत आयशा (रज़ि) रिवायत करती है के, नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने अपने इस बिमारी के वक्त फरमाया था के यहुद और अन्सारी पर लानत हो इन्हो ने अपने अंबिया (नबी) की कबरो को मसाजीद बना लिया। अगर ये डर ना हो तो आप (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) की कबर भी खुली रहने दी जाए। लेकीन डर इस का है के कही इसे भी लोग मस्जीदगाह ना बना ले। [Sahih Bukhari.१३९०, Sahih Muslim.५२९]

कबर पक्की करना :

नबी-ए-करीम (ﷺ) ने हजरत अली (रजि) को खास तौर पर हुकम दिया था की "वो उंची कबरो को जमीन के बराबर कर दे।" नबी-ए-करीम (ﷺ) ने अपने वालीद, वालेदा और सहाबीयो की कबरो को कभी पुख्ता (पक्का) नही किया।

कबर के उपर गुंबद बनाना :

बरेलवी हजरात कहते है के, कबर के उपर तुर्बत (गुंबद) बनाना जायज है क्युंके रसुलुल्लाह (ﷺ) की पक्की तुर्बत है।

इस गुंबद की हकीकत ये है के, ये गुंबद ७ वी सदी में बनाई गई थी। इस गुंबद को बादशाह अल-जहीर अल-मन्सुर कलावुन अल-सालीही ने ६७८ हिजरी में बनाई थी। और सब से पहेले ये लकडी के रंग का था, फिर ये सफेद रंग का हुआ और फिर निले और फिर ये हरे रंग का हुआ और अब तक वो इसी रंग का है। उस जमाने के उलेमा इकराम और इस जमाने के उलेमा इकराम इस की तंकीद (आलोचना) करते है।

ऐसा कही से साबीत नही है की, आप (ﷺ) के कबर पर गुंबद बनाई गई थी, जो आज अल्लाह के औलीया और नेक बंदो की कबर के उपर गुंबद बनाने का बहाना करते है, क्यु के ये आप (ﷺ) की हिदायत नही है के उन के कबर पर गुंबद बनायी जाए और ये गुंबद किसी सहाबा, ताबयीन, या हिदायत वाले इमाम जो के इब्तेदाई जमाने के थे उन लोगो ने नही बनाई थी जिन लोगो की अच्छाई की गवाही खुद रसुलुल्लाह (ﷺ) ने दी थी। बल्की ये बिदअती लोगो ने किया था।

कबर पर फुल डालना :

इब्ने अब्बास (रजि) रिवायत करते है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) दो कबरो से गुजरे और फरमाया, इन दोनो को हो रही है लेकीन उस चिज के लिए नही जिस से बचना मुश्कील था। उन में से एक को सजा इसलिए हो रही है क्युं की वो पेशाब के कत्रो से (अपने जिस्म और कपडो) की हिफाजत नही करता था। और दुसरा शख्स लोगो में गलत बाते फैलाता था। फिर उन्हो ने (आप (ﷺ) ने) एक ताजी खजुर के पत्ते की डाल ली और उस को दो हिस्सो मे तक्सीम किया और दोनो कबरो पर एक तुकडा रख दिया। उन लोगो ने फरमाया - या रसुलुल्लाह (ﷺ) आप ने ये क्या किया? आप (ﷺ) ने फरमाया, ''शायद ये अजाब कम हो जाए जब तक ये सुखी नही होती''।(Sahi Bukhari, Vol Kitabuz Janaiz, Hadees : 1361) (Sahi Bukhari, Kitabul Waju, Hadees : 216) (sahi Bukhari, Kitabl Adab, Hadees : 6055) (Sunan Nasai, Kitabuz Janaiz, Hadees : 2070/2071) (Sunan Nasai, Kitabut Tahara, Hadees : 31)

कबरो पर फुल डालना और कबर को पास झाड लगाना साबीत नही है इस से मय्यत को सवाब नही मिलता। हुजुर (ﷺ) ने दो कबरो पर खजुर की टहनी गाढी थी तो ये चिज आप (ﷺ) को वही के जरीये मालुम हुई थी के दो कबरो पर अजाब हो रहा है। क्या आप अपने मुर्दे के बारे मे ये सोचते है के उसे भी अजाब

हो रहा है। मुर्दे के साथ बदगुमानी (बुरी सोच) रखना शरीयतन जायज़ नही है। दुसरी बात आप (ﷺ) ने खजुर की टहनी लगाई थी फुल नही डाला था।

कबर पर पानी डालना :

मुर्दे को दफन करने के बाद मिट्टी ना उडे ऐसी नियत से कबर पर पानी डालने की इजाजत उलेमा देते है। लेकीन सुरे मुल्क और यासीन पढ कर दम किया हुआ पानी कबर पे डालना मना है इस से मुर्दे को कोई फायदा नही पहोचता।

कबर पर अगरबत्ती लगाना :

कबर पर अगरबत्ती लगाने से मुर्दे को कोई फायदा नही पहोचता और ये मना है। सुन्नी जमाअत के उलेमा भी बताते है के कबर पर अगरबत्ती लगाने से कबर को कोई फायदा नही पहोचता।

कबर पर चादर चढाना लगाना :

कबर पर चादर चढाना ये किताब व सुन्नत और फिके हनफी से साबीत नही है इसलिए ये अमल दुरूस्त नही है। दरगाहो पर जो चादरे चढाई जाती है वो दरगाह के मुजावरो के लिए पैसे कमाने का जरीया बन चुकी है और मुजावरो ने इसे धंदा बना लिया है। जो भोले भाले लोगो को महंगी चादरे खरीदने पर उकसाते है और वही चादरे दरगाह से उतार कर फिर से दुकानदार को बेच देते है।

कबर का बोसा (kiss) लेना :

कबर को हाथ लगाना और बोसा देना बिल्कुल जायज नही है। बरेलवीयो के इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने भी इस अमल को नाजायज कहा है।

कबर (मजार) का तवाफ करना :

हम ने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और इस्माईल (अलैहिस्सलाम) से वादा लिया के तुम मेरे घर को तवाफ करने वालो और ऐतेकाफ करने वालो और रुकू सुजुद करने वालो के लिए पाक साफ रखो (सुरे बकराह (२), आयत-१२५) **। पता चला के तवाफ सिर्फ अल्लाह के लिए है।**

कबर पर सजदा करना :

कबर पर ताजीमी मोहब्बत वाला सजदा करना हराम है और अगर इबादत की नियत से किया जाए तो शिर्क है।

कुछ लोग कहते है के, १) हम सजदा करते है तो 'सुब्हाना रब्बीयल-आला' थोडे ही ना पढते है तो सजदा कैसे हुआ और कुछ लोग ये कहते है के २) अगर हमारी नियत सजदा करने की है तो ही सजदा होगा वरना सजदा करने में कोई हरज नही है। तो उन लोगो के जवाब में ये कहा जा सकता है के १) 'सुब्हाना रब्बीयल-आला' कहे बगैर भी नमाज हो जाती है, सजदे में 'सुब्हाना रब्बीयल-आला' कहने से हमे सवाब मिलता है, ये नही पढे तो भी सजदा हो जाता है। २) अगर कोई शख्स जहेर खा कर ये कहता है के मेरा खुदकुशी करने का इरादा नही है, मै ने तो ऐसी ही जहेर खाया है तो क्या जहेर उस पर असर नही करेगा? इसी तरहा से आप का इरादा सजदा करने था या नही था लेकीन गैरुल्लाह को सजदा करने का गुनाह तो जरूर मिलेगा।

इसी तरहा से कुछ लोग कहते है के, आदम (अलैहिस्सलाम) को फरीश्तो ने सजदा किया था इसलिए ताजीमी सजदा जायज़ है। उन के जवाब में हम ये कहना चाहते है के, पहेले शराब हलाल थी अब इस उम्मत के लिए हराम है। पहेले माले गणीमत हराम था अब इस उम्मत के लिए हलाल है। आदम को सजदा करना अल्लाह का हुकुम था, अब अल्लाह का हुकुम है के इंसान इंसान को सजदा ना करे।

कुरआन का फरमान : दिन-रात और सुरज-चांद भी (उसी की) निशानीयो में से है, तुम सुरज को सजदा ना करो ना चांद को बल्के सजदा उसी अल्लाह के लिए करो जिस ने इन सब को पैदा किया है, अगर तुम उसी की इबादत करते हो तो (सुरे हा-मिम (४१), आयत-३७)। **पता चला के सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है।**

हदीस शरीफ : कैस बिन-साअद (रजि) कहते है के, मैं हिरा आया तो देखा के लोग अपने सरदार को सजदा कर रहे हैं तो मैं ने कहा "रसुलुल्लाह (ﷺ) इस के ज्यादा हकदार है के इन्हे सजदा किया जाए"। मैं जब आप (ﷺ) की खिदमत में हाजीर हुआ तो मै ने आप से कहा के मैं हिरा शहर आया तो मैं ने वहा लोगो को अपने

सरदार के लिए सजदा करते हुए देखा तो अल्लाह के रसुल इस बात के ज्यादा मुस्तहीक है (हकदार है) के हम आप को सजदा करें। आप (ﷺ) ने फरमाया, "बताओ क्या अगर तुम मेरी कबर के पास से गुजरोगे तो इसे भी सजदा करोगे?" वो कहते है : मै ने कहा 'नही'। आप (ﷺ) ने फरमाया, "तुम ऐसा ना करना, अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुकम देता तो औरतो को हुकम देता के वो अपने शोहरो को सजदा करे, इस वजह से के शोहरो का हम अल्लाह तआला ने मुकर्रर किया है।" (सुनन अबी दाऊद : २१४०) **- ये हदीस सहीह है**

इस हदीस से पता चला के अल्लाह के सिवा किसी मख्लुक को सजदा करना जायज़ नही है।

कबर को चुमना :

कबर को चुमना, मजारात को चुमना, खंबो और चौकटो को चुमना प्यारे आका रसुलुल्लाह (ﷺ) से और सहाबा इकराम से साबीत नही है। बाज उलेमा भी कबर को चुमने से मना करते है और कबर को चुमना अदब के खिलाफ मानते है।

काबे में जो पत्थर लगा उसे हजरे अस्वद कहते है। ये पत्थर जन्नत से आया है और जिबराईल (अलैहिस्सलाम) ने इसे लाया है और पहिली बार इसे काबे में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने लगाया था और जब काबा दुसरी बार तामीर हुआ तो दुसरी बार नबी-ए-करीम (ﷺ) ने काबे में ये पत्थर लगाया था। इस पत्थर के बारे में हजरत उमर (रजि) कहते है के, "मैं जानता हुँ के तु एक पत्थर है, तु ना नुकसान पहोचा सकता है ना नफा, अगर मै ने अल्लाह के नबी (ﷺ) को चुमते ना देखा होता तो मैं कुभी तुझे नही चुमता।

तो पता चला के हजरे अस्वद को चुमना साबीत है लेकीन किसी कबर या मजार को चुमना साबीत नही है।

तो पता चला के बरेलवी हजरात के कबर के बारें तमाम अकिदे गलत है।

मजारात (दरगाह) पर जाना क्यु गलत है ?

१. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, ''मै ने तुम्हे कबरो की जियारत से मना किया था, अब तुम इन की जियारत किया करो (**सहीह** मुस्लीम-९७७)
२. अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी वालेदा की कबर की जियारत की, खुद भी रोए और जो आप के साथ थे वो भी रोए। फिर आप ने फरमाया, ''मैं ने अपनी वालेदा की बख्शीश की दुआ करने के लिए अल्लाह तआला से इजाज़त मांगी, मुझे इजाज़त नही मिली, फिर मैं ने इन की कबर की जियारत करने की इजाज़त मांगी, पस मुझे इजाज़त दे दी गई, पस तुम भी कबरो की जियारत किया करो, क्युं के कबरो की जियारत मौत याद दिलाती है (**सहीह** मुस्लीम-२१३०) **- पता चला के कबरो की जियारत मौत याद दिलाती है इसलिए कबरो की जियारत का हुकुम है। लेकीन मजारात और मकबरो की जियारत हमे आखेरत की याद नही दिलाती। पहेली बात तो मजार बनाना ही इस्लाम के कानुन के खिलाफ है। दरगाहो के उर्स में मेले ठेले लगते है, मजारात पे जाने से पहेले लोग साथ में खाना लेते है, कुछ लोग तो पिकनीक के तौर पर दरगाह पर जाते है, कुंवारे लडके कुंवारी लडकीयो को देखने के लिए जाते है, बन-ठन कर और सज-संवर कर लोग मजारात पे जाते है, मजारात पे कव्वालीया और बाजे-गाजे होते है। इस्लाम ने कबरो की जियारत का हुकूम दिया ताके मौत याद आए ना के मजार बना कर उसे तफरीहगाह बनाने का।**
३. आयशा (रजि) फरमाती है के, एक रात रसुलुल्लाह (ﷺ) घर से निकले और (मदिने के कब्रस्तान) बकी पहोंचे और देर तक वहा खडे रहे। मैं भी उन के पिछे गई और देखा के आप ने दोनो हाथ उठा कर दुआ की। आप ने ३ बार ऐसा किया, फिर वापस आए। मैं उन से पहेले जलदी जलदी वापस घर आ कर लेट गई। आप (ﷺ) घर आए और मुझ से कहा के तुम्हारी सांस क्यु फुल रही है? मैं ने कहा ऐसी कोई बात

नही है। आप (ﷺ) ने पुछा के बता दो वरना मेरा अल्लाह मुझे बता देंगा। तो मैं ने उस से सब कुछ बताया। आप (ﷺ) ने फरमाया के, क्या अल्लाह और उस के रसुल तुम्हारे हक में नाइंसाफी करेंगे? मुझे जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) ने जन्नतुल की जा कर मुर्दो के लिए मगफीरत की दुआ करने के लिए कहा था। मैं ने आप (ﷺ) से पुछा के मैं कबरस्तान जाऊ तो मुर्दो के लिए क्या पढु? नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फरमाया : जब कब्रस्तान जाओ तो ये दुआ पढे (**सहीह** मुस्लीम, अल-जनाएज़, हदीस-९७४)

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ لَلَاحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»

"اے اس دیار کے مومن اور مسلمان باسیو! تم پر سلام ہو، ان شاء اللہ ہم تم سے عنقریب آملیں گے۔ میں اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔" (صحیح مسلم:۹۷۵)

४. अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने कसरत से कबरो की जियारत करने वाली औरतो पे लानत फरमाई है (तिरमीजी, अल-जनाएज़, हदीस-१०५६)- **ये हदीस हसन है**

मजारात पर जाने के बाद शिर्क और बहोत सारी बिदअते होती है :

१. वली से दुआ मांगना, और उन्हे पुकारना, और मदत मांगना जैसा के "ऐ वली मेरे कर्ज चुका दो, मेरी बिमारी दुर कर दो, मेरी जरूरत पुरी कर दो, तुम ही जरीया हो, तुम ही मेरी जरूरत पुरी कर सकते हो" इस तरहा के अल्फाज कहना शिर्क है और तौहीद के खिलाफ है जिस का सिर्फ अल्लाह तआला ही हकदार है।

२. जिंदा नेक इंसान के वसीले से दुआ मांगना साबित है, लेकीन मरे हुऐ से मांगना साबीत नही।

३. कबर पर जा कर मांगना रसुलुल्लाह (ﷺ) , साहबा इकराम, खुलफाए राशिदीन से साबीत नही है (अगर इस में भलाई होती तो रसुलुल्लाह (ﷺ) उम्मत को जरूर बताते)

४. अल्लाह पाक कुरआन में फरमाता है : "हा खालीस अल्लाह ही की बंदगी है और जिन्हो ने इस के सिवा और वली बना लिए कहते है हम तो इन्हे सिर्फ इतनी बात के लिए पुजते है के ये हमे अल्लाह के पास नज़दीक कर दे अल्लाह इन में फैसला कर देगा इस बात का जिस मे इख्तेलाफ कर रहे है बेशक अल्लाह राह नही देता इसे जो झुठा बडा ना शुक्र हो" (Surah az zumar (३९), ayat ३) **। पता चला के मक्का के मुशरीक ये समझते थे के ये बुत हम को अल्लाह के करीब करने का वसीला है इसलिए बुतो को पुजते थे। आज हमारी भी ये हालत हो चुकी है के हम माजारात पर जा कर अल्लाह का वसीला तलाश करते है।**

५. कबर पर जा कर बुतो को वसीला बना कर अल्लाह से मांगना यहुदी और अन्सारी की आदत थी।

६. कबर के सामने नमाज जैसी हालत में खडे रहना, सिधा हाथ उलटे हाथ के उपर छाती के उपर या निचे रखना हराम है। ये अमल इबादत की अलामत है और ये सिर्फ अल्लाह तआला के लिए है।

७. झुकना और सजदा करना सिर्फ अल्लाह के लिए है। हजरत अनस (रजि) से बयान करते है के : एक इंसान को दुसरे इंसान के सामने झुकना दुरुस्त अमल नही है। (अहमद, ३/१५८, अल-अलबानी ने इसे सहीह अल-तरगीब, १९३६, १९३७, इरवा अल-गलील में सहीह कहा)

8. हदीस शरीफ : "हजरत नौमान-बिन-बशीर (रज़ि) से रिवायत है रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया दुआ एक इबादत है, फिर आपन सुरे मोमीन की आयत नं.६० पढी, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबुल करूंगा, और जो लोग मेरी इबादत (दुआ) से तकब्बुर करते है वो ज़लील व ख्वार हो कर जहान्नुम मे दाखील होंगे।" (Tirmizi J#5 P#243 H#3372) **- ये हदीस सहीह है**

९. अनस-बिन-मालीक रिवायत करते है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया दुआ इबादत का मग्ज है (Tirmizi J#5 P#243 H#3371) - **ये हदीस जईफ है**
इस हदीस से पता चला के दुआ और पुकार एक इबादत है। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। तो अल्लाह के सिवा किसी गैरुल्लाह से दुआ मांगना भी शिर्क है।

१०. जो अमल अल्लाह को राजी करने के लिए होना चाहिए वो अमल अगर किसी मख्लुक (इल्लाह के बंदे) को राजी करने के लिए किया जाए तो शिर्क है। जैसे - नियाज वगैरा।

११. जो हस्तीया इंतेकाल कर गई है उन को पुकारना (दुआ), उन से मदत मांगना शिर्क है। जैसे - या गौस अल-मदद, या अली अल-मदद वगैरा। या बात और है के वो मदत कर सकते है या नही लेकीन उन को मदत के लिए पुकारना शिर्क है।

१२. दरगाह या मकबरे या आसतानो पर या कबरो पर, ताजीयो पर जाना, इन से मांगना, इन पर तवाफ करना, इन के लिए कुर्बानी करना, इन के खुश करने की नियत से नियाज बनाना, इन से मन्नत मांगना वगैरा शिर्क है।

१३. अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी और नियाज करना शिर्क है।

१४. अल्लाह के अलावा दुसरो को (गैरुल्लाह को) खुश करने की नियत से इसाले सवाब करना या नियाज वगैरा करना शिर्क है।

१५. अल्लाह के अलावा किसी से मन्नत मांगना शिर्क है।

१६. अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से दुआ मांगना या पनाह मांगना (हिफाजत में जाना) शिर्क है।

१७. मजारात पर फुल डालना, अत्तर डालना, नारीयल फोडना बिदअत है।

१८. रसुलुल्लाह (ﷺ) को सलाम और दुरूद कही से भी पहोच जाता है। अल्लाह के फरीश्ते जमीन पर घुमते रहते है और दुरुद पढने वाले का दुरूद आप (ﷺ) तक पहोंचा देते है। तो कोई साहब अगर मदिना जाए तो उन से कहना के हमारा सलाम कह दो ये बिदअत है।

१९. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के मेरी कबर को बार बार आने की जगह मत बनाओ (जैसा के हर नमाज के बाद जाना, हर दिन जाना) और कबर को इबादत की जगह बनाने से मना फरमाया। **आज हम वलीयो के मजारात पर बार बार जाते है और मजारात पर बैठ कर इबादत, जिक्र व अजकार, सलातु सलाम पढते है जो के सख्त मना है।**

२०. गैरुल्लाह के सामना झुकना हराम है। " अनस इब्ने मालीक (रजि) बयान करते है: एक शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ) , जब हम मे से कोई अपने दोस्त से मिले, क्या हम उस के लिए झुक सकते है? अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने कहा 'नही'। उस ने पुछा, 'क्या हम गले मिल सकते है और बोसा ले सकते है"?, अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने कहा 'नही'। उस ने पुछा, 'क्या हम हाथ मिला सकते है?, अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने कहा 'हां अगर वो चाहता है तो' (Narrated by al-Tirmidhi, २७२८; he said it is a hasan hadeeth. Also narrated by Ibn Maajah. ३७०२. The hadeeth was classed as hasan by al-Albaani in al-Silsilah al-Saheehah, १६०)

२१. अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना, किसी और से मदत ना मांगना, किसी और से उमीद लगाना, किसी और पर भरोसा करना के वो हमारा बेडा पार कर देगा शिर्क है।

२२. "भला कौन है जो मजबुर की पुकार को कुबुल करता है जब वो उसे पुकारता है, और तकलीफ को दुर करता है? (इलावा अल्लाह के) और तुम को जमीन पर खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबुद भी है? (हरगीज नही) बल्की तुम बहोत कम ही सोचते समझते हो"। [Surah An-Naml (२७), Ayat-६२] - **मालुम हुआ के तुम ये क्यु नही समझते के सिर्फ अल्लाह ही पुकार सुनता है और तकलीफ दुर करता है और अल्लाह की सिफात मे कोई शरीक नही है।**

२३. "उस जैसी कोई चिज नही, और वो सब कुछ सुन्ने और देखने वाला है" [surah Shuraa (४२), ayat ११] - **पता चला के अल्लाह जैसा सुनता है और देखता है उस की ये सिफत किसी में नही।**

२४. "और ना पुकारो तुम अल्लाह के सिवा किसी को जो तुम को नफा दे सके और ना नुकसान पहोंचा सके, अगर ऐसा करोगे तो जालीमो में से हो जाओगे (गुनाह करोगे)"। [surah Younus (१०), Ayat-१०६] - **पता चला के गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है**

तावीज और नाडा बांधना

तावीज और नाडे के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा

नबी-ए-करीम (ﷺ) के सामने भी लोग तावीज बांधा करते थे। खुद सहाबा इकराम कहते है के हम दुआ पढते थे और छोटे बच्चो के गले मे बतौरे तावीज बनाकर डाल दिया करते थे। जिन तावीजात में कुफ्र और शिर्क के कलिमात है उन को नबी-ए-करीम (ﷺ) ने मना फरमाया है। कुछ लोगो ने आप से पुछा के, हम कुछ कलीमात से तावीज बनाते है क्या ये जायज़ है तो रसुलुल्लाहु (ﷺ) ने फरमाया पहेले वो कलिमात मेरे सामने पेश करो, जब लोगो ने पेश किया उस मे कुछ कुफ्र और शिर्क नही था तो आपने तावीज बनाने की इजाज दी। जिन तावीजात में कुफ्र और शिर्क कलिमात होते थे आप (ﷺ) उन्हे मना फरमा देते थे।

तावीज बांधना इस इरादे से हो के शिफा सिर्फ अल्लाह तआला देता है, तावीज या नाडा नही देता और तावीज सिर्फ जरीया या वसीला है। हम बिमारी में दवाई, गोली, इंजेक्शन लेने का मतलब ये नही होता के हमे अल्लाह पर भरोसा नही और हम शिर्क कर रहे है। गोलीया, दवाऐ, इंजेक्शन को हम वसीला समझते है और अकिदा ये होता है के शिफा अल्लाह ही देगा, ये गोली नही देगी, डॉक्टर नही देगा। तरहा तावीज के तालुक से भी हमारा अकिदा ऐसा होना चाहिए के, शिफा अल्लाह तआला देता है, ये तावीज नही देता, लेकीन अल्लाह की ये आदते करीमा है के जब वो कुछ अता करता है तो कोई ना कोई जरीया कायम फरमा देता है और तावीज भी एक जरीया है। इसलिए तावीज पहेनना शिर्क नही।

बरेल्वी अकिदा कुरआन और सहीह हदीस से साबीत है या नही? देखीए :

१. नबी-ए-करीम (ﷺ), सहाबा और कुरआन से तावीज बांधना साबीत नही है। बरेलवी तावीज बांधने की एक हदीस पेश करते है वो जईफ है इस के रावी मुदल्लीस है वो अन से रिवायत करते है। बहेरहाल! नबी-ए-करीम (ﷺ) से मरीज पर दम करना साबीत है। तो पता चला के कुरआन की आयत पढ कर या दुआ पढ कर दम किया जा सकता है।
२. शिर्क कलीमात वाले तावीज, निंबु, भिलावे, राख, मिट्टी, मिर्ची, नारीयल, नाडा, कडा, कंगन, अंडा, कुंकु, काजल और तरहा तरहा तावीजात जो पहेने जाते है, घरो में, गाडीयो मे और कारोबार की जगह पर बांधे जाते है ये शिर्क है। यहा तक के छोटे बच्चो को बद नजर से बचाने के लिए उस के सर में और गाल पर काला टिका लगाना भी शिर्क है।
३. **अगर तावीज मे कुरआन की आयते है तो** उल्माओ ने इस के बारे में अलग अलग राय दी है। कुछ उल्माओ ने इस तावीज को पहेन्ने की इजाजत दी और कुछ उल्माओ ने कुरआनी आयतो के तावीज पहेन्ने की इजाजत नही दी है और कुरआनी आयतो के तावीज को भी शिर्क करार दिया क्यांके तावीज पहेन्ने के बाद उस का अकिदा अल्लाह से हट कर तावीज पर आ जाता है जो शिर्क है। और दुसरी बात बाथरुम वगैरा मे तावीज ले जाने से कुरआन की आयतो की बेहुरमती होती है।
४. लोग कहते है के तावीज पहेन्ने से फायदा क्यु होता जब के ये शिर्क है। तो जवाब में हमारा ये सवाल है के जो लोग मुशरीक है जो अल्लाह के अलावा दुसरो को खुदा मानते है तो क्या अल्लाह उन की दुआ पुरी नही करता? जो तौहीद पर पुरा इमान रखता है वो ऐसी चिजो चे बचता है।
५. कुरआन इंसान के लिए शिफा है लेकीन तावीज को जिस्म पर लटकाने से कोई फायदा नही होता। शहेद हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, शहेद में भी शिफा है लेकीन अगर इसे खाया ना जाए और बाटली में बांध कर गले मे लटकाया जाए तो क्या शहेद का असर हमारी सेहत पर होगा? नही! इसी तरहा से कुरआन पे अमल कर के, कुरआन पढ कर शिफा मिलेगी ना के कुरआन की आयत को गले में लटका के।

६. कुरआन की आयते पढ कर दम करना (हाथ पर फुंक मार के जिस्म पर मलना) साबीत है। कुरआन से मदत मांगना शिर्क है, कुरआन पढ कर अल्लाह से मदत मांगना चाहिए।

तावीज पहेन्ना शिर्क है (हदीस से) :

७. उकबा-इब्ने-आमीर अल-जुहानी से रिवायत है के, नबी (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) के पास एक जमाअत आई। आप (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने ९ लोगो से बैत ली और एक को छोड दिया। लोगो ने कहा ऐ अल्लाह के नबी आप ने ९ सी बैत ली लेकीन १ को छोड दिया। आप (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया "इस लिए बैत नही ली के वो तावीज पहेना हुआ है"। ये सुन कर उन साहब ने हाथ अंदर (शर्ट में) डाला और तावीज को तोड डाला। फिर आप (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने उन से बैत ली और फरमाया "जिस ने तावीज लटकाया उस ने शिर्क किया"। ([Masnud Ahmed १६९६९] *classed as* ***saheeh* सहीह** *(Correct) by Shaykh al-Albaani in al-Silsilah al-Saheehah, ४९२)*

८. इसा-बिन-हमजा (रज़ि) कहते है के मै नें अब्दुल्लाह-बिन-हकीम की अयादत करने के लिए गया वो हुमरा (सुर्ख बडा) की बिमारी में मुब्तेला थे। मै ने उन से कहा आप हुमरा के लिए तावीज क्यु नही लटका लेते? उन्हो ने जवाब दिया तावीज से अल्लाह की पनाह, रसुल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है के जिस ने कोई भी चिज लटकाई वो उस चिज के हवाले कर दिया जाएगा।

९. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "जिस किसीने भी तावीज पहेना, अल्लाह उस की ख्वाहीश कभी पुरी ना करे और जिस ने सिप्पी (seashell) पहेना अल्लाह उस की डर से कभी हिफाजत ना करे" (Narrated by Ahmad (17440); classed as **hasan हसन** by Shu‘ayb al-Arna’oot in *Tahqeeq al-Musnad*.)

जादु टोने का इलाज?

जादु टोने का इलाज जरूर करे लेकीन शरई तरीको से। गैर-शरई और शिर्की तरीको से बिल्कुल इलाज ना करे। ये याद रहे के "जान जाए पर इमान ना जाए"।

तावीज शिफा कैसे मिल जाती है?

लोग कहते है के, अगर तावीज पहेन्ना गलत है तो इस से शिफा कैसे हो जाती है। तो उन बेचारो को ये पता होना चाहिए की अल्लाह तो उन्हे भी रिज्क और नफा देता है जो पत्थरो से मांगते है, तो क्या अब हम पत्थरो से मांगना शुरू कर दे (नऊजबिल्लाह)।

- अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह कर दे। (सुरे फातीर (३५), आयत-८)
- जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नही कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई सही राह नही दिखा सकता। (सुरे ज़ुमर (३९), आयत:३६-३७)

तावीज से कैसे शिफा हो जाती निचे हदीस में जिक्र है:

इब्ने मसुद (रजि) की बीवी जैनब (रजि) रिवायत करती है के, अब्दुल्लाह बिन मसुद ने उन के गले मे एक धागा देखा और पुछा की ये क्या है? उन्हो ने फरमाया, "ये एक धागा है जिस में मेरे लिए रुकैय्या (कुरआन की आयते) किया गया है। उन्हो ने उस धागे को उन के गले से तोड दिया और कहा: 'आप', इब्ने मसुद के खानदान को शिर्क की कोई जरूरत नही है। बेशक, मै ने रसुलुल्लाह (ﷺ) को ये कहते हुए सुना है के दम (वो दम जिस मे शिर्कीया अल्फाज हो), तावीज और तावील ये सब शिर्क है। जैनब ने फरमाया, "आप ये क्या कहते है? मेरी आँखो मे तशंज (एठन) था इसलिए मै फला फला यहुदी आदमी के पास गई थी और जब भी वो रुकैय्या से इलाज करता, दर्द कम हो जाता। इब्ने मसुद (रजि) ने फरमाया: ये शैतान का काम है।शैतान अपने हाथ से चुभाता है और जब इस पर रुकैय्या किया जाता है, वो अपने हाथ को हटा लेता है। ये तुम्हारे लिए काफी होगा अगर तुम वो कहो जो रसुलुल्लाह (ﷺ) कहा करते थे : तरजुमा - "ऐ इंसाने के रब! दुर कर दे ये बिमारी और

शिफा दे तु ही शिफा देने वाला है, नही कोई शिफा तेरी शिफा के सिवा और (ऐसी शिफा जिस से) कोई तकलीफ बाकी ना रहे। **(अबु दाऊद - हदीस-३८८३)- ये हदीस सहीह है।**

इस हदीस से पता चला की तावीज से शिफा कैसे मिल जाती है और अगर हम पर बिमारी का असर हो जाए तो क्या पढा जाए। पर अफसोस आज के कुछ मुसलमान अल्लाह से ज्यादा धागे, कबर और मुर्दो पर तवक्कल रखते है।

जादुगर (जादु टोना) कभी कामयाब नही हो सकता

कुरआने करीम मे अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है के, "हम ने फरमाया, (मुसा अलैहिस्सलाम) डरो मत, तुम ही गालीब रहोगे। तुम्हारे दाहिने हाथ में जे (लाठी) है (मैदान) में डाल दो के जो (ढोंग) इन लोगो ने बनाया है वो इसे हडप कर जाए। इन्हो ने जो कुछ बनाया है वो तो जादुगर का फरेब है और जादुगर कभी कामयाब नही हो सकता ख्वा वो किसी राह से आए" (सुरे ताहा (२०), आयत:६८-६९)

पता चला के जादु टोना करने वाले कभी कामयाब नही हो सकते हां वो लोग जादु कर के कुफ्र जरूर कर रहे है।

औरतो का मजारात पे जाना

औरतो के मजारात पे जाने के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा

१. नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के, "पहेले मैने तुम्हे कबरो की जियारत से रोका था अब मै तुम्हे इजाज़त देता हुँ के तुम कबरो की जियारत करो क्योंके इस से इंसान को नसीहत हासील होती है"(Ibne Maaja, Mishkaat Pg-१५४)। चुंके इस मे आप (ﷺ) ने खास मर्दो को या औरतो को मुखातब नही किया इस का मतलब ये है के ये हुकम दोनो मर्द और औरतो के लिए होता है यानी के कबर पे जाने की दोनो को इजाज़त है। इस किस्म की हदीस से ये मालुम हुआ के औरते मजार पे भी जा सकती है और कबरस्तान में भी जा सकती है। लेकीन जमाने मे फितना होने की वजह से सहाबा इकराम ने औरतो को मस्जीद मे जाने से रोक दिया था। लेहाजा फुकहा (Islamic religious lawyer, jurist) ने इरशाद फरमाया के औरते घर से ही इसाले सवाब कर ले, कबरस्तान और मजारात पर ना जाए। लेकीन अगर कोई बहन कबरस्तान या मजार पर जाती है और शरीयत का लेहाज कर के जाती है तो हम उस हाजरी को नाजायज़ या हराम नही कहे सकते।

२. सुन्नीयो के इमाम आला हजरत अहमद रजा खान बरेल्वी कहते है के : जिस वक्त औरत (मजार पे जाने के लिए) घर से इरादा करती है लानत शुरू हो जाती है और जब तक वापस आती है मलाईका लानत करते रहते है। सिवाय रोज़ा-ए-रस्लु के किसी मजार पर जाने की औरतो को इजाज़त नही, के वो जरीया-ए-मगफीरत है"(Malfuzat P#२४०)

बरेलवीयो का अकिदा गलत है :

औरतो को कबरस्तान जाने की इजाज़त है लेकीन बहोत ज्यादा जाने की इजाज़त नही है।

१. अबु हुरेरा (रज़ि) से मरवी है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने कसरत से (ज्यादा) कबरो की ज्यारत करने वाली औरतो पर लानत फरमाई है - **ये हदीस हसन है** (Tirmizee: al Janaaez १०५६) Imam Tirmizee aur Imam Ibne Hibban ne ise Saheeh **सहीह** kaha.

२. शेख अलबानी (रहे) फरमाते है : नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने कबरो की जियारत करने वाली औरतो पर लानत की, मगर इस के बाद आप ने इजाज़त दे दी तो इस में मर्द, औरते दोनो शामील है।

३. रसुलुल्लाह (ﷺ) एक ऐसे औरत पर से गुजरे जो कबर पर बैठी रो रही थी, आप (ﷺ) ने इसे अल्लाह से डरने और सबर करने का हुकम दिया। (**Sahih** Bukahri: al- Janaaez १२५२, **Sahih** Muslim: al Janaaez ९२६)

४. हजरत आयशा (रज़ि) अपने भाई अब्दुर रहेमान की कबर की जियारत को गई इन से कहा गया, क्या नबी (صلی اللہ علیہ وسلم) ने (औरतो को) इस से मना नही किया था? तो आयशा सिद्दीका (रज़ि) ने फरमाया, पहेले मना किया था फिर इजाज़त दे दी थी। (Mustadrak Haakim V१ P३७६) Ise Imam Zahabi ne **Saheeh सहीह** aur Haafiz Iraaqi ne **Zaeef जईफ** kaha. -

५. आयशा (रज़ि) फरमाती है के, एक रात रसुलुल्लाह (صلی اللہ علیہ وسلم) घर से निकले और (मदीना का कबरस्तान) बकी पहोंचे और देर तक वहा खडे रहे। फिर आप ने दोनो हाथ उठा कर दुआ की। आप ने ३ बार ऐसा किया, फिर वापस आए। फिर आपने आयशा (रज़ि) को बताया के मेरे पास जिबराईल (अलैहिस्सलाम) आए और कहा के तुम्हारा रब तुम्हे हुकम फरमाता है के तुम बकी के कबरस्तान में जाओ और इन के लिए मग्फीरत की दुआ करो। आयशा (रज़ि) ने अर्ज की के जब मैं कबरस्तान मे जाऊ तो कौन सी दुआ पढु? तो आप (صلی اللہ علیہ وسلم) ने फरमाया यु कहो : (**Sahih** Muslim: al Janaaez ९७४)

﴿اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاِنَّا اِنْشَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ﴾ (صحیح مسلم، عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ)

"اے شہر خاموشاں کے مکین مومنو اور مسلمانو! تم پر سلامتی ہو اور جب اللہ نے چاہا، ہم بھی تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت و خیریت کی دعاء کرتے ہیں۔"

६. सुनन तिरमीजी मे है हजरत इब्ने-अब्बास (रज़ि) से मरवी है के नबी (صلی اللہ علیہ وسلم) मदीना मुनव्वरा के कबरस्तान के पास से गुजरे तो कबरो की तरफ रुख मुबारक कर के आप (صلی اللہ علیہ وسلم) ने ये दुआ फरमाई :

﴿اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ، اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ﴾

(سنن ترمذی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)

"اے ان قبروں والو! تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہماری تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے گزر گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے ہی آنے والے ہیں۔"

नबी (صلی اللہ علیہ وسلم) नुर है या बशर?

नुर या बशर के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा

सुन्नी जमाअत हुजुर (صلی اللہ علیہ وسلم) को नुरी बशर यानी नुर से बने हुए इंसान मानते है और इस अकिदे के पिछे एक जईफ हदीस है।

बरेलवीयो का नुर का अकिदा कुरआन और सहीह हदीस से टकराता है :

बरेलवीयो की जईफ हदीस :

हजरत जाबीर (रजि) से रिवायत है के, मैने बारगाहे रिसालत आप (صلی اللہ علیہ وسلم) से अर्ज किया, या रसुलुल्लाह (صلی اللہ علیہ وسلم) मेरे मां-बाप आप पर कुरबान! मुझे बताईये के अल्लाह तआला ने सब से पहेले किस चिज़ को पैदा किया? रसुलुल्लाह (صلی اللہ علیہ وسلم) ने फरमाया : ऐ जाबीर ! बेशक अल्लाह तआला ने तमाम मख्लुक से पहेले तेरे नबी का नुर अपने नुर से पैदा फरमाया, ये नुर अल्लाह की माशीयत से जहा उस ने चाहा सैर करता रहा। उस वक्त ना लोह थी ना कलम, ना जन्नत थी ना दोजख, ना कोई फरीश्ता था, ना आस्मान, ना जमीन, ना सुरज था ना चाँद, ना जिन थे और ना इंसान, जब अल्लाह तआला ने इरादा फरमाया के मख्लुक को पैदा करे तो उस ने इस नुर को

चार हिस्सो में तक्सीम कर दिया, पहेले हिस्से से कलम बनाया, दुसरे हिस्से से लोहोर, तिसरे हिस्से से अर्श बनाया। फिर चौथे हिस्से को मजीद चार हिस्सो में तक्सीम किया तो पहेले हिस्से से अर्श उठाने वाले फरीश्ते बनाए और दुसरे हिस्से से कुर्सी और तिसरे हिस्से से बाकी फरीश्ते पैदा किये। फिर चौथे हिस्से को मजीद चार हिस्सो से जन्नत और दोजख बनाई, फिर चौथे हिस्से को मजीद चार हिस्सो में तक्सीम किया तो पहेले हिस्से से मोमीनो की आँखो का नुर बनाया, दुसरे हिस्से से इन के दिलो का नुर बनाया, तिसरे हिस्से से इन के इन्स का नुर (यानी तौहीद ला-इलाहा इललल्लाह मुंहम्मदुर रसुलुल्लाह) पैदा किया....... - **ये हदीस जईफ है।**

नतीजा: ये हदीस जईफ है और ये रिवायत कुरआन की आयतो और सहीह हदीसे के खिलाफ है।

बरेलवीयो का अकिदा इंसानी अकल के खिलाफ है ही और साथ कुरआन, तौहीद और इस्लाम के खिलाफ है। इसी तरहा से चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से भी ये अकिदा साबीत नही है........

अकल की बात :

१. रसुल (ﷺ) के वालीद अब्दुलाह तो वो खुद अल्लाह के नुर कैसे?
२. अगर सारी मख्लुक रसुलुल्लाह (ﷺ) के नुर से बनी है तो इस मख्लुक में नापाक जानवर जैसे कुत्ता भी है। तो ऐसा कहना के रसुलुल्लाह (ﷺ) के नुर से सारी मख्लुक बनी है और रसुलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह के नुर से बने हुए है ये कहना अल्लाह की और रसुलुल्लाह (ﷺ) की तौहीन है।
३. हजरत मुसा अलैहिस्सलाम के वक्त अल्लाह के नुर की जरा सी तजल्ली को पहाड बरदाश्त ना कर सकती ना उस वक्त के इंसान। रसुले करीम (ﷺ) नुर होते तो उन्हे किस तरहा सब देख लेते?
४. अल्लाह ने अपना हिस्सा (नऊजुबिल्लाह) जमीन पर भेज कर खुद से ही इबादत कराई?
५. रसुले करीम (ﷺ) इंसानी तौर पर उमर में बडे होते गए। क्या अल्लाह का नुर भी छोटा था और बडा होता गया?
६. अगर आप (ﷺ) मे रुह नही अल्लाह का नुर था तो आप (ﷺ) ने अपने रुहे मुबारक जिक्र कई हदीस में कैसे किया?
७. अगर आप (ﷺ) अल्लाह के नुर थे तो उन्हे इंसानो की तरहा खाने पिने की हाजत क्यु होती थी?
८. आप (ﷺ) नुर थे इसलिए आप का साया मुबारक भी नही था तो आप का ये मोज़जा हदीसो में क्युं नही या, साया मुबारक के बारे में एक भी रिवायत क्यु नही आई।

ये हो गई अकल की बात अब आप को बताते है के तौहीद के खिलाफ कैसे है :

तौहीद क्या है?

اَشْهَدُاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط

मतलब : "मै गवाही देता हुँ अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के लायक नही अल्लाह यकता है उसका कोई शरीक नही और मैं गवाही देता हुँ मोहंम्मद (ﷺ) अल्लाह के बंदे और रसुल है।"

पता चला के "अल्लाह को कोई शरीक नही है।" अगर अल्लाह का एक से ज्यादा हिस्सा होता (नऊजुबिल्लाह) तो वो अल्लाह का ही शरीक होता ना। और कलिमा मे दुसरी गवाही ये है के "मोहंम्मद (ﷺ) अल्लाह के बंदे और रसुल है।"

अब कुरआन से देखते है:

जब नबी (ﷺ) ने नबुवत का ऐलान फरमाया तो मुशरीकीन मक्का (मक्का मे शिर्क करने वाले लोग) ने भी यही ऐतेराज उठाया..... जब पहेली उम्मतो ने अंबिया को झुठलाया तो इन सब का सब से बडा ऐतराज ये था के आप बशर है, बशर कैसे नबी हो सकता है, अल्लाह को अगर नबी भेजना होता तो किसी फरीश्ते को भेजता, ये नबी नही है, ये हमारी तरहा कहते है, पीते है, इन्हे जुनुन हो गया है, इन के पास मत जाओ। अल्लाह ने इन के बातील और गुमराह नजरीये की नफी फरमाई,. **इस बात को निचे दिये हुए आयतो के जरीए समझीए:**

कुरआन : और किस बात ने लोगो को इमान लाने से रोका जब के इन के पास हिदायत आयी मगर इस ने के बोले क्या अल्लाह ने आदमी को रसुल बनाकर भेजा है (सुरा बनी इसराईल (इसरा) (१७), आयत-९४)

फिर आगे अल्लाह फरमाता है......"तुम फरमाओ अगर जमीन में फरीश्ते होते चैन से चलते तो इन पर हम रसुल भी फरीश्ता उतारते। **यानी अगर जमीन पर इंसान नही होते और फरीश्ते होते तो रसुल भी फरीश्ता ही होता, लेकीन जमीन पर इंसान है इसलिए रसुल भी इंसान ही है।**

पैगंबरो ने अपनी बशरीयत का सबुत देते हुए इस तरहा कहा है...... "इन के रसुलो ने (इस के जवाब में) कहा की हम भी तुम्हारे जैसे इंसान ही है लेकीन अल्लाह अपने बंदो में से जिस पर चाहे एहसान करे" (सुरे इबराहीम (१४), आयत-११)।

अल्लाह का इरशाद है...... "और आप उन के सामने एक किस्सा मतलब (एक बस्ती वालो का किस्सा) उस वक्त बयान किजीए जब की उस बस्ती में कई रसुल आए, यानी जब हम ने उन के पास (पहेले) दो को भेजा तो उन लोगो ने (पहेले) दोनो को झुठा बताया फिर तिसरे (रसुल) से मालुम किया तो उन तिनो ने कहा की हम तुम्हारे पास भेजे गए है, उन लोगो ने कहा तुम तो हमारी तरहा मामुली आदमी हो" (सुरे यासीन (३६), आयत १३-१५)

और एक आयत मुलाहेजा किजीए...... "तो उन की कौम में जो काफीर रईस (मालदार) थे वो कहने लगे की ये इंसान सिवाय इस के तुम्हारी तरहा एक मामुली आदमी है और कुछ नही इस का मतलब ये है की तुमसे बरतर (बहेतर) होकर रहे और अल्लाह को (रसुल भेजना) मंजुर होता तो फरीश्तो को भेजता, हम ने ये बात अपने पहेले बडो में नही सुनी, बस ये एक आदमी है जिसे जुनुन हो गया है तो खास वक्त तक उस की हालत का इंतेजार करो" (सुरे मोमीनुन (२३), आयत २४-२५)

और आगे है...... "बस ये तो तुम्हारी तरहा एक आदमी है, ये वही कहता है जो तुम कहते हो और वही पिता है जो तुम पिते हो और अगर तुम अपने जैसे एक आदमी के कहने पर चलने लगे तो बेशक तुम घाटे में हो।" (सुरे मोमीनुन (२३), आयत-३३-३४)

अल्लाह का इरशाद है...... "और ये लोग मतलब जालीम लोग (और काफीर) चुपके चुपके कानाफुसी करते है की ये (नबी अलैहिस्सलाम) सिर्फ तुम जैसे एक आदमी है तो क्या तुम फिर भी जादु (की बात) सुन्ने को उन के पास जाओगे जब की तुम जानते हो" (सुरे अंबिया (२१), आयत-३)

तो लोगो के जवाब मे अल्लाह का इरशाद है....... "और हम ने आप से पहेले सिर्फ आदमीयो हो को पैगंबर बनाया जिस के पास हम वही भेजा करते थे तो (ऐ इंकार करने वालो) अगर तुम को (ये बात) मालुम ना हो किताब वालो से मालुम कर लो" (सुरे अंबिया (२१), आयत -७)

और अल्लाह ने आप (ﷺ) को हुकम दिया की ये कहे......"आप कह दिजीए की मैं तो बस तुम्हारे जैसा ही इंसान हुँ मेरे पास तो बस एक वही आती है की तुम्हारा माबुद एक ही माबुत है" (सुरे कहफ (१८), आयत-११०)।

<u>कुरआन से और दलीले:</u>

१. आप कह दिजीए की पाक है अल्लाह मैं तो सिर्फ बशर (और) रसुल के और क्या हुँ। (बनी इसराईल (१७), आयत-९३)
२. दर हकीकतन अल्लाह ने मोमीनो पर बडा एहसान किया है, जब इन्ही मे से एक रसुल इन में भेजा। (सुरे इमरान (३), आयत-१६४) **- यानी इंसानो में अल्लाह ने इंसान को रसुल बना कर भेजा।**
३. बेशक तुम्हारे पास एक रसुल आये है, जो तुम्हारी जिनस से है। (सुरे तौबा (९), आयत-१२८)
४. और मैं तुम से नही कहता के मेरे पास अल्लाह के खजाने है और ना मैं खुद गैब जानता हुँ और ना मैं ये कहता हुँ के मैं इंसान नही फरीश्ता हुँ" (सुरा हुद (११), आयत-३१)
५. अल्लाह तआला के नजदीक ईसा (अलैहिस्सलाम) की मिसाल हु-ब-हु आदम (अलैहिस्सलाम) जैसी है जिन्हे मिट्टी से बना कर फरमा दिया के (इंसान) हो जा! पस वो हो गया ! (सुरे इमरान (३), आयत नं.५९)- **पता चला के इंसान मिट्टी से बना है ना के नूर से।**

<u>सहीह हदीसो से दलीले:</u>

६. अबु हमरा-नस-बिन इमरान कहते है के सय्यदना इब्ने अब्बास (रज़ि) ने हमे कहा, क्या मैं आप को अबुजर (गिफरी रज़ि) के कबुले इस्लाम के बारे में खबर ना दुँ? हम ने अरज की, हा! आप ने कहा, मैं गिफर कबीले का फर्द था। "हम तक ये खबर पहोंची के मक्का में एक आदमी जाहीर हुआ है, जो नबी होने का दावा करता है"। मै ने अपने भाई (अनिस गिफरी) से कहा, आप इस आदमी के पास जाए और इस से बात चित करे, मेरे पास इस के बारे में खबर लाए, वो चला गा और आप से मुलाकात की, फिर वापस आया, मै ने कहा, आप के पास क्या खबर है? इस ने कहा "अल्लाह की कसम! मैं ने एक आदमी को देखा है, जो खैर व भलाई का हुकूम देता और बुराई से मना करता है" । (**Sahih** bukhari: १/४९९, H. ३५२२, aur **sahih** Muslim: २/२९७, H. २४७४)
७. अरवा-बिन-जुबैर कहते है के मै ने सय्यदना अब्दुल्लाह-बिन-उमर आस (रज़ि) से कहा के मुशरीकीन मक्का ने नबी (ﷺ) के साथ जो सख्त तरीन मामला किया है, इस की मुझे खबर दें, वो कहने लगे के एक दफा रसुल (ﷺ) काबे के सहेन में नमाज पढ रहे थे के अचानक अकबा-बिन-अबिमुयीत आया, इस ने आप को कांधे से पकडा और अपना कपडा नबी (ﷺ) की गर्दन मुबारक में डाल कर सख्ती से आप का गला घोटा, सय्यदना अबुबकर तशरीफ लाए और इस को कांधे से पकड कर इसे रसुल (ﷺ) से दुर कर दिया और ये आयत फरमाई : "क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल करने के दर पे हो, जो ये कहता है के मेरा रब अल्लाह है और वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रौशन निशानीया ले कर आया है" (सुरे मोमीन (४०), आयत-२८) (**SAHIH** BUKHARI: २/७११-७१२, HADIS: ४८१५) **- पता चला के सय्यदना अबुबकर का भी अकिदा था के नबी बशर है।**
८. सय्यदना अबु हुरेरा (रज़ि) कहते है के मै ने रसुल (ﷺ) को ये फरमाते हुए सुना है "ऐ अल्लाह! बेशक मोहंम्मद बशर है, इस को गुस्सा आ जाता है, जिस तरहा एक बशर को गुस्सा आ जाता है" (sahih muslim: २/३२४, Hadis: २६०१)
९. सय्यदा उम्मे सलमा (रज़ि) से रिवायत है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया "मै तो बशर हुँ, तुम मेरे मुकद्दीमात लाते हो, हो सकता है के कोई अपने दलाईल दावा के नशीब वा फराज की निस्बत ज्यादा समझदारी पेश करे, मैं (बिलफर्ज) दलाईल की समाअत की बुनियाद पर इस के हक में फैसला सुना दुँ, (याद रखो) जिस को मैं (दलाईल की जाहीरी कुवत के पेशे नजर) इस के भाई को मामुली सा भी हक

काट कर दे दुँ, वो इसे ना ले, यकीनन मै ने इसे आग का तुकडा काट कर दिया है" (**Sahih** bukhari: २/६२, Hadis: ७१६९, aur SAHIH MUSLIM: २/७४, HADIS १७१३)

१०. सय्यदना समराह-बिन-जनदाब कहते है के नबी (ﷺ) ने सहाबा किराम के इजतेमा से खिताब फरमाया : "लोगो! मैं बशर हुँ और अल्लाह का रसुल हुँ" (Musnad ahmed: ५/१६, TABRANI: ६७९४, ६७९९, mustadrak haakim: १/३२९-३३०, abu daud: १८४, nasai: ४८४, tirmizi: ५६२)

११. सय्यदना राफे-बिन खदीज अन्सारी (रज़ि) से रिवायत है के नबी (ﷺ) ने फरमाया "यकीनन मै बशर हुँ, जब मैं तुम्हे कोई भी दिनी हुक्म दुँ तो इस पर (सख्ती से) अमल पैरा हो जाओ और जब मैं तुम्हे अपनी राय से हुक्म दु तो मैं बशर हुँ" (**Sahih** muslim: २/२६४, Hadis: २३६२)

१२. कासीम-बिन-मोहंम्मद (रज़ि) कहते है के सय्यदा आयशा (रज़ि) से नबी (ﷺ) के अमुरे खाना (घर के काम) के बारे में पुछा गया तो इन्हो ने कहा " आप (ﷺ) बशरो में से एक बशर थे, अपने कपडो से जुअे तलाश करते, अपनी बकरीयो का दुध धोते और अपने काम खुद करते थे" (Musnad ahmed: ६/२५६, hayatul awliya abi naeem: ८/३३१, ibn hibban: ५६७४, shumaail tirmizi: ३६३, aladab almufrad bukhari: ५४१, sharah sunnah: ३६७६) **- ये हदीस सहीह है**

१३. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया, सब से पहली चिज जो अल्लाह ने पैदा फरमाई वो कलम थी, फिर उस से कहा के लिखो, तो उस कलम ने कहा क्या लिखुं? अल्लाह तआला ने फरमाया: तकदीर लिखो, कयामत तक कायम होने वाली हर हर चिज़ की। (तिरमीजी- किताबुल कद्र, हदीस-२१६२, अबु दाऊद, किताबुस सुन्नाह, हदीस-४७००, ४६८३ वगैरा) **- ये हदीस सहीह है।**

१४. सय्यदा आयशा (रजि) रिवायत करती है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया फरीश्तो को नुर से, इब्लीस को जलादेने वाली आग से पैदा किया गया और हजरत आदम (अलैहिस्सलाम) के बारे में पहेले वज़ाहत हो चुकी है (**सहीह** मुस्लीम-२९९६)

कुरआन और सहीह हदीस से पता चला के नबी (ﷺ) बशर है ना के नुरी बशर । लेकीन हमारे नबी आम इंसानो की तरहा नही है उन का दर्जा और मुकाम कायनात में सब से आला है और आप के बेशुमार मोजज़ात है ।

कब्रस्तान मे नमाज पढना मना है

१. हजरत अली (रज़ि) से रिवायत है की मेरे हबीब रसुलुल्लाह (ﷺ) ने कब्रस्तान में नमाज पढने से मना फरमाया है। (सुनन अबु दाऊद, वॉल्युम-१, हदीस-४८८) **(ये हदीस जईफ है)**

२. हजरत मुसा (रज़ि) से रिवायत है की रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया सारी जमीन नमाज की जगह है सिवाय हमाम (public bath) और कब्रस्तान के। (सुनन अबु दाऊद, वॉल्युम-१, हदीस-४९२) **- ये सहीह हदीस है**

मन्नत (नजर) मांगना

मन्नत के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा

१. मन्नत सिर्फ अल्लाह तआला से ही मांगनी चाहिए। "ऐै अल्लाह मेरा फला काम हो गया तो बदले मे मैं फलाह काम करूंगी, या रोजा रखुंगी, या गरीबो को खाना खिला दुंगी" ऐसी मन्नत **शरई मन्नत** कहलाती है।

२. कुछ लोग दरगाह पर जाकर **उर्फी** (customary, रिवाजी) **मन्नत** मांगते है। जिस का रिवाज आम हो गया है। उर्फी मन्नत फर्ज या वाजीब नही होती और अगर काम हो जाए तो जो मन्नत मांगी थी उस को पुरा करना भी वाजीब नही होता। उर्फी मन्नत जायज़ होती है लेकीन शरई मन्नत ही मांगनी चाहिए।

मन्नत का सहीह अकिदा इस तरहा होना चाहिए :

मन्नत मांगना (नजर) जायज़ है लेकीन सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। मन्नत जायज़ मक्सद के लिए होनी चाहिए।

इबादत क्या है?

अल्लाह तआला कुरआन मजीद मे इरशाद फरमाता है "मै ने जिन्नात और इंसानो को सिर्फ इस लिए पैदा किया है के वो सिर्फ मेरी इबादत करे" (सुराह जारीयात (५१), आयत-५६)

इबादत किसे कहते है?

जिंदगी का हर काम जो दिन (इस्लाम) के मुताबीक हो इबादत कहलाता है। यानी इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, हज वगैरा का ही नाम नही है बल्की एक मुसलमान का चलना-फिरना, उठना-बैठना, सोना-जागना, खान-पिना, मिलना-जुलना, बोलना, खरीदना बेचना वगैरा जिंदगी का कोई भी काम अगर अल्लाह के हुकुम के मुताबीक हो तो वो इबादत ही है। इसी तरहा से हर बुरी बात, झुठ, झुठी शान व शौकत, हराम माल दौलत, दिखावा, नफसी बुराई से बचना भी इबादत और सवाब का काम है। क्युंकी इसी को अल्लाह पसंद करता है और राजी होता है और इंसान की जिंदगी का मक्सद भी यही है।

पँट के पायचे मोड के नमाज़ पढना

पँट के पायचे मोडने के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा

एक हदीस है के - "सहाबा इकराम (रज़ी) इरशाद फरमाते है के नबी-ए-करीम (ﷺ) ने लंबे कपडे मोडने से मना फरमाया" और दुसरी हदीस है के, "नबी-ए-करीम (ﷺ) ने कपडा उलटा कर के पहेन्ने से मना फरमाया"। ये दोनो अमल मकरुहे-तहरीमी है। मकरुहे-तहरीमा सख्ती से मना है और इस का करने वाला गुनाहगार होगा।

अगर पायचे अंदर की जानीब किये जाए तो मोडना लाज़ीम आया और बाहर मोडे जाए तो मोडना और उलटा करना लाज़ीम आया। ये दोने काम मकरूह है। इसलिए अगर पायचे बडे है तो उन को वैसे ही छोड दिया जाए, उसे अंदर या बाहर ना मोडे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा टखने ढक जाएंगे।

इब्ने अब्बास (रजि) रिवायत करते है की रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया "मुझे हुकूम दिया गया है के मैं ७ हड्डीयो पर सजदा करू, पेशानी और आप ने हाथ से नाक की तरफ इशारा दिया दोनो हाथो, दोनो घुटनो और दोनो कदमो के पंजे पर और (ये के हम नमाज में) अपने कपडो और बालो को एक्खट्टा ना करे "

याद रखीये, नमाज में शलवार (पँट) दबोचना या किसी भी तरीके से कपडे को मोडना मकरूहे तहरिमी है, और ऐसा करने पर नमाज लौटाना (फिर से पढना) वाजीब है - (Bukhari J#१ P#११३, Muslim J#१ P#१९३, Tirmizi J#१ P#२२, Abu Daud J#१ P#९४)

टखनो के निचे कपडे पहेन्ने को इसलिए मना किया गया है के अरब लोग लंबे लंबे झुब्बे पहेनते थे, जो जमीन पर घिसडते थे और वो लोग तकब्बुर के साथ चलते थे। आप (ﷺ) को या बात पसंद नही थी तो आप ने टखनो से उपर कपडे पहेन्ना का हुकूम दिया। ये हुकूम तकब्बुर की तोड के लिए दिया था। हजरत अबुबकर सिद्दीक (रजि) ने जब ये हदीस सुनी के "जिसका तहबंद टखनो के निचे है वो जहान्नुम में है" तो अर्ज की के या रसुलुल्लाह (ﷺ) मैं तहबंद पहेनता हुँ तो सरक जाता है और मेरे टखने ढक जाते है। तो आप (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के "ऐ अबुबकर तुम उन मे से नही है" (**Sahih** Bukhari, Vol 03, Kitab No 77, Kitab Al Libas, Hadees : 5784)। यानी के अबुबकर (रजि) तकब्बुर करने वालो मे से नही है। लेहाजा अगर टखने ढके हुए है और दिल मे तकब्बुर नही है तो ये सुन्नत के खिलाफ है लेकीन गुनाह नही है।

टखने ढकवाना शरीयत का अस्ल मकसद नही है। शरीयत का अस्ल मक्सद है तकब्बुर (फख्र) से आज़ादी। अगर ऐसा होता तो मोजे पहेन कर नमाज़ पढना मना होता। इंसान के दिल से तकब्बुर निकले इसलिए टखनो को खोलने का हुकुम दिया गया है। फुकहा ने फरमाया के अगर किसी ने टखने ढाके और दिल मे

तकब्बुर नही है तो ढके हुए टखनो पर नमाज़ पढना ज़्यादा से ज़्यादा मकुरु-हे-तनजीही बनेगा। मकुरु-हे-तनजीही का मतलब शरीयत इसे नापसंद करती है लेकीन इस का करने वाला गुनाहगार नही बनेगा।

दिगर जमातो का अकीदा :

जो नमाज पढता है उसे अपने बालो को एकट्‌टा कर के बालो को मोडना या सर के पोशाख (कपडे) के निचे रखना जैसे की आस्तीन को मोडना वगैरा ये मकरूह है। इस की बुनियाद पर नमाज के वक्त नमाज के वक्त पँट को इकट्‌टा करना या मोडना गलत है।

दुसरी तौर पर - हदीस जो कहती है के लिबास को टखने से निचे लटकाने वाले शख्स की नमाज नही होती।

"अबु हुरेरा (रज़ि) से रिवायत है की, एक आदमी अपना तहबंद लटकाए नमाज पढ रहा था तो रसुलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फरमाया - जाओ वजु करो। वो गया और वजु कर के फिर हाजीर हुआ तो किसी आदमी ने अरज किया, अल्लाह के रसुल (ﷺ) ! आप ने उसे वजु करने का हुकूम क्यु फरमाया? आप ने फरमाया : वो अपना तहबंद (पँट) लटकाए हुए नमाज पढ रहा था, जब की अल्लाह तहबंद लटका कर नमाज पढने वाले शख्स की नमाज कबुल नही फरमाता"(सुनन अबुद दाऊद, हदीस-६३८) **- ये हदीस जईफ है (नोटः अन-नवावी कहते हैः इस हदीस की सनद मुस्लीम शरीफ के उसुलो के मुताबीक सहीही है। लेकीन अल-मुठीरी कहते है के ये हदीस जईफ है। क्युंके अबु जाफर सनद मे पाया गया है जो के मदीने का अनजान शख्स है)**

तो इन दोनो हदीसो से नतीजा ये निकला की लिबास को नमाज मे मोडना मकरूह है लेकीन टखने से निचे लिबास को लटकाने से नमाज नही होगी। तो बहेतर है की नमाज में लिबास को मोड लेना चाहिए बनीस्बत लटकाने के क्युं की मोडने से कम से कम नमाज तो हो जाएगी लेकीन अगर लिबास को निचे लटकाया तो नमाज ही नही होगी।

सही अकीदा :

पायचे मोडना ठिक नही और एक जगह पर कपडा जमा करना मना है। इसलिए बहेतर ये है के, पँट को टकखो के उपर सिलाए। अगर लिबास की लंबाई ज्यादा हो तो लिबास को नमाज मे मोडना मकरूह है लेकीन टखने से निचे लिबास को लटकाने से नमाज नही होगी। तो बहेतर है की नमाज में लिबास को मोड लेना चाहिए बनीस्बत लटकाने के क्युं की मोडने से कम से कम नमाज तो हो जाएगी लेकीन अगर लिबास को निचे लटकाया तो नमाज ही नही होगी।

एक शख्स आप (ﷺ) के पास आया, उस का लिबास पुराने किस्म का फटा हुआ था। उस ने पुछा के, या रसुलुल्लाह (ﷺ) क्या मेरे लिए भी ये बात है क्युं के मैं गरीब हुँ। तो आप (ﷺ) ने फरमाया की, क्या तेरे लिए मेरी इत्तेबा लाजीम नही। **पता चला के तकब्बुर ना हो तभ भी पँट के पायचे टखनो के उपर ही होने चाहिए।**

हजरत अबुजर (रजि) रिवायत करते है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, "तिन किस्म के लोगो से अल्लाह कयामत के दिन ना हम-कलाम होगा, ना उनकी तरफ नजर फरमाएगा और ना ही उन को गुनाहो से पाक व साफ करेगा, और उन के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा. पहला- कोई चिज दे कर एहसान जताने वाला, दुसरा-अपने लिबास को टखनो से निचे लटकाने वाला, तिसरा-कसम खा कर अपना सामान बेचने वाला"। (**सहीह** मुस्लीम, किताबुल इमान, हदीस-१९२)

अबु हुरेरा (रजि) रिवायत करते है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया टखनो से निचे का इजार (पैजामा, पँट, लुंगी, तहबंद) आग में है। (**सहीह** बुखारी, हदीस-५७८७)

आधी पिंडली तक तहबंद (पँट, पाजामा, लुंगी) पहेन्ना :

१. हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि) का बयान है के, "मै रसुलुल्लाह (ﷺ) के पास से गुजरा, मेरी तहबंद (जरूरत से ज्यादा) निची थी, तो आप (ﷺ) ने फरमाया - ऐ अब्दुल्लाह अपनी लुंगी उंची करो, मै ने कुछ और उपर कर ली, फिर आप (ﷺ) ने फरमाया - और ज्यादा उंची करो, चुनांचे मै इस का हमेशा खयाल करता रहा यहा तक के बाज लोगो ने कहा के कहा तक? फरमाया - निफ्स (आधी) पिंलडलीयो तक"। (**सहीह** मुस्लीम)**। इस हदीस से पता चला के पायजामे वगैरा को आधी पिंडली तक पहेन्ना रसुलुल्लाह (ﷺ) को ज्यादा पसंद था।**

२. हजरत हुजैफा (रजि) से रिवायत है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, लुंगी (वगैरा) की पसंदीदा हद आधी पिंडलीयो तक है, अगर तुम्हे ये गवारा ना हो तो थोडी और उंची कर लो, और उस पर भी बस ना हो तो पिंडलीयो की आखरी हद तक रखो, लेकीन लुंगी (वगैरा) का कोई हिस्सा टखनो पर या टखनो के निचे रहना दुरूस्त नही है" **(निसाई-५३३१, इमाम निसाई और इमाम हाकीम ने इस हदीस को सहीह कहा)। पता चला के पैजामे वगैरा की पसंदीदा मकाम आधी पिंडली है, दुसरा दर्जा उस की कुछ निचे का है, और फिर तिसरा दर्जा टखने से उपर का है।**

सवाल : क्या तकब्बुर और घमंड ना हो तो टखने के निचे तहबंद पहना जा सकता है?

जवाब १: हजरत अबुबकर (रजि) को घमंड तकब्बुर नही था, इस की बात ज़मानत रसुलुल्लाह (ﷺ) ने ली थी, तो हमारी ज़मानत कौन देगा? दुसरी बात ये है के, हजरत अबुबकर (रजि) ने अपना लिबास टखनो के उपर रखने की कोशीश करते थे लेकीन किसी वजह से वो निचे आ जाता था, उन्हो ने लिबास जानबुछ कर टखनो के निचे नही छोडा था।

जवाब २: रसुलुल्लाह (ﷺ) मे तकब्बुर नही था फिर भी आप अपना लिबास टखनो के उपर रखते थे।

जवाब ३: हदीस - "लिबास को टखनो के निचे पहेन्ने से बचो क्युंके वो तकब्बुर की अलामत है" (सुनन अबु दाऊद-अललिबास, हदीस-४०८४, सहीह (शेख अल्बानी))। कुरआन का हुकुम है के, "बिला-शुबा मोमीनो का ये तरीका होना चाहिए के जब उन्हे अल्लाह और रसुल की तरफ फैसले के लिए बुलाया जाए तो उन्हे समना और अतना कहना चाहिए"

जवाब ४: टखनो का जो हिस्सा इजार से ढका होगा वो आग मे दाखील होगा (सहीह बुखारी, किताबुल-५७८७)

जवाब ४: कई हदीसे मिलती है जो बताती है के, कपडा टखनो के निचे ना पहेना जाए

जन्म दिन और नया साल मनाना

जन्म दिन (सालगिरा) मनाने के बारे में बरेलवीयो (सुन्नी जमाअत) का अकिदा

मुसलमानो मे सालगिराह मानाने का कोई तसव्वुर नही है। लेकीन सालगिरह मनाना शरीयत ने मना भी नही किया है। इस में गलतफहेमी ये होती है के, लोग समझते है के ये गैरकौम का तरीका है जो हम ने अपना लिया।

आला हज़रत इमाम-ए-अहले सुन्नत ने इस की तिन शर्ते बताई है १) वो उस कौम का ऐसा कौमी अमल हो जो उन के लिए खास हो और मुसलमाने मे राईज ना हुआ हो, २) उस कौम की मोहब्बत की वजह से इख्तीयार किया जाए, ३) उन के साथ मुशाबहत का इरादा भी हो। मुसलमान जब सालगिरह मनाता है तो ये तिने चिज़े उस के खयाल में नही होती। एक मुसलमान बर्थ-डे किसी कौम की मोहब्बत की वजह से नही मनाता, उस का किसी कौम से मुशाबहत का इरादा भी नही होता और बर्थ-डे मनाना मुसलमानो मे राईज हो चुका है। लेहाजा सागिराह मनाना नाजायज़ नही है।

बरेलवीयो का ये अकिदा गलत है :

जन्म दिन (सालगिरा) मनाना इस्लाम मे जायज नही है। बर्थडे मनाने में बहोत सारे खुराफात और बिदअते इजाद होते है। ये तरीका रोम के लोगो से इसाई लोगोने लिया हुआ है और ये तरीका गैरकौम का तरीका है। हमारे लिए क्या बहेतर है! गैर कौम का तरीका या नबी (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) और सहाबा इकराम का तरीका?

१. इब्ने उमर (रज़ि) से रिवायत है की, नबी करीम (ﷺ) ने इरशाद फमाया "जिस ने जिस कौम से मुशाबीयत (कॉपी) इख्तीयार की वो उन्ही मे से है"। (Abu Dawood : hadees-४०३१) **- ये हदीस हसन सहीह है**
२. बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसुलुल्लाह (ﷺ) की जिंदगी एक बहेतर नमुना है। (सुरे अहजाब (३३), आयत-२१)
३. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "सबसे बहेतरीन कलाम अल्लाह की किताब है और सब से बहेतरीन मोहंम्मद (ﷺ) का तरीका है, सब से बदतरीन काम दिन में नयी नयी बातो का पैदा करना है...." (**Sahih** Bukhari: Volume ९, Book ९२, Number ३८२)

मंगलसुत्र और चुडिया पहेन्ना

हिंदू कौम के मुताबी मंगलसुत्र का मतलब ये है के, मंगल = मुकद्दस-holy, सुत्र = धागा-thread। हिंदू कौम के अकिदे के मुताबीक मंगलसुत्र शोहर की लंबी उम्र के लिए काम आता है और शोहर की हिफाज़त करता है और यह उन की शादीशुदा होने की निशानी है।

नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फमाया "जिस ने जिस कौम से मुशाबहत इख्तीयार की वो उन्ही मे से है"(Abu Dawood Hadess:४०३१) **- ये हदीस हसन सहीह है**। गैर-कौम की मुशाबहत इख्त्यार करने का मतलब है ये है के, उस कौम का कौमी अमल करना जो उस कौम के लिए खास हो। जैसा के दिवाली मे फटाके उडाना ये गैर-कौम का कौमी अमल है और उन के लिए खास है।

भारत मे **मंगलसुत्र** पहेन्ने वाली इस्लामी औरते हिंदू मज़हब के मज़हबी उसुलो की पैरवी (follow) कर रही है । अल्लाह पर भरोसा और यकीन नही करते हुए मंगलसुत्र पर भरोसा कर रही है इसलिए ये शिर्क है।

इस्लाम मे **चुडी** पहेन्ना मना नही किया गया। लेकीन वो अपनी ज़िनत (शृंगार, make up) सिर्फ अपने मेहरम को ही बता सकती है। गैरमेहरम को बताने के लिए सजना सवरना और मेक-अप करना हराम है।

कबर में ३ नही ४ सवाल पुछे जाएंगे

हदीस : आप (ﷺ) ने फरमाया कबर में मुर्दे के पास २ फरीश्ते आते है और इसे बैठाते है और इस से कहते है, **१) तेरा रब कौन है?** तो वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पुछते है **२) तेरा दिन क्या है?** तो वो कहता है मेरा दिन इस्लाम है। फिर वो पुछते है, **३) ये शख्स कौन है जो तुम में माबुस किया गया था?** वो कहता है की वो अल्लाह के रसुल (ﷺ) है। फिर वो कहते है **४) तुझे कैसे इल्म हुआ?** (यानी तुने इस सवाब के जवाबात कैसे दिए?) वो कहता है मैं ने अल्लाह की किताब पढी है, इस पर इमान लाया और इस की तस्दीक की। जुरैर की रिवायत में और लिखा है, यही (सवाल-जवाब) मिस्दक है अल्लाह के फरमान का (आयत है)" फिर वो दोनो रिवायत करने मे मुत्तफीक है, आप (ﷺ) ने फरमाया, फिर आस्मान से मुनादी करने वाला ऐलान करता है "तहकीक मेरे बंदे ने सच कहा है, इसे जन्नत का बिस्तर बिछा दो और जन्नत का लिबास पहेना दो और इस के लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। फिर फरमाया, जन्नत की तरफ से वहा की हवाए, राहते, और खुश्बु आने लगते है, और उस की कबर को इंतेहाई नजर तक वसीह (बडा) कर दिया जाता है।

फिर काफीर और इस की मौत का जिक्र किया और फरमाया "मरने के बाद इस की रुह इस के जिस्म में लौटाई जाती है और फरीश्ते इस के पास आते है और इसे बैठाते है और इस से पुछते है - तेरा रब कौन? वो कहता है हाय अफसोस मुझे खबर नही है। फिर वो उसे पुछते है - तेरा दिन क्या है? तो वो कहता है हाय हाय मुझे खबर नही। फिर वो उसे पुछते है - ये आदमी कौन है जो तुम में माबुस किया गया था। वो कहता है के हाय

हाय मुझे खबर नही। तो मुनादी आस्मान से निदा देता है के इस ने झुठ कहा, इसे आग का बिस्तर बिछा दो, इसे आग का लिबास पहेना दो, और इस के लिए दोजख की तरफ का दरवाजा खोल दो। फरमाया की फिर इसे जहान्नुम की तरफ से तपीश और सख्त गरम हवा आने लगती है और इस पर कबर को तंग कर दिया जाता है हत्ता के इस की फसलीया एक दुसरे में घुस जाती है। जुरैर की रिवायत में और लिखा है की फिर इस पर एक अंधा गुंगा फरीश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जिस के पास भारी गरज (हथोडा) होता है, अगर इसे पहाड पर मारा जाए तो वो पहाड मिट्टी मिट्टी हो जाए। फिर वो इस के साथ ऐसे चोट मारता है जिस की आवाज जिनो और इंसानो के अलावा मशरीक व मगरीब के दरमियान मख्लुक सुनते है, और फिर वो रेजा रेजा हो जाता है, फरमाया फिर इस में रुह लौटाई जाती है। (Abu Dawood, ४७५३; Ahmad, १८०६३)**- ये हदीस सहीह है।**

और **सहीह बुखारी (हदीस नं.१३७४)** में लिखा है के, जब वो शख्स तीनो सवालो के जवाब नही दे पाएंगा तो फरीश्ते उसे कहेंगे की "ना तो तु जानता था और ना ही तुने रहेनुमाई (कुरआन पढ कर) ली"। इस तरहा के अल्फाज सहीह बुखारी में मौजुद है।

हमारे लिए क्या जरुरी है?

१. एक मुसलमान के लिए जरूरी है के वो कुरआन को पढे, इस की तस्दीक करे, इसे समझे और कुरआन के बताए हुए रास्ते पर ही चले। लेकीन आज के मुल्ला और उलमा कुरआन पढने से और समझने रोकते है, कहते है के "कुरआन को समझना आम इंसान के बस की बात नही"। तो इस तरहा से लोगो को कुरआन से दुर किया जा रहा है। इस की वजह ये भी है के अगर आम इंसान इसे पढने लगेगा तो इन की बिदअत और शिर्क की दुकान बंद हो जाएगी। कुरआन को अल्लाह तआला ने इंसानो की रहेनुमाई के लिए भेजा है, ये अल्लाह का सिधा रास्ता है जो इंसान को कभी बहेकने नही देता।
२. इसी तरहा से सहीह और हसन हदीस से ही दलीले ले।
३. कोई भी हदीस पर फौरन भरोसा ना करे क्युंके ये हदीस जईफ या झुठी मनघडत भी हो सकती है।
४. बगैर तस्दीक (confirm) करे किसी को आगे ना पहोचाए (forward) वरना अगर हदीस झुठी निकली और किसी ने इस पर अमल कर दिया तो आप भी गुन्हेगार हो जाएंगे।
५. हदीस की तस्दीक (confirm) करे फिर ही forward करे।
६. कुरआन को तरजुमे (translation) के साथ पढे और गहराई में मतलब समझने के लिए उस की तफसीर (interpretation) पढे (कुरआन की तफसीर बिदअती या बद-अकिदे वाले उलेमा की लिखी ना हो)। बहोत सी जबानो में कुरआन के तरजुमे और तफसीर बाजार मी मिल जाती है।
७. जो बात किताब व सुन्नत यानी कुरआन शरीफ और सहीह हदिस के खिलाफ हो वो रद्द कर दे चाहे वो किसी इमाम ने कही हो, चाहे वो किसी बुजुर्ग ने कही हो, चाहे वो किसी उलमा ने कही हो, या किसी मुल्ला या मौलवी ने कही हो। हमारे लिए कुरआन, सहीह हदीस, सहाबा इकराम का तरीका और खुलफाए राशिदीन का तरीका काफी है।

फिरको में बटना कैसा है?

१. बेशक जिन्हो ने अपने दिन में फिरके बनाए और गिरोह में बट गए आप (ﷺ) का उन से कोई तालुक नही है, उन का मामला अल्लाह के सुपुर्द है, फिर वो (अल्लाह तआला कयामत के दिन) उन (फिरकाबाजो को) उन के कर्तुत बता देगा। (सुरे अनाम (६), आयत-१५९)
२. और तुम सब मिल कर अल्लाह की रस्सी को मजबुती से थाम लो और आपस में फिरको में मत बटो (सुरे इमरान (३), आयत-१०३)
३. ऐ इमान वालो तुम उन लोगो की तरहा ना हो जाना जो फिरके फिरके बन गए और खुले दलीले आ जाने के बाद भी इख्तेलाफ पर रहे, ऐसे लोगो के लिए बडा अज़ाब है। (सुरे इमरान (३), आयत-१०५)
४. और (ऐ रसुल) आप का रब चाहता तो सब लोगो को एक जमाअत बना देता और वो हमेशा इख्तेलाफ मे रहेंगे। मगर जिस पर रब की रहेमत हो जाए (बस वही इख्तेलाफ से बच पाएगा) और उस ने तो इसलिए उन को पैदा किया है (की उन पर रहेम व करम करे लेकीन लोग इख्तेलाफ कर के अपने आप को रहेम की

बजाए दोजख का मुस्तहीक बना लेते है तो ऐ रसुल ﷺ इस तरहा) आप के रब की वो बात पुरी हो कर रहेगी (जो वो पहेले ही कह चुका है) की वो जरूर दोजख को जिन्नात और इंसान से भर देगा। (सुरे हुद (११), आयत-११८-११९)

५. मुशरीको (में ना हो जाओ यानी) उन लोगो में से जिन्हो ने अपने दिन को तुकडे तुकडे कर डाला और फिरके फिरके हो गए, तमाम फिरके जो कुछ उन के पास है उस मे मगन है। (सुरे रूम (३०), आयत:३१-३२)

मौत का गम मनाने की मुद्दत

शरीयत यानी इस्लाम के कानुन के हिसाब से "मौत का गम मनाने की मुद्दत सिर्फ ३ दिन है सिवाय उस औरत के जिस के शोहर का इंतेकाल हुआ हो। जिस औरत के शोहर का इंतेकाल हुआ उस के ४ महिने १० दिन इद्दत के होते है यानी गम मनाने के होते है" [Sure al-Baqarah(२), ayat-२३४] बाकी अफराद के लिए ३ दिन से ज्यादा गम मनाना हराम है और गम भी सुन्नत तरीके से और जायज़ तरीके से ही मनाने की इजाज़त है। अगर कोई ईद चौथे या पांचवे दिन आए तो भी आप को ईद मनानी है। बाज़ लोग एक एक साल तक गम मनाते है और ईद भी नही मनाते, ये गैर-इस्लामी तरीका है।

शरीयत के मुताबीक गम कैसे मनाए : बुखारी शरीफ की और मुस्लीम शरीफ की रिवायत है, हुजुर (ﷺ) इरशाद फरमाते है "इंसान को अज़ाब नही दिया जाता आँखो के आंसुओ पर, इंसान को दिली गम पर कोई अज़ाब नही होता चाहे कितने भी दिन गुज़र जाए, मगर वो हम में से नही है जो सिने को चाक कर ले, अपने गिरेबान को चाक कर ले, और अपने कपडो को फाड ले, और बडी बडी बातें करे, चिखे मारें और अल्लाह तआला के खिलाफ कुछ कहे"। लेहाज़ा पता ये चला के गम में आँखो से आंसु आए और दिल गम महेसुस करे तो चाहे कितने भी दिन बीत जाए कोई गुनाह नही है और गम मनाने के लिए अपने सिने पर मारना, चिखना चिल्लाना, कपडे फाडना, अल्लाह तआला के लिए गलत अलफ़ाज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त शरीयत नही दी है।

हदीसे पाक - "जो गिरेबान फाडे, चेहरा पिटे, और जाहिलत की पुकार पुकारे वो हम में से नही"
[Sunan-e-Trimizi :: Kitaab Ul Janaiz :: Hadees :: 1001 :: Jild :: 2 :: Page :: 303] **- ये हदीस हसन है**

क्या यज़ीद पर जन्नती बशारत वाली हदीस फिट होती है?

हुजुर (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के, मेरी उम्मत का पहेला लष्कर जो कैसरे रोम (रोम के बादशाह को कैसर कहते है) के शहेर पर जंग के लिए जाएगा अल्लाह ने उन की मगफीरत कर दी है (सहीह बुखारी - २९२४)।

कहा जाता है के, यज़ीद उस पहेली जंग में शामील था और फौज का अमिर था। आईये देखते है के हकीकत क्या है -

आज कुस्तुनतुनीया का नाम इस्तंबोल है जो की तुर्की का शहर है। इस हदीस मे कुस्तुनतुनिया का जिक्र कही नही है। आप (ﷺ) के जमाने मुबारका में कैसरे रोम का शहेर हमज था। अबु अबैदा इब्ने जारा ने हजरत उमरे फारुक (रजि) के दौर में हमज पर हमला किया था, ये यज़ीद की पैदाईश से १५ से २० साल पहेले की बात है।

अबु दाऊद की हदीस नं.२५१२ सहीह सनद के साथ हदीस है के, अबु इब्राहम ताबी का बयान है के, हम कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए जब गए तो उस वक्त हमारे लष्कर के अमिर अब्दुर रहेमान बिन खालीद बिन वलीद थे और वहा पर सय्यदुना अबु अय्युब अन्सारी भी हमारे साथ मौजुद थे और उन्हो ने हमे एक आयत की तफ्सीर भी समझाई और फिर सय्यदुना अबु अय्युब अन्सारी कुस्तुनतुनिया के हमलो में शरीक होते रहे हत्ता के एक हमले के दौरान वो फौत हो गए और वही पर दफन हुए।

सहीह बुखारी, तहाज्जुद, हदीस-११८६ के मुताबीक सय्यदुना अबु अय्युब अन्सारी कुस्तुनतुनिया के हमले मे मौजुद थे और उस वक्त लष्कर का अमीर यजीद था (ये ५४ हिजरी का वाकीया है) और सय्यदुना अबु अय्युब अन्सारी इसी हमले के दौरान फौत हो गए.

तो पता चला के कुस्तुनतुनिया के पहेले हमले में यजीद फौज का अमिर नही था, वो ७ वे या ८ वे हमले में शामील था।

कुस्तुनतुनिया पे पहेला हमला अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के भाई मुनजी बिन जुबैर ने ३३ हिजरी में हमला किया था, इस का जिक्र सही मुस्लीम, सुनन अबु दाऊद, तबरानी, मुस्नद अहमद हदीस की किताबो मै मौजुद है।

बैत और पिर-मुरीदी की शरई हैसीयत

बैत का मतलब अरबी में होता है तिजारत करना, लेन देन करना। अल्लाह तआला फरमाता है के, हम ने मोमीनो की जान और उन के माल के बदले उन को जन्नत दे दी है। तो ये होता है अपने आप को बेचना।

क्या एक इंसान दुसरे इंसान को बेचेगा। गुलामी भी खत्म हो चुकी है। इंसान अपने आप को अल्लाह के आगे बेच सकता है, लेकीन कोई इंसान, इंसान को नही बेच सकता।

रसुलुल्लाह (ﷺ) की बैत अल्लाह की बैत है। क्युंके रसुलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह के भेजे हुए नुमाएंदे है। अब कयामत तक जो शख्स कलमा पढेगा वो अल्लाह के रसुल की और अल्लाह की बैत में आएगा। हर सही अकिदा मुसलमान के मुरशीद (पिर) रसुलुल्लाह (ﷺ) है। तो यही बैत साबीत है इस के अलावा कोई बैत साबीत नही है।

हमारे मुरशीद रसुलुल्लाह (ﷺ) के बारे में अल्लाह तआला फरमाता है के, "तुम्हारे नबी ना कभी बहके है ना कभी बे-राह चले है"।

बरेलवी जमाअत के लोग एक किस्सा बयान करते है के, शेख अब्दुल कादीर जिलानी के पास शैतान एक बादल की शकल में आया, बडा नुर निकला और उस ने शेख अब्दुल कादीर जिलानी से मुखातीब हो कर कहा के, मैं तुम्हारा रब हुँ, आज के बाद तुम्हारी सारी नमाजे माफ। तो शेख अब्दुल कादीर जिलानी ने 'लाहोल वला कुवता इल्ला बिल्लाह' पढा तो वो वहा से गायब हो गया। तो गायब होते होते उस ने कहा के ऐ अब्दुल कादीर तु अपने इल्म की वजह से बच गया। शेख अब्दुल कादीर जिलानी ने कहा के मै अपने इल्म की वजह से नही बल्की अल्लाह के फजल की वजह से बचा हुँ। तो वो शैतान चिख मारता हुआ वहा से गया और उस ने कहा के अब्दुल कादीर मैं ने तेरे इस मरतबे पर पहोचे हुए ७० औलीयाओ को दोजख में पहोचा दिया है इस फरेब से। **अब गौर करे के शेख अब्दुल कादीर जिलानी के मरतबे के ७० वली जहान्नम मे है तो उन के मुरीदो का क्या हाल होगा?**

अहमद रज़ा खान साहब अपनी किताब बैत-व-खिलाफत में लिखते है के, ये कौल गलत है के जिस का कोई पिर नही उस का पिर शैतान है, जो मोमीन है उस के पिर रसुलुल्लाह (ﷺ) है।

एक और बैत है जो साबीत है जिस का नाम खलीफतुल मुस्लीमीन की बैत है ।

कुरआने करीम में सुरे निसा (४), आयत नं.५९ में अल्लाह तआला फरमाता है के, "ऐ इमान वालो हुकम मानो अल्लाह का और हुकम मानो रसुल का और इन का जो तुम मे हुकुमत वाले है, फिर अगर तुम में से किसी बात का झगडा उठे तो उसे अल्लाह और रसुल के हुजुर रुजु करो अगर अल्लाह व कयामत पर इमान रखते हो, ये बहेतर है और इस का अंजाम सब से अच्छा है"। **इस का मतलब ये है के अल्लाह और अल्लाह के रसुल की बात मानो और उन की भी बात मानो जो तुम्हारे उपर हुकूमत करते है, लेकीन अगर तुम मे नाईत्तेफाक हो जाए तो अल्लाह और रसुल की तरफ लौटो।**

रसुलुल्लाह (ﷺ) की वफात के बाद पहेले खलीफा हजरत अबुबकर (रजि) बने, उन के बाद हजरत उमर (रजि) दुसरे खलीफा बने, फिर उन के बाद हजरत उस्मान (रजि) तिसरे खलीफा बने और उन के बाद हजरत अली (रजि) चौथे खलीफा बने।

सही मुस्लीम की हदीस नं.४७९९ है के, "जब एक खलीफा की बैत कर ली जाए और दुसरा उस के खिलाफ बगावत करे तो उसे कत्ल कर दो"। यानी मुसलमानो का एक वक्त में एक ही खलीफा होगा, एक खलीफा होते हुए दुसरा खलीफ नही हो सकता। **आज लोग कहते है के, अब तो खलीफा नही रहे, इसलिए हमारे बुजुर्ग वही बैत को ले कर चल रहे है।** अगर ये बात मान ली जाए तो सही मुस्लीम की हदीस भी मान्ना पडेगी के एक ही खलीफा की बैत होगी और बाकी सारो को कत्ल किया जाएगा। **हमारे माशरे में एक पिर होते हुए भी दुसरे पिर बनते है।**

कुरआन की आयत से पता चलता है की, हुकमरान (पिर, अमिर, बुजुर्ग, उलमा) की बात अगर किताब व सुन्नत के खिलाफ हो तो नही ली जाएगी :

१. सहीह बुखारी और मुस्लीम की हदीस है और हजरत अली (रजि) खुद इस के रावी है, आप बयान करते है के, मै ने रसुलुल्लाह (ﷺ) से सुना है के, अगर किसी खलीफा की बैत की जाती है तो उस के अमिर की बात उस वक्त तक मानी जाएगी जब तक अल्लाह और उस के रसुल के हुकुम के अंदर है और अगर वो अल्लाह और उस के रसुल की नाफरमानी बताए तो उस की बात नही मानी जाएगी। **आज लोग बुजुर्गो की और पिरो की बातो को इतना बडा दर्जा देते है के, अगर उन से कहा जाए के फलाह बात सुन्नत के खिलाफ है तो कहते है के, क्या हमारे बुजुर्ग हमारे पिर, हमारे उल्मा पागल है?**

२. सहीह बुखारी और सहीह मुस्लीम की हदीस है के, "जिस ने अमिर की बात मानी उस ने मेरी बात मानी और जिस ने मेरी बात मानी उस ने अल्लाह की बात मानी"।

एक सफर के दौरान एक अमिर ने कहा के मुझे रसुलुल्लाह (ﷺ) ने तुम्हारा अमिर बनाया है। उस अमिर ने लकडीयो का ढेर जमा किया और उस मे आग लगाई और उस के पैरोकारो (फॉलोवर) से कहा के इस आग में छलांग लगाओ, मेरी बात मान्ना तुम पर वाजीब है। सहाबा इकराम ने कहा के खुदकुशी इस्लाम में हराम है तो उन्हो ने उस की बात नही मानी। हुजुर (ﷺ) के पास जब ये शिकायत गई तो आप (ﷺ) ने फरमाया के "अगर ये आग में छलांग लगा लेते तो दोजख की आग में निकलते"। **तो पता चला के कोई मुल्ला, उल्मा, पिर या बुजुर्ग भी अगर अल्लाह और रसुल की ना फरमानी सिखाए तो उस की बात नही ली जाएगी।**

<u>**बरेलवी पिर की बेशर्मीः-**</u>

सय्यदी अहमद सहाज लमासी की दो बिवीयां थी, सय्यदी अब्दुल अजीज (रहे) ने उन से फरमाया - "रात को तुम ने एक बीवी के जागते दुसरी के साथ हमबिस्तरी की, ऐसा नही करना चाहिए था"।
अरज की - "हुजुर! वो उस वक्त सोयी हुई थी"।
फरमाया - सोती ना थी, सोते में जान डाली थी (यानी झुठ मुठ की सोयी हुई थी)।
अरज किया - "हुजुर को किस तरहा पता चला?"
फरमाया - "जहा वो सो रही थी कोई और पलंग (बेड) भी था?
अरज किया - "हां एक पलंग खाली था"
फरमाया - उस पलंग पर मैं था, तो किसी वक्त शेख (पिर) मुरीद से जुदा नही, हर वक्त साथ है।
(हिकायत-ए-रिज़्वीया ५५) (मल्फुज़ात आला हजरत, बरेलवी वॉल्युम २, पेज नं.५६)

इस से बढ कर बुरी बात और क्या हो सकती है के, के पिर घर के अंदर झाक रहा है और मिया बीवी के तालुकात पर नजर बनाए हुए है।

सहीह मुस्लीम की हदीस है के, "जिस ने बगैर इजाज़त किसी के घर मे झाका घर वालो को इख्तीयार है के वो उस झाकने वाले की आँख पर मारे और अगर आँख फुट कर बाहर आ जाए तो मारने वाले पर कोई गुनाह नही होगा"।

बुज़ुर्गो और उल्माओ की अंधाधुंद पैरवी का नतीजा

मुल्ला और मौलवीयो ने लोगो के जहेन में एक बात डाल रखी है के, हम आशिके रसुल है और बाकी सब गुस्ताखे रसुल है, हम जन्नती है और बाकी सब जहान्नमी है। इसलिए कोई भी बरेलवी दुसरे फिरके वालो के मुंह से हदीस और कुरआन की बात सुन्ने को तयार नही होता।

इसी तरहा से कोई शख्स अगर बात सुन भी ले तो उस पर हदीस और कुरआन का कोई असर नही होता उलटा वो ये कहता है के, क्या हमारे बडे बडे उलमा पागल है?, क्या हमारे बुजुर्ग पागल है, क्या हमारे पिर साहब पागल है?। इस तरहा के जवाबात दे कर कुरआन व सुन्नत से इंकार किया जाता है। कुरआन की आयतो का इंकार और हदीस का इंकार करना कुफ्र कहलाता है।

जब रसुलुल्लाह (ﷺ) ने लोगो को तौहीद की दावत दी तो लोग आप (ﷺ) को दुर से आता हुआ देख कर रस्ता बदल देते थे, कुछ लोग कहते थे के उन के पास ना जाना उन की बात ना सुन्ना उन के पास जादु है, तुम बहेक जाओगे। आज यही हाल हमारा उन मुशरीको की तरहा हो गया है, आज हम अपने फिरके के उलेमा और बाप-दादा के अंधे तरीको पर ही चलना पसंद करते है और अगर कोई तौहीद की बात बताने आए तो उस की बात सुन्ना पसंद नही करते, तौहीद परस्तो के पिछे नमाज पढने से और उन से रिश्ता करने से मना कर दिया जाता है।

अगर कोई शख्स हिंदु के घर में पैदा हो तो उस के मां बाप उसे हिंदु बना देते है इसीतरहा से अगर कोई शख्स बद-अकिदा मदरसो से आलीम की डिग्री हासील कर ले तो वो बद-अकिदा आलीम बनता है।

<u>हक बात (दिन की बात) अगर शैतान भी बताए तो भी तस्दीक करना चाहिए</u>

हदीस : अबु हुरेरा (रजि) कहते है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ को सदका-ए-फितर की निगेहबानी पर मुकर्रर फरमाया। इतने में एक शख्स आया वो लाप भर-भर कर उस में से (खजुर) लेने लगा। मैं ने उस को पकड लिया, मैं ने कहा, मैं तुझ को रसुलुल्लाह (ﷺ) के पास ले जाऊंगा (छोडुंगा नही)। उस ने कहा (मुझे अल्लाह के रसुल के पास मत ले जाओ मै तुम्हे कुछ बात बताता हुँ जिस से तुम्हे अल्लाह फायदा पहोंचाएगा), अबु हुरेरा! जब तु (सोने के लिए) बिछोने पर जाए तो आयतुल-कुर्सी पढ ले, सुबाह तक अल्लाह तआला की तरफ से तुझ पर एक निगेहबान फरीश्ता मुकर्रर रहेगा और तेरे पास शैतान ना फटकने पाएगा। और अबु हुरेरा (रजि) ने ये बात रसुलुल्लाह (ﷺ) से बयान फरमाई, आप (ﷺ) ने फरमाया, "जो वो बडा झुठा है मगर ये बात उस ने सच कही, वो शैतान था"। (**सहीह** बुखारी, किताबुल फजाईल कुरआन, हदीस-५०१०)

<u>कुरआन का पैगाम</u>

उस से जालीम कौन है जिसे अल्लाह की आयतो दिखाई जाए और वो उसे ना माने (सुरे कहफ (१८), आयत:५७) (सुरे जासीया (४५), आयत: ६-८)

<u>हदीस शरीफ:</u>

रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया, 'बनी इसराईल के ७२ फिरके थे मेरी उम्मत के ७३ फिरके होंगे, सिवाय एक के तमाम जहान्नम में जाएंगे'' सहाबा (रजि) ने पुछा, ''जन्नत में कौन होंगे?'' रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया ''जो मेरे और सहाबा के तरीके पर होंगे'' (तिरमीजी)

इस हदीस से या बात मालुम होती है के, जन्नत का हकदार वही है जो रसुलुल्लाह (ﷺ) के और सहाबा इकराम के तरीके पर चलेगा। अगर हम सहाबा इकराम के तरीको पर गौर करे तो ये सवाल आता है के, **क्या सहाबा इकराम कबर परस्ती करते थे?, क्या सहाबा ने किसी की पक्की कबर बनाई?, क्या सहाबा ने कबर पर फुल और चादरे डाली?, क्या सहाबा ने किसी कबरवाले का संदल उर्स मनाया?, क्या सहाबा ने ईदे मिलाद मनाई गलीयो और बाजारो मे रौनके की और जुलुस निकाल कर धुमे की?, क्या सहाबा कबरवालो से मांगा करते थे?, क्या सहाबा का ये**

अकिदा था के नबी कबर में ज़िंदा है?, क्या सहाबा ने फातेहाख्वानी कुरआनख्वानी तिजा दसवा चालिसवा सालाना बरसी ग्यारवी कुंडे किए?, क्या सहाबा ने शिर्कीया कव्वालीया झुम झुम कर सुनी?, क्या सहाबा का ये अकिदा था के अल्लाह तक पहोचने के लिए कबरवालो का वसीला जरूरी है? क्या सहाबा ने एक साथ खडे हो कर सलातु सलाम पढा? क्या सहाबा ने किसी का बर्थ-डे मनाया?, क्या सहाबा आज़ान और इकामत से पहेले दुरूद शरीफ पढते थे?, क्या सहाबा तावीज़ गंडे करते थे?, क्या सहाबा नाडे, कडे, तावीज बांधा करते थे? क्या सहाबा रसुलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) को अल्लाह का नुर मानते थे?, क्या सहाबा परेशानी के वक्त गैरुल्लाह को पुकारते थे?, क्या सहाबा कंदुरी करते थे?, क्या सहाबा मय्यत को दफन करने के बाद कबर पर आज़ान देते थे?, क्या सहाबा कबरो पर फातेहा पढते थे?, क्या सहाबा कबरो पर दिये जलाते थे?, क्या सहाबा गैरुल्लाह को खुश करने के लिए इसाले सवाब के नाम पे नियाज़ बनाया करते थे?................. इन सब सवालो का एक ही जवाब है ''नही''। तो आज का मुसलमान कम इल्मी की वजह से मुल्लाओ के बहेकावे में आ कर ये सब करता है जो सहाबा इकराम का तरीका बिल्कुल नही था। अगर हमारी जिंदगी में ये सब कुछ है तो हदीस के मुताबीक जन्नत में जाने का हमारा दावा झुठा है।

*** कुरआन मजीद मे दो आयते ऐसी है जो बताती है के जो लोग अपने बडो की और उल्माओ की अंधाधुंद पैरवी कर के कुरआन की आयतो से और सहीह हदीस से इन्कार करते है, उन गुमराह लोगो के लिए क्या अजाब है और वो लोग अपने बडो के बारे में अल्लाह से क्या कहेंगे.......**

<u>पहेली आयत :</u> बेशक अल्लाह ने लानत की है काफीरो पर (कुरआन और हदीस की आयतो का इंकान करने वाला काफीर होता है) और तयार कर रखी है इन के लिए जहान्नम की आग, रहेंगे वो इस में हमेशा, ना पाएंगे कोई दोस्त ना मदतगार, जिस दिन उलट पलट किए जाएंगे इन के चेहरे आग में तो कहेंगे के, ऐ काश हम अताअत करते (बात मानते) अल्लाह की और अताअत करते रसुल की, और कहेंगे हमारे रब बेशक हम ने अताअत की अपने सरदारो की और अपने बडो की तो भटका दिया इन्हो ने हम को रास्ते से, हमारे रब दे इन को दुगना अज़ाब और कर लानत इन पर, बहोत बडी लानत। (सुरे अहजाब (३३), आयत-६४ से ६८)

<u>दुसरी आयत :</u> और कहेंगे वो जिन्हो ने कुफ्र किया हमारे रब हमे दिखा वो लोग जिन्हो ने हम को गुमराह किया था, जिनो में और इंसानो में से के हम इन को रौंद डाले अपने पाव तले ताके वो हो जाए ज़िल्लत उठाने वालो में से (सुरे हा-मिम (४१), आयत-२९)।

कुरआन मजीद मे साफ लिखा है के "अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसुल की बात मानो और वो लोग जिन के पास इल्म है (सुरे निसा (४), आयत-५९)"। आगे लिखा है के "अगर उल्मा मे इख्तेलाफ है तो फिर से अल्लाह और अल्लाह के रसुल पर लौट जाओ"। **जो आलीम कुरआन और सहीह हदीस से जवाब देता है उस की बात ली जाएगी। कितना भी बडा आलीम है उस की बात हदीस और कुरआन से टकराए तो उस की बात नही ली जाएगी।**

<u>कुरआन का पैगाम :</u> अल्लाह और उस के रसुल के मुकाबले में बाप, दादा और बुजुर्गो के पिछे मत चलो।

१. सुरे बकराह (२), आयत-१७०
२. सुरे मैदाह (५), आयत-१०४
३. सुरे लुकमान (३१), आयत-२१

<u>कुरआन का पैगाम :</u>

सिर्फ गुमान और अटकलो के पिछे मत चलो (सुरे अनाम (६), आयत-१२८)

<u>कुरआन का पैगाम :</u> अकसरीयत (बडी जमाअत) के पिछे मत चलो

१. और ऐ सुनने वाले जमीन मे अकसर वो है के तु इन के कहे पर चले तो तुझे अल्लाह की राह से बहका दे वो सिर्फ गुमान के पिछे है और निरी अटकले दौडाते है। (सुरे अनाम (६), आयत-११६)

२. ऐ लोगो इस पर चलो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा और इसे छोड कर और हाकीमो के पिछे ना जाओ बहोत ही कम समझते हो (सुरे आराफ (७), आयत-३)

कुरआन का पैगाम : रसुलुल्लाह (ﷺ) की पैरवी ही निजात का बहेतरीन जरीया है।

१. (सुरे इमरान (३), आयत-१२, ३१ और ३२)
२. (सुरे निसा (४), आयत-५९, ६४, ६५, ६९, ८० और ११५)
३. (सुरे मैदाह (५), आयत-९२)
४. (सुरे अनफाल (८), आयत-२०)

बुजुर्ग और उल्मा की गुस्ताखीया :

१. ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तीयार काकी साहब (जो ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती साहब के खलीफा थे) एक दफा उन के पास एक शख्स आया और अरज किया की मै मुरीद होने आया हुँ। ख्वाजा साहब ने फरमाया : जो कुछ हम कहेंगे करेगा, अगर ये शर्त मंजुर है तो मुरीद करूंगा। उस ने कहा आप जो कुछ कहेंगे मै करूंगा। ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तीयार काकी ने फरमाया : तु कलमा इसतरहा पढता है "लाईलाहा इल्लल्लाह मुंहमदुर रसुलुल्लाह" तो अब एक बार एस तरहा पढ **"लाईलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसुलुल्लाह"**। चुंके वो शख्स अकिदे का पक्का था तो उस ने फौरन पढ दिया। ख्वाजा साहब ने उस से बैत ली और बहोत कुछ खिलअत और न्यामत अता फरमाया और कहा : मैं फकत तेरा इम्तीहान ले रहा था की तुझ को मुझ से किस कदर अकिदत है वरना मेरा मक्सुद ये ना था की तुझ से इस तरहा कलमा पढवाऊं (ख्वाजा फरीदुल गंज शकर साहब, हश्त बहिश्त, फवाईदुस्सालिकीन, सफा नं.१९)
२. एक शख्स ने ख्वाब देखा जिस में उस ने कलमा पढा "लाईलाहा **इल्लल्लाह अशरफ अली रसुलुल्लाह"**। फिर बाद मे निंद से उठ कर भी बेइख्तीयारी में कहने लगा **"अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यीदीना व नबीयीना व मौलाना अशरफ अली"**। फिर अपना वाकीया लिख कर अपने पिर अशरफ अली थानवी को भेजा तो उन्हो ने जवाब दिया "उस वाकीये मे तसल्ली थी के जिस की तरफ तुम रुजु करते हो (यानी अशरफ अली थानवी की तरफ) वो बिऔनिही ताला मुत्तबा-ए-सुन्नत है"। (मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, अल इमदाद, अदद ८ माह सफर १३३६ हिजरी, जिल्द-३, सफा-३५)

लफ्ज ’आशिके रसुल’ इस्तेमाल करना हुजुर की तौहीन है

बरेलवी हजरात अपने आप को आशिके कहते है। लफ्ज ’इश्क’ से बना है ’आशिक’। इश्क लफ्ज मे शहवत (गंदी ख्वाहीश) होती है। जब के लफ्ज ’मोहब्बत’ पाकीजा लफ्ज है। लफ्ज ’इश्क’ का इस्तेमाल ना कुरआन मे आया है और ना ही हदीस में।

क्या ये कहना दुरूस्त है के, ’’मै अपनी माँ का आशिक हुँ, मैं अपनी बहेन या बाप का आशिक हुँ’’। नही, तो सही लफ्ज ये है के ’’मैं अपनी मां से मोहब्बत करता हुँ’’। जब आप अपनी माँ और बहेन के लिए इश्क का लफ्ज इस्तेमाल नही कर सकते तो कायनात की सब से पाकीजा ज़ात हुजुर (ﷺ) के लिए नापाक लफ्ज का इस्तेमाल कैसे कर सकते है जैसे ’’मैं आशिके रसुल हुँ’’।

फैजाने सुन्नत या फैजाने बिदअत

फैजान का माना होता है सैलाब। फैजाने सुन्नत का मतलब होता है सुन्नत का सैलाब। आईये देखते है के, क्या ये किताब यकीनन फैजाने सुन्नत है या फैजाने बिदअत।

फैजाने सुन्नत का इल्मी जाएज़ा -

पहेला सफा -

इस किताब के लिखने वाले है मुहंमद इलियास कादरी। इस किताब में १३१० सफे है। पहेले सफ पर किताब की शुरूवात **७८६/९२** से की गई थी जो के इस्लाम मे नाजायज़ अमल है। अबजद के हिसाब से

अदद ७८६ का मतलब होता है **बिस्मील्लाह हिररहेमा निररहीम**, जब की **रसुलुल्लाह** (ﷺ) **के नाम मुबारक** का अदद है **९२**........ हमे अबजद वाली ज़बान से कोई तकलीफ नही लेकीन हुजुर (ﷺ) के मुबारक नाम का अबजद बना कर लिखना हुजुर की बहोत बडी गुस्ताखी है। लेहाजा इस किताब की शुरूवात बिदअत से की गई थी। तौहिद परस्त उलेमाओ ने ऐतेराज किया तब इलियास कादरी साहब ने किताब से ७८६/९२ निकाल कर उस की जगह बिस्मील्लाह हिररहेमा निररहीम लिखा।

इस किताब के लिखने वाले है मुहंमद इलियास कादरी अपने आप को **सगे मदीना** लिखते है यानी **मदिने का कुत्ता।** ये अपने आप को उस जानवर से तशबीह देते है जिस को हमारे मजहब में कभी अच्छे लफ्ज से याद नही किया गया।

फैजाने सुन्नत में हदीसो की तादाद -

सहीह बुखारी - ११६ हदीसे
सही मुस्लीम - १२० हदीसे
तिरमीजी - ११४ हदीसे
नसाई - २३ हदीसे
इब्ने माजा - ७४ हदीसे
अबु दाऊद - ७७ हदीसे

सही बुखारी और मुस्लीम छोड कर तिरमीजी, नसाई, इब्ने माजा और अबु दाऊद की हदीसो की सनद सही या जईफ है बताई नही गई है। नमाज की सफे कैसी बनाए इस बारे में सही बुखारी की एक हदीस बताई गई है तो दुसरी छोड दी गई है।

फिक के मसले और मनघडत हदीसो की किताबे और किस्से कहानीयो की किताबो से मसलो की तादाद -

फतवा आलमगीरी - ५४ मसले
दुररे मुख्तार - ७३ मसले
रद्दुल मुख्तार - ६२ मसले
किमीया ए सादात - ७६ मसले
जज़बुल कुलुब - १३ मसले
असरारे औलिया - ६ वाकीये
शहाबतुल कुलुब - ६४ मसले
बहारे शरीयत - ५२ मसले
तंबीहुल गाफलीन - ५० मसले
तंबीहुल मुघतरीन - ३४ मसले
सादतुल दारैन - १३ मसले
रिसाले कुसेलिया - ९ मसले
अल कौलु - २५ मसले
शराह उस सुदुर - ७ मसले
नुजहतुल मजालीस - ४८ मसले
तजकीरतुल वाहीदीन - ५७ मसले
अनिसुल वाहीदीन - २९ मसले

इलियास कादरी साहब ने कुरआन और सुन्नत की बातो को छोड कर, तौहीद के मसले को छोड कर और शिर्क और बिदअत की तालीमात को छोड कर दिगर गैर-मारुफ किताबो मे से मसले लिखे है जिन की कोई जरूरत भी नही है। अगर ये बाते लिखी जाए तो उन की पोल खुलेगी। तो पता चलता है के मुहंमद इलियास कादरी साहब ने सुन्नत की नही बल्की अपने मतलब की बाते लिखी है। ये किताब जिस का नाम **फैजाने सुन्नत**

रखा गया है ये असल मे **फैजाने बिदअत** है या फिर यु कहीये के **फैजाने तबीयत** क्युंके ये उन्हो ने अपनी तबीयत के हिसाब से लिखी है।

गरीब नवाज कौन? दाता कौन?

गरीब नवाज कौन?

कुरआने करीम में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है के,

"ऐ लोगो! तुम सब अल्लाह के दर के फकीर हो और अल्लाह तो बेनियाज और खुबीयो वाला है" (सुरे फातीर (३५), आयत-१५)

इस आयत में अल्लाह तआला फरमाता है के, हम सब उस के दर के फकीर है.... तो क्या कोई और किसी को नवाज सकता है? बिल्कुल नही...

दाता कौन?

कुरआने करीम में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है के,

"(अल्लाह) जिसे चाहता है बेटीया देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटे बेटीया मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ रख देता है" (सुरे शुरा (४२), आयत:४९-५०)

इस आयत के बाद भी लोग ख्वाजा के दरगाह पर औलाद मांगने के लिए जाते है.. यही नही वहा के पहाड के उपर से एक पेड का फल ले कर जाते है जिन्हे औलाद नही होती उस को चांदनी रात में खिलाने के लिए....

कुरआने करीम में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है के,

"और जिंदे और मुर्दे बराबर नही हो सकते, अल्लाह तआला जिस को चाहता है सुना देता है, और आप उन लोगो को नही सुना सकते जो कबरो में है" (सुरे फातीर (३५), आयत -२२)

अल्लाह का ऐलान :

"जिन लोगो ने हमारी आयतो को झुठलाया और उन से तकब्बुर किया उन के लिए आस्मान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में ना जाएंगे जब तक के उंट सुई के नाके के अंदर से ना चला जाए और हम मुजरीम लोगो को ऐसी ही सज़ा देते है" (सुरे अल-आराफ (७), आयत-४०)

बरेलवी सुफीयो की गुस्ताखिया

बरेलवी सुफी जिन्हे बरेलवी हजरात **कामील वली** कहते है इन की गुस्ताखीयो की कुछ झलक आप को बता रहे है।

१. आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी की किताब मलफुज़ात में किसी ने अहमद रज़ा खान बरेलवी से पुछा के ''अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया इकराम की हयाते बरजखीया (कब्र में हयाती) में क्या फरक है''?

   इस सवाल पर अहमद रज़ा खान बरेलवी ने युं जवाब दिया -

   ''अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की हयात हकीकी हिस्सी व दुनियावी है (यानी नबी कब्र मुबारक में दुनिया जैसी जिंदगी जीते है) इन पर एक दीन की मौत तारी होती है फिर फौरन इन को वैसे ही हयात फरमा दी जाती है। इस हयात पर वही हुकुमे दुनियावी है के इन का तरका (माल, जायदाद) बांटा ना जाएगा, इन की अज़वाज (बीवीया) को निकाह हराम और इद्दत नही। वो (नबी) अपनी कबरो में खाते पिने नमाज पढते है। बल्के सय्यदी मोहंम्मद बिन अब्दुल बाकी जुरकानी फरमाते है के **अंबिया अलैहिस्सलाम की कबर में**

अज़्वाजे मुतहेरात (उन की बीवीया) पेश की जाती है और वो इन के साथ शब बाशी (हमबिस्तरी) फरमाते है।''

अहमद रजा खान और उन के बुजुर्ग सय्यदी मोहंम्मद बिन अब्दुल बाकी जुरकानी का ये मानना है के नबी कबरो में जिंदा है, अपनी कबरो में दुनियावी जिंदगी जिते है और कबरो में अपनी बिवीयो के साथ शब बाशी (हमबिस्तरी) फरमाते है। **(नऊजुबिल्लाह, अस्तगफीरुल्लाह)।** ऐसी गुस्ताखी कर के भी अहमद रज़ा खान बरेलवी ने माफी मांग कर रुजु नही किया है। ये किताब alahazrat.net इस वेबसाईट से download की जा सकती है।

<u>नोट :</u> दावते इस्लामे ने नई मलफुज़ात में इस बात को शामील नही किया है।

ہے اتنی ہی اس کی اللہ کے یہاں ہے۔ حضرت سیدی عبد الوہاب اکابر اولیائے کرام میں سے ہیں۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا۔ اس مجمع میں چلے آتے تھے ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا: اَلنَّظْرَةُ الْاُوْلٰی لَکَ وَالثَّانِیَةُ عَلَیْکَ ۔ پہلی نظر تیرے لئے ہے اور دوسری تجھ پر یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسری مواخذہ ہوگا۔ خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوئے ارشاد فرمایا عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے عرض کی ہاں اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہئے ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کی۔ اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرماتے ہیں۔ معاً وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کے نظر کی۔ خادم کو اشارہ ہوا انھوں نے آپ کی نذر کردی ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دیر کا ہے کی فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔

عرض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے۔

ارشاد انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات حقیقی حسی دنیاوی ہے ان پر تصدیق وعدۂ الٰہیہ کے لئے محض ایک آن کی آن کو موت طاری ہوتی ہے پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرمادی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیویہ ہیں ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا۔ ان کی ازواج کو نکاح حرام نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو حج کرتے ہوئے لبیک پکارتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اولیاء علماء شہداء کی حیات برزخیہ اگرچہ حیات دنیویہ سے افضل اعلیٰ ہے مگر اس پر احکام دنیویہ جاری نہیں اور ان کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ ان کی ازواج عدت کریں گی اور حیات برزخیہ کا ثبوت تو عوام کے لئے بھی ہے۔ حدیث میں ہے مثل مومن کی اس طائر کی طرح جو قفس میں ہے کہ جب تک وہ قفس میں ہے اس کی اڑان اسی تک ہے اور جب اس سے آزاد ہوا تو اس کی اڑان کتنی ہوگی۔ بعد مرنے کے سمع بصر ادراک عام لوگوں کا یہاں تک کہ کفار کا زائد ہو جاتا ہے اور یہ تمام اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جو خلاف کرے گمراہ ہے۔ کہ جس کسی کی قبر پر آدمی جاتا ہے اگر صاحب قبر اس کو پہچانتا تھا تو اس کو پہچانتا تھا تو اتنا ضرور جانتا ہے کہ ایک مسلمان میری قبر پر آیا ہے۔ اگر کسی زندہ شخص کو اتنے من مٹی میں دبا دیا جائے تو اس کے اوپر اگر توپ بھی چھوڑی جائے جب بھی نہ سنے گا تو ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد سمع و بصر و ادراک بڑھ جاتا ہے۔

२. **<u>बुल्ले शाह की अल्लाह की शान में गुस्ताखी (अस्तगफिरुल्लाह) :</u>** देख महेबुब हकीकी इंसानी रुप मे खुद आ गया है, वो खुद ही शेर मानींद शिकारी है और खुद ही हिरन मानींद शिकार है.....खुद ही गुलाम.....कभी हाथ में कशकोल पकडे फकीरी की मानींद गली गली फिर रहा है.... बहेरुपये की मानींद नए रुप बनाता फिर रहा है...... वो तो एक बाजीगर है...... (शराह कलाम बुल्ले शाह, सफा नं.-२४५)

और आगे लिखते है....

हजरत बाबा बुल्ले शाह (रहे) हर रंग और हर रुप में अल्लाह तआला के मौजुद होने के मुताल्लीक इस अंदाज में बात कर रहे है के अल्लाह तआला इंसानी रुप में खुद ही दुनिया में आ गए है। (शराह कलाम बुल्ले शाह, सफा नं.-२४६)

और आगे बुल्ले शाह हजरत आदम (अलैहिस्सलाम) और बीबी हव्वा की गुस्ताखी करते हुए उन्हे चोर कह रहे है।

شرح کلام 245 بلھے شاہ

ڈھولا آدمی بن آیا

شرح کلام 80 بلھے شاہ

اماں بابے دی بھلیائی

شرح کلام 246 بلھے شاہ

३. <u>बरेलवीयत का कुफरीया कलमा 'ला-इलाहा इललल्लाह शिबली रसुलुल्लाह' (अस्तगफिरुल्लाह):</u>

एक रोज इरशाद हुआ के हजरत अबुबकर शिबली (रहे) की खिदमत में दो शख्स बैत के इरादे से हाजीर हुए, इन में से एक को फरमाया के कहो ''ला-इलाहा इललल्लाह शिबली रसुलुल्लाह''। इस ने कहा! जी ''लाहोल वला कुवता इल्ला बिल्लाह'' आप ने भी ये कलमा पढा, इस ने पुछा के आप ने लाहोल क्यु पढी ऐैस बेशरह के पास मुरीद होने आया। आप ने फरमाया हम ने इसलिए पढी के ऐसे जाहील के सामने राज की बात कह दी। इस के बाद दुसरे शख्स को बुलाया और फरमाया के कहो - ''ला-इलाहा इललल्लाह शिबली रसुलुल्लाह''। इस ने

जवाब दिया के हजरत मैं तो आप को कुछ और ही समझ के आया था आप तो दरे ही गिर पडे रिसालत ही पर किनाअत की। आप ने हंस कर फरमाया के अच्छा तुम को तालीम करेंगे। पस हर शख्स का फहम व हौसला इस बात से भी आला था। हजरत शिबली (रहे) का ये मतलब ना था के जो शख्स ने समझा। बात ये थी के जो शख्स तालीम व तलकीन और हिदायत व इरशाद करता है तालीब के लिए वही रसुल है और रिसालते इलाही का काम अंजाम देता है। (तजकीरा गौसिया, मलफुजात, सफा-३२४)

Salafi_fighter ۳۲۴

کہ اے بہن تم پر کیا پتھر پڑ گئے ہیں یہ کیا سوانگ بنایا ہے۔ سچ فرماتے ہیں کیا تم کو اس بڑھاپے میں دوسرے خاندان کی حوس ہے یہ سنتے ہی اس نیک بخت بی بی نے چوڑیاں توڑ دیں۔ کپڑے پھاڑ ڈالے اور رو رو کر اپنا برا حال کر لیا کہ اس بڈھے نے مجھ سے تو کیا کہا تھا اور بھائی سے کیا کہہ دیا اسی رونے پیٹنے اور غم وغصہ کی حالت میں آنکھ لگ گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئیں۔ انھیں تو نہایت بشاش و ہشاش سیّد صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا بھید تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے دل میں غرور تھا تو مجھ کو حقیر جانتی تھی جب وہ جاتا رہا اور سوز و گداز تیرے دل میں پیدا ہوا تو زیارت ہو گئی۔ غرض یہ کہ طالب جب تک انانیت سے نہیں گزرتا دراصل مطلوب نہیں ہوتا

نیست از خود شو کہ تایابی نجات
چون تو برخیزی نشنید حق نجات

ایک روز ارشاد ہوا کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو شخص بارادہ بیعت حاضر ہوئے ان میں سے ایک کو فرمایا کہ کہو لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ شِبْلِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اس نے کہا! جی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ آپ نے بھی یہی کلمہ پڑھا اس نے پوچھا کہ آپ نے لاحول کیوں پڑھی آپ نے استفسار کیا کہ تم نے کیوں پڑھی بولا کہ میں نے تو اس واسطے پڑھی ایسے بے شرع کے پاس مرید ہونے آیا آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس لئے پڑھی کہ ایسے جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی اس کے بعد دوسرے شخص کو بلایا اور فرمایا کہ کہو۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ شِبْلِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ اس نے جواب دیا کہ حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کے آیا تھا آپ تو ورے ہی گر پڑے رسالت ہی پر قناعت کی آپ نے ہنس کر فرمایا کہ اچھا تم کو تعلیم کریں گے۔ پس ہر شخص کا فہم و حوصلہ اس بات سے بھی اعلیٰ تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مطلب نہ تھا جو شخص نے سمجھا۔ بات یہ تھی کہ جو شخص تعلیم و تلقین اور ہدایت و ارشاد کرتا ہے طالب کے لئے وہی رسول ہے اور رسالت الٰہی کا کام انجام دیتا ہے۔

ایک روز یہ شعر خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہوا۔

Www.ahnafexpose.com

४. **<u>बरेलवीयत का कुफरीया कलमा 'ला-इलाहा इललल्लाह चिश्ती रसुलुल्लाह' (अस्तगफिरुल्लाह):</u>**

ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तीयार काकी साहब (जो ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती साहब के खलीफा थे) एक दफा उन के पास एक शख्स आया और अरज किया की मै मुरीद होने आया हुँ। ख्वाजा साहब ने फरमाया : जो कुछ हम कहेंगे करेगा, अगर ये शर्त मंजुर है तो मुरीद करूंगा। उस ने कहा आप जो कुछ कहेंगे मै करूंगा। ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तीयार काकी ने फरमाया : तु कलमा इसतरहा पढता है "लाईलाहा इल्लल्लाह मुंहमदुर रसुलुल्लाह" तो अब एक बार एस तरहा पढ **"लाईलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसुलुल्लाह"**। चुंके वो

शख्स अकिदे का पक्का था तो उस ने फौरन पढ दिया। ख्वाजा साहब ने उस से बैत ली और बहोत कुछ खिलअत और न्यामत अता फरमाया और कहा : मैं फकत तेरा इम्तीहान ले रहा था की तुझ को मुझ से किस कदर अकिदत है वरना मेरा मक्सुद ये ना था की तुझ से इस तरहा कलमा पढवाऊं। (फवाईदे फरीद: सफा-८३)

५. **अब्दुल कादीर जिलानी (रहे) का रुह को वापस ले आना (अस्तगफिरुल्लाह):**

सय्यदना गैसुल आजम (रहे) का एक खादीम फौत हो गया। इस की बीवी आप की खिदमते अकदस में हाजीर हुई आवजारी करने लगी और अपने खावींद (शोहर) के जिंदा होने की इल्तेजा की तो सय्यद गौसुल आजम (रहे) मुराकबा किया और इल्मे बातीन से आप ने देखा के मलकुलमौत ने इस दिन जितनी रुहे कब्ज की थी वो इन को आस्मान की तरफ ले जा रहे थे। तो आप ने मलकुलमौत को ठहरने का हुकम दिया के मेरे फलाह खादीम की रुह वापस कर दो तो मलकुलमौत ने जवाब दिया के मै ने तमाम रुहो को अल्लाह तआला के हुकम से कब्ज किया है और रब्बेजुलजलाल की बारगाह मे पेश करनी है तो ये कैसे हो सकता है के मै आप के खादीम को रुह को वापस कर दु जिस में कोई ब-हुकम इलाही कब्ज कर चुका हुँ। तो आप ने दोबारा कहा मगर मलकुलमौत ना माने। इस के हाथ मे एक टोकरी थी जिस में तमाम रुहे डाली हुई थी जो इस दिन कब्ज की थी। पस आप ने कुवते महेबुबीयत से टोकरी इन से छिन ली तो तमाम रुहे निकल कर अपने जिस्म में चली गई। मलकुलमौत ने बारगाहे रब्बुलइज्जत में शिकायत की और अर्ज किया मौला करीम तो जानता है जो मेरे और अब्दुल कादर के दरमियान तक्रार हुई के इस ने आज मुझ से तमाम रुहे जो कब्ज की थी छिन ली है तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐस मलकुलमौत बेशक अब्दुल कादर मेरा महेबुब है, तु ने इस के खादीम की रुह को वापस क्यु ना किया अगर एक रुह वापस कर देते तो इतने रुहे अपने हाथ से देते ना परेशा होते। (तफरीह अलखातीर-सफा:६८,६९)

पस जब के रुह नरखरे तक पहोच जाए और तुम इस वक्त देख रहे हो हम इस शख्स से बनीस्बत तुम्हारी बहुत ज्यादा करीब होते है लेकीन तुम देख नही सकते, पस अगर तुम किसी के जेरे फरमान नही और इस कौल मे सच्चे हो तो (जरा) इस रुह को लौटाओ (अल-वाकीया:८३-८७)

تفریح الخاطر ﴿68﴾ فی مناقب الشیخ عبدالقادر

ایسی چیز عنایت فرما جو ان سے اعلیٰ ہو اور میرے وصال کے بعد بھی باقی رہے اور لوگوں کو دنیا و آخرت میں نفع دے۔ پس آواز آئی میں نے تیرے ناموں کو ثواب اور تاثیر کے لحاظ سے اپنے ناموں کے برابر کر دیا۔ پس جو تیرے نام کو لے گا وہ میرے نام کو لے گا۔ (رسالہ حقیقۃ الحقائق)

اَلْمَنْقَبَةُ السَّابِعَةُ (٧)

ملک الموت سے ارواح کو چھڑوانا

(شیخ ابوالعباس احمد رفاعی سے روایت ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم فوت ہوگیا۔ اس کی بیوی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی آہ و زاری کرنے لگی اور اپنے خاوند کے زندہ ہونے کی التجاء کی۔ تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور علم باطن سے آپ نے دیکھا کہ ملک الموت نے اس دن جتنی ارواح قبض کی تھیں وہ ان کو آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ملک الموت کو ٹھہرنے کا حکم دیا کہ میرے فلاں خادم کی روح کو واپس کر دو تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں نے تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض کیا ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے خادم کی روح کو واپس کر دوں جس کو میں بحکم الٰہی قبض کر چکا ہوں۔ تو آپ نے دوبارہ کہا مگر ملک الموت نہ مانگے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں تمام روحیں ڈالی ہوئی تھیں جو اس دن قبض کی تھیں۔ پس آپ نے قوت محبوبیت سے ٹوکری

تفریح الخاطر ﴿69﴾ فی مناقب الشیخ عبدالقادر

ان سے چھین لی۔ تو تمام روحیں نکل کر اپنے اپنے جسموں میں چلی گئیں ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں شکایت کی اور عرض کیا۔ مولیٰ کریم تو جانتا ہے جو میرے اور عبدالقادر کے درمیان تکرار ہوئی کہ اس نے آج مجھ سے تمام ارواح جو قبض کی تھیں چھین لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت بیشک عبدالقادر میرا محبوب ہے۔ تو نے اس کے خادم کی روح کو واپس کیوں نہ کیا۔ اگر ایک روح واپس کر دیتے تو اتنی روحیں اپنے ہاتھ سے دیتے نہ پریشان ہوتے۔)

اَلْمَنْقَبَةُ الثَّامِنَةُ (٨)

لڑکی کا لڑکا بن جانا

راوی کا بیان ہے کہ میں نے شیخ داؤد قادری شیر کبیر سے سنا ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ بلند دروازہ حاجات کا قبلہ اور بے پناہوں کی پناہ گاہ ہے۔ بیشک میں اس کی طرف التجاء کرتا ہوں اور ایک فرزند ارجمند کی خواہش رکھتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تیرے لئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ سن کر وہ شخص ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو لڑکی کو آپ کی خدمت میں لایا اور عرض کیا حضور آپ نے فرمایا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور یہ لڑکی ہے تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے جاؤ اور دیکھو پردہ غیب سے کیا ظاہر

६. <u>अल्लाह के नामो के बराबर सवाब और तासीर (अस्तगफिरुल्लाह):</u>

अब्दुलहद कादरी लिखते है : अल्लाह तआला के तरफ से खिताब हुआ के अब्दुल कादर जो भी तेरी जुमातुल मुबारक के दिन जियारत करेगा वो वली कामील और मकर्रब हो जाएगा अगर तु मिट्टी पर निगाह करेगा तो वो भी सोना बन जाएगी अर्ज किया मौला करीम मुझे इस की जरूरत नही ऐ परवरदिगार मुझे ऐसी चिज इनायत फरमा जो इन से आला हो और मेरे विसाल के बाद भी बाकी रहे और लोगो को दुनिया व आखिरत में नफा दे। पस आवाज आई मै ने तेरे नामो को सवाब तासीर के लेहाज से अपने नामो के बराबर कर दिया। पस जो तेरे नाम को लेगा वो मेरे नाम को लेगा। (तफरीह अलखातीर-सफा:६७,६८)

تفریح الخاطر ﴿67﴾ فی مناقب الشیخ عبدالقادر

اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور اپنے سر مبارک کو ہلایا پھر سر اٹھا کر فرمایا گھر چلی جا تیرا لڑکا گھر میں موجود ہوگا وہ عورت گھر آئی تو اس کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔

سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ محبوبیت کی حالت میں آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے خالق و مالک مجھے اس عورت کے آگے دو دفعہ شرمندہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا اے عبدالقادر تم سچے تھے کہ پہلی دفعہ فرشتو نے اس کے اجزا اکٹھے کئے۔ دوسری دفعہ میں نے اس کو زندہ تیسری دفعہ میں نے اسے دریا سے نکال کر گھر پہنچا دیا۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا اے میرے پروردگار تو نے تمام دنیا کو لفظ کن سے پیدا کیا اور اس میں دیر نہیں لگی قیامت کے دن بیشمار اجسام کے اجزا کو ایک لحہ میں جمع کر کے زندہ کرنے کے بعد اکٹھا کر دے گا۔ تو اس کے ایک جسم کے اجزا کو جمع کرنے اور اسے زندہ کر کے گھر میں پہنچانے میں اتنی دیر کی کیا حکمت تھی۔ بارگاہ رب العزت سے جواب آیا۔ اے عبدالقادر مانگ جو مانگتا ہے۔ کیونکہ ہم تمہارے اس انکسار کے باعث تجھے دینے کو تیار ہیں یہ بات سن کر سرکار غوث پاک عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ میں چلے گئے اور عرض کیا مولیٰ کریم میں مخلوق ہوں اور میری طلب بھی مخلوقیت کے موافق ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا کہ عبدالقادر جو بھی تیری جمعۃ المبارک کے دن زیارت کرے گا وہ ولی کامل اور مقرب ہو جائے گا اگر تو مٹی پر بھی نگاہ کرے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی عرض کیا مولیٰ کریم مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اے پروردگار مجھے

www.ircpk.com

تفریح الخاطر ﴿68﴾ فی مناقب الشیخ عبدالقادر

ایسی چیز عنایت فرما جو ان سے اعلیٰ ہو اور میرے وصال کے بعد بھی باقی رہے اور لوگوں کو دنیا و آخرت میں نفع دے۔ پس آواز آئی میں نے تیرے ناموں کو ثواب اور تاثیر کے لحاظ سے اپنے ناموں کے برابر کر دیا۔ پس جو تیرے نام کو لے گا وہ میرے نام کو لے گا۔ (رسالہ حقیقۃ الحقائق)

اَلْمَنْقَبَةُ السَّابِعَةُ (۷)

ملک الموت سے ارواح کو چھڑوانا

(شیخ ابوالعباس احمد رفاعی سے روایت ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم فوت ہوگیا۔ اس کی بیوی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی آہ و زاری کرنے لگی اور اپنے خاوند کے زندہ ہونے کی التجاء کی۔ تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور علم باطن سے آپ نے دیکھا کہ ملک الموت نے اس دن جتنی ارواح قبض کی تھیں وہ ان کو آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ملک الموت کو ٹھہرنے کا حکم دیا کہ میرے فلاں خادم کی روح کو واپس کر دو تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں نے تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض کیا ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے خادم کی روح کو واپس کر دوں جس کو میں بحکم الٰہی قبض کر چکا ہوں۔ تو آپ نے دوبارہ کہا مگر ملک الموت نہ مانگے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں تمام روحیں ڈالی ہوئی تھیں جو اس دن قبض کی تھیں۔ پس آپ نے قوت محبوبیت سے ٹوکری

www.ircpk.com

७. <u>गौसे पाक का नाम कबर मे लेने से निजात (अस्तगफिरुल्लाह):</u>

सय्यदना गौसुल आजम (रहे) के जमाने मुबारक में एक बहोत बडा गुन्हेगार फासीक फाजर गुन्हा करने में सरमस्त रहता था। मगर इस को आप से बेहद मोहब्बत थी। तो जब वो शख्स फौत हो गया और इस को

दफन किया गया तो सवाल व जवाब के लिए मुनकीर नकीर आए। तो फरीश्तो ने अल्लाह तआला और दिन और नबी करीम (सलल्लाहु अलैहि वसल्लम) के मुताल्लीक सवाल किया के तेरा रब कौन है? तेरा दिन क्या है? और तेरे नबी कौन है ? तो इस शख्स ने सब सवालो के जवाब में अब्दुल कादर कहा तो अल्लाह तआला की तरफ से फरीश्तो को हुकम हुआ। ऐ फरीश्तो अगरचा ये बंदा गुन्हेगार खताकार है, लेकीन मेरे महेबुब बंदे सय्यद अब्दुल कादर की सच्ची मोहब्बत अपने दिल में रखता है इसलिए मै ने इस की मगफीरत फरमा दी है। और इस की कब्र को हद निगाह कुशादा कर दिया है। (तफरीह अलखातर, सफा-७९)

تفریح الخاطر | 8 | فی مناقب الشیخ عبدالقادر

انتساب

شیخ الاسلام نائب غوث الاعظم فی الھند
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دانائے حکمت

امام الشاہ احمد رضا خان
محدث بریلوی قدس سرہ

کے نام

جن کی ہستی افکار سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کی ترجمان اور فیضان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی امین ہونے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کیلئے قابل فخر سرمایہ تھی۔ اور...... جن کی توجہات وفیوضات کے چشمے افق تا افق متلاشیان حق اور رہروان راہ طریقت کے علم وعمل کو سیراب کر کے انہیں لذت بندگی سے سرشار کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کی باطنی توجہات اور روحانی فیوضات کا سایہ ملک و ملت کے سر پر ہمیشہ قائم رکھے۔

(آمین)

www.ircpk.com

تفریح الخاطر | 79 | فی مناقب الشیخ عبدالقادر

تو ندا آئی اے غوث اعظم چور کو صراط مستقیم کا راستہ اور راہ ہدایت دکھا کر اس کو قطب بنا دو۔ تو سرکار غوث اعظم کی ایک نگاہ سے چور قطب بن گیا۔

اَلْمَنقَبَةُ السَّادِسَةَعَشْرَة" (١٦)

محبت غوث مغفرت کا ذریعہ

☆ (سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارک میں ایک بہت بڑا گنہگار فاسق فاجر گناہ کرنے میں سرمست رہتا تھا مگر اس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی۔ تو جب وہ شخص فوت ہوگیا اور عزیز و اقارب نے اس کو قبر میں دفن کر دیا تو سوال و جواب کیلئے منکر نکیر آئے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ اور دین اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ اور تیرا نبی کون ہے۔ تو اس شخص نے سب سوالوں کے جواب میں عبدالقادر کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا۔ اے فرشتو اگرچہ یہ بندہ گنہگار خطا کار ہے۔ لیکن میرے محبوب بندے سید عبدالقادر کی سچی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اس لئے میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور اس کی قبر کو حد نگاہ کشادہ کر دیا ہے۔) ☆

www.ircpk.com

८. खुदा का पकडा छुडाने वाले (अस्तगफिरुल्लाह):

बरेलवी हजरात के इफ्तेहारुल हसन शाह अपने माने हुए वली सय्यद अहमद अलमारुफ मिरा बादशाह के बारे में लिखते है: (के इन्हो ने) शाह कादीर बख्श के हक में दुआ फरमाई के कादीर बख्श कयामत तक जिंदा रहेगा और अल्लाह के पकडे हुए लोगो को भी छुडा लिया करेगा (मकामाते अवलिया, सफा-१६७)

९. काबा मेरा तवाफ करने लगा (अस्तगफिरुल्लाह):

बरेलवीयो के पिर जमाअत अली शाह के खास मुरीद इफ्तेहारूल हसन शाह **बायजीद बस्तामी** के मुताल्लीक लिखते है : ''आप फरमाते है के, बहोत मुदत तक मै काबा का तवाफ करता रहा हुँ और जब मैं खुदा तक पहोच गया तो फिर काबा मेरा तवाफ करने लगा'' (मकामाते अवलिया, सफा-१४४)

१०. फकिर को देख लिया यानी खुदा को देख लिया (अस्तगफिरुल्लाह):

एक दफा हजरत बायजीद बस्तामी (रहे) हज के लिए पैदल जा रहे थे के एक सहेरा में उन्हो ने देखा के एक दरवेश खस्ता हालत में बैठा हुआ है और जब हजरत बायजीद बस्तामी इस फकीर के पास से गुजरे तो इस ने पुछा ऐ बायजीद बस्तामी (रहे) कहा जा रहे हो तो उन्होने जवाब दिया के मैं हज करने जा रहा हुँ। तो इस फकीर ने फरमाया के ऐ बायजीद बस्तामी (रहे) काबे जा कर तो तुम सिर्फ काबे का ही तवाफ करेगा तु मेरा ही तवाफ कर लो और ये याद रखो के मेरा तवाफ काबे को तवाफ से अफजल है और काबे जा कर तो तुम सिर्फ खुदा का घर ही देखो गे। मगर जब तुम ने मुझे देख लिया तो फिर समझो के खुदा को देख लिया (मकामाते अवलिया, सफा-८७)

www.ahnafexpose.com

۸۷

حُرْمَةً مِّنْكَ۔

کہ اے خانہ کعبہ مجھ کو اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ
کے نزدیک ایک مومن کی عزت و حرمت تیری عزت و حرمت سے زیادہ ہے۔
اگرچہ ہر مومن ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی مومن ضرور ہوتا ہے۔
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝
تو جب امام الانبیاء علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک ولی کی شان و عزت خانۂ کعبہ
سے افضل ہے تو پھر ان کی عزت و توقیر کی کیا حد۔ ان کی تعظیم و تکریم کا کیا ٹھکانہ۔ ان کے ادب و احترام
کا کیا مقام۔ اور ان کے فضائل و کمالات میں کون سا شک باقی رہ جاتا ہے اور پھر ان کی شان میں بے ادبی
اور گستاخی کرنے والے گمراہ اور باطل پرست نہیں تو اور کیا ہیں۔
عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لئے پیدل
جا رہے تھے کہ ایک صحرا میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش خستہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور جب حضرت
بایزید بسطامی اس فقیر کے قریب سے گزرے تو اس نے پوچھا اے بایزیدؒ کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے
جواب دیا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس فقیر نے فرمایا کہ اے بایزیدؒ کعبے جا کر تم صرف کعبے کا طواف
ہی کرو گے۔ تو۔

گفت طوافے بگرد دم ہفت بار
وین نکوتر از طواف حج شمار

کہ تم میرا ہی طواف کر لو اور یہ یاد رکھو کہ میرا طواف کعبے کے طواف سے افضل ہے اور کعبے
جا کر تو تم صرف خدا کا گھر ہی دیکھو گے۔ مگر ؎

چوں مرا دیدی خدا را دیدہ ای

کہ جب تم نے مجھے دیکھ لیا تو یہ سمجھ کہ خدا کو دیکھ لیا۔
اس لئے کہ ؎

www.ircpk.com

११. जन्नत और जहान्नम का इख्तीयार वलीयो के पास (अस्तगफिरुल्लाह):

बरेलवीयो के आला हजरत अहमद रजा खान फरमाते है: सय्यद मुहंम्मद यमनी (रजि) के एक साहबजादे मादरजाद वली थे। एक मरतबा जब उमर शरीफ चंद साल की थी बाहर तशरीफ लाए और अपने वालीद माजीद की जगह तशरीफ रखे एक शख्स से कहा लिख ''फला शख्स जन्नत मैं है'', यु ही नाम बनाम बहोत से बहोत से अशखास को लिखवाया फिर फरमाया ''फलाह शख्स दोज़ख मैं है'', इन्हो ने लिखने से हाथ रोक लिया। आप ने फरमाया, इन्हो ने ना लिखा आप ने सैबारा इरशाद किया इन्हो ने लिखने से इन्कार कर दिया। इस पर आप ने फरमाया ''तु आग में है'', वो घबराए हुए इन के वालीद माजीद की खिदतम में हाजीर हुए। हजरत ने फरमाया मै इस के कहने को नही बदल सकता। अब तुझे इख्तीयार है दुनिया की आग पसंद कर या आखेरत की। अरज की दुनिया की आग पसंद है इन का जल कर इंतेकाल हुआ (मलफुजात, हिस्सा अव्वल, सफा-३२)

ملفوظات [۳۲] حصہ اوّل

ہوں اگر آپ اس وقت مجھ سے کلام کرتے جب میں بچہ تھا تو یمن میں کوئی بچہ باقی نہ رہتا اور اگر اس وقت دریافت فرماتے جب جوان تھا تو یہاں کوئی جوان نہ رہتا یونہی اگر اس وقت بات کرتے جب میں بڈھا تھا تو اس شہر میں کوئی بوڑھا نہ رہتا۔ اب آپ نے اس حال میں کہ مجھے بیل دیکھا کلام فرمایا: یمن میں کوئی بیل نہ رہے گا یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت تھی کہ آپ نے پہلی تین حالتوں میں اس سے سوال نہ فرمایا: بیلوں میں مرگ عام ہو گئی اگر اس وقت کوئی بیل اچھا بھی ذبح کیا جاتا تو اس کا گوشت ایسا خراب ہوتا کہ کوئی کھا نہ سکتا اس میں گندھک کی بو آتی انہیں سید محمد یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے مادرزاد ولی تھے ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رکھے ایک شخص سے کہا لکھ فلاں فی الجنۃ یعنی فلاں شخص جنت میں ہے یونہی نام بنام بہت سے اشخاص کو لکھوایا پھر فرمایا: لکھ فلاں فی النار یعنی فلاں شخص دوزخ میں ہے انہوں نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا آپ نے پھر فرمایا: انہوں نے نہ لکھا آپ نے سہ بارہ ارشاد کیا انہوں نے لکھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا: انت فی النار تو آگ میں ہے وہ گھبرائے ہوئے ان کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا: انت فی النار کہایا انت فی جھنم عرض کی انت فی النار فرمایا: حضرت نے ارشاد فرمایا: میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا۔ اب تجھے اختیار ہے دنیا کی آگ پسند کر یا آخرت کی۔ عرض کی دنیا کی آگ پسند ہے ان کا جل کر انتقال ہوا۔ حدیث میں آگ کے جلے کو بھی شہید فرمایا ہے۔

عرض: حضور میرے بھتیجا پیدا ہوا ہے اس کا کوئی تاریخی نام تجویز فرما دیں۔

ارشاد: تاریخی نام سے کیا فائدہ نام وہ ہوں جن کے احادیث میں فضائل آتے ہیں میرے اور بھائیوں کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے ہیں تے سب کا نام محمد رکھا یہ اور بات ہے کہ یہی نام تاریخی بھی ہو جائے حامد رضا خان کا نام محمد ہے اور ان کی ولادت ۹۲ھ میں ہوئی اور اس نام مبارک کے عدد بھی بانوے ہیں۔ ایک وقت تاریخی نام میں یہ ہے کہ اسماء حسنیٰ سے ایک یا دو جن کے اعداد موافق عدد نام قاری ہوں عدد نام دو چند کر کے پڑھے جاتے ہیں وہ

१२. हुजुर (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) को खुदा मान्ना (अस्तगफिरुल्लाह):

अगर मुंहम्मद ने मुहंम्मद को खुदा मान लिया, फिर तो समझो के मुसलमान है दगाबाज नही (दिवाने मुंहमदी, सफा-२०६)

206

کیا کہوں اپنی حقیقت کوئی ہمراز نہیں
کوئی ہمدم نہیں اپنا کوئی دمساز نہیں
ساتھ لے لو مجھے اے قافلے والو، لے لو
میں رہا جاتا ہوں مجھ میں وہ تگ و تاز نہیں
مٹ گئے خاک ہوئے کوچے میں اس ظالم کے
پھر وہ کہتے ہیں کہ تو قابل ہم راز نہیں
ہمت عشق کا اک گام فقط کافی تھا
کیا کروں اب میری ہمت میں وہ پرواز نہیں
خنجرِ ناز نے جب قتل کیا عاشق کو
مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ ناز نہیں
ایک ٹھو کر سے ہزاروں کو جلایا لیکن
میری نوبت میں کہا ہم میں یہ اعجاز نہیں
گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا
پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں

१३. पिर का मजार काबा व किबला (अस्तगफिरुल्लाह):

अहमद रजा खान साहब फरमाते है : एक साहबजादे को सजाए मौत का हुकम बादशाह ने दिया, जल्लाद ने तलवार खिंची, ये अपने शेख (पिर) के मजार की तरफ रुख कर के खडे हो गए, जल्लाद ने कहा इस वक्त किबले को मुंह करते हो। फरमाया तु अपना काम कर मै ने किबले को मुंह कर लिया है और है भी यही बात के काबा किबला है जिस्म का और शेख (पिर) किबला है रुह का। इस का नाम इरादत है (मलफुजात, हिस्सा दुवम, सफा-१७७)

...ے کہتا ہے کہ آج جناب قبلہ تشریف نہیں لائے آج اذان نہیں فرمائی : جب پچھ
...دیکھا جناب قبلہ ایک گوشہ میں سمٹے پڑے ہیں۔ کہا حضرت خیر ہے قبلہ خیر ہے کہا
...ے آج وہ تینوں دشمن آ پڑے اور مارتے مارتے مونجھ کر دیا کہا پھر آپ نے حضرت
...یاد نہ کیا وہ چپ ہو رہا جب بار بار یہ ہی کہے گئے اس نے جھنجلا کر ناک پر سے رومال
...دیا کہ وہ تینوں دشمن تو مار ہی کر چھوڑ گئے تھے مولیٰ نے آ کر جڑ سے پوچھ لی ۔

ما زیاراں چشم یاری داشتیم　　　خود غلط بو وانچہ ماپنداشتیم

عرض: حضور اگر نماز فاسد ہو جائے تو سلام پھیرنا چاہئے۔

ارشاد: کوئی ضرورت نہیں سلام نماز پوری کرنے کے لئے ہوتا ہے جب نماز ہی ...ہو گئی تو سلام کیسا۔

عرض: بیعت کے کیا معنی ہیں۔

ارشاد: بیعت کے معنی بک جانا۔ سبع سنابل شریف میں ہے ایک صاحب کو سزائے ...ت کا حکم بادشاہ نے دیا جلاد نے تلوار کھینچی یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے جلاد نے کہا اس وقت قبلہ کو منہ کرتے ہیں فرمایا تو اپنا کام کر میں نے قبلہ کو منہ کر لیا ہے ...ے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے روح کا۔ اس کا نام ارادت ہے اگر ...طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑے تو اس کو فیض ضرور آئے گا اگر اس کا شیخ خالی ہو گا تو شیخ کا شیخ خالی نہ ہو گا اور بالفرض وہ بھی نہ سہی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معدن فیض ومنبع انوار ہیں ان سے فیض آئے گا سلسلہ صحیح ومتصل ہونا چاہئے۔

...فقیر بھیک مانگنے والا ایک دوکان پر کھڑا کہہ رہا تھا ایک روپیہ دے وہ نہ دیتا تھا فقیر نے ...روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری ساری دوکان الٹ دوں گا اس تھوڑی دیر میں بہت لوگ جمع ہو گئے اتفاقاً ایک صاحب دل کا گذر ہوا جس کے سب لوگ معتقد تھے انہوں نے دوکاندار سے فرمایا: جلد روپیہ اسے دے ورنہ دکان الٹ جائے گی لوگوں نے عرض کی حضرت یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے فرمایا: میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی معلوم ہوا بالکل خالی ہے پھر اس کے شیخ کو دیکھا اسے بھی خالی پایا اس کے شیخ کے شیخ کو دیکھا

१४. जाहीर में पिर, बातीन मे अल्लाह (अस्तगफिरुल्लाह):

हजरत ख्वाजा फरीद चिश्ती अपने दिवान में लिखते है - आप ने चाचडा को मदिना और को मिठन को बैतुल्लाह जैसा करार दिया और अपने कुफरीया और शिर्कीया अकिदे का इजहार किया के जाहीर में जो हमारा मुर्शद नजर आता है वही बातीन में अल्लाह है (अस्तगफिरुल्लाह)। और अपने पिर फरीद का चेहरा हमे अल्लाह जैसा ही लगता है। (अस्तगफिरुल्लाह)

۳۵

قائل ہونا طریقت میں پہلا ادب ہے۔

حضرت خواجہ غلام فرید چشتی قدس سرہٗ العزیز چاچڑاں شریف
اپنے دیوان میں لکھتے ہیں :

میڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن دی توں
میڈے فرض فریضے حج زکوٰتاں صوم وصلوٰۃ اذان وی توں

حاجت نہ صوم وصلواۃ دی خواہش نہ حج زکواۃ دی
چاہت نہ ذات صفات دی ہک شان وحدت جی مرگ

کوٹ مٹھن ہے قبلہ کعبہ ظاہر نور عرفان آیا

چاچڑ وانگ مدینہ جاتم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ
رنگ بنا بے رنگی آیا کیتم روپ تجلی
ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ
نازک مکھڑا پیر فریدا سانوں ڈسدا ہے وجہ اللہ

مسئلہ بیعت

جناب مولانا مفتی محمد عبدالعزیز صاحب مدظلہم العالی (رحمۃ اللہ علیہ)
بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں، صرف دلی
ارادے اور نیت کرلے سے ہی بیعت ہوجاتی ہے۔ کیا یہ درست ہے ؟
بینوا و توجروا

www.ircpk.com

१५. <u>अल्लाह तआला को रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) का बंदा बताया (अस्तगफिरुल्लाह) :</u>

ख्वाजा मुहंम्मद यार फरीदी फरमाते है - बंदगी से आप की हम को खुदावंदी मिली, है खुदावंद जहा बंदा रसुलुल्लाह का। (दिवाने मुहंम्मदी, सफा-२०७)। **मालुम हुआ के बरेलवी बुजुर्ग के नजदीक खुदा रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) का बंदा है (अस्तगफिरुल्लाह)।**

ख्वाजा मुहंम्मद यार फरीदी अपने पिर व मुर्शद ख्वाजा गुलाम फरीदे मुताल्लीक फरमाते है - क्या खुदा की शान है या खुद खुदा है जलवागर, मिलती है अल्लाह से तस्वीर मेरे पिर की (दिवाने मुहंम्मदी, सफा-२०१)

201

صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی
علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی
کیا کہوں کس سے کہوں کہنے کی حاجت ہی نہیں
کھلی ہے تصویر سے توقیر میرے پیر کی
دیکھتے ہی مٹ گیا نقش خودی دل سے میرے
راجم شیطان ہے تصویر میرے پیر کی
منکر دیدار کو اقرار ہوتا ہے نصیب
حجت و برہان ہے تصویر میرے پیر کی
کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر!
ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی
کیا عجب جذاب ہے زلف مسلسل آپ کی
وحشیوں کی جان ہے زنجیر میرے پیر کی
جن و انسان و ملک حور و فلک سجدہ میں ہیں
بس خلافت ہو چکی تحریر میرے پیر کی
متفق ہیں کافر و مسلم فریدالدین میں
کیا نرالی شان ہے تسخیر میرے پیر کی

www.ircpk.com

207

کیا کہوں، حیرت میں ہوں رُتبہ رسول اللہ کا
سب بڑوں سے ہے بڑا چھوٹا رسول اللہ کا
بندگی سے آپ کی ہم کو خداوندی ملی
ہے خداوند جہاں بندہ رسول اللہ کا
مر گئے مرتے ہیں لاکھوں حسرتِ دیدار میں
پر کہیں اٹھتا نہیں پردہ رسول اللہ کا
حی وقیم ہے ہمارا مصطفےٰ صلی علےٰ
تا ابد رائج رہے سکہ رسول اللہ کا
خاک پائے مصطفےٰ کی حق نے فرمائی قسم
کون ہو سکتا ہے ہم پایہ رسول اللہ کا
قدرت قادر سے ہے ایجادِ جملہ ممکنات
پر بنا سکتا نہیں ہمتا رسول اللہ کا
مملکت سلطان اعظم کی کہاں تک ہو بیاں
مالک و مملوک ہے سارا رسول اللہ کا
واجب وممکن یہاں ملتے ہیں اے موسیٰ وخضر
مجمع البحرین ہے چشما رسول اللہ کا

१६. अर्श और बैतुल्लाह मुजरा करते है (अस्तगफिरुल्लाह):

अहमद रजा खान बरेलवी फरमाते है : तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका (हदाईक बख्शीश, हिस्सा अव्वल, सफा-२७)

حدائق بخشش {۲۷} حصہ اول

بڑھ چلی تیری ضیاء اندھیر عالم سے گھٹا
کھل گیا گیسو ترا رحمت کا بادل گھر گیا
بندگی تیری ہوا ساوہ میں خاک اڑنے لگی
بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا
تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا
تیرے صدقہ سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا
تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا
تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرتھرا کر گر گیا
مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا
کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا
وہ کہ اُس در کا ہوا خلق خدا اُس کی ہوئی
وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اُس سے پھر گیا
مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہشیار ہوں
پاؤں جب طوف حرم میں تھک گئے سر پھر گیا
رحمۃ للعالمین! آفت میں ہوں کیسی کروں
میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گھر گیا
میں ترے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ
جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا

१७.   बरेलवीयत मे गौस का मुकाम (अस्तगफिरुल्लाह):

बगैर गौस के जमीन व आस्मान कायम रह नही सकते (मलफुजात, हिस्सा अव्वल, सफा-११३)।

ملفوظات [۱۱۴] حصہ …

دست چپ تھے اور فاروق اعظم وزیر دست راست۔ پھر امت میں سب سے پہلے …
غوثیت پر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہوتے اور وزارت …
المومنین فاروق اعظم وعثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا ہوئی اس کے بعد امیر المومنین
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت مرحمت ہوئی اور عثمان غنی ومولیٰ علی کرم
اللہ وجہہ الکریم وزیر ہوئے پھر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت …
ہوئی اور مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم وامام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر ہوئے پھر مولیٰ علی
کو اور امامین محترمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وزیر ہوئے پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے۔ امام حسن عسکری کے
بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے
ان کے بعد سیدنا غوث اعظم مستقل غوث حضور تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہوئے
حضور غوث اعظم بھی ہیں اور سید الافراد بھی حضور کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اب ہوں گے
حضرت امام مہدی تک سب نائب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے پھر …
امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔

عرض: حضور افراد کون اصحاب ہیں۔

ارشاد: اجلہ اولیائے کرام سے ہوتے ہیں ولایت کے درجات ہیں غوثیت کے …
فردیت۔ ایک صاحب اجلہ اولیائے کرام سے کسی نے پوچھا حضرت خضر علیہ السلام …
ہیں فرمایا: ابھی ابھی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی فرماتے تھے میں نے جنگل میں ٹیلے پر ایک …
دیکھا جب میں قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کمبل کا نور ہے ایک صاحب اسے اوڑھے سو رہے
ہیں۔ میں نے پاؤں پکڑ کر ہلایا اور جگا کر کہا اٹھو مشغول بخدا ہو۔ کہا آپ اپنے کام میں
مشغول رہیں مجھے میری حالت پر رہنے دیجئے۔ میں نے کہا کہ میں مشہور کئے دیتا ہوں …
ولی اللہ ہے۔ کہا میں مشہور کردوں گا کہ یہ حضرت خضر ہیں۔ میں نے کہا میرے لئے دعا …
کہ دعا تو آپ ہی کا حق ہے میں نے کہا تمہیں دعا کرنی ہوگی۔ کہا وَفَّرَ اللّٰہُ حَظَّکَ …
اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زائد کرے اور کہا میں اگر غائب ہو جاؤں تو …

حصہ اول [۱۱۳] …

… فرمائے گی تو از روئے روح وحقیقت وہی ایک ذات ہر جگہ موجود ہے یہ بھی فہم
… ورنہ سبع سنابل شریف میں حضرت سیدی فتح محمد قدس سرہ الشریف کا وقت واحد میں
… میں تشریف لے جانا تحریر فرمایا: اور یہ کہ اس پر کسی نے عرض کی حضرت نے وقت
… میں دس جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرمالیا ہے یہ کیونکر ہو سکے گا شیخ نے فرمایا: کرشن
… کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔ فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو
… تعجب ہے یہ ذکر کر کے فرمایا کیا یہ گمان کرتے ہو کہ شیخ ایک جگہ موجود تھے باقی جگہ
… حاشا بلکہ شیخ بذات خود ہر جگہ موجود تھے۔ اسرار باطن فہم ظاہر سے وراہیں خوض وفکر
… ہے۔

عرض: حضور ہندوستان میں اسلام حضرت خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا۔

ارشاد: حضرت سے کئی سو برس پہلے اسلام آ گیا تھا۔ مشہور ہے کہ سلطان محمود غزنوی
کے سترہ حملے ہندوستان پر ہوئے۔

عرض: اس شعر کا کیا مطلب ہے۔

اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا   کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے

ارشاد: شب میلاد کعبہ نے سجدہ کیا اور جھکا مقام ابراہیم کی طرف اور کہا حمد ہے اس
… کریم کو جس نے مجھے بتوں سے پاک کیا۔

عرض: غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے۔

ارشاد: بغیر غوث کے زمین وآسمان قائم نہیں رہ سکتے۔

عرض: غوث کے مراقبے سے حالات منکشف ہوتے ہیں۔

ارشاد: نہیں بلکہ انہیں ہر حال یوں ہی مثل آئینہ پیش نظر ہے (اس کے بعد ارشاد
…) ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے اور وزیر دست راست
… اور وزیر دست چپ عبدالملک اس سلطنت میں وزیر دست چپ وزیر راست سے
… ہے۔ بخلاف سلطنت دنیا اس لئے کہ یہ سلطنت قلب ہے اور دل جانب چپ۔
… غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صدیق اکبر حضور کے وزیر

१८.   बरेलवी पिर क्या क्या देखता है (अस्तगफिरुल्लाह):

अहमद रजा खान साहब फरमाते है : सय्यदी अहमद सहाज लमासी की दो बिवीयां थी, सय्यदी अब्दुल अजीज (रहे) ने उन से फरमाया -
"रात को तुम ने एक बीवी के जागते दुसरी के साथ हमबिस्तरी की, ऐसा नही करना चाहिए था"।
अरज की - "हुजुर! वो उस वक्त सोयी हुई थी"।
फरमाया - सोती ना थी, सोते में जान डाली थी (यानी झुठ मुठ की सोयी हुई थी)।
अरज किया - "हुजुर को किस तरहा पता चला?"
फरमाया - "जहा वो सो रही थी कोई और पलंग (बेड) भी था?
अरज किया - "हां एक पलंग खाली था"
फरमाया - उस पलंग पर मैं था। अहमद रजा खान फरमाते है इस से जाहीर होता है के, किसी भी वक्त शेख (पिर) मुरीद से जुदा नही, हर वक्त साथ है।
(हिकायत-ए-रिज़्वीया ५५) (मल्फुज़ात आला हजरत, बरेलवी वॉल्युम २, पेज नं.१६०-१६१)

ملفوظات [۱۶۰]

ثابت ہوا کہ حضور کے لئے بنانا غیر خدا کے لئے بنانا نہیں تھا خدا ہی کے لئے ہے کہ
معاملہ اللہ ہی کا معاملہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ
ان من تمام توبتی ان انخلع من مالی صدقة الی اللہ ورسولہ یارسول صلی اللہ
وسلم میری توبہ کی تمامی یہ ہے کہ اپنے مال سے باہر آؤں سب اللہ و رسول کے نام پر تصدق
کردوں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ تبت الی اللہ
ورسولہ یارسول اللہ میں اللہ و رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں اس قسم کی بہت آیات
میری کتاب الامن والعلی میں ملیں گی جن سے ثابت ہوگا کہ حبیب کا معاملہ غیر
معاملہ نہیں اللہ ہی کا معاملہ ہے مگر وہابیہ کو عقل و ایمان نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
مذکور سے بیچ آیت کا بھی جواز ثابت ہوا کہ وہ متفرق مقام سے آیات پڑھتے تھے اور
ہوا تم سب ٹھیک پڑھو اور آگے جو انہیں تعلیم فرمائی اس سے اتنا ثابت ہوا کہ نماز میں
ہے۔

عرض: حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے۔

ارشاد: یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور اپنے قلب کو اس کے قلب
کے نیچے تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت سے فیوض و انوار قلب شیخ پر
ہوتے اور اس سے چھلک کر میرے دل میں آرہے پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ حالت ہو جائے
گی شجر و حجر و در و دیوار پر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی یہاں تک کہ نماز میں بھی
گی اور پھر ہر حال اپنے ساتھ میں پاؤ گے۔ حافظ الحدیث سیدی احمد سجلماسی کہیں تشریف
لئے جاتے تھے راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت حسینہ عورت پر پڑ گئی یہ نظر اول تھی
قصد تھی دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث
عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں اور فرماتے
عالم ہو کر انہیں سیدی احمد سجلماسی کے دو بیویاں تھیں سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ
نے فرمایا: کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی
چاہئے عرض کیا حضور وہ اس وقت سوتی تھی۔ فرمایا سوتی نہ تھی سوتے میں جان ڈال

[۱۶۱] حصہ دوم

کیا حضور کو کس طرح علم ہوا فرمایا وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا عرض کیا ہاں ایک
تھا فرمایا اس پر میں تھا تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہر آن ساتھ ہے۔

عرض: بچوں کی بیعت کس عمر میں ہو سکتی ہے۔

ارشاد: اگر ایک دن کا بچہ ہو تو ولی کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے۔

عرض: اثبات ہلال میں تار پر اعتماد ہوگا یا نہیں۔

ارشاد: میرا رسالہ ازکی الاہلال ملاحظہ فرمائیے جس میں بدر کی طرح روشن کیا ہے
ہلال میں تار اور خط کی خبر معتبر نہیں لیکن گنگوہی صاحب نے معتبر مانی اور اپنے علم و فہم
دکھانے کو اس پر یہ استدلال مضحکہ اطفال تراشا کہ تحریر معتبر ہے اور تحریر قلم سے یا
بانس سے ہر طرح تحریر ہے تو گویا ان بزرگوار کے نزدیک تار بھیجنے والا اتنے لمبے بانس
سے لکھ دیا کرتا ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان کا یہ فتویٰ
پاس موجود ہے اور عقلاً نقلاً باطل و مردود ہے۔ اولاً تو یہاں تحریر ہی کہاں۔ دوم خط
معتبر۔ تمام کتابوں میں تصریح ہے کہ الخط یشبہ الخط اور الخط لا یعمل بہ
کے لکھے اس سینکڑوں میل کے طویل بانس سے وہ خبر بھیجنے والا نہیں لکھتا کہ اس کا خط
کے نزدیک معتبر ہو بلکہ یہ شیطان کی آنت تار بابو کے ہاتھ میں ہے جو محض مجہول اور
اس کا نام مفتی گری ہے آدمیاں گم شدند۔

عرض: حضور قلب کی طرف پاؤں کرنے کی کیا ممانعت فرمائی گئی ہے۔

ارشاد: یہ مسئلہ جہلا میں بہت مشہور ہے قطب عوام میں ایک ستارے کا نام ہے کہ
شمال کے قریب ہی تو تارے تو چاروں طرف ہیں کسی طرف پاؤں نہ کرے (اس کا تذکرہ
فرمایا) حضرت سیدی ابراہیم ادہم مسجد میں پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے غیب سے ندا آئی
کیا بادشاہوں کے حضور یوں ہی بیٹھتے ہیں۔ اس وقت سے جو پاؤں سمیٹے تو تختے ہی پر
سوتے میں نہ پھیلائے۔

عرض: دسترخوان پر اگر اشعار وغیرہ لکھے ہوں تو اس پر کھانا جائز ہے۔

ارشاد: ناجائز ہے۔

१९. मुसा सुहाग का किस्सा जिस ने अल्लाह तआला की बिवी होने का दावा किया (अस्तगफुरुल्लाह):

अहमद रजा की किताब मलफुजात से निचे के पेज लिए गए है।

کنز الایمان۔ فتاویٰ رضویہ۔ احکام شریعت۔ حدائق بخشش۔ الامن والعلی۔
شمع شبستان رضا جیسی شاہکار کتابوں کے مصنف
مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہکار تصنیف

ملفوظات

مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشران
بک کارنر پرنٹرز پبلشرز مین بازار جہلم
فون نمبر دوکان: 614977 فون نمبر رہائش: 624306
ای میل: Bookcornerjm@yahoo.co.in

ہوگا۔" سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارا ایمان ہے اور پھر حضور کا حلف سے فرمایا۔

دوسری حدیث ہے جو کافروں سے محبت رکھے گا وہ انھیں میں سے ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں: ایک شخص روافض کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب اس کی نزع کا وقت آیا، لوگوں نے حسب معمول اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ کہا: نہیں کہا جاتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا: یہ دو شخص کھڑے کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابوبکر و عمر کو بُرا کہتے تھے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے، ہرگز نہ پڑھنے دیں گے۔ یہ نتیجہ ہے بد مذہبوں کے پاس بیٹھنے کا۔ جب صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بدگویوں سے میل جول کی یہ شامت تو قادیانیوں اور وہابیوں اور دیوبندیوں کے پاس نشست و برخاست کی آفت کس قدر شدید ہوگی۔ ان کی بدگوئی صحابہ تک ہے ان کی انبیاء اور سید الانبیاء اور اللہ عزوجل تک۔

عرض: اگر ملازم ہے اور خوشامد میں لگا رہے۔

ارشاد: اتنا برتاؤ رکھو اللہ و رسول کے دشمنوں سے جتنا اپنے دشمنوں سے رکھتے ہو۔

عرض: حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے۔

ارشاد: سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور مجاذیب سے تھے، احمد آباد میں مزار شریف ہے۔ میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، زنانہ وضع رکھتے تھے ایک بار قحط شدید پڑا۔ بادشاہ قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لئے گئے انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی آہ وزاری حد سے گزری۔ ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا: مینہ بھیجئے یا اپنا سہاگ لیجئے۔ یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح اُمڈیں اور جل تھل بھر دیئے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کہ جامع مسجد کو جاتے تھے آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے۔ مردانہ لباس پہنئے اور نماز کو چلئے اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا۔ چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اُتار کر مسجد ہو لئے۔ خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی۔ اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی۔ فرمایا: اللہ اکبر میرا خاوند حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا۔ اور یہ مجھے بیوہ کئے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر

سے پاؤں وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں۔ اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا، کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق۔

عرض: سچے وجد کی کیا پہچان ہے۔

ارشاد: یہ کہ فرائض و واجبات میں مخل نہ ہو۔ حضرت سید ابوحسن احمد نوری پر وجد طاری ہوا۔ تین شبانہ روز گذر گئے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمعصر تھے۔ کسی نے حضرت سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حالت عرض کی، فرمایا: نماز کا کیا حال ہے۔ عرض کی: نمازوں کے وقت ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا: الحمد اللہ ان کا وجد سچا ہے۔ (اس کے بعد فرمایا) نماز جب تک باقی ہے۔ کسی وقت میں معاف نہیں رمضان شریف کے روزے حالت سفر میں یا مرض میں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اجازت ہے کہ قضا کرے، اسی طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے لیکن نماز سب پر بہر حال فرض ہے یہاں تک کہ کسی حاملہ عورت کے نصف بچہ پیدا ہو لیا ہو اور نماز کا وقت آ گیا تو ابھی نفسا نہیں حکم ہے کہ گڑھا کھودے یا دیگ پر بیٹھے اور اس طرح نماز پڑھے کہ بچے کو تکلیف نہ یا بیمار ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔ دیوار یا عصا یا کسی شخص کے سہارے کھڑا ہو کر پڑھے اور اتنا بھی کھڑا نہیں رہ سکتا تو جتنی دیر ممکن ہو قیام فرض ہے اگرچہ اسی قدر کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ لے اور بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھ بھی نہ سکے تو لیٹے لیٹے اشاروں سے پڑھے۔ حضور نماز کی کثرت فرماتے یہاں تک کہ پائے مبارک سوج جاتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے حضور! اس قدر کیوں تکلیف گوارا فرماتے ہیں، مولیٰ تعالیٰ نے حضور کو ہر طرح کی معافی عطا فرمائی ہے، فرماتے:

اَفَلا اَکُوْنُ عَبْدًا شَکُوْرًا

تو کیا میں کامل شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

یہاں تک کہ رب عزوجل نے خود ہی با کمال محبت ارشاد فرمایا:

طٰہٰ مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰی

اے چودھویں رات کے چاند ہم نے تم پر قرآن اس لئے نہ اُتارا کہ تم

२०. <u>अहमद रजा खान का वाहदतुल वजुद का अकिदा के हर चिज अल्लाह है और अल्लाह ही हर चिज है (अस्तगफिरुल्लाह):</u>

अहमद रजा खान का अकिदा ये है के, अल्लाह हर चिज है और अल्लाह ही हर चिज है। यानी इंसान, गधा, पेड वगैरा (अस्तगफिरुल्लाह)

کنز الایمان۔ فتاویٰ رضویہ۔ احکام شریعت۔ حدائق بخشش۔ الامن والعلیٰ۔
شمع شبستان رضا جیسی شاہکار کتابوں کے مصنف
مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہکار تصنیف

ملفوظات

مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشران
بک کارنر پرنٹرز پبلشرز مین بازار جہلم
فون نمبر دوکان: 624306 فون نمبر رہائش: 614977
ای میل: Bookcornerjm@yahoo.co.in

ایک صاحب خط بنوار ہے تھے ان کو دیں قبول نہ کیں حجام کو دیں کہا میں نے ان کا خط اللہ عزوجل کے لئے بنانا چاہا ہے۔اس پر عوض نہ لوں گا۔شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال سے فرمایا کہ تو ایسی ہی چیز ہے جسے کوئی قبول نہیں کرتا۔اور دریا میں پھینک دیا جاہل گمان کرے گا کہ تضیع مال ہوئی۔حاشا بلکہ حفظ قلب، کہ اس وقت یہی اس کا ذریعہ تھا۔دوصاحب سامنے تھے، کسی نے قبول نہ کیں۔اب ان کو پاس رکھتے اور ایسے فقیر کی تلاش میں نکلتے جو قبول کر لیتا اور معصیت میں اُٹھا تا اتنی دیر تک کی زندگی پر تم لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے۔وہاں ہر آن موت پیش نظر ہے اور ڈرتے ہیں کہ اس وقت آجائے اور اس غیر خدا کا خطرہ قلب میں ہو جنگل میں پھینک دیتے تو نفس کا تعلق قطع نہ ہوتا کہ ابھی دست رس رہتی اب بتایئے سوا اس کے ان کے پاس کیا چارہ تھا کہ اس سے فوراً فوراً اس طرح ہاتھ خالی کر لیں کہ نفس کو یاس ہو جائے اور اس کے خیال سے باز آئے یہ صفائے قلب و دفع خطرہ غیر کی دولت کروڑوں اشرفیوں بلکہ تمام ہفت اقلیم کی سلطنت سے کروڑوں درجہ اعلیٰ وافضل ہے کیا اگر سو اشرفیاں خرچ کر کے سلطنت ملی کوئی اس تضیع مال کہہ سکتا ہے۔بلکہ بڑی دولت کا بہت ارزاں حاصل کرنا یہی یہاں ہے۔

عرض: وحدۃ الوجود کے کیا معنی ہیں۔

ارشاد: وجود ہستی باذات واجب اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اسی کی ہیں اس کی ظل پر تو ہیں تو حقیقتاً وجود ایک ٹھہرا۔

عرض: اس کا سمجھنا تو کچھ دشوار نہیں پھر یہ مسئلہ اس قدر کیوں مشکل مشہور ہے۔

ارشاد: اس میں غور تامل یا موجب حیرت ہے یا باعثِ ضلالت اگر اس کی تھوڑی بھی تفصیل کروں تو کچھ سمجھ نہ آئے گا۔بلکہ اوہام کثیرہ پیدا ہو جائیں گے۔اس کے بعد کچھ مثالیں بیان فرمائیں ان میں ایک یاد رہی۔مثلاً روشنی بالذات آفتاب و چراغ میں ہے۔زمین و مکان اپنی ذات میں بے نور ہیں۔مگر بالعرض آفتاب کی وجہ سے تمام دنیا منور اور چراغ سے سارا گھر روشن ہوتا ہے۔ان کی روشنی انہیں کی روشنی ہے ان کی روشنی ان سے اُٹھالی جائے وہ ابھی تاریک محض رہ جائیں۔

عرض: یہ کیونکر ہوتا ہے کہ ہر جگہ صاحبِ مرتبہ کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔

ارشاد: اس کی مثال یوں سمجھے کہ جو شخص آئینہ خانہ میں جائے وہ ہر طرف اپنے آپ ہی کو دیکھے

اور فرماتا ہے جل وعلا وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ط لازم ہے کہ کفار تم میں سختی پائیں تو ثابت ہوا کہ کافروں پر حضور ﷺ سختی فرماتے تھے۔

عرض: اگر کسی شخص کا ستر کھل جائے تو جس نے دیکھا یا جس کا ستر کھلا، وضو رہے گا یا نہیں۔

ارشاد: وضو کسی چیز کے دیکھنے یا چھونے سے نہیں جاتا (پھر فرمایا) تیں عضو عورت کے عورت ہیں اور ۹ مرد کے، ان میں سے کسی عضو کا چہارم بقدر رکن یعنی تین بار سبحان اللہ کہنے تک بلا قصد کھلا رہنا مفسدِ نماز ہے اور بالقصد تو اگر ایک آن کے لئے کھولے جب بھی نماز جاتی رہے گی۔

عرض: حضور وحدۃ الوجود کسے کہتے ہیں۔

ارشاد: وجود ایک اور موجود ایک ہے باقی سب اس کے ظل ہیں۔

عرض: اسمٰعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے؟

ارشاد: میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے، اور خود کہیں گے نہیں۔البتہ غلام احمد، سید احمد، خلیل احمد، رشید احمد، اشرف علی کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر مَنْ شَکَّ فِیْ کُفْرِهٖ وَ عَذَابِهٖ فَقَدْ کَفَرَ۔

عرض: ہر کافر ملعون ہے۔

ارشاد: ہاں عند اللہ جو کافر ہے قطعاً ملعون ہے۔

عرض: اگر مرتے وقت توبہ کر لی مسلمان ہو گیا۔

ارشاد: کسی خاص کا نام لے کر اگر پوچھا جائے گا ہم اسے ملعون نہ کہیں گے ممکن ہے کہ توبہ کر لے اور اگر عام کفار کی بابت سوال ہوا تو ملعون کہیں گے۔

عرض: خدا اور رسول عزوجلالہ و ﷺ کی محبت کس طرح دل میں پیدا ہو۔

ارشاد: تلاوت قرآن مجید اور درود شریف کی کثرت اور نعت شریف کے صحیح اشعار خوش الحانوں سے بکثرت سنے اور اللہ و رسول کی نعمتوں اور رحمتوں میں جو اس پر ہیں غور کرے۔ایک روز خاکسار دیر کچھ استفتا سن رہا تھا اور حضور جوابات ارشاد فرماتے جاتے تھے۔ایک کارڈ پر اسم جلالت لکھ گیا اس پر ارشاد فرمایا: یاد رکھو کہ میں کبھی تین چیزیں کارڈ پر نہیں لکھتا۔اسم جلالت اللّٰہ اور محمّد اور احمد اور نہ کوئی آیت کریمہ، مثلاً اگر رسول اللہ ﷺ لکھنا ہے تو یوں لکھتا ہوں: حضور اقدس علیہ

२१. <u>अहमद रजा की दलील हिंदु देवता से (अस्तगफिरुल्लाह):</u>

अहमद रजा खान फरमाते है के, जिस तरहा किशन कन्हैय्या हिंदु हो कर एक वक्त में कई जगह हो सकते है तो हजरत सय्यदी फताह मुंहम्मद एक दफा १० जगह मौजुद हो तो इस में क्या ताज्जुब है। (मलफुजात)

ارشاد: امثال اگر ہوں گے تو جسم کے ان کی رُوح پاک ان تمام اجسام سے متعلق ہوکر تصرف فرمائے گی تو از روئے روح و حقیقت وہی ایک ذات ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بھی فہم ظاہر میں ورنہ سبع سنابل شریف میں حضرت سیدی فتح محمد قدس سرہ الشریف کا وقت واحد میں دس مجلسوں میں تشریف لے جانا تحریر فرمایا اور یہ کہ اس پر کسی نے عرض کی حضرت نے وقت واحد میں دس جگہ تشریف لے جانا کا وعدہ فرمالیا ہے، یہ کیونکر ہو سکے گا، شیخ نے فرمایا کہ کشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہوگیا۔ فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو کیا تعجب ہے۔ یہ ذکر کر کے فرمایا: کیا یہ گمان کرتے ہو کہ شیخ ایک جگہ موجود تھے، باقی جگہ مثالیں حاشا بلکہ شیخ بذات خود ہر جگہ موجود تھے۔ اسرار باطن فہم ظاہر سے وراہیں خوض وفکر بے جا ہے۔

Kia Daleel hai .. Hindu ka aqeeda jese ke unke bhagwaan ek waqt mei kai jagha ho sakte hai usse tarah Hazrat Sayedi Fatah Muhammad ek waqt mei 10 jagha ho sakte hai ...

عرض۱۵٤: حضور ہندوستان میں اسلام حضرت خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا۔

ارشاد: حضرت سے کئی سو برس پہلے اسلام آ گیا تھا، مشہور ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے سترہ حملے ہندوستان پر ہوئے۔

عرض۱۵۵: اس شعر کا کیا مطلب ہے،

اهل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے

ارشاد: شب میلاد کعبہ نے سجدہ کیا اور جھکا مقام ابراہیم کی طرف اور کہا حمد ہے اس کے وجہہ کریم کو جس نے مجھے بتوں سے پاک کیا۔

عرض۱۵٦: غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے۔

ارشاد: بغیر غوث کے زمین وآسمان قائم نہیں رہ سکتے۔

Hazrat G iske Daleel dede , yah koi barelvi iss bare mei humee bata de tho badi meharbani hogi

عرض۱۵۷: غوث کے مراقبے سے حالات منکشف ہوتے ہیں۔

ارشاد: نہیں بلکہ انہیں ہر حال یوں ہی مثل آئینہ پیش نظر ہے (اس کے بعد ارشاد فرمایا) ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں، غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے اور وزیر دست راست عبدالرب اور وزیر دست چپ عبدالملک۔ اس سلطنت میں وزیر دستِ چپ وزیر راست سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ بخلاف سلطنت دنیا کے اس لئے کہ یہ سلطنت قلب ہے اور دل جانب چپ۔ غوث اکبر و غوث حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ صدیق اکبر حضور کے وزیر دست چپ تھے اور فاروق اعظم وزیر دست راست، پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہوئے اور وزارت امیر المومنین فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غوثیت مرحمت ہوئی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مولےٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم و امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر ہوئے پھر مولیٰ علی کو اور امامین محترمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وزیر ہوئے، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجہ بدرجہ

२२. <u>या अल्लाह कहना शैतानी वसवसा और या जुनेद कहने से नदी पार (अस्तगफिरुल्लाह):</u>

एक शख्स नदी पार करना चाहता था लेकीन उस के पास नदी के पार जाने के लिए कोई जरीया नही था। उसे जुनेद बगदादी मिले। जुनेद बगदादी भी नदी पार करना चाहते थे। उस शख्स को जुनेद बगदादी ने कहा के ''या जुनेद'' कहते हुए जाना। वो शख्स बिच दरया मे या जुनेद कहते हुए पहोचा और शैतान ने बिच दरया मे वसवसा डाला के हजरत तो खुद या अल्लाह कहते है और मुझे से या जुनेद कहलवाते है, मै भी या अल्लाह क्यु ना कहु। इस ने या अल्लाह कहा और साथ ही गोता खाया। उस ने हजरत को पुकारा और हजरत ने फरमाया के या जुनेद कहो। फिर उस शख्स ने यही किया और दरया पर जमीन की तरहा चलने लगा। (मलफुजात, हिस्सा अव्वल, सफा-९७)

ملفوظات ﴿حصہ اوّل﴾ 97

ذراسی آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔اگر کہیں اسے زمین پر پڑا دیکھیں کہ اس کا ایک پاؤں یاپَر بے کار ہوگیا ہے اور اس میں طاقت پرواز نہیں ہے تو اس پر رحم کیا جاتا ہے کہ پَیر سے مسل دیتے ہیں تو خدا و رسول عز جلالہ و ﷺ کی شان میں گستاخیاں کریں اور ان سے دشمنی وعداوت رکھیں وہ قابلِ رحم ہیں خواہ خدا ورسول کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ" ذراسی اعانت کافر کی کرنا جتنے کہ اگر وہ راستہ پوچھے اور کوئی مسلمان بتادے اتنی بات اللہ تعالیٰ سے اس کا علاقہ مقبولیت قطع کردیتی ہے۔ہاں ذمی مستامن کافروں کے لئے شرح میں رعایت کے خاص احکام ہیں، یہ اس لئے کہ اسلام اپنے ذمہ کا پورا ہے اور اپنے عہد کا سچا۔

عرض: حضور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یا اللہ فرمایا، اور دریا میں اُتر گئے، پورا واقعہ یاد نہیں۔

ارشاد: غالباً حدیقہ ندیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے، بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی۔کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی: میں کس طرح آؤں فرمایا: یا جنید یا جنید کہتا چلا آ۔اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا، حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں۔ میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں، اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ پکارا: حضرت میں چلا: فرمایا وہی کہہ یا جنید یا جنید کہتا چلا آ اس نے یہی کیا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید یا جنید جب کہا دریا سے پار ہوا: عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں، فرمایا: ارے نادان ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں اللہ تک رسائی کی ہوس ہے، اللہ اکبر!

دو صاحب اولیائے کرام سے ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے اس پار رہتے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے اپنے یہاں کھیر پکائی اور خادم سے کہا: تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آ، خادم نے عرض کی: حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے کیوں کر پار اتروں گا، کشتی وغیرہ کا کوئی

२३. नबी करीम (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) शेख अब्दुल कादर जिलाने के कांधे पर सवार होकर मेअराज तशरीफ ले गए (अस्तगफिरुल्लाह):(फतावा अफ्रिका, सफा-४९)

فتاوی افریقہ ۴۹

مسئلہ ۴۶ و ۴۷: یہ ابیات صحیح ہیں یا نہیں۔

روبرو احمد کے ہم کو خوش وسیلہ آج تم ہو
خادموں میں ہم کو سمجھو المدد یا عبد القادر
تم شب معراج آکر دوش پر پائے پیمبر
لے چڑھے عرش بریں پر المدد یا عبد القادر

الجواب: پہلے دو شعر بہت اچھے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ حاجۃ فاسلوہ بی جب اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کے لیے دعا کرو تو میرا وسیلہ لیکر دعا مانگو اور فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ من استغاث بی فی کربۃ کشفت عنہ و من نادی باسمی فی شدۃ فرجت عنہ جو کسی بےچینی میں مجھ سے فریاد کرے اس کی بےچینی دور ہو اور جو کسی سختی میں میرا نام لیکر پکارے وہ سختی زائل ہو۔ یہ دونوں ارشاد امام اجل یکتا ابوالحسن علی قدس سرہ نے بہجۃ الاسرار شریف اور دیگر اکابر ائمہ وعلما نے اپنی تصانیف میں روایت کیے۔ واللہ الحمد۔

اور پچھلے شعروں میں غلطی ہے تفریح الخاطر وغیرہ میں یہ مذکور ہے کہ حضور اقدس سید عالم ﷺ شب معراج حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دوشِ مبارک پر پائے انور رکھ کر براق پر تشریف فرما ہوئے اور بعض کے کلام میں ہے کہ عرش پر حضور اقدس ﷺ کے تشریف لے جاتے وقت ایسا ہوا نہ یہ کہ حضور غوثیت پائے اقدس کندھے پر لے کر شب معراج خود عرش پر گئے شاعر اگر یوں کہتا مطابق روایت مذکور ہوتا۔

تھا تمہارا دوشِ اطہر زینہ پائے پیمبر
جب گئے عرش بریں پر المدد یا عبدِ قادر

یہ دونوں صورتوں کا شامل ہے جب گئے یعنی جس وقت یا جس شب کہ اس میں پہلی صورت بھی داخل اور اگر ترجیع کا مصرعہ یوں ہوتا تو اور بہتر تھا ع المدد یا غوث اعظم کہ خالی نام پاک کے ساتھ ندا بھی نہ ہوتی اور تقطیع سے لام بھی نہ گرتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۸: بعض جگہ اس ملک افریقہ میں یہ رواج ہے کہ لڑکی کے ماں باپ دس یا بیس

क्या हनफी फिकाह कुरआन और हदीस का निचोड है?
हनफी फिकाह के कुछ गंदे तरीन और फुजुल मसाईल

१. इमाम अबु हनिफा के नजदीक, ''अगर कुरआन मे देख कर किराअत की तो उस की नमाज फासीद हो गई''

और आगे लिखा है....

''फिकाह की किताब पर नजर पढी और समझ लिया तो नमाज फासीद ना होगी'' (फतवा आलमगिरी, जिल्द १, पेज:३२५-३२६)

Imam Abu Hanifa Sb ke nazdeeq "Agar Quran mei dekh kar qirat ki tho uski namaz fasid ho gaye.."
Aur aage likha hai.. " Fiqah ki kitab par nazar padhee aur samaj liaa tho namaz fasid na hogi.."

२. हलाल जानवरो का पेशाब पाक है। (ऐनल हिदाया, जदीद, जिल्द अव्वल, किताबुत्तहारा, ३७४)

३. रात मे कोई नशा (शराब, चरस) की चिज खा ले तो ऐतेकाफ फासीद ना होगा, इसलिए के वो ममनुआत दिन में है ना ममनुआत ऐतेकाफ में से जैसे के गैर-माल खाने से ऐतेकाफ फासीद नही होता - ये फतवा काजीखान में लिखा है। (फतावा आलमगिरी, जिल्द-२, किताब सुवम)

४. **हज के दौरान जिना करने से हज फासीद नही होगा:**

हाथ से मनी निकाली, या जानवर से जमा किया (सेक्स किया), या मुर्दा औरत से, या ऐसी छोटी लडकी से जो काबीले शहवत नही है, जमा किया, तो इंजाल हो गया (मनी बाहर निकल गया) तो दम वाजीब है, वरना ना होगा और हज भी फासीद ना होगा।

مسئلہ:دم کو جنایت سے پہلے ذبح کرنا کافی نہیں بعد میں ذبح کرنا شرط ہے۔

جماع وغیرہ کرنا

مسئلہ:شہوت سے کسی کو بوسہ لیا، یا لپٹا، یا ہاتھ لگایا، صحبت قبل اور دبر کے علاوہ اور کسی جگہ کی، یا شرم گاہ سے شرمگاہ ملائی تو دم واجب ہوگا، انزال ہو یا نہ ہو اور حج فاسد نہ ہوگا۔

مسئلہ:اگر عورت کی طرف شہوت سے دیکھا، یا دل میں تصور کیا اور انزال ہو گیا، یا احتلام ہو گیا، تو کچھ لازم نہ ہوگا، لیکن غسل واجب ہوگا۔

مسئلہ:ہاتھ سے منی نکالی،یا جانور سے جماع کیا،یا مردہ عورت سے،یاایسی چھوٹی لڑکی سے جو قابل شہوت نہیں ہے، جماع کیا،تو اگر انزال ہو گیا، تو دم واجب ہے، ورنہ نہ ہوگا اور حج بھی فاسد نہ ہوگا۔

مسئلہ:اگر وقوف عرفات کے بعد سر منڈوانے اور طواف زیارت کرنے سے پہلے جماع کیا تو حج فاسد نہیں ہوا ،لیکن اس پر بدنہ یعنی ایک اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی بکری کافی نہ ہوگی۔

Kaam se Kaam Ahraam ki halat mei tho Janwar aur Murda Aurtho ko baksh dhoo... Murda Aurtho ko dafan karne ke bajayee unke saath yeh saab kaam karne ka masla batate ho.. aur Ahram ki halat mei Janwar ke saath yeh saara kaam
Waah kia Fiqah hai .

५. **औरत अपने हिस्से में किसी और का हिस्सा डाले:**

अगर कोई औरत किसी जानवर या मर्द का खास हिस्सा या कोई लकडी या उंगली या कोई चिज अपने खास हिस्से या मुश्तार के हिस्से में दाखील करे तब भी गुस्ल फर्ज ना होगा बशर्ते मनी ना निकले....(इल्मुल फिकाह, पेज नं.११९)

علم الفقہ ۱۱۹ حصہ اول

WWW.AHNAFEXPOSE.COM

جن صورتوں میں غسل فرض نہیں

۱۔ منی اگر اپنی جگہ سے بشہوت نہ جدا ہوتو اگر چہ خاص حصہ سے باہر نکل آئے غسل فرض نہ ہوگا۔

مثال:۔ کسی شخص نے کوئی بوجھ اٹھایا یا اونچے سے گر پڑا یا کسی نے اس کو مارا اور اس صدمہ سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل آئی۔

۲۔ اگر منی اپنی جگہ سے بشہوت جدا ہوئی مگر خاص حصہ سے باہر نہ نکلی تو غسل فرض نہ ہوگا۔ خواہ یہ نکلنا خود بخود ہو یا خاص حصہ کا سوراخ بند ہو جانے کے سبب سے، خواہ ہاتھ سے بند کیا گیا ہو یا روئی وغیرہ رکھ کر۔

۳۔ اگر کسی شخص کے خاص حصہ سے بعد پیشاب کے بغیر شہوت کے منی نکلے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا۔

۴۔ اگر کوئی مرد کسی جانور یا مردہ کے خاص حصہ یا مشترک حصہ میں اپنا خاص حصہ داخل کرے یا اس کا خاص حصہ اپنے مشترک حصہ میں داخل کرے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا بشرطیکہ منی نہ نکلے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی جانور یا مرد کا خاص حصہ یا کوئی لکڑی یا انگلی یا اور کوئی چیز اپنے خاص حصہ یا مشترک حصہ میں داخل کرے تب بھی غسل فرض نہ ہوگا بشرطیکہ منی نہ نکلے اور خاص حصہ مشترک حصہ میں داخل کرنے میں یہ بھی شرط ہے کہ غلبہ شہوت کی حالت کا نہ ہو۔

۵۔ اگر کوئی بے شہوت لڑکا کسی عورت کے ساتھ جماع کرے تو کسی پر غسل فرس نہ ہوگا اگر چہ عورت مکلّف ہو۔

۶۔ اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ اپنے ہی مشترک حصہ میں داخل کرے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا۔

WWW.AHNAFEXPOSE.COM

۷۔ اگر کوئی مرد کسی کم سن عورت کے ساتھ جماع کرے تو غسل فرض نہ ہوگا بشرطیکہ منی نہ گرے اور وہ عورت اس قدر کم سن ہو کہ اس کے ساتھ جماع کرنے میں خاص حصہ اور مشترک حصہ کے مل جانے کا خوف ہو۔

۸۔ اگر کوئی مرد اپنے خاص حصہ میں کپڑا لپیٹ کر جماع کرے اور کپڑے اس قدر موٹا ہو کہ

WWW.AHNAFEXPOSE.COM

Yaar Kia Musibaat Padh gayee ki Aurtho ko Janwar yah Lakari apne Khass Hisse yah Mushtaar (Dubber) ke Hisse dahkil karne ki zaroorat mahsoos hone lage ... AstagfuruALLAH.. Janwaroo ko Baksh dho Hanafioo .. Nabi ho yeh fatwa dene ki wajah Animal welfare walee tumhe arrest karwa lenge.

६. **गंदे मसले:**

१) अगर कोई मर्द जानवर या मुर्दे के खास हिस्से या मुशतरक हिस्सा (पिछला हिस्से) मे अपना खास हिस्सा दाखील करे या इस का खास हिस्सा अपने मुशतरक हिस्से में दाखील करे तो इस पर गुस्ल फर्ज ना होगा बशर्त के मनी ना निकले।

२) अगर कोई मर्द अपना खास हिस्सा अपने ही मुशतरक हिस्से (पिछले हिस्से-दुबर) मे दाखील करे तो उस पर गुस्ल फर्ज ना होगा। (इल्मुल फिकाह, पेज नं.११९)

علم الفقہ ۱۱۹ حصہ اول

WWW.AHNAFEXPOSE.COM

جن صورتوں میں غسل فرض نہیں

۱۔ منی اگر اپنی جگہ سے بشہوت نہ جدا ہوتو اگر چہ خاص حصہ سے باہر نکل آئے غسل فرض نہ ہوگا۔

مثال:۔ کسی شخص نے کوئی بوجھ اٹھایا یا اونچے سے گر پڑا یا کسی نے اس کو مارا اور اس صدمہ سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل آئی۔

۲۔ اگر منی اپنی جگہ سے بشہوت جدا ہوئی مگر خاص حصہ سے باہر نہ نکلی تو غسل فرض نہ ہوگا۔ خواہ یہ نکلنا خود بخود ہو یا خاص حصہ کا سوراخ بند ہو جانے کے سبب سے، خواہ ہاتھ سے بند کیا گیا ہو یا روئی وغیرہ رکھ کر۔

۳۔ اگر کسی شخص کے خاص حصہ سے بعد پیشاب کے بغیر شہوت کے منی نکلے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا۔

۴۔ اگر کوئی مرد کسی جانور یا مردہ کے خاص حصہ یا مشترک حصہ میں اپنا خاص حصہ داخل کرے یا اس کا خاص حصہ اپنے مشترک حصہ میں داخل کرے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا بشرطیکہ منی نہ نکلے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی جانور یا مرد کا خاص حصہ یا کوئی لکڑی یا انگلی یا اور کوئی چیز اپنے خاص حصہ یا مشترک حصہ میں داخل کرے تب بھی غسل فرض نہ ہوگا بشرطیکہ منی نہ نکلے اور خاص حصہ مشترک حصہ میں داخل کرنے میں یہ بھی شرط ہے کہ غلبہ شہوت کی حالت کا نہ ہو۔

۵۔ اگر کوئی بے شہوت لڑکا کسی عورت کے ساتھ جماع کرے تو کسی پر غسل فرس نہ ہوگا اگر چہ عورت مکلّف ہو۔

۶۔ اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ اپنے ہی مشترک حصہ میں داخل کرے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا۔

۷۔ اگر کوئی مرد کسی کم سن عورت کے ساتھ جماع کرے تو غسل فرض نہ ہوگا بشرطیکہ منی نہ گرے اور وہ عورت اس قدر کم سن ہو کہ اس کے ساتھ جماع کرنے میں خاص حصہ اور مشترک حصہ کے مل جانے کا خوف ہو۔

۸۔ اگر کوئی مرد اپنے خاص حصہ میں کپڑا لپیٹ کر جماع کرے اور کپڑے اس قدر موٹا ہو کہ

Din Raat Zaroorat Pesh aane wale masle :
1)Agar koi Mard "Janwar" yah "Murde" ke khaas hisse yah Mushtarak Hissa mei apna Khaas hissa dhakil karee ....
2) Agar koi Mard apna Khaas hissa apne hi Mushtarak Hisse mei dhakil karee tho uss par Gusul Farz na hoga .
WWW.AHNAFEXPOSE.COM

Koi Hanafi No. 2 wala masla try karke dekhee aur Please Murdoo ko aur Janwar ko kaam se kaam Baksh de

७. **जानवर या छोटी लकडी से मजामात करने से गुल्स वाजीब नही होगा (फतावा आलमगिरी, जिल्द-१, किताबुत्तहारा, सफा-२०५)**

८. **शराब का सिरका जब बन गया तो शराब हलाल होगी, आप ही सिरका बन जाए या किसी चिज के मिलाने से सिरका बना लिया जाए (हलाल है) और शराब का सिरका बनान मकरूह नही (हिदाया मआ शराह अब्दुलहई लखनोवी, जिल्द-७, सफा-३०२)**

المجلد الرابع - جزء ٧ — -٣٠٢- — كتاب الأشربة

فإن كان الوعاء عتيقًا(١) يغسل ثلاثًا فيطهر(٢)، وإن كان جديدًا لا يطهر(٣) عند محمد؛ لتشرب الخمر فيه، بخلاف العقيق.

وعند أبي يوسف يغسل ثلاثًا(٤)، ويجفّف في كل مرة، وهي مسألة ما لا ينعصر بالعصر(٥). وقيل: عند أبي يوسف يملأ ماء مرة بعد أخرى، حتى إذا خرج الماء صافيًا غير متغير(٦) يحكم بطهارته(٧).

قال(٨): وإذا تخللت الخمر حلت، سواء صارت خلا بنفسها، أو بشيء يطرح فيها(٩)، ولا يكره تخليلها.

وقال الشافعي: يكره التخليل، ولا يحل الخل الحاصل به، إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه(١٠) قولا واحدًا(١١)، وإن كان بغير إلقاء شيء فيه(١٢)، فله في الخل الحاصل به قولان(١٣). له أن في التخليل اقترابًا من الخمر على وجه التمول، والأمر بالاجتناب(١٤) ينافيه.

(١٤) أي في ظرف من هذه الظروف.
(١٥) أي إن كان فيه خمر.
(١٦) قوله: "تطهيره" أي تطهير كل واحد من الدباء والحنتم والمزفت. (غاية البيان)
(١) قوله: "فإن كان الوعاء إلخ" إن انتبذ في هذه الأوعية قبل استعمالها في الخمر، لا إشكال في حله وطهارته،

९. **बाप अपने बेटी के टांगो के दरमियान अपना तनासुल दाखील करे बिवी हराम ना होगी:**
अगर किसी मर्द का आला तनासुल मुनतशीर हुआ और उसने शहेवत में अपनी बिवी को तलब किया और उस दरमियान में उस ने अपना आला तनासुल को उसके दुख्तर (बेटी) की टांगो के दरमियान दाखील कर दिया तो दुख्तर मजकुरा की माँ उस पर हराम ना हो जाएगी। (फतवा आलमगिरी, किताबुल निकाह, जिल्द-२, पेज नं.१३४)

فتاوی عالمگیری ...... جلد ۲ ۱۳۴ کتاب النکاح

کہ مذکور کی طرف سے بھی شہوت پائی گئی ہو حتی کہ اگر چار برس کے لڑکے نے اپنے باپ کی بیوی سے جماع کیا تو اس سے حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے اور اس حکم کے ثابت ہونے کے واسطے جو لڑکا ایسا ہے کہ اس کے مثل لڑکے جماع کر سکتے ہیں اس کی وطی بمنزلہ مرد بالغ کی وطی کے قرار دی جائے گی اور مشائخ نے فرمایا کہ ایسا لڑکا جس کے مثل جماع کرنے کے لائق ہوتا ہے وہ ہر ایسا لڑکا ہوتا ہے جو جماع کرے اور اس کو شہوت ہو اور عورتیں اس سے حیا کریں یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

حرمتِ مصاہرہ کن صورتوں میں واجب ہوگی؟

شہوت اس وقت کی معتبر ہے کہ جس وقت اس نے چھوا اور دیکھا ہے حتی کہ اگر مرد نے عورت کو چھوا اور دیکھا در حالیکہ اس کو شہوت نہ تھی پھر جب چھوڑ دیا تب اس کو شہوت ہوئی تو اس سے حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی اور واضح ہو کہ شہوت مرد کی حد یہ ہے کہ مرد کے آلہ تناسل کو انتشار ہو یا اگر منتشر ہو تو انتشار میں زیادتی ہو جائے یہ تبیین میں ہے اور یہی صحیح ہے یہ جواہر اخلاطی میں ہے اور اسی پر فتوی دیا جائے یہ خلاصہ میں ہے پس اگر کسی مرد کا آلہ تناسل منتشر ہوا اور اس نے شہوت میں اپنی بیوی کو طلب کیا اور اس درمیان میں اس نے اپنے آلہ تناسل کو اس کی دختر کی ٹانگوں کے درمیان داخل کر دیا تو دختر مذکورہ کی ماں اس پر حرام نہ ہو جائے گی تاوقتیکہ اس حرکت سے اس کی شہوت میں اس انتشار کے ساتھ انتشار میں زیادتی نہ ہوئی ہو یہ تبیین میں ہے اور یہ حد جو مذکور ہوئی ایسے لوگوں کے واسطے مقرر ہے جو مرد جوان جماع کرنے پر قادر ہو اور اگر بوڑھا یا عنین ہو تو اس کے حق میں شہوت کی حد یہ ہے کہ خواہش کے لئے اس کے قلب کو حرکت ہو اگر قبل اس کے اس کا قلب متحرک نہ ہو اور اگر پہلے سے متحرک ہو تو حرکت قلبی میں زیادتی ہو جائے یہ محیط میں ہے اور عورتوں اور مرد مجبوب کے حق میں شہوت کی حد یہ ہے کہ قلب کو حرکت و خواہش ہو اور اس میں لذت پیدا ہو بشرطیکہ پہلے سے قلب کو حرکت نہ ہو اور اگر پہلے سے ہو تو اس میں زیادتی ہو جائے یہ شرح نقایہ شیخ ابوالمکارم میں ہے اور واضح رہے کہ مرد و عورت دونوں میں سے ایک کی طرف سے شہوت کا پایا جانا حرمت ثابت ہونے کے واسطے کافی ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس کو انزال نہ ہو جائے حتی کہ اگر چھونے یا دیکھنے کے ساتھ انزال ہو گیا تو حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی یہ تبیین میں ہے اور علامہ صدر شہید نے فرمایا کہ اسی پر فتوی ہے یہ شرح نقایہ علامہ شمنی میں ہے اور اگر مساس کیا پس انزال ہو گیا تو حرمت مصاہرہ بنا بر قول صحیح کے ثابت نہ ہوگی اس واسطے کہ انزال سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ فعل داعی بجانب وطی نہیں ہے یہ کافی میں ہے اور اگر عورت کی دبر یعنی پاخانہ کے مقام کو دیکھا تو اس سے حرمت مصاہرہ ثابت نہیں ہوتی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

حرمتِ مصاہرہ دُبر میں دخول سے ثابت نہیں ہوتی:

اسی طرح اگر باتباع شیطان کسی عورت کی دبر میں دخول کیا تو اس سے حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی یہ تبیین میں ہے اور یہی اصح[2] ہے یہ محیط میں ہے اور اسی پر فتوی ہے یہ جواہر اخلاطی میں ہے اور اگر مردہ سے جماع کیا تو حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

---

1. اقول یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس نے اس کی دختر سے وطی کر لی بلکہ یہ مراد ہے کہ بسبب غلبہ شیطانیت کے اس نے فقط بیوی کی دختر کی رانوں کے بیچ میں رکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
2. قال المترجم ہمارے نزدیک لواطت کی سزا یہ ہے کہ لوطی پر دیوار گرا دی جائے یا پہاڑ پر سے گرا دیا جائے اور مثل اس کے سزائیں ہیں اور پانی اور نبیر کے نزدیک زنا کی سزا دی جائے اور یہ اجنبی مرد و عورت و طفل میں ہے اور زوجہ سے حرام قبیح ہے۔

१०. **हनफी के एहराम की हालत में गंदे काम:**
हज में एहराम की हालत में जानवर से मुंह काला किया और अगर अंज़ाल ना हुआ तो कुछ वाजीब ना होगा.....एहराम की हालत में बीवी की शर्मगाह देखा और देखता रहा और अंज़ाल हो गया तो कुछ भी वाजीब ना होगा। (फतवा आलमगिरी, किताबुल हज, जिल्द-२, पेज नं.८१)

فتاویٰ عالمگیری...... جلد ② ۸۱ کتاب الحج

ناخن تراشے تو اگر دونوں ہاتھوں کے ناخن ایک مجلس میں تراشے تو ایک قربانی واجب ہوگی اور اگر دو مجلسوں میں تراشے تو دو قربانیاں واجب ہوں گی اور اگر پانچ ناخن ایک ہاتھ کے ایک مجلس میں تراشے اور چوتھائی سر منڈوایا اور کسی عضو پر خوشبو لگائی خواہ ایک مجلس میں خواہ مختلف مجلسوں میں تو ہر ایک جنس کے بدلے علیحدہ قربانی واجب ہوگی اور اگر چاروں ہاتھ پاؤں میں پانچ ناخن متفرق تراشے تو امام ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہر ناخن کے عوض نصف صاع گیہوں دے اور اسی طرح چاروں ہاتھ پاؤں میں سے جس کے ناخن تراشے تو اسی طرح صدقہ واجب ہوگا اور اگر سب ناخن سولہ ہوں گے تو ہر ناخن کے عوض نصف صاع گیہوں دے گا لیکن جب ان کی قیمت قربانی کے برابر ہو جائے تو جس قدر چاہے کم کرے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے۔

اُن افعال کا بیان جن کے کرنے سے قربانی لازم آتی ہے:

صاحب احرام کا ناخن ٹوٹ کر الگ رہا پھر اس کو جدا کر لیا تو کچھ واجب نہ ہوگا یہ کافی میں لکھا ہے بالوں کے اکھاڑنے اور کاٹنے اور نورہ[1] سے صاف کرنے اور دانتوں سے اکھاڑنے کا حکم مثل منڈوانے کے ہے یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے یہ چند مسائل پہلی فصلوں سے متعلق ہیں جو افعال ایسے ہیں کہ ان کو اپنے اختیار سے کرنے میں قربانی لازم آتی ہے جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا اور بال منڈوانا اور خوشبو لگانا اور ناخن تراشنا تو ایسے افعال کو کسی بیماری یا ضرورت کی وجہ سے کرے گا تو کفارہ لازم ہوگا جو کفارہ چاہے اختیار کرے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور کفارے یہ ہیں قربانی یا صدقہ یا روزہ اگر قربانی اختیار کرے تو حرم میں ذبح کرے یہ محیط میں لکھا ہے اور اگر حرم سے باہر ذبح کرے گا تو قربانی ادا نہ ہوگی لیکن اگر چھ مسکینوں کو اس کا گوشت صدقہ کر دے اور ہر مسکین کو اس قدر دے جس کی قیمت نصف صاع گیہوں ہو تو کفارہ ادا ہو جائے گا یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر روزے اختیار کرے تو جہاں چاہے وہاں تین دن کے روزے رکھے یہ محیط میں لکھا ہے چاہے برابر برابر روزے رکھے چاہے جدا جدا رکھے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر صدقہ اختیار کرے تو تین صاع گیہوں چھ مسکینوں کو دے ہر مسکین کو نصف صاع دے اور افضل یہ ہے کہ مکہ کے فقیروں کو صدقہ دے اور اگر باہر کے فقیروں کو دیا تو جائز ہے اس صدقہ کا دوسرے کو مالک کر دینا یا اس کو مباح کر دینا امام ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جائز ہے اور امام محمدؒ کے نزدیک مالک کر دینے کے سوا اور کچھ جائز نہیں یہ ظہیریہ اور شرح طحاوی میں لکھا ہے۔

فصل: ④

جماع کے بیان میں

جماع جو فرج سے باہر ہو اور مساس اور شہوت سے بوسہ حج اور عمرہ کو فاسد نہیں کرتا انزال ہو یا نہ ہو اس پر قربانی واجب ہوگی یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے اور اسی طرح اگر شہوت سے چپٹ جائے یا کسی چوپائے جانور کے دخول کر دے تو کچھ واجب نہ ہوگا لیکن انزال ہو گیا تو قربانی واجب ہوگی اور اس کا حج اور عمرہ فاسد نہ ہوگا یہ شرح طحاوی کے باب الحج والعمرۃ میں لکھا ہے اگر عورت کی فرج کو شہوت سے دیکھا اور انزال ہو گیا تو کچھ واجب نہ ہوگا جیسے تصور کرنے میں انزال ہونے میں کچھ واجب نہیں ہوتا یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اسی طرح اگر بہت دیر تک دیکھتا رہا یا بار بار دیکھا تو کچھ واجب نہیں ہوتا یہ غایۃ السروجی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور اسی طرح احتلام سے غسل کے سوا کچھ واجب نہیں ہوتا اور اگر ہاتھ کے عمل سے منی نکالنے کا ارادہ کیا اور انزال ہو گیا تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک قربانی لازم ہوگی یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اگر فقط حج کیا تھا اور وقوف عرفہ سے پہلے عورت سے مجامعت کی اور مرد اور عورت دونوں

[1] وہ دوا جس کے لگانے سے بال گر جاتے ہیں۔ تفصیل چند صفحات قبل درج کر دی گئی (حافظ)

Hanafioo ka Hajj aur Hajj mei Janwar ko bhi nahi baqsha , Ihram ke halat mei mazee leloo Anzaal na ho.. Phir aage likhe hai ke BV ka farj ko dekhaa aur bhut dheer taak dekta raha .. yeh sab kaam karoo Ihram ke halat mei.

११. **हनफी अगरे एक दुसरे का तनासुल पकडे तो वजु खराब नही होगा।** (फतवा आलमगिरी, किताबुल तहारा, जिल्द-१, पेज नं.२०२)

فَقِيهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطٰنِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

فتاویٰ ہندیہ

المعروف بہ

فتاویٰ عالمگیریہ

مترجم
مولانا سید امیر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ
مصنف تفسیر مواہب الرحمٰن و عین الہدایہ وغیرہ

تسہیل و عنوانات
مولانا ابو عبید اللہ

فقہ حنفی کے احکام و مسائل کا وہ عظیم و مستند ذخیرہ جو ہندوستان کے مشہور مسلمان بادشاہ حضرت عالمگیرؒ نے اپنی نگرانی میں ملک کے مستند علماء کی ایک جماعت کے ذریعہ عربی میں مرتب کرایا تھا اس کا مستند مکمل اردو ترجمہ

مکتبہ رحمانیہ
اقرأ سنٹر غزنی سٹریٹ۔ اردو بازار۔ لاہور

یہ قنیہ میں لکھا ہے۔ مرد کے عورت کو مساس کرنے سے یا عورت کے مرد کو مساس کرنے سے وضو[1] نہیں ٹوٹتا یہ محیط میں لکھا ہے اپنے ذکر کو چھوئے یا دوسرے کے ذکر کو چھوئے تو ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا یہ محیط میں لکھا ہے کھلی ہوئی مباشرت دو عورتوں میں ہو مرد اور امرد لڑکے میں ہو تو بھی امام ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ قنیہ میں لکھا ہے اور یہی حکم ہے اگر ایسی مباشرت دو مردوں میں ہو تو یہ معراج الدرایہ میں لکھا ہے شک کے مسائل بھی انہیں مسائل سے میل رکھتے ہیں اصل میں ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہوا کہ فلانے عضو کا وضو کیا ہے یا نہیں اور یہ شک اس کو اوّل بار ہوا تھا تو اس موضع کو دھوئے جس میں شک ہے اور اگر اکثر یہی ہوتا ہے تو اس شک کا کچھ اعتبار نہیں یہ حکم اس وقت ہے کہ جب شک وضو کرنے کی حالت میں ہو اور اگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو تو اس کی طرف التفات نہ کرے اور جس شخص کو وضو تھا اور اب وضو ٹوٹنے میں شک ہوا تو وضو اس کا باقی ہے۔ اور اگر بے وضو تھا اور طہارت میں شک ہوا تو بے وضو ہے۔ اس مسئلہ میں غالب گمان[2] پر عمل نہ کرے یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

دوسرا باب

غسل کے بیان میں

اس میں تین فصلیں ہیں

پہلی فصل

غسل کے فرضوں میں

اور وہ تین ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا سارے بدن[3] کو دھونا یہ متون (۱) میں لکھا ہے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی حد باب وضو میں خلاصہ سے بیان ہو چکی جب نے اگر پانی پی لیا اور منہ میں سے پھینکا نہیں تو وہی کلی کے بدلے کافی ہے اگر سارے منہ میں پہنچ جائے ظہیریہ میں لکھا ہے اور اگر اس کا کوئی دانت کچھ خالی ہے اس میں کچھ باقی رہ گیا یا اس کے دانتوں کے بیچ میں لعام باقی ہے یا اس کی ناک میں تر اینٹھ ہے تو اصح یہ ہے کہ غسل پورا ہو گیا یہ زاہدی میں لکھا ہے احتیاط ہے کہ کھانے کو دانت کے خلو میں سے نکال کر اس پر پانی بہا لے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے خشک رینٹھ اگر ناک میں ہے تو غسل پورا نہ ہوگا یہ زاہدی میں لکھا ہے اگر گندھا ہوا آٹا ناخن میں لگا ہے تو غسل پورا نہ ہوگا اور میل ہے تو مانع غسل نہیں اور گاؤں والے اور شہر والے اس میں برابر ہیں اور خشک اور تر مٹی اگر ناخنوں میں ہے تو مانع غسل نہیں اور چرم ساز اور رنگریز کے ناخنوں میں جو بھرا ہوتا ہے وہ مانع غسل ہے اور بعض کا قول ہے کہ بسبب حرج اور ضرورت کے مانع غسل نہیں اس لئے کہ ضرورت کے مقامات قواعد شرع سے مستثنیٰ ہوتے ہیں یہ ظہیریہ میں لکھا ہے۔ اگر بدن کے اوپر مچھلی کا پوست یا چابی ہوئی روٹی لگی ہے اور خشک ہو گی ہے اور نہانے میں پانی اس کے نیچے نہ پہنچا تو غسل جائز نہ ہوگا اور اگر مکھی یا مچھر کا گوہ ہے تو جائز ہے یہ محیط میں لکھا ہے اگر اس کے چیچک نکلی ہو اور چھلکے اس کے اٹھ گئے ہوں مگر کنارے ملے ہوئے ہوں اور چھلوں کے نیچے پانی نہ پہنچے تو مضائقہ نہیں ہے پھر اگر چھلکے اتر جائیں تو دوبارہ غسل نہ کرے یہ ظہیریہ میں لکھا ہے۔ آنکھوں کے اندر پانی

[1] امام شافعی کے نزدیک عورت کا چھونا ناقض وضو ہے اور تحقیق عین الہدایہ میں ہے ۱۲

[2] گمان...... یقین ہے کہ ایک عضو نہیں دھویا تھا اور شک کیا کہ کس کو چھوڑا تو بایاں پاؤں دھولے اور پانی و کپڑے کی نجاست میں شک کیا تو کچھ نہیں ہے اسی طرح جورو کی طلاق میں کہ شاید اس کو طاق دے دی ہو یا مملوک آزاد کیا تو بھی باطل ہے اشباہ شائد ریح نکل گئی ہے تو باطل ہے ۱۲

[3] سارے بدن سے مراد بشرہ ظاہری ہے اور باطنی بدن مراد نہیں ۱۲ (۱) بلا حتی کے ایک بار

१२. **इमाम अबु हनिफा के नजदीक शव्वाल के ६ रोजे रखना मकरुह है (फतवा आलमगिरी, जिल्द-२, सफा-१७)**

کتاب الصوم

فتاوی عالمگیری ...... جلد ②

نیت کی بابت عام و خاص کی تخصیص

امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک شوال کے چھ روزے رکھنا مکروہ ہے

فقیہٌ واحدٌ اشدُّ علی الشیطٰنِ من الفِ عابدٍ

فتاوی عالمگیری اردو جدید

جلد دوم

مترجم

مولانا سید امیر علی

تسہیل وعنوانات

مولانا ابو عبید اللہ

مصنف تفسیر مواہب الرحمٰن وعین الہدایہ وغیرہ

کتاب الصوم ○ کتاب الحج

کتاب النکاح ○ کتاب الرضاع

کتاب الطلاق

مکتبہ رحمانیہ

اقرأ سنٹر غزنی سٹریٹ۔ اردو بازار۔ لاہور

१३. **नमाज की हालत मे बोसा और रान पर हाथ, नमाज के अंदर शहवत की नजर (अस्तगफिरुल्लाह) (फतवा आलमगिरी, जिल्द-१,किताबुस्सलात, सफा-३२९)**

کتاب الصلوٰۃ

فتاوی عالمگیری ...... جلد ①

فقیہٌ واحدٌ اشدُّ علی الشیطٰنِ من الفِ عابدٍ

فتاوی ہندیہ

المعروف بہ

فتاوی عالمگیریہ

مترجم

مولانا سید امیر علی

مولانا ابو عبید اللہ

مصنف تفسیر مواہب الرحمٰن وعین الہدایہ وغیرہ

مکتبہ رحمانیہ

اقرأ سنٹر غزنی سٹریٹ۔ اردو بازار۔ لاہور

१४. **अपना कुत्ता और गधा जुबाह कर के उस का गोश्त बेचना जायज है। (फतवा आलमगिरी, जिल्द हश्तुम, किताबुल बयु)**

فروخت کریں تو جائز نہیں ہے اور اگر اپنے ذبیحہ کو باہم فروخت کریں حالانکہ ان کا ذبیحہ یہ ہو کہ بکری کا گلا گھونٹ دیں یا اس کو اس قدر ماریں کہ مر جائے تو ان کا آپس میں بیع کرنا جائز ہے یہ واقعات میں لکھا ہے اگر دو ذمیوں نے شراب یا سور کی باہم خرید و فروخت کر لی پھر قبضہ سے پہلے دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک اسلام لایا تو بیع ٹوٹ جائے گی یعنی فسخ کرنے کا حق ثابت ہو جائے گا اور اگر دونوں نے شراب پر قبضہ کر لیا پھر دونوں یا ایک مسلمان ہوا تو بیع جائز ہو گی خواہ ثمن پر قبضہ ہو گیا ہو یا نہ ہوا یہ حاوی میں لکھا ہے۔ اگر کسی ذمی نے ایک مسلمان غلام خریدا تو بیع جائز ہے اور اس پر جبر کیا جائے گا کہ اس کو فروخت کر دے خواہ یہ ذمی نابالغ ہو یا بالغ ہو یہ تاتارخانیہ میں تجنیس سے منقول ہے اور اگر کسی کافر نے دوسرے کافر سے ایک مسلمان غلام بطور بیع فاسد کے خریدا تو مشتری پر جبر کیا جائے گا کہ واپس کر دے اور بائع پر جبر کیا جائے گا کہ اس کو فروخت کر دے اور اگر ذمی[1] نے اس غلام کو آزاد یا مدبر کر دیا تو جائز ہے اور وہ مدبر سعی[2] کرے گا اور یہی حکم ہے اگر وہ باندی تھی کہ اس کو ذمی نے ام ولد بنایا ہو اور ذمی کو زدوکوب کی تکلیف پہنچائی جائے[3] گی اور اگر باندی کو اس نے مکاتب کر دیا تو کتابت جائز رہے گی اور نہ ٹوٹے گی اور یہی حکم ہے۔

اگر ذمی نے قرآن شریف خریدا ہو اور اسی طرح اگر ذمی کسی مسلمان غلام کے ایک حصہ کا مالک ہوا تو ٹکڑے کا حکم پورے کے حکم کے مانند ہے اور اگر دونوں عقد کرنے والوں میں سے ایک مسلمان اور دوسرا ذمی ہو تو ان دونوں کے درمیان صرف وہی امر جائز ہو گا جو دو مسلمانوں میں جائز ہوتا ہے اور اگر مسلمان نے کسی ذمی کو شراب کے بیچنے یا خریدنے کے واسطے وکیل کیا تو امام اعظمؒ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبینؒ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اور اگر چند یتیم نصرانی تھے کہ ان کا ایک غلام اسلام لایا تو سب پر جبر کیا جائے گا کہ اس کو فروخت کر دیں پس اگر ان کا کوئی وصی ہو گا تو وہ فروخت کرے گا اور اگر نہ ہو گا تو قاضی ان کا کوئی وصی مقرر کر دے گا کہ وہ ان کی طرف سے فروخت کرے گا اور اگر کسی مسلمان نے کوئی مسلمان غلام کسی کافر کو ہبہ کیا یا صدقہ میں دیا اور اس کے سپرد کر دیا تو جائز ہے اور کافر پر جبر کیا جائے گا کہ اس کو فروخت کر دے یہ حاوی میں لکھا ہے۔ عیون میں مذکور ہے کہ ہاتھی وغیرہ مرداروں کی ہڈیاں بیچنے میں کچھ خوف نہیں ہے لیکن آدمی اور سور کی ہڈی بیچنا جائز نہیں ہے اور یہ حکم اس وقت ہے کہ ہاتھی وغیرہ کی ہڈی پر چکنائی نہ باقی ہو اور اگر باقی ہو گی تو وہ نجس ہے اور اس کی بیع ناجائز[4] ہے اور فتاویٰ اہل سمرقند میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنا کتا ذبح کر کے اس کا گوشت فروخت کیا تو جائز ہے اور اسی طرح اگر اپنا گدھا ذبح کر کے اس کا گوشت فروخت کیا تو جائز ہے اور اس صورت میں مشائخ کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ذبح ہونے کے بعد اس گوشت کے پاک ہونے میں اختلاف کیا ہے اور صدر الشہید نے یہ اختیار کیا ہے کہ وہ پاک ہے اور اگر کسی نے سور کو ذبح کر کے اس کا گوشت فروخت کیا تو جائز نہیں ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔

ذبح کیے ہوئے درندوں کا گوشت اور ذبح کیے ہوئے گدھوں کا گوشت فروخت کرنا صحیح روایت کے موافق جائز ہے اور مردار درندوں کا گوشت بیچنا جائز نہیں ہے یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے۔ درندوں اور گدھوں اور خچروں کے چمڑے اگر ذبح کیے ہوئے یا دباغت کیے ہوئے ہوں تو ان کی بیع جائز ہے اور جو ایسے نہ ہوں تو ان کی بیع جائز نہیں ہے اور یہ حکم اس بنا پر ہے کہ حلال کرنے یا دباغت کرنے سے سب چمڑے پاک ہو جاتے ہیں سوائے آدمی اور سور کی کھال کے اور جبکہ حلال کرنے سے وہ پاک ہو گئے تو ان سے نفع اٹھانا جائز ٹھہرا پس ان کی بیع ہو سکتی ہے اور مردار کے بال اور اس کی ہڈی اور پشم اور سینگ سے نفع اٹھانے میں کچھ خوف نہیں ہے اور ان سب کی بیع جائز ہے اور پٹھے کے باب میں دو روایتیں ہیں ایک روایت میں اس سے نفع اٹھانا اور اس کا بیچنا جائز ہے یہ محیط میں لکھا ہے۔ سور کے بال بیچنا

[1] یعنی مسلمان کے ہاتھ ۱۲۔ [2] مشقت کر کے مال ادا کر کے آزاد ہو جائے گا ۱۲۔ [3] بوجہ ام ولد بنانے کے واللہ اعلم ۱۲۔ [4] قولہ جائز ہے اس واسطے کہ ذبح کرنے سے نجاست نہ رہی لیکن آدمی کو کھانا حرام رہا ہاں اگر شکرہ وغیرہ کو دے دے تو کارآمد ہو گا پھر یہ روایت اس پر ہے کہ کتا جس العین نہیں جیسے گدھا اور لعاب و خون اس کا نجس ہے اور متاخرین نے اسی پر فتویٰ دیا ہے ۱۲۔

१५. **एहनाफ अपने उलमाओ को कौल को अल्लाह के वही का दर्जा देते हुए अपने उलमाओ के कौल को कुरआन और हदीस से बडा दर्जा देते है। और अपने उलमाओ के कौल अगर कुरआन और हदीस के खिलाफ हो तो इन्हे छोडने की बजाए कुरआन और हदीस को मंसुख (रद्द) करार देते हुए कुरआन और हदीस को रद्द कर देते है।**

हनफी फिक का ये उसुल इस बात का सबुत है के एहनाफ (हनफीयो) ने यहुदी व नसारा के नकशे कदम पर चलते हुए अपने उलमाओ और मशाईख को अपना रब बना लिया है।

''हर वो आयत जो हमारे असहाब के कौल के मुखालीफ आ जाए तो इस को मंसुख होने पर माहमुल किया जाएगा या फिर इस को मरजुह समझा जाएगा (यानी अपने उलमा के कौल को तरजीह देंगे) और बहेतर ये है के अपनी पुरी सलाहीयत से इस को तावील पर माहमुल किया जाए (यानी इस की तावील कर ली जाए) दोनो में तबीक हो जाए।'' (उसुल अल-करखी)

٣٦٥

اصول الكرخي

مع

ذكر امثلتها ونظائرها وشواهدها من الامام نجم الدين

ابي حفص عمر بن احمد النسفي

بتعطيل منافع عبده بغير بدل فكان دفع الضرر هنا في تصحيحها اذ لو قضينا بفسادها لم يكن دفعاً للضرر بل يكون تحقيقاً للضرر فيعود النظر ضرراً۔

الاصل ان كل آية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجيح و الاولى ان تحمل على التأويل من جهة التوفيق۔

قال من مسائله ان من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لان تأويل قوله تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اذا علمتم به والى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه او يحمل على النسخ كقوله تعالى وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ في الآية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم او على الترجيح كقوله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ظاهره يقتضي ان الحامل المتوفى عنها زوجها ٢ غيرها وقوله تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الاشهر لانها عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلى رضي الله تعالى عنه جمع من الاجلين احتياطاً لاشتباه التاريخ۔

الاصل ان كل خبر يجيء بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل على النسخ او على انه معارض بمثله ثم صار الى دليل آخر او ترجيح فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح او يحمل على التوفيق وانما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فان قامت دلالة النسخ يحمل عليه وان قامت الدلالة على غيره صرنا اليه۔

قال من ذلك ان الشافعي يقول بجواز اداء سنة الفجر بعد اداء فرض الفجر قبل طلوع الشمس لما روي عن عيسى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلي ركعتين بعد الفجر فقال ما هما فقلت ركعتا الفجر كنت لم اركعهما فسكت قلت هذا منسوخ بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واما المعارضة فحديث

٢ لا تنقضي عدتها بوضع الحمل قبل مضي اربعة اشهر وعشرة ايام ٣ لان الآية عامة في كل متوفى عنها زوجها حاملا او

الاصل: ان كل آية تخالف اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجيح و الاولى ان تحمل على التاويل من حهة التوفيق۔

بیشک ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف آجائے تو اسکو منسوخ ہونے پر محمول کیا جائے گا یا پھر اسکو مرجوح سمجھا جائے گا (یعنی اپنے علماء کے قول کو ترجیح دینگے) اور بہتر یہ ہے کہ اپنی پوری صلاحیت سے اسکو تاویل پر محمول کیا جائے (یعنی اسکی تاویل کرلی جائے) دونوں میں تطبیق ہو جائے

الاصل: ان كل خبر يجئ بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل على النسخ او على انه معارض بمثله ثم صار الى دليل اخر او ترجيح فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح او يحمل على التوفيق و انما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فان قامت دلالة النسخ يحمل عليه و ان قامت الدلالة على غيره صرنا اليه۔

بیشک ہر وہ خبر (حدیث) جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہوگی اس کو منسوخ ہونے پر محمول کیا جائے گا یا یہ بات پر محمول کیا جائے گا کہ اس کے معارض (مخالف) اسی طرح کی کوئی دوسری خبر (حدیث) ہے (مگر وہ حدیث ہے کہاں، سر من رای کے غار میں بارہویں امام کے پاس!!)۔ پھر ہم دوسری دلیل کی طرف جائیں گے یا اس میں ترجیح کے اسباب ہمارے اصحاب کے اختیار کردہ قول کی دلیل کو ترجیح دینگے اور بیشک یہ دلیل کے حساب سے کیا جائے گا، اکر نسخ پر دلیل قائم ہوتی ہے تو اس کو منسوخ پر محمول کریں گے اور اگر نسخ کے علاوہ پر دلیل قائم ہوتی ہے تو ہم اس کو طرف چلے جائیں گے۔

१६. कुत्ता उठा कर नमाज पढने का बयान:

और इसी तरहा से कोई कुत्ते को या भेडये को गोद में उठा कर नमाज पढे तो जायज़ है और दबागत से इस की जिल्द पाक हो जाएगी। और इस का गोश्त जुबाह से पाक हो जाएगा।

नातकी ने महेमुद (रहे) से जिक्र किया है के कोई कुत्ते की खाल या भेडये की खाल पर जो जुबाह किया गया नमाज जायज़ है। (फतावा काजीखान)

(الجزء الاول)
من الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية
في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان
صاحب القدر الانجم نفعنا الله ببركته
ومنحنا اتباع طريقته
امين

(وبهامشه الجزء الثالث من الفتاوى البزازية) وهي المسماة بالجامع الوجيز للشيخ الامام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي المتوفى سنة ٨٢٧ وهو كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما ساعده الدليل وذكر الائمة أن عليه التعويل فرغ من تأليفه عام ثماني عشر وثمانمائة قيل لابي السعود المفتي لم لم تجمع المسائل المهمة ولم تؤلف فيها كتابا قال أنا أستحيي من صاحب البزازية مع وجود كتابه لانه مجموع مشتمل جامعة للمهمات كما ينبغي اه من كشف الظنون

(الطبعة الثانية)
بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية
سنة ١٣١٠
هجرية

استحسانا وصورته اذا احرقت العذرة فاصاب ماء الطابق ثوب انسان لا يفسده استحسانا مالم يظهر أثر النجاسة فيه وكذا الاصطبل اذا كان حارا وعلى كوته طابق أو بيت البالوعة اذا كان عليه طابق فعرق الطابق وتقاطر منه وكذا الحمام اذا أهريق فيه النجاسات فعرق حيطانه او كوتها وتقاطر وكذا لو كان فى الاصطبل كوز معلق فيه ماء فترشح من أسفل الكوز فى القياس يكون نجسا لان البلة فى أسفل الكوز صارت نجسة ببخار الاصطبل وفى (٣٠) الاستحسان لا يتنجس لان الكوز طاهر والماء الذى فيه طاهر فما ترشح منه يكون طاهرا

(اذا صلى) ومعه شعر الآدمى فقد ذكرنا أنه تجوز صلاته ولو قلع انسان سنه أو قطع أذنه ثم أعادهما الى مكانهما وصلى أو صلى وسنه أو أذنه فى كمه تجوز صلاته فى ظاهر الرواية وكذا لو صلى وفى عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذئب تجوز صلاته وما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه بالذكاة ذكره شمس الائمة الحلوانى قيل يشترط أن تكون الذكاة من أهلها فى محلها وهو ما بين اللبة واللحيين وقد سمى بحيث لو كان مأكولا لا يحل أكله بتلك الذكاة (وذكر الناطفى) اذا صلى ومعه من لحم السباع كالثعلب ونحوه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته وان كان مذبوحا ولو صلى ومعه لحم بازى قد ذبح جازت صلاته لان سؤر الثعلب ونحوه نجس وما كان سؤره نجسا لا يطهر لحمه بالذكاة انما يطهر اذا لم يكن سؤره نجسا (وعن الفقيه أبى جعفر) اذا صلى ومعه لحم سباع الوحش قد ذبح لا تجوز صلاته ولو وقع فى الماء أفسده وذكر الناطفى عن محمد رحمه الله اذا صلى على جلد كلب أو ذئب قد ذبح جازت صلاته

(الكلب) اذا أخذ عضو انسان أو ثوبه بفيه ان أخذه فى الغضب لا يفسده وان أخذه فى اللعب والمزاح يفسده لانه فى الوجه الاول يأخذ بسنه وسنه غير نجس وفى الوجه الثانى يأخذ بفيه ولعابه نجس اذا مشى كلب على ثلج فوضع انسان رجله على ذلك الموضع ان كان الثلج رطبا بحيث لو وضع عليه شئ يبتل به صار الثلج نجسا فما يصيبه يكون نجسا وان لم يكن رطبا لا يتنجس وقيل انه لا يتنجس الثلج وهو محمول على الوجه الثانى وكذا الكلب اذا مشى فى طين أو ردغة يتنجس الطين والردغة اذا صلى وهو حامل شهيد اعليه دمه جازت صلاته وان

تموت الفأرة فى البئر أو خارجها وتلقى فيها وكذا سائر الحيوانات كذا فى البحر الرائق * ولو قطع ذنب الفأرة والقى فى البئر نزح جميع الماء وان جعل على موضع القطع شمعة لم يجب الا ما فى الفأرة كذا فى الجوهرة النيرة * وان وقع فيها حلمة وماتت فيها ينزح منها فى رواية عشرون أو ثلاثون دلوا اذا وقع فى البئر سام أبرص ومات ينزح منها عشرون دلوا فى ظاهر الرواية والصعوة بمنزلة الفأرة والورشان بمنزلة السنور ينزح منها أربعون أو خمسون كذا فى فتاوى قاضى خان * وما كان بين الفأرة والدجاجة فهو بمنزلة الفأرة وما كان بين الدجاجة والشاة فهو بمنزلة الدجاجة وهذا ظاهر الرواية كذا فى التتارخانية * وهكذا يكون أبدا حكمه حكم الاصغر كذا فى الجوهرة النيرة * ثم بطهارة البئر يطهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحى البئر واليد هكذا فى محيط السرخسى * ولو وقعت فى البئر خشبة نجسة أو قطعة ثوب نجس وتعذر اخراجها وتغيبت فيها طهرت الخشبة والثوب تبعا لطهارة البئر كذا فى الظهيرية * بئر وجب فيها نزح عشرين دلوا فنزح الدلو الاول وصب فى بئر طاهرة ينزح منها عشرون دلوا والاصل فى هذا أن البئر الثانية تطهر بما تطهر الاولى حين كان الدلو المصبوب فيها ولو صب الدلو الثانى ينزح تسعة عشر دلوا ولو صب الدلو العاشر فى رواية أبى حفص ينزح احد عشر دلوا وهو الاصح كذا فى البدائع * وان أخرجت الفأرة والقيت فى البئر الاخرى وصب فيها أيضا عشرون دلوا فعليهم اخراج الفأرة ونزح عشرين دلوا مثل ما كان عليهم فى الاولى كذا فى السراج الوهاج * بئران وجب من كل واحدة منهما نزح عشرين فنزح عشرون من احداهما وصب فى الاخرى ينزح عشرون ولو وجب من احداهما نزح عشرين ومن الاخرى نزح أربعين فنزح ما وجب من احداهما وصب فى الاخرى ينزح أربعون والاصل فيه أن ينظر الى ما وجب النزح منها والى ما صب فيها فان كانا سواء تداخلا وان كان واحد أكثر دخل القليل فى الكثير وعلى هذا ثلاث آبار وجب من كل واحدة نزح عشرين فنزح الواجب من البئرين وصب فى الثالثة ينزح أربعون كذا فى البدائع * وان صب فيها من احدى البئرين عشرون ومن الثانية عشرة ينزح منها ثلاثون كذا فى محيط السرخسى * ولو وجب من احداهما نزح عشرين ومن الاخرى نزح أربعين فصب الواجبان فى بئر طاهرة ينزح أربعون لما قلنا من الاصل ولو نزح دون الاربعين وصب فى العشرين ينزح أربعون كذا فى البدائع * وفى النوادر فأرة ماتت فى حب ماء فأريق الماء فى البئر قال محمد رحمه الله ينزح الاكثر من المصبوب ومن عشرين دلوا وهو الاصح كذا فى محيط السرخسى * وفى الفتاوى اذا وقعت قطرة من ماء ذلك الحب فى بئر ينزح منها عشرون دلوا كذا فى السراج الوهاج * وان تفسخت فى الحب ثم صب قطرة من ذلك الماء فى البئر ينزح جميع الماء كذا فى خزانة المفتين * بئر الماء اذا كانت بقرب البئر النجسة فهى طاهرة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه كذا فى الظهيرية * ولا يقدر هذا بالذرعان حتى اذا كان بينهما عشرة أذرع وكان يوجد فى البئر أثر البالوعة فماء البئر نجس وان كان بينهما ذراع واحد ولا يوجد أثر البالوعة فماء البئر طاهر كذا فى المحيط وهو الصحيح هكذا فى محيط السرخسى * واذا وجد فى البئر فأرة أو غيرها ولا يدرى متى وقعت ولم تنتفخ أعادوا صلاة يوم وليلة اذا كانوا توضؤا منها وغسلوا كل شئ أصابه ماؤها وان كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا ليس عليهم اعادة شئ حتى يتحققوا متى وقعت كذا فى الهداية * وان علم وقت وقوعها يعيدون الوضوء والصلاة من ذلك الوقت بالاجماع وما عجن من العجين

الفتاوى الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان وبهامشه

فتاوي قاضيخان والفتاوي البزازية

الطبعة الثانية بالمطبعة الاميرية ببولاق مصر سنة هجرية 1310

جلد اول۔ صفحہ 20

وكذا الوصلي وفي عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذئب تجوز صلاته وما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه بالذكاة ذكره شمس الأمة الحلوانى

اور اسی طرح کوئی کتے کو یا بھیڑیے گود میں اٹھا کر نماز پڑھے تو جائز ہے اور دباغت سے اس کی جلد پاک ہو جائے گی۔ اور اس کا گوشت ذبح سے پاک ہو جائے گا۔ جیسا شمس الائمۃ الحلوانی نے ذکر کیا ہے۔

وذكر الناطقي عن محمد رحمه الله اذا صلى على جلد كلب أو ذئب قد ذبح جازت صلاته

ناطقی نے محمد رحمۃ اللہ سے ذکر کیا ہے کہ کوئی کتے کی کھال یا بھیڑیے کی کھال پر جو ذبح کیا گیا نماز جائز ہے۔

१७. **ज़िनाकारी की कमाई हलाल है:**

अगर कोई ज़ानीया ज़िना के बदले मुकर्रर करदा उजरत ले तो वो इमाम अबु हनिफा के नजदीक जायज़ है। इसलिए के मिस्ल की मजदुरी लेना पाक है अगरचा सबब हराम हो।

عنوان الکتاب: شرح وقایه مع حاشیة الجلبي
المؤلف: عبید الله بن مسعود بن تاج الشریعه- محمود بن صدر الشریعه
الطبعة: طبعه افضل المطابع سنه 1278ھ

کتاب الاجارة / باب اجارة الفاسدة

صفحہ 298

زناکاری اور بھڑواگیری کی کمائی جائز

ان ما اخذته الزنية ان كان بعقد الاجارة فحلال عند الامام الاعظم لان اجر المثل طيب وان كان السبب حراماً

اگر کوئی زانیہ زنا کے بدلے مقرر کردہ اجرت لے تو وہ (اجرت) امام اعظم (نعمان بن ثابت ابو حنیفہ) کے نزدیک حلال ہے۔ اس لئے کہ مثل کی مزدوری لینا پاک (بمعنی حلال) ہے اگرچہ سبب حرام ہو۔

१८. **शेख अब्दुल कादीर जिलानी (रहे) ने हनफी मसलक को मरजीया में शुमार किया है (शेख अब्दुल कादीर जिलानी (रहे) हनफी मसलक छोड कर हंबली बन गए थे):**

शेख अब्दुल कादीर जिलानी (रहे) मरजीया का मतलब बताते है: मरजीया की वजह तसमीया ये है के इस फिरका के खयाल में ला-इलाहा-अललल्लाह मुहंमदुर रसुलुल्लाह (सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम) का पढने वाला खुद कितने ही गुनाह करे मगर वो दोजख में नही जाएगा। इमान कौल का नाम है, अमल का नही, आमाल एहकाम है, इमान सिर्फ कौल है। लोगो के इमानो में बाहमी कमीबेशी नही होती। पस आम आदमीयो का इमान अंबिया का इमान और मलाईका का इमान एक बराबर है इस में ना कोई ज्यादा है ना कोई कम। इजहारे इमान के साता इन्शाअल्लाह नही कहना चाहिए जो शख्स जबान से जरुरीयात दिन का इकरार करे वो अमल ना करे तब भी वो मोमीन है (गुनियातुत तालीबीन, सफा-१७३)

غنیۃ الطالبین حصہ اول ٢١٣

سبیل اللہ حتی یخرج المسیح الدجال وینزل عیسٰی
بسبب من السماء وقالت الروافضة لاجهاد فی
سبیل اللہ حتی یخرج المهدی وینادی مناد من
السماء وتؤخر الیهود صلوٰة المغرب حتی تشتبك
النجوم وكذلك الروافض یؤخرونها والیهود
تزول عن القبلة شیئا وكذلك الرافضة والیهود
تنود فی الصلوٰة وكذلك الرافضة والیهود تسدل
اثوابها فی الصلوٰة وكذلك الروافض والیهود
تستحل دم كل مسلم وكذلك الروافض والیهود
لاترٰی علی النساء عدة وكذلك الرافضة والیهود لاترٰی
فی الطلاق الثلث شیئا وكذلك الرافضة والیهود حرفت
التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن قالوا القرآن غیر و
بدل وخولف بین نظمه وترتیبه واحیل عما انزل
علیه وقرئ علی وجوه غیر ثابتة عن الرسول و
انه قد نقص منه وزید فیه والیهود یبغضون
جبرئیل علیه السلام ویقولون هو عدونا من
الملٰئكة وكذلك صنف من الروافضة یقولون
غلط جبرئیل علیه السلام بالوحی الی محمد صلی اللہ
علیه وسلم وانما بعث [illegible] علی [illegible] كذبوا تبا لهم
الی اخر الدهر۔

فصل واما المرجبیة ففرقها اثنی عشر
فرقة الجهمیة والصالحیة والشمریة والیونسیة
والیونانیة والنجاریة والغیلانیة والشبیبیة و
الحنفیة والمعاذیة والمرلیسیة والكرامیة وانما
سموا المرجبیة لانها زعمت ان الواحد من المكلفین

جب تک مسیح دجال کا ظہور نہ ہو اور عیسٰی علیہ السلام آسمان سے
نہ اتریں اس وقت تک اللہ کی راہ میں جہاد نہیں۔ رافضی کہتے ہیں
جب تک مہدی موعود کا ظہور نہ ہو اور ہاتف غیبی ان کی صداقت
کا اعلان نہ کرے اس وقت تک جہاد نہیں، یہودی مغرب
کی نماز تاروں میں روشنی آنے کے بعد پڑھتے ہیں، رافضی بھی
ایسا ہی کرتے ہیں یہودی قبلہ سے قدرے منحرف ہو کر نماز
پڑھتے ہیں، رافضی بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہودی نماز میں ہلتے
رہتے ہیں اور رافضی بھی۔ یہودی نماز میں کندھوں پر کپڑا لٹکا
لیتے ہیں اور رافضی بھی، یہودی ہر مسلمان کا خون حلال سمجھتے ہیں
یہودیوں کے نزدیک عورتوں پر عدت نہیں اور
رافضیوں کے نزدیک بھی نہیں یہودی تین طلاقوں میں کچھ ہرج نہیں
سمجھتے اور رافضی بھی، یہودیوں نے تورات میں تحریف کی اور رافضیوں
نے قرآن میں کی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں ردو بدل کر دیا گیا
ہے اور اس کی نظم و ترتیب میں گڑبڑ کر دی گئی ہے اور جس ترتیب سے
قرآن اترا تھا اس سے اسے پھیر دیا گیا ہے اور ایسے طریقوں پر پڑھا
جاتا ہے جو رسول اللہ صلعم سے ثابت نہیں اور اس میں کمی بیشی کر دی گئی ہے
یہودی حضرت جبرئیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اسی طرح رافضیوں کا
ایک فرقہ کہتا ہے کہ جبرئیل نے غلطی کی اور بجائے علی رضؓ کے محمد پر وحی
لے آئے، یہ کذاب و گستاخ ہیں اور پرلے درجہ کے جھوٹے ہیں
اللہ تعالٰی انہیں برباد کرے۔

مرجیہ مرجیہ کے فرقے بارہ ہیں جہمیہ، صالحیہ، سمریہ، یونسیہ
یونانیہ، نجاریہ، غیلانیہ۔ شبیبیہ، حنفیہ، معاذیہ، مریسیہ اور کرامیہ۔
وجہ تسمیہ مرجیہ کو مرجیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ کلمہ گو
انسان ایک بار لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے وہ جنتی ہے
جہنم میں کبھی نہیں جائے گا اگرچہ عمر بھر بڑے بڑے گناہوں میں

१९. **अहले बिदअत की पहेचान अब्दुल कादीर शाह जिलानी (रहे) की जबानी:**

अहले बिदअत की पहेचान ये है के वो एहले हदीस की गीबत करता हो (गुनयतुत तालीबीन, सफा-१४३)

२१. **शराब हलाल - हनफी फिकाह:** खजुर का रस और अंगुर का रस जब इस को पकाया जाए, इस को जोश देने के बाद अगर इस से नशा भी पैदा हो जाता है तो हलाल है। इसी तरहा से गंदुम (गेहु), जौ, शहेद और मकई की शराब अबु हनिफा के नजदीक हलाल है।

हदीस : हजरत आयशा (रजि) बयान करती है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) से शहेद से जो शराब बनाई जाती है इस के बारे में पुछा गया तो आप (ﷺ) ने फरमाया के **हर वो चिज जो नशा पैदा करती है हराम है।**

हदीस : अब्दुल्लाह बिन-उमर (रजि) से रिवायत है के, आप मिम्बर पर चढे और फरमाया जब कुरआन में अल्लाह तआला ने शराब की हुरमत नाजील की तो उस वक्त मदिने में ५ तरहा की शराब चलती थी, अंगुर, शहेद, खजुर, गंदुम और जौ।

२२. **ज़ानी औरत का बचाव - हनफी फिकाहः** हनफी किताब हिदाया में लिखा है के जब बच्चा या मजनु (पागल) औरत के साथ जो उस को दावत देती है, उस बच्चे और मजनु पर कोई हद नही (सजा नही) और उस औरत पर भी कोई हद नही है।

कुरआन : सुरे नुर (२४) की आयत नं.२ में अल्लाह तआला फरमाता है के गैर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करे तो उन की सजा १०० कोडे है।

२३. **चोरी करने का तरीका - हनफी फिकाहः (१)** हिदाया में लिखा है के, जब कोई किसी के घर में दाखील हो जाता है और वहा से माल चुरा लेता है और घर से बाहर खडा हुआ दुसरे शख्स को वो चोर माल देता है तो उन दोनो के हाथ नही काटे जाएंगे फिर वो माल कितनी भी मिलकीयत का क्यु ना हो। (पहेला चोर घर से बाहर नही गया और दुसरा चोर घर में दाखील नही हुआ इसलिए दोनो पर कोई हद नही है)

(२) हिदाया में है, कोई चोर घर में दाखील होने के बाद घर के माल समेट कर अपने गधे पर रखता और फिर उस गधे को हाक कर ले जाता है तब भी चोर हद नही लगाई जाएंगी।

(३) कोई चोर घर से बाहर बैठ कर अपने हाथ घर में दाखील कर के चोरी करता है तब भी उस के हाथ नही काटे जाऐंगे।

कुरआन : सुरे माएदा (५), आयत नं.३८ में अल्लाह तआला फरमाता है **जो मर्द या औरत चोर हो उन के हाथ काटो...** इसी तरहा बुखारी में हदीस है के कितनी मिकदार में चोरी की तो हाथ काटे जाएंगे।

२४. **मुशरीक हरम में दाखील हो सकता है - हनफी फिकाहः** हनफी फिका के मुताबीक कोई मुशरीक, काफीर (गैर-मुस्लीम) मस्जीदे हरम में दाखील होता है तो कोई हरज नही।

कुरआन : सुरे तौबा (९) की आयत नं.२८ में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है ऐ इमानवालो मुशरीक निरे नापाक है तो इस बरस के बाद वो मस्जीदे हरम में ना आने पाए।

२५. **सब के इमान बराबर है - हनफी फिकाहः** हनफी फिक के मुताबीक लोगो के इमान में कोई कमी ज्यादती नही होती।

कुरआन : सुरे तौबा (९) में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है वो लोग जो इमान वाले है उन के इमान ज्यादा होते है। इसी तरहा से सुरे अनफाल (८) की आयत नं.२ में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है के मोमीन वो है जब उन के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है और जब उन पर रब की आयत तिलावत की जाती है उन का इमान बढ जाता है।

२६. **सब के इमान बराबर है - हनफी फिकाहः** हनफी फिक के मुताबीक बच्चे को दुध पिलाने की मुद्दत ३० महिने यानी २.५ साल है।

कुरआन : दुध पिला चाहे लडका हो या लडकी शरीयत ने दुध पिलाने की मुद्दत २ साल रखी है। २ साल के उपर एक दिन भी दुध पिलाना गुनाह व हराम है। (Sure Baqra (२), Ayat-२३३)

२७. **सब के इमान बराबर है - हनफी फिकाहः** हनफी फिक के मुताबीक बदला सिर्फ तलवार से लिया जाएगा।

कुरआन : सुरे बकराह (२) आयत नं.१९४ में अल्लाह तआला फरमाता है के, जो तुम पर ज्यादती करे उस पर उतनी ही ज्यादती करो जितनी तुम पर की गई।

हदीस : एक यहुदी ने एक बच्ची का सर दो पत्थरो के बिच रख कर कुचल दिया, जब लडकी को पुछा गया के उस के साथ ये किस ने किया (कुछ नाम बताए गए) जब उस यहुदी का नाम ना आया उस लडकी ने इशारे से हा कहा। उस यहुदी को रसुलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया गया और आप (ﷺ) उस को पुछा तो उस ने गुनाह कबुल किया तो फिर उस को इसी तरहा कुचल कर मारा गया। (**सहीह** बुखारी-६८७६)

२८. **नापाकी जायज़ है - हनफी फिकाहः** हनफी फिक के मुताबीक एक दिरहम या इस से कम गंदगी जैसे खुन, पेशाब, शराब, पाखाना, मुर्गी का लिब, गधे का पेशाब वगैरा लग जाए तो जायज़ है और इस पर नमाज पढ सकते है और १ दिरहम से ज्यादा लगे तो नमाज जायज़ नही।

कुरआन : सुरे मुदस्सीर (७४) आयत नं.४ में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है के अपने कपडो को पाक रखो।

हदीस : एक औरत ने अल्लाह के रसुल (ﷺ) से पुछा के मेरे कपडे को अगर हैज का खुन लग जाए तो मै क्या करू? आप (ﷺ) ने फरमाया के उसे खुर्चो, पानी से धोओ और फिर नमाज पढो। (**सहीह** बुखारी-३०७)

हदीस : बुखारी की हदीस है के अल्लाह तआला बगैर पाकी के नमाज कबुल नही करता। बदन और कपडो की पाकी शर्त है।

२९. **पाकी हासील करने का नाजायज़ तरीका - हनफी फिकाहः** फतवा आलमगिरी हनफी फिक के मुताबीक अगर नजासत लग जाए तो उस नजासत को चाट लेना है यहा तक के उस का असर जाया हो जाता है और वो हिस्सा पाक हो जाता है।

कुरआन : सुरे अनफाल (८) की आयत नं.११ में अल्लाह तआला फरमाता है के आस्मान से तुम पे पानी नाजील हुआ के तुम्हे इस से सुतरा कर दे। इसी तरहा से सुरे माएदा (५), आयत नं.६ में अल्लाह तआला फरमाता है के, अगर तुम को पाकी हासील करने के लिए पानी ना मिले तो पाक मिट्‌टी से तयम्मुम करो। **तो यही दो तरीके हा पाकी हासील करने के। अबु हनिफा ने नया तरीका पाकी हासील करने का एजाद किया।**

३०. **नमाज का मसला - हनफी फिकाहः** सुरज तुलु होने से पहेले या सुरज गुरूब होने से पहेले अगर किसी ने अगर एक रकात भी पा ली ती भी ना फजर की नमाज होगी ना असर की।

हदीस : रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया के जब तुम में से कोई असर की नमाज की १ रकात सुरज डुबने से पहेले पा लो तो अपनी नमाज पुरी कर ले और जब फजर की नमाज की १ रकात सुरज तुलु होने से पहेले पा ले तो अपनी नमाज पुरी कर ले (**सहीह** बुखारी, बाब-१७, हदीस-५५६)

३१. कपडे को साडे ४ माशा पाखाना या कोई निजासत लगी हो तो हनफी मजहब में नमाज हो जाती है (दुररेमुख्तार, किताब अत-तहारा, बाब-अल मायाह, जिल्द नं.१, पेज -१५३)

३२. उंगली को पाखाना या कोई नजासत लगी हुई हो तो ३ दफा चाट लेने से पाक हो जाएगी (बहीश्ती जेवर, हिस्सा दुवम, निजासत के पाक करने का बयान, मसला-६, पेज-९८, हिदाया, किताब अत तहर, अल इंजाज़ व तथीराह,पेज ७४/१)

हदीस : अल्लाह तआला फरमाता है के, जो हाजत (पेशाब, पाखान, हवा का इखराज) करे तो बगैर वजु उस की नमाज कबुल नही की जाएगी। एक शख्स ने अबु हुरेरा से पुछा, हाजत क्या है? अबु हुरेरा ने जवाब दिया हाजत मतलब पिछे के हिस्से से हवा खारीज करना (**सहीह** बुखारी-१३५)। **जब हवा छोडने से नमाज कबुल नही होती तो नजासत से कैसे होगी?**

३३. जिस की बीवी सब से ज्यादा खुबसुरत होगी वही इमामत करेगी (नमाज पढाएगी) (दुररेमुख्तार, जिल्द-१, पेज-४१२)। **सवाल ये उठता है के कौन किसी के बीवी को कैसे चेक करेगा के वो खुबसुरत है या नही।**

इसी तरहा से मर्दो में वही इमामत करेगा जिस का सर बडा और उजु (penis) छोटा हो (दुररेमुख्तार, जिल्द-१, पेज-४१२, अत-तहातवी ने अपने ''हाशीयाह अला मराकी अल-फलाह'' में इस टॉपीक पर कहा है)

हदीस : हजरत अमर-बिन- सलमा (रजि) से मरवी है कीी मेरे वालीद ने अपनी कौम से कहा की मै तुम्हारे पास रसुल (ﷺ) की तरफ से हक लेकर आया हुँ, आप (ﷺ) ने फरमाया जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से कोई एक आज़ान कहे और इमामत ऐसा शख्स कराए जिसे कुरआन का इल्म ज्यादा हो, (अमर-बिन-सलमा) ने कहा मेरी कौम ने देखा की मेरे सिवाय कोई दुसरा मुझ से ज्यादा कुरआन का इल्म

नही रखता तो उन्हो ने मुझे आगे कर दिया उस वक्त मेरी उम्र ६ या ७ साल थी (**सहीह** बुखारी, हदीस-४३०२, अबु दाऊद-५८५, सुनन नसाई- २/९)

३४. अगर कोई औरत को जिना करने के लिए रकम अदा करे तो कोई हद नही (यानी सजा नही) (दुररेमुख्तार, किताब हुदुद, फतावा हानीयाह मिस्त्र, जिल्द-३, पेज-५०८)

३५. अगर वो (कोई शख्स) जिना (fornication) के लिए औरत को रकम देता है, अगर वो कहता है के मैं तुम को इतना इतना पैसे दुंगा या वो कहती है के मै इतना इतना लुंगी तो उन पर कोई हद (सजा) नही है। (फतवा आलमगिरी, जिल्द-२, पेज-१६८)

३६. अगर खलिफा या इमाम या राजा ज़िना करे तो कोई हद (सजा) नही है (दुररेमुख्तार, किताब हुदुद)
कुरआन : और बदकारी के पास ना जाओ बेशक वो बेहयाई है और बहोत ही बुरी राह (सुरे अल-इसरा (१७), आयत-३२)
कुरआन : जो औरत बदकार हो और जो मर्द तो इन में हर एक को १०० कोडे लगाओ और तुम्हे इन पर तरस ना आए अल्लाह के दिन में अगर तुम इमान लाते हो अल्लाह और पिछले दिन पर और चाहिए के इन की सजा के वक्त मसलमानो का एक गिरोह हाजीर हो (सुरे नुर (२४), आयत-२)
हदीस : यहुद नबी करीम (ﷺ) हुजुर में अपने हममजहब एक मर्द और औरत का जिन्हो ने ज़िना किया था मुकदमा ले कर आए, हुजुर (ﷺ) के हुकम से मस्जीद के नजदीक नमाजे जनाज़ा पढने की जगह के पास इन्हे संगसार कर दिया गया (मरने तक पत्थर मारा गया) (**सहीह** बुखारी-१३२९)।

३७. मर्द, औरत नंगे हो और इन की शर्मगाहे मिल जाए फिर भी वजु नही टुटता (दुररेमुख्तार, जिल्द-१, पेज-९६, आलमगिरी किताब अत-तहाराह, बाब नवाकीज ओ वजु १८/१)
हदीस : अगर शर्मगाह को हाथ लग जाए तो वजु टुट जाता है (मुवत इमाम मालीक, किताब-००२, हदीस-०६०)

३८. सलाम की जगह पाद मार कर नमाज खत्म की जाए तो नमाज सहीह है (हिदाया, किताब अस-सलाह, बाब- अलहदस फि अस सलाह, पेज-१३०, दुररेमुख्तार जिल्द-१, पेज-२४५)
हदीस : हुजुर (ﷺ) ने इरशाद फरमाया नमाज ऐसी पढो जिस तरहा तुम मुझे पढते देखते हो (**सहीह** बुखारी- हदीस-६०४)। **क्या नबी ने नऊजुबिल्लाह ऐसा किया है- अस्तगफिरुल्लाह।**

३९. बच्चे को गोद में उठा कर नमाज ना-जायज़ है मगर कुत्ते के बच्चे को उठा कर नमाज जायज़ है। (दुररेमुख्तार, किताब अत-तहारा, बाब अल मायाह, जिल्द-१, पेज-१५३)
हदीस : रसुलुल्लाह (ﷺ) फर्ज नमाज के लिए निकले, आप की नवासी उमामा आप को छोड नही रही थी। आप उमामा को गोद मे लेकर निकले। आप ने अल्लाहु अकबर कहा वो गोद में बैठी और आप ने कयाम किया, आप ने अल्लाहु अकबर कहा नवासी को बाजु मे रखा और रुकु किया, फिर आप ने दोनो सजदे किये, जब आप सजदे से उठे तो फिर वो आ कर चिपक गई, फिर आपने गोद में लिया और खडे हो कर नमाज पढी। (**सहीह** बुखारी, जिल्द-१, किताब-९, हदीस-४९५)

४०. ज़िंदा या मुर्दा जानवर मसलन गधी, घोडी, गाय, भैंस, भेड, बकरी या कम उम्र की लडकी से जमा (सेक्स) किया तो वजु नही टुटता (दुररेमुख्तार, पेज-८३)
हदीस : जब एक मर्द अपने औरत के चार हिस्से (बाहे और पैर) के बिच बैठता है और दोनो के हिस्से मिलते है तो गुस्ल वाजीब हो जाता है (**सहीह बुखारी, जिल्द-१, किताब-५, हदीस-२९०)**

४१. मर्द अपनी दुबर (पिछे के हिस्से में, पीठ में) या औरत अपनी शर्मगाह में (आगे के हिस्से में) किसी मुर्दे का आला तनासुल (penis) किसी जिंदा जानवर मसलन गधा, घोडा, कुत्ता वगैरा का आला तनासुल दाखील करे तो गुस्ल भर्ज नही होता (दुररेमुख्तार, किताब अत-तहारा, जिल्द-१, पेज-८३)
हदीस : जब एक मर्द अपने औरत के चार हिस्से (बाहे और पैर) के बिच बैठता है और दोनो के हिस्से मिलते है तो गुस्ल वाजीब हो जाता है (**सहीह बुखारी, जिल्द-१, किताब-५, हदीस-२९०)**

४२. अगर कोई औरत की शर्मगाह को देखता रहा और अनजाल हो गया तो रोजा फासीद नही (दुररेमुख्तार, किताब अत-तहारा, बाब-मा युफ्सीद अस-सुम व मला युसीद, पेज-५६३, फतवा आलमगिरी किताब सुवम)

कुरआन : मुसलमान मर्दो को हुकम दो अपनी निगाहे कुछ निची रखे और अपनी शर्मगाहो की हिफाजत करे ये इन के लिए बहोत सुथरा है बेशक अल्लाह को इन के कामो की खबर है, और मुसलमान औरतो को हुकम दो अपनी निगाहे कुछ निची रखे और अपनी पारसाई की हिफाजत करे और अपना बनाव ना दिखाए मगर जितना खुद ही जाहीर है और वो अपने दुपट्टे को अपने गिरेबानो पर डाले रहे........(सुरे नुर (२४, आयत-३०:३१)

४३. मरी हुई औरत से सोहबत की या नाबालीग से सोहबत की या जानवर, गधी, घोडी, बकरी वगैरा से सोहबत की तो रोजा फासीद नही होता, हाथ वगैरा से मनी निकाल ले तो रोजा फासीद नही होता (दुररेमुख्तार,किताब अस-सुवम, बाब- मा युफ्सीद अस-सुम व-मला युफ्सीद, जिल्द-१, पेज-५६७)

४४. अगर सोई हुई औरत या पागर औरत से कोई जमा (सेक्स) कर ले तो उस पर रोजा का कोई कफ्फारा (दंड) नही, अगर अगर औरत अपने शोहर की मनी हाथ से निकालने में इस की मदत करे तो रोजा फासीद नही होता (दुररेमुख्तार,किताब अस-सुवम, बाब- मा युफ्सीद अस-सुम व-मला युफ्सीद, ५६७/१)

हदीस: अबु हुरेरा (रजि) बयान करते है, एक शख्स आप (ﷺ) के पास आया और उस ने कहा के, ऐ अल्लाह के रसुल मै बर्बाद हो गया! आप (ﷺ) ने उस से पुछा के तुम क्यु बर्बाद हो गए? उस ने कहा के, ''मै ने रमजान के दिन के वक्त अपनी बिवी के साथ जमा (सेक्स) किया'' आप (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के क्या तुम एक गुलाम आजाद कर सकते हो। उस ने कहा ''नही''। फिर आप (ﷺ) ने पुछा के ''क्या तुम लगातार २ महिने रोजे रख सकते हो?''। उस ने कहा ''नही''। फिर आप (ﷺ) ने उस से पुछा के तुम ६० गरीबो को खुना खाना खिला सकते हो? उस ने कहा ''नही''....... (**सहीह** बुखारी-१९३६, **सहीह** मुस्लीम-११११)

४५. मगरीब की आजान के बाद फर्ज नमाज से पहेले सुन्नत नही पढना :

हदीस : मै उक्बा-बिन-आमिर अलजुहानी (रजि) के पास आया और अरज किया के आप को अब तमीम अब्दुल्लाह बिन मालीक पर ताज्जुब नही आया के वो मगरीब की नमाज फर्ज से पहेले २ रकात नफील पढते है। इस पर उक्बा ने फरमाया के हम भी रसुलुल्लाह (ﷺ) के जमाने में इसे पढते थे। मैं ने कहा फिर इस को छोड देने की क्या वजह है? इन्हो ने फरमाया के दुनिया के कारोबार की वजह से। (यानी बिजनेस की वजह से छोड दिया)। (**सहीह** बुखारी-११८४)

४६. जिना के डर से हाथ से मनी निकली तो रोजे पर कोई असर नही पडता (हिदाया, किताब अस-सुवम, बाब- मा युजुबकज़ा, २१९/१)

४७. नमाज में ठहर ठहर कर जुवे मारता रहे तो नमाज खराब नही होती (हानीतुल मुसली, पेज-१००)

४८. मर्द नमाज पढ रहा हो औरत बोसा ले ले तो नमाज फासीद नही होती (दुररेमुख्तार, पेज-२९३, फतवा आलमगिरी, पेज-१४३)

४९. दुबुर में (पिछे के हिस्से में) सोहबत (सेक्स) करने से हज खराब नही होता (फतवा काज़ीखान, पेज-१३७)

कुरआन : हज के कई महेने है जाने हुए तो जो इन मे हज की नियत करे तो ना औरत के सामने सोहबत का तजकीरा करो ना कोई गुनाह ना किसी से झगडा हज के वक्त तक और तुम जो भलाई करो अल्लाह इसे जानता है ....(सुरे बकरा (२), आयत-१९७)

५०. अगर नक्सीर फुट पडे तो पेशानी पर खुन या पेशाब से अल-हम्द शरीफ (सुरे फातेहा) लिखना जायज़ है। (शामी शरीफ, किताब अत-तहारा, बाब-अलीमयाह मतलब फी अतादावी, जिल्द-१, पेज-१५४, फतवा काज़ी खान नंबर हाशीया फतवा, ४०४/३)

५१. अगर कोई नमाज पढते वक्त कुरआन पकडे और इस में से पढे तो उस की नमाज फासीद होती है (दुररेमुख्तार, जिल्द-१, पेज-६४१)

५२. अगर अंगुर का जुस पकाने के बाद इस का २/३ और १/३ हिस्सा बच जाए, अगर ये स्ट्रँग भी होगा तो हलाल है। (हिदाया, किताब अशरीबाह)

५३. शराब पिने के बाद अगर शराब की बु चली जाए उस पर कोई हद (सजा) नही (फतवा आलमगिरी, किताब हुदुद, अबु हनिफा, अबु युसुफ)

५४. अगर शराबी शराब पिने के बाद उलटी कर दे तो उस पर कोई हद (सजा) नही। (फतवा आलमगिरी, किताब हुदुद)

५५. अगर शराबी कुछ ना बोल पाए तो उस पर कोई हद (सजा) नही अगर वो खुद कबुल भी कर दे तो (फतवा आलमगिरी, किताब हुदुद)

५६. चोर अगर ना बोल पाए तो कोई हद (सजा) नही है (दुररेमुख्तार, किताब सराकत)

५७. जिस ने घरा या लकडी चुराई तो उस पर कोई हद नही (शराह विकायाह, किताब सराकत)

५८. अगर वो मस्जीद का दरवाजा चुराए तो उस पर कोई हद (सजा) नही (शराह विकीयाह, किताब सराकत)

हदीस : आप (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मै उस के हाथ काट देता (**सहीह** बुखारी-३४७५)

५९. आप (ﷺ) अगर मिसवाक नही मिलता तो आप अपने दांतो पर उंगलीया रगड कर मिसवाक करते (हिदाया, पेज-६)

६०. आप (ﷺ) अपने सदके में से खाया करते थे (हिदाया, पेज-६२३)

६१. अगर नजासत जैसे खुन, पेशाब, पाखाना, गधे का पेशाब कपडे पर या जिस्म पर लग जाए तो नमाज काबिले कबुल है (हिदाया, पेज-७६)

६२. अगर कोई शख्स अरबी जानता है लेकीन इस के बावजुद वो नमाज में कुरआन नही पढता और अल्लाहु अकबर कहने की बजाए वो परशीयन जबान में अल्लाहु अकबर कहता है तो उस की नमाज काबिले कबुल है (हिदाया, बाब-नमाज का बयान)

६३. रुकु के बाद सिधा खडा होना जरुरी नही है (हिदाया, १/९९)

६४. अगर कोई शख्स सजदे में बगैर पेशानी जमीन पर रखे अपनी नाक जमीन पर रखता है या बगैर नाक जमीन पर रखे पेशानी जमीन पर रखता है तो भी उस की नमाज काबिले कबुल है (हिदाया- १/१००, नमाज का बाब)

६५. अगर कोई शख्स किसी वजह से तशाहुद के बाद बात करता है या हवा खारीज करता है तो भी उस की नमाज मुकम्मल हो जाएगी (हिदाया. १/११६)

६६. अगर एक मर्द को एक औरत के साथ रोजे में जमा (सेक्स) करना पडे तो उस को रोजा दोहराने की जरूरत नही है चाहे उस का अनजाल (**ejaculated**) हुआ हो या ना हुआ (हिदाया, १/२०१)

६७. अगर कोई अपने वालीद के गुलाम की बीवी से जमा करे या वीवी के गुलाम से और ये कहे के मै ने सोचा के ये मेरे लिए हलाल है तो उस पर कोई हज (सजा) नही।

६८. अगर शराबी शराब पिये और जब उस के मुंह से शराब की बु चली जाए और फिर एक गवाह सामने आ जाए जो उस के पिने की गवाही दे तो भी उस को इस अमल के लिए कोई सजा नही (हिदाया, २/५०५)

६९. अगर दिम्मी (यहुदी और नसरानी लोग जो इस्लामीक रियासतो में रहते है) जिज़याह देने से मना कर दे, या मुसलमान को मारे या हुजुर (ﷺ) की कसम खाए या मुसलमान औरत के साथ बदकारी करे तो उस के साथ दिम्मी होने का जो ॲग्रीमेंट हुआ है नही टुटेगा (हिदाया, २/५७५)

७०. मोजा सिने के लिए सुवर के बाल को इस्तेमाल करने की इजाज़त है (हिदाया, ३/३९, बाब-अल बे उल फासीद)

७१. अगर मुसलमान क्रिश्चन से शराब की खरीद और फरोख्त कराए तो ये इमान अबु हनीफा के नजदीक जायज़ है (हिदाया, फारुकी ३/४१, अल बे उल फासीद)

७२. जिन जानवरो का गोश्त खाना हराम है उन को अगर जुबाह किया जाए तो उन का गोश्त और चर्बी हलाल बन जाती है (तन्वीर अल अबसार - किताब उल ज़बीह, पेज-८६)

७३. अगर किसी को नमाज में कुत्ता उठाने पडे तो उस की नमाज नही टुटती (दुर उल मुख्तार १/१५३)

७४. अगर किसी को नमाज पढते वक्त बच्चा गोद में उठाना पडे तो ये ना-पसंदीदा अमल है (दुर उल मुख्तार, १/४७३)

७५. अगर किसी को नमाज पढते वक्त कुरआन पकडना पडे तो उस की नमाज कबुल के काबील नही (दुर उल मुख्तार, १/४६१)

७६. अगर हनफी फिक को मानने वाला शाफई बन जाए तो उस को सजा दी जाएगी (फतवा आलमगिरी, किताब हुदुद, बाब- फस्ल फी ताज़ीर)

७७. अगर कोई कुंवारी लडकी के साथ जमा (सेक्स) करे और पर्दा ना फटे तो गुस्ल वाजीब नही (दुरुल मुख्तार, किताब-तराहा मसाईल गुस्ल)

७८. अगर कोई एक औरत से निकाह करे और फिर उस की बहेन या माँ से भी निकाह करे तो कोई सजा नही (फतवा आलमगिरी)

७९. अगर कोई टेम्परवरी शादी करे और इस काम को वो हराम समझे तो कोई सजा नही (आलमगिरी)

८०. अशरफ अली थानवी लिखते है के अगर कोई अपने बीवी के माँ को ख्वाहीश से छुए तो उस की शादी टुट जाती है और वो औरत उस के लिए हराम हो जाती है (इमदादुल फतवा, जिल्द-२, पेज-३१०)

८१. किताब दुरुल मुख्तार या नबी (ﷺ) की जबान से लिखी गई है (मुकदमा दुरुल मुख्तार)

८२. ख्वाब में आप (ﷺ) ने ये किताब लिखने वाले के मुंह में अपनी ज़बान रखी और फिर इन्हो ने किताब लिखना शुरु की (मुकदमा दुरुल मुख्तार)

८३. किताब दुरुल मुख्तार की सनद नबी (ﷺ) से होते हुए अल्लाह तक जाती है (मुकदमा दुरुल मुख्तार)

८४. अल्लाह की उन पर लानत है जो अबु हनिफा का रद करते है (मुकदमा दुरुल मुख्तार)

८५. जब ईसा (अलैहिस्सलाम) वापस आएंगे तो वो हनफी मजहब की पैरवी करेंगे (मुकदमा दुरुल मुख्तार)

८६. खिज़्र ने अबु हनिफा से दिन की मालुमात हासील करने के लिए ३० साल गुजारे फिर अल-कुशायरी ३ साल में खिजर से पढे और उन्हो ने १००० से ज्यादा किताबे लिखी और उन्हे एक बक्से में बंद कर के समंदर में डाल दिया। ईसा (अलैहिस्सलाम) इन किताबो को निकालेंगे और उन पर अमल करेंगे (मुकदमा दुरुल मुख्तार)।

८७. किताब दुरुल मुख्तार के शुरू में जाली हदीस लिखी है के अबु हनिफा ये उम्मत के लिए चराग है।

८८. और भी बहोत सारे गंदे मसाईल है इसलिए उन को इस किताब में लिखा नही जा रहा है।

बरेलवी की ज़िंदगी में शिर्क, बिदआत, हिंदुआना और इसाई रसोमात की पैरवी

बरेलवी हजरात के कुछ अकिदे गलत है और इस्लाम से इन अकिदो का कोई तालुक नही है। बरेलवी हजरात के उन गलत अकिदो में से कुछ गलत अकिदे निचे दिए हुए है।

नं.	विषय	बरेलवी अकिदा (अहले सुन्नत-वल जमाअत का अकिदा)	इस्लामी कानुन (शरीयत)
१.	अमल	बरेलवी का जईफ और मनघडत हदीसो पर अमल है, इसी तरहा से बुजुर्गो के किस्से कहानीयो से दिलीले ली जाती है। हनफी फिक को कुरआन और हदीस पर तरजीह दी जाती है।	किसी भी मसले की दलील कुरआन, सुन्नत, इजमा और इज्तेहाद से ली जानी चाहिए।
२.	सनद	बरेलवी को हदीस की सनद से कोई मतलब नही। कोई भी घडी हुई हदीस सुना दे ये अमल करना शुरू कर देते है।	सनद का बहोत बडा किरदार है। सनद से ही पता चलता है के हदीस सहीह है, हसन है, जईफ है या घडी हुई (बनावटी) है। हमारा अमल सहीह हदीस पर होना चाहिए।
३.	शिर्क	बरेलवी अपने बडो की बात को और बुजुर्गो की बात को ही मानते है। मक्का के मुशरीको जैसा अमल बरेलवीयो का है	अल्लाह तआला अंबियाओ (नबीयो) को भी शिर्क करने की इजाज़त नही देता।
४.	बिदअत	बरेलवी के अकिदे के मुताबीक बिदअत दो तरहा की होती है, १) अच्छी बिदअत और २) बुरी बिदअत। अच्छी बिदअत से हमे सवाब मिलता है।	बिदअत का मतलब है इस्लाम मे कोई नया काम करना जो पहेले नही था। कई सहीह हदीसे आई है के हर नया काम बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है और गुमराही जहान्नम मे लेजाएगी। जब बिदअत गुमराही है तो इच्छी और बुरी कैसे हो गई?
५.	कुफ्र	बरेलवी को किसी ने सहीह हदीस बता दी तो नही मानता (कुफ्र करता है) और अपने बुजुर्गो की ही बात पर अडे रहता है।	अल्लाह की ज़ात, हक बात, कुरआन और हदीस का इंकार करने वाला काफीर है।
६.	नमाज	बरेलवी नमाज को हनफी तरीके से पढते है और नमाज के अरकान जईफ हदीस से साबीत है ।	नमाज पढने का सुन्नत तरीका सहीह हदीस में मौजुद है।
७.	वितर की नमाज	बरेलवी वितर की नमाज मे दुआ-ए-कुनुत से पहेले अल्लाहु अकबर कह कर हाथ उठाते है (वितर में रफा-इ-दैन करते है)।	वितर की नमाज का सुन्नत तरीका सहीह हदीस में मौजुद है। बरेल्वी हजरात वितर की नमाज मे रफा-इ-दैन करना बिदअत है, ये किसी सहीह या जईफ रिवायत से साबीत नही है।

नं.	विषय	बरेलवी अकिदा (अहले सुन्नत-वल जमाअत का अकिदा)	इस्लामी कानुन (शरीयत)
८.	सलातुल तस्बीह नमाज	बरेलवी हनफी तरीके से सलातुस तस्बीह नमाज की नमाज पढता है।	सलातुल तस्बीह नमाज का सुन्नत तरीका सहीह हदीस से साबीत है। इसलिए हनफी तरीके की और जईफ हदीस की कोई जरूरत नही है।
९.	कज़ाए उमरी नमाज	बरेलवी फर्ज नमाज को छोड देते है और बाद में कज़ाए उमरी की नमाज पढते है।	कज़ाए उमरी की जो हदीसे बरेलवी हजरात पेश करते है वो झुठी हदीसे है। सहीह हदीस ये है के "जो शख्स नमाज भुल गया तो तब उसे याद आये उसे उदा कर ले, इस का कफ्फारा (explanation) सिवाय इस की आदईगी के कुछ नही है" {sahi bukhari-mawakhitussalat hadees no.595+muslim-kitabul masjid hadees no.680} किसी मजबुरी के नाते जो नमाज रहे जाए उस को मजबुरी खतम होते ही जल्द अदा कर लिया जाए तो यही कफ्फारा है। लेहाजा कज़ाए उमरी बिदअत है।
१०.	कव्वाली नातेपाक	बरेलवी को कव्वाली और नातेपाक सुन्ना जरूरी है चाहे उस मे शिर्की अल्फाज हो या बॅण्ड बाजा।	कव्वाली मे बॅण्ड बाजा होता है इसलिए हराम। कव्वाली और नातेपाक में अगर शिर्की अल्फाज नही है तो सुन्ने में कोई मनाई नही है।
११.	इसाले सवाब	बरेलवी नमाज छोड कर हर इबादत को इसाले सवाब कर देते है। कोई भी शख्स किसी को इसाले सवाब कर देता है। मय्यत के इसाले सवाब के लिए ४० रोज किसी मर्द या औरत को खाना दिया जाता है।	नेक औलाद की दुआ और नेक काम उस का इसाले सवाब है। मय्यत ने खुद की जिंदगी मे सवाबे जारीया के काम किए वो उस का इसाले सवाब है। उस की औलाद छोड कर दिगर लोग उस के लिए दुआ कर सकते है, उस का कर्जा चुका सकते है, उस के मन्नत के रोजे रख सकते है, उस को सवाब मिलने की नियत से गरीबो को खाना खिला सकते है, उस को सवाब मिलने की नियत से माल खर्च कर सकते है। मय्यत को सवाब मिले इस नियत से गरीब को खाना खिलाना जायज़ है लेकीन इस के लिए ४० दिन खास कर लेना बिदअत है।
१२.	फातेहा	बरेलवी खैर व बरकत नियत से हर नया काम शुरू करने से पहेले फातेहाख्वानी करता है।	फातेहा नबी-ए-करीम (ﷺ) के सुन्नत से साबीत नही है। आप के बाद सहाबा, ताबयीन और तबे ताबयीन और चारो इमामो से भी साबीत नही है। लेहाजा ये बिदअत है। नेक औलाद के नेक आमाल का इसाले सवाब खुद ब खुद पहोचता है फातेहा देने की जरूरत नही है।

नं.	विषय	बरेलवी अकिदा (अहले सुन्नत-वल जमाअत का अकिदा)	इस्लामी कानुन (शरीयत)
१३.	नियाज	बरेलवी तिजा, दसवा, बिसवा, तिसवा, चालीसवा, बरसी, बडो की ईद, बारवी शरीफ, ग्यारवी शरीफ, वगैरा वगैरा बिदअते करते है	गरीबो को खाना खिलाने पर सवाब खुद-ब-खुद पहोचता है इस के लिए फातेहा देना बिदअत है। दुसरी बात। इसाले सवाब के लिए खास दिन मुकरर कर देना बिदअत है, जैसा के तिसरे दिन (तिजा), चालिसवे दिन (चालिसवा)। किसी काम के लिए खास दिन मुकर्रर करना इसलिए बिदअत है क्युं के ये खास दिन नबी (सलल्लुह अलैहि व-सल्लम) और हमारे सलफ सालेहिन से साबीत नही है।
१४.	कुरआनख्वानी	नया घर लेने पर, कोई भी नया काम शुरू करने पर, नयी दुकान लेने पर, किसी के मरने पर बरेलवी कुरआनख्वानी करता है। मदरसो के बच्चे, यतीम खाने के बच्चे, पडोसी, रिश्तेदार, दोस्तो को जमा कर के कुरआन ख्वानी करवाई जाती है।	कुरआन पढने का सवाब सिर्फ उस को मिलता है जो कुरआन पढता है। कुरआन का सवाब किसी दुसरे को जा नही सकता। दुसरी बात ये है के, कुरआन ख्वानी करने अल्लाह के रसुल (ﷺ) की सन्नत से, सहाबा, ताबयीन और तबे-ताबयीन के तरीके से और चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से साबीत नही है। इसलिए मजलीस में ये अमल बिदअत है।
१५.	आयते करीमा	बरेलवी आयते करीमा की मजलीस बुलाता है और लोगो से पढवाता है	आयते करीमा अकोले में पढने मे कोई बुराई नही है। लेकीन कोई लोगो का एक साथ मिलकर पढना अल्लाह के रसुल (ﷺ) की सन्नत से, सहाबा, ताबयीन और तबे-ताबयीन के अमल से और चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से साबीत नही है। इसलिए मजलीस मे ये अमल बिदअत है।
१६.	शबे मेअराज	बरेलवी २७ रज्जब को शबे मेअजराज मनाता है और रात में इबादत की जाती है।	शबे मेअराज हक है लेकीन शबे मेअराज किस दिन, किस महिने हुए थी आज तक कोई आलीमे दिन बता नही पाया। मान लो के बरेलवी अकिदे के मुताबीक शबे मेअराज २७ रज्जब को हुई थी तो इस का मतलब ये नही है के हम इबादत के लिए बैठ जाए। शबे मेअराज की रात इबादात करना अल्लाह के रसुल (ﷺ) की सन्नत से, सहाबा, ताबयीन और तबे-ताबयीन के तरीके से और चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से साबीत नही है और हमें शबे मेअराज में इबादत करने का अल्लाह ने हुकूम नही दिया, लेहाजा ये बिदअत है।
१७.	शबे बारात	बरेलवी शबे बारात की रात मनाता है। मरे हुए लोगो के लिए खाना पका कर इसाले सवाब किया जाता है।	कुरआन मे जिस रात की बात की गई है वो शबे बारात नही बल्के शबे कद्र है। और शबे बारात की जो फजीलते बयान की जाती है वो सब जईफ हदीसे है।

नं.	विषय	बरेलवी अकिदा (अहले सुन्नत-वल जमाअत का अकिदा)	इस्लामी कानुन (शरीयत)
१८.	आशुरे की नमाज़	बरेलवी १० मोहर्रम (आशुरे) के दिन नमाज़ पढता है और ये मानता है के ये नमाज १ साल का बिमा है, यानी अगले साल तक उस को मौत नही आएगी	आशुरे की नमाज किसी भी सहीह हदीस से साबीत नही है। आशुरे की नमाज पढने वाली हदीस मनघडत है। आशुरे का रोज़ा रखना हदीस से साबीत है।
१९.	ईदे मिलाद	बरेलवी ईदे मिलाद को ईद के तौर पर मनाता है। खुद को रसुल के आशीक कहते है इसलिए ईदे मिलाद मनाते है।	ईदे मिलाद नबी-ए-करीम (ﷺ) के सुन्नत से साबीत नही है। आप के बाद सहाबा, ताबयीन और तबे ताबयीन और चारो इमामो से भी साबीत नही है। किसी ने भी ईदे मिलाद नही मनाई। लेहाजा ये बिदअत है। क्या बरेलवी हजरात हुजुर (ﷺ) सहाबा से ज्यादा आशीके रसुल है और सहाबा से ज्यादा नेक हो गए है?
२०.	हाजीर व नाजीर	बरेलवी हुजुर (ﷺ) को हाजीर व नाजीर मानते है।	अंबिया इकराम (नबी) फौत होने पर इस दुनिया से बेखबर होते है।
२१.	जन्नत	बरेलवी हजरात का मान्ना है के नबी (ﷺ) जन्नत के मालीक है।	जन्नत का मालीक अल्लाह है और नबी (ﷺ) जन्नत की तरफ बुलाने वाले है। बरेलवीयो का अकिदा कुरआन और सुन्नत से साबीत नही है।
२२.	आजान से पहेले दुरूद	बरेलवी आजान से पहेले दुरूद शरीफ पढता है।	आजान और इकामत से पहेले दुरूद शरीफ पढना साबीत नही है। हजरत बिलाल (रजि) ने कब आजान से पहेले दुरूद शरीफ पढा था? सही तरीका ये है के आजान के वक्त मोअजन का जवाब दिया जाएगा, आजान के बाद दुरुद शरीफ पढा जाएगा और दुआ की जाएगी।
२३.	बिछडते वक्त अल्लाह हाफीज कहना	बरेलवी बिछडते वक्त सलाम नही कहता बल्के सलाम की जगह पर अल्लाह हाफीज या खुदा हाफीज कहता है।	इस्लाम मे जब दो शख्स मिलते है या बिछडते है तो **अस्सलामु अलैकुम** कहने का हुकम दिया है शरीयत ने। लेकीन **अस्सलामु अलैकुम** की बजाए आम तौर पर **अल्लाह हाफीज या खुदा हाफीज** का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम के पहेले या बाद में कोई भी दुआ कह सकते है, ये साबीत है। अल्लाह हाफीज भी दुआ है जिस का मतलब ये है के अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। लेकीन सलाम को दुआ से बदल देना दुरूस्त नही है। बहेतर ये होगा के सलाम से पहेले या बाद मे दुआ कहे।
२४.	नबी पर एक साथ सलाम	बरेलवी मस्जीद मे या कही भी एक साथ सलाम पढते है और ये **खास** दिन **खास** मौके पर और **खास** नमाज के बाद ही पढा जाता है।	सलातु सलाम पढना मना नही है लेकीन एक साथ पढना साबीत नही है और सलातु सलाम को **खास करना (यानी वक्त मुकर्रर करना)** भी बिदअत है।

नं.	विषय	बरेलवी अकिदा (अहले सुन्नत-वल जमाअत का अकिदा)	इस्लामी कानुन (शरीयत)
२५.	नबी जिंदा है	बरेलवी का अकिदा है के, नबी (ﷺ) जिंदा है। नबी कबर में इंसानी जिंदगी जी रहे है।	नबी (ﷺ) जिंदा है लेकीन जन्नत में और आप की जिंदगी इंसानी नही बल्के बरज़खी है।
२६.	वली जिंदा है	बरेलवी का अकिदा है के, वली अपनी कबर में ज़िंदा है	अल्लाह तआला फरमाता है के हर इंसान को मौत का मजा चखना है। कुरआन और सहीह हदीसे कही नही लिखा है के वली अपनी कबर में जिंदा है। इसी तरहा से चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से भी ये अकिदा साबीत नही है।
२७.	मय्यत	बरेलवी का अकिदा है के, मरे हुए इंसान वापस आते है	मय्यत अपनी बरजखी जिंदगी (कबर वाली जिंदगी) में है वो वापस नही आ सकती। बरजख का मतलब होता है आड (पर्दा)।
२८.	इद्दत	बरेलवी रसम के मुताबीक इद्दत के दिन खतम हो जाने के बाद उस औरत को उस के रिश्तेदार दावत देते है, अपने घर ले जाते है और उसे नये कपडे और मानपान देते है।	ये रसम बहोत बडी बिदअत है। मौत के बाद जो भी दावते दी जाती है सब के सब बिदअत है क्युं के ऐसी तमाम दावते साबीत नही है।
२९.	इल्मे गैब	बरेलवी का अकिदा है के, नबी (ﷺ) को इल्मे गैब है। आप को पुरा इल्मे गैब है। आप से कोई चिज छुपी नही है।	नबी (ﷺ) को इल्मे गैब था लेकीन उतना ही जितना आप को अल्लाह ने बताया और जितनी जरूरत थी।
३०.	वसीला	बरेलवी दुआ के लिए वसीला लगता है और कहता है के, दुआ डायरेक्ट कबुल नही होती, मरे हुए नेक बुजुर्ग का वसीला जरुरी है, हर काम वसीले से ही होता है।	शरीयत ने अल्लाह के नाम और अपने नेक आमाल (काम) के वसीले से मांगने की इजाज़त दी है। और अगर कोई नेक इंसान जिंदा है तो उस से दुआ करवा सकते है लेकीन नेक लोग जो मर चुके हो उन का वसीला लगाकर दुआ मांगना गलत है। कुरआन और हदीस मे ऐसा कही नही लिखा है के डायरेक्ट दुआ कबुल नही होती और वसीला जरूरी है।
३१.	मदत मांगना	बरेलवी बात-बात पर बुजुर्गो से मदत मांगता है। वजन उठाना हो, गाडी को धक्का मारना हो, गाडी को किक मार कर चालु करना हो, दुख हो सुख हो या कोई भी काम हो।	जो चिज अल्लाह के हाथ में है वो चिज़ बुजुर्गो से मांगना शिर्क है। जो चिज बंदे के हाथ में है उसे मांगना शिर्क नही है। पुकार लगा कर मदत मांगना शिर्क है। जैसे या अली मदत, या गौस अल-मदत वगैरा। इतनी बडी हस्तीयो को इतने मामुली काम के लिए पुकारना बहोत बुरी बात है। ये पुकार वो हस्तीया सुन नही सकते, ऐसी पुकार सुन्ना अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत में गैरुल्लाह को शामील करने शिर्क है।

नं.	विषय	बरेलवी अकिदा (अहले सुन्नत-वल जमाअत का अकिदा)	इस्लामी कानुन (शरीयत)
३२.	तवाफ	बरेलवी मजारो का तवाफ करते	तवाफ सिर्फ काबा शरीफ का होता है
३३.	उर्स	बरेलवी दरगाहो का उर्स बडे धुम धाम से मनाता है।	क्या सहाबा इकराम, ताबयीन और तबे-ताबयीन के मजारात पर कभी उर्स मनाया गया? उर्स नाम की कोई चिज़ इस्लाम से तालुक नही रखती। ये बहोत बडी बिदअत है और इस मे किये जाने वाले सब काम गैरइस्लामी है
३४.	पक्की कबर	बरेलवी औलियाओ और बुजुर्गो की कबर को पक्का बनाते है।	क्या सहाबा इकराम, ताबयीन और तबे-ताबयीन की कबरे पक्की है। क्या वलीयो का दर्जा सब से उपर है? क्या वलीयो के लिए इस्लाम के अलग कानुन है? अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने पक्की कबरो को तोडने का हुकम दिया था।
३५.	कबर चुमना	बरेलवी बुजुर्गो की कबर को चुमता है।	कबर को हाथ लगाना और बोसा देना बिल्कुल जायज नही है
३६.	कबर में अहदनामा	बरेलवी कबर में अहदनामा रखता है	कबर में कोई चिज रखने की इजाजत नही है। अहदनामा एक दुआ है जो कुरआन और हदीस से साबीत नही है। ये दुआ मनघडत है।
३७.	कबर पर मशरुब डालना	बरेलवी कबर पर सब्जा, फुल और पानी डालता है ताके मुर्दे को सवाब मिले, और उसे कब्र का अज़ाब ना हो।	इन चिजो से मुर्दे को सवाब नही मिलता ना ही इस से कब्र के अज़ाब से राहत मिलती है और ये साबीत नही है। बलकी ये जिचे करना बिदअत है।
३८.	कबर पर गुंबद	बरेलवी वलीयो के मजारात पर बडी बडी इमारते (गुंबद) बनाते है	अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने कबर पर इमारत बनाने से मना फरमाया है, ये सहीह हदीस से साबीत है। और आप के मजारे मुबारक पर जो गुंबद है वो किसी सहाबी, ताबयीन और तबे-ताबयीन ने नही बनाया, ये गुंबद ७ वी सदी मे एक बिदअती बादशाह ने बनाया था।
३९.	कबर पर दिया	बरेलवी वलीयो के मजारात के पास दिया लगाते है और लोग सवाब की नियत से उस मे तेल डालते है और तेल को शिफा के तौर पर इस्तेमाल करते है।	अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने कबर पर दिया लगाने से मना फरमाया है, ये सहीह हदीस से साबीत है।
४०.	कबर पर आजान	बरेलवी मय्यत को दफन करने के कबर पर आजान देता है ताके शैतान भाग जाए और सवाल जवाब आसान हो जाए और मुर्दा कबर में नमाज पढे।	कबर पर आजान देना रसुलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत, सहाबा, ताबयीन और तबे ताबयीन के अमल से और चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से साबीत नही है। ये बिदअत है। कबर के सवाल जवाब उस को देना आसान होते है जिस ने दुनिया में अपना अकिदा दुरूस्त रखा था और शिर्क बिदअत और खुराफात से बचा था और अल्लाह और अल्लाह के रसुल के हुक्म मानता रहा।

नं.	विषय	बरेलवी अकिदा (अहले सुन्नत-वल जमाअत का अकिदा)	इस्लामी कानुन (शरीयत)
४१.	कबर	बरेलवी मय्यत को दफनाने के बाद मय्यत के सिरहाने बैठ कर शहादत की उंगली रख कर सुरे-बकरा की पहिली आयत पढता है और पैर के पास बैठ कर सुरे बकरा की आखरी आयत पढता है ताके शैतान कबर मे ना आए।	कोई सहीह हदीस नही मिलती के शैतान कबर मे आता है। और ये अमल अल्लाह के रसुल (ﷺ) की सन्नत से, सहाबा, ताबयीन और तबे-ताबयीन के तरीके से साबीत नही है। इसलिए ये अमल बिदअत है।
४२.	मन्नत	बरेलवी औलीया को चौकटो पर नाडे बांध कर मन्नत मांगता है	अल्लाह से ही मन्नत मांगी जानी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी और से (गैरुल्लाह) से मन्नत मांगना शिर्क है।
४३.	कुरआन पढना	बरेलवी का अकिदा है के, कुरआन पढने वाला गुमराह होता है। आम इंसान कुरआन को नही समझ सकता	कुरआन मे अल्लाह तआला बार बार फरमा रहा है के कुरआन लोगो के लिए हिदायत है। कुरआन और सहीह हदीस अल्लाह की रस्सी है। जो इस को मजबुती से पकडेगा कभी गुमराह नही होगा। कुरआन का तरजुमा और तफसीर हर जबान में मिलती है।
४४.	अंगुठे चुमना	बरेलवी का अकिदा है के, अंगुठे चुमना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।	अंगुठे चुमने वाली हदीस सही नही है। ये अमल सहाबा इकराम, ताबयीन और तबे-ताबयीन के अमल से और चारो उलेमा (हनफी, शाफई, मालीकी और हंबली) से साबीत नही है।
४५.	नुरी बशर	बरेलवी का अकिदा है के, नबी (ﷺ) नुर है इंसान नही है। आप अल्लाह के नुर से बने हुए है।	कुरआन और सहीह हदीस बार बार गवाही दे रहे है के नबी (ﷺ) इंसान थे और अल्लाह के रसुल है। और खुद नबी (ﷺ) भी अल्लाह के कहने पर लोगो को बता रहे है के वो बशर (इंसान) है। नबी को अल्लाह के नुर से बना हुआ मानन शिर्क है और ये तौहीद के खिलाफ है।
४६.	मन्नत	बरेलवी के यहा वलीयो से मन्नत मांगने का रिवाज आम है	अल्लाह के अलावा किसी और से मन्नत मांगना शिर्क है।
४७.	मंगल सुत्र	बरेलवी के लिए मंगल सुत्र पहेन्ना कोई बुरी बात नही है	मंगल सुत्र का मतलब है के ये काला तागा (धागा) मेरे शोहर की हिफाजत करेगा। लेहाजा इस नियत से मंगल सुत्र पहेन्ना के ये मेरे शोहर की हिफाजत करेगा ये शिर्क है।
४८.	सालगिरा	बरेलवी के लिए सालगिरा मनाना जायज़ है।	सालगिरा मनाना ये गैरइस्लामी है और नाजायज़ है। बर्थडे मनाने में बहोत सारे खुराफात और बिदअते इजाद होते है। ये तरीका रोम के लोगो से इसाई लोगोने लिया हुआ है और ये तरीका गैरकौम का तरीका है। हमारे लिए क्या बहेतर है! गैर कौम का तरीका या नबी (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) और सहाबा इकराम का तरीका?

नं.	विषय	बरेलवी अकिदा (अहले सुन्नत-वल जमाअत का अकिदा)	इस्लामी कानुन (शरीयत)
४९.	नमाज की नियत	बरेलवी नमाज की नियत जबान से करता है। जबान से कहना अफजल है।	जबान से नियत करना साबीत नही है और नियत दिल का इरादा है। जो चिज साबीत नही है वो अफज़ल कैसे हो सकती है?
५०.	हलाला	बरेलवी के लिए हलाला एक कॉन्ट्रॅक्ट है जिस के तहत एक पराए मर्द को कहा जाता है के ये एक रात के लिए तेरी दुल्हन, तु एक रात इस के साथ गुजार फिर दुसरे दिन तलाक दे दे। इस के बदले तुझे पैसे मिलेंगे।	मर्द के साथ कॉन्ट्रॅक्ट नही कर सकते। शादी के बाद उस मर्द की मर्जी पर है के वो तलाक देगा या नही देगा। तलाक दिलवाने के लिए उस से जबरदस्ती नही की जा सकती या कोई लालच नही दिया जा सकता। वो जब तक जिंदा है ये औरत उस की बीवी रहेगी। उस के मरने के बाद वो औरत पहेले शोहर से निकाह कर सकती है। या अगर उन दोनो मे किसी वजह से तलाक हो जाए तो वो औरत अपने पहेले शोहर से निकाह कर सकती है।
५१.	मौत का गम	बरेलवी मौत का गम पुरा १ साल मनाता है। ईद के मौके पर नए कपडे नही लिए जाते और लोगो के डर से कोई भी खुशी वाला काम नही किया जाता।	मौत का गम मनाने की मुद्दत सिर्फ ३ दिन है सिवाय उस औरत के जिस के शोहर का इंतेकाल हुआ हो। उस औरत की इद्दत ४ महिने १० दिन है। यानी सिर्फ उस औरत को ४ महिने १० दिन गम मनाना है। हम ने लोगो से नही अल्लाह से डरना चाहिए।
५२.	फिरके	७३ मे से एक फिरका जन्नत में जाएगा और वो हम है ये सोच कर बरेलवी फिरके में बटना पसंद करते है और दुसरे फिरको के मस्जीदो मे जाना नापसंद करते है।	कुरआन मे अल्लाह तआला फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबुती से थांब लो और फिरको में मत बटो। हदीस शरीफ है के ७३ मे से एक ही फिरका जन्नत मे जाएगा जो अल्लाह के रसुल और सहाबा के तरीके पर होगा। मालुम हुआ के वही जन्नत मे जाएगा जो अल्लाह के रसुल की बात मानेगा और सहाबा के तरीके पर चलेगा। कुरआन और सहीह हदीस मालुम होना जरूरी है, इस्लाम की तारीम जरूरी है। अगर ये चिज नही मालुम होगी तो जाहीर सी बात है के अपने भटके हुए उलमा और बुजुर्गो की अंधाधुंद पैरवी कर के जहान्नम के रास्ते पर निकल पडेगा।
५३.	दुआ मे वसीला	बरेलवी दुआ मांगने से पहेले और आखरी मे वसीले के तौर पर दुरूद शरीफ पढता है ताके दुआ कबुल हो।	दुआ मांगने का तरीका सहीह हदीस से साबीत है के, दुआ मे सब से पहेले अल्लाह की हमद व सना (अल्लाह की तारीफ) बयान की जाए जैसे अल्हमद का सुरा पढा जाए या कुलहुवल्लाहु आहद पढा जाए। फिर रसुलुल्लाह (ﷺ) पर दुरूद व सलाम भेजा जाए। इस के बाद जो चाहे मांगे। इस तरीके से मांगी जाने वाली दुआ ही कबुल होती है।
५४.	फर्ज नमाज के बाद इज्तेमाई दुआ	बरेलवी के यहा फर्ज नमाज पढने के बाद इज्तेमाई दुआ की जाती है	फर्ज नमाज के बाद इज्तेमाई दुआ करना ये सुन्नत से साबीत नही है इसलिए ये बिदअत है। इज्तेमाई दुआ साबीत करने के लिए जईफ हदीस भी नही मिलती।

नं.	विषय	बरेलवी अकिदा (अहले सुन्नत-वल जमाअत का अकिदा)	इस्लामी कानुन (शरीयत)
५५.	कबर के सवाल	बरेलवी सोचता है के, कबर मे ३ सवालात है।	कबर में ३ सवालात के बाद एक और सवाल होता है जो उलेमा हम से छुपाते है। और ये सवाल सहीह बुखारी और सहीह मुस्लीम से साबीत है। वो सवाल ये है के "तु ने तिने सवालो के सही जवाब दिए, तु ने कैसे जवाब दिए"। मुर्दा कहता है के, "मै ने कुरआन पढा था, कुरआन की तस्दीक की थी और कुरआन पर इमान लाया था"। सोचिए के कुरआन को समझ कर पढना कितना जरूरी है।
५६.	निफास	बरेलवी के यहा बच्चा पैदा होने के बाद औरत को चालीस दिन नापाक समझा जाता है और उसे खाना पकाने से और नमाज रोजे से और इबादात से दुर रखा जाता है।	बच्चा पैदा होने के बाद औरत से खुन जाता है। वो खुन जिस दिन भी बंद हो जाए, चाहे दो दिन में बंद हो या पंधरा दिन में, औरत एक दिन इंतेजार करे के खुन आएगा या नही, खुन नही आया तो अगले दिन गुस्ल कर ले वो पाक हो गई और नमाज, रोजे व इबादात शुरू कर दे।
५७.	दुआ	बरेलवी फर्ज नमाज के बाद इज्तेमाई दुआ करते है।	इज्तेमाई दुआ की दलील मे दी जाने वाली सभी रिवायते जईफ है। नमाज के बाद इज्तेमाई दुआ करना सुन्नत से साबीत नही है, ये एक रसम बन चुकी है और ये बिदअत है। हमे नमाज के बाद मसनुन अजकार करने चाहिए जो के सुन्नत से साबीत है।
५८.	अजमेर की जियारत	बरेलवी का अकिदा है के, जिस ने अजमेर के दरगाह की ७ बार जियारत की उस को एक हज का सवाब मिलेगा।	शरीयत में मस्जीदे हरम, मस्जीदे नबवी और मस्जीदे अकसा की जियारत का सवाब आता है, इन के अलावा किसी भी मकाम की जियारत का कोई सवाब नही है।
५९.	पिर का तसव्वुर	बरेलवी हर वक्त पिर का तसव्वुर करते है यहा तक के पिर उन्हे नमाज में भी नजर आता है।	बंदे ने हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और अल्लाह की इबादत मे किसी की शरीक नही करना चाहिए।
६०.	१६ सय्यद के रोजे	बरेलवी की औरते १६ सय्यद के रोजे कोई भी मन्नत के तौर पर रखती है।	१६ सय्यद के रोजे साबीत नही है और ये मनघडत कहानीया है।
६१.	१० बिबियो की कहानी	बरेलवी की औरते १० बीबीयो की कहानी सुनती है।	१० बिबियो की कहानी साबीत नही है और ये मनघडत कहानी है।

बरेलवी के जिंदगी में शियाओ के तरीके

- कुंडे की ईद मनाना
- मोहरम महिने को गम का महिना समझना।
- मोहरम मे ताजीये बनाना
- मोहरम मे मातम करना, नोहा करना
- मोहरम मे शादी ना करना

बरेलवी के जिंदगी में हिंदु अकिदो की पैरवी

- बरेलवी सतवासा करता है
- बरेलवी बच्चे की पैदाईश के छटे दिन छटी मनाता है (हिंदु इस रस्सम को छटी पुजा कहते है)
- बरेलवी बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए काला टिका लगाता है (शिर्क) और उस की हिफाजत के लिए उस के गले में नाडा बांधता है (शिर्क)
- बरेलवी मजार पर जा कर मामु के हाथ से बाल मुंढवाता है (हिंदु मे इस रसम को बाल मुंढन कहते है)
- बरेलवी का बच्चा पहेली बार रोजा रखता है तो उस का फोटो अखबार में छपवाकर बली के बकरे की तरहा उस के गले मे फुलो की माला डाल कर उसे सजाता है।
- जब ये बच्चा बडा हो जाता है तो उस की शादी में हिंदुवाना रसोमात किये जाते है (जैसे हल्दी फोडना, रज्जगा, पाच या तीन औरतो और मर्दो ने दुल्हा या दुल्हन को नहेलाना, ५ सुहागनो को खाना खिलाना, तेल चढाना, दुल्हे की हिफाजत के लिए उस के हाथ में कटीयार थमाना, लाल कपडे मे हल्दी के चावल रख कर उस के उपर चौकी रखना और दुल्हा दुल्हन को चौकी पर बिठाना, वगैरा वगैरा)। डी.जे. लगाकर नाचता है, झुम बराबर झुम बरेलवी।
- फिर जब बच्चे की तमन्ना होती है तो मजार पे जा कर बच्चा मांगता है (शिर्क)
- जब अल्लाह उन को बच्चा दे कर नवाजता है तो कहते है के बाबा का करम हो गया, चलो बाबा को चादर चढाने जाते है।
- बरेलवी के मरने के बाद उस के घर वाले उस के नाम से तिजा, चालीसवा, बरसी वगैरा बिदअते करते रहते है। इसी तरहा से मरे हुए के लिए उस के पसंद के फल, मिठाईया वगैरा ला कर रखते है ताके उस की रुह आए और उन चिजो को हाथ लगाए। (ये तमाम हिंदुओ की रसोमात है)
- बरेलवी सफर शुरू करने से पहेले हिफाजत के लिए गाडी के चक्के के निचे नारीयल, लिंबु या अंडा रख कर उस के उपर से गाडी चलाकर जाता है।
- बरेलवी औरते हैज (period) के दौरान तिसरे दिन और पाचवे दिन गुस्ल करती है।
- बरेलवी के घर मे किसी की मौत होने के बाद तिन दिनो तक चुल्हा नही जलता। एक साल तक मौत का गम मनाता है और कोई नया काम नही करता।
- बरेलवी मजार को पानी, अत्तर और दुध से गुस्ल देता है और लोगो उस दुध और पानी को तबर्रुक के तौर ले जाते है और पिते है
- बरेलवी दरगाह को चलते चलते सलाम करता है, या उंगली चुमता है जिस तरहा हिंदु मंदीर को देखकर करते है।
- बरेलवी दरगाह पर शादी का कार्ड रखता है जिस तरहा हिंदु मंदीरो में शादी के कार्ड रखते है।
- हिंदु नाडे बांधकर मन्नत मांगते है तो बरेलवी मजारात पर नाडे बांध कर मन्नत मांगते है।
- बरेलवी पतंग उडाता है।
- हिंदु नये घर मे जाने से पहेले वास्तु शांती करता है और बरेलवी कुरआनख्वानी करता है।
- जिस तरहा हिंदु मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते में बडा दरवाजा बना कर मंदीर का नाम दरवाजे पर लिखते है वैसे बरेलवी भी दरगाह से कुछ दुरी पर बडा दरवाजा रास्ते पर बना कर पिर का नाम दरवाजे पर लिखते है।
- मंदिरो के पास फुल, शिरनी, अगरबत्ती और नारीयल के दुकाने होती है उसी तरहा से बरेलवीयो के मजारात के पास भी फुल, शिरनी, अगरबत्ती और नारीयल की दुकाने होती है।
- हिंदु देवताओ के आगे सजदा करता है और बरेलवी मजार पर सजदा करता है।

- हिंदु देवताओ के सामने हाथ जोड कर खडा होता है और बरेलवी हाथ फैलाए दुआ करता है।
- हिंदु के मंदिरो के उपर कलश (कळस) होता है इसी तरहा से दरगाह के गुंबद के उपर भी कलश होता है।
- हिंदु मन्नत पुरी होने पर कंदुरी करता है और बरेलवी भी कंदुरी करता है।
- हिंदु कहता है 'चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है' और बरेलवी कहता है के 'चलो बुलावा आया है ख्वाजा ने बुलाया है'।
- हिंदु के देवताओ की गिनती नही है इसी तरहा से बरेलवी के मुशकीलकुशा (मजारात) की भी गिनती नही है।
- हिंदु अपने देवी देवताओ के इख्तीयारात की बात करता है और बरेलवी वलीयो की ताकत का शुमार करता है।
- हिंदु जय बजरंग बली नारा लगाते है तो बरेलवी 'या अली तोड दुशमन की नली' नारा लगाते है।
- हिंदु के देवता अवतार लेते है तो बरेलवी ने भी आप (ﷺ) को अल्लाह का नुर समझ लिया है।
- हिंदु भजन गा कर देवताओ की तारीफे करते है और बरेलवी कव्वाली गा कर पिरो की तारीफ करते है।
- हिंदु बुधवा मंगल मनाते है तो बरेलवी आखरी बुध मनाते है।
- हिंदु जन्म अष्टमी मनाते है तो बरेलवी आप (ﷺ) की मिलाद मनाते है।
- हिंदु खिचडी खाते है तो बरेलवी खिचडा खाते है।
- हिंदु सत्यनारायण कथा सुनता है तो बरेलवी १० बीबीयो की कहानी सुनता है।
- हिंदु की नशानी ओम है तो बरेलवी की नशानी ७८६ है।
- हिंदु औरते साडी और मंगलसुत्र पहेनती है तो बरेलवी औरते भी यही पहेनती है।
- हिंदु का दुल्हा सेहरा पहेनता है तो बरेलवी भी सहेरा पहेनता है।
- हिंदु चार धाम की यात्रा करता है तो बरेलवी मजारो की बस यात्रा करता है।
- बरेलवी हिंदु की तरहा दुकान और घरो में बरकत आने के लिए सुबाह और शाम के वक्त अगरबत्ती लगाकर फिराते है।

बरेलवी के जिंदगी में इसाईयो अकिदो की पैरवी

- इसाई कहते है के, हजरत इसा (अलैहिस्सलाम) मुख्तारे कुल है (Bible Chapter 18 ayt 18)
  बरेलवी भी कहता है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) मुख्तारे कुल है
- इसाई कहता है के, हजरत इसा (अलैहिस्सलाम) हाजीर व नाजीर है। (Bible chapter 18 ayt 2बरेलवी भी कहता है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) हाजीर व नाजीर है
- इसाई कहता है के, हजरत इसा (अलैहिस्सलाम) अल्लाह के बेटे है (यानी अल्लाह के जुज़)।
  बरेलवी भी कहता है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह तआला के नुर से पैदा हुए है (यानी अल्लाह के जुज़)
- इसाई कहता है के, हजरत इसा (अलैहिस्सलाम) अल्लाह तआला के राज जानते है। (Bible Ch2 Ayt 10)
  बरेलवी भी कहता है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) को इल्मे-गैब है।
- इसाई कहता है के, हजरत इसा (अलैहिस्सलाम) ना होते तो ये कायनात ना होती।
  बरेलवी भी कहता है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ना होते तो कायनात ना होती।
- इसाई हजरत इसा (अलैहिस्सलाम) का जन्म दिन (क्रिसमस) केक काट कर मनाते है और क्रिस्मस ट्री (पेड पर लाईटींग) लगाते है।
  बरेलवी रसुलुल्लाह (ﷺ) का मिलाद (जन्म दिन) केक काट कर मनाते है और लाईटींग करते है।

हजरत उमर (रजि) से रिवायत है के, नबी (ﷺ) ने फरमाया ''मुझे हद से मत बढाओ जैसा के इसा-इब्ने-मरियम को इसाईयो ने हद से बढा दिया''। (सहीह बुखारी और सहीह मुस्लीम)

ये कुछ ही लिखी गई है। इस के अलावा और भी बहोत कुछ है। ये देख कर पता चलता है के, **हम अहले-सुन्नत कहेलाने के लायक नही बल्के अहले-बिदअत कहलाने के लायक है।**
नोट : इन बाते सो बरेलवीयो का दिल दुखाना नही था बल्की इस्लाह कराना था।
हम इतनी बिदअते, शिर्क और हिंदु अकिदो की पैरवी करते है और खुद को आशीके रसुल भी कहते है और जन्नत मे जाने का दावा भी करते है, तो ये कैसे मुमकीन है? क्या ये चिजे रसुलुल्लाह (ﷺ) की मोहब्बत साबीत करती है? सच्ची मोहब्बत वो होती है जो अल्लाह के रसुल की हर बात को याद कर ले और अपने अमल में लाए। अल्लाह के रसुल की बाते (हदीसे) तो हमे पता नही, हम ने सिखी नही और किसी ने सिखाया भी नही। हदीस की क्वालिटी जैसे सहीह, हसन, जईफ और मौजु हदीस के बारे हमे कुछ पता नही है। हदीस को जिस से परखा जाता है उसे सनद कहते है, हमे सनद क्या होती है पता नही है, हम ने तो ये नाम भी कभी सुना नही। हदीस का इल्म ना होने की वजह से हम किसी भी मनघडत हदीस को मान लेते है और ला-इल्मी की वजह से अल्लाह के रसुल को और अल्लाह के वलीयो को अल्लाह के दर्जे पर ले जा कर शिर्क कर देते है। इल्म नही होने की वजह से हमे ये भी समझ में नही आता के जो बे-सनद और मनघडत हदीस और बुजुर्गो के किस्से बताए जा रहे है वो कुरआन और हदीस से टकराते है। हम यही सोच कर जिते है के हमारे मौलवी हम से ज्यादा इल्म वाले है, क्या वो पागल है, सही गलत का अंदाजा उन्हे बिल्कुल नही है। अगर ऐसी बात होती तो बरेलवी आलीम, देवबंदी आलीम को बुरा ना कहता और देवबंदी आलीम, बरेलवी को बुरा ना कहता। गुमराह आलीमो के चक्कर मे पडोगे और उन के पिछे अंधा यकीन रख कर चलोगे तो सिधा जहन्नम मे जाना पडेगा। आलीमो की डिग्री और हुलीये पर ना जाओ, उस का अकिदा देखो, वो सहीह हदीस और कुरआन से बात करता है या मनघडत हदीसे सुनाता है ये देखो। और ये सब कुछ देखने के लिए हम को खुद को इल्म सिखना जरूरी है, कुरआन और सहीह हदीस की किताबे पढना जरूरी है, अपने मसलो का हल सहीह हदीस और कुरआन में ही ढुंढना जरूरी है।
हमारी कम इल्मी की वजह एक ये भी है के हम को कुरआन समझ कर पढने से रोका जा रहा है और मस्जीदो में और इजतेमाओ मे सिर्फ जईफ और मनघडत हदीसे बता कर और बुजुर्गो के मनघडत शिर्की किस्से कहानिया सुना कर लोगो के इमान बर्बाद किये जा रहे है। लोगो को अल्लाह की तरफ आने की दावत ना दे कर बुजुर्गो के पास जाने की दावत दी जा रही है, अल्लाह के रसुल और सहाबा के अखलाक पर चलने की दावत ना दे कर बुजुर्गो के अखलाक पर चलने की दावत दी जा रही है जो के अल्लाह के वली है या नही ये तो अल्लाह ही जानता है। अगर इल्म वाला शख्स सहीह हदीस या कुरआन से इन मुल्लाओ की गलती बताए तो उसे कह देते है के वो फला फिरके का है, हमारे मुल्ला बेवकुफ है क्या, तुम गुस्ताखे रसुल हो इसलिए हम तुम्हारी बात नही सुनते... आज ये हालत हो चुकी है हमारी के हम कुरआन और हदीस की बात भी सुन्ना नही चाहते। अगर कही खाना बट रहा है तो ये नही देखेंगे के ये खाना कौन खिला रहा है, बस बटोरने का काम करेंगे। दिन के मामले मे अगर कोई हदीस और कुरआन का इल्म बांट रहा है तो लेना पसंद नही करेंगे क्युंके वो फला फिरके का है। फिरको में बटने से और कुरआन और सहीह हदीस को छोडने की वजह से हम कमजोर हो चुके है और हर तरहा से पिटे जा रहे है..... अगर मुसलमान फिरके बनाना छोड दे और कुरआन और सहीह हदीस पर लौट जाए तो फिर से मुसलमान वैसा ही सब से आगे निकल जाएगा जैसा के वो पहेले के दौर मे सब से आगे था।

गुस्ल का तरीका

गुस्ल की नियत :

(नियत से मुराद दिल में पक्का इरादा कर लेना है, मुंह से बोलने की जरूरत नही है)

गुस्ल का तरीका :

१. शुरू में दोनो हाथ कलाई तक ३ मरतबा अच्छी तरहा धोऐं। फिर शर्मगाह और उसके आस-पास के हिस्सों को धोऐं चाहे वहा गंदगी लगी हो या ना हो। फिर बदन पर जहा नजासत (गंदगी) लगी हो तो उसे धोकर दुर करें।

१. फिर वज़ु करें। (वजु करना जरूरी नही है)

२. फिर बदन पर तेल की तरहा पानी छुपडे। फिर ३ मरतबा दाहिने (सिधे) कांधे पर पानी बहाईये फिर बायें (उलटे) कांधे पर ३ मरतबा पानी बहाईयें। फिर सर और तमाम बदन पर ३ मरतबा पानी बहाए और जिस्म मलते जाए इस तरहा की जिस्म का कोई हिस्सा बाल बराबर भी सुखा ना रहें। जिस्म के हर हिस्से में पानी पहोचना जरूरी है। अगर अंगुठी है तो अंगुठी घुमाकर पानी पोहोंचाए । औरते अपनी कान की बाली, नाक की नथनी को घुमाकर पानी पोहोंचाए। गुस्ल के दौरान साबुन इस्तेमाल करने मे कोई हरज नही हैं।

गुस्ल के बारें में जरूरी हिदायतें :

१. गुस्ल करते वक्त कोई कलाम या दुआ न पढें और किबला रुख ना हो और पीठ भी किबले की तरफ ना हो।
२. अकसर लोग पानी गरम है या ठंडा ये चेक करने के लिए हाथ या उंगली डाल देते है। जिस बरतन के पानी से गुस्ल किया जाए उस मे बेधुला हुआ हाथ या उंगली ना डाले वरना वो पानी आपके गुस्ल या वज़ु के लायक नही रहा, वो पानी नापाक हो जाता है। अब अगर पानी मे हाथ डालने के बाद आप को याद आया के पानी तो नापाक (मुस्तामल) हो गया है तब आप उस पानी को फीर से वज़ु या गुस्ल के लायक बना सकते है, उसका तरीका ये है के आप नल को खोल दे या दुसरा पाक पानी उस बरत मे डाले इसतरहा के पानी बहेने लगे। लेहाजा बहेता हुआ पानी हमेशा पाक होता है। दुसरा तरीका ये है के, अगर नापाक पानी और पाक पानी एक साथ मिला दिया जाए तब अगर पाक पानी ज़्यादा मिकदार मे हो तो पुरा पानी पाक हो जाऐगा। और अगर नापाक पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो पुरा पानी नापाक होगा।
३. गुस्ल मे तीन फर्ज होते हैं - अ) अच्छी तरहा कुल्ली करना । ब) नाक में पानी डालना (नाक की नरम हड्डी तक पानी पोहोंचाना) । क) पुरे बदन पे पानी बहाना ताकी जिस्म का कोई हिस्सा सुखा ना रहे। इन में से एक भी फर्ज छुटता है तो गुस्ल नही होगा।
४. गुस्ल करते वक्त वज़ु की हो तो नमाज़ पढने के लिए दोबारा वज़ु करने की जरूरत नही (अगर शर्मगाह को डायरेक्ट हाथ लगाया या हवा खारीज की या वज़ु तोडने वाला कोई अमल किया तो वज़ु खत्म हो जाऐगी)।
५. तन्हाई में नंगे होकर गुस्ल जायज़ है लेकीन इस में भी पर्दा अफजल है।
६. गुस्ल में जरूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना इसराफ (फुजुल खर्ची) है।
७. गुस्ल पांच सुरतों में फर्ज होता है। (जुमा, एहतेलाम, हैज व निफास, कबुल-ए-इस्लाम और मौत)
८. **सहीह मुस्लीम (किताब-३, हदीस-६६)** की हदीस है, हजरत उम्मे सलमा (रजि) से रिवायत है के **जनाबत का गुस्ल (हमबिस्तरी के बाद का गुस्ल)** करते वक्त अगर औरत के बाल बंधे है तो उसे खोलने की जरूरत नही। उसे चाहिए के अपनी उंगलीयो को पानी से गिली करे और बालो की जडो तक पानी पहोंचाए। बालो की जडो तक पानी पहोचना जरूरी होता है, बाल सुखे भी रह गए तो कोई हरज नही. अगर सर के बाल धोए बगैर सर की जिल्द (चमडी) को धोना मुमकीन ना हो तो सर के बाल धोना वाजीब है। इसी तरहा से **हैज का गुस्ल** करते वक्त औरत को बाल खोल के गुस्ल करना जरूरी है।

वज़ु का तरीका

१. नमाज, तवाफ और कुरआन को हाथ लगाने के लिए वजु करना वाजीब है
२. **वज़ु की दुआ : "बिस्मील्लाही वल-हमदु लिल्लाही अता वद्दाऊ लिरफईल हदस"**
यु तो वज़ु की दुआऐं बहोत सारी है। आपको जो आती हो पढ लें।
३. दुआ के बाद अपने दोनों हाथों को कलाई तक धो लें। अगर आप कोई अंगुठी पहेने हैं तो अंगुठी को हरकत देकर अंगुठी के निचे पानी पहोंचाए ताकी अंगुठे के निचे का हिस्सा सुखा ना रहे जाए।
४. ३ मरतबा कुल्ली करें। (गरारे के साथ कुल्ली करना सुन्नत है)
५. ३ मरतबा नाक में पानी चढाए और उसके बाद अपने बाए (उलटे) हाथ की छोटी उंगली को नाक में पहेले दाए (सिधी) तरफ फिर बाए (उलटी) तरफ डालकर सांफ करें।
६. ३ मरतबा चेहरा धोए - चेहरा इस तरहा धोए के पेशानी के बालों से लेकर ढुडी तक और एक कान की लौ से लेकर दुसरे कान की लौ तक गिला हो जाऐ।

७. ३ मरतबा अपने दोनों हाथों को कोहनी समेत धोए। पहेले सिधा हाथ फिर बाया हाथ धोए। हाथ पर एक मरतबा पानी बहाए और अपने हाथ को अच्छी तरहा मले और फिर २ मरतबा पानी बहाए। इस तरहा दोनों हाथ धोए।

८. सर का मसा करना - पहेले अपने हाथेलियों मे पानी ले ले और अपने दोनो हथेलीयों को ३ हिस्सो में बाट ले। (पहेला हिस्सा - छोटी उंगली, अंगुठी वाली अंगली और बीच वाली उंगली) (दुसरा हिस्सा - शहादत की उंगली) (तिसरा हिस्सा - अंगुठा) ।

दोनो हाथेलियों की **पहेले हिस्से** को उंगलीयों के सरो (end ko) को आपस में मिला लें। पेशानी पर पहेला हिस्सा रखे (जहा से बाल शुरू होते है) वहा से पिछे तक मल ले और वापस पेशानी तक लेकर आए। इस के बाद **दुसरा हिस्सा** यांनी शहादत की उंगलीयां अपने कानों में डालकर कानो के अंदर साफ करें। फिर **तिसरा हिस्सा** यानी अंगुठो से अपने कानों के पिछे ३ बार मसा करें । (मसा करते वक्त हाथो को चुमना और गर्दन पर मसा करना साबीत नही है)

९. फिर दोनो पैर धोए (पहेले सिधा पैर फिर बाया पैर)। अपने बाए (उलटे) हाथ से पैरो को धोए, सिधा हाथ पानी डालने के लिए इस्तेमाल करे। उंगलीयों का खिलाल इस तरहा करे के उंगलीयो के बीच पानी पोहोच जाऐ। पैरों की एडीया और तलवो तक पानी पहोंचाना जरूरी है वरना वज़ु नही होगा।

किन चिज़ो से वज़ु टुटता है?

१. पाखाना या पेशाब करने से वजु टुटता है।
२. पेशाब और पाखाने के के रास्ते से कुछ भी निकलने से वजु टुटता है।
३. लेट कर गहरी निंद लेने से वजु टुटता है।
४. हवा खारीज करने से वजु टुटता है।
५. हैज और निफास से वजु टुटता है।
६. मनी, मधी, मजी निकलने से (मनी निकलने से गुस्ल टुट जाता है) वजु टुटता है।
७. जिस्मानी तालुकात करने से वजु टुटता है।
८. जिस्म से नजासत खारीज होने से वजु टुटता है।
९. अपनी शर्मगाह (शर्मगाह में अगला और पिछला हिस्सा दोनो शामील है) को बगैर कपडे की आड से हाथ लगाने से वजु नही टुटता (अगर हाथ और शर्मगाह के बिच में कपडा इस्तेमाल किया जाए तो वज़ु नही टुटता)
१०. बेहोश होने से वजु टुटता है।
११. दुखती आँख से निकलने वाला पानी (आँखो की बिमारी की वजह से निकलने वाला पानी) पानी अगर बहेता है तो ही वज़ु टुटेगा ।
१२. उंट का गोश्त खाने से वजु टुटता है।

किन चिज़ो से वज़ु नही टुटता है?

१. खाने से, पिने से वज़ु नही टुटता।
२. **शक** आ जाए के मेरा वज़ु है या नही (यकीन हो तो वज़ु टुटता है), शक से वज़ु नही टुटता।
३. मस्जीद मे बैठे बैठे आँख लगने से यानी हल्की उंघ से वजु नही टुटता बल्के गहरी निंद में सोने के बाद वजु टुटता है।
४. छोटे बच्चे के शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ु नही टुटता।
५. आँखो से आंसु निकलने से वजु नही टुटता।
६. बदन पर नजासत (गंदगी) लग जाने से (गंदगी लगने पर नजासत को धो डालें)
७. अपनी बीवी या शोहर को बरेहना (नंगा) देखने से वजु नही टुटता।

८. औरतो को आम हालत में बार बार सफेद पानी जाने से (लिकोरीया (Likoria) का मरज कहते है) (अगर एहतियातन वज़ु किया जाऐ तो बहेतर है । इसतरहा बार बार जाने वाला पानी पाक होता है, इस से कपडे नापाक नही होते, लेहाजा इन कपडो पे नमाज़ पढी जा सकती है)
९. बीवी को चुमने (kiss) से वजु नही टुटता।
१०. हंसने से वजु नही टुटता।
११. उलटी करने से (कोई हदीस से साबीत नही) वजु नही टुटता।
१२. बच्चे का डायपर बदलने से वजु नही टुटता।
१३. बरहना (नंगा) होने से वजु नही टुटता।
१४. खुद की शर्मगाह दिखने से या दुसरे की शर्मगाह देखने से वजु नही टुटता
१५. आईना देखने से वजु नही टुटता।
१६. किसी बच्चे को बरहना (नंगा) देखने से वजु नही टुटता।
१७. किसी इंसान को बरहना (नंगा) देखने से वजु नही टुटता।
१८. फहेश (porn) देखने से वज़ु नही टुटता। लेकीन मज़ी अगर निकल आए तो वजु टुटता है।
१९. कपडे बदलने से वजु नही टुटता।
२०. हुक्का, बिडी, सिगरेट, पान से (नमाज़ के लिऐ मुंह की बदबु दुर करना जरूरी है, अगर मुंह से बदबु आती है तो नमाज़ मकरूह हो जाऐगी)
२१. कान मे से मैल निकालने से वजु नही टुटता।
२२. बच्चे को दुध पिलाने से वजु नही टुटता।
२३. नकली दांत लगाने से वजु नही टुटता।
२४. गाली देने से वजु नही टुटता।
२५. सुवर का नाम लेने से वजु नही टुटता।
२६. बदन से खुन निकलने से या बहेने से वजु नही टुटता।

उलेमाओ के जरीए की गई नमाज़ की दर्जाबंदी

१. **सुन्नते मौअक्कदा :** वो सुन्नत नमाज़ जो हुजूर सलल्लाहुअलैहिवसल्लम हमेशा पढा करते थे. जिस का छोडना गुनाह है और सज़ा के काबील है। अगर कोई खास वजह हो तब ही यह नमाज़ छोड सकते है। इसका छोडना अगर आदत बन जाए तो गुनाहगार होगा।
२. **सुन्नते गैरेमौअक्कदा :** सुन्नत नमाज़ जो हुजूर सलल्लाहुअलैहिवसल्लम कभी पढ लिया करते थे तो कभी छोड दिया करते थे । इसका छोडना गुनाह नही है लेकीन पढे तो इनाम-व-इकराम से नवाजे जाए। इसका छोडना पसंद नही किया गया।
३. **फर्ज :** पढना जरूरी है । फर्ज छोडने पर गुनाहगार होगा।
४. **वाजीब :** पढना जरूरी है । वाजीब छोडने पर गुनाहगार होगा।
५. **नफील :** पढना जरूरी नही । नही पढे तो कोई गुनाह नही । अगर पढे तो सवाब मिलेगा।

मर्दो की नमाज़ का जईफ हदीस से तरीका (हनफी तरीका)

१. नमाज़ के लिऐ खडे हों तो पैर बिलकुल सिधे किबला रुख होने चाहिए (पैर तेढे या अँगल मे ना हो) ।
२. दोन पैरो के दरमियान चार इंगलियों का फासला रखना जरूरी है। औरतें भी चार उंगलीयों का फासला रखें (ये सुन्नत तरीका हैं)।
३. **नमाज़ की नियत :** जबान से नमाज की नियत करे। फिर **अल्लाहु अकबर** कहेते हुऐ दोनो हाथ कानो की लौ तक उठाए **(इसे रफा-इ-दैन कहते है)**। फिर नाफ (बेंबी) के निचे बाए (उलटे हाथ की) हथेली रखे और उस के उपर सिधे हाथ की हथेली रख कर हाथ बांध लें।

४. तकबीर के वक्त हथेलीया सिधी हो (काबा की तरफ हो), सर को ना झुकाए और हाथ इतना उंचा उठाऐ ताके अंगुठे कान की लौ के सिध में (साथ में) हो जाऐ (अगर अंगुठे कान की लौ को छु जाए तो ज़्यादा बहेतर है)। उंगलीया ना ज़्यादा मिली हो ना बहोत ज़्यादा खुली हो। उंगलीया और हथेलियों का रुख काबातुल्लाह की तरफ होना चाहिऐ।

५. हाथ कैसे बांधे? - सिधे हाथ की हथेली उलटे हाथ की हथेली के पिठ पर इसतरहा रखे की शहादत की उंगली, बीच की उंगली और अंगुठीवाली इंगली उलटे हाथ के कलाई पर रहे और अंगुठा और छोटी उंगली कलाई को पकड ले।

६. हाथ बांधने के बाद सना पढे "सुब्हानकल्ला हुम्मा व बेहमदिका व तबारकसमुका व तआला जद्‌दुका व ला इलाहा गैरूका" फिर "औजुबिल्लाही मिनशशैता निर्रजीम बिस्मिल्ला हिररहेमानिर्रहीम" पढे।

७. अगर जमात के साथ नमाज़ पढ रहे हो तो सिर्फ सना पढ कर खामोश हो जाए, कोई सुरा ना पढे। अगर जमात के साथ नमाज़ नही पढ रहे हो तो सुरे फातेहा (अल्हमद का सुरा) के बाद कम अज़ कम एक सुरा जरुर पढे।

८. जिस जगह पर सजदा करेंगे उस जगह पर नज़र रहे। अल्हमद के बाद धिमी आवाज में "आमीन" कहेना सुन्नत है।

९. फिर अल्लाहु अकबर कहेते हुऐ रुकू में झुक जाऐं। रुकू में ३ या ५ या ७ मरतबा "सुब्हाना रब्बीयल अजीम" पढे और फिर "समिअल्लाहु लेमन हमिदाह" कहेते हुऐ खडे हो जाऐ। अगर जमात में नमाज़ पढ रहे हो तो सिर्फ "रब्बना लकल हम्द" कहेते हुऐ खडे हो जाऐ। (रूकू करते वक्त हाथ सिधे होने चाहिए। पिठ सिधी हो और सर भी कमर के सिध में हो। दोनों हाथो की उंगलीयों को अच्छी तरहा फैलाऐ औरे घुटनो को पकड ले। रुकू के दौराम निगाह पैर की पुश्त (पिठ) पर या पैर के अंगुठे पर होनी चाहिऐ) । (इब्ने मसुद (रजि) से रिवायत है के, मै आप को बताता हुँ के नबी किस तरहा नमाज पढा करते थे और उन्हो ने सिर्फ नमाज शुरू करते वक्त ही रफायादैन (तकबीर) कही (सुनन तिरमीजी, हदीस २५७)**- ये हदीस जईफ है।**

१०. फिर अल्लाहु अकबर कहेते हुऐ सजदे में चले जाए। पहेले नाक फिर पेशानी जमीन से लगाऐ। सजदे में ३ या ५ या ७ मरतबा "सुब्हाना रब्बीयल आला" कहे । सजदा करते वक्त दोनो पाव उंगलीयो के बल खडे रखे (उंगलीयो को मोडना शर्त नही है)। और हाथो की कलाई जमीन पर बिछी ना हो जिस तरहा कुत्ता कलाई को बिछाऐ बैठता है)। फिर अल्लाहु अकबर कहेते हुऐ सजदे से उठे। फिर दुसरा सजदा करें। सजदा करते वक्त नाक की नोक पर निगाह रखे। मर्द को फैलकर सजदा करने का हुकूम है। अगर जमात मे नमाज़ पढ रहे हो तो दुसरे भाई को तकलीफ ना हो इसलिए सिमट कर भी सजदा कर सकते है।

११. दुसरा सजदा करने के बाद दोबारा खडे हो जाऐ। अब एक रकात पुरी हो गई। अब इसी तरहा दुसरी रकात पढे । मगर किरत की शुरूआत सुरे फातेहा (अल्हमद शरीफ) से की जाए। सना सिर्फ पहेली रकात में पढी जाती है, बाकी के हर रकात सुरे फातेहा से शुरू किए जाए।

१२. दुसरी रकात में दोनो सजदे करने के बाद बैठ जाए (दुसरी और चौथी रकात में बैठने को "तशाहहुद" में बैठना कहेते है और तशाहहुद में जब बैठे हो तो नज़र मांडीयो पर रखे) और अत्तहियात पढे और "अशहदु अल ला ईलाहा" पर अपने सिधे हाथ की शहादत की उंगली को उठाऐ और "इलल्ललाहु" पर उंगली निची करे और हाथ को खुल दे (मुठी बनाकर ना रखे) और तिसरी रकात के लिऐ खडे हो जाए और हाथ बांधे। फिर सुरे फातेह और कोई एक सुरा पढ कर रुकू और सुजूद (सजदे) करके चौथी रकात के लिए खडे हो जाऐं।

१३. फिर सुरे फातेह और कोई एक सुरा पढ कर रुकू और सुजूद (सजदे) करके चौथी रकात में बैठ जाऐ। अब बैठकर अत्तहियात, दुरूदे इब्राहीम और दुआ-ए-मासुरा पढने के बाद सलाम फेरे।

१४. "अस्सलामु अलैकुम व रहेमतुल्लाह" कहेते हुऐ पहेले सिधे कांधे की तरफ सर को घुमाऐ और याद रहे नज़र सिर्फ कांधे की तरफ रहे और फिर "अस्सलामु अलैकुम व रहेमतुल्लाह" कहेते हुऐ बाए कांधे की तरफ सर घुमाऐ। इसी तरहा से बाये तरफ सलाम करे। इस तरहा आप की ४ रकात नमाज़ पुरी हुई।
नोट : तशहुद में उंगली उठा कर रखना हनफी फिक से भी साबीत नही है।

औरतो की नमाज़ का जईफ हदीस से तरीका (हनफी तरीका)

१. औरते सिधे हाथ की हथेली को बाए हाथ की पिठ पर रख दे दोनो बाजु खुब मिले रहे और दोनो पैर भी मिला दें। औरतें तकबीरे तेहरिमा के वक्त अपने दोनो हाथ सिर्फ कांधो तक उठाने चाहिऐ। हाथ दुपट्टे से बाहर ना निकाले।
२. सिने के निचे हाथ बांधे। बाए (उलटे) हाथ के हथेली को सिने के निचे रख कर उस की पिठ पर दाए हाथ (सिधा हाथ) की हथेली रखें।
३. रुकु में सिर्फ इतना झुके की हाथ घुटनों तक पोहोंच जाऐ। अपना सर पिठ से उंचा उठाऐ रखें। हाथों पर टेक ना लगाऐ यानी हाथो पर वजन ना दे। हाथों को घुटनों पर सिर्फ रखे, घुटनो को मजुबती से ना पकडे। हाथों की उंगलीयां ना फैलाए बल्की उंगलीयो को मिला हुआ रखें।
४. जब नमाज़ में बैठे तो दोनो पैर सिधी तरफ निकाल दें और दोनों हाथो को रानो (मांडी) पर रख दें। और उंगलीयां खुब मिलाकर रखें।
५. अपनी टांगे झुकी हुई रखे । मर्दो की तरहा सिधा ना रखें।
६. सिमट कर सजदा करें, बाजु को (हाथो को) करवट से, पेट को मांडी से, मांडीयो को पिंडलीयों से और पिंडलीयों को जमीन से मिला दें।
७. सजदा करते वक्त कलाईयां और कोहनीया जमीन पर बिछाऐं रखे।
८. औरते नमाज़ मे पतले (transparent) कपडे इस्तेमाल ना करे। औरत की जिल्द (चमडी, skin) का रंग नज़र नही आना चाहिए वरना नमाज़ नही होगी।

नमाज पढने का सुन्नत तरीका (सहीह हदीस से साबीत)
मर्द और औरत के लिए

अल्लाह तआला के महेबुब, हमारे निहायत ही शफीक आका, इमामे आजम, इमामे कायनात, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामु व खातमुल अंबिया वल मुर्सलीन, शफिउल मुज्नबीन, रहेमतुल लिल आलमीन, सय्यिदना मुहम्मदुर रसुलुल्लाह (ﷺ) की मुकम्मल नमाज का तरीका निचे दिया हुआ है।

जैद ताबी (रहे) का बयान है के सय्यिदना हुजैफा बिन यौमान (रजि) ने एक शख्स को देखा जो नमाज का रुकू और सजदा मुकम्मल नही अदा कर रहा था (यानी सुन्नत के तरीके पर नही कर रहा था) तो रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया "तु ने नमाज पढी ही नही और अगर तु इसी तरहा पढता रहा तो उसी तरीके पर न मरेगा जो अल्लाह ने मुहम्मद (ﷺ) के सिखाया है" (सहीह बुखारी:७९१)

१. रसुलुल्लाह (ﷺ) अपनी नमाज तकबीर **अल्लाहु अकबर** कह कर शुरू फरमाते और दोनो हाथ कन्धों तक उठातें (यानि रफा-इ-दैन करते) (सहीह बुखारी:७३५, सहीह मुस्लीम:८६१)

रफा-इ-दैन

नोट : तकबीर कहते वक्त चेहरा काबे की तरफ करे और हथेलीया भी।

नोट : रसुलुल्लाह (ﷺ) से नमाज के शुरूवात में होथो से कानो का पकडना या छुना साबित नही। मगर कानो के बराबर हाथ उठाना (यानि रफा-इ-दैन करना) जरूर साबीत है। (सहीह मुस्लीम:८६५)

नोटी : नमाज़ की नियत : नियत दिल के इरादे को कहते है *(मुंह से नियत पढना बिदअत है। दिल में ये नियत होनी चाहिए के मै फला नमाज पढ रहा हुँ, मिसाल के तौर पर - ज़ोहर की फर्ज नमाज या सुन्नत नमाज। मुंह से नियत पढ कर अल्लाह को तफसील देने की जरूर नही है, अल्लाह सब जानता है। ज़बान से नियत पढना किसी नबी (ﷺ) , साहबा और चौरो इमाम से साबीत नही है। नमाज की नियत तो उसी वक्त हो जाती है जब इंसान आजान सुन कर घर से मस्जीद की तरफ चल पडता है, जिस की बिना पर उसे हर कदम पर नेकी मिलती है)*

२. रसुलुल्लाह (ﷺ) के मुबारक जमाने में आप (ﷺ) की तरफ से लोगो को इस बात का हुक्म दिया जाता था कि वो (कियाम) नमाज में दाया हाथ बाए जिराआ पर रखे और खुद आप (ﷺ) भी नमाज में अपना दाया हाथ अपनी बाए हथेली, कलाई, और साआद पर रखा करते थे (सहीह बुखारी:७४०, अलमुवत्ता मालीक:१५९/१, ३७७, सहीह मुस्लीम:८९६, सुनन नसाई:८९०)

कयाम

नोट : कोहनी के सिरे से दरमियानी उंगली के सिरे का हिस्सा 'जिराआ' और कोहनी से हथेली तक का हिस्सा 'साआद' कहलाता है।

नोट : दाए हाथ को, बाए हाथ की पुरी **जिराआ** (हथेली, कलाई और हथेली से कोहनी तक) पर रखा जाए तो खुद ब-खुद नाफ से उपर "सीने के दरमियानी हिस्से" तक आ जाता है और यही सहीह हदीस से साबित है, चुनाँचे सय्यिदना हालिब ताई (रजि) बयान करते है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) अपना दाया हाथ अपने बाए हाथ पर, सिने पर रखा करते थे (मुस्नद अहमद :२२६/५, २२०१७)

नोट : नाफ से निचे हाथ बांधने वाली हदीस की सनद में अब्दुर रहेमान बिन इस्हाक अल कूफी को खुद इमाम दाऊद ने जईफ लिखा और उसकी तमाम शवादिद भी जईफ है। (सुनन अबु दाऊद:७५६)

३. रसुलुल्लाह (ﷺ) तकबीर के बाद निचे की दुआ पढने का हुकम फरमाते : (सहीह मुस्लीम:८९२, जामे तिरमीजी:२४२, सुनन नसाई:११३७)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

४. रसुलुल्लाह (ﷺ) सना पढने के बाद निचे की दुआ पढते थे (सहीह बुखारी:६११५, सहीह मुस्लीम:६६४६)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

५. रसुलुल्लाह (ﷺ) इस के बाद निचे की दुआ पढते थे (सहीह मुस्लीम:८९०)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

६. रसुलुल्लाह (ﷺ) इस के बाद सुरेफातेहा पढा करते थे (सहीह बुखारी:७४३, सहीह मुस्लीम:८९२)

नोट : रसुलुल्लाह (ﷺ) ताकीदन इर्शाद फरमाते है के, जो शख्स **सुरे फातेहा** नही पढता उस की नमाज नही होती। और ये भी फरमाते है के "इमाम के पिछे किराआत मत किया करो सिवाए **सुरे फातेहा** के क्युंके

जो **सुरे फातेहा** नही पढता उसकी नमाज ही नही होती (सहीह बुखारी:७५६, सहीह मुस्लीम:८७४, जामे तिरमीजी:३११, सुनन अबुद दाऊद:८२३,८२४)। इसी तरहा से अल्लाह तआला सुरे ऐराफ (७) की आयत नं.२०४ मे इरशाद फरमाता है के, जब कुरआन पढा जाए तो उस की तरफ कान लगा कर सुनो और और खामोश रहो के तुम पर रहेम हो। तो हदीस और कुरआन से ये नतिजा निकला के, **जब इमाम सुरे फातेहा पढे तो खामोश रह कर सुनो और जब इमाम खामोशी में पढे तो सुरे फातेहा पढो इस से कुरआन और हदीस दोनो पे अमल हो जाएगा।**

७. रसुलुल्लाह (ﷺ) सुरे फातेहा के बाद उंची किरात वाली नमाज मे **आमीन** भी उंची आवाज से कहते थे। (सुनन अबु दाऊद:९३२, ९३३, सुनन नसाई:८८०) - **ये हदीस हसन सही है**

नोट : हनफी आहिस्ता से आमीन कहते है और ये सरासर हदीस के खिलाफ है।

८. रसुलुल्लाह (ﷺ) पहली दो रकाअतो मे सुरे फातेहा के साथ और सुरा भी या कुरआन का कुछ हिस्सा पढते थे (सहीह मुस्लीम:१०१३, सहीह बुखारी:७६२, सुनन अबु दाऊद:८५९)

नोट : रसुलुल्लाह (ﷺ) आखरी दो रकातो में सिर्फ सुरे फातेहा पढते और कभी कभी साथ कोई सुरा भी मिला लेते थे (सहीह बुखारी:७७६, सहीह मुस्लीम:१०१३ और १०१४)

९. रसुलुल्लाह (ﷺ) किराआत के बाद रकु से पहेले **सक्ता** (यानी कुछ देर तक के लिए वक्फा) भी फरमाया करते थे (सुनन अबु दाऊद:७७७ और ७७८, सुनन इब्ने माजा:८४५)

१०. रसुलुल्लाह (ﷺ) रुकु के लिए तकबीर कहते तो दोनो हाथ कंधो तक और कभी कभी कानो तक उठातें **(रफा-इ-दैन),** अपने हाथों से घुटने को मजबुती से पकडते, अपनी कमर झुकाते, न तो सर मुबारक पेट से उंचा होता ना नीचा, बल्कि पेट की सीध में बिल्कुल बराबर होता और दोनो हाथ अपने पहेलुओ से दुर होते थे **(रुकु)** (सहीह बुखारी:७३५ और ८२८, सहीह मुस्लीम:८६५, सुनन अबु दाऊद:७३४)

रफा-इ-दैन (तकबीर)

रुकु

नोटः रुकु मे जाने से पहेले रफा-इ-दैन करे फिर अल्लाहु-अकबर कहते हुए रुकु में जाए। रुकु करते वक्त सजदे की जगह पर नजर रखे।

११. रसुलुल्लाह (ﷺ) से रुकु में दुआए साबीत है इन में से एक है (अल-मुसनफ इब्ने अबी शेबा:२२५/१, २५७१)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

१२. रसुलुल्लाह (ﷺ) रुकु से सर मुबारक उठाते तो दोनो हाथ कंधो तक और कभी कानो तक उठातें और ये दुआ पढते (सहीह बुखारी:७३५,सहीह मुस्लीम:८६१ और ८६५)

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

रफा-इ-दैन (तकबीर)

नोट : रुकु से उठते वक्त "समीअल्लाहु लिमन हमिदाह" कहते हुए रुकु से उठे और रफा-इ-दैन कर के फिर "रब्बना लकल-हम्द" कह कर सजदे मे जाए।

नोट : अफजल यही है के, मुक्तदी भी नमाज में इमाम के पीछे ये दुआ पुरी ही पढे (अल-मुसनफ इब्ने अबी शेबा:२२७/१, २६००)

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

१३. कौमाह में हाथ सीधे छोडने पर उम्मत का अम्ली तवातर और **इजमा** (agreement of the Muslim scholars) है, बल्कि अरकान-ए-नमाज में हाथो की सुन्नत हालत बताने वाली हदीस में भी इसका इशारा मिलता है (सुनन नसाई:८९०)

१४. रसुलुल्लाह (ﷺ) तकबीर कहते हुए सज्दे के लिए झुकते तो आप (ﷺ) फरमाते मुझे सात हड्डीयों पर सज्दा करने का हुकम दिया गया है, पेशानी नाक, दो हाथ, दो घुटने, और दो पांव, मजीद फरमाया के जब तुम सज्दा करो तो उंट की तरहा न बैठो (बल्की) अपने दोनो हाथो को घटनो से पहले जमीन पर रखो (सहीह बुखारी:८०३ और ८१२, सहीह मुस्लीम:८६८, सुनन अबु दाऊद:८४०)

नोट : सजदे मे जाते वक्त अपने दोनो हाथ जमीन पर पहेले रखे फिर घुटने जमीन पर टेके।

१५. रसुलुल्लाह (ﷺ) सजदे में नाक और पेशानी, जमीन पर खुब जमा कर रखते, अपने बाजुओ को अपने पहलुओ से दुर रखते और दोनो हथेलिया कंधो के बराबर (जमीन) पर रखते और कभी अपनी दोनो हथेलिया को अपने कानों के बराबर रखते, और सजदे में अपने हाथ (जमीन पर) रखते तो न तो उन्हो बिछाते और न (बहुत) समेटते, और रसुलुल्लाह (ﷺ) अपनी पांव की उंगलियो को किबला रुख रखते और पांव की दोनो एडियाँ मिला लेते थे। (सहीह बुखारी:८२८, सहीह मुस्लीम:११०५, सुनन अबु दाऊद:७३० और ७३४, सुनन नसाई:८९०)

नोट : सजदा करते वक्त पाव की दोनो एडियो को मिला ले, हाथो को कुत्ती की तरहा ना बिछाए

१६. रसुलुल्लाह (ﷺ) हुकम फरमाते "सजदे में ऐतदाल करो, कुत्ते की तरहा बाजु न बिछाओ, अपनी हथेलिया जमीन पर रखो और कोहनियाँ उठा लों" (सहीह बुखारी:८२२, सहीह मुस्लीम:११०४)
नोट : इस सहीह हदीस के वाजेह हुकुम के तहेत औरतें भी सजदो में बाजु ना बिछाए, मजीद ये की **मर्दो और औरतो की नमाज के तरीके में कोई फरक नही है**, और इस बारे मे जो भी हदीसे पेश की

जाती है वो सब के सब जईफ है। जब की सहीह हदीस में साफ हुकम है "नमाज इसी तरहा पढो जिस तरहा मुझे (रसुलुल्लाह (ﷺ) को) पढते हुए देखते हो (सहीह बुखारी:६३१)

१७. रसुलुल्लाह (ﷺ) से सजदो मे २/३ दुआए साबित है उन मे से एक निचे दी गई है। ये दुआ कम से कम ३ मरतबा पढे (अल-मुसनफ इब्ने अबी शेबा:२२५/१, २५७१)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

१८. रसुलुल्लाह (ﷺ) तकबीर कहे कर सजदे से सर मुबारक उठाते और (जल्से में) अपना बाया पांव बिछाकर उस पर बैठ जाया करते थे (सहीह बुखारी:८२७, सुनन अबु दाऊद:७३०)

पहेला तशहुद

१९. रसुलुल्लाह (ﷺ) जब भी तशहुद के लिए बैठते तो अपने दोनो हाथ अपनी दोनो रानाो (मांडीयो) पर रखते कभी दाया हाथ दाए घुटने और बाया हाथ बाए घुटने पर रखते। फिर दाए अंगुठे को दरमियानी उंगली से मिलाकर हल्का बनाते. रसुलुल्लाह (ﷺ) अपनी शहादत की उंगली को थोडा सा झुका देते और उंगली से इशारा करते हुए इसके साथ तशहुद में दुआ करते और उंगली को (आहिस्ता आहिस्ता) हरकत भी देते और इसकी तरफ देखते रहते थे (सहीह मुस्लीम:१३०८ और १३१०, सुनन अबी दाऊद:९९१, सुनन नसाई:११६१ और ११६२ और १२६९, सुनन इब्ने माजा:९१२)

पहेला तशहुद

नोट : पहेले तशहुद में बैठने के बाद उंगली का हल्का बना कर बैठे और उंगली को उठा कर रखे।

नोट : लाईलाहा पर उंगली उठाना और **इल-लल्लाह** पर रख देना, किसी हदीस से साबित नही और फिकाह हनफी से भी साबीत नही है। इसके बरअक्स सहीह हदीसो से ये साबित है के पुरे तशहुद में हल्का बनाकर शहादत की उंगली लगातार उठाई जाए।

२०. रसुलुल्लाह (ﷺ) आखरी तशहुद मे बाए पांव को दाए पांव के निचे से निकाल कर बाए कुल्हे पर बैठ जाते और दाए पांव का पंजा किबला रुख कर लेते (सहीह बुखारी:८२८)

आखरी तशहुद

नोट : पहेले और आखरी के तशहुद में एक जैसा नही बैठा जाता है (फोटो देख कर आप को पता चलेगा)। पहेले तशहुद में दोनो मांडीयो पर बैठे और आखरी तशहुद में बाया पैर सिधे पैर के निचे से निकाल कर उलटे पैर के कुल्हे पर बैठ।

नोट : आखरी तशहुद में उंगली का हल्का बना कर रखे और उंगली उठाए रखे, अत्तहियात और दुरूदे इब्राहीम पढे फिर दुआ पढते वक्त शहादत की उंगली को हलकी सी हरकत देते रहे और उंगली की तरफ देखते रहे।

२१. रसुलुल्लाह (ﷺ) तशहुद के लिए ये दुरूद शरीफ (दुरुदे इब्राहीम) भी सिखाया करते (सहीह बुखारी:३३७०, सहीह मुस्लीम:९०८)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

२२. दुरुदे इब्राहीम पढने के बाद और दो दुआए रसुलुल्लाह (ﷺ) से पढना साबीत है लेकीन उन दो दुआओ के अलावा भी कोई और दुआ जो कुरआन व सुन्नत से साबित हो पढने की इजाज़त फरमाई है।

२३. रसुलुल्लाह (ﷺ) सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल फरमाते थे (सहीह बुखारी:८३८, सहीह मुस्लीम:१३१५, जामे तिरमीजी:२९५, सुनन अबी दाऊद:९९६, सुनन नसाई:१३२०, सुनन इब्ने माजा:९१४)

नोट : पहेले सिधी तरफ सलाम फेरे, सिधी तरफ सर मुकम्मील घुमाने के बाद "अस्सलामु अलैकुम व-रहेमतुल्लह" कहे। इसी तरहा से बायी तरफ सर को मुकम्मील घुमाने के बाद "अस्सलामु अलैकुम व-रहेमतुल्लह" कहे।

नोट : दुसरा सजदा करने के बाद फौरन ना उठे (जिस तरहा हनफी उठते है)। दुसरा सजदा करने के बाद दोनो मांडीयो पर बैठे बैठे (जैसा के पहेले तशहुद मे बताया गया है), फिर अपने दोनो हाथो को जमीन पर रखे, और हाथो पर जोर डालते हुए खडे हो जाए।।

नोट : पहेले तशहुद के बाद तिसरी रकात के लिए उठने पर 'रफा-इ-दैन' करे। रफा-इ-दैन ताक रकातो में की जाती है।

रफा-इ-दैन (तकबीर)

नोट : हर रकात में रुकु से पहेले और रुकु के बाद रफा-इ-दैन किया जाता है।

रफा-इ-दैन मंसुख (cancel) नही हुआ

बरेलवी और देवबंदी हजरात ये कहते है के रफा-इ-दैन बाद में मंसुख (कॅन्सल) हुआ था। आईये देखते है के उन की इस बात में कितनी सच्चाई है।

अकल की बात:

- हनफी मस्लक के मुताबीक नबी-ए-करीम (ﷺ) ने शुरूवाती दिनो में रफा-इ-दैन किया था और अपनी उम्र के आखरी हिस्से में आप ने रफा-इ-दैन छोड दिया था।
- अकसर ये कहा जाता है के मुनाफीक लोग अपने बगल में बुत को रख कर नमाज पढा करते थे इसलिए नबी-ए-करीम (ﷺ) ने रफा-इ-दैन का हुकूम दिया था। ये बात किसी भी सहीह या जईफ हदीस से साबीत नही है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है और ऐसी बात करने वालो ने सुन्नत का मजाक उडाया है लेहाजा उन को तौबा करना चाहिए।
    १. नमाज मक्का में फर्ज नही थी और बुत मक्का में थे। नमाज मदिने में फर्ज हुई मदिने में बुत नही थे, तो मदिने में किसने बुत लाए?
    २. पहेले ही रफा-इ-दैन में बुत गिर जाते तो इलग से रफा-इ-दैन करने की क्या जरूरत थी। इसी तरहा से रुकु और सजदो के दौरान ही बुत गिर जाते तो अलग से रफा-इ-दैन करने की क्या जरूरत थी?
    ३. बुत लाने वाले को क्या ये पता नही था के बुत गिरने के बाद उन्हे क्या सजा दी जाती।
    ४. वो लोग बुतो को बगल में क्यु लाते थे अपने जेब में क्यु नही लाते थे?
- जाबीर-बिन-समरा (रजि) बयान करते है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, क्या बात है के मैं तुम को इस तरहा हाथ उठाते देखता हुँ गोया के वो सरकश घोडो की दुमें है। नमाज में सुकुन इख्तीयार किया करो (**सहीह** मुस्लीम, किताबुस सलात, हदीस-४३०)- **इस हदीस का अहनाफ गलत मतलब निकाल कर ये कहते है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने रफा-इ-दैन करने से मना फरमाया। हकीकत ये है के**

ये हदीस इन लोगो के लिए थी जो नमाज में सलाम करते वक्त अपने सिधे और बाये जानीब के लोगो को हाथ उठा कर सलाम करते थे। इसी की वज़ाहत सहीह मुस्लीम की हदीस नं.४३१ में की गई है।

- इमाम अबु हनिफा को छोड कर बाकी के तीनो इमाम (शाफई, मलिकी, हंबली) रफा-इ-दैन करते थे। अगर कोई कहता है के चारो मस्लक हक पर है। तो चार में से तीन ने रफा-इ-दैन किया और एक ने नही किया तो तीन सही और एक गलत हुआ या एक सही तीन गलत हुए? फैसला खुद कर दिजीए। इमाम अबु हनिफा ने रफा-इ-दैन इसलिए नही किया होगा क्युंकी हो सकता है की उन के पास रफा-इ-दैन वाली हदीस ना पहोची हो। लेकीन साथ-साथ इमाम अबु हनिफा ने ये भी कहा था के जब सहीह हदीस मिल जाए तो वही मेरा मजहब है (इब्ने आबीदीन 'अल-हाशीया (१/६३)' में) तो इमाम अबु हनिफा ने इन्डायरेक्टली रफा-इ-दैन करने को कहा है।
- जो भी हदिसे रफा-इ-दैन के मंसुख (रद्द) होने पर पेश की जाती है वो तमाम जईफ हदीस है। किसी भी सहीह हदीस से रफा-इ-दैन का मंसुख होना साबीत नही है और यही रफा-इ-दैन मंसुख ना होने की दलील है।
- अगर रफा-इ-दैन मंसुख होता तो आज भी अहनाफ (बरेल्वी, देवबंदी) वितर की नमाज में और ईद की नमाज में रफा-इ-दैन क्यु करते है?

<u>हदीस जो बताती है के नबी-ए-करीम (ﷺ) ने हर दौर में रफा-इ-दैन किया था :</u>

१. सय्यदना अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रजि) से रिवायत है के मै ने रसुलुल्लाह (ﷺ) को देखा के, आप जब भी नमाज के लिए खडे होते तो कांधो तक रफा-इ-दैन करते, रुकू करते वक्त भी आप इसी तरहा करते थे और जब रुकु से सर उठाते तो इसी तरहा करते थे और फरमाते : 'समिअल्लाहु लिमन हमीदाह' और सजदे में आप ऐसा नही करते थे (**सहीह** बुखारी-७३६)। **इस हदीस में उमर (रजि) के बेटे अब्दुल्लाह फरमाते है के रसुलुल्लाह (ﷺ) जब भी नमाज पढते थे वो रफा-इ-दैन करते थे।**

२. सय्यदीना अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रजि) ने एक हदीस में फरमाया, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी जिंदगी के आखरी दौर में हमें ईशा की नमाज पढाई फिर जब आप ने सलाम फेरा तो खडे हो गए.... [Sahih Bukhari, Hadith No.११६ [Kitab Ul Ilm], Hadith No.५६४, Hadith No.६०१, Sahih Muslim, Hadith No.६४७९, Abu Dawud, Hadith No.४३४८, Tirmizi, Hadith No.२२५१] - **इस बात से पता चला के उमर (रजि) के बेटे अब्दुल्लाह ने रसुलुल्लाह (ﷺ) को आखरी दौर में नमाज पढते हुए देखा था लेहाजा रसुलुल्लाह (ﷺ) का आखरी दौर में भी रफा-इ-दैन करना साबीत हुआ।**

३. वईल-बिन-हजर फरमाते है, मै नें नबी-ए-अकरम (ﷺ) को देखा, जब आप नमाज शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहते और अपने दोनो हाथ उठाते। फिर अपने हाथ कपडे में ढांक लेते, फिर दाया हाथ बाये हाथ पर रखते। जब रुकू करने लगते तो कपडो से हाथ निकालते अल्लाहु अकबर कहते और रफा-इ-दैन करते, जब रुकू से उठते तो 'समिअल्लाहु लिमन हमीदाह' कहते और रफा-इ-दैन करते (**सहीह** मुस्लीम-४०१, किताबुस सलात)

   - वईल-बिन-हजर ९ हिजरी मे रसुलुल्लाह (ﷺ) के पास आए थे।
     (अल बिदाया वल निहाया, जिल्द-५, पेज-७१)
   - ऐनी हनफी फरमाते है : वईल-बिन-हजर मदिने में ९ हिजरी में इस्लाम कुबुल किया था (उमदा-तुल कारी, जिल्द-५, पेज-२७४, हदीस नं.७३५)
   - सहीह इब्ने हब्बान, जिल्द-३, पेज-१६९, हदीस नं.१८५७ में ये जिक्र किया गया है की वईल-बिन-हजर रसुलुल्लाह (ﷺ) से अगले साल सर्दी के मौसम में फिर मिले थे (मतलब १० हिजरी में) और उन्हो ने इस साल भी रसुलुल्लाह (ﷺ) के रफा-इ-दैन करते हुए देखा (सुनन अबी दाऊद-७२७) - **ये हदीस सहीह है।**

लेहाजा साबीत हुआ के रसुलुल्लाह (ﷺ) १० हिजरी यानी अपने आखरी दौर तक रफा-इ-दैन करते थे, ११ हिजरी में नबी-ए-रहेमत ने वफात पाई।

<u>ताबयीन के रफा-इ-दैन करने की दलीले:</u> अगर रसुलुल्लाह (ﷺ) रफा-इ-दैन करना बंद कर देते तो आप की वफात के बाद सहाबा इकराम, ताबयीन और तबे-ताबयीन रफा-इ-दैन ना करते।

४. सईद-बिन-जुबैर (ताबयीन) से नमाज में रफा-इ-दैन के तालुक से पुछा गया उन्हो ने फरमाया, ये लोगो के नमाज की खुबसुरती है और रसुलुल्लाह के सहाबी (रजि) नमाज शुरू करते वक्त, रुकु से पहेले और रुकु के बाद रफा-इ-दैन करते थे। (सुनन अल-कुबरा बेहाकी, जिल्द-२, पेज-७५, हदीस-२३५५, शेख जुबेर अली ज़ाई ने इसे **सहीह** कहा)
५. हसन बसरी (ताबयीन) ने कहा, रसुलुल्लाह (ﷺ) के साहाबा रुकु में और रुकू से उठने के बाद रफा-इ-दैन करते थे ऐसा जैसे वो पंखे हो। (जुज़-अल- रफा-इ-दैन हदीस नं.२९, शेख जुबेर अली ज़ाई ने इसे **सहीह** कहा)

<u>तबे ताबयीन के रफा-इ-दैन करने की दलीले:</u>

६. अय्युब अल-सुख्तीयानी (रहे) के शागीर्द (तबे ताबयीन) हम्माद-बिन-जैद (रहे) भी शुरू नमाज, रुकु से पहेले और रुकु के बाद रफा-इ-दैन करते थे। (सुनन कुबरा बैहाकी)
७. इमाम बुखारी ने पुरी एक किताब तैयार की है **'जुज़ रफा-इ-दैन'** नाम की और उन्हो ने उस किताब में १०० से ज्यादा हदीस लिख कर साबीत किया है की हर मुसलमान और जो सुन्नत से मोहब्बत रखता है उसे रफा-इ-दैन करना चाहिए।
८. अव्वल जमाने में जितने मोहदसीन (हदीस लिखने वाले) थे वो सब रफा-इ-दैन किया करते थे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लीम, इमाम अबु दाऊद, इमाम तिरमीजी, इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा, और बाकी इमाम भी। और ये बात सुन्नी बरेल्वी हनफी शेख ताहीरूल कादरी भु तस्लीम करते है। ये लिंक देखीए - **<u>https://www.youtube.com/watch?v=oP६-६५VpxiM</u>**

अगर रसुलुल्लाह (ﷺ) रफा-इ-दैन करना छोड देते तो उलेमा, मोहदसीन और इमाम कभी रफा-इ-दैन नही करते क्युं के सब रसुलुल्लाह (ﷺ) के बाद आए, इन तमाम को रफा-इ-दैन मंसुख होने का इल्म जरूर होता क्युंके ये अव्वल जमाने के उलेमा और मोहदसीन थे। इसी तरहा से इन में से किसी ने नही कहा के रफा-इ-दैन मंसुख हो गया था बल्की ये सब कसरत से रफा-इ-दैन करते थे।

मालुम हुआ के रफा-इ-दैन पर नबी के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबयीन और तबे ताबयीन के दौर में और हर जमाने में अमल होता होता लेहाजा इसे मंसुख समझना और झुठे किस्सो के साथ इस का मजाक उडाना सुन्नत का मजाक उडाना है।

<u>जिन हदीस से रफा-इ-दैन ना करने की दलील ली जाती है इन का मुख्तेसर तजज़ीया (**analysis**)</u>

१. अबु दाऊद की हदीस नं.७४९, रावी- अल-बारा इब्ने आज़ीब कहते है के अल्लाह के रसुल (ﷺ) जब नमाज शुरू करते तो अपने कानो तक हाथ उठाया करते थे, फिर उस के बाद उन्हे ने ऐसा नही किया। - ***ये हदीस जईफ है।***

   इमाम नवावी फरमाते है के ये हदीस जईफ है इसे सुफियान-बिन-ओयना, इमाम शाफई, इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम हमिदी और इमाम अहमद-बिन हंबल जैसे उलेमाओ ने इस हदीस को जईफ करार दिया है।
२. अबु दाऊद की हदीस नं.७४८ रावी, अब्दुल्लाह इब्ने मसुद (रजि) कहते है के, क्या मैं तुम्हे रसुल (ﷺ) की नमाज पढाऊ? पस आप ने नमाज पढी और सिर्फ पहिली मर्तबा हाथ उठाए।
   - **इमाम अबु दाऊद ने खुद इस हदीस को जईफ कहा।**
   - **इसी तरहा से इमाम तिरमीजी ने अब्दुल्लाह-बिन-मुबारक का कौल नकल किया है ''अब्दुल्लाह-बिन-मसुद के तरक रफा-इ-दैन की हदीस साबीत नही है'' (तिरमीजी-२५४)**

- **इमाम इब्ने हिब्बान ने तो यहा तक लिख दिया है के, इस में बहोत सी इल्लते है जो इसे बातील बना रही है।**

३. जाबीर-बिन-समरा (रजि) बयान करते है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, क्या बात है के मैं तुम को इस तरहा हाथ उठाते देखता हुँ गोया के वो सरकश घोडो की दुमें है। नमाज में सुकुन इख्तीयार किया करो (**सहीह** मुस्लीम, किताबुस सलात, हदीस-४३०) - **इमाम नवावी 'अल-मजमुआ' में फरमाते है के, जाबीर-बिन समराह (रजि) की रिवायत से रूकु में जाते वक्त और उठते वक्त रफा-इ-दैन ना करने की दलील लेना अजीब बात है..... इस के बाद इमाम नवावी, इमाम बुखारी का कौल नकल करते है की, इस हदीस से बाज जाहील लोगो का दलील पकडना सही नही है क्युं के ये सलाम के वक्त हाथ उठाने के बारे में है.....**

४. अब्दुल्लाह-बिन-मसुद (रजि) ने फरमाया, मैं ने रसुलुल्लाह (ﷺ) और अबुबकर और उमर (रजि) के साथ नमाज पढी ये लोग शुरू नमाज के अलावा हाथ नही उठाते थे (बेहाकी, जिल्द-२, पेज-७९-८०)
इमाम दार-ए-कुतनी लिखते है के इसका रावी मुंहम्मद-बिन-जाबीर जईफ है। और बाज उलेमा (इमाम इब्ने जौज़ी और इमाम इब्ने तैमिया वगैरा) ने इसे मौजु (झुठी) हदीस कहा है।

वो काम जो नमाज़ के दौरान करना जायज़ है

१. नमाज को सही करने के लिए जो अमल हम करते है वो जायज़ है। मिसाल के तौर पर - नमाज पढते वक्त मोबाईल बजने लगे तो आप उस फोन को अपनी जेब से निकल कर बंद कर जेब में रख देंगे, पुरे लोगो की नमाज खराब करने से अच्छा ये अमल है। (नोट: नमाज से पहेले एहतियातन मोबाईल फोन बंद कर लेना चाहिए)
२. नमाज को दुरूस्त करने के लिए **गलती होने पर सुब्हानल्लाह कहेना** जायज़ है। इसी तरहा से इमाम किरत भुल जाए गलती हो जाए तो उसे लुकमा देना (सुझाव देना) जायज़ है।
३. नमाज के दौरान मामुलीसा काम कर लेना जायज़ है, जैसे - कपडो को सिधा करना वगैरा।
४. छिंक, जमाई और खांसी नमाज मे जायज़ है। जमाई लेने से अल्लाह के रसुल ने मना फरमाया है, जमाई आई तो मुंह पकड कर जमाई को रोको।
५. मजबुरन थोडा बहोत खुजाना जायज़ है।
६. सफबंदी के लिए हलचल जायज़ है।
७. नमाज में थोडी बहोत हलचल जायज है। मिसाल के तौर पर - नमाज शुरू करने पर पता चला के सजदे की जगह पर चुंटीया है तो थोडा सा बाजु में हट कर खडे रह सकते है।
८. सिर्फ दो ही लोग जमाअत बना कर पढ रहे है तो मुक्तदी इमाम के सिधे बाजु खडा रहेगा। अगर तिसरा शख्स आ गया तो वो मुक्तदी के बाजु में नही खडे रहे, वो इमाम को पिछे से थोडा सा धक्का देकर थोडा सा आगा करेगा और फिर मुक्तदी के बाजु में खडे रहे कर नमाज पढेगा।
९. नमाज में आप के सामने से कोई जा रहा है तो उस को आप नमाज की हालत में रोक लेंगे। उस के सामने हाथ डाल कर उसे रोक लेना जायज़ है। इसी तरहा से किसी चौपाए या बच्चे को रोकने के लिए एक कदम या उस से ज्यादा आगे बढना जायज़ है ताके वो उस के पिछे से गुजर जाए।
१०. हदीस - नमाज में दो चिज़े सांप और बिच्छु आ जाए तो उसे कत्ल कर दो। लेहाजा नमाज में सांप और बिच्छु या कोई ज़हिरीले जानवर को मारना जायज़ है, अगर इन्हे मारने के लिए नमाज तोडना भी पडे तो जायज़ है।
११. नमाजी को अगर कोई सलाम करे तो नमाजी उस को अपनी हथेली से जवाब दे सकता है (हदीस)

<u>दिगर मसले :</u>

१. सलातुल खौफ (डर की नमाज) और जंग में नमाज पढने वाले जंगजु के लिए काबा की तरफ चेहरा कर के नमाज पढने का हुकूम खत्म हो जाता है। यानी वो शख्स जो इतना बिमार हो के अपना चेहरा काबे की तरफ

न ही कर सकता, कश्ती गाडी रेलगाडी या हवाई जहाज में सवार इंसान जिस को नमाज का वक्त निकल जाने का डर हो तो वो किसी भी सिमत चेहरा कर के नमाज पढ सकता है। उस के लिए बहेतर है के वो हो सके तो तकबीर के वक्त किबले की तरफ मुंह करे और फिर उस सवारी के साथ मुडता रहे चाहे जिधर भी स का रुख हो जाए।

२. जंग के वक्त सवारी पर बैठे बैठे भी नमाज पढना जायज़ है।
३. सवारी पर सवार आदमी को गिरने का डर हो तो वो बैठ कर भी नमाज पढ सकता है। बैठ कर नमाज पढने वाले के लिए जायज़ नही है के वो जमीन पर कोई उंची चिज रख कर उस पर सजदा करे।
४. तहज्जुद की नमाज को बगैर किसी वजह से खडे हो कर और बैठ कर पढना जायज़ है। बैठ कर नमाज पढने की शुरूवात करे और किराअत करे और रुकू करने से थोडी देर पहेले खडा हो जाए, और जो आयते बाकी रह गई है उन्हे खडे हो कर पढे, फिर रुकू और सजदे करे, फिर इसी तरहा दुसरी रकात भी पढे।
५. कब्र की और मुंह कर के नमाज पढना हराम है।
६. नमाज की नियत : नियत दिल में करे। मिसाल - 'जोहर की फर्ज या सुन्नत' इस तरहा नियत करे।
७. अगर इमाम रुकु में हो और मुक्तदी आ कर रुकू में शामील हो जाए तो उस को वो रकात मिल गई। इस बात पर ज्यादा से ज्यादा उलमाओ का इत्तेफाक है।
८. जमाअत में देर से आनेवाले ने इमाम के सलाम फेरने के बाद (पहेले सलाम के बाद या दोनो सलाम के बाद) अपनी छुटी हुई रकातो को पढने के लिए खडा होना चाहिए।

अव्वल वक्त मे नमाज पढना अफज़ल है

१. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, "अव्वल वक्त नमाज पढना अफज़ल है" (सुनन तिरमीजी: किताबुल सलाह, हदीस-१७०)**- ये हदीस सहीह है**
२. सय्यदा आयशा (रजि) से रिवायत है, रसुलुल्लाह (ﷺ) जब नमाजे फजर पढते थे, औरते (मस्जीद से नबी-ए-अकरम के साथ नमाज पढ कर) अपनी चादरो में लिपटी हुई लौटती तो अंधेरे की वजह से पहेचानी ना जाती थी (**सहीह** बुखारी, अल-आजान, हदीस-८६७, सहीह मुस्लीम, अल-मस्जीद, हदीस-६४५)
३. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम पर ऐसे इमाम (मुसल्लत) होंगे जो नमाज मे देर करेंगे!, फिर आप (ﷺ) ने हुकुम दिया के "नमाज को अव्वल वक्त में पढो"। (**सहीह** मुस्लीम, किताबुल मस्जीद, हदीस-६४८)
४. हजरत अब्दुल्लाह-बिन-मसुद (रजि) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फरमाया, "मेरे बाद कुछ ऐसे भी लोग तुम्हारे मामलात के निगरान होंगे जो सुन्नत की रौशनी को बुझाएंगे, बिदअत पर अमलपैरा होंगे, और नमाज को वक्त से देर कर के पढेंगे"। मै ने कहा : अल्लाह के रसुल ! अगर मैं उन्हे पाऊ तो क्या करू?, आप (ﷺ) ने फरमाया, "ऐ उम्मे अबाद के बेटे! मुझ से पुछते हो के क्या करोगे? जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करे, उस की कोई इताअत नही"। (सुनन इब्ने माजा-२८६५)**- ये हदीस हसन है।**

क्या सिर्फ फर्ज नमाज पढ लेना काफी है?

१. एक अरब का रहने वाला (ऐराबी) रसुलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहा के, "मुझे ऐसे काम बताईये के जिन को कर के मैं जन्नत मे जाऊ।" रसुलुल्लाह (ﷺ) ने कहा के "अल्लाह की इबादत, इस की इबादत मे शिर्क मत करो, फर्ज नमाज को कायम करो, फर्ज जकात को अदा करो, और रमजान के रोजे रखो"। ये सुन कर वो ऐराबी बोला, "के आप ने जितना बताया मै इस से ज्यादा नही करूंगा"। जब वो वहा से चला गया तो रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के अगर किसी शख्स को जन्नती को देखना हो तो इसे देख लो। (**सहीह** बुखारी, हदीस-१३९७)

पता चला के सिर्फ फर्ज नमाज पढने से भी जन्नत मिल जाएगी। अगर कोई शख्स काम में बहोत मसरुफ (busy) रहता हो तो उस के लिए कम से कम फर्ज नमाज पढ लेना काफी है।

ऐसी सुरत में फर्ज नमाज पाबंदीसे पढना जरूरी है, फर्ज नमाज मे कोई कमी नही आनी चाहिए और बा-जमाअत पढना चाहिए, अगर फर्ज नमाज मे कोई कमी निकल गई तो हम नुकसान में पढ जाएंगे।

२. अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया के "कयामत के दिन बंदे का सब से पहेले नमाज का हिसाब होगा, अगर वो दुरुस्त हुई तो वो कामयाब हुआ और नजात पाएगा और अगर वो खराब हुई तो वो नाकाम हुआ और खसारा पाने वालो में से होगा। अगर इस के फर्जो से कुछ नाकीस हुआ तो अल्लाह फरमाएगा के मेरे बंदे की नफील देखो और फिर नफीलो से फर्ज की कमी पुरी की जाएगी, इसी तरहा इस के बाकी आमाल का हिसाब होगा। (सुनन अबी दाऊद-८६४, तिरमीजी-४१३, सुनन नसई-४६५)**- ये हदीस सहीह है**

पता ये चला के अगर फर्ज नमाज हमारी कम पढ गई तो नवाफील (सुन्नत नमाज) से फर्ज नमाज की कमी को पुरा किया जाएगा। इसलिए हम नवाफील को नजरअंदाज नही कर सकते।

३. जिस किसी ने दिन और रात में १२ रकात नमाज पढी, उस के लिए जन्नत मे एक महल बनाया जाएगा, २ रकात फजर से पहेले, ४ रकात जोहर से पहेले, २ रकात जोहर के बाद, २ रकात मगरीब के बाद और २ रकात इशा के बाद। (**सहीह** मुस्लीम-७२८)

४. **नोट : नमाज में दो ही दर्जे है, एक फर्ज और दुसरा नफील। नफील नमाज की उलमाओ ने सुन्नते मोअक्कदा, गैरमोअक्कदा और नफील ऐसी दर्जाबंदी की है।**

हदीस - हजरत आयशा (रजि) से मरवी है के, नबी (ﷺ) नवाफील नमाज में सब से ज्यादा फजर की सुन्नतो का एहतेमाम करते थे। (सहीह बुखारी-किताब-९, हदीस-१११, इंटरनॅशनल नंबर में किताब-९, हदीस-११०१)

चार रकात सुन्नत नमाज पढने का सही तरीका?

१. **फर्ज नमाज के अलावा जो भी नमाजे है वो सब नफील नमाजे होती है।** इन नफील नमाजो को उलेमाओ ने अलग अलग नाम दिए, जैसा के सुन्नते मोअक्कदा, सुन्नते गैरेमोअक्कदा वगैरा।

२. **सुन्नते मौअक्कदा :** वो सुन्नत नमाज़ जो हुजूर सलल्लाहुअलैहिवसल्लम हमेशा पढा करते थे. जिस का छोडना गुनाह है और सज़ा के काबील है। अगर कोई खास वजह हो तब ही यह नमाज़ छोड सकते है। इसका छोडना अगर आदत बन जाए तो गुनाहगार होगा।

३. **सुन्नते गैरेमौअक्कदा :** सुन्नत नमाज़ जो हुजूर सलल्लाहुअलैहिवसल्लम कभी पढ लिया करते थे तो कभी छोड दिया करते थे । इसका छोडना गुनाह नही है लेकीन पढे तो इनाम-व-इकराम से नवाजे जाए। इसका छोडना पसंद नही किया गया।

सुन्नत नमाज २-२ कर के पढे या ४ रकात एक साथ पढे:

- **सहीह** बुखारी की हदीस नं.९९० और **सहीह** मुस्लीम की हदीस नं.१७४८ है के ''रात की नफली नमाज २-२ है और किसी को सुबाह होने का डर हो तो एक रकात पढ ले तो ये सारी नमाज वितर बन जाएगी''। **पता चला के नफील नमाज २-२ कर के ही पढनी है।**
- मुसनद अबी शेबा की हदीस नं.६६३५ और मुसनद अब्दुर रज्जाक की हदीस नं.४२२६ में सहाबी ए रसुल अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि) रात की नफील नमाज २-२ कर के पढते थे और दिन में बाज औकात ४ सुन्नत भी पढ लिया करते थे। (नोट:मुसनद वाली हदीसो में सहाबा इकराम के अमल को जमा किया गया है)। **पता चला के एक साथ ४ रकात सुन्नत पढना सहाबा इकराम से साबीत है और लेकीन २-२ कर के पढना पसंदीदा है।**

२-२ कर के सुन्नत नमाज पढने का फायदा ये होता है के अगर जोहर का वक्त है और जमाअत खडे होने में सिर्फ २/३ मिनट बाकी है तो आप इतने कम वक्त में २ रकात सुन्नत पढ सकते है इसलिए २ रकात सुन्नत पढ ले और फर्ज होने के बाद बाकी के २ रकात सुन्नत पढ ले और फर्ज के बाद की २ सुन्नत भी पढ ले। इसी तरहा से सलातुस तस्बीह की नमाज भी २-२ कर के या एक साथ ४ रकात पढी जा सकती है।

मस्जीद मे दाखील होने के बाद बैठने से पहेले २ रकात पढना जरूरी है

अगर कोई शख्स मस्जीद मे आता है तो उसे बैठने से पहेले दो रकात (तहतुल मस्जीद) पढ कर बैठना चाहिए, इस की दलील निचे दी गई है......

हदीस : "जम तुम में से कोई मस्जीद में आए तो वो दो रकात नमाज पढे बगैर ना बैठे" । (**सहीह** बुखारी-११६७, **सहीह** मुस्लीम-७१४)

जमाअत मे देर से शामिल होने पर क्या करें?

नमाज में इमाम जिस हालत मै है उसी हालत मे देर से जमाअत मे शामील होने वाले ने इमाम को ज्वाईन करना चाहिए। अगर इमाम सजदे मे है तो सजदे मे जाए, अगर इमाम रुकु मे है तो रुकु मे जाए, अगर वो तशहुद मे है तो तशहुद मे जाए। इमाम के पिछे नमाज पढे, इमाम के साथ नमाज ना पढे और इमाम के आगे जाना हराम है।

जरुरी हिदायते :

१. जमात मे देर से आने वाले ने गलती से इमाम के साथ सलाम फेर लिया या तशाहुद मे बैठने के बाद सिर्फ अत्तहियात पढना था लेकीन दुरूद और दुआ भी गलती से पढ ली तो उसे सजदा-सहु करना जरुरी होगा।

२. उलमाओ के नजदीक सना पढना सुन्नत है। **इसलिए अगर सना छुट जाए तो भी नमाज हो जाएगी।**

३. ज़मी सुरा (सुरे फातेहा के बाद पढा जाने वाला सुरा) मिलाना सुन्नत है। **इसलिए अगर ज़मी सुरा छुट जाए तो भी नमाज हो जाएगी।**

४. अगर इमाम को **रुकू करने से पहेले पाया** तो रकात हो जाएगी।

बहोत सारे उलेमा के नजदीक इस बात पर इत्तेफाक है के अगर आपने इमाम को रूकु में भी पाया तो आप की रकात हो जाएगी। (नोट: **कुछ उलेमा** के नजदीक ये इत्तेफाक है के अगर इमाम को **रूकू में पाया** तो आप की ये रकात छुट गई क्युं के कयाम करना (खडे रहना) नमाज का रुक्न है, ये रुक्न छुटने की वजह से आप की ये रकात छुट जाएगी।)। लेहाजा **बहोत सारे उलेमाओ** का कहना सही होगा।

हदीस : अबु बकर (रजि) बयान करते है के, वो रसुलुल्लाह (ﷺ) की तरफ नमाज पढने के लिए गए। आप (ﷺ) इस वक्त रुकु में थे। इसलिए सफ तक पहोंचने से पहेले ही इन्हो ने रुकु कर लिया फिर इस का जिक्र नबी (ﷺ) से किया तो आप (ﷺ) ने फरमाया के, अल्लाह तुम्हारा शौक और ज्यादा करे लेकीन दोबारा ऐसा ना करना।

इस हदीस से पता चला के आप (ﷺ) अबु बकर (रजि) को दोबारा नमाज पढने का हुकूम नही दिया।

५. जमाअत में दाखील होने के बाद अगर वक्त हो तो आप सना जरूर पढें क्युंके ये आप की पहेली रकात है।

६. जमाअत में दाखील होने के बाद आप जिस रकात में शामील हुए वो आप की पहेली रकात होगी। आप को आपकी ३री और ४थी रकात में सिर्फ सुरे फातेहा (अल्हमद शरीफ) पढना है।

७. अगर इमाम रुकु में हो और मुक्तदी आ कर रुकू में शामील हो जाए तो उस को वो रकात मिल गई। इस बात पर ज्यादा से ज्यादा उलमाओ का इत्तेफाक है।

८. जमाअत में देर से आनेवाले ने इमाम के सलाम फेरने के बाद (पहेले सलाम के बाद या दोनो सलाम के बाद) अपनी छुटी हुई रकातो को पढने के लिए खडा होना चाहिए।

एक रकात छुटने परः

आप उस वक्त जमाअत में शामील हुए जिस वक्त इमाम की दुसरी रकात चल रही थी। चुंके ये आप की पहेली रकात है इसलिए आप सना पढेंगे। इमाम सलाम फेरने लगेगा तब आप छुटी हुई एक रकात पढने के लिए खडे हो जाएंगे। और छुटी हुई एक रकात पढ के सलाम फेरेंगे।

दो रकाते छुटने परः

आप उस वक्त जमाअत में शामील हुए जिस वक्त इमाम की तिसरी रकात चल रही थी। चुंके ये आप की पहेली रकात है इसलिए आप सना पढेंगे। इमाम सलाम फेरने लगेगा तब आप छुटी हुई दो रकाते पढने के लिए खडे हो जाएंगे। और छुटी हुई दो रकाते पढ के सलाम फेरेंगे।

तिन रकाते छुटने परः

आप उस वक्त जमाअत में शामील हुए जिस वक्त इमाम की चौथी रकात चल रही थी। चुंके ये आप की पहेली रकात है इसलिए आप सना पढेंगे। इमाम सलाम फेरने लगेगा तब आप छुटी हुई तीन रकाते पढने के लिए खडे हो जाएंगे। चुंके आप की इमाम के साथ एक रकात हुई इसलिए आप सलाम के बाद खडे हो कर एक रकात पढ कर तशहुद में बैठ जाएंगे। तशाहुद में अत्तहियात पढ कर तिसरी रकात के लिए खडे हो जाएंगे और रुकु और सजदा कर के चौथी रकात के लिए खडे हो जाएंगे, फिर रुकू और सजदे कर के तशाहुद में बैठेंगे और अत्तहियात, दुरूदे इब्राहीम और दुआए मासुरा पढने के बाद सलाम फेर देंगे।

कसर की नमाज़ के उसुल

- कसर की नमाज़ सिर्फ मुसाफिरो के लिए होती है।
- कसर सिर्फ ३ नमाजो में होती है (जोहर, असर, इशा)। सिर्फ इन ३ नमाजो के ४ रकात फर्ज के बदले २ रकात पढ सकते है। फजर की २ की २ ही पढेंगे और मगरीब की ३ की ३ ही पढेंगे।
- सफर के दौरान २ नमाजो को आप मिला के पढ सकते है। जैसे **ज़ोहर-असर** और **मगरीब-इशा**। अगर ज़ोहर-असर मिलाकर पढ रहे हो तो तरतीब वही रहेगी यानी पहेले जोहर पढेंगे फिर असर पढेंगे। इसी तरहा से मगरीब-इशा मिलाकर पढ रहे हो तो पहेले मगरीब पढेंगे फिर इशा। **फजर की नमाज उस के वक्त में ही पढी जाएंगी।**
- जरुरी नही है के सफर के दौरान आप कसर नमाज ही पढे। आप सफर के दौरान नॉर्मल नमाज़ भी पढ सकते है। क्युंके सफर के दौरान कुछ साहाबा ने कसर की नमाज पढी थी तो कुछ ने नॉर्मल पढी थी तो रसुलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ नही कहा था।
- जितने दिन आप सफर में है उतने ही दिन आप कसर पढेंगे। जब आप किसी जगह पर मुकीम हो जाए (ठहर जाए) तो २० नमाजो (४ दिन) से ज्यादा कसर नमाज नही पढ सकते, ४ दिन के बाद आप को नॉर्मल नमाज पढनी होगी। रसुलुल्लाह (ﷺ) से १८ दिन की कसर नमाज साबीत है।

उलमा की राय (फिकाह) के मुताबीक कसर नमाज के उसुल

१. चलती हुई गाडी (ट्रेन, बस, जहाज) में किबला रुख होकर नमाज़ शुरू करे तो बहेतर है। लेकीन अगर आप को काबातुल्ला (किबला) किस तरफ है ये अंदाजा नही आ पा रहा हो तो आप दिल में सोचे के किबला कहा होगा और दिल जो कहे उस सिमत मे नमाज़ पढ ले, नमाज़ हो जाएगी। अगर नमाज़ के दौरान समझ में आए के किबला दुसरी तरफ है तो नमाज़ी नमाज़ के दौरान किबले की तरफ घुम सकता है। इस तरहा से वो चारो तरफ भी घुमता रहेगा तो नमाज़ हो जाएगी।

२. ट्रेन/सवारी रूकने के बाद नमाज़ पढना बहेतर है। अगर गाडी रुक ही नही रही है और नमाज़ का वक्त जा रहा है तो चलती गाडी में नमाज़ पढ लें।

३. अगर आप को किबला कहा है पता है लेकीन जगह इतनी कम है के सजदा नही कर सकते, तब दुसरी सिमत में नमाज़ पढने की छुट है, आप की नमाज़ हो जाएगी।
४. अगर ज़ोहर, असर, इशा की नमाज़ सफर के दौरान मुसाफीर की कजा हो जाती है तो उसे ज़ोहर, असर और इशा की २ रकात नमाज़ **कजा** अदा करनी होगी (अगर वो अपने घर आ कर कजा अदा करे तब भी)।
५. अगर आपको ट्रेन मे या जहाज में वज़ु करनी है और आप समझते है के वज़ु करने की जगह नापाक है और वज़ु करने के बाद आप पाकी नही हासील कर सकते तो ऐसी सुरत मे वज़ु करने के लिए एक पत्थर पहेले से ही अपने पास रख लें। चिकने पत्थर से भी वज़ु (तयम्मुम (dry wazu)) हो सकती है।

कज़ाए उमरी नमाज बिदअत है

१. जो नमाज छुट जाती है (किसी खास वजह से) उस नमाज की कज़ा होती है। हदीसे पाक :"जो शख्स नमाज भुल गया तो तब उसे याद आये उसे उदा कर ले, इस का कफ्फारा (explanation) सिवाय इस की आदईगी के कुछ नही है" {sahi bukhari-mawakhitussalat hadees no.५९५+muslim-kitabul masjid hadees no.६८०}
२. जो नमाज जानबुछकर छोड दी जाती है, उस की कज़ा नही होती, उस की नमाज फौत हो जाती है, अब सिवाय तौबा के कोई हल नही है। लोगो ने छोडी हुई नमाज अदा करने का एक नया तरीका इजाद किया है जिसे कज़ाए-उमरी कहते है। ऐसी नमाज साबीत नही है और ये बिदअत है।

जुमा की नमाज का सही तरीका
जुमे की नमाज और खुतबे के मुतालीक कुछ गलत फहेमीया

जुमा का खुतबा :

१. खुतबे के दो हिस्से होते है। दोनो हिस्से मिम्बर पर ही होंगे।
२. आज कल तीन खुतबे दिये जाते है, एक मिम्बर के निचे और दो मिम्बर पर। मिम्बर से निचे खुतबा देना बिदअत है।
३. पहेले खुतबे में जरुरी अरबी पढने के बाद उर्दु या किसी भी जबान मे खुतबा दे सकते है।
४. मिम्बर पर ३ सिढीया होने चाहिए। आप (ﷺ) तिसरी सिढी पर, खजुर के दरख्त का सहारा लेकर खडे होते थे, और दो खुतबो के बिच बैठते थे।

जुमा की नमाज सहीह हदीस से :

जुमा से पहेले कोई सुन्नत नमाज़ नही है। क्युंकी ना ये नबी (ﷺ) से साबीत है और ना सहाबा इकराम ने इसको बयान किया है। अल-इराकी ने फरमाया, मै ने ऐसा कुछ भी नही देखा जो तस्दीक करे की तीन इमामो ने जुमा से पहेले सुन्नत पढने की कोई निशानी बताई हो।

अल-अलबानी कहते है, जहा तक मैं जानता हुँ इस वजह से मै कहता हुँ के जो लोग जुमा से पहले ये सुन्नत पढते है वो ना ही सुन्नते रसुल की इताअत करते है और ना ही किसी इमाम की नकल कर रहे है। (अल-कौल-अल-मुबीन ६०,३७४)

जुमा से पहले सुन्नत नमाज पढने की कुछ हदीसे मिलती है लेकीन वो सारी हदीसे जईफ है।

जुमा से पहेले नफील नमाज पढना मुस्तहब (पसंदीदा) है, जितनी भी तादाद मे कोई पढना चाहे। लेकीन अगर इमाम खुतबा दे रहा हो तो सिर्फ २ रकात पढना है, जिस की दलील निचे दी गई है.......

हजरत सलमान-अल-फारसी (रजि) रिवायत करते है की, नबी (ﷺ) ने फरमाया "जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और खुब अच्छी तरहा से पाकी हासील करे और तेल इस्तेमाल करे या घर मे जो भी खुश्बु मयस्सर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाजे जुमा के लिए निकले और मस्जीद मे पहोच कर दो आदमीयो के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफील नमाज पढे और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश सुनता रहे तो उस के उस जुमा से ले कर दुसरे जुमा तक सारे गुनाह माफ कर दिये जाते है। (**सहीह** बुखारी, किताबुल जुमा, हदीस-८८३)

अगर कोई शख्स जुमा को मस्जीद मे आता है तो उसे बैठने से पहेले दो रकात (तहतुल मस्जीद) पढ कर बैठना चाहिए, इस की दलील निचे दी गई है......

रसुलुल्लाह (ﷺ) जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे के सलीक गतफानी (एक शख्स) मस्जीद मे आए और २ रकाते पढे बगैर बैठ गए। नबी-ए-रहेमत (ﷺ) ने पुछा, "क्या तुम ने २ रकात पढी है?", इन्हो ने अरज की, "नही या रसुलुल्लाह!"। आप (ﷺ) ने हुकूम दिया, "खडे हो जाओ और दो रकाते पढ कर बैठो"। फिर आप (ﷺ) ने (सारी उम्मत के लिए) हुकूम दिया, "जम तुम में से कोई ऐसे वक्त मस्जीद में आए के इमाम खुतबा (जुमा) दे रहा हो तो इसे २ मुख्तेसर (short) सी रकाते पढ लेनी चाहिए। (**सहीह** बुखारी, अल जुमा, हदीस-९३०, ११६६, **सहीह** मुस्लीम, अलजुमा, हदीस-८७५)

<u>जुमा के बाद की सुन्नते:</u>

१. हजरत अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, जब तुम में से कोई जुमा की नमाज पढे तो चाहिए के इस के बाद ४ रकात और पढे (**सहीह** मुस्लीम, किताब-००४, हदीस-१९१५)
२. हजरत इब्ने उमर (रजि) रिवायत करते है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) जुमा के बाद कोई नमाज नही पढते थे, यहा तक के घर तशरीफ ले जाते और फिर घर में ही २ रकाते पढते (अबु दाऊद, किताब-३, हदीस-११२७) **- ये हदीस सहीह है।**

इस हदीस से ये पता चला के अगर कोई शख्स जुमा के बाद मस्जीद मे सुन्नत पढना चाहता है तो वो ४ रकात पढे और अगर घर जा कर पढना चाहता हो तो वो २ रकात नमाज पढे।

<u>खुतबे के वक्त क्या करे:</u>

खुतबे के वक्त उकडु बैठना मना है। उकडु मतलब दोनो घुटने छाती को लगा कर और हाथो को घुटनो पर बांध कर बैठना। खुतबे के वक्त नमाज की हालत मे बैठना सुन्नत नही है। हा इस तरहा से बैठना अच्छी बात है क्युं के इस से ज्यादा लोगो को बैठने के लिए जगह मिलती है।

जुमे की नमाज छुट जाए तो क्या करे

अगर किसी वजह से जुमा की नमाज छुट जाए तो ज़ोहर की नमाज पढनी चाहिए।

क्या जुमा की नमाज के लिए २ आजान देना जरूरी है?

हदीस : हजरत सैब-बिन-यजीद (रजि) से मरवी है की, नबी-ए-करीम (ﷺ) , हजरत अबुबकर (रजि) और हजरत उमर (रजि) के जमाने में जुमा की पहेली आजान उस वक्त दी जाती थी जब इमाम खुतबे के लिए मिमबर पर बैठता। लेकीन हजरत उस्मान (रजि) के जमाने मे जब लोगो की तादात ज्यादा हो गई तो जौरा की जगह एक और आजान दिलवाने लगे। बुखारी (रहे) बयान करते है की जौरा मदिना के बाजार मे एक जगह का नाम है। (सहीह बुखारी, किताबुल जुमा, हदीस-९१२, अबु दाऊद-१०८७)

मालुम हुआ के नबी-ए-करीम (ﷺ) , हजरत अबुबकर (रजि) और हजरत उमर (रजि) के जमाने में जुमा के लिए सिर्फ एक आजान दी जाती थी लेकीन फिर हजरत उस्मान (रजि) ने लोगो की तादाद ज्यादा होने की वजह से बाजार मे एक उंचे मकाम यानी जौरा पर एक आजान और बढादी, इसलिए की लोगो को आसानी से खबरदार किया जा सके और सहाबा इकराम (रजि) ने फिर इसी को इख्तीयार कर लिया।

यकीनन अगर आज भी ऐसी सुरत हो तो ये अमल मुबा होगा लेकीन अगर ऐसा ना हो तो जैसा के आज के दौर मे तकरीबन हर मस्जीद मे लाऊड स्पीकर मौजुद होता है, जिस के जरीये दुर दुर के इलाको तक आजान की आवाज पहोचाना कोई मसला नही रहा इसलिए ऐसे किसी आजान की जरूरत बाकी नही रही।

फर्ज नमाज की इकामत पुकारते वक्त नमाज के लिए कब खडे होना चाहिए

१. इमाम मस्जीद में नही आया और इकामत शुरू कर दी तो जब तक इमाम मस्जीद मे ना आ जाए इकामत के बाद भी मुक्तदी बैठ रहेंगे और इमाम के आने का इंतेजार करेंगे। (सहीह बुखारी-६३७, ६३५)
२. अगर इमाम मस्जीद मे पहेले से ही मौजुद है तो इकामत पुकारते वक्त "कद कामतीस सलाह" या "हैय्या अलस्सलाह" पर खडे होंगे।
३. इकामत मुक्कमल होने के बाद सफे सिधी करेंगे।

फर्ज नमाज की इकामत पुकारने के बाद कोई भी नमाज काबीले कबुल नही

अबु हुरेरा (रजि) से रिवायत है के, रसुलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम ने फरमाया "जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो फर्ज नमाज के अलावा कोई नमाज काबीले कबुल नही होती" (सुनन अबी दाऊद-१२६६)**- ये हदीस सहीह है**

जब फर्ज नमाज की इकामत पुकारी जाए और कोई सुन्नत नमाज पढ रहा हो तो उस को नमाज तोडनी होगी। यहा तक के अगर वो तिसरी रकात पढ रहा था तब भी उसे नमाज तोडनी होगी। और अगर उसका आखरी तशहुद बाकी था तो नमाज को ना तोडे बल्की जल्दी से नमाज मुक्कमल कर के जमाअत में शामील हो जाए।

फजर की नमाज के वक्त अकसर ये देखने मिलता है के, जमाअत खडी है और लोग आ कर सुन्नत नमाज पढ रहे है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी नमाज बातील हो जाएगी।

फजर की सुन्नत नमाज छुटने पर क्या करे

नमाज की २ ही किस्मे है, एक फर्ज और दुसरी नफील। नफील नमाज की उलमाओ ने सुन्नते मोअक्कदा, गैरमोअक्कदा और नफील ऐसी दर्जाबंदी की है।

हदीस - हजरत आयशा (रजि) से मरवी है के, नबी (ﷺ) नवाफील नमाज में सब से ज्यादा फजर की सुन्नतो का एहतेमाम करते थे। (सहीह बुखारी-किताब-९, हदीस-१११, इंटरनॅशनल नंबर में किताब-९, हदीस-११०१)
- पता चला के फर्ज के अलावा जो नमाज है वो नफील होती है।

- हजरत कैस बीन उमरो (रजि) बयान करते है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख्स को देखा जो फजर की नमाज के बाद २ रकाते पढ रहा था तो रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया सुबाह की नमाज २ रकाते है तो इस शख्स ने जवाब दिया के मै ने पहेली २ सुन्नते नही पढी थी तो रसुलुल्लाह (ﷺ) खामोश हो गए (सुनन अबी दाऊद-१२६७)**- ये हदीस सहीह है। पता चला के फजर की सुन्नत नमाज छुट जाने पर फर्ज नमाज के फौरन बाद छुटी हुई सुन्नत नमाज पढी जा सकती है।**

तरावीह की ८ रकात या २० रकात?

१. तरावीह एक सुन्नते मोअक्कदा नमाज है।
२. इब्ने उमर (रजि) कहते है के, "जब रसुलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर थे, एक शख्स ने आप से पुछा के रात की नमाज (तरावीह) कैसे पढनी चाहिए, आप ने फरमाया के, दो-दो रकात कर के पढो और अगर सुबाह होने

का डर हो तो (फजर का वक्त आने लगे तो) एक रकात पढो और ये एक रकात वितर होगी"। इब्ने उमर (रजि) कहते है, "रात की आखरी रकात ताक अदद (odd number) होना चाहिए क्युं के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इस तरहा से पढने का हुकूम दिया है" (**सहीह** बुखारी-४७२) (नोट : वितर की १, ३ या ५ रकात पढ सकते है)

पता चला के हम फजर से पहेले जितना चाहे तरावीह पढ सकते है।

३. हजरत आयशा (रजि) से रिवायत है के, रमजान होता या गैर-रमजान, रसुलुल्लाह (ﷺ) (रात की नमाज आम तौर पर) ग्याराह रकात से ज्यादा नही पढते। (पहेले) आप चार रकात पढते और उस नमाज की लंबाई और खुबसुरती को मत पुछीये, फिर आप चार रकात पढते और उस नमाज की लंबाई और खुबसुरती को मत पुछीये, फिर (आखीर) मे आप तिन रकात (वितर) पढते। (**सहीह** बुखारी-११४७, २०१३, ३५६९)

इस हदीस से साबीत होता है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) हमेशा ११ रकात तरावीह पढते थे (८ तरावीह+३वितर), चाहे रमजान होता या गैर-रमजान। अगर हम सलफ के रेकॉर्ड देखे तो पता चलता है के, कुछ सलफ २० रकात पढते थे तो कुछ ३६ रकात पढते थे।

तो नतीजा ये निकला के, हम तरावीह मे जितनी चाहे रकात पढ सकते है, लेकीन रसुलुल्लाह (ﷺ) का तरीका अपनाना है तो तरावीह मे ८ रकात नमाज पढनी चाहिए।

वितर की नमाज का सही सुन्नत तरीका
तहाज्जुद और वितर पढने का सही तरीका

वितर की नमाज रात की आखरी नमाज होनी चाहिए:

नबी (ﷺ) ने फरमाया, "जो शख्स आखीर रात में ना उठ सके (तहाज्जुद को ना उठ सके) तो वो शुरु रात में (इशा के बाद) वितर पढ ले और जो आखीर रात में उठ सके वो आखीर रात वितर पढे क्युंके आखरी रात की नमाज बहेतरीन है" (**सहीह** मुस्लीम-७५५)

पता चला के वितर रात की आखरी नमाज होनी चाहिए। जो शख्स तहाज्जुद मे उठना चाहता है तो वो तहाज्जद के बाद वितर पढे और जो तहाज्जुद में उठना नही चाहता है तो इशा के बाद ही वितर की नमाज पढ ले।

तहाज्जुद और वितर की कितनी रकाते?:

- तहाज्जुद की २, ४, ६, या ८ रकात पढ सकते है (२-२ कर के)
- वितर की १, ३, ५, ७ या ९ रकाते पढ सकते है। (सुनन अबु दाऊद-१४२२)**- ये हदीस सहीह है**

हदीस : हजरत आयशा (रजि) से रिवायत है के, रमजान होता या गैर-रमजान, रसुलुल्लाह (ﷺ) (रात की नमाज आम तौर पर) ग्याराह रकात से ज्यादा नही पढते। (पहेले) आप चार रकात पढते और उस नमाज की लंबाई और खुबसुरती को मत पुछीये, फिर आप चार रकात पढते और उस नमाज की लंबाई और खुबसुरती को मत पुछीये, फिर (आखीर) मे आप तिन रकात (वितर) पढते। (**सहीह** बुखारी-११४७, २०१३, ३५६९)

इस हदीस से साबीत होता है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) हमेशा ११ रकात तरावीह पढते थे (८ तरावीह+३वितर), चाहे रमजान होता या गैर-रमजान। इसलिए ज्यादातर वितर की ३ रकात नमाज पढी जाती है।

३ रकात वितर पढने का तरीका :

तिन रकात नमाज २ तरीको से पढी जा सकती है -

१. दो सलाम से तिन रकातः

तकबीर कहे कर हाथ बांधे, २ रकात पढे। २ रकात के बाद कायदा करे, कायदे के बाद २ सलाम करे। फिर १ रकात की नियत से खडे हो, एक रकात पढ कर कायदा करे और सलाम करे। (यानी पहेले २ रकात

नमाज पढे फिर १ रकात नमाज पढे) (Ibn Hibbaan (२४३५); Ibn Hajar said in *al-Fath* (२/४८२): **its isnaad is qawiy (strong))**

२. एक सलाम से तिन रकातः

तिन रकात की नियत से खडे हो, लगातार तिन रकात नमाज पढे, दुसरी रकात में नही बैठेंगे, तिसरी रकात पढने के बाद कायदा करेंगे और सलाम करेंगे।

हदीस : हजरत आयशा (रजि) फरमाती है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) ३ रकात वितर पढते थे और वो आखरी रकात के अलावा किसी रकात मे नही बैठते थे। (al-Nasaai, ३/२३४) **- ये हदीस हसन है।**

दुआ-ए-कुनुत पढना :

दुआ-ए-कुनुत दो तरहा से पढी जा सकती है :

१. रुकु से पहेलेः

दुआ-ए-कुनुत आखरी रकात में पढी जाएगी। सुरे फातेहा के बाद एक सुरा मिलाले और फिर दुआए-कुनुत (या दुआए-कुनुत नाज़ीला) पढे। फिर रुकू कर के सजदा करे। दोनो एक साथ भी पढी जा सकती है। (**सहीह** बुखारी-१००२)

२. रुकु के बादः

आखरी रकात में सुरे फातेहा के बाद कोई भी सुरा पढ कर रुकु में जाए, रुकु से उठ कर (समीअल्लाहु लिमन-हमीदाह) पढ कर दुआ-ए-कुनुत (या दुआए-कुनुत नाज़ीला) पढे। और दुआ पढने के बाद सिधे सजदे में जाए। **(नोट : रुकु के बाद दुआए कुनुत पढने वाली सब रिवायते जईफ है, इसलिए रुकू से पहेले दुआ-ए-कुनुत पढना चाहिए)**

दुआ-ए-कुनुत

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ
وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ
اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ
نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ
اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

दुआ-ए-कुनुत नाज़िला

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِيْ فِيْمَنْ
عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ
مَآ اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ
وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ
مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

(رواه الترمذی وابوداؤد عن حسن رضو وسندہ صحیح)

ترجمہ :۔ اے اللہ! مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں جن کو تُو نے ہدایت دی، مجھے
عافیت دے ان لوگوں میں جن کو تُو نے عافیت دی، مجھ کو دوست بنا ان لوگوں
میں جن کو تُو نے دوست بنایا، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما
اور مجھے اس چیز کے شر سے بچا جو تو نے مقدر کر دیا ہے اس لئے کہ تو حکم کرتا ہے،

नोट :

१. दुआ-ए-कुनुत वितर की नमाज मे पढना जरूरी नही है। लेकीन पढ ली जाए तो अच्छी बात है, ना पढे तो कोई नुकसान नही है।
२. दुआ-ए-कुनुत पढते वक्त दुआ के लिए जिस तरहा हाथ उठाए जाते है उस तरहा नमाज में हाथ उठा सकते है। या फिर हाथ बांध कर भी दुआ-ए-कुनुत पढी जा सकती है।
३. दुआ-ए-कुनुत से पहेले अल्लाहु अकबर कहे कर हाथ उठाना किसी भी सहीह या जईफ हदीस से साबीत नही है।
४. हदीस : वितर की नमाज को मगरीब की तरहा पढना मना है।

सलातुल तस्बीह नमाज पढने का सही तरीका

सलातुल तस्बीह नमाज हो सके तो रोज पढे, अगर ना हो सके तो जुमा के दिन पढे, अगर ये भी ना हो सके तो महिने मे एक बार पढे, अगर ये भी ना हो सके तो साल में एक बार पढे, और अगर ये भी ना हो सके तो जिंदगी में एक बार जरूर पढे।

<u>तस्बीह</u>

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ
وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

चार रकात नफील नमाज़ की दिल में नियत करे। हर रकात मे सुरे फातेहा और एक सुरा पढे, फिर कयाम मे (रुकु से पहेले) १५ बार ये ही कलमा (तस्बीह) पढेंगे। फिर रुकू मे जाने के बाद ये ही कलमा १० बार पढेंगे। फिर रुके से उठने के बाद ये ही कलमा १० बार पढेंगे। फिर सजदे मे १० बार, फिर जलसे मे १० बार और दुसरे सजदे मे १० बार यही कलमा पढेंगे । दुसरे सजदे से उठने के बाद दुसरे जलसे में १० बार ये कलमा पढेंगे। इसतरहा १ रकात मे ७५ बार तो चार रकातो मे ३०० बार यही कलमा पढा जाएगा। (सुनन अबी दाऊद-१२९७, तिरमीजी-४८१, इब्ने माजा-१३८६)**- ये हदीस सहीह है**

<u>सलातुल तस्बीह नमाज पढने की फजीलत :</u>

सलातुल तस्बीह पढने वाले के गुनाह माफ कर दिए जाते है, पहेले और आखरी, पुराने और नये, जानबुछ कर और अंजाने में, छोटे और बडे, जाहीरी और बातनी। (सुनन अबी दाऊद-१२९७)

ईद की नमाज पढने का सुन्नत तरीका

१. **सदका-ए-फितर :** रसुलुल्लाह (ﷺ) ने हुकुम दिया के ईदुल-फितर की नमाज अदा करने से पहेले सदका-ए-फितर अदा किया जाए (सहीह बुखारी और सहीह मुस्लीम)
२. जुमा, अरफा, कुर्बानी और ईदैन (ईद) के दिन गुस्ल करना चाहिए (बैहाकी:३/२७८)
३. **आजान और इकामत :** जाबीर-बिन-अब्दुल्लाह बयान करते है के, मै ने रसुलुल्लाह (ﷺ) के साथ ईद की नमाज पढी, आप ने बगैर आजान और तकबीर के, खुतबे से पहेले नमाज पढाई (सहीह मुस्लीम-७७५)। रसुलुल्लाह (ﷺ) , अबुबकर (रजि), उमर (रजि) और उस्मान (रजि) पहेले नमाज पढते फिर खुतबा देते (सहीह बुखारी-७७४)
४. सुन्नत व नफील : नबी (ﷺ) ईदगाह मे सिवाय ईद की २ रकातो के ना पहेले नफील पढे और ना बाद में (सहीह बुखारी-९६४)
५. खजुर : नबी (ﷺ) ईदुल फितर (रमजान ईद) मे कुछ खा कर नमाज को निकलते, और ईदुलजुहा (बकरी ईद) मे नमाज पढ कर खाते (तिरमीजी, इब्ने माजा)। रसुलुल्लाह (ﷺ) ईदुल फितर के दिन ताक (१,३,५,७) खजुरें खा कर ईदगाह जाया करते थे। (सहीह बुखारी-९५३)

६. रास्ता बदल कर ईदगाह जाए : जाबीर-बीन-अब्दुल्लाह बयान करते है, रसुलुल्लाह (ﷺ) ईद के दिन ईदगाह में आने जाने का रास्ता तबदील फरमाया करते थे (सहीह बुखारी)

७. नमाज की तकबीर : आयशा सिद्दीका (रजि) बयान करती है के, बेशक अल्लाह के रसुल (ﷺ) ईदुल फितर और ईदुल जुहा की नमाज की अव्वल रकात में ७ तकबीरात और दुसरी रकात में ५ तकबीरात कहते (अबु-दाऊद, तिरमीजी) - दोनो ही रकातो मे तकबीरात सुरे फातेहा पढने से पहेले होंगे। हर तकबीर पर रफैयदैन करे और हर तकबीर के बाद हाथ बांधे। इमाम उंचे आवाज़ से और मुक्तदी आहिस्ता अल्हमद शरीफ पढे, फिर इमाम उंचे आवाज़ से किरात पढे और मुक्तदी चुप चाप सुने।

८. रफैयुलदैन : अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रजि) फरमाते है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) हर उस तकबीर मे हाथ उठाते जो रुकुह मे जाने से पहेले करते, यहा तक के आप की नमाज मुकम्मल हो जाती। (अबु-दाऊद-७२२)

९. खुतबा : ईद का खुतबा मिम्बर पर ना पढे - अबु सईद खुदरी (रजि) की हदीस से मालुम होता है के ईदगाह मे मिम्बर का एहतेमाम मरवान-बिन-हाकीम की अहद मे किया गया (सहीह बुखारी-९५६, सहीह मुस्लीम-७७९)

१०. तकबीरात : अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रजि) ईदुल फितर के दिन घर से ईदगाह तक तकबीरात कहते (बैहाकी) "अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा"। इब्ने मसुद (रजि) तकबीरात इस तरहा कहते "अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला-इलाहा इललल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, व-लिल्लाहीलहम्द"। (इब्ने शेबा)।

११. ईद और जुमा अगर एक दिन हो तो : ईद की नमाज के बाद जुमा के बारे मे रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, "जो चाहे जुमा की नमाज अदा करे और जो चाहे वो अदा ना करे" (इब्ने माजा)। ऐसी सुरत में उसे जोहर की नमाज अदा करनी होगी।

१२. ईद की मुबारकबाद : "तकब्बल्लाहु मिन्ना व मिन-कुम" कह कर करे। यानी अल्लाह कबुल करे मेरी और आप की तरफ से..... ईद मुबारक कहना भी जायज़ है, पर उपर की दुआ कहना रसुलुल्लाह (ﷺ) और सहाबाओ की सुन्नत है।

१३. ईद की नमाज का सही तरीका :

- सब से पहेले अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ बांधे।
- फिर सना पढेंगे।
- फिर सुरे फातेहा से पहेले ७ मरतबा तकबीरात करेंगे। चाहे तो हाथ उठा कर करेंगे या हाथ बांध कर। (हर तकबीर मे हाथ उठा कर बांधना है, हाथ छोडना नही है)
- फिर सुरे फातेहा पढेंगे और कोई सुरा और पढेंगे।
- फिर दुसरी रकात में खडे होने के बाद सुरे फातेहा से पहेले ५ बार तकबीर कहेंगे। फिर सुरे फातेहा पढेंगे और कोई और सुरा पढेंगे।
- नोट: जहा जितनी तकबीरे होती है वहा उन के साथ उतनी ही तकबिरे अदा करे, इस से नमाज मे कोई फरक नही पडेगा।

सजदा-ए-तिलावत और सजदा-ए-शुक्र

सजदा-ए-तिलावत :

१. सजदा-ए-तिलावत उस सजदे को कहते है जो कुरआन मे सजदे की आयत पढने के बाद करते है। इसे शरीयत ने मुस्तहब (पसंदीदा) दर्जे पर रखा है। सजदा-ए-तिलावत फर्ज नही है बल्की सुन्नत है।

२. इब्ने उमर (रजि) रिवायत करते है की, जब रसुलुल्लाह (ﷺ) किसी सुराह की तिलावत करते जिस में सजदा होता तो वो सजदे में चले जाते और हम भी वही करते और हम में से कुछ को जगह नही मिलती थी (**सहीह** बुखारी, हदीस-१०७९)

३. रबिया (रजि) रिवायत करती है की, उमर बिन अल-खत्ताब ने जुमा के दिन मिम्बर पर सुरे नहल की तिलावत की और जब वो सजदा की आयत पे पहोचे तो वो मिम्बर से उतर कर सजदा किया और साथ में लोगो ने भी किया। अगले जुमा के दिन उमर बिन अल-खत्ताब ने उसी सुराह की तिलावत की और जब वो आयते सजदा पे पहोचे तो उन्हो ने कहा, "ऐ लोगो! जब हम सजदा की आयत तिलावत करते है, जो सजदा करता है वो सही करता है, फिर भी जो सजदा नही करता है उस के उपर कोई गुनाह नही है। और उमर (रजि) ने (उस दिन) सजदा नही किया। उन्हो ने कहा "अल्लाह ने तिलावत के सजदे को फर्ज नही किया है लेकीन अगर कोई चाहे तो वो कर सकता है" (**सहीह** बुखारी-१८३)
४. सजदा तिलावत मे वही पढना चाहिए (सुब्हाना रब्बीयलआला) जो हम नमाज में सजदे में पढते है।
५. सजदा तिलावत करने से पहेले मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नही है, दिल में नियत होना काफी है।
६. सजदे की आयत का तरजुमा पढते वक्त सजदा करने की जरूरत नही है। और अगर कोई सजदे की आयत याद कर रहा हो तो उस के लिए एक बार ही सजदा कर लेना काफी है, या फिर ना भी करे तो कोई गुनाह नही है।

सजदा-ए-शुक्र :

१. सजदा-ए-शुक्र किसी खुशी के मिलने पर या कोई गम टालने पर या जब दिल खुशी महेसुस करे उस हाल मे करना चाहिए।
२. अबुबकर (रजि) रिवायत करते है की, जब भी कोई चिज रसुलुल्लाह (ﷺ) के पास आती जिस से वो खुश होते तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदा करते (सुनन अबु दाऊद, बुक ऑफ जिहाद, हदीस-२७६८) **- ये हदीस सहीह है**
३. सजदा शुक्र मे वही पढना चाहिए (सुब्हाना रब्बीयलआला) जो हम नमाज में सजदे में पढते है।

नमाजी के आगे से गुज़रना

सुतराह :

यहा सुतराह से मुराद वो चिज है जिसे नमाजी अपने आगे खडा कर के नमाज पढता है, ताके इस के आगे से गुजरने वाला सुतराह के आगे से गुजर जाए और गुनाहगार ना हो। ये सुतराह लाठी, बारची, लकडी, दिवार, सुतुन और दरख्त से होता है और इमाम का सुतराह सब मुक्तदीयो के लिए काफी होता है। एक हाथ इतनी लंबी लकडी सुथरा बन सकती है (सुनन अबी दाऊद-८६८)।**- ये हदीस सहीह है।**

- नमाज की हालत मे नमाजी के सामने से जाने वालो को हाथ के इशारे से रोक ले, ना माने तो उस से झगडा करे। (**सहीह** मुस्लीम-५०५)
- ना-बालीग नमाज के सामने से जाए तो कुछ नही होता।
- औरत, गधा या काला कुत्ता नमाजी के सामने से गए तो नमाज टुट जाती है। (**सहीह** मुस्लीम-५१०)
- अगर कोई शख्स नमाजी के आगे बैठा हुआ था तो उठ के जाना चाहे तो जा सकता है, उसे कोई गुनाह नही मिलेगा, सामने से हटना नमाज तोडना नही है।
- कोई दुसरा आदमी नमाजी के आगे सुतराह रख सकता है।
- इमाम का सुतराह मुक्तदीयो के लिए काफी है। (सहीह हदीस)। चुंके इमाम का सुतराह मुक्तदीयो के लिए काफी है इसलिए अगर कोई शख्स जमाअत में नमाजीयो (मुक्तदीयो) के सामने से गुजर जाए तो भी कोई मसला नही है। हजरत इब्ने अब्बास (रजि) गधा लेकर नमाजीयो (मुक्तदीयो) के सामने से गुजरे थे और उन्हे किसी ने नमाज में नही रोका (**सहीह** मुस्लीम-५०४, **सहीह** बुखारी-४७२)
- आप (ﷺ) ईद की नमाज के वक्त नेजे को सुतराह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। (सहीह हदीस)
- सुतराह कम से कम शहादत की उंगली या अंगुठे के लंबाई बराबर मोटा होना चाहिए। (सहीह हदीस)
- सुतराह की लंबाई कम से कम देढ फुट होनी चाहिए।(सहीह हदीस)

नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह :

१. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, "अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाले को गुजरने की सजा मालुम हो जाए तो इसे एक कदम आगे बढने की बजाए ४० तक वही खडे रहना पसंद हो। अबु नसर (रजि) ने कहा के मुझे याद नही रहा के बसर बिन सईद ने ४० दिन कहे या ४० महिने या ४० साल। (**सहीह** बुखारी, अल-सलाह, हदीस-५१०, **सहीह** मुस्लीम, अल-सलाह, हदीस-५०७)

२. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया, "तुम नमाज अदा करते वक्त आगे सुतराह खडा करो और अगर कोई शख्स सुतराह के अंदर से गुजरना चाहे तो इस की मजहमत करू (इस को रोको) और इसको आगे से ना गुजरने दो (उस को हाथ से रोक लो)। अगर वो ना माने तो उस से लडाई करो, बेशक वो शैतान है। (**सहीह** बुखारी, अल-सलाह, हदीस-५०, **सहीह** मुस्लीम हदीस-५०५)

नमाजी के सामने सुतराह ना होने पर कितना हिस्सा छोड कर हम नमाजी के सामने से गुजर सकते है?

सुथरे के आगे से जाने में कोई मसला नही है। लेकीन अगर नमाज के सामने सुतराह नही है तो इस बारे में अलग-अलग उलमाओ के अलग-अलग कौल है।

- इमाम अबु हनिफा (रहे) का कौल है के तीन सफ छोड कर (एक उंट की जगह छोड कर) नमाजी के सामने से जा सकते है ।
- इमाम शाफई का कौल है के दो सफ छोड कर (गाय गाय बैठनी की जगह छोड कर) नमाजी के सामने से जा सकते है।
- इमाम अहमद-बिन-हंबल फरमाते है के एक सफ छोड कर (एक बकरी की जगह छोड कर) नमाजी के सामने से जा सकते है।

छोटे बच्चे को गोद मे लेकर नमाज पढ सकते है

रसुलुल्लाह (ﷺ) फर्ज नमाज के लिए निकले, आप की नवासी उमामा आप को छोड नही रही थी। आप उमामा को गोद मे लेकर निकले। आप ने अल्लाहु अकबर कहा वो गोद में बैठी और आप ने कयाम किया, आप ने अल्लाहु अकबर कहा नवासी को बाजु मे रखा और रुकु किया, फिर आप ने दोनो सजदे किये, जब आप सजदे से उठे तो फिर वो आ कर चिपक गई, फिर आपने गोद में लिया और खडे हो कर नमाज पढी। (**सहीह** बुखारी, जिल्द-१, किताब-९, हदीस-४९५)

मालुम हुआ के मां घर मे अकेली है और बच्चा छोटा है तो नमाज पढते वक्त बच्चा कुछ कर ना दे जिस से के कुछ जानी या माली नुकसान हो जाए, इस डर से मां उस को गोद मे ले कर नमाज पढ सकती है।

दाढी किस तरहा रखनी चाहिए और दाढी के डिजाईन बनाना कैसा है?

- नबी (ﷺ) ने फरमाया, ''लानत है उन मर्दो पर जो औरतो की मुशाबीयत (नकल) इख्तीयार करते है और लानत उन औरतो पर जो मुर्दे की मुशाबीयत (नकल) इख्तीयार करती है'' (**सहीह** बुखारी और **सहीह**

मुस्लीम)। इस हदीस से मालुम हुआ के मर्दो का दाढी मुंढवाना भी औरतो की मुशाबीयत इख्तीयार करना है।

- सय्यदना अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रजि) रिवायत करते है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया, ''दाढीया बढाओ, मुंछे पस्त करो और मुशरीकीन की मुखालीफत करो''। (**सहीह** बुखारी और **सहीह** मुस्लीम-५००)।
- **दाढी के मुख्तलीफ डिजाईन** जो आज आम तौर से देखने में मिलते है ये शरई दाढी नही कहलाती और ना ही ऐसी दाढी का कोई सवाब मिलता है। सुन्नत तरीके से दाढी रखी जाए तो ही सवाब मिलता है।

चंद मौलवीयो का ये मानना है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने दाढी छोडने के लिए कहा है इसलिए वो दाढी चाहे कितनी भी लंबी हो जाए उसे काटते नही। इस लिए वो चंद मौलवी सय्यदना अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रजि) को एक मुश्त (मुठ्ठी) के बाद दाढी कटवाने की वजह से बिदअती कहते है। ऐसा कहने वाले लोग सहाबा के गुस्ताख है क्युंके नबी (ﷺ) ने फरमाया, ''अब्दुल्लाह-बिन-उमर नेक मर्द है''। ऐसे नेक मर्द जिन के वालीद अमीरुल मोमीनीन थे, हज्जे तमट्टो पर अमीरूल मोमीनीन ने पाबंदी लगाई तो अब्दुल्लाह-बिन-उमर ने अपने वालीद के खिलाफ बगावत कर दी थी और कहा के मेरे बाप पर शरीयत नाजील नही हुई है शरीयत मुंहम्मद रसुलुल्लाह (ﷺ) पर नाजील हुई है, नबी (ﷺ) ने हमे हज्जे तमट्टो की इजाज़त दी और हम हज्जे तमट्टो करेंगे।

<u>अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रजि) को ले कर लोगो की गलतफहीमी:</u>

अब्दुल्लाह-बिन-उमर हज और उमरे पर ही एक मुश्त से ज्यादा बढी हुई दाढी काटते थे ये कुछ लोगो की गलत फहीमी है। अब्दुल्लाह-बिन-उमर रमज़ान में जब रोजा इफ्तार करते तो ये दुआ पढते ("Dhahaba athama' wa'abtalata al'urooq wa thabat'al'ajr insha'Allah) इसी में इसी हदीस के आगे अल्फाज है और साथ ही रावी **मरवान इब्ने सलीम अल-मुकफ्फा** कहते है की मै ने अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रजि) को २ अमल करते हुए देखा है एक इफ्तार से पहेले दुआ और दुसरा अब्दुल्लाह-बिन-उमर मुठ्ठी के बाद दाढी काट दिया करते थे। (सुनन अबी दाऊद-२३५७, इंग्लीश बुक-१३, हदीस-२३५०) **इस हदीस को शेख अल्बानी (रहे) ने सहीह कहा है।** जो लोग कहते है के अब्दुल्लाह-बिन-उमर हज और उमरा के मौके पर ही दाढी काटते थे तो इस हदीस को देखे इस में ना हज का जिक्र है ना उमरे का जिक्र है।

<u>एक ही सहीह हदीस है जिस में नबी (ﷺ) के दाढी की लंबाई बताई गई है:</u>

यजीद अल फारीसी (रहे) ताबयी ये एक दिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि) के पास आए और कहने लगे के मै नें नबी (ﷺ) के ख्वाब में देखा है तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि) ये सुन कर फौरन फरमाया की बयान करो के मै ने नबी (ﷺ) से ये बात सुनी है के जिस ने मुझे ख्वाब में देखा है उस ने मुझे ही देखा मेरी शकल में शैतान नही आ सकता (सहीह बुखारी व मुस्लीम)

फिर यजीद अल फारीसी (रहे) ताबयी ने ये ख्वाब डिटेल से बयान किया, उस ख्वाब को सुन्ने के बाद अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि) ने मोहर लगा दी और फरमाया जो तुने ख्वाब बयान किया है अगर तु अपनी जिंदगी में भी नबी (ﷺ) को देखता तो इस से अलग ना पाता, यही हुलिया नबी (ﷺ) का था।

हदीस में है के, मै ने नबी (ﷺ) को ख्वाब में देखा आप का कद ना बहोत लंबा था ना बहोत छोटा बल्की दरमियानी था, आप (ﷺ) का रंग मुबारक ना बहोत सफेद था ना बहोत काला था बल्की गंदुमी सफेद था और सुर्ख था, आप (ﷺ) की आँखे मुबारक सुरमागी थी, आप (ﷺ) का चेहरा मुबारक खुबसुरत और गोल था, आप (ﷺ) की **दाढी मुबारक** इंतेहाई घनी और पुरे चेहरे पर फैली हुई थी और सिने के उस हिस्से तक थी जिस को **नहर** कहते है। **(शमाएल तिरमीजी, हदीस-४१२)**

नहर : नहर अरबी लफ्ज है, नहर उस हड्डी को कहते है जो गले का हिस्सा खत्म हो कर सिने की हड्डी शुरु होती है। नबी (ﷺ) की दाढी मुबारक सिने के इब्तेदाई हिस्से नहर तक थी और थुड्डी के निचे से नहर तक **एक मुठ्ठी** होती है।

लंबी दाढी को एक जगह जमाना कैसा है?

कुछ लोग एक मुठ्ठी के बाद दाढी नही काटते और लंबी दाढी को अंदर की तरफ लपेट देते है वो लोग समझते है की नबी (ﷺ) की यही सुन्नत है और दाढी नही काट के हम मुस्तहब काम कर रहे है लेकीन शैतान ने उन्हे ऐसा हत्ते चढा दिया है के वो मुस्तहब करने की चक्कर में हराम के मुरतकीब हो जाते है और वो हराम ये है - **नबी (ﷺ) ने रुवैफी (रजि) से फरमाया के तुम मेरे बाद ज्यादा जियो तो जब मेरा कोई उम्मती मिले तो ये पैगाम पहोचाना के जो अपनी दाढी को घेरा लगाते है (लपेटते है) उन का मुहंम्मद (ﷺ) से कोई तालुक नही। (सुनन अबु दाऊद, हदीस-३६ सुनन नसाई, हदीस-५०६७)- ये हदीस सहीह है**

तयम्मुम का तरीका (वजु और गुस्ल का एक ही तरीका)

तयम्मुम जब किया जाता है जब वजु या गुस्ल के लिए पानी मयस्सर ना हो।

तरीका :

- बिस्मील्लाह हिररमेनानिररहीम (तस्मीया) पढे
- दोनो हाथो की हथेलीयो को पाक और साफ मिट्टी पे आहिस्ता से मारे, और अपने पुरे चेहरे को दोने हथेलीयो से मले जिस तरहा वजु में मलते है। **(नोट- मिट्टी दस्तीयाब ना होने पर पत्थर से भी तयम्मुम किया जा सकता है या फिर गर्द व गुबार वाली पथरीली/फर्श वाली जमीन जिस पर धुल मिट्टी हो इस्तेमाल की जा सकती है।)। पत्थर से तयम्मुम करते वक्त हाथेलीयो को पत्थर पे मले फिर अपने चेहरे पर हथेलीया मले, फिर पत्थर पर हथेलीया मलकर पहेले सिधे फिर उलटे हाथ को दुसरे हाथ से मले।**
- फिर मिट्टी पर हथेलीयो को मारे और अपने उलटे हाथ से सिधे हाथ के कोहनी तक मले और सिधे हाथ से उलटे हाथ के कोहनी तक अच्छी तरहा मले और उंगलीयो के दरम्यान खिलाल करे। मलते वक्त कोई बाल बराबर जगह न बचे इस बात का खयाल रखे। आप का तयम्मुम हो गया। **वजु और गुस्ल के लिए तयम्मुम का एक ही तरीका है, अगर वजु की नियत से किया तो वजु हो गा और अगर गुस्ल की नियत से किया तो गुस्ल हो गा।**

तयम्मुम की शर्ते:

- पानी का ना होना
- पानी है लेकीन इस्तेमाल नही कर सकते। मिसाल - वजु कर ली तो पकाने के लिए पानी नही रहेगा या बिमारी की वजह से डॉक्टर ने पानी इस्तेमाल करने से मना किया है।
- मिट्टी का पाक होना
- पानी अगर मिल जाए तो तयम्मुम खत्म हो जाएगा, अब पानी से वजु या गुस्ल करना जरूरी है।
  नोट : वजु, तहारत, तयम्मुम टुटा के नही टुटा ऐसा शक हो तो इस के लिए एक उसुल याद रखीए के, **यकीन शक से खत्म नही होता**। इस का मतलब ये है के अगर आप को यकीन है के वजु है लेकीन शक है के शायद टुटा होगा तो यकीन को मान लिजीए।

मुकीम कसर की नमाज़ कैसे पढे :

१. मुकीम के लिए कसर की नमाज़ नही होती। जिस तरहा नॉर्मल नमाज़ अदा करते है उसी तरहा अदा करें।

बिमार इंसान इशारो से नमाज़ कैसे पढे ?

१. अगर आप बहोत बिमार है, माजुर है, मजबुर है, कमजोर है और आप में खडे हो कर नमाज़ पढने की ताकत ही नही, उस वक्त आप बैठकर नमाज़ पढ सकते हैं। अगर बैठने की ताकत नही है तो लेट कर (मुंह किबले की तरफ होना चाहिए) नमाज़ पढ सकते हैं। अगर किबले की तरफ मुंह करके सो नही सकते तब पिठ के बल लेट कर किबले की तरफ पैर किए जाए। ऐसी हालत में सजदे मे जाए बिना सिर्फ सर (Head) के इशारे से या आँख के इशारे से नमाज़ पढ सकते है।

२. अगर वज़ु करने की ताकत हो तो वज़ु करे। अगर पानी से बिमारी बढने का खतरा हो या कोई परेशानी होने का डर हो तो तयम्मुम करे।

३. अगर बिमार इंसान इतना कमजोर है के वो खुद तयम्मुम नही कर सकता तो कोई और उसका तयम्मुम करवाय।

४. अगर हाथ, पैर या चेहरे पर जखम है और आप वज़ु के दौरान उसे पानी से नही धो सकते तो उस जखम को या उस हिस्से को पानी से पोंछ ले और अगर पानी से पोंछने मे भी तकलीफ हो तो तयम्मुम करे।

इशारे से नमाज़ पढने का तरीका ये है के, आप पहेले अल्लाहु अकबर कहे, फिर सना पढे, फिर औज़ुबिल्लाही मिनशशैतानिर्रजीम (taawuz), बिस्मील्ला हिररहेमा निररहीम (Tasmia) पढ कर, अल्हमद शरीफ पढे और कोई एक सुरा पढे। फिर रुकु मे जाने के लिए थोडा सा सर झुकाऐं । सजदे में जाए तो थोडा और ज़्यादा सर झुकाऐं। सजदे से खडे होने के लिऐ सर को उठा लें।

अगर खडे होने की ताकत है लेकीन झुकने की ताकत नही है तो खडे-खडे सर के इशारे से नमाज़ पढे और अगर खडे नही हो सकते और झुक नही सकते तब बैठ कर सर के इशारे से नमाज़ पढे।

सजदा-सहु के मसईल और तरीका

सहु का मतलब होता है भुल। **नमाज़ में अगर कोई भुल चुक हो जाए या कुछ कम ज्यादा जो जाए तो सजदा-सहु करने का हुकूम होता है।** सजदा-सहु सलाम से पहेले और सलाम के बाद भी किया जा सकता है। नमाज मे गलती याद आए तो नमाज मे सजदा-सहु करे और नमाज के बाद याद आए तो नमाज के बाद मे भी सजदा-सहु अदा किया जा सकता है।

१. सहु का माना 'भुल' होता है।

२. अगर आप गलती से दोनो तरफ सलाम कर दिए और उस के बाद सजदा-सहु के सजदे किये तब भी नमाज़ हो जाएगी।

३. जमात मे देर से आने वाले ने गलती से इमाम के साथ सलाम फेर लिया या तशाहुद मे बैठने के बाद सिर्फ अत्तहियात पढना था लेकीन दुरूद और दुआ भी गलती से पढ ली तो उसे सजदा-सहु करना जरुरी नही।

४. इमाम के पिछे नमाज़ पढते वक्त अगर कोई भुल हो जाए तो सजदा-सहु करने की जरूरत नही होती लेकीन इस का गुनाह मिलेगा।

५. रफैयदैन करना भुल जाने पर सजदा-सहु करने करी जरूरत नही।

६. भुल चुक से नमाज़ में कम या ज्यादा रकाते पढ ले ते सजदा-सहु करने से कमी पुरी हो जाती है।

- सजदा-सहु एक रकात के बराबर होता है।
- शक हुआ के मै ने रकात कम पढी या ज्यादा पढी। तो शक दुर कर ले और दोनो में से जो कम रकाते थी उसे मान ले। **मिसाल के तौर पे** - १ पढी या २ पढी ऐसा शक हुआ तो १ माने। २ पढी या ३ पढी ऐसा शक हुआ तो २ माने। ३ पढी या ४ पढी ऐसा शक हुआ तो ३ माने।

- अगर ३ रकात ही पढी और शक हुआ के ४ रकात पढी और सजदा-सहु किया तो जो एक रकात कम पढी थी उस की कमी सजदा-सहु ने पुरी कर दी। यानी ४ रकात नमाज़ पुरी हुई।
- अगर ४ रकात ही पढी लेकीन फिर भी शक हुआ के ३ रकात पढी और सजदा-सहु किया तो कुल ५ रकात हुई। १ रकात नमाज जो ज्यादा पढी थी वो शैतान को रुस्वा करने के काम आयी क्युंकी शैतान ने ही भुल डाली थी।
- अगर ५ रकात पढी लेकीन शक हुआ के ४ रकात नमाज़ पढी और सजदा-सहु किया तो आप की कुल ६ रकात नमाज हुई। तो २ रकात जो ज्यादा पढी थी वो नफील में गिनी जाएगी।
- तो मालुम ये हुआ के कम रकाते पढी तो सजदे-सहु उसे पुरा कर देगा। ज्यादा पढी तो सजदे-सहु सवाब देगा और बराबर हुई तो शैतान को रुस्वा करेगा।

७. नमाज मे किसी भी किस्म की कमी या ज्यादती हो जाए तो सजदा-सहु कर ले। जैसा के, कायदे मे बैठे बिना उठ गए, या ज्यादा या कम रकात पढली।

८. एक से ज्यादा गलतीया करे तो भी एक ही सजदा-सहु होंगा।

९. अगर भुल कर २ रुकु कर लिये या ३ सजदे कर लिये तो सजदा-सहु करना चाहिए, अगर कम किये जैसे - रुकु नही किया या १ सजदा किया तो सजदा-सहु से नमाज सही नही होगी, बल्की दोबारा पढना होगी।

१०. अगर अल्हमद के बाद हम ये सोचने लगे के कौन सा सुरा पढे और इतनी देर तक सुरा ना पढा जितनी देर मे ३ बार सुब्हानल्लाह बोल सकते है तो सजदा-सहु करना होगा। इसलिए अल्हमद के फौरन बाद सुरा पढ लेना चाहिए।

११. अगर सुरा पढने के बाद भी रुकु मे नही गए, बल्की खडे रहे और इतनी देर तक खडे रहे जितनी देर मे ३ बार सुब्हानल्लाह बोल सकते है तो भी सजदा-सहु करना होगा। इसलिए सुरा के फौरन बाद रुकु मे चले जाना चाहिए।

१२. अगर किसी शख्स ने फर्ज या नफील (सुन्नत, नफील) में दुसरी रकात में पुरा तशहुद पढ लिया (यानी पुरा अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ भी पढ ली) तो ये सुन्नत है उसे सजदु-सहु वाजीब नही होता। (सुनन निसाई-१७२१)

१३. फर्ज की आखरी दो रकातो में अगर किसीने अल्हमद के बाद सुरा पढ लिया तो ये सुन्नत है उस पर सजदा सहु वाजीब नही होगा। (बुखारी-७७६, मुस्लीम-१०१३-१०१४)

१४. सुरो को बदलती तरतीब में पढ लेने से सजदा-सहु वाजीब नही होता। (सहीह मुस्लीम-१८१४)। लेकीन कुरआनी तरतीब के मुताबीक पढना सुन्नत है।

१५. अगर किसी शख्स ने पहिली लंबी सुरत की बजाए छोटी सुरत पढली और दुसरी रकात मे लंबी वाली सुरत पढली तो सजदा-सहु वाजीब नही होता (सहीह मुस्लीम-२०२८)

१६. हम अत्तहियात पढने के लिए बैठे लेकीन अत्तहियात की जगह गलती से कुछ और पढ दिया तो भी सजदा-सहु करना होगा।

१७. अगर हम ३ या ४ रकात वाली नमाज पढ रहे है और हम को दुसरी रकात मे अत्तहियात के लिए बैठना था लेकीन बैठना भुल गए तो सजदा-सहु करने से नमाज सही हो जाएगी।

१८. अगर हम ३ या ४ रकात वाली नमाज पढ रहे है और हम को दुसरी रकात में अत्तहियात के लिए बैठना था लेकीन हम खडे होने लगे और खडे होते होते ही हम को खयाल आया के अत्तहियात तो पढी ही नही ऐसी हालत में अगर हमारे पैर मुडे हुए ही थे और हम वापस बैठ गए तो नमाज सही हुई, सजदा-सहु करने की जरुरत नही। लेकीन अगर हम खडे हो गए तो अब बैठना नही बल्की आखरी में सजदा-सहु कर के नमाज को सही कर ले।

१९. अगर हमे खडे रहना था लेकीन बैठ गए तो सजदा-सहु करना पडेगा।

२०. अगर हम ४ रकात नमाज पढ रहे है और चौथी रकात मे भी अत्तहियात के लिए बैठना भुल गए और खडे होने लगे, और खडा होते होते खयाल आया के हम को बैठना है तो अगर निचे की बॉडी (हमारे पैर) सिधे नही हुए थे तो बैठ जाए और अत्तहियात, दुरुद इब्राहीम और दुआ-मासुरा पढ कर सलाम फेर दे, यहां सजदा-सहु की जरुरत नही लेकीन अगर हमारे निचे की बॉडी (हमारे पैर) सिधे हो गए उस के बाद

भी याद आया तो बैठ जाए, बल्की अल्हमद भी पढ ली हो, या सुरा भी पढ लिया हो या रुकु में भी चले गए हो, वहा तक भी खयाल आया तो बैठ जाए और सजदा-सहु कर ले। लेकीन अगर रुकु करने के बाद भी खयाल नही आया और सजदा कर लिया तो अगर ये फर्ज नमाज थी तो वापस पढे क्युंके ५ रकात होने के बाद ये नफील हो गई, इसलिए १ रकात और मिला कर इस को ६ रकात पुरा कर ले, इस हालत मे सजदा-सहु ना करे, लेकीन अगर ५ रकात पढ कर ही सलाम फेर दिया तो ४ रकात नमाज हो गई और १ रकात बेकार हो गई।

२१. अगर नमाज में १ या १ से ज्यादा गलतीया हो गई जिन पर सजदा-सहु करना जरुरी था तो दोनो के लिए १ ही सजदा-सहु से नमाज हो जाएगी।

२२. हम से नमाज में कुछ गलती हो गई थी जिस से हम को सजदा-सहु करना था लेकीन फिर भी सजदा-सहु करना भुल गए और दोनो तरफ सलाम फेर दिया, ऐसी हालत में अगर हम नमाज वाली जगह पर ही बैठे है और हमारा सिना काबा की तरफ से नही हटा, ना हम ने किसी से बात की, ना ऐसा कोई काम किया जिस से नमाज टुट जाती है, तो भी याद आने पर सजदा-सहु कर ले, नमाज दुरुस्त हो जाएगी, अगर कोई कलमा या वजीफा करना शुरु कर दिया तो हो तो भी सजदा-सहु कर ले।

२३. अगर ३ या ४ रकात वाली नमाज पढनी थी लेकीन गलती से दुसरी रकात मे ही दोनो तरफ सलाम फेर दिया, फिर याद आया के हम को ३ या ४ रकात नमाज पढनी थी, तो अगर जगह से नही उठे थे, ना किसी से बात की थी, ना सिना काबा से फिरा था तो खडे हो कर बाकी नमाज पढ ले और सजदा-सहु कर ले। लेकीन अगर नमाज को तोडने वाली कोई बात कर दी तो फिर से नमाज पढनी होगी।

२४. वितर नमाज में दुआ-ए-कुनुत पढना भुल गए तो सजदा-सहु करना जरुरी है।

२५. वितर नमाज में दुआ-ए-कुनुत की जगह सना पढने लगे, फिर याद आने पर दुआ-ए-कुनुत पढ ली तो सजदा-सहु नही करना है।

२६. नमाज पढने में अगर कोई फर्ज रहे गया या उस में गलती हो गई तो सजदा-सहु करने से भी नमाज सही नही होगी, बल्के नमाज को दोबारा पढना होगा।

सजदा-सहु के सुन्नत तरीके:

सजदा-सहु तिन तरहा से किया जाता है।

१. **नमाज के दौरान :** अगर नमाजी को नमाज के दौरान शक हो जाए या कोई कमी/ज्यादती हो जाए तो सजदा-सहु करने का तरीका ये होगा के : आखरी तशाहुद में बैठकर पुरा अत्तहियात, दुरूदे इब्राहीम और दुआ पढ ली जाए, फिर सजदा-सहु के २ सजदे करे, फिर आखीर मे सिधी तरफ और बायी तरफ सलाम कर के नमाज मुकम्मल कर ले।

२. **नमाज के बाद (कम रकात पढने पर) :** नमाज के फौरन बाद अगर कोई आ कर आप से कह दे के आपने एक रकात नमाज कम पढी, तो इस वक्त सजदा-सहु इस तरहा करे के : छुटी हुई एक रकात पढे, तशहुद में पुरा अत्तहियात, दुरूद इब्राहीम और दुआ पढ कर सिधी और बायी तरफ सलाम करे, फिर सजदा-सहु के दो सजदे करे, फिर दोबारा सिधी और बायी तरफ सलाम करे। **नोट:** ये अमल बहोत जल्द याद आने पर ही होगा।

३. **नमाज के बाद (ज्यादा रकात पढने पर) :** नमाज के फौरन बाद अगर कोई आ कर आप से कह दे के आपने एक रकात नमाज ज्यादा पढी, तो इस वक्त सजदा-सहु इस तरहा करे के : खडे हो कर, 'अल्लाहु अकबर' कहे कर सजदे मे जाए, सजदा-सहु के २ सजदे करे, फिर सिधी और बायी तरफ सलाम करे।

नमाज की नियत करना कैसा है?

नियत दिल के इरादे को कहते है। मुंह से नियत पढना बिदअत है। नबी-ए-करीम (ﷺ) फरमाते है के, अमल की बुनियाद नियतो पर है"(BUKHARI,1,54,2529,3898,5070,2520, MUSLIM 1907). दिल में ये नियत होनी चाहिए के मै फला नमाज पढ रहा हुँ। मुंह से नियत पढ कर अल्लाह को तफसील देने की जरूर नही है, अल्लाह सब जानता है। ज़बान से नियत पढना नबी (ﷺ) से, साहबा और चौरो इमाम के अमल से साबीत नही है।

नमाज की नियत तो उसी वक्त हो जाती है जब इंसान आजान सुन कर घर से मस्जीद की तरफ चल पडता है, जिस की बिना पर उसे हर कदम पर नेकी मिलती है।

कुरआन पढने की फजीलत

कुरआन की बेशुमार फजीलते है लेहाजा कुछ ही फलीजलते हम आप के सामने पेश कर रहे है।

१. कुरआन जन्नत का रास्ता है।
२. कुरआन पढने वाला कयामत के दिन हज़रत मोहंम्मद (ﷺ) के सब से ज़्यादा करीब होगा।
३. कुरआन पढने वाले को हर हुर्फ (character, वर्ण) पर दस (१०) नेकीया मिलती है। **अलीफ-लाम-मिम** एक नही बल्के तीन हुर्फ हुए (Al-Tirmidhi Hadith 2137 Narrated by Abdullah ibn Mas'ud)
४. जन्नत में अल्लाह **हाफीजे कुरआन** से कहेगा की कुरआन पढते पढते जन्नत की सिढीया चढते जा। कुरआन हाफीज कुरआन पढते-पढते जन्नत के दर्जो पर चढता जाएगा। जब उस का कुरआन पुरा होगा तो वो जन्नतुल फिरदौस मे होगा। (जन्नतुल फिरदौस जन्नत का सब से उंचा व आला सर्वोत्तम दर्जा है) (सुनान तिरमीजी-२९१४) **- ये हदीस हसन है**
५. **हाफीजे कुरआन** अपने घर के १० लोगो को जन्नत मे ले जाएगा जे जहान्नम में जाने वाले थे। (Sunan Tirmidhi, hadith: २९०५, Sunan Ibn Majah, hadith: २१६, Musnad Ahmad, vol. १ pg. १४७/१४९) **- ये जईफ है**
६. सुरे मुजम्मील मे कहा गया है के कुरआन खुब ठहर ठहर कर पढा करे।
७. कुरआन की तिलावत से सिना नुर से भर जाता है।
८. जिस घर मे कुरआन की तिलावत होती है वो घर फरीश्तो को इस तरहा चमकता नज़र आता है जिस तरहा जमीन वालो को आसमान पर सितारे चमकते नज़र आते है। इस घर मे खैर व बरकत का नुजुल होता है।
९. कुरआन की तिलावत करने वाले कयामत के दिन की सख्तीयो से महेफुज़ रहेंगे।
१०. कुरआन की तिलावत से बंदा कबर के अज़ाब से महेफुज़ रहता है।
११. कुरआन की तिलावत रिज़क मे इजाफा, जादु से बचाव, खैर व बरकत और इज्जत का जरीया है।
१२. कुरआन की तिलावत सुन्ने के लिए फरीश्ते जमीन पर उतर आते है।
१३. कयामत के दिन कसरत से कुरआन की तिलावत करने वालो को और कुरआन को हिफ्ज (याद करना) करने वालो को इज्जत व शर्फ के साथ ताज और लिबास से नवाजा जाएगा।

कुरआन को तरतील से पढने के उसुल

हदीस : हुजुर (ﷺ) ने फरमाया बिना कोई शक तुम मे से बहेतर वो शख्स है जो कुरआन सिखे और दुसरो को सिखाए (बुखारी)

कुरआन : कुरआने करीम मे सुराह मुज़म्मील (७३) की आयत नं.४ में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है के, "कुरआन को खुब ठहर ठहर कर पढो"। **यानी कुरआन को तरतील के साथ पढो।**

तजवीद = the rules governing pronunciation during recitation of the Qur'an. (कुरआन को सहीह तलफ्फुज से पढना)

तरतील = recitation of Qur'an "in proper order" and "with no haste." Recite the Qur'an in slow measured rhythmic tones (कुरआन को ठहर ठहर कर लय में पढना)

मखरज क्या है?

हुरफ निकलने की जगह को मखरज कहते है। अरबी में २९ हुरफ (अल्फाबेट) होते है। हलक, जबान, मुंह का खला, होंट, नाक, ये हुरफ निकलने की जगह है। हुरफ जैसे ح और ه पढने में एक जैसे लगते है। लेकीन दोनो को अलग अलग पॉईंट (मखरज) से पढा जाता है। अगर दोनो को एक ही पॉईंट से पढा जाए तो कुरआन के लफ्ज का माना बदल जाता है। इसी तरहा से जहा लफ्ज को खिंचना है वहा ना खिंचा जाए और जहा नही खिंचना है वहा खिंचा जाए तो भी लफ्ज का माना बदल जाता है। इसलिए उलेमा फरमाते है के कुरआन को मखरज से पढना, तजवीद और तरतील सिखना मुसलमान पर वाजीब है।

निचे फोटो में बताया गया है के मुंह के और गले के किस हिस्से से कौन से हुरफ निकलने चाहिए -

उसुल नं.१ :

१. अगर लफ्ज 'अल्लाह' से पहेले वाले हुरफ पर 'ज़बर' और 'पेश' हो तो इस लफ्ज को **मोटा** कर के पढते है।

२. **मिसाल के तौर पे -**

यहा लफ्ज 'अल्लाह' के पहेले 'पेश' आया है, इसलिए 'ला' को बडा कर के पढेंगे।

यहा लफ्ज 'अल्लाह' के पहेले 'ज़बर' आया है, इसलिए 'ला' को बडा कर के पढेंगे।

३. अगर लफ्ज 'अल्लाह' से पहेले वाले हुर्फ पर 'ज़ेर' हो तो इस लफ्ज को **बारीक** कर के पढते है।

मिसाल के तौर पे -

यहा लफ्ज 'अल्लाह' के पहेले 'ज़ेर' आया है, इसलिए 'ला' को बारीक कर के पढेंगे।

<u>उसुल नं.२ :</u>

'मद' की तिन किस्में होती है - १) खडी मद, २) दरमियानी मद और ३) बडी मद। मद का माना होता है बढाना, लंबा कर देना।

१. **<u>खडी मद :</u>** इस मद को पढने का आसान तरीका ये है के अपने हाथ की उंगलीया बंद कर के सिर्फ दो (२) उंगलीया खोले। जितना इन दो (२) को खोलने पर लगता है उतना ही इस वक्त इस को पढने में दे।

Example وَالَّيْلِ إِذَا سَجٰى ، وَالضُّحٰى

यहा हुरफ 'अलीफ' पर खडा मद है इसलिए 'आ' को दो उंगली खोलने में जितना वक्त लगता है उतना लंबा पढेंगे।

२. <u>दरमियानी मद:</u> इस मद को चार (४) उंगलीया खोलने का वक्त दे

यहा हुरफ 'ला' पर दरमियानी मद है इसलिए 'ला' को चार उंगली खोलने में जितना वक्त लगता है उतना लंबा पढेंगे।

३. <u>बडी मद:</u> इस मद को छ: (६) उंगलीया खोलने का वक्त दे।

यहा हुरफ 'अलिफ' और हुरफ 'मिम' पर बडा मद आया है इसलिए हुरफ 'अलिफ' और हुरफ 'मिम' को छ: (६) उंगली खोलने में जितना वक्त लगता है उतना लंबा पढेंगे।

<u>उसुल नं.३ :</u>

१. निचे दिए हुए हुरफ पर अगर 'जज़म' आ जाए तो इन्हे इस तरहा पढते है जैसा के ये डबल है, इस खास अंदाज से पढने को अरबी मे 'कलकला' कहा जाता है। 'जज़म' को 'सुकुन' मी कहा जाता है।

मिसाल के तौर पे -

यहा हुरफ 'बा' पर 'जज़म' है इसलिए हुरफ 'बा' को डबल पढा जाएगा - **अब्ब**दुल्लाह

२. लेकीन अगर इन हुरफ पर (उपर दिये हुए हुरफ पर) ज़बर, ज़ेर या पेश हो तो फिर कलकला के साथ नही पढा जाएगा यानी डबल कर के नही पढा जाएगा।
३. कभी कभी ऐसा भी होता है के हुरफ कलकला साकीन तो नही होता (यानी इन हुरफ पर जज़म नही होता) मगर उस पर वक्फ करना (ठहेरना) पडता है, ऐसी सुरत में भी कलकला होगा यानी लफ्ज को डबल पढा जाएगा।

मिसाल के तौर पे -

यहा हुरफ 'का' आखरी मे है और यहा पर हमे ठहरना है। चुंके ये हुरफ 'का' है और इस पर 'जज़म' नही है तो भी इस हुरफ को डबल पढेंगे।

<u>उसुल नं.४ :</u>

<u>मिम गुन्ना :</u>

इन पर तशदीद होती है। मिम मी आवाज़ को २ सेकेंड तक नाक में छुपा कर एक अलीफ इतना खिंचे और दो हरकत ले। मिम साकीन के ३ कायदे है।

१. मिम साकीन (मिम पर जज़म) के बाद मिम आए तो गुन्ना करेंगे।

Example اَمَّا، فَلَمَّا

२. मिम साकीन के बाद 'बा' आए तो गुन्ना करेंगे।

يَعْتَصِمْ بِاللهِ - كَفَرْتُمْ بِهِ

३. मिम साकीन के बाद 'बा' या 'मिम' छोड कर दुसरे हुरफ आए तो गुन्ना नही होगा

فَلَمَّا لَمْ

<u>नुन गुन्ना :</u>

१. नुन गुन्ना का हुरफ २ सेकेंड तक नाक से खिंचा जाएगा। नुन साकीन (नुन पर जज़म) के बाद इख्फा हुरफ आए तो नुन की आवाज को नाक में छुपा कर एक अलीफ इतना खिंचे और दो हरकत ले।

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض

<u>इख्फा हुरफ =</u> ط ظ ق ف ك

२. अगर 'नुन साकीन (नुन पर जज़्म)' के बाद हलक से निकलने वाले हुरफ (ء ه ع ح غ خ) में से कोई हुरफ ना हो तो फिर 'नुन साकीन' को नुन गुन्ना (नाक में से) की आवाज में बदल दे और गुन्ना करे। इस में जबान थोडा सा उपर जबडो पर लगेगी।

मिसाल के तौर पे -

مَنْ هَاجَرَ - مَنْ حَرَّمَ - مِنْ عَلَقٍ - مَنْ خَلَقَ - وَانْحَرْ

३. अगर 'वाव तशदीद/या तशदीद' से पहेले 'नुन साकीन' या 'तनवीन' नही है तो गुन्ना इस तरहा करे के पुरा आवाज सिर्फ नाक से ही ना निकले बल्के मुंह और नाक दोनो से निकले। (दो जबर, जो जेर या दो पेश को तनवीन कहते है)

مَنْ يَّعْمَلْ - اَفَمَنْ - وَّعَدْنَاهُ → noon sakin

رِجَالًا وَّنِسَاءً - فَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ → tanween

तनवीन =

४. अगर तनवीन के बाद हलक के अल्फाज मौजुद है तो गुन्ना ना करे।

نَارًا حَامِيَةً - نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

५. अगर नुन साकीन के बाद कोई हलक के अल्फाज मौजुद नही नही है तो गुन्ना करे।

اَنْتَ - اَنْزِلْ - نُنْجِ

६. अगर तनवीन के बाद हलक के अल्फाज मौजु नही है तो गुन्ना करे।

قُطُبٌ قَيِّمَةٌ - بِدَمٍ كَذِبٍ

७. अगर 'नुन साकीन/तनवीन' के बाद 'बा'आए तो 'नुन साकीन/तनवीन' को 'मीम' की आवाज से बदले और १ सेकंड का गुन्ना करे।

اَبَدًا بِمَا ، مِنْ بَقْلِهَا ، مِنْ بَعْدِ ، اَنْبِئُوْنِيْ - عَمًّا بَعِيْدًا

مِنْ بَنِيْٓ ، مُنْفَطِرٌ بِهٖ ، نَفْسٍ بِمَا

८. अगर 'नुन तशदीद' या 'मीम तशदीद' पर वक्फ किया तो नुन गुन्ना या मीम गुन्ना करना पडेगा।

بِجَهَنَّمَ	بِٱلنَّاصِيَةِ	ٱلنَّاسِ	لَتَرَوُنَّ	أَنَّ
إِنَّا	فَأُمُّهُۥ	فَأَمَّا	وَأَمَّا	عَمَّ

उसुल नं.५ :

बारीक हुरफ:
जिन हुरफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश हो वो बारीक कर के पढते है, इन हुरफ को १ सेकंड में पढा जाएगा। इन हुरफ को हरकात कहा जाता है जैसे बु, बे, बी

लंबे हुरफ:

इन को मद कहते है। १) अलीफ, २) या, ३) वाव - ये तीन मद है इन्हे खिंच कर पढा जाता है।

१. जिस 'खाली अलिफ' (यानी अलिफ पे कोई जबर, जेर, पेश नही) से पहेले 'ज़बर' हो वो 'अलिफ मद' कहलाता है।

२. जिस 'वाव साकीन' (यानी वाव पे जज़म) से पहेले 'पेश' हो वो 'वाव मद' कहलाता है।

३. जिस 'या साकीन' (यानी या पे जज़म) से पहेले ज़ेर हो वो 'या मद' कहलाता है।

رَحِيمٌ

नोट : यहा जो मद वाला हुरफ है और उस के पहेले जो हुरफ है इन दोनो को मिलाकर २ सेकंड तक मोटा कर के (खिंच कर के) पढेंगे।

Example→ قَالَ → قَلْ , جُوْعٌ → جُعٌ , جِيْنَ → جِنَ ,

उसुल नं.६ :

लीन: लीन दो तरहा के होते है १) वाव लीन, २) या लीन

''वाव साकीन'' के पहेले वाले हुरफ पर अगर ज़बर आए तो उसे 'वाव लीन' कहते है।
''या साकीन'' के पहेले वाले हुरफ पर अगर ज़बर आए तो उसे 'या लीन' कहते है।

१. लीन को खिंच कर नही पढा जाएगा।

example → صَوْمًا، زَوْجًا →'waw leen', أَيْنَ، بَيْعٌ →'yaa leen'

२. अगर लीन सेकंड-लास्ट हुरफ हो तो खिंच कर पढा जाएगा।

لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ، صَيْفِ، خَوْفِ

उसुल नं.७ :

'रा' के उसुल :

- अगर 'रा' के उपर ज़बर या २ ज़बर या पेश या २ पेश हो तो 'रा' को पुरा मुंह भर के पढा जाएगा।

  Example ➔ أَمَرَ , كَرُبَ ,

- अगर 'रा' पर ज़ेर या २ ज़ेर हो तो 'रा' को हलका मुंह पढा जाएगा।

  Example ➔ رِجَالٌ، رِحْلَةٌ & حِجْرٍ ,

- अगर 'रा साकीन' से पहेले ज़बर या पेश हो तो 'रा साकीन' को पुरा मुंह भर के पढा जाएगा।

  Example ➔ , أُرْكُضْ ، أَرْسَلَ & فَانْصُرْ ,

- अगर 'रा साकीन' से पहेले ज़ेर हो तो 'रा साकीन' को हलके मुंह से पढा जाएगा।
- अगर 'रा' पर तशदीद के साथ ज़बर या पेश हो तो 'रा' को मुंह भर के पढा जाएगा।

  لَيْسَ الْبِرَّ   يُسِرُّوْنَ

- अगर 'रा' पर तशदीद के साथ ज़ेर हो तो 'रा' हलके मुंह पढा जाएगा।

  مِنْ شَرِّ

- अगर आप को 'रा' पर रुकना है और उस से पहेले 'या साकीन' है तो 'रा' को हलके मुंह पढे।

  بَعِيْرٌ ۝ قَدِيْرٌ ۝ خَيْرٌ ۝

- अगर 'रा साकीन' से पहेले मुंह भर के पढे जाने वाले ७ हुरफ मे से कोई हुरफ हो तो 'रा साकीन' को मुंह भर के पढे।

  مِرْصَادْ - قِرْطَاسْ

उसुल नं.८ :

वक्फ

१. वक्फ में आखरी हुरफ पर दो ज़बर आए तो उसे एक ज़बर से बदल दे और खिंच कर पढे।

فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا & إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

२. वक्फ में आखरी हुरफ पर दो ज़ेर या दो पेश आए तो उसे जज़म में बदल दे और खिंच कर ना पढे।

"Two zer" example→ اَلَّذِیْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ
Here
خَوْفٌ → خَوْفٍ & جُوْعٌ → جُوْعٍ
'two pesh' example→
وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ - وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ -

उसुल नं.९ :

''खडा ज़बर, खडा ज़ेर, उल्टा पेश'' इन तिनो को मद की तरहा खिंच कर पढा जाता है।

मिसाल -

waw has ulti pesh ↘ ↙ laam has karri zabar
اِلٰفِ ۔ وُرِیٰ
→ hamza has karri zer

उसुल नं.१० :

خ ص ض ط ظ غ ق
kawf ghaw zaw taw dhaw saw khaw

इन हुरफ को मोटा कर के (मुंह भर के) पढा जाता है।

तहारत और बैतुलखला के मसले

१. अगर तहारत के लिए पानी और ढेले ना हो तो टिशु पेपर, न्युज पेपर, रुमाल या कपडे जैसी चिज़ो को इस्तेमाल कर के ग्लाजत (गंदगी) को साफ कर ले और जैसे ही पानी हासील हो शर्मगाह को धो ले. ऐसे हालात अक्सर सफर के दौरान आते है। खडु भी (chalk, चॉक) ढेले के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है।

२. जब भी तहारत या बैतुलखला आए और अगर तहारत खाना या बैतुलखला ना हो तो मैदान में इंसानी नज़रो से दूर जाए। नबी अकरम (ﷺ) जब भी हाजत आती थी तो इंसानी नज़रो से बहोत दुर चले जाते थे, उन्हे कोई भी नही देख पाता था।

३. तहारत खाने मे तावीज, लिखी हुई आयात, इल्लाह का नाम ना लेजाए।

४. बैतुलखला मे जाने पर दाया (left) पैर पहेले अंदर डाले। पैर डालने से पहेले ये दुआ पढे **''अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजुबिका मिनल-खुबुसे वल-खबाईस''**। अगर अंदर जाने के बाद दुआ पढने की याद आए तो दिल मे दुआ पढे, मुंह से ना पढे। दुआ पढने से फायदा ये होगा के, बैतुलखला मे जो बेहद गलीज (गंदे) जिन (male aur female दोनो) होते है जो हम के ताडते है और नुकसान पहोंचाते है उनसे हमारी हिफाजत होती है और हमारे और उन के बिच पर्दा आ जाता है जिस की वजह से वो हमे देख नही सकते। बैतुल खला से फारीग होने पर बाहर निकलते वक्त सिधा पैर बाहर डाले और बाहर आने के बाद ये आयत पढे **''अल्हम्दु लिल्लाहील-लजी अज-हबा अनी-ईल-अजा व-आफानी''** या **''गुफरानका''** पढे.

५. खुली जगह मे बैतुलखला के लिए बैठे तो चेहरा या पीठ किबले की तरफ कर के ना बैठे। बंद बैतुलखला मे कोई मसला नही है।

६. नबी अकरम (ﷺ) ने फरमाया डरो तीन किसम की मलामतो और लानतो से। १) लोगे के रास्ते, २) सायदार पेड (या फलदार पेड), ३) पानी का कोई घाट (नदी, समंदर या तालाब का किनारा) पर बैतुलखला करने से बचो। ये तिन चिज़े मलामते और लानते है। क्यों के इन चिज़ो से लोगो के नुकसान होता है और लोग लानत भेजते रहते है।

७. फारीग होते वक्त (बैतुलखला करते वक्त) बातचीत (गुफ्तगु) करना मना है।

८. दो लोग एक साथ अगर बैतुलखला के लिए जाए तो एक दुसरे से छुप कर बैठे और एक दुसरे से बात ना करे।

मर्द हज़रात पैशाब के बाद इस्तीबरा कैसे करे?

जब भी कोई शख्स कज़ाए हाजात करेगा तो उस पर इस्तींजा करना जरूरी हो जाता है। पेशाब या पाखाना करने के बाद पानी से या दिगर चिज़ से साफ करने को **इस्तींजा** कहते है।

इस्तीबरा : ये एक मुस्तहब (पसंदीदा) अमल है जो मर्द हजरात पेशाब के बाद इस वजाह से अंजाम देते है ताके ये इतमीनान हो जाए के नली मे पेशाब बाकी नही रही। इस का तरीका ये है के, पेशाब से फारीग होने के बाद उलटे हाथ की बिच की उंगली को पाखाने के मकाम से नली के जड तक निचोडे और इस के बाद अंगुठे को पेशाब की नली के उपर और अंगुठे के साथ वाली उंगली को पेशाब की नली के निचे रखे और दबा कर खतना के मकाम तक ले आए, फिर ३ बार झटके।

१. अगर किसी ने पेशाब करने के बाद इस्तीबारा नही किया और और पेशाब करने के बाद नली से गिलापन खारीज हुआ, और वो नही जानता के ये पाक है या ना-पाक तो वो नजीस (नापाक) है और वजु को तोड देती है।
२. अगर काफी वक्त गुज़र जाने की वजह से उसे इतमीनान हो के पेशाब नली में बाकी नही रहा था और इस दौरान गिलापन निकल आए और उसे शक हो के ये पाक है या नही तो वो गिलापन पाक होगा और उस से वज़ु भी नही टुटेगा।

तहारत क्या है? नजासत की किस्में

तहारत का मतलब सफाई और पाकीजगी हासील करना है, अपने जिस्म से हर किस्म की गंदगी को पाक करना। नमाज के लिए जिस्म, लिबास, और इबादत की जगह का हर तरहा की निजासत और गंदगी से पाक होना जरूरी है, इसलिए तहारत हासील करना इबादत के लिए जरूरी है।

नजासत दो तरहा की होती है। १) मानवी २) हिस्सी ।
मानवी नजासत नजर नही आती, जैसे के शिर्क, कुफ्र, बिदअत, हसद (जलन), नफरत, किना, बुग्ज वगैरा।
हिस्सी नजासत नजर आने वाली नजासत होती है, जैसा के पेशाब, पाखाना, मजी, मनी, मधी वगैरा।

कुरआन : सुरे तौबा (९) की आयत नं.२८ में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है ऐ इमानवालो मुशरीक निरे नापाक है तो इस बरस के बाद वो मस्जीदे हरम में ना आने पाए। **इस से पता चला के शिर्क करने वाला नापाक है। शिर्क सब से बडी मानवी नापाकी है।**

हदीस : अल्लाह के रसुल (ﷺ) इरशाद फरमाते है के मोमीन नापाक नही होता। **इस से मुराद के मोमीन का दिल नापाक नही होता। दिल अगर गैरुल्लाह से जुड जाए तो आदमी शिर्क करने लगता है।**

कुरआन : * और हम ने आस्मान से पाक पानी नाजील किया पाक करने वाला
(सुरे फुरकान (२५), आयत-४८)
* अल्लाह तआला तुम पर आस्मान से पानी बरसाता है ताके इस के जरीये तुम्हे पाक कर दे
(सुरे अनफाल (८), आय-११)
* अल्लाह तआला फरमाता है के, अगर तुम को पाकी हासील करने के लिए पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। (सुरे माएदा (५), आयत नं.६)

पता चला की तहारत की असल पानी है। और अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम से भी पाकी हासील की जा सकती है।

पानी की ३ किसमें है:
१. तहुर : वो पानी जो अपनी असली हालत में बाकी रहे, जैसे - बारीश का पानी, नहेर, दर्या और

समंदर का पानी। इस पानी को गुस्ल और वजु के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

२. **ताहिर :** वो पानी जिस में पाक चिज़ मिल जाए, जैसे - दुध, शकर, लिंबु, सिमेंट, शरबत, जुस वगैरा। ये पानी खाने पिने के लायक है लेकीन आप को पाक नही करेगा। अगर पानी में कोई पाक चिज गिर जाए जिस से पानी का नाम नही बदलता तो वो पानी भी पाक होगा ऐसा उलमाओ ने फतवा दिया है जैसे - पानी में पत्ते गिर जाए या थोडा सा नमक गिर जाए या काफुर मिलाया जाए इन चिजो से पानी का नाम नही बदलता।

३. **नजीस :** अगर साफ पानी में नापाक चिज गिर जाए तो वो नजीस पानी कहलाता है।

पानी को पाकी किस तरहा तै की जाए:

पानी पाक है या नही ये मालुम करने के लिए एक उसुल याद रखीए। जिस पानी में गंदगी गिरने से उस का रंग, मजा या बु बदल जाए वो नजीस पानी कहलाएगा। इन तिनो में से कोई एक भी तबदीली नजर आए तो पानी नापाक होगा चाहे वो कितना भी बडा हौज क्यु ना हो। समंदर या बहेते हुए पानी में गंदगी गिरने से भी वो नापाक नही होगा क्युंके उस का रंग, मजा और बु जाहीर नही होती।

आप (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के समंदर का पानी पाक है और समंदर का मुरदार (मरा हुआ) जानवर हलाल है। (नोटः मुरदार जानवर का गोश्त, चमडा और हड्डी नापाक है सिवाय मछली के)

गंदगीः

इंसान के दो रास्तो से जो चिजे निकलती है वो गंदगी कहलाती है, जैसे - पेशाब, पाखाना, मनी, वदी, वजी, हैज और निफाज। इसी तरहा से ज़ुबाह करने की वजह से जानवर का जो खुन निकलता है वो भी नापाक है। इंसान का खुन बहेने से वजु नही टुटता क्युंके बहोत से वाकिये मिलते है के सहाबा इकराम जखमी हालत में भी नमाज पढते थे। हजरत उमरे फारूक (रजि) पर कातीलाना हमला हुआ तो आप ने जखमी हालत में भी नमाज़ पढी। इसी तरहा से हराम जानवरो का पेशाब और पाखाना भी हराम है।

मज़ीः

मजी गंदे अश्लिल खयाल से, या ॲडल्ट पिच्चर या फोटे दोखने से आता है। जिस के निकलने से मजा खत्म नही होता। इसके निकलने से गुस्ल नही टुटता लेकीन इस को साफ कर लेना चाहिए। मजी नजीस होता है इसलिए इस को पानी से साफ किए बगैर नमाज पढना ठिक नही। हदीस में आता है के कपडे पर जिस जगह मजी लगी हो वहा पानी छिडक लेना काफी है, उसे धोने की जरुरत नही।

मनी और हैज़ का खुनः

मनी मर्द का गाढा और सफेद होता है और औरत का पतला और पिला होता है। ये जिन्सी तालुकात (सेक्स) के वक्त, या निंद में, या मुश्तजनी (हस्तमैथुन, masturbation) करने पर पुरे प्रेशर से निकल जाता है, जिसके निकल जाने से मजा खत्म हो जाता है। ये निकलने के बाद इंसान नापाक हो जाता है और उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। मनी नजीस नही होता। जिस कपडे पर मनी लग गया हो उस कपडे पर मनी सुखने के बाद उसे खरोच लेना चाहिए फिर आप उस कपडे पर नमाज भी पढ सकते है।

- हजरत आयशा (रजि) से मरवी है की, मैं नबी (ﷺ) के कपडे से मनी को खुरच दिया करती थी फिर आप (ﷺ) उसी कपडे में नमाज अदा फरमा लेते थे (**सहीह** मुस्लीम, किताबुत-तहारा, हदीस-२८८, अबु दाऊद - ३७१, तिरमीजी-११६)
- हजरत आयशा (रजि) बयान करती है की, मैं रसुलुल्लाह (ﷺ) के कपडे से मनी को धोया करती थी फिर आप (ﷺ) नमाज के लिए निकलते और पानी से धोने के निशानात आप (ﷺ) के कपडे में मौजुद होते। (**सहीह** बुखारी-२२९, **सहीह** मुस्लीम-२८९, अबु दाऊद-३७३)

मालुम हुआ के धोने के बाद ख्वा कपडे पर मनी के निशानात ही क्यु ना बाकी हो कपडा पाक ही होता है।

- हजरत आस्मा बिनते अबु बकर (रजि) से मरवी है के, नबी (ﷺ) ने कपडे को लग जाने वाले हैज़ के खुन के मुतालीक फरमाया : ''पहेले उसे खुर्चो, फिर पानी के साथ मल कर धो लो, फिर उस में पानी बहा कर उस में नमाज पढ लो'' (**सहीह** बुखारी-३०७, **सहीह** मुस्लीम-२९१, अबु दाऊद-३६०, तिरमीजी-१३८, नसाई - १/१५५, इब्ने माजा-६२९)

नजासत को दुर करने के तरीके :

१. कुत्ता अगर बरतन में मुंह डाले तो उस बरतन को पाक करने के लिए ७ बार पानी से और एक बार मिट्‌टी से धोना जरूरी है वरना वो बरतन नापाक ही रहेगा।
२. दुध पिता बच्चा कपडे पे पेशाब कर दे तो पानी के छिंटे मारने से नजासत दुर होती है। लडका हो तो छिंडा मारे और लडकी हो तो कपडे को धो ले।
३. मुर्दा जानवर के चमडे नापाक है, उस को पाक करने के लिए उस को रंग देने से उस की नजासत खतम होती है।
४. हजरत उम्मे सलमा (रजि) से मरवी है के, आप (ﷺ) ने इरशाद फरमाया औरत का कपडा या बाल चलते हुए किसी गंदगी पर से गुजर जाए तो आगे वाली जमीन उस को पाक कर देगी। (उम्मे सलमा (रजि) के बाल इतने लंबे थे के जमीन तक पहोंचते थे) **यानी कपडे या बाल पर गंदगी चलते चलते लग गई है तो जमीन पर रगडने से गंदगी दुर हो जाएगी।**
५. निंद से जागने के बाद दोनो हाथो को ३ मरतबा पानी से धो ले क्युंके पता नही तुम्हारा हाथ रातभर कहा गुजरा (हदीस)
६. पानी ना हो तो ३ पत्थरो से गंदगी (पाखाना) साफ होगी। और पानी ना हो तो पेशाब से पाक करने के लिए ईट, टिशु पेपर, चॉक, कपडा या इस किसम की चिज जो पानी को जज़ब करने वालो हो इस्तेमाल की जा सकती है।
७. हैज और निफाज में औरत कुरआन को छु कर पढ नही सकती। कुरआन को बगैर छुए जो सुरे याद हो वो पढ सकती है यहा तक के हाथो में ग्लोज पहेन कर कुरआन को हाथ लगाकर पढती है तो जायज़ है (फतवा)।

पाक और नापाक कपडो को वॉशींग मशीन या बरतन मे एक साथ धोना :

उलमाओ के फतवे के मुताबीक वॉशींग मशीन या किसी बरतन मे पाक और नापाक कपडे एक साथ धोए जाए तो नापाक कपडे पुरे पानी को नापाक कर देंगे और पाक कपडे भी नापाक हो जाएंगे। अगर उन को मशिन से निकाल कर पाक पानी के टब मे डाल दे तो टब का पानी भी नापाक हो जाएगा। अगर टब का पानी बदल दिया जाए तो भी कपडे नापाक ही रहेंगे। इसी तरहा से इन कपडो को निचोड कर झाग पुरी तरहा से निकाल दिया और दुसरे टब मे पाक पानी लेकर कपडे को डुबा दिया तब भी कपडे नापाक ही रहेंगे और पाणी भी नापाक हो जाएगा। इसी तरहा से रस्सी पर सुखा दिया और इस्त्री भी कर दी तब भी कपडे नापाक ही रहेंगे, जब के कपडे साफ नज़र आ रहे हो।

नापाक कपडे को धोने का सही तरीका - **उलमाओ के फतवे के मुताबीक** कपडे के जिस हिस्से पर नापाकी लगी हो उस हिस्से को पकड कर नल खोलकर अच्छी तरहा मले। जो पानी कपडे को लग कर गिरेगा वो नापाक होगा लेहाजा उस पानी को जिस्म या कपडो पर लगने ना दे। जब आपको यकीन हो जाए के नजासत को पानी बहाकर ले गया और कपडे पर नजासत नही रही तो ये कपडा पाक हो गया (इस तरहा का खयाल दिल मे आना जरूरी है)। अगर नल या टुटी ना हो तो कपडे को एक हाथ से पकडे और दुसरे से उस पर पानी डालते जाए और निचोडते जाए जब तक के कपडा पाक ना हो जाए।

नजास्त नज़र ना आती हो तब पाक कैसे करे? **उलमाओ के फतवे के मुताबीक** पुरे कपडे को बादली मे इस तरहा भिगोए के बादली की उपरी सतह से कपडा बाहर ना हो, ताके कपडा पानी मे पुरी तरहा

से डुबा रहे। फिर नल (टुटी) खोल दे। बदली भरने के बाद कर पानी बहने लगेगा, थोडी देर पानी को बहेने दिजीए और टुटी बंद करे, अब पानी भी पाक हुआ और चादर भी।

धोबी के पास कपडे धोने के लिए दिये तो :

उलमाओ के फतवे के मुताबीक धोबी किस तरीके से कपडे धोता है ये हमे अगर मालुम है तो कपडे पाक है या नापाक हम ये अंदाजा लगा सकते है। लेकीन अगर धोबीका कपडे धोने का तरीका मालुम ना होने पर **एक उसुल** याद रहे। वो उसुल ये है के **"धोबी को पाक कपडे धोने के लिए दिए जाए तो पाक वापस आएंगे और नापाक दिए तो नापक ही वापस आएंगे"**। क्योंके जब तक हम नापाकी को अपनी आँखो से ना देख ले तो नापाकी का हुकूम नही लगा सकते। धोबी ने किसी दुसरे के नापाक कपडो मे हमारे पाक कपडे मिला दिए तब भी हम नही कहे सकते के कपडे नापाक हुए क्यों के हम ने अपनी आँखो से नही देखा। लेहाजा नापाक कपडे धोबी को देने से पहेले घर पर ही पाक कर ले।

फर्श पर छोटा बच्चा पेशाब कर दे तो पाक कैसे करें?

उलमाओ के फतवे के मुताबीक छोटे बच्चे ने जमीन पर पेशाब कर दी तो उसको पाक करने का तरीका ये है के, उस जगह पर पानी डाल कर बहा दे ताके पानी नापाकी को बहाकर ले जा सके। अकसर मां बच्चे के पेशाब को कपडे से साफ कर देती है। ऐसी हालत मे वो जगह नापाक ही रहती है। अगर थोडा पानी डाल कर कपडे से साफ करे तब भी वो जगह जब तक गिली है नापाक ही रहती है। इसलिए उस जगह को अच्छी तरहा सुखने दे तब ही वो पाक होंगी। जगह सुखने से पहेले उसपर गिला या सुखा पैर ना रखे वरना पैर नापाक हो जाएगा।

हैज़ के मसले

हैज एक खुन का नाम है जो बालिगा औरत के रहन से आता है और ये औरत की सेहत की निशानी है और अल्लाह तआला ने औरत के जिस्मानी निजाम की दुरूस्तगी को कायम रखने के लिए ये लाज़ीम करार दिया है। जब औरत हमल से होती है तो ये खुन बंद हो जाता है और यही खुन बच्चे की गिजा बन जाता है। औरतो के जिस्मानी तालुक से मुख्तलीफ औरत में मुख्तलीफ हैज के दिन होते है। **जैसे ही खुन आना बंद हो जाए औरत को चाहिए के गुस्ल कर के अपनी इबादते शुरू कर दे। खुन बंद होने के बावजुद भी बे-वजह खुद को नापाक समझ कर इबादते छोडना बिल्कुल जायज़ नही।** हैज की हालत में भी और जिक्र अजकार, दुआ, हिफाजत की दुआए, हिफाजत के लिए आयतुलकुर्सी पढ सकती है।

निफास के मसले

बच्चा पैदा होने के बाद औरत के रहन से जो खुन आता है उसे "निफास" कहते है।

सय्यदा आयशा सिद्दीका (रजि.) फरमाती है के, "अल्लाह तबारक व तआला अंसार की औरतो पर रहेमत नाजील फरमाए के, इन को शर्म व हया ने नबी-ए-करीम (ﷺ) से मसाईल पुछने से नही रोका"। ये अंसारी औरते जो नबी-ए-करीम (ﷺ) के पास आ कर अपने मसाईल मालुम करती थी और नबी-ए-करीम (ﷺ) उनके जवाब देते थे। बुखारी की रिवायत है के नबी-ए-करीम (ﷺ) एक कुंवारी लडकी से ज़्यादा शर्मीले थे लेकीन इस के बावज़ुद नबी-ए-करीम (ﷺ) औरतो को मसला बताते थे।

१. हमारे घरो में ये रिवाज बन गया है के बच्चे की पैदाईश के ४० दिन के बाद औरत पाक होगी और फिर नमाज़ शुरू करेगी। ये रिवाज बिल्कुल गलत है और गैर-इस्लामी है। जिस दिन औरत का खुन जाना बंद हो गया वो एक दिन और इंतेजार करे, अगर दुसरे दिन बिल्कुल खुन नही गया तो समझ ले की वो पाक हो गई है, वो फौरन गुस्ल कर ले और नमाज़ शुरू कर दे चाहे खुन का रुकना २ दिन मे बंद हो, ३ दिन मे बंद हो, या १० दिन मे बंद हो। अगर खुन रुकने के बावज़ुद गुस्ल कर के नमाज़े नही शुरू करेगी तो जितने दिन गुजरेंगे नमाज़े कजा करने का गुनहे कबीरा उन के नामा-ए-आमाल मे लिखा जाएगा।
२. निफास की कम से कम कोई मुद्दत नही है। निफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत ४० रोज है। अगर निफास ४० से ज़्यादा दिन चलती रहे तो ये देखा जाएगा के पहेले या दुसरे बच्चे के वक्त कितने दिनो बाद पाक

हुई थी। अगर पिछले बच्चे के वक्त वो १० दिन मे पाक हुई थी तो इस बार भी १० दिन ही गिने जाएंगे और बाकी के दिन इस्तेहाजा (बिमारी का खुना) मे गिने जाएंगे। इस्तेहाजा के दिनो मे जितनी भी नमाज़े छुटी है सब पढनी होगी।

हैज (period) की हालत मे औरत कौन सी दुआए पढ सकती है?

हैज की हालत मे औरत कुरआन नही पढ सकती और छु भी नही सकती। हैज की हालत मे कुरआन सुनने मे कोई हरज नही है। हैज की हालत मे औरत हिफाजत की दुआए पढ सकती है और वो आयते जो दुआओ की शकल मे है पढ सकती है। हिफाजत के लिए आयतलकुर्सी भी पढ सकती है।

हा अगर कोई औरत बच्चो को कुरआन पढाने के काम करती हो तो वो कुरआन को बराहेरास्त (डायरेक्ट) हाथ लगा नही सकती, उसे चाहिए के छडी का इस्तेमाल कर के पढाए और बच्चे को कोई लफ्ज पढना ना आए तो वो लफ्ज पढ कर बता सकती है लेकीन खास तौर से कुरआन नही पढ सकती।

हमबिस्तरी (मुबाशेरत, जिमा) के ताल्लुक से इस्लाम की रौशनी मे रहेनुमाई

इस किस्म के मसले हम अपनी शर्म व हया की वजह से किसी से पुछते हुए झिजगते है, मालुम करते हुए शर्माते है और जहालत मे ज़िंदगी गुजार देते है, चाहे जहान्नुम का अज़ाब मोल ले ले। इन मसाईल का बयान बहोत ज़्यादा जरूरी है। इन मसाईल का बयान नही होने की वजह से लोग लगातार गुनाहे कबीरा के गुनाहगार हो रहे है और ये समझ रहे है के इस्लाम ने इन मसलो पर रहेनुमाई (guidance) नही की है। इन मसलो की नबी-ए-करीम (ﷺ) ने रहेनुमाई फरमाई है। गलत तरी के से हमबिस्तरी करने पर हम बिमारीयो का शिकार होते है। चंद लोग इस किस्म की तालीमात पर सवाल उठाते है। स्कुल और कॉलेजो मे हमारे बच्चो को सेक्स के नाम पर क्या नही सिखाया जा रहा है। वो हम को मंजुर है लेकीन सुन्नत से ये बाते सिखना मंजुर नही, ये बडी अफसोस की बात है। अगर हम ज़ाती ज़िंदगी मे ये बात करे तो बेहयाई वाली बात है। जब हम दिन के मामले मे इन मसलो पर बात करे तो शर्म का तकाजा नही होता।

१. निकाह आधा दिन है जबके तहारत आधा इमान है।
२. अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना सदका है। सदका एक इबादत है और सदका सवाब का जरीया है।
३. हदीस पाक मे आता है के "ज़्यादा मोहब्बत करने वाले औरत से और ज़्यादा बच्चे देने वाली औरत से निकाह करो इसलिए के मैं रोजे कयामत तुम्हारी कसरत पर फक्र करूंगा, तुम्हारी ज्यादती पर फक्र करूंगा"। सवाल ये है के, हमे ये कैसे मालुम होगा के ज़्यादा बच्चे देने वाली औरत कौन है? तो औरत के खानदान को देखो के उस के वालीद, चाचा, बहेन, भाई को कितने बच्चे है।
४. निकाह की पहेली रात अपनी बीवी को खाने या पिने का कुछ तोहफा दे - ये सुन्नत से साबीत है।
५. जब आप बीवी से पहेली बार मिले तो उसके सामने के बाल अपने सिधे हात से पकडे और ये दुआ करे "अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलोका मिन खैरीया व-खैरी मा जबलतहा अलैही व अऊजुबीका मिन शररीहा व शररी मा जबलता अलैही" (ये दुआ नयी सवारी खरीदने की भी है, नया गुलाम खरेदने की भी है और बीवी से पहेली बार मिलने की भी है) - ये अमल और दुआ सिर्फ पहिली रात को ही करे।
६. हमबिस्तरी करने से पहेले नमाज़ पढे। मिया बीवी एक साथ २ रकात नमाज़ पढे। नमाज़ के लिए मर्द आगे खडा हो और बीवी पिछे खडी रहे।
७. हमबिस्तरी का इरादा जब करे तो ये दुआ पढे "बिस्मील्लाही अल्लाहुम्मा जन्नीबनश-शैताना व-जन्नीबीश-शैताना मा-रजकतना"। इस दुआ की वजह से शैतान दुर हो जाएगा।

८. बीवी से तालुक करते वक्त मर्द जालीम ना बने बल्की मोहब्बत और उल्फत का तकाजा कायम रखे। हलाल तरीके से बीवी को राजी करे। पहेले foreplay करे फिर मुबाशेरत करे, जनवरो की तरहा फौरन मुबाशेरत (जिमा) ना करे। औरत को भी अपनी रजामंदी जाहीर करना जरूरी है।
९. अल्लाह कुरआन मजीद मे फरमाता है "तुम्हारी औरते तुम्हारे लिए खेतीया है, तुम जिस तरहा से चाहो अपने खेतीयो मे आओ" यानी तुम्हारी बिवीया तुम्हारी औलादो की पैदा होने की वजह है, तुम जहा से चाहो दाखील हो। जिमा आगे से करे, या पिछे से करे, या कोई भी पोझीशन मे करे लेकीन पैदाईश की जगह (vagina) मे ही करे। इसके अलावा पिछली शर्मगाह मे दाखील होना हराम है।
१०. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया के, "जब तुम मे से कोई घरवाली से हमबिस्तरी करे और दोबारा जिमा करना चाहे तो उसे चाहिए के वज़ु कर ले, इसलिए के ये तुम्हे रिफ्रेश करने मे फायदा देगा" - वज़ु करना दोने के लिए है, वज़ु करने से ताकत बढ जाती है।
११. आप (ﷺ) ने फरमाया "जुमे की रात (यानी जुमेरात का दिन गुजरने के बाद की रात) अपने बीवी के साथ सोए, सुब्हा उठकर खुद भी गुस्ल करे और बीवी से गुस्ल करवाए, उसके बाद जल्दी से मस्जीद जाए, खुदबे से पहेले मस्जीद मे पहोचे, खतीब के नजदीक बैठ, गौर से उसकी बातो को सुने, फिर घर लौट आए। तो हर कदम के बदले में १ साल के रोजे और १ साल के कयाम का सबाव मिलेगा"
१२. जिमा करने के बाद गुस्ल वाजीब हो जाता है।
१३. मिया बीवी एक साथ गुस्ल भी कर सकते है। (ये बात आप (ﷺ) और हज़रत आयशा (रज़ी) से साबीत है।
१४. मावीया-बीन-हैदर (रजि.) ने अल्लाह के रसुल (ﷺ) से पुछा के हम अपने सतर (शर्मगाह) किन किन से छुपाए और किन किन के सामने खोले। तो रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया के "अपनी बीवी और लौंडी के अलावा सब से छुपाए"
१५. आप (ﷺ) जनाबत (नापाकी) की हालत मे कुछ खाने का इरादा करते तो पहेले शर्मगाह को धोते और वज़ु करते थे। लेहाजा लोगो मे ये गलत सोच बन गई है के हालते जनाबत मे कुछ भी खाना पीना हराम है। हालते जनाबत मी आप वज़ु करने के बाद कुछ भी खा या पी सकतो हैं।
१६. हदीस पाक है के, "जब कोई नवज़ुान किसी औरत को देखे, जिस के तरफ उस का दिल मायल हो जाए, तो अपने घर फौरन जा कर अपनी बीवी से वो काम कर ले"
१७. हदीस पाक है के "कोई भी औरत अपने शोहर की इजाज़त के बगैर नफील रोजे न रखे"। क्योंके हो सकता है शोहर को कभी भी बीवी की जरूर पड जाए। इस से पता चला के दिन के वक्त भी जिमा किया जा सकता है।
१८. नबी-ए-पाक (ﷺ) से साबीत है के, रमजान महिने मे भी जिमा किया जा सकता है और जनाबत की हालत में भी सहेरी की जा सकती है (लेकीन कुछ भी खाने या पिने से पहेले वज़ु करना जरुरी है)
१९. हैजा औरत से जिमा करना हराम है। हैजा औरत से जिमा करने का कफ्फारा (दंड) १ दिनार या आधा दिनार है (उस जमाने में 'दिनार' ४ ग्राम का सोने का सिक्का होता था)। अगर ये भी ना हो तो जो कुछ सदका कर सकते है किजीए।
२०. हदीस-ए-पाक है "हैजा औरत से जिमा के आलावा सब कुछ किया जा सकता"
२१. निफास वाली औरत के साथ भी जिमा नाजायज़ है।
२२. शोहर अगर बीवी को बुलाए तो बीवी उसको इन्कार बिल्कुल ना करे। आप (ﷺ) ने फरमाया "जब तुम्हारा शोहर तुम्हे अगर उंट के उपर भी जिमा के लिए बुलाए तो तुम को जाना पडेगा" इस का मतलब ये है के औरत हर हाल में शोहर को जिमा के लिए मना नही कर सकती। इस से ये मसला हो सकता है के शोहर आप के बारे मे कुछ बुरा सोचने लगे या फिर उस का ध्यान किसी गैर खातुन पर चला जाए ।
२३. दुसरी रिवायत ये है के "अगर शोहर अपने बीवी को बुलाए और बीवी मना कर दे तो उस पर फरीश्तो की लानत होती है और हुरे भी उस पर लानत भेजती है, और कहती है "ऐ खातुन ये थोडे दिन के लिए तेरे निकाह मे है, फिर तो हमारे पास आने वाला है, इसे तकलीफ ना पहोचा"।

२४. घर मे गुस्लखाना होना वाजीब है। एक ही बाथरूम मे एक से ज़्यादा औरतो को एक साथ नहाने की मनाई है- यानी औरतो को कॉमन बाथरूम मे नहाना मना है। सतर ढांके तो मर्द के लिए कॉमन बाथरूम जायज़ है लेकीन इस में भी शर्त है के बाकी के मर्दो की सतर ढकें हो। औरत के लिए औरत की शर्मगाह देखना और मर्द के लिए मर्द की शर्मगाह देखना हराम है।
२५. मिया बीवी जो काम बंद कमरे मे करते है उसके बारे मे किसी और को कहेना हराम है। अल्लाह के रसुल (ﷺ) के नजदीक सब से बुरा शख्स वो होंगा या होंगी जे बंद कमरे वाली बाते अपने दोस्तो और सहेलीयो को बताते है"
२६. वलीमा करना वाजीब है।
२७. मुसलमानो मे बहोत बडी गलत फहेमी है के, हमबिस्तरी हुई तो वलीमा हलाल होंगा। पहेली दफा जिसमानी या कोई दुसरी वजह से कोशिश करने के बावज़ुद भी जिमा होना कभी कभी मुमकीन नही होता, ये कुदरती बात है। लेहाजा कुछ मर्द वलीमा हलाल करने के चक्कर मे बेदर्द दरींदे बन जाते है। इस से आपके तालुकात खराब हो सकते है।
२८. इस्लाम में हस्तमैथुन/मुश्तजनी/masterbation जायज़ नही है। इस से बहोत नुकसानात होते है और शादीशुदा ज़िंदगी मे परेशानीया का सामना करना पडता है।
२९. निकाह के बाद मर्द के लिए बीवी से कहेकर हस्तमैथुन/मुश्तजनी करवाना जायज़ है । उसी तरहा बिवी का मर्द के हाथो से मुश्तजनी करवाना जायज़ है।
३०. ज़िना (fornication, adultry, व्यभिचार) करने की सज़ा गैरशादीशुदा मर्द या औरत की १०० कोडे है (उमीद है १०० कोडो मे मर जाएंगा)। जब के शादीशुदा मर्द या औरत की सज़ा ये है के, जमीन में डालकर, गर्दन उपर रख कर, पत्थर मार-मार कर कत्ल किया जाए। आज कल के जदीद तरीको से भी मौत की सज़ा दि जा सकती है।
३१. मर्द के लिए उसकी बीवी का दुध पिना हराम है। ये एहतीयात करे के दुध हलक के अंदर ना जाए।
३२. हमबिस्तरी करने के फौरन बाद गुस्ल किया और मनी निकल आए तो फीर से गुस्ल करना होगा। इसलिए थोडा रुक कर गुस्ल करे ताके पुरा मनी निकल जाए।

औलाद की पैदाईश रोकने के दो कुदरती तरीके

१. हैज से पाक होने के बाद चार से सात दिन और हैज आने के सात से चार दिन पहेले हमल ठहरने के चांसेस बहोत ही ज़्यादा कम होते है। इन दिनो मे हमल ठहरना बहोत मुश्कील होता है।
२. मनी निकलने से पहेले दुर हट जाना।

सदका (charity/नफली सदका)

अल्लाह तआला को खुश करने की नियत से गरीबो को या किसी अच्छे काम के लिए सदका दिया जाता है। सदका किसी भी मुसलमान पर फर्ज नही है लेकीन सदका देने को इस्लाम ने बहोत पसंद किया है। सदका माल को बढाता है। सदका किसी को भी, किसी भी वक्त और कितना भी दिया जा सकता है। अक्सर आई हुई मुसीबत या बिमारी को दुर करने की नियत से सदका दिया जाता है। बला सदके को फांद नही सकती इसलिए सदका करने में जल्दी किया करो (हदीस)।

सदका-ए-फितर (फितरा)

इस्लाम ने सदका-ए-फितर या फितरा गरीबो के हक के तौर पर हम पर मुकर्रर किया गया है और रोजो मे जो कमी और कोताही रहे जाती है उस कमी को दुर कर देता है।

१. हम घर में जो भी आटा खाते है, २ किलो ५० ग्राम आटे की किंमत एक सदका-ए-फितर की मिकदार (quantity) है। ये एक शख्स के सदका-ए-फितर की मिकदार है।

२. सदका-ए-फितर हर वो शख्स दे सकता है जो देने की ताकत रखता हो, इस के लिए मालिके निसाब (साहिबे निसाब) होना जरूरी नही।
३. सदका-ए-फितर ईद से निकालने की कोशिश करे। नबी (ﷺ) ईद का चाँद देखने के बाद सदका-ए-फितर देते थे, इस से ये फायदा होता है के ईद के दिन कोई भुखा नही रहेगा और कोई भिक नही मांगेगा। उमर (रजि) ईद के दो दिन पहेले सदका-ए-फितर दिया करते थे।
४. सदका-ए-फितर ईद की नमाज के पहेले देना शर्त है। ईद के बाद सदका-ए-फितर देने पर फितरा देने का सवाब नही मिलेगा सिर्फ सदका देने का सवाब मिलेगा।
५. जो बच्चा अभी पेट में है और पैदा नही हुआ उस का भी सदका-ए-फितर देना होगा।

सदका-ए-फितर किसे दे सकते हैं?

१. फकीर को सदका-ए-फितर दे सकते हैं। (फकीर वो होता है जिस के पास कुछ हो मगर इतना ना हो के खुद सदका-ए-फितर देने के लायक हो। फकीर अगर आलीमे दिन है तो उसको जकात देना जाहील को देने से बहेतर है)।
२. मिस्कीन को सदका-ए-फितर दे सकते हैं। (मिस्कीन वो होता है जिस के पास कुछ ना हो, यहा तक के खाने और बदन छुपाने (कपडे) तक के लिए मोहताज हो।
३. जकात के जमा करने वालो को।
४. इस्लाम के लिए नरमगोशा रखने वाले गैर मुसलमानों को।
५. गारीम (यानी कर्जदार) को सदका-ए-फितर दे सकते हैं।
६. फि-सबी-लिल्लाह (यानी अल्लाह की राह मे खर्च करना)
   ○ अगर कोई जिहाद के लिए जाना चाहता है लेकीन उस के पास सफर का खर्च नही, उसे सदका-ए-फितर दे सकते है।
   ○ अगर कोई हज के लिए जाना चाहता है लेकीन उस के पास पैसा नही लेकीन उस के लिए मांगना जायज़ नही है, तो उसे दे सकते है।
   ○ तालीबे इल्म (student) को दिन की पढाई के लिए दे सकते है।
   ○ ऐसे ही हर नेक काम में पैसा खर्च करना ही फी सबी लिल्लाह है।
७. इब्नुस सबील (यानी मुसाफीर जिस के पास माल ना रहे सदका-ए-फितर ले सकता है)
८. करिबी रिश्तेदारे में देना अफजल है।
९. सय्यद को देना मना है।

जकात के मसाईल

१. जकात मालिके निसाब (साहिबे निसाब) पर फर्ज किया गया है। मालिकी निसाब बनने पर जकात देने मे देर ना लगाए। जकात चुकाने वाला गुनाहगार होंगा और अज़ाब के मुस्तहिक होंगा।
२. नबी करीम (ﷺ) ने एक हदीस मे इरशाद फरमाया जिसे इमाम मुस्लीम (रहे.) ने मुस्लीम शरीफ मे नकल किया के "जो शख्स सोने और चांदी से अल्लाह तआला का हक अदा नही करता तो कयामत के दीन यही सोना और चांदी टुकडो की शकल मे लाया जाएगा और उसे जहान्नम की आग में गरम किया जाएगा, और फिर इन तुकडो से कयामत के दिन उस की पेशानी, उस की पीठ, और उस के सिने को दागा जाएगा। और ये अमल जहान्नम के अंदर नही बल्की तमाम लोगों के बिच होगा। यानी तमाम लोगो के बिच उस का तमाशा होगा। कयामत का १ दिन ५० हजार साल के बराबर होगा।
३. **मालिके निसाब कोन होता है?**
   - मालिके निसाब वो होता है जिस के पास ८५ ग्राम सोना हो और उस पर पुरा साल गुजरा हो, इस सोने पर २.५% जकात निकालनी होगी।

- या साडे बावन्न ५९५ ग्राम (५२.५) तोले चांदी हो और उस पर पुरा साल गुजरा हो, इस चांदी पर २.५% जकात निकालनी होगी।
- अगर दफनशुदा खजाने मिले तो उस में ५ वा हिस्सा जकात निकाला जाएगा।
- या माले तिजारत (कारोबार का माल) हो जिसे बेचने की नियत से ही खरीदा था और वो माले तिजारत ८५ ग्राम सेने के बराबर है और उस पर पुरा साल गुजर चुका है तो उस में भी २.५% जकात निकाली जाएगी।
- अगर हमारे पास गल्ले होते है, वो गल्ले गेहु है, चावल है, दाल है, जौ है, खजुर है, अंगुर है, इस पर साल जरुरी नही है बल्की जिस वक्त ये तय्यार हो कर काटा जाए उस पर जका है। लेकीन हमारे पास ये ७५० किलो हो जाए तब जकात फर्ज होगी। अगर ७५० किलो या इस ज्यादा गल्ला बरीश के जरीए हासील हुआ तो हमे इस का १० वा हिस्सा निकालना है और अगर ७५० किलो या इस से ज्यादा गल्ला बारीश के जरीए हासील नही हुआ तो हमे इस का २० वा हिस्सा निकलना होगा। ७५० किलो का १० वा हिस्सा ७५ किलो है और ७५० किलो का २० वा हिस्सा ३७.५ किलो है।
- जिस दिन हम मालिके निसाब बने उस दिन की उर्दु तारीख को याद रखें और अगले साल उसी तारीख को वो अब भी मालिके निसाब है तो उसे मालिके निसाब या साहिबे निसाब कहा जाएगा और उस पर जकात फर्ज हो जाएगी। उसको अपने माल की अडाई फिसद (२.५ %) जकात देनी होगी। इस १ साल के दौरान अगर माल बढता है या कम होता है तो कुछ फरक नही पडेगा, शर्त सिर्फ इतनी होती है के साल के शुरू में और आखीर में मालिके निसाब हो। मिसाल के तौर पे - अगर कोई शख्स मोहरम के महिने मे १०० ग्राम सोना खरीदे और उस सोने पर पुरा एक साल गुजर जाए तो इस को कहते है एक साल गुजरना। अब इस सोने पर जकात वाजीब हो गई। यानी वो शख्स अगले मोहरम में १०० ग्राम सोने के २.५% बाजार के भाव के हिसाब से जकात निकालेगा। इस बात से ये मालुम हुआ के जिस चिज़ पर एक साल पुरा हो तो उसी वक्त उस की जकात निकाली जाए। बगैर किसी शरई उज्र के रमजान के महिने का इंतेजार ना किया जाए। जितने महिने वो इंतेजार करेगा उतना ही वो गुनाहगार होगा।

<u>जकात के फिकी उसुल:</u>

१. अगर किसी वजह से उस की दौलत खत्म गई और बाद में फिर से वो साहिबे निसाब बन गया तब उस की साहिबे निसाब बन्ने की नयी तारीख याद रखे और वहा से उस का साल शुरू होगा।
२. एक या एक से ज़्यादा लोगो को जकात दी जा सकती है।
३. बीवी के पास ९ तोले सोना है और शोहर गरीब है। चुंकी बीवी सोने की मालीक है और बीवी के कब्जे में माल (सोना) है इसलिए शोहर पे जकात लाज़ीम नही होगी बल्के बीवी पर जकात लाज़ीम होगी। माल (सोना) बीवी के कब्जे में (मिल्क में) होना जरूरी है।
४. अगर बीवी मालीक है लेकीन उस के पास माल नही तो जब तक माल उस के कब्जे में नही इतने अर्से की जकात लाज़ीम नही होगी। मिसाल के तौर पर - अगर सोना चोरी हो जाए तो ऐसी सुरत मे बीवी मालीक तो है लेकीन सोना उस के कब्जे मे नही है और २ साल बाद सोना वापस मिल गया तो इन २ सालो की जकात लाज़ीम नही होगी। सोना मिलने के बाद उस का साल शुरू होगा।
५. अगर किसी औरत पर जकात निकालना वाजीब हो जाए और उस के पास सोना तो है लेकीन जकात अदा करने के लिए रोख (कॅश) पैसे नही है तब वो अपने शोहर या बेटे को कहेकर उस की तरफ से जकात देने के लिए कहे सकती है। अगर उन्होने देने से इन्कार किया तो "मै पैसे आने पर आप के पैसे वापस लौटा दुंगी" इस वादे पर शोहर या बेटे से कहेकर जकात दे सकती है। अगर ऐसा भी ना कर पाए तब औरत को सोना बेचकर जकात अदा करना जरूरी है। वो ज़ेवर जो औरत की मिलकीयत है उस की जकात हरगीज शोहर के जिम्मे नही। अगर शोहर औरत के ज़ेवरो की जकात ना दे तो वो गुनाहगार नही होंगा।

६. अगर शोहर या घर के लोग सोना बेचना से मना कर दे या जकात देने से औरत को रोके, उस वक्त औरत दिल में इरादा (नियत) रखे की मैं बाद मे जकात अदा करूंगी। ऐसी सुरत में जकात देने से रोकने वाले अल्लाह के गुनहगार होंगे।
७. अगर हमने किसी के पास अपनी अमानत रखवाई और भुल गए और २ साल बाद याद आया तब २ साल की जकात लाज़ीम नही होगी।
८. अगर हमने किसी के पास अमानत रखवाई या कर्ज़ा दिया और उसने हमारी अमानत या कर्ज़ा वापस देने से इन्कार कर दिया तब हम पर जकात लाज़ीम नही होगी।
९. अगर हमने किसी के पास अमानत रखवाई या कर्ज़ा दिया और उस ने हमारी अमानत या कर्ज़ा देने से इन्कार नही किया और ३/४ साल तक अमानत उसी के पास है तब इन ३/४ साल तक उस माल की जकात बनती रहेगी और जब माल हमारे कब्जे मे आ जाएगा तो उस माल के जकात की अदाईगी लाज़ीम होगी।
१०. अगर आपके पास साडे सात तोले सोना नही है। तो इस का मतलब ये नही है के आप पर जकात नही बनेगी। इस सुरत मे सोने के साथ कोई दुसरी चिज़ (चांदी, रुपया या माले तिजारत) जोड दी जाएगी और देखा जाएगा के आप निसाब की मिकदार तक पहोंचते है या नही (यानी सब मिलाकर आप ५२.५ तोले चांदी खरीदने की हैसियत होती है या नही)। अगर मालिके निसाब की मिकदार तक पहोंच गए तो आप का साल शुरू हो जाएगा और साल खत्म होने के बाद पुरे माल का जितना कॅश बनेगा उस का २.५% हिस्सा जकात देना होगा।
११. सोना और चांदी की मैजुदा किंमत पर जकात निकाली जाए।
१२. जकात अदा करते वक्त दिल मे जकात की नियत होना जरूरी है या फिर जकात का पैसा अलग करते वक्त जकात की नियत होना जरुरी है। दोनो मे से एक वक्त नियत करना जरूरी है।
१३. घर में जो भी मालिक निसाब बनता है उस पर साल गुजरने के बाद जकात लाज़ीम होती है।
१४. साल भर खैरात करता रहा और बाद मे नियत की के जो दिया वो जकात है तो इस तरहा जका अदा नाही हुई।

जकात निकालने का तरीका ?

फर्ज किजीए एक तोला चांदी की किंमत ३५०/- रु. है। और एक तोला सोने की किंमत ३०,०००/- रुपये है। फर्ज किजीए आपके पास २ तोले सोना है, ५ तोले चांदी है और ५,०००/- रुपये नकद (कॅश) है।

२ तोले सोना की किंमत = २ X ३०००० = ६०,०००/- रुपये
५ तोले चांदी की किंमत = ५ X ३५० = १७५०/- रुपये
नकद (कॅश) रुपये = ५०००/- रुपये
कुल (एकूण) = ६००००+१७५०+५००० = ६६७५०/- रुपये

इस तरहा से आपके पास कुल ६६,७५०/- रुपये है। चुंके साहिबे निसाब होने की शर्त ये है के, आप के पास इतनी रकम हो जिस से आप ५२.५ (साडे बावन) तोले चांदी खरीद सके, लेहाजा इस रकम से आप ५२.५ तोले चांदी खरीद सकते है । साहिबे निसाब होने के बाद आप का साल शुरू हो जाएगा । अगले साल इसी दिन अगर आप अब भी साहिबे निसाब है तो आप को उपर दिए हुए तरीके से फिर से कुल रकम निकालनी होगी और कुल रकम जो भी आएगी उस में से २.५% (अडाई टक्के) रकम अलग कर के जकात देनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर कुल रकम ७०,०००/- आई तो $\frac{२.५X७००००}{१००}$ = १७५० तो आपकी जकात की रकम १७५०/- रुपये होगी।

(नोट : इंटरनेट पर जकात कॅलक्युलेटर होते है, इस का भी इस्तेमाल जकात मालुम करने के लिए किया जा सकता है)

जकात किसे दी जाए?

जिन जगहो पर सदका-ए-फितर दे सकते है उन जगहो पर जकात दे सकते है और जिन जगहो पर सदका-ए-फितर नही दे सकते उन जगहो पर जकात नही दे सकते.

(ज़्यादा मालुमात के लिए सदका-ए-फितर का टॉपीक पढे)

विरासत के तकसीम का तरीका

१. **वसीयत** का तालुक मरने के बाद होता है और **तोहफे** का तालुक है ज़िंदगी मे होता है।

२. विरासत बांटने से पहेले फौतशुदा (मरे हुए, dead) पर अगर कोई कर्ज़ा हो तो उसे अदा किया जाए और फिर कोई वसीयत की है तो उसे भी अदा किया जाए, फिर विरासत बांटी जाए। औरत का महेर भी कर्जे मे शामील है। कर्ज़ा ऐसी चिज़ है के शहीद का भी माफ नही होता। विरासत की तकसीम जल्द से जल्द की जाए। कर्जो की अदाईगी मे अगर पुरा माल और जायदाद भी खर्च करना पडे तो भी कर्जो की अदाएगी करना जरूरी है। जब तक कर्जे की अदाईगी बाकी रहेगी मरने वाले की रुह को जन्नत मे दाखील होने से रोक दिया जाएगा।

३. मरने वाले ने अगर कोई जायज़ वसीयत की है तो उस के माल और जायदाद मे से १/३ हिस्से की हद तक इन वसीयतो को पुरा किया जाएगा। अगर वसीयत नाजायज़ है तो इस को पुरा करना जरूरी नही।

४. **कुरआन-ए-करीम मे सुरतुन्नीसा मे अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है**

- लडके का हिस्सा दो लडकीयो के बराब है।
- अगर बेटीया ही बेटीया हो और दो या दो से ज़्यादा हो तो उन को २/३ हिस्सा मिलेगा।
- अगर एक ही बेटी है तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा।
- बेटा एक ही है (कोई लडकी नही है) तो उसे पुरा हिस्सा मिलेगा।
- १/६ हिस्सा मां को और १/६ हिस्सा बाप को मिलेगा।
- अगर उस की कोई औलाद ही नही है और मां-बाप ही उसके वारीस है तो मां को १/३ और बाप को बाकी सारा हिस्सा मिलेगा।
- अगर उसके बहेन भाई है तो मां का हिस्सा और कम हो जाएगा।
- बीवी मर चुकी है और उस से कोई औलाद नही है तो उस के हिस्से का आधा हिस्सा शोहर का होंगा। बाकी का आधा बीवी के भाईयो वगैरा को जाएगा। और अगर उस की औलाद है तो शोहर के लिए १/४ हिस्सा होगा और बाकी ३/४ औलाद मे बांटा जाएगा।
- अगर मर्द मर जाए और उस को औलाद नही है तो उस की विरासत मे उसकी बिवीयो का १/४ हिस्सा है, और औलादे है तो बिवीयो के लिए १/८ वा हिस्सा है।
- अगर किसी मर्द को मां-बाप, बीवी और बच्चे नही है तो उस के वारीस उस के भाई और बहेन होंगे। अगर १ बहेन और १ भाई है तो हर एक को पुरी रकम का १/६ हिस्सा मिलेगा। अगर सिर्फ १ ही बहेन है तो उस को आधा हिस्सा मिलेगा। अगर १ भाई और ज़्यादा बहने है तो भाई का हिस्सा बहेन से डबल (दो गुना) होगा। अगर बहेन या भाई १ से ज़्यादा है तो सब को मिलाकर १/३ हिस्सा मिलेगा और बाकी २/३ कहा जाएगा इसके उपर अलग अलग उलमा ने अलग अलग राय दी है और इस पर बहोत सारी किताबे छपी है। अगर किसी औरत को मां-बाप, शोहर और बच्चे ना हो और एक ही भाई हो तो उस की पुरी जायदाद का वारीस उस का भाई होगा।
- अगर बेटा है तो उस शख्स के वारीस उस के मां-बाप, बीवी/शोहर और औलाद होंगे। अगर लडका नही है और सिर्फ बेटीया है तो उस के वारीस मां-बाप, बीवी/शोहर, औलाद और उस के भाई-बहेन होंगे।
- कोई शख्स हयाती में (ज़िंदगी मे) अपने बच्चो मे पैसा या कोई चिज़ बांटना चाहता हो (जिसे तोहफा देना कहते है) तो बेटा और बेटी का हिस्सा बराबर का होगा। मिसाल के तौर पे - अगर किसी बाप ने अपनी बेटी को जहेज मे ४ लाख रुपये का सोना दे दिया तो उस पर ये वाजीब होगा के वो उतनी ही रकम अपने बाकी बेटो को भी दे। इसी तरहा वालीद अपने बेटे की कोई प्रोब्लेम की वजह से २ लाख रुपये देता है तो उस पर वाजीब होगा के अपने दुसरे बच्चो को भी इतनी ही रकम दे दे। अगर बाकीयो ने अपने मर्जी से माफ कर दिया तो अलग बात है।

- अगर वालीद वसीयत करे के, मेरे मरने के बाद मेरे फला फला बेटा या बेटी को जायदाद मे से कोई हिस्सा ना मिले तो ऐसी वसीयत जायज़ नही। विरासत जो बांटी जा रही है वो अल्लाह की तरफ से है लेहाजा अल्लाह के उसुल को कोई बदल नही सकता.

५. **विरासत बांटने का तरीका :** विरासत बांटने का तरीका ये है के, मां-बाप और बीवी/शोहर को पुरे माल मे से हिस्सा दिया जाए और इनका हिस्सा निकालने के बाद बचे हुए माल मे से बाकी वारीसो को हिस्सा दिया जाए।

मिसाल के तौर पे : कोई शख्स १ लाख २० हजार रुपये छोड कर मर गए। उस मे से १० हजार का कर्ज देना है और १० हजार रुपये की उस ने वसीयत भी की हुई है के मेरे मरने के बाद फलाह मस्जीद मे या फलाह आदमी को मेरे माल मे से १० हजार रुपये दिए जाए। तो पहेले १० हजार रुपये कर्ज और १० हजार रुपयो की वसीयत को पुरा करना होगा। अब १ लाख रुपये बचे। अब मां-बाप को पुरे माल मे से १/६ हिस्सा मिलेगा - यानी मां को १६,६६७/- रुपये और बाप को भी १६,६६७/- रुपये मिलेंगे (१/६X१०००००)। अब बीवी/शोहर को पुरे माल मे से १/८ हिस्सा मिलेगा - यानी १२५००/- रुपये मिलेंगा (१/८X१०००००)। अगर दो बीवीया है तो १२५००/- के दो हिस्से कर दे। अब ५४१६६/- रुपये बचे. बचे हुए पैसे बाकी औलादो मे तकसीम होंगे। फर्ज किजीए उस के २ बेटे और ३ बेटीया है। तो बची हुई रकम ५४१६६/- के ७ हिस्से होंगे। तो एक लडकी को ७७३८/- रुपये और एक लडके को १५४७६/- रुपये मिलेंगे। (५४१६६/७ = ७७३८ और ७७३८ X २ = १५४७६)

६. बेटा और बेटी को बराबर हिस्सा देना मुस्तहब (पसंद किया जाने वाले अमल) है।

७. चिज़े देने से बेटीयो का विरासत मे हिस्सा खत्म नही हो जाता।

८. किसी एक बच्चे को सब कुछ दे दिया और दुसरे को महरूम रख दिया तो इस्लाम ने इसको जुल्म करार दिया है। और जुल्म गुनाह है जो अल्लाह को ना पसंद है। एक हदीस मे हुजुर (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "जिस शख्स ने वारीस को विरासत से महेरूम कर दिया तो अल्लाह तआला इस को जन्नत मे इस के हिस्से से महेरूम कर देगा"।

९. जु ही किसी शख्स का इंतेकाल होता है तो इंतेकाल होते ही इस की विरासत का तमाम माल इस की मिलकीयत से निकल कर वारीसो की मिलकीयत मे दाखील हो जाता है और तमाम वारीस इस के मालीक बन जाते है। यहा तक के सुई धागे मे भी तमाम वारीस शरीक हो जाते है।

   - अगर तमाम वारीस बालीग और अकल वाले है और वो सब अपने खुशी से किसी एक वारीस को मरने वाले का सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त दे तब इस को सामान इस्तेमाल करना जायज़ है।
   - अगर एक भी वारीस सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त नही देता, या कोई वारीस मौजुद नही है बल्की घर से लापता है (जिसकी रजामंदी का हमे इल्म नही), या कोई वारीस नाबालीग है (जिस की रजामंदी का एतेबार नही) ऐसी सुरतो मे मरने वाले का माल किसी शख्स के लिए यहा तक के वारीसो के लिए इस्तेमाल मे लाना नाजायज़ और हराम है।
   - **एक वाकीया :** एक मरतबा हज़रत इमाम-ए-आजम अबु हनिफा (रहे) किसी बिमार की इयादत के लिए गए। आप बैठे ही थे तो उस मरीज को नजा की हालत तारी हो गई। ये हालत देख कर आप ने सोचा के ये थोडे ही देर का महेमान है इसलीए बैठे रहेने का इरादा किया। इस मरीज के करीब एक चिराग जल रहा था। थोडी देर बाद इस शख्स का इंतेकाल हो गया। और जैसे ही इंतेकाल हुआ हज़रत इमाम-ए-आजम अबु हनिफा (रहे) ने चिराग को बुझा दिया जब के कमरे में अंधेरा था और चिराग की जरूर थी। लोगो ने आप से चिराग बुझाने की वजह पुछी तो आप ने कहा के "इस के इंतेकाल के बाद ये चिराग इस के वारीसो की मिलकीयत मे चला गया (यानी इस के वारीस इस चिराग के मालीक बन गए) अब वारीसो की इजाज़त के बगैर इस का इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ नही, इसलीए मैने ये चिराग बुझा दिया।

बच्चा गोद लेना कैसा है? और गोद लिए हुए बच्चे का विरासत मे कोई हिस्सा क्यु नही है?

- इस्लाम मे गोद लोना मना नही है लेकीन गोद लिए हुए बच्चे को उस के असली बाप का नाम ही दिया जाएगा।
- गोद लेने वाला शख्स उस बच्चे या बच्ची को अपना नाम नही दे सकता। इस्लाम ने गोद लिए हुए बच्चे को अपना नाम देने से मना किया है।
- अगर गोद लिया हुए बच्चे या बच्ची को अपना नाम देगा तो बहोत से मसले पैदा होंगे। जायदाद की तक्सीम मे जो हकदार है उन के साथ ना-इंसाफी होगी।
- गोद लिया हुआ लडका बालीग होने पर उस औरत के लिए और उस औरत की बेटी के लिए गैर-मेहराम होगा। इसलिए मां और बेटी दोनो को उस के सामने पर्दा करना होगा। इसी तरहा से अगर लडकी गोद ली है तो बालीग होने पर उसे उस शख्स के सामने और उस शख्स के बेटो के सामने पर्दा करना जरुरी है।
- गोद लिया हुआ बच्चा या बच्ची उस के वारीस नही होंगे। उन्हे जायदाद मे से हिस्सा नही दिया जाएगा। हा उन्हे मां का प्यार दे सकते है, बाप का प्यार दे सकते है, घर दे सकते है।

हमल गिराना (अबॉर्शन/Abortion) करना कैसा है?

"बस आप सब एक सो हो के अपना मुह दिन की तरफ मुतवज्जा कर दें, अल्लाह तआला की वो फितरत जिस पर उस ने लोगो को पैदा किया है, अल्लाह तआला के बनाए हुए को बदलना नही यही सिधा दिन है, लेकीन अक्सर लोग नही समझते" (Sure Rum (३०), Ayat: ३०)

१. "अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने फरमाया शादी करो उस से जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे जनने वाली हो, कल कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की कसीर तेदाद (ज्यादा मिकदार) पर फखर करूंगा" (Abu Dawood Hadith no. 2050, Classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh Abi Dawood, 1805) - **ये हदीस हसन सहीह है**

२. "और अपनी औलाद को इफ्लास (गरीबी) के डर से कत्ल मत करो, हम तुमको और उन को रिज्क देते है" (Sure Anam (6) Ayat:151)

३. "और मुफ्लीसी (गरीबी) के खौफ से अपनी औलाद को ना मार डालो, इन को और तुम को हम रोजी देते है, यकीनन इन का कत्ल करना कबीरा (बडा) गुनाह है" (Sure Al-Isra (17), Ayat:31)

तलाक के मुकम्मल मसाईल

१. इस्लाम मे तलाक जायज़ है लेकीन नापसंदीदा अमल है।

२. इस्लाम ने तलाक से पहेले मियाँ बिवी को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है। जैसा के शोहर अपनी बिवी की किसी **गलती को माफ करे** ये सोच कर के इस में ये एक खामी है लेकीन बाकी तो बहोत सारी अच्छाईया भी है ना। फिर भी बात नही बनती तो उसे बैठ कर समझाए यानी उसे **नसीहत करे**। फिर भी बात नही बनती तो उस से **बिस्तर अलग कर दे**। फिर भी बात नही बनती तो उसे बहोत **हलकी मार मारे** (चेहरे पर ना मारे ना ही उस के जिस्म पर कोई निशान आए)। फिर भी बात नही बने तो लडकी और लडके वालो की तरफ से एक-एक **इंसाफ पसंद शख्स को बुला कर बात की जाए**। हो सकता है अल्लाह कोई नया रास्ता निकाल दे। अगर इस में भी बात नही बनी तो तलाक के बारे मे सोचा जा सकता है।

३. सुरे बकरा, आयत नं.२२९ में अल्लाह तआला फरमाता है के "तलाक दो मरतबा है फिर या तो अच्छे तरीके से रोकना है या एहसान के साथ छोड देना है।

४. तलाक देने का शरई तरीका निचे की तरहा है :

- सुरे तलाक (६५), आयत नं.१ में अल्लाह तआला फरमाता है के औरत को इद्दत की आगाज में तलाक दो। यानी जब वो नापाकी से पाक होती है तो उस के शुरूवात के पाकी के दिन में ही तलाक दे जिस में उस के शोहर ने उस से हमबिस्तरी ना की हो।
- तलाक एक ही दे (एक साथ तीन ना दे)।
- **पहेला तलाक :** एक तलाक देने के बाद उस की इद्दत गुजरने से पहेले पहेले अगर शोहर ने उसे रुजु कर लिया तो उसे दोबारा निकाह नही करना होगा। और अगर इद्दत गुजर गई फिर भी शोहर ने रुजु नही किया तो अब उसे उस की बिवी से नया निकाह करना होगा नए महेर के साथ।
- **दुसरा तलाक :** इसी तरहा से अगर दुसरा तलाक दे दिया तो भी वही उसुल लागु होगा। यानी वो इद्दत गुजरने के पहेले रुजु कर सकता है। लेकीन अगर इद्दत गुजरजाने तक भी रुजू नही किया तो उसे नया निकाह करना होगा नए महेर के साथ।
- **तिसरा तलाक :** अब अगर तिसरा तलाक दे दिया तो वो औरत उस के लिए हराम हो गया। अब वो शरई हलाला के बगैर उस के साथ निकाह नही कर सकता।

५. तिन (३) तलाक देने के बाद निकाह खत्म हो जाता है। चाहे एक साथ दे या एक-एक कर के ज़िंदगी मे कभी भी दे। ये साहबा इकराम का मसला है के एक बार मे दी गई ३ तलाके ३ ही होगी। इसी पर चारो इमाम भी इत्तेफाक (राजी, agree) रखते है। लेकीन अगर एक तलाक देने का इरादा था और तिन तलाक दे दी तो एक तलाक ही मानी जाएगी।

हुजुर (ﷺ) के जमाने अकदस मे, सहाबा के जमाने में, हजरत अबुबकर (रजि) के पुरे दौरे खिलाफत में और हजरत उमर (रजि) के दौरे खिलाफत के शुरावाती ३ सालो में तीन तलाक को एक ही माना जाता था। लेकीन हजरत उमर फारूक (रजि) के दौरे खिलाफत में लोगो ने तलाक का मजाक बना कर रखा था इसलिए उन को सजा देने के तौर पर उमर फारूक (रजि) ने ३ तलाक को ३ ही तलाक माना जाए ऐसा हुकूम जारी किया था। लेहाजा उमर फारूक (रजि) का जो फैसला था वो कानुनी फैसला था ना के शरई फैसला था।

६. तीन बार तलाक देने के बाद मिया बीवी हलाला के बगैर एक दुसरे के साथ नही रह सकते। उन पर साथ मे रहना और हमबिस्तरी करना हराम हो जाता है।

७. तलका दो लफ्जो से होता है १) लफ्जे सरीह (लफ्जे तलाक), २) लफ्जे किनाया। लफ्जे सरीह का मतलब ये है के, "तलाक" लफ्ज का इस्तेमाल कर के तलाक देना। और लफ्जे किनाया का मतलब ये है के "तलाक" लफ्ज के अलावा किसी दुसरे लफ्ज का इस्तेमाल करना। (लफ्ज = word, शब्द)

<u>मिसाल के तौर पे -</u>

अगर शोहर तलाक देने के इरादे से बोले के "जा, दफा हो जा, मै ने तुझे छोड दिया,जा चली जा, निकल जा मेरे घर से, मैने तुझे आजाद कर दिया, वगैरा"। इस तरहा के अल्फाज लफ्जे किनाया होते है। इन लफ्जो से भी तलाक हो जाती है लेकीन उस का इरादा तलाक देने का था या नही ये देखा जाएगा। लफ्जे किनाया से एक (१) तलाक वाक्य होगी।

८. **लफ्जे सरीह और लफ्जे किनाया से कैसे तलाक होती है?**

अगर **लफ्जे सरीह** यानी **"तलाक"** लफ्ज १ या २ बार इस्तेमाल किया जाए तो इस से निकाह नही टुटता लेकीन इद्दत शुरू हो जाती है। इस इद्दत के दौरान शोहर बिवी से रुजु कर सकता है। लेकीन अगर इद्दत खत्म हो गई (यानी ३ हैज गुजर गए) फिर भी रुजु नही किया तो अब उस का निकाह टुट गया और उसे दोबारा निकाह करना होगा और नया महेर देना होगा।

अगर **लफ्जे किनाया** १ या २ बार इस्तेमाल किया जाए तो इस से निकाह फौरन टुट जाएगा और इद्दत शुरू हो जाएगी, अब वो अपनी बीवी से रुजु नही कर सकता जब तक के उस से दोबारा निकाह ना कर ले। निकाह किये बगैर रुजू करना हराम है। निकाह करने के बाद इद्दत के दौरान भी रुजू कर सकता है। अगर लफ्जे किनाया की वजह से तलाक हो जाए तो हलाला किये बगैर निकाह कर सकता है।

९. "मै तुम्हे छोडता हुँ" ये सरीह लफ्ज है जिस मे शोहर तलाक की नियत करे ना करे तलाक हो जाएगी।

१०. अगर शोहर कहे "जा, मै तुझे छोडता हुँ"। यहाँ "जा" लफ्ज लफ्जे-किनाया है और "मै तुम्हे छोडता हुँ" लफ्जे-सरीह हुआ। अगर "जा" लफ्ज तलाक की नियत से कहा तो एक तलाक हुआ और अगर तलाक की नियत से नही कहा तो तलाक नही हुआ। यहा लफ्जे-सरीह की वजह से एक तलाक हुआ। लफ्जे किनाया के तालुक से शोहर से पुछना जरुरी है के उस की नियत क्या थी। अगर तलाक की नियत थी तो दोनो लफ्ज आपस में मिलेंगे और दो (२) तलाके पडेंगी। और अगर तलाक की नियत नही थी तो सिर्फ लफ्जे-सरीह की वजाह से एक तलाक हुआ।

११. तलाक देते वक्त बिवी का या किसी गवाह का शोहर के सामने मौजुद होने जरूरी नही है। फोन पर, एस.एम.एस., इ-मेल, खत वगैरा से भी तलाक हो जाती है। और मजाक में भी तलाक हो जाती है।

१२. अगर कोई मर्द दुसरी शादी करने के लिए झुठ इस तरहा कहे के "मैने पहिली बिवी को छोड दिया" तो पहिली बिवी के साथ इस का एक तलाक हो गया। क्योंकी "छोड दिया" सरीह लफ्ज है। अब उस औरत की इद्दत शुरू हुई। अब अगर इद्दत के दौरान उस ने उस औरत से रुजु किया तो उस का निकाह बच गया। और अगर इद्दत खत्म होने तक भी रुजु नही किया तो उस का निकाह पहिली वाली से खत्म हो गया। अब उन को दोबारा निकाह करना होगा। इसी तरहा से दुसरी औरत को झुठ कहा था इसलिए झुठ बोलने का भी उस मर्द को गुनाह मिलेगा।

१३. **रुजु कैसे करे :** रुजु की दो किसमे है - १) रुजु-बिल-कौल और २) रुजु-बिल-फेल।

- रुजु-बिल-कौल - आमने सामने या फोन पर बीवी को बोल दे के "मैने तुम्हे जो तलाक दे दी थी तो मै उस से रुजु करता हुँ" इस तरहा कहने पर रुजु हो जाएगा। अगर बीवी से मुखातीब ना हो तो कोई दो गवाह बनाकर उन से कह दे के "मै ने अपनी बीवी को जो तलाक दी थी तो मै अपनी बीवी से रुजु करता हुँ"। वो दो गवाह उस की बीवी को बाद मे जा कर कह दे।
- रुजु-बिल-फेल - बीवी के साथ कोई ऐसा काम करना जो एक शोहर ही अपने बीवी के साथ कर सकता है, दुसरा कोई मर्द नही कर सकता। इस से मुराद जिस्मानी तालुक है। चाहे पुरा जिस्मानी तालुक करे या थोडा।

१४. इद्दत का वक्त तिन बार महावारी (period) आ कर गुजर जाना है। हामेला (प्रेगनेन्ट) औरत की इद्दत बच्चा पैदा होने तक की है।

१५. लोगो मे गलतफहेमी ये पाई जाती है के शोहर अगर बीवी से चार महिने दुर रहा तो निकाह खत्म हो जाता है। अगर मिया बीवी दोनो राजी है तो दोनो कितने भी दिन एक दुसरे से अलग रहे सकते है इस से उन का निकाह खत्म नही होता। हां, अगर बीवी राजी नही है तो आप उस की मर्जी के बगैर नही जा सकते।

१६. चार महिने से ज़्यादा अलग रहने को और बीवी से चार महिनो तक मुबाशेरत (जिस्मानी तालुकात) ना करने को फुकहा ने मना किया है क्योंकी औरत मे चार महिना ही सब्र करने की ताकत होती है। हज़रत उमर (रज़ी) ने शादीशुदा फौजियो को चार महिनो बाद घर जाने की इजाज़त दी थी।

१७. अगर किसी वजह से शोहर कसम खा ले की "मैं चार महिनो तक अपनी बीवी से जिस्मानी तालुक नही करूंगा" (कसम खाने को 'इला' कहते है)। अगर कसम तोड दे तो उसे कफ्फारा (दंड, penalty) देना होगा। अगर कसम ना तोडे और चार महिने गुजर जाए तो एक तलाके बाईन पड जाएगी और वो औरत इस के निकाह से निकल जाएगी। चुंकी कसम की मुदत चार महिने थी इसलिए कसम खत्म हो जाएगी। इद्दत के बाद उस आदमी को दोबारा निकाह करना होगा।

अगर शोहर ने ऐसी कसम खाई थी के "मैं तेरे पास कभी नही आऊंगा या मै तुझ से अब तालुक कायम नही करूंगा" या शोहर ने कोई मुद्दत नही दी। इस मे भी अगर वो शख्स चार महिने के अंदर अगर कसम तोड देता है (यानी बीवी से तालुक करता है) तो उस पर कसम तोडने का कफ्फारा होगा। और चार महिने के अंदर अगर बीवी से तालुक कायम नही किया तो उस का निकाह टुट गया और उस की कसम कायम रहेगी। अगर वो बीवी से निकाह कर के रुजु होता है तब भी कसम कायम है। अब इस ने दोबारा निकाह करने के बाद चार महिने के अंदर तालुक कायम कर दिया तो कसम टुट जाएगी और कफ्फरा अदा करना पडेगा। लेकीन अगर दोबारा निकाह करने के बाद फिर चार महिने तक तालुक कायम नही किया तो चार महिने गुजरने के बाद दुसरा तलाक पड जाएगा। इसी तरहा से दुसरी बार निकाह करने के बाद अगर चार

महिने के अंदर तुलाक कायम किया तो कसम टुट जाएगी और कफ्फारा अदा करना पडेगा। लेकीन अगर चार महिने तक कोई तालुक कायम नही किया तो तिसरी तलाक पड जाएगी। तिन तलाक होने की वजह से उस की बीवी उस पर हराम हो जाएगी।

(कफ्फारा कैसे दे? - १) या तो गुलाम आजाद करे, २) या १० मिस्कीनो को पेट भर के २ वक्त खाना खिला दे, ३) या १० मिस्कीनो को औसत दर्जे का जोडा पहेना दे। अगर इतना गरीब है के तिनो मे से कोई भी चिज़ नही कर सकता तो उस को शरीयत ने इजाज़त दी है के वो लगातार ३ रोजे रखे तो कफ्फारा हो जाएगा)

१८. नाराज हो कर या किसी मजबुरी की वजह से (बगैर कसम खाए) कोई शोहर अपने बीवी से १० साल भी दुर रहेगा तो कोई तलाक का पहेलु नही है।

१९. जिहार : जिहार की तारीफ ये है के, "इंसान अपनी बीवी को अपने उन मेहरम औरतो के किसी उज्र (जिस्म का हिस्सा) से तशबीह (बराबरी) दे दे के जिस उज्र की तरफ देखना हमेशा के लिए हराम है"। मिसाल से समझीए - जो औरते मर्द के लिए महेरम है उन की पिठ देखना मर्द के लिए हराम है। अगर मर्द अपनी बीवी से कह दे की तेरी पिठ मेरी फला फला (मां, बहेन, चाची, खाला वगैरा) जैसी है तो जिहार साबीत हो जाएगा। यानी मेहरम औरत के जिस्म का कोई भी हिस्सा देख ले जो देखाना हराम है और गुस्से मे या कोई भी हालात मे उस को अपनी बीवी के जैसा कहे दे तो जिहार साबीत हो जाएगा। अगर जिहार साबीत हो जाए तो वो औरत उस आदमी के लिए तब तक हराम होगी जब तक के वो कफ्फारा ना दे। (कफ्फारा कैसे दे? १) या एक गुलाम आजाद करे, २) या दोन महिने के लगातार रोजे रखे, ३) या ६० मिस्कीनो को खाना खिलाए)। जब तक कफ्फारा ना दे इस की बीवी इस पर हराम है। अगर रोजो के दरम्यान इस ने बीवी से तालुक किया तो रखे हुए रोज इस के चले गए, इस को दोबारा रोजे रखने पडेंगे। कफ्फारा की आयत कुरआन शरीफ मे मौजुद है। कफ्फारा अदा करने के बाद ही औरत उस पर हलाल होगी। अगर कोई इसे ना माने ते उन के लिए दर्दनाक अज़ाब है।

२०. अगर कोई शख्स अपने बीवी को माँ या बहेन कहे दे "जैसा के तु आज से मेरी माँ है, बहेन है" तो ना तलाक हुआ ना जिहार। अगर इस तरहा कहे दे के, "तु मेरी मा जैसी है" तो जिहार होगा।

२१. खुला : औरत अपने शोहर से खुद तलाक चाहे उसे खुला लेना कहते है। अगर कोई शरई मसला है तो बीवी को खुला लेनी की इजाज़त है। औरत खुला के लिए दारुल कझा के दफ्तर मे काझी के पास जा सकती है और खुला मांग सकती है।

हलाला (शरई तरीके से)

१. हलाला : अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तीन तलाक दे दे। तो पहेले इस की बीवी इस शख्स की इद्दत गुजारेगी। इद्दत गुजारने के बाद वो चाहे तो किसी से भी निकाह कर सकती है। शादी के बाद उस मर्द की मर्जी पर है के वो तलाक देगा या नही देगा। तलाक दिलवाने के लिए उस से जबरदस्ती नही की जा सकती या कोई लालच नही दिया जा सकता। वो जब तक जिंदा है ये औरत उस की बीवी रहेगी। उस के मरने के बाद वो औरत पहेले शोहर से निकाह कर सकती है। या अगर उन दोनो मे किसी वजह से तलाक हो जाए तो वो औरत अपने पहेले शोहर से निकाह कर सकती है। ये है असली शरीयत। लेकीन आज लोगो ने हलाला को मजाक बना कर रखा है, आज कल लोग किसी मर्द को पैसा दे कर उस के साथ एक दिन के निकाह का काँट्रॅक्ट करते है और काँट्रक्ट के मुताबीक तलाक लिया जाता है तो ये बेदीनी है।

२. जब तक दुसरे शोहर के साथ जिस्मानी तालुक या मुबाशेरत नही होग, सिर्फ निकाह करने से औरत पहेले शोहर के लिए हलाल नही होगी।

बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नं.४८५७ है, सय्यदा आयशा सिद्दीकी रजि. उस के रावीया है, ये कहती है के "एक शख्स ने अपनी बीवी को ३ तलाके दे दी, फिर इस औरत ने दुसरे शख्स से निकाह कर लिया, फिर दुसरे शख्स ने भी उस को तलाक दे दी"। दुसरे शोहर ने उस औरत से जिसमानी तालुक कायम नही किया था। तो नबी-ए-करीम (ﷺ) से पुछा के "क्या वो पहेले वाले के लिए हलाल हो गई"। सरकार ने फरमाया "नही"। फिर सरकार ने फरमाया "ये पहेले वाले के लिए हलाल नही होगी जब तक के

दुसरा शोहर उस का उसी तरहा कुछ शहेद ना चख ले जैसे पहेले शोहर न चखा है"। सरकार ने शर्म व हया के साथ इस चिज़ को शहेद से ताबीर किया। इस का मतलब ये है के, "जब तक दोनो मे जिस्मानी तालुक कायम नही होगा, सिर्फ निकाह करने से औरत पहेले शोहर के लिए हलाल नही होगी।

कुर्बानी के मुकम्मल मसाईल

१. कुरआन मजीद में अल्लाह तआला फरमाता है के, इन कुर्बानी के जानवरो को ना तो गोश्त अल्लाह को पहोचता है और ना उन का खुन, लेकीन इंसानो के दिलो में जो तकवा है, वो अल्लाह को पहोचता है (सुरे हज (२२), आयत: ३४-३७)

२. आप (ﷺ) ने फरमाया, ''सिर्फ मुसीन्ना जानवर ही जुबाह करो, सिवाय इस के तुम्हारे लिए बहोत मुश्कील हो जाए तो भेड का जज़ा जुबाह करो (**सहीह** मुस्लीम, हदीस१९६३, अबु दाऊद-२७९७)

मुसीन्ना का मतलब : मुसीन्ना बडी उमर या बडे जिस्म वाला जानवर नही जैसा के लोग समझते है, बल्की **इस से मुराद वो जानवर है जिस के दुध वाले अगरे २ दांत गिर गए और उस की जगह दुसरे दांत आने शुरू हो जाए।** किसी मुल्क मे गाय-बकरी २ साल के बाद तिसरे साल मे २ दांत निकालते है जब के हमारे मुल्क में आम तौर पर २ साल में दो दांत हो जाते है। उंट ५ साल के बाद २ दांत वाला हो जाता है। इसलिए कुर्बानी के जानवरो में सालो और उमरो का ऐतेबार नही बल्की मुसीन्न हो (यानी दो दांत वाला हो)। जानवर के अगर दुध के दांत गिर कर दुसरे दांत ना आए तो ऐसा जानवर १० साल का भी हो जाए तो उस की कुर्बानी जायज़ नही होगी। नोट : दुध के दांत छोटे होते है और दुध के दांत गिराकर आने वाले नए दांत इस से चार गुना बडे होते है।

३. अगर मुसीन्ना जानवर दस्तीयाब ना हो तो? अगर मुसीन्ना जानवर दस्तीयाब ना हो तो भेड का बच्चा जो ६ महिने या उस से बडा है और तंदरुस्त है, दिखने में १ साल से बडा लगता है तो इस की कुर्बानी जायज़ है।

४. कुर्बानी करने के लिए साहेब निसाब होना जरूरी नही। जिस की भी कुर्बानी का जानवर खरीदने की ताकत हो वो कुर्बानी कर सकता है।

५. कुर्बानी के जानवर में किसी किस्म का ऐब ना हो।

६. आप (ﷺ) ने दो खस्सी जानवर की कुर्बानी दी थी तो खस्सी जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है।

७. एक जानवर में या जानवर के एक हिस्से में पुरे घरवालो का हिस्सा होगा। अगर अल्लाह ने आप को दिया है तो सब अलग अलग जानवर जुबाह करे या एक से ज्यादा जुबाह करने मे कोई हरज नही है।

८. मय्यत की तरफ से कुर्बानी नही होती सिवाय इसके के उस ने उस की तरफ से कुर्बानी करने की वसीयत की थी। अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने उम्मत से वसीयत नही की है के मेरी तरफ से अपने कुर्बानीयो में हिस्सा डालो। सहाबा इकराम और खुलफा-ए-राशीदीन ने अल्लाह के रसुल (ﷺ) का कुर्बानी में हिस्सा नही निकाला। आप (ﷺ) ने दो जानवर जुबाह किये थे एक अपने और अपने घर वालो की तरफ से और एक पुरी उम्मत की तरफ से। आप (ﷺ) देने वाले थे, लेने वाले नही। एक रिवायत मिलती है के आप (ﷺ) ने हजरत अली (रजि) को वसीयत की थी के मेरे बाद तुम मेरी तरफ से कुर्बानी करना ये रिवायत जईफ है।

९. ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की जाए, उस से पहेले कुर्बानी नही होगी।

१०. अगर किसी शख्स ने कुर्बानी करने की अल्लाह से मन्नत मांगी है, या कुर्बानी की नियत से जानवर खरीदा है या जानवर को कुर्बानी की नियत से पाला है तो उस पर उसी जानवर की कुर्बानी वाजीब हो गई।

११. कुर्बानी के ४ दिन होते है। (१०,११, १२ और १३ जिल हज)। १० तारीख ईद की होती है और बाकी के ३ दिन अय्यामे तशरीक होते है। अय्यामे तशरीख मतलब खाने पिने के दिन। साल में से पाच दिन के रोजे हराम होते है, ईदुल फितर, बकरी ईद और अय्यामे तशरीक के ३ दिन।

१२. जरुरी नही है के आप जहा है वही कुर्बानी करे। कुछ लोग दुसरे मुल्क मे पैसा कमाने के लिए जाते है तो उन्हे वहा कुर्बानी करने मे दिक्कत पेश आ सकती है। इन हालात मे वो उन के मुल्क मे किसी को अपना

वकील बना सकते है। किसी रिश्तेदार को, या जान पहेचान वाले को, या कुर्बानी करने वाली ट्रस्ट के पास पैसे भेज दे, वो आप की तरफ से कुर्बानी करेगा।

१३. कुर्बानी के लिए तीन जानवर होते है। बकरा-बकरी (या दुंबा-दुंबी), गाय-बैल (या भैंस-भैंसा), उंट-उंटनी। कुरबानी के लिए नर (male) या मादा (female) का कोई मसला नही है।

१४. जानवर मे ऐब ना हो - जैसे नाक पुरी होनी चाहिए, सामने के दांत पुरे होने चाहिए और टुटे फुटे नही होने चाहिए (कम से कम इतने हो के वो चारा सही तरीके से चबा सके), जबान कटी हुई ना हो, दोनो आँखे सलामत होनी चाहिए (भैंगे की कुर्बानी होती है लेकीन मकरुह है), दोनो कान मुकम्मल होने चाहिए कोई कान कटा हुए ना हो, सिंग टुटे हुए ना हो, इसीतरहा दुम, पैर वगैरा साबीत होने चाहिए, गाय के चारो थन (दुध की जगह) या तीन थन अच्छे हो अगर दो सुखे हुए है और दो अच्छे है तो कुर्बानी नही होगी।

१५. नबी करीम (ﷺ) ने गाय और उंट के अंदर सात (७) हिस्सेदार मुकर्रर फरमाए। और बकरा-बकरी, दुंबा-दुंबी एक शख्स की तरफ से ही कुर्बान होंगे। ७ से ज़्यादा आदमी मिला दिए जाए तो किसी भी कुर्बानी नही होंगी।

१६. मर्द भी जुबाह कर सकता है और औरत भी जुबाह कर सकती है। बालीग भी जुबाह कर सकता है और नाबालीग भी शर्त ये है के समझदार हो।

१७. जानवर के गले मे चार रगे (नस) होती है जिन का कटना जरुरी होता है। ऐसी छुरी चलाए के चारो रगे कट जाए। चारो रग मे से कम से कम तीन का कटना जरुरी है। ऐसा भी ना काटे के गर्दन धड से अलग हो जाए।

१८. जानवर को जुबाह करते वक्त मुमकीन हो तो जानवर को उलटी करवट पर गिराए और उस का चेहरा काबे की तरफ कर दे। जानवर को जुबाह करने से पहेले चारा पानी दे, भुका प्यासा जुबाह नही करना चाहिए। एक जानवर को दुसरे जानवर के सामने जुबाह ना करे इस से जानवर मे वहशत होती है और उसे तकलीफ होती है। कुर्बानी के जानवर को तकलीफ देना मना है।

१९. जुबाह करते वक्त तकबीर पढना फर्ज है (तकबीर - बिस्मील्लाही अल्लाहु अकबर)। जरुरी नही है के आप का जानवर आप ही जुबाह करे। अगर किसी दुसरे ने भी जुबाह किया तो की हरज नही है।

२०. कुर्बानी के गोश्त के ३ हिस्से करना जरुरी नही है। हदीस में आता है के कुर्बानी का गोश्त खाओ, जमा करो और सदका करो। आप चाहे तो पुरा गोश्त बांट दे इस में कोई मसला नही है। और अगर कोई ना मिले तो पुरा गोश्त आप ही खाए तो भी कोई मसला नही है।

२१. जुबाह करने वाले कसाई को उस की उजरत के तौर पर जानवर में से कुछ ना दिया जाए, उस को उस की उजरत अपनी तरफ से दी जाए।

२२. जिल्ह हज्जा का चाँद देखने के बाद से १० जिलहिज्जा तक (यानी बकरी ईद के दिन तक) अपने नाखुन और बाल को ना तराशना सुन्नत है। लेकीन टकला बनाना सुन्नत नही है।

वालेदैन (माँ-बाप) के हुकूक व एहतेराम

वालेदैन के हुकूक से मुराद फराईज़ (फर्ज) है जो औलाद पर माँ बाप की खिदमत के लिए लाज़ीम है। पैदा करना और पालना दोनो सिफत अल्लाह तआला की है। इस ने औलाद के खातीर ये सिफत वालेदैन को अता की है। इस तरहा अल्लाह तआला ने माँ बाप को इस कद्र बुलंद मकाम बख्शा है।

कुरआन शरीफ में भी अल्लाह तआला ने वालेदैन के हुकूक को तमाम दुसरे हुकूक पर फौकियत दि है। अल्लाह तआला उन लोगो से खुश होता है जो अपने वालेदैन का एहतराम करते है।

सरवरे कायनात (ﷺ) ने बुढे माँ बाप की खिदमत पर बहोत ज़्यादा ज़ोर दिया है। क्यों के वो अपनी ज़िंदगी की तमाम सलाहीयत और तवानाई (energy) औलाद पर सर्फ कर चुके है। इसलिए बुढापे मे वालेदैन का सहारा बन्ना औलाद का फर्ज है। औलाद पर ये भी लाज़ीम है के वो सब्र से और बरदाश्त से काम ले, अपने बुढे वालेदैन की बदमिजाज़ी और बेतुकी बातो को नज़र अंदाज करे, जब तक के वो हयात है उन की खिदमत करते रहे। और जब वो वफात पाए तो उन के लिए मगफिरत की दुआ करें। जो अपने वालेदैन की खिदमत करता

है उस की औलाद भी उस की खिदमत करती है, और जो अपने वालेदैन की नाफरमानी करता है, उस की औलाद भी उस की नाफरमानी करती है। बदला अमल ही से होता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे।

कुरआन शरीफ मे अल्लाह तआला अलग अलग जगहो पर फरमाता है के -

"और तुम अल्लाह तआला की इबादत करो और इस के साथ किसी को शरीक ना ठहराव और अपने वालेदैन के साथ नेक सुलुक करो"

"ऐ नबी (ﷺ) कहे दिजीए के जो माल तुम खर्च करो तो वो वालेदैन, रिश्तेदारो, यतीमो, मिस्कीनो और मुसाफीरो पर खर्च करो"

"मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालेदैन का भी"

"अगर इन मे से एक या दोनो तुम्हारे सामने बुढापे की उम्र को पहोंच जाए तो तुम उन को उफफ तक ना कहो और ना उन्हे झडको, और उन के साथ अदब से बात करो"

चंद हदीसे पाक -

१. एक मरतबा एक साहबी-ए-रसुल हुजुर (ﷺ) की खिदमत मे हाजीर हुए और अर्ज़ किया "या रसुलुल्लाह (ﷺ) मेरा इरादा जिहाद पर जाने का है"। रसुलुल्लाह (ﷺ) ने उन से पुछा के "क्या तेरी माँ हयात है?" साहबी (रज़ी) ने अर्ज की "हां"। रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "इन की खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है, क्यों के जन्नत माँ के कदमो तले है" (MUSNAD AHMAD (HADITH 15110))
२. हदीसे पाक है - "ज़लील-व-रुस्वा हो वो जिसने माँ बाप दोनो को या एक को बुढापे के वक्त पाया फिर उन की खिदमत कर के जन्नत मे दाखल ना हुआ" (SAHIH MUSLIM (Book 32, Hadith 6189)
३. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के, ये कबीरा (बडे) गुनाहो मे से है के आदमी अपने माँ बाप को गाली दे। तो साहबी (रज़ी) ने अर्ज किया "कोई अपने मां बाप को गाली देता है?"। तो रसुलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के " उस की सुरत ये है के कोई दुसरे के माँ बाप को गाली देता है तो जवाब मे उस के मां - बाप को गाली दी जाती है" (Sahih Bukhari, Kitab-Ul-Aqab, Hadees No#5973)
४. रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया के "दोनो (माँ-बाप) तेरी जन्नत और दोजख है, जो लोग उन को राजी रखेंगे जन्नत पाएंगे, जो नाराज रखेंगे वो दोजख पाऐंगे"(Sunan Ibn Majah : Hadees 3662) - **ये हदीस जईफ है**

जिहाद क्या है?

जिहाद का मतलब है जी तोड लगन से जद्दोजहद करना, महेनत करना, कोशीश करना । ये कोशीश जबान से भी होती है, कलम से भी होती है, हात से भी होती है, नफ्स के खिलाफ भी होती है, शैतान के खिलाफ होती है, कुफ्र करने वालो के खिलाफ भी हो सकती है, जितनी बुराईया है उन को मिटाने की कोशीश का नाम जिहाद है।

जो शहादत अल्लाह की राह मे हो वो ज़्यादा बडा दर्जा रखती है। इस जिहाद के लिए शर्त ये है के एक इस्लाम का हाकीम (हुकम देने वाला commandar) हो जो लोगो को जेहाद की कौल देगा, लोग उस पर लब्बैक कहेंगे और उस की सरपरस्ती मे रह कर वो जिहाद करेंगे।

अगर मुल्क पर हमला हो जाता है तो हर मुसलमान आकील बालीग मर्द और औरत पर फर्ज हो जाता है के जिहाद करे और अपने मुल्क की हिफाजत करे चाहे हाकीम की कौल आए या ना आए।

शहीद का मरतबा

१. शहीद के खुन का कत्रा जमीन पर गिरने से पहेले उस की बख्शीश हो जाती है।
२. शहीद किसे कहेंगे?- अल्लाह की राह मे जंग मे मारा जाने वाले को, पेट की बिमारी से मरने वाले को, हमल के हालत मे मरने वाली औरत को, डुबकर मरने वाले को, जल कर मरने वाले को, मकान के गिरने से दब कर मरने वाले को शहीद कहेंगे।

३. हज़रत अनस (रज़ी) से रिवायत है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया "जो शख्स जन्नत मे जाएगा उस को फिर दुनिया मे आने की आरजु रहेगी अगर उस को सारी जमीन की चिजे दि जाए, मगर शहीद आरजु करेगा फिर आने की और १० बार कत्ल होने की क्योंकी वो देखेगा शहादत के दर्जे को।" यानी जन्नत मे शहीदो दुनिया की हर चिज़ दी जाएंगी फिर भी वो शहादत का और बुलंद दर्जा पाने के लिए दोबारा कत्ल हो कर आना पसंद करेगा।
४. कुरआन फरमा रहा है के "और जो अल्लाह की राह मे मारे जाए उन्हे मुर्दा ना कहो, बल्की व जिंदा है तुम्हे खबर नही [अल-बकराह (२), आयत-१५४]"। शहीद मरता नही इसलिए शहीद की मौत का मतम मनाना सख्त हराम है।
५. और एक आयत मे फरमाया "जो अल्लाह की राह मे शहीद किये गए उन को हरगीज मुर्दा ना समझो, बल्के वो जिंदा है अपने रब के पास, उन्हे रोजीया दी जाती है। अल्लाह तआला ने जो अपना फजल इन्हे दे रखा है इस से बहोत खुश है और खुशीया मना रहे है उन लोगो की बाबत जो अब तक इन से नही मिले इन के पिछे है, इस पर इन्हे ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे।" अल्लाह ने फरमाया के शहीद उस के पास बहोत खुश है। और जो मुजाहीदीन अल्लाह की राह मे अभी भी लढ रहे है, अब तक शहीद हो कर उन से नही मिले वो इस बात पर खुशीया मना रहे है के उन्हे आने वाली ज़िंदगी मे (यानी शहीद होने के बाद) ना कोई गम होगा ना कोई खौफ। (सुरे इमरान (३), आयत-१६९-१७०)
६. शहीदो की रुह जन्नत के सब्ज रंग (हरा रंग) के परिंदो के सिने मे होती है और जन्नत मे जिस जगह चाहे चढती, चुगती, उडती फिरती है। फिर इन कंदीलो मे आकर बैठ जाती है जो अर्श के निचे लटक रहे हैं। (सहीह मुस्लीम, बुक-२०, हदीस-४६५१)
७. हजरत अबु-हुरेरा (रजि) से रिवायत है के नबी (ﷺ) ने फरमाया की"शहीद ५ है, ताऊन से मरने वाला, जो पेट की बिमारी में मरा, डुब कर मरा, जिस पर दिवार वगैरा गिरी और मरा, और जो जिहाद मे शहीद हुआ (**Sahih** Bukhari, Vol ४,२८२९)

खुदकुशी करना कैसा है?

१. खुदकुशी करना हराम है।
२. हज़रत अबु हुरेरा (रज़ी) से रिवायत है के, हुजुर (ﷺ) ने फरमाया "जिस शख्स ने खुद को पहाड से गिरा कर हलाक किया तो वो दोजख मे जाएगा, हमेशा इस मे गिरता रहेगा और हमेशा हमेशा वही रहेगा। और जिस शख्स ने जहर खा कर अपने आप को खत्म किया तो वो जहर दोजख मे भी इस के हाथ मे होगा जिसे वो दोजख मे खाता होगा और हमेशा हमेशा वही रहेगा। और जिस शख्स ने अपने आप को लोहे के हथीयार से कत्ल किया तो वो हथीयार इस के हाथ मे होगा जिसे वो दोजख की आग मे हमेशा अपने पेट मे मारता रहेगा और हमेशा हमेशा वही रहेगा" (**Sahih** al-Bukhari १३६५ and **Sahih** Muslim-१०९)। इसी तरहा दुसरी रिवायत ये भी ज़िक्र है के "जो शख्स अपनी जान को फांसी के जरीए खतम करता है तो वो दोजख मे भी ऐसा ही करता रहेगा।"
३. एक साहबी-ए-रसुल से रिवायत है के, हुजुर (ﷺ) ने फरमाया "तुम से पहेले लोगो मे से एक आदम जख्मी हो गया, इस ने बेकरार हो कर छुरी ली और अपना जख्मी हाथ काट डाला। जिस से इस का इतना खुन बहा के वो मर गया। अल्लाह तआला ने फरमाया : मेरे बंदे ने खुद फैसला कर के मेरे हुक्म पर सब्कत की है, लेहाजा मै ने इस पर जन्नत हराम कर दी" (**Sahih** Bukhaari, jihad#४/२९७, and **Sahih** Muslim (११३))
४. खुदकुशी करने वाले हमेशा दोजख मे रहेंगे और वहा भी खुदकुशी करते रहेंगे।
खुदकुशी करने वाला कितना ही बडा मुजाहीद (अल्लाह की राह मे जान देने वाला) क्यु ना हो वो हर गिज जन्नती नही हो सकता।

सफर का महिना कैसा है और इस महिने मे शादी करे या नही?

हमारे नबी-ए-करीम (ﷺ) के दौर में कुफ्फार में ये बात मशहुर थी के जब सफर का महिन आता है तो अपने साथ बेशुमार बलाए ले कर आता है, और ये मनहुस महिना है। जब नबी-ए-करीम (ﷺ) ने नबुवत का ऐलान किया और इस्लाम की तालीम को आम फरमाया तो आपने उन के खयालात को बिल्कुल गलत करार दिया। और इरशाद फरमाया **"सफर कोई चिज़ नही है"** (Sahih al-Bukhari ५७०७)।

लेहाजा नबी-ए-करीम (ﷺ) ने बताया के सफर का महिने मनहुस महिना नही होता, ये महिना आम महिनो की तरहा है और इस्लाम में नहुसत वाली कोई चिज़ नही होती। आपको झुठी हदिसे भी मिल जाऐंगी के सफर के महिने मे बलाए नाजील होती। आप सफर के महिने में भी शादी कर सकते है जैसे के बाकी ११ महिनो में की जाती है। आप सोचिए, जो लोग सफर का महिना छोड कर दुसरे महिनो को बा-बरकत कहते है और इन महिनो मे शादी करते है, तो ये बताईये के शादीयो का क्या नतीजा निकल रहा है जो बा-बरकत महिनो मी की जा रही है।

वही क्या है? कुरआन कब, कहा और कैसे नाजील हुआ?

नाजील होने का मतलब है उंचाई से निचे आना। "वही" के मायनी है "अल्लाह का मॅसेज या कुरआन की आयात जो अल्लाह ने उस के रसुल को किसी जरीये से दी"। दुसरे अलफाज मे वही की तारीफ इस तरहा बयान की जाती है के, "वही" वो मालुमात या कुरआन की आयत है जो रसुल को अल्लाह ने दी। ये मालुमात रसुल को किताब के जरीए, फरिश्ते के जरीए, ख्वाब के जरीए या डायरेक्ट दिल मे डाली जाती थी।"

अल्लाह तआला जिबराईल अलैहिस्सलाम को रसुलुल्लाह (ﷺ) के पास भेजता। जिबराईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बताई हुई बात और कुरआन की आयत को हुजुर (ﷺ) ले आते थे और आप को बताते और सिखाते भी थे। कुरआन के अलावा भी आप (ﷺ) पर दुसरी वही नाजील होती थी।

रमजानुल मुबारक के महिने मे, शबे कद्र की रात को पुरा कुरआन लोह महेफ़ुज़ से उतर कर पहेले आस्मान पर लाया गया। इस के बाद अल्लाह के हुकूम से जिबराईल (अलैहिस्सलाम) कभी-कभी थोडा-थोडा कर के निचे ले आते थे जिसे वही कहते है। और उसी रात अल्लाह के हुकूम से सुरे-अलक की पांच आयते आप (ﷺ) पर उतारी गई। इस के बाद कुरआन शरीफ २३ साल तक उतरता रहा। कुरआन की तरतीब, मायनी और अल्फाज सब अल्लाह की तरफ से है इसलिए इसे कोई बदल नही सकता.

अल्लाह तआला ने कुरआन में हुकम दे दिया के नमाज़ पढो। लेकीन कितनी पढे?, कैसे पढे?, रकाते कितनी हो?, सजदे कितने हो?, रुकू कितने हो? वगैरा ये तफसील कुरआन मे मौजुद नही है बल्की ये आप को हदीस से मिलेगा। इस तरहा अल्लाह तआला ने कुरआन मे हमे नमाज़ पढने का हुकूम दिया और "नमाज़ पढने का तरीका रसुल से ले लो" कह दिया। इसी तरहा अल्लाह ने वही के जरीए वज़ु करने का हुकूम दे दिया, तो जिबराईल अलैहिस्सलाम ने आ कर रसुलुल्लाह (ﷺ) को वज़ु का तरीका सिखाया और आप (ﷺ) ने हमे वज़ु का तरीका सिखाया। इसी तरहा वही के जरीए जकात, वज़ु, गुस्ल, हज करने का अल्लाह हुकूम देता और जिबराईल अलैहिस्सलाम आकर रसुलुल्लाह (ﷺ) को सिखाते थे आप (ﷺ) ने हमे सिखाया।

तो ये मालुम हुआ के वही के जरीए सिर्फ कुरआन की आयते ही नही बल्की हदीस भी नाजील होती थी। अल्लाह की बताई हुई हदीस रसुलुल्लाह (ﷺ) हमे सिखाते थे।

कुरआन गलती से गिरने पर कफ्फारा (दंड) क्या है? और कुरआन को बोसा देना (चुमना) कैसा है?

कोई भी मुसलमान जानबुछ कर कुरआन गिराता नही है। कुरआन गलती से गिर जाए तो कोई कफ्फारा नही होता। लेकीन फिर से ऐसी गलती ना होने पाए।

कुरआन को चुमना हमारे सलफ सॉलेहीन (साहाबा, ताबायीन और तबे-ताबयीन) से साबीत नही है।

मेहरम कौन है?

औरत का मेहरम वो होता है जिस से हमेशा के लिए निकाह हराम हो। जैसे के बाप, भाई, भाई के बच्चे, बहेन के बच्चे, दादा, बेटे, चाचा, मुसलमान औरत वगैरा मेहरम होते है। मामु के बच्चे और चाचा के बच्चे मेहरम नही होते।

जिनत (Adornment, श्रृंगार, सज़ावट) क्या है ?

जिनत का मतलब होता है शृंगार। औरत खुद को सज़ाने के लिए कई चिज़े पहेनती है उसे जिनत कहते है। मिसाल के तौर पे - ज्वेलरी, अंगुठी, ब्रेसलेट, इयर रिंग, नेकलेस और आँक्लेट वगैरा औरतो की जिनत होती है।

औरत अपनी जिनत किस को बता सकती है?

और अपनी जिनत सिर्फ और सिर्फ अपने मेहरम को और दुसरी औरतो को ही बता सकती है। गैरमेहरम को अपनी जिनत बताना मना है।

औरत मेहरम के सामने और दुसरी औरतो के सामने पर्दा कैसे करे?

औरत को जितना जिस्म छुपाना के हुकूम इस्लाम ने दिया है जिस्म के उतने हिस्से को **"अवराह"** कहेते है। मिया - बीवी के बिच अवराह नही होता। मेहरम के सामने अवरा नाफ से लेकर घुटनो तक है। जब मुसलमान औरत अपने मेहरम के दरमियान हो तो बाल, चेहरा, बाहे, हाथ और पैर (घुटनो के निचे) ना छुपाए तो भी जायज़ है । लेकीन औरत की हया और शर्म उस के हाथ होती है लेहाजा बेवजा मेहरम के सामने खुद की नुमाईश ना करे।

हिजाब

१. हिजाब का मकसद अवराह को छुपाना है।
२. हिजाब से चेहरा और हाथ छोडकर पुरा जिस्म छुपना चाहिए।
३. हिजाब पारदर्शी या तंग (translucent or tight) ना हो जिस से की जिस्म का रंग नज़र आए और जिस्म का ढांचा (body shape) नज़र आए।
४. हिजाब मर्दो की तवज्जा (attention) अपने तरफ खिंचने (attract) वाला ना हो।
५. हिजाब मे अतर (perfume) ना लगाए।

मुसलमान औरतो के लिए चंद जरुरी हिदायते

१. मुसलमान औरत को अकेले अकेले सफर करने की इजाज़त नही है, उस के साथ एक मेहरम होना जरूरी है। यहा तक के हज के सफर में भी अकेले जाने की इजाज़त नही है।
२. गैरमहेरम शख्स से हाथ मिलाना हराम है और मना है।
३. गैरमेहरम शख्स के साथ पर्दे के पिछे हो कर बात करे और नर्म आवाज में बात न करे (ताके उसके दिल मे बुरी ख्वाहिशात पैदा ना हो) आवाज सख्त हो लकीन बदतमीजी वाली ना हो। संजीदा तौर से बात करे और कोई फुजुल बात ना करे।
४. चलते वक्त औरते निगाह निची रखे और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे।

मुसलमान मर्दो के लिए ड्रेस कोड

१. मर्द **अवराह** का नाफ के सुराख के ठिक निचे से घुटनो के निचे तक होता है। मर्द के लिए अवरा दिखाना हराम है। मर्द अपना अवराह किसी दुसरे मर्द को भी बता नही सकता।
२. जिलबाब, इजार, लंबे कपडे, इमामा, झुब्बा, सलवार पहेन्ना सुन्नत है।
३. गैरमुसलमान मर्द जो खास स्टाईल के कपडे पहेनते है उन की तरहा कपडे पहेन्ना मना है। वेस्टर्न तर्ज के कपडे किसी ग्रुप के खास नही होते इस वजह से मुसलमान मर्दो को वेस्टर्न स्टाईल (पँट और शर्ट) के कपडे पहेन्ने की इजाज़त है। लेकीन पँट और शर्ट पहेन्नेसे मर्द का अवराह साफ तौर पर नजर आता है इसलिए मुसलमान मर्दो को हिदायत है के वो ऐसे कपडे ना पहेने। वेस्टर्न स्टाईल (पँट और शर्ट) के कपडे पहेन्ना नापसंद किया गया है।
४. मर्दो को औरतो वाले कपडे और औरतो को मर्दो वाले कपडे मना है।
५. मर्दो के कपडे पारदर्शी या तंग (translucent or tight) ना हो।
६. मर्दो को सिल्क और सोने की ज्वेलरी से बने हुए कपडे पहेन्ना मना है।
७. मर्दो को टखनो के निचे कपडे पहेन्ना मना है। टखनो के निचे पँट, इजार या कोई भी कपडा पहेन्ना हराम है। कई हदिसो मे आता है के "३ लोग जिन्हे अल्लाह तआला कयामत के दिन नही देखेंगा उन के लिए दर्दनाक सज़ा होगी । वो ३ लोग है १) वो लोग जो कपडे टखनो के निचे पहेंते है, २) किया हुआ एहसान याद दिलाने वाले लोग, ३) वो जो झुठी कसमे खा कर अपना माल बेचते है। (मुस्लीम नं.१०६)
८. टखनो के निचे कपडे पहेन्ने को इसलिए मना किया गया है के अरब लोग लंबे लंबे झुब्बे पहेनते थे, जो जमीन पर घिसडते थे और वो लोग तकब्बुर के साथ चलते थे। आप (ﷺ) को या बात पसंद नही थी तो आप ने टखनो से उपर कपडे पहेन्ना का हुकूम दिया। ये हुकूम तकब्बुर की तोड के लिए दिया था। हजरत अबुबकर सिद्दीक (रजि) ने जब ये हदीस सुनी के "जिसका तहबंद टखनो के निचे है वो जहान्नुम में है" तो अर्ज की के या रसुलुल्लाह (ﷺ) मैं तहबंद पहेनता हुँ तो सरक जाता है और मेरे टखने ढक जाते है। तो आप (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के "ऐ अबुबकर तुम उन मे से नही है"। यानी के अबुबकर (रजि) तकब्बुर करने वालो मे से नही है। लेहाजा अगर टखने ढके हुए है और दिल मे तकब्बुर नही है तो ये सुन्नत के खिलाफ है लेकीन गुनाह नही है।

शादी में गैरइस्लामी रसुमात

१. बॅण्ड बाजा इस्लाम में हराम है। हर वो रसम जिस मे गाने बाजे, ढोल, ताशे, म्युझिक हो वो हराम है।
२. हर वो रसम हराम होगी जिस मे लडके को गैरमेहरम हाथ लगाएगी, या मेहंदी लगाएगी, या सोना वगैर पहेनाएगी। साली के लिए दुल्हा गैरमेहरम होता इसलिए है उस का जिजा को छुना हराम, मेंहदी लगाना हराम और इसी तरहा से गैरमेहरम औरतो ने भी दुल्हे को छुना हराम है।
३. इसलाम ने मर्दो को मेहंदी लगाने की इजाज़त नही दी। रसुल (ﷺ) के जमाने एक हिजडे ने मेहंदी लगाई थी। चुंके हिजडे मर्द के हुकूम मे होते है तो रसुलुल्लाह (ﷺ) ने उस को मदिने सा बाहार निकवा दिया था।
४. मर्द को सोना पहेन्ना हराम है। दुल्हे को सोने की अंगुठी, घडी वगैरा पहेनाना हराम है चाहे वो वक्ती तौर पर क्यो ना हो क्योंके नाफरमानी तो नाफरमानी होती है। एक मरतबा रसुल (ﷺ) ने मिंम्बरे अकदस पर बैठकर एक हाथ में सोना लिया और दुसरे हाथ मे रेशम लिया और फरमाया के ये दोनो चिज़े मेरी उम्मत के मर्दो पर दुनिया मे हराम है।
५. अपनी खुशी और ख्वाहीश के लिए पटाखे जलाना, धमाके करना, शोर शराबा करना जिस से सेकडो के दिल दुख जाए, उन की निंदे खराब करना, शोर शराबे से बिमारो को परेशान करना जिस की वजह से वो बद-दुआ देने पर आमदा हो जाए तो ऐसी शादी मे बरकत आए ये बहोत ही मुश्किल मामला है।
६. हर वो रसम मना होगी जिस में लडकीया बेपर्दा हो कर गैरमेहरमो के सामने आती हो।

७. हर वो चिज़ ना करे जिस से कोई अजीयत या तकलीफ मे मुबतेला हो जाए। जैसे के बहोत ज़्यादा जहेज मांग लिया, या जुते की या मुंह दिखाई की रसम में बहोत ज़्यादा पैसे मांग लिए।
८. इस्लाम के कानुन के मुताबीक लडके वालो को खाना खिलाना जरुरी है (वलीमा जरुरी है), लडकी वालो को शादी के दिन खाना खिलाना जरूरी नही। इसीतरहा से लडके ने लडकी को पैसे (महेर) देना जरूरी है, ना के लडकी वाले ने लडके को।
९. जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से, इस्लामे के उसुलो को ध्यान मे रखते हुए रसोमात करना जायज़ है।

शादी मे हराम पैसो का खाना खाने का उसुल

शरीयत ने हमे इजाज़त नही दी है के किसी की शादी के दावत मे जाए और उस से पुंछे की आप ने हलाल की कमाई का खाना बनाया है या हराम की कमाई का? इस तरहा किसी की दिल आजारी (दिल दुखाना) का हुकूम नही है। मसला ये है के अगर आप को नही पता के ये कहा से कमाता है तो खोज लगाने की जरूरत नही है और बगैर झिझक उस की दावत का खाना खा सकते है। लेकीन अगर आप को पता है के उस की हराम की कमाई का पैसे खाने में लगा है तो वो खाना हराम है।

शादी किस उमर मे करनी चाहिए

इस्लाम ने शादी करने की कोई खास उम्र नही बताई है। हमारे मज़हबे इस्लाम मे ये देखा जाता है के, इंसान की कैफीयात (परिस्थीती) कैसी है। जैसे के -
१. अगर किसी शख्स को गुमान है के अगर मैं शादी नही करता हुँ तो शायद मैं गुन्हा मे गिरफ्तार हो जाऊंगा तो फिर इसने जल्दी से निकाह करना चाहिए।
२. जल्दी शादी करने के बहोत सारे फायदे है। जल्दी शादी करने से औलाद जल्दी पैदा होती है और आप के कम उमर में ही वो आप के हाथ के निचे आ जाती है और इसी तरहा से आमदी गुनाह से भी बच जाता है।
३. कुछ लोग जिंदगी में सेट होने के चक्कर में शादी करने में बहोत देर कर देते है, ये सोच गलत है। आप शादी करने के बाद भी सेट हो सकते है।

शोहर के पैसे अपने मायके वालो को देना

मर्द हजरात अपने लिए खर्चा करेंगे, पान गुटखो पर खर्च करेंगे, दोस्तो पर खर्च करेंगे लेकीन बीवी को पैसा नही देंगे। उसे तंगदस्ती में रखते है और उस से शिकायत करेंगी की, मैं तुम्हे पैसे दु तो तुम ये पैसे तुम्हारे मायके पहोचा दोगी। उपर से सास भी उस के बेटे से कहेंगी के "अपना माल मायके वालो को भर रही है, जरा देखाकर बेटा"

फर्ज करो के, अगर लडकी ने मायके लेजाकर पैसे दे भी दिए तो मुसलमान को ही दे रही है ना, एक मुसलमान तक ही उस का फायदा पहोच रहा है। हम ये क्यो तसव्वुर बनाते है के ये मायके पैसे दे रही है, क्यु दे रही है? क्या मायके पैसे देना काफीर को देना है? या मायके पैसे देने से आप को सवाब नही मिलेगा? अगर वही औरत किसी गरीब को पैसे दे तो ठिक और अगर अपने गरीब मायके वालो के दे तो ठिक क्यो नही?

लडकी के लिए ये जरूरी है के अगर उस के मायके वाले गरीब है और वो सदका करना चाहती है तो पहेले अपने मायके मे दे, फिर दुसरो को दे। शरीयत का यही तकाजा है के पहेले अपने खानदान वालो मे दे फिर दुसरो में दे।

हा, वो अगर सास पर खर्च नही करती, घर पर खर्च नही करती, यहा का बचा के बच्चो का पेट काट के किसी और को फुजुल दे रही हो तो ये फिर गलत है।

बीवी बच्चो पर और घर वालो पर खर्च करने का सवाब

बाज औकात इंसान अपने घर वालो पर खर्च करने से बचता है। मस्जीद मे दे देगा, चंदा दे देगा, इधर उधर दे देगा। उस को घर वालो पर खर्च करना बेकार सा लगता है।

तो आईये जानीये के घर वालो पर पैसे खर्च करने में कितना सवाब मिलता हैं - मुस्लीम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबु-हुरेरा (रज़ी) इस के रावी है, नबी करीम (ﷺ) का फरमान है "एक दिनार जिसे तुने अल्लाह तआला की राह मे खर्च किया, एक दिनार गुलाम आजाद करने मे खर्च कर दिया, एक दिनार मिस्कीन को सदके मे दे दिया और एक दिनार अपने घर वालो पर खर्च किया, तो इन सब मे सब से ज़्यादा सवाब वाला वो दिनार है जिसे तुने अपने बीवी बच्चो पर खर्च किया" (Sahih Muslim, Vol ३, २३११)। घर वाले और बीवी बच्चे अल्लाह तआला की न्यामत है, ये ना समझे के पैसा ज़ाया हो रहा है, इन के उपर खर्च करने का बहोत बडा सवाब है। लेकीन फुजुल खर्च कर के उन की आदात ना बिगाडे। बच्चे को इतना पैसा भी ना दे दे के वो उस को बिगाड की तरफ ले जाए, ये अल्लाह को पसंद नाही।

शोहर बीवी की बात ना माने तो बीवी क्या करे

अल्लाह ने बिवी को माहकुमा बनाया है और शोहर को हाकीम बनाया है। लेकीन ज़ालीम हाकीम नही। शोहर को ऐसा हाकीम बनाया है के वो अपनी बीवी के जज़बात, एहसासात और दिगर बातो का खयाल रखे और उस के साथ नर्म रवैय्या रखे। अगर वो गलती करती है तो नर्मी से समझाए और अगर बार बार गलती करती है तो थोडी बहोत सख्ती की भी इजाज़त होती है।

अल्लाह तआला ने शोहर को उस की बीवी के उपर हाकीम बनाया है इस का मतलब ये है के, बीवी के उपर इताअत (हुकम मानना) लाज़ीम है। बीवी अगर ये सोचे के शोहर हमारी इताअत करे और हमारा हर कहेना माने तो ये मुनासीब नही। हा, अगर बीवी गुनाह से बचने के लिए कहती है, जायज़ व माकुल बात करती है और शोहर नही मानता तो बीवी को बुरा लगना अलग चिज़ है। लेकीन इसलिए के शोहर मेरी बात माने, मेरी हां मे हां मिलाए तो ये मुनासीब नही। बीवी को ये हुकूम है के शोहर से नर्मी से कहे, वो मानता है तो ठिक नही मानता तो सख्ती करने की या नाराज होने की बीवी को इजाज़त नही है, यही शरीयत की तालीम है।

शोहर ने बीवी से कैसा सुलुक करना चाहिए

नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फरमाया के "तुम में सब से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालो के साथ सब से बहेतर है, और मैं तुम सब के मुकाबले में अपने घर वालो के साथ सब से बहेतर हु"। बाहर इज्जत बना लेना बडा काम नही है लेकीन घर मे इज्जत बना लेना सब से बडा काम है। बाहर इज्जात जाने का डर होता है इसलीए आदमी बाहरवालो से खुद ही संभल कर बात करता है। घर मे बीवी आदमी के सामने कमजोर होती है, यहा आदमी की सही आजमाईश होती है के ये कमजोर के साथ कैसा बरताव करता है। जो बीवी आज कमजोर है कल मैदाने महेशर मे बहोत ताकतवर होगी। नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फरमाया "बरोजे कयामत तुम ने जो जुल्म किया उस का हिसाब व किताब होगा"।

इसलिए शोहर अपने मिजाज़ मे नर्मी पैदा करे, बीवी को इज्जत व प्यार दे और उस की जरूरते समझे।

बीवी अलग रहने की बात कब कर सकती है?

इस्लाम ने ऐसी कोई पाबंदी नही लगाई है के आप ज्वाईंट फॅमिली मे ही रहो। इस्लाम ने ये तालीम जरूर दी है के, एक दुसरे से साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहो, एक दुसरे के साथ जुडे रहो, एक दुसरे के साथ जज़बात, कैफीयात, तकलीपे, खुशी, गम, परेशानिया बांटा करो ताके इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रहे। बीवी अगर कोई शरई मजबुरीयो के तहत अपने शोहर को अलग होने का मुतालबा करती है तो दुरूस्त है, लेकीन अपनी नफसानी ख्वाहीशात की वजह से अलग होना चाहती है तो ये दुरूस्त नही।

शोहर के फराएज और बीवी के हुकूक

अल्लाह तआला ने शोहर को बीवी का निगरान बना कर भेजा है। अल्लाह तआला ने मर्द को जिम्मेदारी दे दी है के वो उस की बीवी का खयाल रखे।

१. **महेर:** बीवी का सब से बडा हक ये है के उसे महेर दिया जाए। हमारे यहा आम तौर पर महेर कभी नही दिया जाता और लिख दिया जाता है के "गैरेमोअज्जल" जिस का शरीयत मे कोई अमल दखल नही है। ये हो सकता है के उधार रखा जाए लेकीन उधार रखने की भी एक हद दि गई है। अल्लाह फरमाता है के खुशी से इन का हक दे दिया करो। महेर की रकम निकाह के वक्त अदा करनी चाहिए। हमारे लोगो मे महेर बख्शवाने का भी रिवाज है, ये अमल बिल्कुल नाजायज़ है। कुरआन ने ये इजाज़त दी है के अगर औरत चाहे तो अपनी खुशी से महेर माफ कर दे या महेर का कुछ हिस्सा माफ कर दे लेकीन इस का मतलब ये नही है के उस पर दबाव बनाया जाए, उस को कहा जाए, सिखाया जाए, या ऐसी सुरत लाई जाए के बीवी महेर माफ कर दे। बाज औकात जब शोहर का जनाज़ा जा रहा होता है तो कुछ औरते उस की बिवी को जबरदस्ती कर के महेर माफ कराने लगाती है। ये बिल्कुल नाजायज़ है और इस तरहा महेर माफ नही होता।

२. **नान नफ्का (रोटी कपडा):** बीवी का खना, पीना, रहेना सहेना, कपडा लत्ता, वगैरा सारा का सारा मर्द पर फर्ज है।

३. **जिस तरहा से वो मायके मे थी उसी तरहा से उसे रखना:** जैसे वो वालेदैन के घर मे रह रही थी, आप का फर्ज है के उसे वैसे ही रखे। अगर वो साहेब हैसियत थी, उसे खिदमतगारो की आदत थी, घर के कामकाज करने के लिए नौकर चाकर हुआ करते थे, जो लिबास पहेन्ने की उसे आदत थी तो शहर का फर्ज है के उसे ये सब दे। बीवी अगर गरीब घराने से है तो भी उसे अच्छा रखे तो वो बहोत खुश होंगी। अगर मर्द की इतनी हैसियत नही है तो अपनी हैसियत के मुताबीक करे।

बीवी को उस के वालिदैन से मिलने के लिए रोकना

"माँ बाप से तालुक तोड दो वरना तलाक दे दुंगा"। जो मर्द ऐसी धमकी दे रहा वो बहोत बडा शदीद गुन्हा कर रहा है। नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "अल्लाह तआला ने जब रिश्ते को पैदा फरमाया, रहम को पैदा फरमाया तो उसे ने अल्लाह तआला की बारगाह मे अर्ज की या रब्बे करीम जो मुझ को तोडे तु उस को तोड दे"। शरई हुकूम ये है के "हफ्ते मे एक बार माँ बाप से मिलने देना वाजीब है"।

हज़रत अबु हुरेरा (रज़ी) से रिवायत है आप एक मरतबा इज्तेमाई दुआ मांगने लगे तो आपने ऐलान फरमाया के कोई हमारे दरमियान बिला शरई वजह रिश्तेदारो से तालुक तोडने वाले हो तो उन्हे चाहिए के वो यहा से चले जाए। मैं (हज़रत अबु हुरेरा रज़ि) ने नबी-ए-करीम (ﷺ) से सुना है जिस महफील या मजलीस मे कोई कातिले रहम (रिश्ता तोडने वाला) बैठा हो अल्लाह तआला उस मजलीस की दुआ कबुल नही फरमाता।

ना-शुक्र, बद-तमीज और ना-फरमान बीवी का अंजाम

ऐसी औरत जो शोहर पे बेजा गुस्सा करती है, उस की बदतमीजी और नाफरमानी करती है और कभी कभी गाली भी दे देती है तो ऐसी औरत बहोत बडा गुन्हा कर रही है।

बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के "एक मरतबा मुझे जहान्नम दिखाई गई ते मैं ने जहन्नम मे कसीर (ज़्यादा) औरतो को देखा जो नाशुक्री करती थी"। और फिर इरशाद फरमाया "अगर तुम किसी औरत के साथ एक तवील अर्से तक अच्छा सुलुक करो और फिर वो तुम में अगर कोई बात देख ले जो उसे पसंद नही आती तो कहेंगी के तुम ने मेरे साथ कभी भलाई की ही नही" (सहीह मुस्लीम, २१२८)। ये गोया के सरकार ने औरतो के नाशुक्रेपन की तरफ इशारा किया। इसका मतलब ये है के बीवी के साथ कितना भी अच्चा सुलुक किया जाए और किती भी न्यामत दि जाए लेकीन जब शोहर की तरफ से अजीयत तकलीफ पहोचेंगी तो सारे एहसानात को भुल के वो नाशुक्रेपन मे मुबतेला हो जाएगी और कहेगी के तुम ने मुझे दिया ही क्या है, मुझे तुमसे कभी सुख मिला ही नही है। तो ना-शुक्री औरतो को जहान्नम मे ले जाने वाली है।

शोहर चाहे चरसी हो, शराबी हो, जुवारी हो, मवाली हो, डाकु हो, जानी हो, कैसा भी हो लेकीन जब उस शोहर का इंतेकाल होता है तो औरत पर ४ महिने १० दिन इद्दत के गुजारना लाज़ीम करार दिया है। चुंके शोहर अल्लाह की एक न्यामत थी और वो न्यामत छिन गई तो उस न्यामत के छिनने पर गम का इजहार करने का

हुकूम है, यानी ४ महिने १० दिन तक औरत गम का इजहार करे के मुझ से अल्लाह तआला की एक न्यामत छिन गई है।

नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के "अगर कोई औरत बगैर किसी वजह अपने शोहर से तलाक मांगे तो कयामत के दिन जन्नत खुशबु भी नही पा सकेंगी"।

बच्चो को बाप या माँ के खिलाफ बहेकाना

उलेमा-ए-इकराम ने साफ तौर पे लिखा है के, बाप चाहे कितना भी जालीम और गुनाहगार हो और माँ कितनी भी मजलुम (जिस पर जुल्म हुआ) हो बच्चो को ये हक हासील नही है के किसी एक की तरफदारी कर के दुसरे के खिलाफ अमल करे। इसलिए के इन पर अपने माँ बाप दोनो का अदब और एहतेराम करना फर्ज है। माँ बाप ने गलत काम किया है तो वो मैदाने महेशर मे अल्लाह के सामने जवाब देंगे।

अक्सर माँ बच्चो को अपनी तरफ कर के (अपने फेवर मे ले के) वालीद के खिलाफ कर रही है, ये हकीकतन अपने बच्चो की आखेरत को तबा कर रही है। इसलीए के मैदाने महेशर मे बच्चो के साथ-साथ माँ की भी पकड होंगी.

मुसलमान मर्द के लिए चार शादीया जायज़ है

अल्लाह तआला कुरआन मे फरमाता है के "जो औरते तुम्हे पसंद आए तुम उन से निकाह कर सकते हो, २ या ३ या ४ से" आगे अल्लाह तआला ने ये कैद लगाई के "अगर तुम अदल व इंसाफ न कर सको तो सिर्फ एक से शादी करो"(Surah Nisa (४), Aayat no-३)। मुसलमान मर्द अगर अपनी बीवीयो को जिस्मानी तौर से और माली तौर से बराबर हक दे सके, उन का कपडा, खाना और दिगर हुकूक बराबर दे सके, दोनो के साथ बराबर का इंसाफ कर सके, महेर वगैरा बराबर दे सके तो उसे दुसरी शादी करने की इजाज है। दुसरी शादी करने के लिए बीवी की इजाज़त की कोई जरूर नही है लेकीन उसे बता कर (इन्फॉर्म कर के) शादी करे तो बहेतर है।

शोहर दुसरी शादी करता है तो उस ने जायज़ ही काम किया है, उस ने इस्लाम के खिलाफ काम नही किया। इसलीए शोहर का हक जो पहिली बिवी पर था वो खत्म नही होगा। लेहाजा बीवी पर उस का अदब और उस का एहतेराम करना लाज़ीम है। शोहर ने दुसरी शादी की तो हमारी मुसलमान बहेने उस से नफरत कर के उसे बुरा भला कहती है। शोहर को गालीया देना और उस की बेइज्जती करना हराम और गुनाह-ए-कबीरा (बडा गुनाह) है। इस की मैदान-ए-महेशर मे पकड होंगी। ये काम अल्लाह की तरफ से जायज़ करार दिया गया है इसलिए बहेने इस काम मे रुकावट ना बने।

नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "अगर मैं किसी मखलुक को, मखलुक को सजदा करने का हुकूम देता तो बीवीयो को हुकूम देता के वो अपने शोहरो को सजदा करें" (Tirmizi, Jild -१, Baab -७८८, Safa ५९४, Hadees -११५८, Mishkat, al-Masabih, Hadees -७) और एक दफा नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "शोहर का बीवी पे ये हक है के अगर उस का पुरा जिस्म खुन और पिप से भरा हुआ हो और बीवी अपने जबान से चाट कर उस को साफ कर दे तब भी अपने शोहर का हक अदा नही कर सकती"।

हमारे मुसलमान भाई शौक मे दुसरी बिवीया तो जमा कर लेते है और हुकूक अदा करना आता नही। और बाज मर्द जुल्म करते है, पहिली को छोड कर दुसरी की तरफ, फिर दुसरी को छोड कर पहिली की तरफ जाते है। अगर मर्द अपनी बिवीयो के बिच इंसाफ कर सके और उन्हे बराबर हक दे सके तो ही उन्हे दुसरी शादी की इजाज़त दि गई है।

क्या बीवी शोहर का नाम ले सकती है?

अगर शोहर का दिल ना दुखे और वो नाराज ना हो तो उस का नाम ले सकती है। नाम लेने से शोहर नाराज़ होता है या उस का दिल दुखता है तो गुनाहगार होंगी।

लडका या लडकी को दुध पिलाने मुद्दत

चाहे लडका हो या लडकी शरीयत ने दुध पिलाने की मुद्दत २ साल रखी है। २ साल के उपर एक दिन भी दुध पिलाना गुनाह व हराम है। (Sure Baqra (२), Ayat-२३३)

पानी पिने का सुन्नत तरीका और फायदे

रसुलुल्लाह (ﷺ) से बैठ कर पानी पिना साबीत है और खडे हो कर भी पानी पिना साबीत है।

हदीस जो कहती है के रसुलुल्लाह (ﷺ) ने खडे हो कर पानी पिने से मना फरमाया :-

१. अनस (रजि) रिवायत करते है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने खडे हो कर पानी पिना ना-पसंद करते थे (सहीह मुस्लीम, किताब-२३, हदीस-५०१७)
२. अबु सईद खुदरी (रजि) रिवायत करते है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने खडे हो कर पानी पिने से खबरदार किया (सहीह मुस्लीम, किताब-२३, हदीस-५०२०)
३. अनस (रजि) से रिवायत है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने खडे हो कर पानी पिने से मना फरमाया था (अबु दाऊद, किताब-२६, हदीस-३७०८)

हदीस जो कहती है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने खडे हो कर पानी और ज़म ज़म का पानी पिया :-

१. इब्ने अब्बास रिवायत करते है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने ज़म ज़म खडे हो कर पिया। (सहीह बुखारी, बुक-६९, हदीस-५२१)
२. इब्ने अब्बास (रजि) रिवायत करते है, मै नें रसुलुल्लाह (ﷺ) को ज़म ज़म पेश किया, और उन्हो ने उसे खडे हो कर पिया। (सहीह मुस्लीम, किताब-२३, हदीस-५०२३)
३. इब्ने अब्बास (रजि) रिवायत करते है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने खडे हो कर ज़म ज़म का पानी बाल्टी (बकेट) में से पिया (सहीह मुस्लीम, किताब-२३, हदीस-५०२४)
४. अन-नज्जल (रजि) रिवायत करते है, अली (रजि) (मस्जीद के)आंगन के दरवाजे पे आये और फिर खडे हो कर पानी पिया और फरमाया "कुछ लोग खडे हो कर पानी पिना ना-पसंद है जब की मै ने रसुलुल्लाह (ﷺ) को ये करते हुए देखा वैसे ही जैसे मै ने किया है" (सहीह बुखारी, किताब-६९, हदीस-५१९) (अबु दाऊद, किताब-२६, हदीस-३७०९)
५. अन-नज्जाल बिन साबरा रिवायत करते है, अली (रजि) ज़ोहर नमाज पढ के कुफा की मस्जीद के चौडे से आंगन बैठ गए और लोगो के मामले के मुआएदे करने लगे जब तक के असर का वक्त ना हो गया। फिर उन को पानी ला कर दिया गया और उन्हो ने उसे पिया, अपने चेहरे पे, हाथ, सर और पंजे धुले। फिर उन्हो ने खडे हो कर पानी पिया और फरमाया "कुछ लोगो को खडे हो कर पानी पिना ना-पसंद है जब की मै ने रसुलुल्लाह (ﷺ) को ये करते हुए देखा वैसे ही जैसे मै ने किया है" (सहीह बुखारी, किताब-६९, हदीस-५२०)
६. अली इब्ने अबी तालीब ने खडे हो कर पानी पिया और लोगो ने उन्हे ऐसे देखा जैसे वो इस की मुखालिफत कर रहे हो। अली (रजि) ने कहा, "तुम ऐसे क्या देख रहे हो? अगर मै ने खडे हो कर पानी पिया, तो मै ने रसुलुल्लाह (ﷺ) को खडे हो कर पानी पिते देखा, और अगर मैं बैठ के पानी पिया तो मै ने रसुलुल्लाह (ﷺ) को बैठ कर पानी पिते हुए देखा" (मुस्नद अहमद, हदीस-७९७)
७. ये रिवायत किया गया था की, इब्ने उमर (रजि) ने फरमाया, रसुलुल्लाह (ﷺ) के जमाने में हम चलते हुए खाया करते थे, और खडे हो कर पिया करते थे" (इब्ने माजा, किताब-२९, हदीस-३३०१)

बैठ कर पानी पिने का सुन्नत तरीका:

१. पिने के पानी के बरतन (ग्लास) में देखो के इस में कोई नुकसान देने वाली चिज़ तो नही।
२. किबले की तरफ रुख कर के (मुंह कर के) बैठे।
३. पिने से पहेले "बिस्मील्लाह" कहे । पानी सिधे हाथ से पिये। पानी पिते वक्त आवाज न करे।

४. एक ही सांस मे पुरा पानी ना पिये। बल्की दो या तीन मरतबा सांस ले कर पिये।
५. पानी पिने के बाद "अल्हमदु लिल्लाह" कहे।

जरुरी हिदायते :

- चुस कर छोटे छोटे घुंट पिए। बडे घुंट पिने से जिगर की बिमारी पैदा होती है।
- नबी अकरम (ﷺ) ने पानी के बरतन मे सांस लेने या इस में फुंकने से मना फरमाया है। (क्यों के सांस कभी-कभी जहेरीली होती है)
- गरम दुध या चाय को फुंक मार कर थंडा ना करें । इसी तरफा खाने में भी फुंक मारना मना फरमाया है।
- सोने और चांदी के बरतन मे पानी पिना और खाना मना फरमाया है। सोने और चांदी के बरतन मे खाने और पिने की सज़ा के तौर पर पेट मे आग डाल दी जाएगी।
- एक मुसलमान के ग्लास में बचे हुए के साफ सुथरे झुठे पानी को इस्तेमाल के काबील होने के बावज़ुद फेंकना नही चाहिए ।

सोने का सुन्नत तरीका

एक औसत इंसान ६ से ८ घंटे सोता है। तो इस का मतलब ये हुआ के ज़िंदगी का १/३ हिस्सा हम ने सोने में गुज़ार दिया (यानी हमारी उम्र अगर ६० बरस है तो २० साल हम ने सोने मे गुज़ार दिये) । अगर हम सुन्नत के तरीके के मुताबीक सोए है तो हमारा सोना भी इबादत मे शामील किया जाएगा और हमे सवाब भी मिलेगा।

१. जब हम सोए तो शुरूवाती निंद दायी (सिधी) करवट पर सोए। और दाया हाथ (हथेली) सर के निचे ले ले (दाये हाथ को सिराना बनाए) । (इस से फायदा ये है के, हमारा दिल बायी (उलटी) तरफ होता है। जब हम सिधी तरफ सोते है तो दिल उपर की तरफ होता है जिस की वजह से दिल की पंम्पींग अच्छी होती है और खुन का दौरान जिस्म मे अच्छे तरीके से होता है।
२. शुरूवात में उपर की तरहा सोए । इस के बाद आप चाहे तो पिठ के बल सोए या फीर उलटी जानीब करवट कर के सोए।
३. जब तुम रात मे बुरा ख्वाब देख लो तो अल्लाह से पनाह मांगो और करवट बदल दो।
४. हदीसे पाक (ﷺ) है के, वज़ु करने के बाद सिधी करवट हो कर, सिधे हाथ को सर के निचे रख कर सोए।
५. पेट के बल सोना मना है। पेट के बल सोना जहान्नुमी लोगों की निशानी है। (पेट के बल सोने से ॲसिडीटी का मसला हो सकता है, फेफडो पर वजन और दबाव आने से दम घुट सकता है और सांस लेने मे तकलीफ होती है, पेट भी तकलीफ दे सकता है। इसीतरहा से और भी बहोत सारे तकलीफात हो सकते है)।

चलने का सुन्नत तरीका

नबी अकरम (ﷺ) का चलना इस तरहा का होता था जैसा के कोई उंचाई से निचे की तरफ उतरता है (यानी उपर से निचे की तरफ जब आदमी आता है तो थोडा सा झुका हुआ होता है और उस के चलने मे वकार (majesty, dignity) होता है) । आप (ﷺ) हमेशा निचे की तरफ देख कर तेज कदम (quick pace) चला करते थे या लंबे कदम (long step) उठा कर थे चला करते थे। आप (ﷺ) छोटे कदम (short step) नही चलते थे। अगर किसी चिज़ को देखना हो तो पुरे जिस्म को उस की तरफ घुमा लेते थे।

- घमंड और अकड के साथ चलना मना है। सादगी के साथ जमीन पर चले।
- जमीन को घिसते हुए लापवरवाही के साथ चलना भी मना है।

तिजारत (धंदा, business) के चंद इस्लामी उसुल

१. सुब्हा सबेरे तिजारत के लिए जाए या तिजारत शुरू की जाए तो बरकत मे ज़्यादा इज़ाफा होता है। क्योंके सुब्ह का वक्त खैर-व-बरकत का वक्त होता है।

२. अपनी चिज़ आप जितना चाहे उतकी किंमत मे बेच सकते है, इस्लाम ने नफे की खास मिकदार नही बताई है। लेकीन इतना नफा भी ना निकाले के लोग कहे के ये शख्स लुटता है, काटता है।
३. रिश्वत देना और लेना हराम है।
४. जो माल बेचा जा रहा है उस का ऐब ज़ाहीर कर के बेचे, ऐब को छुपा कर माल बेचना मना है।
५. सुवर, शराब, नशाआवर मशरुबात, गैरशिकारी कुत्ते की खरीद व फरोख्त (बेचना) को शरीयत ने ना-जायज़ करार दिया है।
६. कोई भी व्यवहार (लेन-देन) जिस में सुद हो हराम है।
७. हराम काम के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले चिज़ो की खरीद और फरोख्त हराम है।
८. किसी भी जानवर की चमडी जिस को इस्लामी तरीके से जुबाह नही किया गया और वो अपनी कुदरती मौत मरा उस की चमडी का खरीद व फरोख्त हराम है। अगर आप गैर-इस्लामी मुल्क से चमडी खरेदी रहे है और आप को यकीन है के उन्हो ने इस्लामी तरीके से ही जानवर को जुबाह किया था तो उस की चमडी खरीदना हलाल होगा।
९. जबदरस्ती से कब्ज़ा की हुई प्रॉपर्टी बेचना हराम है। बेचने वाला खरेदने वाले को पैसे वापस कर दें।
१०. मनोरंजन का सामाना जैसे, गिटार, बासुरी, बाजे, हारमोनियम वगैरा की खरीद व फरीख्त हराम है। इसी तरहा से बच्चो के बाजे वाले खिलौने खरीदना और बेचना भी हराम है।
११. रेडीओ और टेप-रेकॉर्डर वगैरा अगर हराम काम के मक्सद से ना खरीदे तो खरीदना हलाल है।
१२. हराम इस्तेमाल के लिए चिज़े बेचना हराम है। जैसे शराब बनाना के लिए अंगुर बेचना।
१३. जुवे और चोरी के पैसो से खरीदी हुई प्रॉपर्टी खरीदना हराम है। अगर किसीने ये प्रॉपर्टी खरीदी तो असली मालीक को पैसे लौटा दे।
१४. नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने इरशाद फरमाया के "जो धोका दे वो हम में से नही है"। शरीयत इस बात को पसंद नही करती है के **मिलावट** कर के लोगो को धोका दिया जाए।
१५. अगर कोई दुध मे पानी मिला कर दुध बेच रहा है और बता भी रहा है के मैं ने इस दुध मे इतना पानी मिलाया और आप को लेना हो तो ले या ना ले। तो अब ये धोका ना रहा। तो लोगो को बता कर मिलावटशुदा माल बेचना भी जायज़ हो जाएगा।
१६. सब लोगो को मालुम है के दुध मे पानी मिलाया जाता है तो दुध बेचने वाले को (या मिलावट करने वाले को) लोगो को बताने की ज़रूरत नही है।
१७. जिस चिज़ के आप मालीक ना हो उस चिज़ को आप बेच नही सकते। चोरी का माल बेचना और खरीदना मना है।
१८. मालुम हो जाए या शक हो जाए के बेचने वाला इस माल का मालीक नही है तो उस से माल खरीदना हराम होता है।
१९. कहत के वक्त गोदाम में माल जमा कर के रखना और किंमत बहोत ज्यादा बढ जाए और लोगो को उस चिज़ की शदीद ज़रूरत पढ जाए, फिर उस को मार्केट मे लाना और बेचना, तो इस को शरीयत शिद्दत से नापसंद करती है।
२०. सच्ची हो या झुठी तिजारत मे कसमे खाने से नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने मना फरमाया है। झुठी कसम खाने से और झुठ बोलने से माल तो बिक जाता है लेकीन बरकत खतम हो जाती है।
२१. खरीदने वाला अगर तंगदस्त है तो हमारी शरीयत उसे मोहल्लत देने की तरगीब देती है। नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम) ने फरमाया अगर आप कोई चिज़ बेचे और सामने वाला तंगदस्त है, फौरन वो पैसे नही दे सकता और आप उसे मोहल्लत देंगे तो अल्लाह तबारक-व-तआला कयामत के दिन आप के साथ आसानी फरमाएगा। इसी तरहा से कोई उधार सामान खरीदता है तो उसे भी मोहल्लत दी जाए।
२२. सुद लेना और देना शरीयत ने शिद्दत से मना किया है। सुद लेना ऐसा है जैसे अपने वालिदा (माँ) के साथ ज़िना करे।

नाखुन, जिस्म के बाल और मुंछे काटने का शरई हुकूम

ज़ैद-बिन-अरकम (रजि.) बयान करते है के, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के "जो नाफ (बेंबी) के निचे के बाल नही काटता, और नाखुन नही काटता, और मुंछे नही काटता, वो हम मे से नही है"(Muslim)। इस का मतलब ये है के, वो हमारे अमल के खिलाफ है (i.e. he is against our practice). अल्लाह के रसुल (ﷺ) जुमा की निमाज़ को जाने से पहेले अपने नाखुन और मुंछ तराश कर (काट कर) कर जाया करते थे।

१. मुंछ के बालो को होंटे के निचे तक बढाने को शरीयत ने मना फरमाया है और ये गुनाह है।
२. हज़रत अनस (रज़ी) बयान करते है के, "मुंछो के बालो को, नाखुनो को, नाफ के निचे के बालो को और बगल के बालो को हर पंधरा दिनो में तराशा करे। चालीस दिनो से ज़्यादा इन को बढने ना दे" (यानी इन को ४० दिनो के अंदर काट दिया करे)।
३. हफ्ते मे एक बार नाफ के निचे के बाल, नाखुन, बगल के बाल काटना मुस्तहब (पसंदीदा) है। १५ से ४० दिन के दरम्यान काटना मकरुह (नापसंदीदा) है।
४. इस्लाम ने बाल निकालने के लिए क्रिम लगाने की इजाज़त दी है।
५. अगर नाखुन इतने लंबे है के उंगली के सिरा छुप जाता है और उस सिरे तक पानी नही पहोंचता तो वजु या गुस्लम नही होगा।
६. नाक के अंदर से बाल निकलना मना है। क्योंके इस से कॅन्सर की बिमारी हो सकता है।
७. चार चिज़े दफन की जानी चाहिए - खुन, नाखुन, बाल और कपडा जो महावारी मे इस्तेमाल किया गया था।

नाखुन कब काटे

अल्लाह के रसुल (ﷺ) फरमाते है के "जिस किसी ने भी जुमा के दिन नाखुन काटे, अल्लाह उस की अगले हफ्ते तक हिफाजत फरमाएगा"। जिस ने सनिचर और मंगल के दिन नाखुन काटे वो "बिमारीयो से बचा रहेगा"। जिस ने इतवार के दिन नाखुन काटे "उसकी गरीबी दुर कर दी जाएगी"। जिस का दिमाग सही नही (mentally unstable) वो पिर के रोज नाखुन तराशे "उस की बिमारी का इलाज हो जाएगा"। बुध के रोज नाखुन तराशने से मना किया गया है क्योंके जुज़ाम (leprosy, कुष्ठ रोग) की बिमारी हो सकती है।"

नाखुन तरशने का सुन्नत तरीका

हज़रत अली (रजि.) ने हाथो के नाखुन काटने का तरीका इस तरहा बयान किया के "सिधे हाथ (right hand) की शहादत की उंगली से नाखुन काटना शुरू करे, फिर बिच की उंगली, फिर अंगुठी वाली उंगली, फिर छोटी उंगली। इस के बाद बाए हाथ (left hand) की छोटी उंगली से शुरू करे, फिर अंगुठीवाली उंगली, फिर बिच की उंगली, फिर शहादत की उंगली, फिर अंगुठा (left hand का) और फिर अंगुठा (right hand का)" **- ये हदीस जईफ है।** नाखुन काटने के बाद अपने हाथ धो ले।

पैरो के नाखुन काटने का तरीका ये है के "सिधे पैर की छोटी उंगली से नाखुन काटना शुरू करे तो अंगुठे तक कांटे। फिर बाए पैर (left foot) के अंगुठे से नाखुन काटना शुरू करे तो छोटी उंगली तक काटे"। **- ये हदीस जईफ है।**

लोगो को हंसाने के लिए झुठ बोलना

नबी करीम (ﷺ) ने फरमाया के "जो झुठ बोले और सिर्फ इसलिए ताके उस से लोगो को हंसाए तो वो जहान्नम की इतनी गहराई मे गिराया जाएंगा जो जमीन और आस्मान की गहराई से भी ज़्यादा होगी" तो मजाक मे भी झुठ बोलना गुनाह है और उस के लिए बुराई है हलाकत है। धोका देने की नियत से झुठ बोलना हराम है। हा, अगर

किसी की इसलाह (सुधारना) के लिए झुठ बोल रहा है और किसी को धोका देने के इरादा नही है तो गुनाह भी नही और सवाब भी नही, मिसाल के तौर पे - अच्छे इरादे से बच्चो को झुठी कहानिया बना कर सुनना।

मगरीब के वक्त बच्चो की हिफाजत कैसे करें?

हदीस मे आता है के, जब शाम होती है यानी जब सुरज डुबता है तो शैतान और जिन बाहर निकल आते है। इसलिए मगरीब से लेकर इशा के वक्त तक बच्चो को और जानवरो को घर से बाहर जाने ना दिया जाए। अकसर छोटे बच्चे मगरीब के वक्त अचानक सताने और रोने लगते है। **''बिस्मील्लाह''** पढ कर दरवाजा और खिडकी बंद करने पर शैतान दरवाजे से और खिडकी से दाखील नही हो सकता। इसी तरहा से शैतान बरतन में, बकेट में, बॉटल में, टायलेट में, पानी के बरतन में, बच्चे के जिस्म मे दाखील होता है। इसलिए बरतन को ढांकते वक्त, बॉटल को बंद करते वक्त अल्लाह का ज़िक्र यानी **''बिस्मील्लाह''** पढने से शैतान दाखील नही हो सकता है और हमारी हिफाजत रहती है। और **''बिस्मील्लाह''** पढ कर बंदी की गई लाईट को शैतान जला नही सकता, बिवी से हमबिस्तरी करने से पहेले भी **''बिस्मील्लाह''** पढने से बच्चे की शैतान के शर्र से हिफाजत होती है। इसलिए हर काम के पहेले अल्लाह का ज़िक्र किया करे क्योंके **''बिस्मील्लाह''** शैतान से बचने का बहोत बडा हथीयार है।

जब इंसान अल्लाह का ज़िक्र कर के घर मे दाखील होता है और अल्लाह का ज़िक्र कर के खाना खाता है तो शैतान कहता है के "मेरे लिए रात गुजारने के लिए जगह नही और खाना भी नही"। और अगर इंसान अल्लाह का ज़िक्र किये बिना घर मे दाखील हो जाए और ज़िक्र किए बगैर खाना खाए तो शैतान कहता है "मेरे लिए रात गुज़ारने की जगह भी है और रात का खाना भी है" (मुस्लीम और अहमद)

इसी तरहा से नहाने के लिए बाथरूम मे जाने से पहेले **''बिस्मील्लाह''** पढने पर और संडास मे जाने से पहेले की दुआ **(बिस्मील्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजुबिका मिनल खुबुसे वल-खबाईस)** पढने से शैतान और इंसान के बिच पर्दा आ जाता है और शैतान उस नंगे इंसान को नही देख पाता। (नोट-बाथरुम मे और संडास के अंदर जाने के बाद दुआ ना पढे बल्की अंदर जाने से पहेले पढे)। संडास से बार निकले के बाद **गुफरानका''** पढे।

अल्लाह का ज़िक्र और फज़ीलत

ज़बान हर वक्त अल्लाह को याद करती रहे और वक्तन फ-वक्तन चलती रहे ये अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह का ज़िक्र बहोत आसान काम है। इस के लिए आप को जा-नमाज बिछा कर तस्बीह ले कर बैठने की ज़रूरत नही है। ज़िक्र के लिए किसी खास जगह की जरूरत नही होती और वक्त की कोई पाबंदी नही है। अल्लाह का ज़िक्र कही भी, किसी भी वक्त किया जा सकता है, जबान से भी हो सकता है और दिल में भी हो सकता है।

आज कल लोग बिमारी और परेशानी के वक्त ही अल्लाह को याद करते है, जब उन्हे कोई परेशानी नही होती तब अल्लाह का ज़िक्र नही करते। अल्लाह हम से चाहता है के हम हर हालत मे, हर कैफीयात मे उस का ज़िक्र करें। बंदा जब अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान इस से दुर भाग जाता है।

नबी-ए-करीम (ﷺ) इरशाद फरमाते है के, "जो शख्स अल्लाह तआला का ज़िक्र करता है और जो अल्लाह तआला का ज़िक्र नही करता उन की मिसाल ऐसी है जैसे एक ज़िंदा और एक मुर्दा।" [Al-Bukhari, Kitab ad-Daawat, ११/२०८; al-Hakim, Kitab ad-Dua, १/४९५.]

अल्लाह ने इरशाद फरमाया "तुम मेरा ज़िक्र करो मै तुम्हारा ज़िक्र करूंगा और मेरी नेमतो पर शुक्र अदा करो और उस की नाशुक्री ना करो, उस के साथ कुफ्र ना करो, उन नेमतो को छोटा ना जानो"। (सुरे बकरा (२), आयत नं.१५२)

अल्लाह तआला कुरआने करीम मे सुरे अहज़ाब में उस का कसरत से ज़िक्र करने का हुकूम दे रहा है। "ऐ वो लोगो जो इमान लाए हो अल्लाह का ज़िक्र करो कसरत के साथ और उस की तस्बीह (पाकी) बयान करो उस की पाकी बयान करो सुबाह और शाम"।

हदीसे पाक है "अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए इंसान के पास जिक्रे इलाही से बढ कर कोई अमल नही है"। तो साहबा ने अर्ज की, या रसुलुल्लाह क्या जिहाद फि-सबी-लिल्लाह भी नही है। तो आप ने फरमाया "जिहाद फि-सबी-लिल्लाह भी नही, ये के तुम जिहाद करो और दुश्मन से लढो यहा तक के वो तुम्हे मारे और तुम्हारी तलवार टुट जाए, फिर तुम उस से लढो वो तुम्हे मारे और तुम्हारी तलवार टुट जाए, फिर तुम उस से लढो वो तुम्हे मारे और तुम्हारी तलवार टुट जाए, इस तरहा से जिहाद में तीन बार तलवार टुट जाए तो वो इंसान अल्लाह के गजब से बच सकता है लेकीन जिक्रे इलाही की फजीलत ये है के वो अल्लाह के गजब से बच जाता है"।

जामे तिरमीजी की रिवायत है "जब तुम मे से किसी का जन्नत की क्यारीयो में से गुज़र हो तो वहा चर लिया करें" इस का मतलब ये है के "ज़िक्र की मजलीस से गुज़रो तो ज़िक्र कर लिया करो"

हदीसे कुदसी है बुखारी की रिवायत है, नबी-ए-करीम (ﷺ) फरमाते है "अल्लाह तआला फरमाता है, मेरा बंदा मेरे बारे मे जैसा गुमान करता है मै उस के मुताबीक हुआ करता हुँ और वो मेरा ज़िक्र करता है मै उस के साथ होता हुँ"। इसिलीए हम अल्लाह से अच्छा गुमान करे। इस का मतलब ये है के बंदा कुछ भी करे तो पॉजीटीव्ह सोच रखे, अगर निगेटीव्ह सोचा तो अल्लाह वैसा ही करता है जैसा बंदा सोचता है। आगे इरशाद फरमाया "वो मेरा मजलीस मे तजकिरा (ज़िक्र) करता है तो मै उस से अच्छी मजलीस मे उस का तजकिरा करता हुँ, अगर वो एक बालीश करीब होता है तो मै एक हाथ करीब हो जाता हुँ, अगर वो एक हाथ करीब होता है तो मै एक गज़ उस से करीब हो जाता हुँ, अगर वो मेरी जानीब चल कर आता है तो मै उस की जानीब दौड कर जाता हुँ"। इस हदीस से ये मालुम हुआ के अगर हम अल्लाह के करीब जाए तो अल्लाह हमारे करीब आएगा।

सुरे-ताहा मे अल्लाह फरमाता है के "जो अल्लाह के ज़िक्र से ऐराज (परहेज़) करता है हम उस की दुनिया की ज़िंदगी बर्बाद कर देते है" यानी उस पर तंगदस्ती आती है, दुनिया की जिंदगी उस पर हावी हो जाती है और दुनिया मे परेशान हाल रहता है।

अल्लाह कुरआन मे इरशाद फरमाता है के "अल्लाह के ज़िक्र में दिल इत्मीनान पाते हैं"। *Surah Ar-Raad(१३) Aayat (२८)* तो मालुम ये हुआ के अल्लाह के ज़िक्र से दिलो की बेचैनी दुर होती है। आज लोग दिल का सुकुन पाने के लिए शराब पिते है, सिनेमा जाते है और ना जाने क्या क्या करते है जिस से उन्हे सुकून तो नही मिलता लेकीन शैतान उन पर हावी हो जाता है और जिस पर शैतान हावी हो वो बहोत नुकसान उठाता है।

अबु दाऊद की रिवायत है, आप (ﷺ) ने फरमाया "जो जमाअत किसी मजलीस से अल्लाह का ज़िक्र किये बगैर उठ जाती है गोया के किसी गधे के सडी हुई लाश पर से उठी है और ये मजलीस रोज़े कयामत में हसरत और नदामत (पछतावा) का बायस बनेगी"। इस का मतलब ये है के, जो लोग किसी मजलीस मे जाते है और मजलीस मे अल्लाह का ज़िक्र नही करते। हाय हॅलो कहते है, कारोबार की बाते करते है, हंसते है, कहकहा लगाते है लेकीन एक भी सलाम दुआ और ज़िक्र अजकार नही करते और ज़िक्र किये बगैर उठ जाते है तो गोया के किसी गधे के सडी हुई लाश पर से उठे है। यानी वो मजलीस इतनी बदबुदार थी। और कयामत के दिन मजलीस मे शामील लोगो को पछतावा होगा के क्यु मैं इस मजलीस मे बैठा था।

जो लोग ऐसी मजलीस में बैठते हैं जिस में वो **अल्लाह तआला का जिक्र** नही करते और नबी (ﷺ) पर **दुरूद** नही पढते तो कयामत के दिन ये मजलीस उन के लिए हसरत का बाअस होगी, अगरचा वो सवाब के लिए जन्नत में भी दाखील हो जाए (मसनद अहमद की हदीस-**सहीह**)

सुरे अहज़ाब में अल्लाह तआला फरमाता है के "कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और कसरत से ज़िक्र करने वाले औरते, अल्लाह इन से वादा कर चुका है मगफीरत का और रोजे कयामत एक बहोत बडे अजर का"।

इसीतरहा से अल्लाह के ज़िक्र से मुताल्लीक बहोत सारी हदीसे और भी मिलती हैं।

<u>ज़िक्र मे क्या पढे :</u>

- कुरआन की तिलावत सब से अफजल ज़िक्र है।
- वो दुआए जो आप (ﷺ) ने पढी है ज़िक्र है।
- अल्लाह को याद करना, उस की पाकी बयान करना, हमद व सना पढना ज़िक्र है।

- छोटी छोटी दुआए (जैसे: घर से निकलने की दुआ, टायलेट की दुआ, सवारी की दुआ वगैरा) भी ज़िक्र है।
- लोगो से मिल कर अच्छाई का हुकम देना और बुराई से रोकना भी ज़िक्र है
- दिनी मसले सिखना और सिखाना भी ज़िक्र है
- लाईलाहा इल-लल्लाह [(अफज़ल ज़िक्र है) (अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नही)]
- अल्हमदु लिल्लाह (सब से अफजल दुआ)
- माशाअल्लाह [(खुशी ज़ाहीर करते वक्त) (जो अल्लाह ने चाहा)]
- सुब्हानल्लाह (अल्लाह की पाकी बयान करना यानी अल्लाह हर ऐब से पाक है)
- इन्शाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा तो)
- अल्हमदुलिल्लाह (तसल्ली ज़ाहीर करते वक्त)
- अल्लाहु अकबर (ताज्जुब जाहीर करते वक्त)
- नऊज़ुबिल्लाह (नापसंद ज़ाहीर करते वक्त)
- अल्लाह
- अल्लाहु अकबर (अल्लाह बडा है)
- अल्हमदु-लिल्लाह [(तमाम तारीफे अल्लाह के लिए है) (शुक्रगुजारी के लिए)]
- ला-हौला वला कुवता इल्ला बिल्लाह (अल्लाह के अलावा किसी के पास ताकत और कुवत नही)
- बिस्मील्लाह हिर्रहेमा-निर्रहीम (शुरू अल्लाह के नाम से जो बडा महेरबान नेहायत रहेम वाला है)
- अस्तगफिरुल्लाह
- सुब्हानल्लाही व-बेहमदेही
- सुब्हानल्लाही व-बेहमदेही सुब्हानल्लाहील अज़ीम (अल्लाह तआला अपनी खुबीयो समेत पाक है, अज़मत वाला अल्लाह पाक है)
- चहारुम कलमा [(ला-इलाहा इल-लल्लाहु वाहदहु ला-शरीका-लहु लहुल-मुलकु वलहुल-हमदु वहु-वा अला-कुल्ली शै-इन कदीर)। फजीलत - १० बार पढने पर बनी इस्माईल की कौम से चार गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है।]
- ३३ बार सुब्हानल्लाह, ३३ बार अल्हमदु-लिल्लाह, ३३ बार अल्लाहु-अकबर और १ बार चहारुम कलमा (ला-इलाहा इल-लल्लाहु वाहदहु ला-शरीका-लहु लहुल-मुलकु वलहुल-हमदु वहु-वा अला-कुल्ली शै-इन कदीर।

दुआ मांगने का सही तरीका

१. बगैर वज़ु दुआ मांग सकते है, लेकीन बा-वज़ु दुआ मांगना बहेतर है।
२. किबला रुख हो कर दुआ मांगे।
३. दुआ मांगते वक्त हाथ सिने तक भी उठा सकते है, कंधे तक भी उठा सकते है, या इस से उपर भी उठा सकते है।
४. हाथ सिधे होने चाहिए
५. हथेलियो का किबला आस्मान की तरफ होना चाहिए। यांनी हथेलीयो का पेठ आस्मान की तरफ होना चाहिए
६. दुआ मांगते वक्त सब से पहेले अल्लाह की हमद व सना (तारीफ) करो (जैसे सुरे फातेहा और सुरे इखलास)। फिर रसुलुल्लाह (ﷺ) पर दुरूद भेजो और फिर जो मांगना है मांगो। (जामे तिरमीजी)। नोट - दुरुद शरीफ पढना दुआ के आदाब में से है ना के ये वसीले के लिए है।

७. हदीस में आता है के, आप (ﷺ) हाथ मिलाकर दुआ मांगते। अगर आप शिद्दत से दुआ करते तो अपने हाथ उंचे उठाते। जितनी शिद्दत होती उतने उपर आप हाथ उठाते।
८. हम जो दुआ मांग रहे है वो अल्फाज़ हमे मालुम होने चाहिए। यानी हम क्या दुआ मांग रहे है हमे मालुम होना चाहिए। यानी दुआ मांगते वक्त खयालात दुसरी तरफ नही जाने चाहिए। अल्लाह मेरे सामने है, वो मुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है ऐसा खयाल दिल मे रहना चाहिए।
९. दुआ में जिद नही करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे - आप ये चाहते है के शादी हो जाए तो बार बार "शादी करवादे, शादी करवादे" इस तरहा से कहना मुनासीब नही है। बल्की दुआ ऐसी होनी चाहिए के - "ऐ अल्लाह अगर इस मकाम पे मेरे किस्मत पे निकाह लिखा है तो आसान फरमा दे या मेरे हक मे जो बहेतर है वो फरमा दे"।
१०. चिखकर दुआ मांगना बिल्कुल गलत है, इसे नबी-ए-करीम (ﷺ) ने मना फरमाया है।
११. नबी-ए-करीम (ﷺ) की दुआए मुख्तेसर (short, थोडी) और जामे (ज़्यादा भरी हुई) होती थी। आज कल इज्तेमा मे इतनी लंबी चौडी दुआ मांगी जाती है के लोग कलबी कुवत का शिकार हो जाते है। कोई उठे हुए हाथ निचे रख देता है, टांगे दुखने लग जाती है और बेतवज्जो होती है।
१२. दुआ इस इरादे से करे के कबुल होंगी। गाफील और बेध्यान दिल की दुआ अल्लाह नही सुनता।
१३. खास दुआ को तिन बार दोहराया जा सकता है। (हदीस)
१४. दुसरे के लिए दुआ करने का इरादा हो तो पहेले अपने लिए मांगे फिर दुसरे के लिए (हदीस)।
१५. हाथ उठाए बगैर दुआ कर सकते है लेकीन हाथ उठा कर दुआ करना सुन्नत है।
१६. मामुली से मामुली दुआ भी अल्लाह से मांगनी चाहिए (हदीस)। जैसा के नमक की कमी पढ गई या जुते का लेस टुट गया तो भी अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए।

बालों को कलर करना (मर्दो और औरतो के लिए)

- नबी-ए-करीम (ﷺ) ने मुसलमान मर्द और औरतो को (यानी दोनो को) काले रंग का खिजाब लगने से मना फरमा दिया है। यानी मुसलमान मर्द और औरतो को अपने बाल काले करने के लिए काला रंग (हेअर डाय) लगाना मना है। क्योंकी ये एक धोका है और धोका देना हराम है।
- आज कल खिजाब काली मेहंदी के नाम से मिलता है, ये काली मेहंदी लगाना हराम है।
- औरतो को काला रंग छोड कर दुसरा कोई भी रंग अपने बालो में लगाने की इजाज़त है लेकीन शर्त ये है के काफीर औरतो की नकल ना की जाए। यानी काफीरो से मुशाबीयत ना की जाए।
- मर्द हज़रात अपने बालो में और दाढी में मेहंदी लगा सकते है क्यों के मेहंदी लगाना आप (ﷺ) से साबीत है।
- जेहाद के वक्त या जंग के वक्त अपने बालो को काला कर सकते है ताके सामने वाले को ये ना मालुम पडे के बुढे जंग लढ रहे है। जंग मे खिजाब लगाना हलाल है क्योंकी जंग एक धोका है और खिजाब लगा कर बाल काले करना भी धोका ही है।

बात बात पर कर्ज़ा लेना

१. कर्ज़ा लेना ये हमारे नबी (ﷺ) को ना-पंसद था। आप इतना इस को ना-पसंद करते थे के अगर कोई मकरुज (जिस पर कर्ज़ा है) का जनाज़ा आता तो आप लोगो से फरमाते के "क्या इस पर किसी का कर्ज़ा है" तो लोग फरमाते थे के "या रसुलुल्लाह जी हां है" तो आप फरमाते थे के "तुम इस की नमाज़े जनाज़ा पढलो, मै नही पढता हुँ"।
२. अगर कोई इंसान शहीद होता है तो उस के खुन का पहेला कत्रा जमीन पर गिरने से पहेले ही अल्लाह तआला उस के तमामा गुनाहो को बख्श देता है। और इस के और जन्नत के रास्ते मे अगर रुकावट है तो

सिर्फ कर्ज़ा है। यानी कर्ज़ा शहीद को भी जन्नत मे जाने नही देता। इस की रुह को जन्नत के बाहर दाखल होने से रोक दी जाती है (इंसान का जिस्मानी दाखला तो कयामत के बाद ही है)।

इस से हमारे इस्लामी भाई और बहने ये सबक ले के, छोटी छोटी बातो पर "ज़रा १० रुपये देना, ज़रा ५ रुपये देना, ज़रा थोडे पैसे देना बाद मे आप लौटा दुंगा "ऐसा कर के इतना कर्ज़ा ले चुके होते है और अपने आप को ज़लील कर चुके होते है के बाज़ औकात लोग उन को देख कर भाग जाते है।

किसी पर झुठी तोहमत (झुठा इल्ज़ाम) लगाकर उस को सब के सामने ज़लील करना

नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फरमाया के "अल्लाह तआला ने एक मुसलमान पर दुसरे मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त व आब्रु को हराम फरमा दिया है" [Tirmidhi: Abwabul Birr, Baabu ma ja'a fee shafqatil Muslim alal Muslim][Riyadh us Saliheen: Hadees: 236]

और बुखारी की ही रिवायत है कै "नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फरमाया के सात चिज़े हलाक करने वाली है, इन मे से एक है झुठी तोहमत"

हर ऐसा काम जिस से की किसी की इज़्ज़त खराब हो जाए हराम है बडा गुनाह है। ऐसे लोगो की मरते वक्त सख्ती और शिद्दत के साथ रुह निकाली जाएगी, उस के बाद कबर मे जा कर कयामत तक अज़ाब भी होगा और मैदाने महेशर मे जिस शख्स को ज़लील किया था उस को ज़लील करने वाले के सामने खडा किया जाएगा और जिन लोगो के सामने ज़लील किया था उन सब के सामने साबीत किया जाएगा के झुठा और मक्कार तो ये है और सब के सामने ज़लील कर के उसे मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेक दिया जाएगा।

तो आखेरत मी ऐसी ज़िल्लत ना हो उस के लिए जिस भाई या जिस बहेन ने झुठी तोहमत लगाई उस के लिए शरीयत का ये हुकूम है के जिन जिन लोगो के सामने तोहमत लगाई थी उन के सामने उस से माफी मांगे ताके उस की इज्जत फिर से लौट जाए (अकोले मे माफी मांगने से या मोबाईल मे मॅसेज दे कर माफी मांगने से काम नही चलेगा) और फिर बाद मे अल्लाह तआला से भी माफी मांगनी होगी। ये सोचे के माफी मांगना आसान है या आखेरत का अज़ाब आसान है। अगर ऐसा नही कर सकते तो फिर आखेरत की ज़िल्लत और अज़ाब के लिए तयार हो जाईये।

बच्चे का नाम रखना और अकीका करना

बच्चा पैदा होता है तो उस के सिधे कान में आज़ान दे और उलटे कान मे तकबीर (आज़ान) पढे। इस के बाद सातवे दिन बच्चे का अकिका करे जिस में लडके के लिए दो बकरे और लडकी के लिए एक बकरा ज़ुबा किया जाए। बकरी ईद में कुर्बानी के लिए जिस तरहा का जानवर लिया जाता है उसी तरहा अकिके में भी वैसा ही जानवर ज़ुबाह किया जाए। इसी तरहा से कुरबानी के गोष्त का जो मसला है वही अकिके के गोष्त का भी मसला है।

बच्चे का नाम साहबा के नाम पर रखे, या वली के नाम पर रखे, या अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखे क्योंके अच्छे नाम की बरकते होती है जिस का बच्चे की ज़िंदगी पर अच्छा असर पडता है।

किसी को कोसना और गाली देना

कोसनाः अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने फरमाया के "मुसलमान को कोसना/लानत भेजना उस का खुन करने जैसा है"। किसी को कोसने से वो चिज़ खुद को ही आ कर लग सकती है। अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने फरमाया के "जब कोई शख्स किसी इंसान को या किसी चिज़ को कोसता है, तो वो जन्नत तक जाती है, जन्नत के दरवाजे बंद है इसलिए वो वापस जमीन पर आती है, लेकीन जमीन के भी दरवाजे बंद होते है, तब ये सिधी तरफ बायी तरफ घुमते रहती है और उसे रास्ता नही मिलता, तब वो उस शख्स के पास या उस चिज़ के पास जाती है जिस

को कोसा गया है, अगर हक पर कोसा गया तो उस को लगेगी और अगर ना-हक कोसा गया है तो कोसने वाले को ही आ कर लगेगी।

गाली देनाः अबु हुरेरा (रज़ी) बयान करते है के, रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया "एक शख्स अगर किसी दुसरे शख्स को गाली दे रहा है और दुसरे शख्स को बरदाश्त नही हुआ और उस ने भी गुस्से मे आ कर गाली दी तो जिस ने गाली देने की शुरुवात की थी सारे गालीयो का गुनाह उसी पर होगा। शर्त ये है के जिस पर ज़ुल्म हुआ (दुसरा शख्स) वो ज़्यादती ना करे"(MUSLEEM SHAREEF)। मतलब पहेले शख्स ने २ गालीया दी और बदले में दुसरे शख्स ने ४ गालीया दी। इस का मतलब दुसरे शख्स ने २ गालीया ज़्यादा दी। यानी दुसरे शख्स ने ज़्यादती की इसलिए ज़्यादा दी गई २ गालीयो का गुनाह दुसरे शख्स को भी मिलेगा। इस तरहा का बदला लेने की शरीयत ने इज़ाजत दी है लेकीन माफ कर देना और सब्र करना ज़्यादा बहेतर है।

बच्चे को गाली सिखाया जाए या बुरी बात सिखाई तो वो ज़िंदगीभर गाली देंगा या बुरा अमल करेगा और फिर इन सभी गालीयो का और बुरे आमाल का आखेरत मे बहोत बडा गुनाह बन के हमारे सामने आएगा। अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने फरमाया के "काबील ने हाबील का कत्ल किया तो कयामत तक हर होने वाले कत्ल में काबील का गुनाह में एक हिस्सा है क्योंकी काबील ने खुन करना सिखाया"

सहीह मुस्लीम की रिवायत है अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने फरमाया के "कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक मरतबे मे सब से बुरा आदमी वो होंगा जिस की बदज़ुबानी से बचने के लिए लोग इस से दुर भागते और इस का पिछा छुडाते"।

लोहे महेफुज़ क्या है?

१. लोहे महेफुज़ वो है जिस में तमाम लोगो की तकदीरे लिखी है।
२. लोहे महेफुज़ सातवे आस्मान पर है।
३. लोहे महेफुज़ का कलाम (लिखी हुई बाते) नुर का है।
४. लोहे मफेफुज मे लिखी गई तकदीर कोई भी बदल नही सकता। जब लुत की कौम पर अज़ाब नाजील करने के लिए अल्लाह के हुकूम से फरीश्ते आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौमे लुत की नजात के लिए दुआ करनी चाही तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम (नबी) को भी अल्लाह ने दुआ करने से मना कर दिया था। लोहे महेफुज़ के लिखे हुए के खिलाफ कोई नबी भी दुआ कर दे तो अल्लाह तआला उन्हे दुआ करने से रोक देता है।
५. लोहे महेफुज़ मे कुछ चिज़े ऐसी लिखी के हम उस के खिलाफ कर ही नही सकते, जैसे ज़िंदगी, मौत, शादी, रिज़्क वगैरा। इन चिज़ो में हम मजबुर है। लेकीन कौन कितना गुनाह करेगा ये लोहे महेफुज़ मे नही लिखा होता, हमे पुरी छुट है के हम अच्छे रास्ते पर जाए या बुरे। ये हमारी आज़माईश के लिए है। अच्छे रास्ते पर जाने से अल्लाह का इनाम पाएगा और बुरे रास्ते पर जाने से सज़ पाएगा।

घर मे इंसान या जानवर की फोटो लगाना और कुत्ते पालना

- हुजुर सलल्लाहु अलैहि व-सल्लम ने इरशाद फरमाया "फरीश्ते उस घर मे नही आते जहा कुत्ते हो या घर मे इंसान या जनवर की तसवीर हो" (Bukhari Sharif, Jild: ३, Kitab Al-Libaas, Safa: ३२९)
- हदीसे पाक है "जो फोटो बनाने का काम करता है उसे कयामत के दिन अल्लाह तआला बहोत सख्त सज़ा देगा"*(Mishkhat J:२, S:१८८)Bukhari)*। फोटो बनाना अल्लाह तआला की बनाई हुई चिज़ो की नकल करने जैसा है और कयामत के दिन फोटो बनाने वाले को उस की बनाई हुई फोटो मे जान डालने के लिए कहा जाएगा जो वो कर नही सकता।

खाते वक्त सलाम करना और सलाम का जवाब देना

खाते वक्त सलाम का जवाब दे सकते है इस की शरीयत में कोई मनाई नही है। साहबा भी खाते पिते वक्त सलाम का जवाब देते थे।

खाने के बरतन ढांकना

आप (ﷺ) ने फरमाया "जब तुम रात में बरतनो को रखो तो हर खाने की जिच को ढांक दिया करो इसलिए के बिमारी अगर नाज़ील हो रही हो और वो चिज़ खुली रह गई तो बिमारी उस में दाखील हो जाती है"।

क्या टुटी हुई चिज़े इस्तेमाल करने से दलींदरी आती है?

साहबा इकराम के ऐसे हालात थे के उन के पास बहोत कम साबीत (जो टुटी नही है) चिज़े थी, टुटी फुटी चिज़े ही वो इस्तेमाल करते थे। लेहाजा टुटे हुए बरतन या चिज़े इस्तेमाल करने मे कोई हरज नही है।

उलटे हाथ (left hand) से खाना या पिना

अक्सर लोग खाना खाने के बाद चुंके सिधा हाथ गंदा होता है इसलिए ग्लास उलटे हाथ से पकडते है और सिधे हाथ का टेका लगाकर पानी पिते है। ये अमल बिल्कुल ना-दुरूस्त है। ग्लास अगर गंदा होता है तो हो जाने दिजीए, उलटे हाथ का इस्तेमाल आप बिल्कुल नही कर सकते क्योंकी उलटे हाथ से कोई भी चिज़ खाना या पिना हराम है। उलटे हाथ से शैतान खाता और पिता है। हर अच्छा काम सिधे हात से ही किया करे।

टेबल और कुर्सीयो पर खाना खाना

टेबल और कुर्सीयो पर खाना खाना शरीयत मे मना नही है। अगर कोई टेबल और कुर्सीयो पर खाना खाने को शान समझता है और निचे बैठने वालो को हकीर समझता है तो ये गैर-इस्लामी सोच है।

नशीली चिज़े हराम है

तंबाकु, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, ड्रग्स वगैरा ये तमाम चिज़े इस्लाम मे हराम है। इब्ने माजा की रिवायत है "हर वो चिज़ जिस के खाने से अकल मारी जाए (यानी चक्कर आना, या होश खो बैठना) वो चिज़ का इस्तेमाल शरीयत मे हराम है"।

क्या सुवर का नाम ले सकते है ?

बहोत से लोग समझते है के सुवर का नाम लेने से वज़ु टुट जाता है या कुल्ली करना पडती है। सुवर का नाम कुरआन मे चार बार आया है। उस का नाम लेना कोई हराम नही है। उस को खाना और बेचना हराम है।

सिपलक और गिरगीट को मारना कैसा है?

नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "जो गिरगीट को एक वार मे मारेगा अल्लाह तआला उस को १०० (सौ) नेकीया अता फरमाएगा, जितने ज़्यादा वार मे मारेगा उतना सवाब कम होता चला जाएगा" [muslim shareef २, page ३५८] । इसी तरहा नबी-ए-करीम (ﷺ) ने गिरगीट को मारने का हुकूम दिया था और फरमाया उस ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फुंका था (**सहीह** बुखारी :३३५९)। तो गिरगीट ने आग के करीब जा कर फुंके मार कर आग को बढाने की कोशीश की थी। इस जानवर की फितरत मे इंसान से दुशमनी रखी गई है इसलिए वो नुकसान की वजह बनता है। इसी तरहा छिपकली भी इसी की नसल से है इसलिए इस को भी मारना सवाब है। छिपकली को मारने का कौल भी हुजुर से ही मिला है।

आधे आस्तीन (half sleeve) के शर्ट पर नमाज़ होती है

हाफ आस्तीने के साथ नमाज़ पढना गुनाह नही है। आस्तीन आदमी के सतर का हिस्सा नही है। नमाज़ मे सतर ढांकना जरुरी है। आम आदमी के लिए अदब और एहतेराम यही लिखा है के वो फुल आस्तीन में नमाज़ पढे। जहा फुल आस्तीन पहेन कर नमाज़ पढने का रिवाज हो वहा हाफ आस्तीन मे नमाज़ पढना शरीयत ने पसंद नही फरमाया है लेकीन कोई हाफ आस्तीन में नमाज पढ रहा है तो ये गुनाह नही है।

बुरी नज़र लगना और बुरी नज़र का इलाज

आप (ﷺ) ने फरमाया "किसी को आप ने देखा और उस पर अल्लाह की तारीफ नही की तो उसे बुरी नज़र लग जाती है, यहा तक के अगर पहाड के उप भी पत्थर हो उस को नज़र लगाई जाए तो बद नज़र की वजह से निचे गिर के चुरा हो जाता है"। एक दुसरी रिवायत मे आप (ﷺ) ने फरमाय के "अल्लाह की तकदीर और फैसले के बाद सब से ज़्यादा मेरी उम्मत के लोग जिस चिज़ से मरेंगे वो नज़रे बद होंगी"। हर अच्छी बात पर अल्लाह का ज़िक्र (यानी अल्लाह का नाम लेना) करने की आदत डाले तो नज़रे बद नही लगती।

अल्लाह के रसुल (ﷺ) के दौर मे एक सहाबी (Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif) को तेज़ बुखार आया। रसुलुल्लाह (ﷺ) उस के पास तशरीफ ले गए तो उस ने आप को बताया के मैं कपडे बदल रहा था तो एक शख्स (Amir bin Rabi'ah) ने मेरी जिल्द (चमडी) की तारीफ कर दी, उस के बाद मुझे बहोत तेज़ बुखार आ गया। रसुलुल्लाह (ﷺ) ने उस शख्स को बुलाया और कहा के तुम ने अल्लाह का ज़िक्र (माशाअल्लाह) क्यु नही कहा जब तुम ने उसे देखा, क्या तुम अपने भाई को मारना चाहते हो? जिन सहाबी को बुखार आया था आप ने उन्हे वज़ु करवाया और वज़ु का पानी एक टब मे जमा किया। और उस के बाद उन को बैठा कर उन के उपर वज़ु का पानी डाला, फिर वो सहाबी अच्छे हो गए। तो नज़रे बद का ये शरई इलाज। (Hadith No. ३५०९, Chapters on Medicine, Sunan Ibn Majah, Vol. ४). **- ये हदीस सहीह है**

सुरे फलक और सुरे नास पढ कर के दम (फुंकना) करना भी बद नज़र का इलाज है। बाज आमील मिर्ची से नज़र उतारते है।

इब्ने अब्बास (रजि) से रिवायत है की, रसुलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह से हजरत हुसेन और हसन (रजि) के लिए पनाह तलब किया करते थे और फरमाते थे की "तुम्हारे बुजुर्ग दादा इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) भी इस्माईल और इसहाक (अलैहिस्सलाम) के लिए इन्ही कलेमात के जरीए अल्लाह की पनाह मांगा करते थे"।
वो कलेमात निचे की दुआ है:
– ***Sahih** Bukhari, Vol-4, #Hadees-3371*

बुरी नजर और जहिरेले जानवर से बचने की दुआ :-

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
وَّهَآمَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّآمَّةٍ

"میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں، ہر شیطان،
زہریلے جانور اور ہر ضرر رساں نظر کے شر سے۔"

जिस्म पर टॅटु (tattoo) बनाना मना है

अबु हुरेरा (रजि) से रिवात है की रसुलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया बुरी नजर लगना हक है और आप (ﷺ) ने जिस्म पर गोंदने (टॅटु बनाना) से मना फरमाया {**Sahih** Bukhari, Vol 7, 5740}

बार बार पेशाब और हवा निकलने की बिमारी वाले मरीज़ क्या करे?

पेशाब करने के बाद भी की पेशाब के कत्रे निकल आते हो तो ऐसे बिमारो के लिए आप (ﷺ) ने फरमाया के जब वो पेशाब कर ले तो पानी लेकर शर्मगाह पर डाल दे। इस से ये होगा के पानी शर्मगाह के आसपास कपडो पर लग जाएगा और पेशाब के कतरे निकलने पर कतरे पतले (dilute) हो जाएंगे। ऐसा शख्स एक वज़ु से एक ही नमाज़ पढ सकता है दुसरी नमाज़ पढने के लिए उस को दुसरी वज़ु करनी पढेगी। यानी ज़ोहर के लिए वज़ु किया तो ज़ोहर की ही नमाज़ पढ सकता है। इसी तरहा हवा खारीज होने की बिमारी जिसे हो वो भी एक वज़ु से एक ही नमाज़ पढ सकता है।

जन्नत मे औरतो को क्या मिलेगा?

शादीशुदा औरते अपने शोहरो के साथ रहेंगी। अगर शोहर के इंतेकाल के बाद या शोहर से तलाक के बाद उस औरत ने दुसरी शादी कर ली तो जो आखरी शोहर था उस के साथ रहेगी। अगर तलाक हो गई है लेकीन दुसरी शादी नही की थी या कुंवारेपन मे इंतेकाल हो गया था तो फुकहा के कौल के मुताबीक जन्नत मे किसी ना किसी से उन की शादी करवादी जाएगी। उन की शादी कुंवारे मर्द, तलाकशुदा मर्द जिस ने दोबारा शादी नही की थी एसै मर्द के साथ करवादी जाएगी।

गिबत कब जायज़ होती है?

किसी मुसलमान की बुराई को बुराई की नियत से बयान करना गिबत है। कुछ सुरत ऐसी होती है जहा गिबत जायज़ होती है -

१. किसी औरत ने हया का पर्दा अपने चेहरे से हटा दिया तो उस की गिबत की जा सकती है।
२. ऐलानीया गुनाह (लोगो को दिखा कर के गुनाह करना) करने वाले की गिबत की जा सकती है।
३. किसी आलीम या मुफ्ती के पास मसला पुछते वक्त अगर दुसरो की बुरी बाते बतानी पढे तो इस वक्त भी गिबत की जा सकती है।
४. किसी काज़ी के पास, थाने वगैरा में तक्रार लिखवाते वक्त गिबत जायज़ है
५. निकाह के मक्सद से रिश्ते की पुछताछ करते वक्त गिबत जायज़ है और बताने वालो के लिए भी जायज़ है।

झुठ बोलना कब जायज़ है?

इस्लाम में झुठ बोलना सख्त हराम है लेकीन इस्लामी शरीयत ३ सुरतो में झुठ बोलने की इजाज़त देती है।

१. **जंग की सुरत में :** जंग में सामने वाले को धोका देना जायज़ है। इसी तरहा जब ज़ालीम ज़ुलम करना चाहता हो तो उस के ज़ुल्म से बचने के लिए झुठ बोलना जायज़ है।
२. **मुसलमान में सुलाह करानी हो:** एक के सामने ये कह दे की वो तुम्हारी बहोत तारीफ करता है या वो तुम्हे अच्छा समझता है। और दुसरे के सामने भी इसी तरहा की बाते करे ताकी दोनो में सुलाह हो जाए।
३. **बीवी को खुश करने के लिए:** अगर सच बोलने में झगडा होता हो तो ऐसी सुरत में भी झुठ बोलना जायज़ है। अगर झुठ बोलने में झगडा होता हो तो हराम है। और अगर शक हो की मालुम नही सच बोलने में झगडा होगा या झुठ बोलने में तो ऐसी सुरत में झुठ बोलना हराम है।

क्या न्युज चॅनल की म्युज़िक सुनना हराम है?

जब तक इरादा शामील ना हो तब तक गुनाह नही होगा। यहा आप का इरादा म्युजिक सुन्ना नही है बल्की न्युज देखना है। इसलिए म्युजिक की आवाज़ सुन भी ले तो कोई गुनाह नही होगा। हां, अगर इरादा

म्युजिक सुन्ने का है तो म्युजिक सुन्ना गुनाह होगा। अगर सफर के दौरान गानो की आवाज़ सुनाई दे और उस की नियत गाने सुन्ने की नही है तो गानो का आवाज़ कानो में पढने से वो गुनाहगार नही होगा।

क्या बददुआ लगती है? लानत करना कैसा है?

नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फरमाया के "मुज़लुम (जिस पर ज़ुल्म हुआ) की बददुआ से बचो, जब वो बददुआ करता है तो अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है"। बहेरहाल, बद-दुआ का लगना या ना लगना अल्लाह की मर्जी पर ही है।

एक शख्स की चादर को हवा के तेज झोंका ले गया तो उस ने हवा पर लानत की। नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फरमाया "हवा पर लानत ना करो की वो अल्लाह की तरफ से मामुर है, और जो शख्स ऐसी चिज पर लानत करता है जो लानत के काबील ना हो तो वो लानत उसी पर लौट आती है जिस ने लानत की" (तिरमीजी शरीफ)

एक शख्स ने अपने सवारी के जानवर पर लानत की, नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फरमाया "इस से उतर जाओ, हमारे साथ मालुन (जिस पर लानत की गई है) चिज को ले कर ना चलो, अपने उपर और अपनी औलाद और माल पर बद-दुआ ना करो, की कही ऐसा नाही हो की ये बद-दुआ उस सा-अत मे हो जिस मे जो दुआ अल्लाह से की जाए वो कबुल होती है" (सहीह मुस्लीम शरीफ)

नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फरमाया "मजलुम (जिस पर जुल्म हुआ) की बददुआ से बचो क्यु के बेशक उस (बद-दुआ) के दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब (परदा) नही (**सहीह- बुखारी**, किताबुल जकात-१४९६)

बदला लेना

अमीरील मोमीनीन हज़रत सय्यदना उमरे फारूक (रज़ि) इंसान के हुकूक के बारे में बहोत ही सख्त थे। गस्सान का राजा नया नया मुसलमान हुआ था। इस से आप को बहोत खुशी भी हुई थी क्योंके उस की वजह से उस की रिआया भी इमान ला ले ऐसी उमीद थी। एक मरतबा वो काबे का तवाफ कर रहा था। इस दौरान किसी गरीब शख्स का पैर उस राजा के कपडे पर आ गया। गुस्से में आ कर उस राजा ने उस गरीब को ज़ोरदार तमाचा मारा के उस का दांत शहीद हो गया। उस मज़लुम ने हजरते उमरे फारूक (रज़ि) के पास तक्रार कर दी। गस्सान के राजाने तमाचा मारने के बारे मे कबुल किया। तो आप ने उस मज़लुम से फरमाया के, आप उस से बदला ले सकते है। ये सुन कर उस राजा ने कहा के एक मामुली देहाती मुझ जैसे बादशाह के बराबर कैसे हो सकता है जो इस को मुझ से बदला लेने का हक हासील हो गया। उमरे फारूक (रज़ि) ने फरमाया "इस्लाम ने दोनो को बराबर कर दिया है"। उस राजा ने भरपाई देने के लिए एक दिन की मोहलत ली। और रात के वक्त भाग गया।

बदला ज़ालीम से लिया जाता है ना के मासुम और बे-गुनाह से। आज ये देखा जा रहा है के, किसी और से बदला लेने के लिए मासुमो को शिकार बनाया जा रहा है, उन्हे कत्ल किया जा रहा है। ये मज़हबी तालीम नही बल्के दरींदगी है।

इस्लाम ने तो जंग के भी उसुल दिए है। दुशमन के साथ जंग हो रही हो तो भी आप औरतो को मार नही सकते, बुढो को मार नही सकते, बच्चो को मार नही सकते, किसानो को नही मार सकते, बिमारो को कमज़ोरो को नही मार सकते, दुसरो को पादरीयो और इबादत करने वाले उन के मज़हबी लिडरो को नही मार सकते, ताजीरो को नही मार सकते, डिप्लोमॅट और अंबासिडर्स को नही मार सकते, फल-दार दरखतो को जला नही सकते, इमारतो को गिरा नही सकते।

हामेला औरत (pregnant) का मय्यत वाले घर मे जाना

अल्लाह और उस के रसुल (ﷺ) ने हामेला औरत को मय्यत के घर मे जाने के लिए कोई पाबंदी नही लगाई है। जब तक कोई चिज़ अल्लाह और उस के रसुल (ﷺ) की जानीब से मना ना की जाए वो नाजायज़

नही होती। कोई भी चिज़ अल्लाह की मर्जी के बगैर फायदा या नुकसान नही दे सकती। और किसी भी बात से डर जाना कमज़ोर इमान की नशानी होती है।

हदीसे पाक है - किसी ने बदशगुनी ली और बदशगुनी ने किसी उसे अमल से रोक दिया तो उस ने शिर्क किया।

अल्लाह कहा है?

अल्लाह तआला के इल्म और अल्लाह तआला की कुदरत ने पुरी कायनात को घर रखा है। दो चिजे होती है १) अल्लाह की सिफात (attribut - e.g.९९ names of allah), २) अल्लाह की जात (personality)। रसुलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाह की जात मे गौर करने से मना फरमाया है इसलिए के अल्लाह की जात का अकल अंदाज नही लगा सकती। कुरआन मै लिखा है के, अल्लाही का मिसल (जैसा) कोई नही है यानी अल्लाह जैसा कोई नही है और अल्लाह किसी के जैसा नही है। जब अल्लाह को कोई मिसल नही है तो उस का तसव्वुर दिमाग मे कैसे आएगा? हमारे दिमाग मे वही तस्वीर आती है जिस का तसव्वुर पहेले से हमारे ज़हन मे होता है।

अल्लाह की जात पर गौर करने को मना किया गया है। अल्लाह की सिफात पर गौर करो, उस के इल्म के बारे मे गौर करो और उस की कुदरत के बारे मे गौर करो।

आलमे बरजख क्या है?

कबर ही आलमे बरजख है। जब इंसान का इंतेकाल होता है तो उस की रुह आलमे बरजख मे रहती है। इंसान के मरने के बाद से उस के मैदाने महेशर मे उठने के इस वक्फे (period) को बरजख कहते है। इंसान का जिस्म जहा होता है वही उस का बरजख है। अगर मुर्दे को पानी मे डाल दे तो पानी ही उस की कबर है।

गैर मुसलमानो के चंद खास सवालात के जवाबात

सवाल १) : जेहाद क्या है?

जवाब : जिहाद का मतलब है जी तोड लगन से जद्दोजहद करना, महेनत करना, कोशीश करना । ये कोशीश जबान से भी होती है, कलम से भी होती है, हाथ से भी होती है, नफ्स के खिलाफ भी होती है, शैतान के खिलाफ होती है, कुफ्र के खिलाफ भी हो सकती है, जितनी बुराईया है उन को मिटाने की कोशीश का नाम जिहाद है।

सवाल २) : मुसलमान मर्द को एक से ज़्यादा शादीया करने की इजाज़त क्यु है?

जवाब : कुरआन मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है के "तुम अपनी पसंद की औरत से शादी करो, दो, तीन या चार, लेकीन अगर तुम्हे डर है के तुम इंसाफ नही कर पाऐंगे तो एक से ही शादी करो"। कुरआन को छोड कर किसी भी मज़हबी किताब ने शादी करने की हद (limit) कायम नही की है। मुलसमान को छोड कर दुसरे मज़हब के मर्द कितनी भी शादीया कर सकते है उन के लिए कोई लिमीट नही है।

भारत के १९७५ के सेन्सस (sensus) के मुताबीक हिंदु मर्द मुसलमान मर्द से ज़्यादा शादीया करने वाला पाया गया। बाद में हिंदू पुजारी और चर्च के पादरीयो ने एक से ज़्यादा शादी करने पर पाबंदी लगाई लेकीन उन की मज़हबी किताबो मे कोई पाबंदी नाही है। इसी तरहा से सन १९५४ मे हिंदु मॅरेज ॲक्ट बना, इस ॲक्ट के हिसाब से हिंदू आदमी के एक से ज़्यादा शादी करने को गैरकानुनी करार दिया गया है लेकीन ॲक्ट बनने से पहेले कोई पाबंदी नही थी। राम के पिता यानी दशरथ को एक से ज़्यादा बिवीया थी और कृष्णा को कई बीवीया थी। वेद, रामायण, महाभारत, गिता, बायबल, तालमुद मे शादीयो की कोई लिमीट बताई नही गई है।

लडकी की बिमारी से लडने की ताकत (immunity) लकडे से ज़्यादा होती है। इसलिए पैदा होने के बाद लडको की लकडकीयो से ज़्यादा मौते होती है। इसी तरहा जंग के दैरान मर्दो की ज़्यादा मौते होती है और ॲक्सीडेंट और बिमारीयो से भी मर्दो की औरतो से ज़्यादा मौते होती है। औरते मर्दो के मुकाबले ज़्यादा बेवा होती है औरतो की ज़िंदगी की मुद्दत मर्दो से ज़्यादा होती है।

भारत मे लडकीयो को पेट में ही मारा जाता है इसलिए भारत मे मर्दो की आबादी औरतो की आबादी से ज़्यादा है। लेकीन दुसरे देशो की बात करे तो पता चलता है के वहा औरतो की आबादी मर्दो से ज़्यादा है। अगर एक आदमी को एक ही औरत से शादी करने की इजाज़त रही तो बाकी की करोडो औरते कुंवारी रह जाएंगी। ऐसी सुरत मे औरतो के लिए दो विकल्प (option) बच जाएंगे या तो किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर ले या पब्लीक प्रॉपर्टी बन जाए। शादीशुदा मर्द से शादी करना पब्लीक प्रॉपर्टी बनने से बहतर है। औरते अपने शोहर को बांटना नही चाहती लेकीन इस्लाम पर चलने वाली और अच्छे खयालात की औरते अपने थोडे से नुकसान के लिए उस की मुसलमान बहन पब्लीक प्रॉपर्टी बन जाए ऐसा नुकसान नही होने देगी।

इस्लाम औरतो को सोसायटी मे इज्जत देता है, प्रोटेक्शन देता है इसलिए मुसलमान मर्द को एक से ज़्यादा शादीया करने की इजाज़त है।

सवाल ३) : मुसलमान औरतो को हिजाब (बुर्का) क्यु पहेनाया जाता है, मुसलमान औरतो पर ये जुल्म क्यु होता है?

जवाब : इस्लाम फैलने से पहेले औरतो पर तरहा तरहा के जुल्म होते थे, औरत का शोहर मरने के बाद उसे भी मार दिया जाता था, वो कोठो की रौनक थी, उन्हे मर्दो से कम समझा जाता था, उन के कपडे उतारना और उन से वैश्या काम करवाना आम था, अगर लडकी पैदा हुई तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने औरतो को इज्जत बख्शी और उन पर होने वाले जुल्म को खत्म किया।

फर्ज करे के दो जुडवा बहेने है। एक ने वेर्स्टन कपडे, शॉर्टस, मिनी स्कर्ट, कम कपडे पहेने है और दुसरी ने हिजाब पहना है। अब दोनो गली से गुजर रही है और कोने पर एक बदमाश लडका लडकीयो को छेडने की नियत से खडा है। तो आप ही बताईये वो लडका किस को छेडेगा, बुर्केवाली को? या मिनी स्कर्ट वाली को? जाहीर सी बात है मिनी स्कर्ट वाली लडकी को छेडेगा। कुरआन कहता है के हिजाब औरत को छेडे जाने से बचाता है।

किन मुलको मे ज़्यादा रेप हो रहे है और किन मुलको मे नही? ये मालुम करने के बाद पता चलेगा के मुस्लिम मुलको मे जहा इस्लाम के कानुन है, जहा रेप की सज़ा मौत है वहा रेप ना के बराबर होता है। जब के दुसरे मुलको मे रेप की तादाद बढती जा रही है। इसलिए अगर रेप जैसे जुर्म को अगर खत्म करना हो तो इस्लामी कानुन के मुताबीक सज़ा दी जाए।

हिजाब औरतो की इज्जत कम नही करता बल्के उसे इज्जत बख्शता है, उस के रंग रुप की भी हिफाजत करता है और कोई बदमाश उसे छेडने की हिम्मत नही कर सकता।

सवाल ४) : मुसलमान दहशतवादी क्यु है?

जवाब : जब भारत आजाद नही हुआ था तो जो भारत की आजादी के लिए लढ रहे थे उन को अंग्रेज दहशतवादी कहते थे। वो लोग अंग्रेजो के लिए दहशतवादी थे, लेकीन भारत के लोगो के लिए वो देशभक्त थे। इंसाफ करने के लिए जरुरी ये है उस को सुना जाए, उसका इरादा मकसद मालुम किया जाए, दोनो तरफ के हालात देखे जाए, दोनो तरफ की बातो पर गौर किया जाए। अगर चोर ने पोलीस को देख लिया तो वो डर जाता है इस का मतलब ये नही है के वो पोलीस दहशतवादी है।

इस्लाम लफ्ज सलाम से आया है, जिस का मतलब है सलामती/अमन (peace)। इस्लाम उस के follower को पुरी दुनिया मे अमन सिखाने और अमन कायम करने का सबक देता है। इसलीए मुसलमान दहशतवादी हो सकता है लेकीन बुराई और समाज विरोधीयो के खिलाफ अमन कायम करने के लिए।

लोग कहते है के इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। Reader's Digest Almanac नाम की सालाना किताब सन १९८६ मे आई जो बताती है के सन १९३४ से १९८४ के दरम्यान इस्लाम २५४% से बढा और क्रिश्चनीटी ४७% से बढी। तो ये बताए के सन १९३४ से १९८४ मे कोन सी जंग लढी गई थी जिस मे इस्लाम इतना तेजी से बढा? आज दुनिया मे हर जगह लोग इस्लाम को कबुल कर रहे है क्या कोई तलवार के जोर पर उन्हे कबुल करवा रहा है?

सवाल ५) : मुसलमान जानवरो का कत्ल कर के गोश्त क्यो खाते है ?

जवाब : इस्लाम तमाम प्राणी पर रहेम और दया करने का हुकूम देता है। साथ ही इस्लाम कहता है के, जमीन, वनस्पती और जीव को अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए बनाया है और ये तमाम चिज़े इंसान के लिए न्यामत (devine blessing) है। मुसलमान के लिए गोष्त खाना फर्ज या वाजीब नही है।

कुरआन इंसान को गोष्त खाने की इजाज़त दे रहा है। गोष्त पौष्टीक और प्रोटीन से भरा होता है। इस के अलावा गोष्त मे iron, vitamin B१ and niacin भी होते है।

जो जानवर घास फुस खाते है जैसे गाय, बकरी वगैरा इन के दात चपटे होते है। इन की अतडीयो मे गोष्त हज़म करने की ताकत नही होती। जब के जो जानवर गोष्त खाते है जैसे शेर, चिता वगैरा इन के दात नोकीले होते है। इन की अतडीयो मे घास फुस हज़म करने की ताकत नही होती.

इंसान को अल्लाह ने चपटे भी दांत दिए और नोकीले भी। इसी तरहा से इंसान की अतडीया गोष्त भी हजम कर सकती है और घास फुस भी।

हिंदु की बुक "मनु स्मृती" के चाप्टर नं.५, वर्स नं.३० मे लिखा है के - "जिन का गोष्त खाया जाता है उन का गोष्त खाने मे, अगर रोज भी खाए तो, कोई बुराई नही है, क्योंके भगवान स्वयं ने कुछ को खाने के लिए बनाया है और कुछ को खाए जाने के लिए बनाया है"।

"मनु स्मृती" के चाप्टर नं.५, वर्स नं.३१ मे लिखा है - "मांस का भोजन बलीदान के योग्य है, इस परंपरा को देवताओ का नियम माना जाता है"।

"मनु स्मृती" के चाप्टर नं.५, वर्स नं.३९ और ४० मे लिखा है - "भगवान ने स्वयं बली के लिए बलीदान वाले जानवर बनाए......, इसलिए इन को कत्ल करना कत्ल करने जैसा नही है"।

इसी तरहा महाभारत अनुशासन पर्व के चाप्टर ८८ मे धर्मराज युधीष्टर और पितामा भिष्म आपस मे श्रद्धा समारोह मे मृत पुर्वजो (dead ancester) को खुश करने के लिए किन किन जानवरो का गोष्त अर्पन करे इस बारे मे बात करते है। जिस मे गाय का गोष्त भी शामील है।

Mahabharata Anushashan Parva chapter ८८ narrates the discussion between Dharmaraj Yudhishthira and Pitamah Bhishma about what food one should offer to Pitris (ancestors) during the Shraddha (ceremony of dead) to keep them satisfied. Paragraph reads as follows:
Yudhishthira said, O thou of great puissance, tell me what that object is which, if dedicated to the Pitiris (dead ancestors), become inexhaustible! What Havi, again, (if offered) lasts for all time? What, indeed, is that which (if presented) becomes eternal?
Bhishma said, Listen to me, O Yudhishthira, what those Havis are which persons conversant with the rituals of the Shraddha (the ceremony of dead) regard as suitable in view of Shraddha and what the fruits are that attach to each. With sesame seeds and rice and barely and Masha and water and roots and fruits, if given at Shraddhas, the pitris, O king, remain gratified for the period of a month. With **fishes** offered at Shraddhas, the pitris remain gratified for a period of two months. With the **mutton** they remain gratified for three months and with the hare for four months, with the **flesh of the goat** for five months, with the **bacon (meat of pig)** for six months, and with the **flesh of birds** for seven. With venison obtained from those **deer** that are called Prishata, they remaingratified for eight months, and with that obtained from the Ruru for nine months, and with the **meat of Gavaya** for ten months, With the **meat of the bufffalo** their gratification lasts for eleven months. With **beef** presented at the Shraddha, their gratification, it is said, lasts for a full year. Payasa mixed with ghee is as much acceptable to the pitris as beef. With the **meat of Vadhrinasa (a large bull)** the gratification of pitris lasts for twelve years. the **flesh of rhinoceros**, offered to the pitris on anniversaries of the lunar days on which they died, becomes inexhaustible. The potherb called Kalaska, the petals of kanchana flower, and **meat of (red) goat** also, thus offered, prove inexhaustible. So but natural if you want to keep your ancestors satisfied forever, you should serve them the meat of red goat.

रमजान के आदाब, रोज़े की नियत और सहेर

रमजान मे रोजो मे कौन से काम करे और कौन से काम न करे?

१. फजर से पहेले रोजी की नियत रखना फर्ज है (अबु दाऊद)
२. फजर से पहेले खाना सुन्नत है।
३. सहरी खाते वक्त अगर फजर की आज़ान शुरू हो जाए तो खाना मत छोडो बल्के जल्दी जल्दी खा लो (अबुद दाऊद)
४. हुजुर (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "रोजा एक ढाल है, तो रोजा रखने वाला शख्स बिवी के साथ जिस्मानी तालुकात से बचे और बेवकुफाना और बेहुदा (बेशर्म, गुस्ताख) बरताव ना करे, और अगर कोई उस के साथ लढे और गाली दे तो वो उसे दो बार कहे "मुझे रोजा है" (बुखारी)

५. हुजुर (صلى الله عليه وسلم) ने इरशाद फरमाया "जो शख्स झुठ बोलना और बुरी हरकते करना नही छोडता, अल्लाह को उस का खाना पिना छोडने की जरुरत नही है (यानी अल्लाह उसके रोजो को कबुल नही करेगा) (बुखारी)
६. गिबत करना, झुठ बोलना, लढना, गालीया देना, बुरे अल्फाजो का इस्तेमाल करना, बहेस व मुबाहेसा करना रोजे को खराब कर देता है। (बुखारी)
७. गंदे जोक, अश्लिल अभद्र काम, गैरअखलाकी बरताव (अनैतीक कार्य), अश्लिल विषय पर बात चित करना ये सब रोजे की हालत मे मना है (इब्ने माजा) (ये चिज़े रोजे के अलावा आम दिनो मे भी मना ही है)

सहेर और रोजे की नियत :

१. सहेर का वक्त फजर से पहेले होता है।
२. सहेर खाना सुन्नत है। अगर कोई सहेर का वक्त खत्म होने के बाद उठे तो उसे वैसे ही रोजा रख लेना चाहिए क्युंके सहर खाना फर्ज नही होता।
३. फर्ज रोजे की नियत फजर की नमाज से पहेले होनी चाहिए।
हदीस : जिस ने फजर से पहेले पक्की नियत ना की उस का रोजा नही (सुनन अबी दाऊद-२४५४)**-ये हदीस सहीह है**
४. नफील रोजे की नियत दिन भर मे से कभीभी कर सकते है।
हदीस : अल्लाह के रसुल (صلى الله عليه وسلم) गैर रमजान मे आयशा (रजि) के पास आते तो आयशा (रजि) से पुछते, क्या खाने के लिए कुछ है? अगर कुछ ना होता तो आप (صلى الله عليه وسلم) कह देते की मैं रोज़े से हुँ। (**सहीह** मुस्लीम-११५४)
५. नियत दिल के इरादे को कहते है। मुंह से नियत बोलने की जरूरत नही है। आप सहेर मे रोजा रखने के लिए उठे यही आप की नियत है।
६. आज कल सहेर की नियत के नाम पर एक नयी दुआ इजाद हुई है। इस दुआ मे लफ्ज 'गदन या गदल' का इस्तेमाल हुआ है जिस का मतलब होता है आने वाला कल। ऐसी नियत पढने से रोजा खराब हो सकता है। इसलिए बहेतर ये है के दिल मे नियत कर ली जाए।
अरबी मे लफ्ज इसतरहा है :
गुज़रा हुआ कल = **अल-अम्स** जो गुजर रहा है = **अल-यौम** आने वाला कल = **गदन**

रोज़े को तोडने वाली और नही तोडने वाली बाते

१. बहोत ज़्यादा गर्मी होने पर रोजेदार को नहाने की और पानी से अपना मुंह धोने की इजाज़त है। ये रोजे को नही तोडता है (अबु दाऊद)।
२. भुले से रोजे के दौरान खा जाने पर रोजा नही टुटता। लेकीन जैसे ही महेसुस हो जाए के उसे रोजा है तो मुंह मे का खाना फौरन थुंक दिया जाए (बुखारी)
३. अपना थुंक निंगलने से रोजे को कोई नुकसान नही होता (बुखारी)
४. आँखो मे सुरमा लगाने से रोजा नही टुटता (बुखारी)
५. जरुरत पढने पर खाना चखा जा सकता है (नमक का स्वाद चखने के लिए), लेकीन ये जबान के नोक पर रख कर चखा जाए। लेकीन इस बात का खयाल रहे के ये गले तक ना पहोंचे (बुखारी)
६. दांतो से खुन निकल आने पर रोजे को कोई नुकसान नही होता।
७. रोजा रखने वाले को खुश्बु लगाने की और सुंघने की इजाज़त है।
८. बे-इरादा उलटी होने पर रोजा नही टुटता लेकीन जानबुछकर उलटी करना रोजे को तोडता है (अबु दाऊद) खुद-ब-खुद उलटी होने से रोजे की कज़ा नही है।
९. अगर रोजे के दौरान नाक मे दवा डाली जाए और वो दवा गले तक या पेट तक पहोच जाए तो रोजा टुट जाता है (बुखारी)

१०. रोजे के दौरान सिर्फ दवाई के तौर पर इंजेक्शन लेना रोजे को नही तोडता। लेकीन अगर जिस्म को ताकत पहोचाने के लिए,जिस्म की परवरीश (energy or nourishment) या गिजा (खाना) के लिए इंजेक्शन ले तो रोजा टुट जाएगा।
११. रोजे के दौरान पानी को नाक मे ज़्यादा उपर तक चढाने की इजाज़त नही है जिस से के वो गले तक पहोच जाए (तिरमीजी)
१२. अगर रोजे के दौरान बिवी की मर्जी ना हो और वो मना करे फिर भी शोहर जबरदस्ती अपने बिवी के साथ हमबिस्तरी करे तो इस से उस की बीवी का रोजा नही टुटा लेकीन शोहर गुनाहगार होंगा। उसका कफ्फारा (दंड) ये है के, पछताकर और अल्लाह से माफी मांग कर एक गुलाम को आजाद करे, ये मुमकीन ना हो तो लगातार दो महिनो के रोजे रखे, अगर ये भी मुमकीन ना हो तो ६० गरीबो को खाना खिलाए।
१३. फहेश (अश्लिल, lustful) खयालात जिस की वजह से मनी (semen) निकल आने से रोजा नही टुटता (बुखारी)। लेकीन अगर जानबुछकर ऐसी हरकत करे या फहेश देखे जिस से मनी निकल आए तो रोजा टुट जाता है।
१४. मजी के निकल आने से रोजा नही टुटता (बुखारी) (मजी फहेश खयालात आने से या फहेश देखने से निकलता है)
१५. सोते वक्त एतेलाम (स्वप्न दोष, wet dreams) से रोजा नही टुटता चुंकी ये बेइरादा होता है (बुखारी)
१६. जिस्म से रेजर या सुई का इस्तेमाल कर के रोजे कै दौरान गंदा खुन निकालने वाला शख्स और जिस शख्स का खुन निकाला गया इन दोनो का रोजा टुटता है (हदीसे पाक) (इस तरीके से ज़्यादा मिकदार मे खुन निकाला जाता है)। बहेरहाल कमजोरी देखने के लिए जिस्म से खुन निकाला जाए तो इस से रोजा नही टुटता। (इस तरीके से कम मिकदार मे खुन निकाला जाता है)
१७. जख्म से पिप निकालते वक्त अगर खुन भी थोडा सा निकल आए तो रोजा नही टुटता।
१८. रोजे के दौरान जरूरतमंद को खुन नही दिया जा सकता इस से रोजा टुटता है। लोकीन अगर जरूरतमंद के लिए खुन बहोत जरूरी है और शाम तक इंतेजार नही किया जा सकता तब खुन देने की इजाज़त है। खुन देने वाला उस दिन का रोजा छोड सकता है लेकीन बाद मे उस को रोजा रखना जरूरी है।

रोज़े के दौरान के कुछ मसनुन अमल

१. इफ्तार खाने मे देर ना लगाए ये सुन्नत है।
२. जो रोजा खुलवाता है उसे रोजा रखने के बराबर सवाब मिलता है।
३. रोजे के दौरान मिसवाक करना सुन्नत है।
४. कुरआन पढना और दोहराना सुन्नत है।
५. रमजान के महिने मे दिल खोल के सदका, दान करना सुन्नत है।
६. वो शख्स जो लैलतुल कद्र का फायदा ना उठाए वो खोने वाला है (इब्ने माजा)
७. रमजान मे मस्जीद मे एतेकाफ मे बैठना सुन्नते मोअकदा कफाया है। जिस का वक्फा १० दिन का है।
८. औरत भी एतेकाफ मे बैठ सकती है (मुस्लीम)
९. सदका-ए-फितर हर एक पर फर्ज है। इस के लिए साहिबे निसाब होना जरूरी नही। सदका-ए-फितर ईद की नमाज़ के पहेले दिया जाए।
१०. रमजान मे छोडे हुए रोजे अगले रमजान से पहेले साल भर मे से किसी भी वक्त रखे जा सकते है।
११. रमजान के बाद शव्वाल के ६ रोजे रखने को ज़्यादा पसंद किया गया है। (मुस्लीम)

रोज़ा छोडने की किसे छुट है?

१. वो शख्स, जो बहोत बुजुर्ग है, या उसे ऐसी बिमारी है जिस का इलाज दस्तीयाब नही है और वो रोजा नही रख सकता उसे चाहिए के हर रोज एक रोजा छोडने के बदले एक गरीब को खाना खिलाए।

२. वो शख्स जो बिमार था और उस ने रमजान के रोजे छोड दिए और बाद मे सेहतमंद हो गया लेकीन छोडे हुए रोजे नही रखा और उस का इंतेकाल हो गया तो उस के वारीसो को उस के छोडे हुए रोजे रखना लाज़ीम हो जाएगा।
३. हामेला (प्रेगनंट) औरत के बच्चे की जान को खतरा है, जिस की वजह से रोजा रखना मुश्कील या खतरनाक है तो ऐसी औरत को और दुध पिलाने वाली औरत को रोजे छोडने की इजाज़त है, लेकीन उस औरत को छोडे हुए रोजे बाद मे रखना लाज़ीम है।
४. सफर के दौरान रोजा छोडने की इजाज़त है, लेकीन अगर कोई नुकसान नही हो तो सफर के दौरान रोजा रखे क्योंके हजुर (ﷺ) सफर के दौरान कभी रोजा रखते थे तो कभी छोड दिया करते थे।

मय्यत के मुकम्मल मसाईल

१. जब इंसान की मौत करीब आती है तो फरीश्ते आना शुरू हो जाते है। इसलिए हर उस काम से बचना चाहिए जिस से रहमत के फरीश्ते के नुजुल की राह मे रुकावट बन जाती है। नबी-ए-करीम (सल्लाहु अलैहि व-सल्लम ने इरशाद फरमाया "जिस घर मे कुत्ता, इंसान या जानवर की तस्वीर या हालते जनाबत मे कोई शख्स हो तो उस घर में अल्लाह के रहमत के फरीश्ते नही आते"[Bukhari.Muslim]। अगर घर की कोई औरत महावारी की हालत मे है तो इस से फरीश्तो के आने में कोई रुकावट नही होगी। बहेतर ये है के घर मे खुश्बु का इंतेजाम किया जाए।
२. जब मौत एकदम करीब आ जाए यानी ऐसा हो जाए के थोडा सा होश बाकी है और उस के बाद आलमे गुनुदगी (सोने की हालत) मे चला जाएगा तो उस वक्त तलकीन करना सुन्नते करीमा है। सुरे यासीन भी पढना दुरूस्त है। तलकीन का मतलब ये होता है के कोई शख्स उस के करीब बैठ जाए और इस तरहा कहे के "अश्हदुअल-ला-इलाहा इल-लल्लाहु व-अशहदु-अन्ना-मोहंमदर-रसुलुल्लाह"। लेकीन मुर्दे को ये नही कहेंगे के "बोलो-बोलो"। इस को बुलंद आवाज से पढते रहेंगे ताके मुर्दा खुद सुने और अपनी ज़बान से वो पढने लगे। अगर मुर्दा खुद अपनी जबान से तलकीन पढ ले तो तलकीन को पढने की जरूरत नही है। इस वक्त जो लोग मौजुद है अपने मुंह से बुरे कलीमात ना निकाले क्युंके जो फरीश्ते मौजुद होते है वो उन कलीमात पर आमीन कहते है इसलिए दुआ करना ज्यादा बहेतर है।
३. मुर्दा तलकीन पढने के बाद अगर कोई दुनियावी बात कर लेता है तो दोबारा तलकीन शुरु की जाए।
४. जब जान निकल जाए तो कपडे की चौडी पट्टी को जबडे से लेकर सर पर बांध ले ताके मुंह खुला ना रह जाए। मुंह खुला रह गया तो हवा मुंह से दाखील हो जाती है और मुर्दे का पेट फुल जाता है।
५. कोई एक थैली ले कर उस में मिट्टी डाल दे या लोहे की कोई चिज जो बहोत ज्यादा वजनी ना हो वो उस के पेट के उपर रख दे। अगर वजन आप नही रखेंगे तो हवा अंदर दाखील जाती है और पेट फुल जाता है।
६. अगर आँखे खुली रह गई है तो नर्मी के साथ उस की आँखे बंद कर दे। क्युंके जब रुह निकलती है तो मुर्दा खुद अपनी आँखो से रुह को निकलते हुए देखता है और उस की निगाहें उस रुह का पिछा करती है इसलिए उस की आँखे उमुमन खुली रह जाती है।
७. बगैर जरूरत नाक और कान मे रुई (कपास) रखने को फुकहा ने मना फरमाया है। बाज़ औकात नाक और कान से पिप और खुन आता है तो रुई रखने मे कोई हरज नही है।
८. हाथ या पैर की उंगलीया टेढी हुई है तो उस को सिधा करने की कोशिश करे।
९. जैसे ही मुर्दे की पुरी रुह जिस्म से निकल जाए तो एक कपडे से उस के पुरे बदन को ढांक दे।
१०. नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के जब कोई मर जाए तो उस के गुस्ल और कफन के अंदर देर ना करो और उसे जल्द-अज-जल्द दफना दो ताके मुर्दा अपने अंजाम तक पहोंच जाए। फरमाया के नेक है तो अल्लाह की न्यामत पा ले और अगर गुनाहगार है तो अपने अजाब तक पहोच जाए। देर करना मकरूह (ना-पसंद) होता है।
११. नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के मुर्दे की हड्डी तोडना इसतरहा है जैसा के जिंदा इंसान की हड्डी तोडना (Sahih abu dawood-२७४६)। और एक रिवायत मे आता है के मुर्दे पर मक्खी भी बैठती है तो उस से उस को तकलीफ होती है। इसलिए मुर्दे को तकलीफ पहोचाना मना है। लेकीन अगर हामेला औरत

का इंतेकाल हो जाए और पेट में बच्चा जिंदा हो तो इजाजत होती है के बाए जानीब से मुर्दे का पेट काटा जाए और बच्चे को निकाला जाए। इसी तरहा से सबुत वगैरा हासील करने की गरज से मुर्दे की चिरफाड (पोस्टमॉर्टेम) की इजाजत है।

१२. **गुस्ल -** मुर्दे को गुस्ल देना फर्जे किफाया है। फर्जे किफाया ये होता है के मोहल्ले के एक शख्स ने भी उस को अदा किया तो सब की तरफ से हो जाता है। लेहाजा मुर्दे के गुस्ल के अंदर पुरे मोहल्ले का शरीक होना जरुरी नही है।

गुस्ल देने वाला अगर हालते जनाबत मे है या हालते हैज या निफास मे है तो इन के लिए गुस्ल देना मकरूह होता है। (मकरूह = नापसंद, खिलाफे सुन्नत) । लेकीन अगर ये गुस्ल दे तो भी गुस्ल हो जाएगा। गुस्ल देने वाले के लिए उम्र की कैद नही होती है लेकीन उसे गुस्ल का तरीका मालुम होना जरुरी है।

गुस्ल देते वक्त मुर्दे को ऐसे लिटाए जैसे उसे कबर में लिटाया जाएंगा। मुर्दे के सिधी करवट दे तो उस का मुंह काबा-तुल्ला की तरफ हो जाए। अगर ऐसी जगह नही है तो फुकहा ने फरमाया के उसे इस तरहा लिटाए के उस के पैर काबा-तुल्ला की तरफ हो जाए।

मुर्दे को गुस्ल देते वक्त ज्यादा लोग ना हो क्युंके मुर्दे को भी शर्म और झिजक महेसुस होती है और उसे भी गुस्ल का दिया जाना महेसुस होता है। गुस्ल देने की जगह पर चारो तरफ पर्दा कर देना चाहिए। बेरी के पत्तो के गरम पानी से गुस्ल देना सुन्नते करीमा है। २-३ बालटी बेरी के पत्ते की बना ले और १ बालटी काफुर मिले हुए पानी की बना ले। काफुर को पिस कर पानी के अंदर अच्छी तरहा मिला ले। पानी ज्यादा गरम ना हो। बिल्कुल उतना गरम हो जितना जिंदा शख्स गर्मी बरदाश्त करता है। मय्यत को तख्त पर लिटाने से पहेले ३ बार या ५ बार या ७ बार खुशबु ले कर उस तख्त के गिर्द धुनी देंगे। यानी एक शख्स खुश्बु लेकर उस तख्त के गिर्द ३, ५ या ७ बार फिरे। इस के बाद मय्यत को ला कर तख्त पर लिटा देंगे। नबी-ए-करीम (ﷺ) ने इरशाद फरमाया के मुर्दे की मांडी पर निगाह डालना बिलकुल ऐसा है के जिंदा आदमी की मांडी पर निगाह डालना। इस का मतलब ये है के जैसे जिंदा आदमी का सतर देखना हराम है वैसे मुर्दे का भी सतर देखना हराम होता है। मर्दो और औरतो के लिए सतर नाफ के सुराख से ले कर घुटनो के निचे तक होता है। मुर्दे के कपडे उतारते वक्त एक मोटी चादर लेकर मुर्दे का सतर छुपाया जाए फिर सलवार या पँट उतारी जाए।

फिर सब से पहेले मुर्दे का इसतिंजा कराएंगे। इस्तींजा का तरीका ये होता है के आप कोई मिट्टी का ढेला ले ले या कोई कपडा ले ले, रुई वगैरा भी चल जाती है। और बगैर देखे मुर्दे के सतर के उपर जो चादर डाली है उस के अंदर हाथ डालेंगे और उस के शर्मगाह पर फेरेंगे।

फिर वजु करवाएंगे। नमाज के वजु मे और इस वजु मे थोडा सा फरक होता है। इस मे मुर्दे के हाथ नही धोएंगे डायरेक्ट चेहरे से वजु शुरु करेंगे, इस को बाद दोनो हाथ कोहनीयो तक धोएंगे, फिर सर का मसाह और फिर पैर धोएंगे। कुल्ली करना, नाक मे पानी चढाना, कान का मसा करना, गर्दन का मसा करना इस मे शामील नही है।

वजु के बाद उस के चेहरे और सर को धोएंगे। अगर साबुन हो तो इस्तेमाल कर सकते है। अब इस के बाद उसको उलटी करवट लिटाए। जब उलटी करवट लिटाएंगे तो सिधी करवट उपर हो जाएंगी। करवट लिटाते वक्त सतर की चादर का ध्यान रखे। अब सिधे कंधे से पानी डालते हुए सिधे पैर तक ले जाए। और इतना पानी डाले के सामने का जिस्म धोता हुआ पानी तख्त तक पहोच जाए। इसी तरहा पीठ की तरफ पानी डालेंगे के पुरी पीठ धुल जाए। सतर की जगह पर पानी डालते वक्त हमे देखना नही है। चादर उठा कर अंदाजे से पानी इतना डालेंगे के हमे यकीन हो जाए के सतर पुरा धुल गया।

अब मुर्दे को उलटी करवट लिटाएंगे। मुर्दे की सिधी करवट उपर हो गई। अब कंधे से ले कर पैर तक पानी डालेंगे। एक मरतबा पानी डालना फर्ज होता है और तीन मरतबा डालना सुन्नते करीमा होता है।

पानी बहाने के बाद अब मुर्दे को बिठाएंगे। और नर्मी के साथ उस के पेट को उपर से निचे तक दबाएंगे ताके पेट मे कोई खराब चिज हो तो वो निकल जाए। अगर मुर्दा ना बैठ सकता हो तो जितना उठा सकता है उसे उठाए। अगर कुछ निकल भी जाए तो गुस्ल को दोबारा करने की जरूरत नही है।

अब इस के बाद काफुर मिला हुआ पानी एक मरतबा पुरे बदन पर बहाना सुन्नते करीमा है। ये बहाने के बाद गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब पाक कपडे से उस को पोछ दे और कफन वगैरा पहेना दे।

१३. अगर ९ बरस से छोटी बच्ची है तो मर्द (उस का वालीद) उस को गुस्ल दे सकता है और अगर १२ बरस से छोटा बच्चा है तो औरत उसे गुस्ल दे सकती है। मर्द का इंतेकाल हुआ तो औरत (उस की बीवी) उस को गुस्ल दे सकती है। लेकीन औरत का इंतेकाल हो जाए तो मर्द उस को गुस्ल नही दे सकता।

१४. अगर किसी का पानी में डुबकर इंतेकाल हो गया और उसे ऐसे ही पानी से बाहर निकाल दिया तो उस को गुस्ल देना लाजीम होगा। गुस्ल देना लोगो पर फर्जे किफाया होता है। मुर्दा अगर पानी मे है और कोई शख्स गुस्ल की नियत से मुर्दे के पास पानी मे गया है एक बार मुर्दे को पानी मे डुबा कर निकाला तो गुस्ल हो जाएगा।

१५. **हादसे में मुर्दे के टुकडे टुकडे हो गए तो गुस्ल का क्या हुकुम है ?-** (१) मुर्दे का सर और आधा धड मिला तो उस को गुस्ल दिया जाएगा। (२) निचे का धड मिला और आधे से ज्यादा मिला और सर नही मिला तब भी गुस्ल दिया जाएगा। (३) जिस्म आधा-आधा खडे दो हिस्सो में कट के मिला तो गुस्ल माफ होता है। (४) अगर जिस्म के टुकडे टुकडे मिले तो गुस्ल माफ होता है।

१६. गुस्ल के बाद बिला वजह नाक और कान मे कपास (रुई) रखने से मुर्दे को तकलीफ होती है। इसलिए फुकहा ने मना फरमाया है।

१७. गुस्ल कराने के बाद अगर मुर्दे के जिस्म से नजासत निकल आए तो नमाजे जनाज़ा अदा करने से पहेले उसे धो डाले, उसे दोबारा गुस्ल देनी की जरूरत नही है।

१८. नबी-ए-करीम (ﷺ) की हदीसे पाक है के, जब कयामत तारी होगी और सुर फुका जाएगा तो सब से पहेले नबी-ए-करीम (ﷺ) अपने कबर से उठेंगे, फिर हजरत अबुबकर (रजि) उठेंगे और फिर हजर उमर (रजि) उठेंगे। और उन के हाथ आप (ﷺ) के हाथ में होंगे। फिर उस के बाद जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला के कबरस्तान के मुर्दे उठेंगे। तो वो सब से पहेले नबी-ए-करीम (ﷺ) की जियारत करेंगे। मदिना मुनव्वरा मे कम व बेश १० हजार सहाबा दफन है। और मक्का मुकर्रमा में भी कसीर सहाबा और ताबयीन दफन है। अगर उन के बिच दफन मिल जाए तो अल्लाह की तरफ से उन पर रहमतो का नुजुल हो रहा है तो इन्शाअल्लाह इस शख्स पर भी होगा।

१९. जो अल्लाह की राह मे मारे जाए वो शहीद है। शहीद जिंदा होता है इसलिए उसे गुस्ल नही दिया जाएगा।

२०. गुस्ल देने के बाद मुर्दे के बालो में कंघी ना करे और उस के नाखुन ना काटे इस से उसे तकलीफ होती है।

२१. बच्चा पैदा हो कर बाहर आने के बाद मर गया और बाहर आने के बाद अगर एक मिनट भी जिंदा था तो उस का नाम रखना चाहिए उसे बेनाम दफन न करे, उसे गुस्ल देना हम पर फर्ज होगा और उस की नमाजे जनाजा भी अदा की जाएगी। और बच्चा अगर मुर्दा पैदा हुआ तो गुस्ल वगैरा लाजीम नही है, आप चाहे तो उस पर से पानी बहा दे और पुराने कपडे मे लपेट कर उसे दफन कर दे। अगर बच्चे को निकालते वक्त उस का इंतेकाल हुआ तो ये देखा जाएगा कितना हिस्सा बाहर निकलने के बाद इंतेकाल हुआ, अगर आधे से ज्यादा हिस्सा निकल चुका था और वो जिंदा था और बाकी हिस्सा निकालते वक्त इंतेकाल हुआ तो उस को भी गुस्ल देने होगा, उस की भी नमाजे जनाजा होगी।

२२. माँ अगर गैर-मुसलमान है और बाप मुसलमान है तो दोनो में से जिस को मजहब आला है बच्चा उसी मजहब का होगा। इसलाम आला मजहब है इसलिए बच्चा मुसलमान होगा। इसी तरहा से बाप गैर-मुसलमान है और मां मुसलीम है तो भी बच्चा मुसलमान ही होगा। तो मरने के बाद बच्चे का मुसलमानो के तरीके से कफन और दफन होगा।

२३. **कफन :** तिरमीजी शरीफ की हदीस है के अपने मुर्दो को अच्छा कफन दो क्युंके ये कबरस्तान मे दुसरे मुर्दो के सामने इस कफन पर फखर करेंगे। कफन का रंग सफेद ही हो ये वाजीब या फर्ज नही। आप रंगीन या प्रिंटेड भी कपडे दे सकते है। लेकीन सफेद रंग का कपडा अवाम की आदत और रिवाज बन चुका है इसलिए आदत के खिलाफ करना मना होता है क्युंके इस से लोग बदगुमानी का शिकार हो सकते है। मय्यत के माल से ही कफन दफन का इंतेजाम किया जाना चाहिए लेकीन कोई वारीस अपने पैसे से कफन दफन करना चाहता है तो कोई हरज नही है।

- अगर मुसलमान मय्यत है तो उसे कफन देना फर्जे किफाया होता है। फर्जे किफाया उस इबादत को कहते है के पुरे मोहल्ले या पुरे शहर की तरफ से एक शख्स भी उस को अदा कर ले तो सब की तरफ से अदा हो जाती है और कोई भी उस को अदा ना करे तो सब के सब गुनाहगार होंगे।
- कफन के तिन दर्जे होते है १) जरूरत, २) किफायत और ३) सुन्नत।
  जरूरत - यानी इतना कपडा जिस से बदन ढक सके ये जरूरत की मिकदार होती है।
  किफायत - किफायत की मिकदार ये है के मर्द के लिए कम से कम २ कपडे (१ बडी चादर, १ तहबंद) हो। और औरत के लिए कम से कम ३ कपडे (१ बडी चादर, १ तहबंद, १ कफील)।
  सुन्नत - मर्द के लिए ३ कपडे होने चाहिए (१ बडी चादर, १ तहबंद, १ कफनी) और औरत के लिए ५ कपडे (१ ओढनी, १ इजार, १ सिनाबंद, १ कफनी, १ चादर) होने चाहिए।
- **कफन पहेनाने का तरीका -** जो कफन पहेनाया जाएंगा उसे ३, ५ या ७ बार किसी खुश्बी की धुनी देना सुन्नते करीमा होता है। **मर्द के कफन के लिए** सब से पहेले बडी चादर बिछा दी जाए, फिर तहबंद बिछाया जाए। फिर कफनी आधी मय्यत के निचे आएगी और आधी सर के अंदर होती हुई सामने आएगी। अब मय्यत को सब से पहेले लिटाईये के उस का सर कफनी के सुराख के पास आ जाए। इस के बाद सब से पहेले कफनी उस के उपर डालेंगे। इस के बाद तहबंद बंद करना होगा। उस का सुन्नत के मुताबीक तरीका ये होता है के, पहेले उलटी जानीब लाएंगे फिर सिधी जानीब लाएंगे ताके सिधी जानीब उपर रहे। तहबंद बंद करने से पहेले मुस्तहब ये होता है के मय्यत के बदन के उपर खुश्बु मल दी जाए खास तौर पे माथे पर, नाक पर, हाथो के उपर, घुटने पर, पंजो पर, बदन वगैरा पर और अतराफ मे। फिर बडी चादर का उलटा पहेलु उपर लाएंगे फिर सिधा पहेलु ले कर आएंगे। और आखीर मे उपर-निचे से बांध ले। अगर लोगो को जियारत करनी है तो सर की तरफ से ना बांधे, पैर की तरफ से ही बांधे और थोडा मुंह खोल दे। हाथो को नाफ पर या सिने पर रखकर बांधना खिलाफे सुन्नत है, हाथ सिधे रखने चाहिए। कफन बंद करने के बाद अगर इतर वगैरा मलना चाहे तो मल सकते है। **औरत के कफन के लिए** सब से पहेले बडी चादर, फिर उस के उपर इजार, फिर कफनी, फिर दुपट्टा और सब बंद करने के बाद सिनाबंद उपर से आएगा।
- जो लाश के टुकडे टुकडे हो गए है तो उस के लिए **सुन्नत** के मुताबीक कफन नही है, उस के लिए **जरूरत** के मुताबीक कफन होगा। और जरूरत की मिकदार एक कपडा होता है।
- जिस लाश का आधा धड है, सर नही है तो उसे **सुन्नत** के मुताबीक कफन दिया जाएगा।

२४. **नमाजे जनाजा का तरीका :** नमाजे जनाजा भी फर्जे किफाया है। फर्जे किफाया उस इबादत को कहते है के पुरे मोहल्ले या पुरे शहर की तरफ से एक शख्स भी उस को अदा कर ले तो सब की तरफ से अदा हो जाती है और कोई भी उस को अदा ना करे तो सब के सब गुनाहगार होंगे। नमाजे जनाज़ा मे जमाअत शर्त नही होती, अगर एक शख्स भी अदा करे तो नमाज अदा हो जाएगी। जनाजे का इमाम के सिने के सामने होना अफज़ल है। अगर एक से ज्यादा जनाज़े हो तो कम से कम एक जनाजा इमाम के सामने होना जरूरी है, बाकी के जनाजे अतराफ में भी हो तो कोई हरज नही। नंगे पैर, जुतो पे या जुतो पर खडे होकर जनाज़ा की नमाज पढी जा सकती है। नंगे पैर पढने वाले के लिए शर्त है के उस के पैर के निचे की जमीन पाक हो। जुते पहेन कर नमाज पढ रहा हो तो जुते भी पाक होने चाहिए और जुतो के निचे की जमीन भी पाक होनी चाहिए। जुतो के उपर खडे हो कर नमाज पढ रहा हो तो जुते पाक होने चाहिए, जुतो के निचे की जमीन नापाक भी हो तो कोई हरज नही है।

जनाज़े की नमाज का तरीका -

- दोने हाथ तकबीर के लिए उठा ले और अल्लाहु अकबर कहे कर बांध ले। हाथ बांधने के बाद सुरे फातेहा पढेंगे। सुरे फातेहा के बाद कोई सुरा नही मिला तो भी चलेगा लेकीन अगर कोई सुरा मिलाया तो सुन्नत है।

- फिर एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहे (लेकीन हाथ ना उठाए) (चारो तकबीरे इतनी बुलंद आवाज से पढनी है के अपने कान उसे सुन ले, अगर आहिस्ता से तकबीर पढी तो तकबीर का फर्ज अदा नही होगा और नमाज नही होगी) फिर दुरूदे इब्राहीम पढे।
- फिर एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहे (हाथ ना उठाए)। इस तकबीर के बाद मय्यत के लिए दुआ करे
  अगर मयत बालीग मर्द या और हो तो ये हुआ पढे

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا
اے اللہ! تو ہمارے زندوں کو بخشدے اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے حاضروں کو
وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا
اور ہمارے غائبوں کو اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو
اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ
اے اللہ! ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے تو اسے اسلام پر زندہ رکھ۔
وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ
اور ہم میں سے تو جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے

अगर मयत नाबालीग लडका हो तो ये दुआ पढे

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَآ اَجْرًا وَّ
اے اللہ! اس بچہ کو تو ہمارے لیے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والا بنا اور اس کو ہمارے لیے
ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا
اجر اور ذخیرہ اور سفارش کرنے والا اور سفارش منظور کیا ہوا بنادے۔

अगर मयत नाबालीग लडकी हो तो ये दुआ पढे

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَآ اَجْرًا وَّ
اے اللہ! اس بچی کو تو ہمارے لیے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والی بنا اور اس کو ہمارے لیے اجر اور
ذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً
ذخیرہ اور سفارش کرنے والی اور سفارش منظور کی ہوئی بنا۔

- फिर चौथी बार अल्लाहु अकबर कहे (हाथ ना उठाए) और हाथ खोल दे इस के बाद दोनो तरफ सलाम फेर दे। (बंधे हुए हाथो के साथ सलाम फेरना सुन्नत के खिलाफ है, सवाब मे कमी होगी लेकीन नमाज हो जाएगी)। एक रिवायत मिलती है के एक सलाम भी कर सकते है।
- जिस तरहा आम नमाज़ो में मुंह उठा कर चेहरा काबे की तरफ करते है तो नमाज़े जनाजा मे तकबीर के वक्त मुंह ना उठाए।
- सफे कितनी भी सफे हो सकती है। १,३,५... ताक अदद में। लेकीन जरुरी नही है के ३ ही होनी चाहिए।
- किसी ने अपने माँ को या बाप को या दोनो को कत्ल किया तो इस शख्स की नमाजे जनाजा नही पढी जाएंगी।
- अगर कोई कुछ चुरा कर भागा और इस चुराने के दौरान उस का इंतेकाल हो गया तो उस की नमाजे जनाजा नही पढी जाएंगी।

२५. **मय्यत को कबरस्तान ले जाने का सही तरीका -** जनाजे साथ चलने की बडी फजीलते हदीस में आई है और जनाजे के आगे चलना सुन्नत है। सवारी (गाडी) पर जनाजा ले जाना सुन्नत के खिलाफ और मकरुह है। जिक्र करते जाना, दुरूद पढते जाना या बुलंद आवाज से कलमा-ए-शहादत पढते हुए जाना साबीत नही

है। औरतो को मय्यत के साथ ना ले कर जाए, क्युंके उम्मे अतिया (रज़ि) फरमाती है के "हम औरतो को जनाजे के पिछ जाने से रोक दिया गया और इसकी ताकीद नही की गई"(**sahih** albukhari'hadis:१२७८ aur sanan abi daud'hadis:३१६७)

२६. **मय्यत को दफन करने का तरीका -** मय्यत को दफनाना भी फर्जे किफाया है। कबर की लंबाई मय्यत के लंबाई के बराबर होनी चाहिए और चौडाई मय्यत के आधे कद के बराबर। कबर की गहराई पुरे कद के बराबर होनी चाहिए क्युंके जब नबी-ए-करीम (ﷺ) की आमद हो तो मुर्दा खडा होगा उन के इस्तेकबाल के लिए। या फिर मुर्दा उठ कर बैठ सके इतनी गहराई हो। शोहर अपनी बिवी के जनाजे को कंधा भी दे सकता है और उसे कबर मे उतार भी सकता है।

पहेले मय्यत को ला कर किबला की जानीब रख दे। फिर पैरो और सर की गिरीफ्त खोल दे। इस के बाद तख्ते रखने चाहिए। चेहरा काबा-तुल्ला की तरफ करना मुस्तहब होता है। मुर्दे पर इतर छिडकना और खुश्बु छिडका सुन्नत से साबीत नही है। मिट्टी डालने का सुन्नत तरीका ये है के सिरहाने की तरफ से दोनो हाथो से ३ बार मिट्टी डाली जाए। इस की खास दुआए है अगर दुआ याद ना हो तो कम से कम दुरूदे पाक पढ कर मिट्टी डाले। कुल शरीफ की मिट्टी जो सब लोगो से एक-एक मुठ्ठी जमा कर के डाली जाती है इस की कोई शरई हैसीयत नही है।

नोट : कबर पे पौदे लगाना मकरूह है और कबर पे पानी डालने से ना तो मुर्दे को कोई फायदा होता है नाही ही पानी डालने वाले को सवाब मिलता है।

हज व उमरा का तरीका व मसाईल

बुखारी व और मुस्लीम शरीफ की रिवायत है के "अगर हाजी हज करे और उस मे कोई झगडा वगैरा ना करे और बुरे कामो से बचता रहे तो गुनाहो से पाक व साफ इसतरहा घर वापस आता है जैसे आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ"(MISHKAT J:१, H:२२१)। नबी-ए-करीम (ﷺ) का फरमान है, "जो हज पर इस्तेताअत (ताकत) रखता हो और फिर वो किसी उमुर के बगैर हज ना करे, वो चाहे यहुदी हो कर मरे चाहे इसाई होकर मरे"(Tirmizi, Jild -१ Safa -१६७)। ये शदीद नाराजगी का इजहार फरमाया है।

१. हज कब फर्ज होता है?

हज उम्र में १ बार फर्ज है, इस के अलावा जो हज किये जाते है वो नफली हज होते है। अगर हज की मन्नत मांगी जाए तब भी हज फर्ज हो जाता है। हज की शर्ते निचे की तरहा है-

- मुसलमान होना
- बालीग होना ((लडके के बालीग होने की उम्र १२ साल से १५ साल है, इस दौरान उसे एहतेलाम वगैरा हो जाए या दिगर आसार जाहीर हो जाए तो बालीग हो चुका) (लडकी के बालीग होने की उम्र ९ से १५ साल होती है, इस दौरान उसे हैज आ जाए या उसको एहतेलाम वगैरा हो जाए या दिगर आसार जाहीर हो जाए वो बालिगा कहेलाएगी) अगर कुछ याद ना हो तो १५ साल बाद बालीग कहेलाएगा या कहेलाएगी।)
- अकल होना (पागल और मजनुन ना हो)
- रास्ते मे जान और माल जाने का डर ना हो।
- तंदुरुस्त होना (ऐसी बिमारी ना हो के हज के दौरान चल भी ना सके)। इतना बिमार है के खुद हज नही कर सकता तो किसी दुसरे अपनी जानीब से हज कराए।
- आँखो वाला होना (अंधा ना हो) - अगर नाबीना (अंधा) है तो किसी को साथ ले जाए या फिर किसी दुसरे को अपने जानीब से हज कराए।
- हज के अखराजात (खर्च) क्या है? - हज के सफर का खर्च, कुर्बानी का खर्च, खाने पिने का खर्च, सवारी का खर्च, दुसरे जरुरी खर्च और जितने दिन घर से गैरहाजीर रहेगा उतने दिन घर वालो के रोटी

कपडे और घर खर्च देने की ताकत रखना। इन तमाम शर्तो का हज के अय्याम (दिन) मे पाया जाने पर हज फर्ज हो जाता है।

- औरत के लिए मेहरम साथ में होने की शर्त है लेकीन रास्ता पुरअमन हो तो औरत अकेले भी हज को जा सकती है या दुसरी औरतो के साथ हज को जा सकती है जिन के साथ उन के मेहरम हो।
- अगर किसी पर हज फर्ज हो गया लेकीन उस ने हज नही किया और उस की मौत हो गई तो उस के वारीसो पर फर्ज है के, उस की तरफ से हज्जे बदल कराएंगे। जो शख्स हज्जे बदल कर रहा है उस के लिए जरूरी है के उस ने अपने जानीब से पहेले हज किया हो।
- हज के अय्याम क्या क्या है? शव्वाल का पुरा महिना, जिलकद का पुरा महिना, जिलहज के शुरु के दस दिन हज के अय्याम है (यानी २ महिने १० दिन)। इन दिनो के अंदर किसी के पास पैसा हो तो उस पर हज फर्ज हो जाएगा। इन दिनो मे अगर किसी के पास पैसा आ जाए और उस पर हज फर्ज हो जाए तो हज को फौरन जाना मुमकीन नही हो सकता क्युंकी हज का फॉर्म वगैरा भी भरना होता है तो उसे चाहिए के वो अगले साल हज करे।

२. अगर किसीने मन्नत मांगी जैसे - ऐ अल्लाह तआला तेरी और तेरी रसुल की रजा की खातीर मै हज करूंगा तो उस पर हज वाजीब हो जाएगा, चाहे वो गरीब हो।

३. हज फर्ज होने के बावज़ुद किन हालात मे हज करना लाज़ीम (जरुरी) नही?

- हज के रास्ते का पुरअमन (safe) होना जरुरी है। रास्ते मे खतरा है, या जंग वगैरा चल रही हो तो हज करना लाज़ीम नही होगा।
- किसी औरत के हज फर्ज होने के बाद हज करना तब लाज़ीम हो जाएगा जब उस के पास अपने नान नफ्के (रोटी कपडा) के अलावा जो मेहरम उस के साथ जा रहा उसका भी नान नफ्का करने की ताकत हो। और अगर उस के पास मेहरम नही है तो उस पर हज की अदाईगी लाज़ीम नही होगी। और इसी तरहा उस के पास मेहरम तो है लेकीन मेहरम के पास पैसा नही है तब भी उस औरत पर हज की अदाईगी लाज़ीम नही होगी।
- हज के अय्याम मे औरत इद्दत मे हो तो इद्दत पुरी करे फिर हज करे।
- जो हज करना चाहता हो व कैदी ना हो।

४. **हज के फराएज (फर्ज) :** हज मे ६ चिज़े फर्ज होती है।

- एहराम : मर्द के लिए एहराम जरुरी है।
- अराफात के मैदान मे ठहरना
- तवाफ करना : कम से कम चार चक्कर फर्ज होते है।
- हज की नियत
- तरतीब (serial/order) : पहेले एहराम बांधना फिर आराफात के मैदान और फिर तवाफ की बारी आती है।
- हर फर्ज का अपने वक्त पर होना : जैसे - एहराम अपने वक्त मे बांधा जाएगा, इसी तरहा अराफात मे खास वक्त पर ठहरा जाएगा, तवाफ अपने खास वक्त पर होगा, नियत एक खास वक्त मी की जाएगी।

५. **मिकात :** ये एक जगह का नाम है। मिकात के बाहर से अंदर की तरफ (मक्का की तरफ) जाने का इरादा करता हो तो बगैर एहरेम पहेने गुजरना हराम और मना होता है। मिकात पर पहोचने के बाद एहराम पहेनना लाज़ीम है और औरतो को हिजाब पहेनना जरुरी है चाहे आप हज के लिए जा रहे हो, कारोबार के लिए या किसी को मिलने के लिए। अगर किसीने मिकात पर एहराम नही पहेना और अपने कपडो पर ही मिकात से आगे गुजर गया तो उसका कफ्फारा (दंड) ये है के उसको हरम की हद मे बकरा या दुंबा जुबाह करना होगा जिसे **"दम"** कहते है।

मिकात पाच है। मक्का की तरफ आने वाले पाच रास्तो को हुजुर (ﷺ) ने मिकात मुकर्रर कर दिया।

मिकात के बाहर से आने वाले पहेले हज की या उम्रे की नियत करे, ऐहराम बांधे फिर अंदर दाखील हो।

मदिने मुन्नवरा वाले अगर मक्का आना चाहते है तो उन के लिए zuhulayfah (Bir Ali) मिकात है। इराके से मक्का जाने वालो के लिए Zatu Irgin मिकात है। शाम से मक्का जाने वालो के लिए Al-Juhfah मिकात है। हिंदुस्तान-पाकीस्तान-यमन की तरफ से मक्का जाने वालो के लिए Yalamlam मिकात है। अगर Yalamlam से Jeddah आ रहे हो तो Yalamlam आने से पहेले पहेले हाजी हज की नियत कर के अपना एहराम बांध ले। अगर ऐसा नही किया तो उस पर **दम** लाज़ीम हो जाएगा।

Miqat

- Jeddah is within miqat
- Majority of scholars agree that if going to Haram must be in ihram prior to landing at Jeddah
  - Enter ihram at stop over just before Jeddah
  - Don't pack in check-in luggage
- Ihram not necessary if going directly to Madina

६. **हाजी तीन तरहा के होते है :** १) आफाकी हाजी, २) हिल्ली हाजी, ३) मक्की हाजी।

- आफाकी हाजी : आफाकी हाजी उसे कहते है जो मिकात के बाहर से अंदर आता है।
- हिल्ली हाजी : हिल्ली हाजी उसे कहते है जो मिकात के अंदर रहते है लेकीन हराम की हद के बाहर रहते है।
- मक्की हाजी : मक्की हाजी उसे कहते है जो हरम की हद के अंदर रहते है।

नोट : जो लोग मिकात के अंदर रहते है वो वही से (अपने घर से ही) एहराम बांध लेंगे।

७. **हज की किस्मे :** हज तीन तरहा का होता है।

- हजे इफराद : इस का मतलब है सिर्फ हज करना। हजे इफराद सिर्फ हज की नियत से हज करता है। आफाकी हो, हिल्ली हो या मक्की **हजे इफराद** ये तिनो कर सकता है।
- हजे तमटट्व (Hajj Tamattu) : हज के दौरान उमराह करने को हजे तमटट्व कहते है। इस मे ऐसा होता है के पहले हाजी उमरे का एहराम पहेनेगा (उमरे की नियत कर के), जा के उमरा करेगा फिर उतार देगा। फिर ८ जिल हिज्जा को हज की नियत से दुसरा एहराम पहेनेगा।
- हजे किरान : किरान का मतलब होता है मिलना या मिलाना। इस मे उमरे और हज का एहराम एक साथ पहेना जाता है। यानी जब पहिली मरतबा जब एहराम पहेनेगा तो नियत करेगा उमरे की भी और हज की भी। इस मे हाजी उमरा करने के बाद जब मक्का पहोचता है तो फिर ये एहराम उतार नही सकता। हाजी को ८ जिल हिज्जा को मिना की तरफ रवाना होना होता है तो बिच के जो ४/५ दिन है ये एहराम मे ही गुजारेगा (एहराम को नही उतारेगा)।
- नबी-ए-करीम (ﷺ) ने हजे किरान किया था। इसलिए हजे किरान करना सब से अफजल तरीन है।

○ हजे किरान करते वक्त अगर एक जुर्म होता है तो दो कफ्फारे (२ दंड) लाज़ीम होंगे। जैसे - दंड के तौर पे एक की बजाए दो बकरे जुबाह करने होंगे। हजे किरान मे सज़ा सख्त है, पाबंदीया ज़्यादा है, लेकीन सवाब सब से ज़्यादा है।

नोट :रमजान मी किया हुआ उमरा हजे तमट्टव के लिए काफी नही होता।

८. हज के फजाईल :

बुखारी और मुस्लीम की रिवायत है के हज़रते अबु हुरेरा (रज़ी) से मरवी है के हुजुर अकदस (ﷺ) से अर्ज की गई "या रसुलुल्लाह (ﷺ) कौन सा अमल सब से अफ़जल है" तो आप ने फरमाया "अल्लाह तआला और उस के रसुल पर इमान लाना"। फिर अर्ज की के इस के बाद क्या है तो आप ने फरमाया "अल्लाह तआला की राह मे जिहाद करना"। फिर अर्ज की के इस के बाद क्या है तो आप ने फरमाया "हजे मकबुल"। यानी हज कुबुल होना सब से अफ़जल तरीन है।

बुखारी और मुस्लीम की रिवायत है के हज़रते अबु हुरेरा (रज़ी) से मरवी है के हुजुर अकदस (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "जिस ने हज किया और फहेश कलामी और फिस्क व फिजुद (झगडा पैदा करने वाली बाते) और गुनाहे कबीरा मे मुबतेला ना हुआ तो गुनाहो से ऐसा पाक व साफ होकर लौटेगा जैसे उस दिन अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ।

बुखारी और मुस्लीम की रिवायत है, हुजुर अकदस (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "मबरूर (सही, proper) हज का सवाब जन्नत ही है" (SAHI BUKHARI V१ hadis १७७३)।

एक रिवायत है के हुजुर अकदस (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "हाजी अपने घर वालो मे से चार सौ (४००) लोगो की शफाअत करेगा और गुनाहो से ऐसा निकल जाएगा जैसे उस दिन अपने माँ के पेट से पैदा हुआ था।(IBN-E-MAJA)"

९. जरुरी मशवरे :

- औरत को अगर हज के दौरान हैज (period, mensus) आने का अंदेशा हो तो वो डॉक्टर से कहेकर हैज को रोकने के गोलीया ले सकती है।
- औरत हैज की हालत मे उमरे की नियत कर सकती है (उमरे की नियत के लिए पाकी शर्त नही है)। हैज की हालत मे हरम मे (मस्जिद मे) दाखील नही हो सकती, अपने होटल के कमरे मे ही रहे और हैज खतम हो जाने के बाद उमरा अदा किजीएगा।

१. औरतो के लिए कोई एहराम नही होता। औरते अपने घर के ही कपडे मे एहराम की नियत कर ले।
२. जब एहराम का इरादा कर ले तो ये चाहिए के गुस्ल कर ले, सुर्मा वगैरा लगा ले। एहराम पर खुशबु लगाएंगे तो हरम मे जाकर दम लाज़ीम होगा। सितर खुल जाने का डर हो तो एहराम पर सेफ्टी पीन लगा सकते है। मर्दो के लिए सिला हुआ एहराम पहेनना मना है।
३. एहराम का हर वक्त सिधा कंधा खुला रखना सुन्नत नही है। ये तो सिर्फ तवाफ के वक्त सुन्नत है। नमाज़ पढते वक्त कंधा खुला हो तो ये मकरुरे तहरिमी है यानी गुनाह है।
४. काबे के गिलाफ को चेहरे या हाथ पर मलना मकरूह (नापसंद) है।

५. एहराम की हालत मे कौन सी चिज़े जायज़ है और कौन सी नाजयज है?

- मर्द का सितर नाफ के निचे से घुटने के निचे तक होता है। नाफ का सुराख सितर मे दाखील नही है। ये पुरा हिस्सा एक मर्द को दुसरे मर्द से छुपान फर्ज होता है।
- मर्द के लिए सिया हुआ कपडा पहेन्ना हराम हो जाता है।
- एहराम की हालात मे किसी भी चिज़ से सर को ढांकना मर्द के लिए हराम है और औरतो के लिए जायज़ है। छतरी या टोपी पहन कर धुप से ना बचा जाए।

- दस्ताने (hand gloves) पहनना मर्द के लिए हराम है और औरतो के लिए जायज़ है।
- मोज़े या ऐसे जुते पहेन्ना जो पैर के दरम्यानी उभरी हुई हड्‌डी को छुपा दे ये मर्द के लिए मना होते है लेकीन औरतो के लिए ये भी जायज़ है।
- मर्द और औरत दोने के लिए जिस्म पर, एहराम पर या बालो मे खुशबु लगाना नाजायज़ है। खुश्बुदार साबुन इस्तेमाल नही कर सकते और दिगर खुश्बु वाली जिचो से बचना होगा। नियत करने से पहेले जिस्म पर, एहराम पर या बालो मे खुशबु लगाना जायज़ है।
- इलायची, लौंग वगैरा ये खालीस खुश्बु कहलाती है इन्हे हाथ मे लेना या इसको दामन मे बांध लेना जिस की वजह से इसकी खुश्बु हाथ मे या दामन मे लग जाए हराम है। खाने मे ये चिज़े पकती है तो पकने के बाद इसका इस्तेमाल जायज़ है।
- मिया बीवी ने एक दुसरे को सेक्स के इरादे से छुना हराम होता है। दोनो कोशिश करे के थोडा थोडा दुर ही रहे।
- अपना या किसी दुसरे का नाखुन एहराम की हालत मे काटना मना है।
- जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल काटना एहराम की हालत मे हराम है
- जैतुन या तिल का तेल बालो या जिस्म पर लगाना एहराम की हालत मे हराम है
- किसी का सर मुंडना एहराम की हालत मे हराम है
- किसी से दुनियावी लडाई झगडा करना एहराम की हालत मे हराम है
- और चेहरे को ना छुपाए (नकाब ना ले)
- हातीम काबा का हिस्सा है, अगर कोई इस में नमाज पढता है तो गोया उस ने काबे के अंदर नमाज पढी। लेकीन तवाफ करते हुए कोई हातीम मे दाखील हुआ तो उस का तवाफ नही होगा।
- छोटे बच्चे को हज को ले जाने का सवाब उस के मां बाप को मिलेगा।
- बच्चे खुद हज या उमरा करे और माँ-बाप को हज या उमरा ना कराए तो भी जायज़ है।

६. एहराम की हालत मे जायज़ काम :

- बगैर खुश्बु वाला सुरमा लगाना।
- मिसवाक करना
- मैल छुडाए बगैर गुस्ल करना (गुस्ल करते वक्त एहराम उतार कर साईड मे रख सकते है)
- कपडे धोना
- किसी चिज़ के साए मे बैठना
- नाखुन खुदबखुद टुट जाए तो उसे अलग करना भी जायज़ होता है।
- बाल खुद-ब-खुद टुट जाए या झड जाए तो दम या कफ्फारा देना जरुरी नही।
- सर या गाल के निचे तकीया रखना
- आईना देखना
- हवाई चप्पल पहेन्न

७. हज का सफर :

- मर्द हजरात को चाहिए के मिकात पर एहराम पहेने और नियत करे, ये सुन्नत है।
- **नियत करना :** नियत दिल के पक्के इरादे को कहते है। आप दिल ही दिल मे नियत करले। भले ही आप ने एहराम घर पर पहेना हो या एयरपोर्ट पर, नियत मिकात पर ही की जाएंगी ये सुन्नत है। अगर उमरा के लिए एहराम पहेना जा रहा है तो "लब्बैक उमरतन" कहेंगे और अगर हज के लिए एहराम पहेना जा रहा है तो "लब्बैक हज्जन" कहेंगे। नियत करने के बाद कम से कम एक बार **तलबियाह** पढना वाजीब होता है और तीन बार पढना सुन्नते करीमा है। **"लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लबैका लाशरीका-लका-**

लबैक इन्नल-हम्दा वन-न्यामता लका वल-मुल्का लाशरीका-लका"। मर्द बुलंद आवाज से पढेंगे और बहेने कम से कम इतने आवाज से पढेंगे के अपने कान को सुनाई दे। **नियत करने के बाद और तलबियाह पढ ने के बाद ही आप हालते एहराम मे आएंगे।** यानी हालते एहराम मे आने के लिए दोनो नियत और तलबियाह जरुरी है। तलबियाह के बाद दुआ मांगना सुन्नत है। फिर आप ये तलबियाह टाईम टु टाईम जारी रखे जब तक आप तवाफ तक ना पहोचे। जैद-बिन-खालीद से मरवी है के हुजुर अकदस (ﷺ) ने इरशाद फरमाया "जिबराईल ने मुझ से आकर कहा के अपने साहबीयो को हुकुम दिजीए लब्बैक मे अपनी आवाजे बुलुंद करे ये हज का शिआर है"।

- मक्का पहोचने के बाद जरुरी नही है के आप फौरन जा कर तवाफ करे। तवाफ के पहेले आप होटल मे चले जाए या चाहे तो आराम भी कर ले।
- फ्रेश होने के बाद आप उमरे के लिए काबा शरीफ मे तशरीफ ले जाएंगे। सलाम करने के बाद सिधा पैर आगे रख कर दाखील हो जाए। (काबुतुल्ला पर जब पहेली निगाह पडे तो हुजुर (ﷺ) का फरमाने आलीशान है के "काबा तुल्ला पर जब पहेली निगाह पडे तो जो भी दुआ की जाती है कबुल हो जाती है"। **- ये हदीस जईफ है।)**

  नोट : हरम में पहोचने के बाद तलबिहा पढना बंद कर दे।
- जब आप हरम में दाखील होंगे तो तवाफ की नियत कर के हजरे अस्वद को चुमेंगे (एक लाईट के जरीए आप को समझ मे आता है के हजरे अस्वद कहा है), अगर चुमने का मौका नही मिलता है तो आप के पास लाठी वगैरा जो भी है वो हजरे अस्वद को लगाएंगे और उस को चुमेंगे, अगर ये भी मुमकीन नही है तो हाथ से ही इस्तेलाम करेंगे लेकीन हाथो नही चुमेंगे। तवाफ करते वक्त आप वज़ु की हालत मे ही होना चाहिए। नियत दिल के इरादे को कहते है। तवाफ करने से पहेले तीन बाते याद रखे १) सिधे कंधे से एहराम को खुल दे, ये सुन्नत है, अगर आप ने नही किया तो कोई कफ्फारा वगैरा लाज़ीम नही है, २) पहेले तीन चक्कर मे रमल करना (तेजी से अकड कर चलना) मर्दो के लिए सुन्नत है, औरते अपने नॉर्मल चाल मे चले। ३) काबा तुल्ला के हजरे अस्वद का कोना **रुक्ने अस्वद** कहलाता है, उस के बाद का कोना **रुक्ने इराकी** कहलाता है, उस के बाद के कोना **रुक्ने शामी** कहलाता है और उसके बाद का कोना **रुक्ने यमानी** कहलाता है। ये चार कोने है आप को anticlockwise (घडी के उलट) सिमत मे तवाफ करना है।
- हजरे अस्वद के सामने आने के बाद आप नियत करे। अब इसके बाद "बिस्मील्लाही अल्लाहु अकबर" कह कर आप हजरे अस्वद को चुम सके तो बहेतर है वरना दुर से ही आप अपने हाथो को उठाकर हजरे अस्वद पकडने का इशारा करे लेकीन होथो को ना चुमे (इसे इस्तीलाम कहते है)। इसके बाद इस तरहा घुमे के आप की लेफ्ट साईड मे हजरे अस्वद हो फिर आप anticlockwise (घडी के उलट) सिमत में तवाफ करेंगे। दुआए पढते हुए या जिक्र करते हुए तवाफ करना अफजल है। रुकने यमनी और हजरे अस्वद के दरमियान चलते हुए निचे की दुआ बार बार पढे -

  रब्बना आतीना-फिद-दुनिया हसनतव व-फिल आखिरते हसनतव व-किना अज़ाबन्नार

  (Rabbana aatina fiddunya hasanatanv va fil akhirati hasanatanv va qina azaaban naar)

  रुकने यमनी पर आने के बाद यमनी को हाथ लगाऐंगे, अगर हाथ ना लगा सके तो कोई हरज नही।

  निचे के मजले पर तवाफ का मौका नही मिल रहा है तो पहेले मजले पर भी तवाफ कर सकते है। तवाफ करते वक्त शक हो जाए के आप ने २ चक्कर लाए थे या ३ चक्कर, तो यकीन पर खयाल करे, २ पे यकीन है तो ३ चक्कर लगाएंगे।
- **तवाफ की शर्ते :**

१) तवाफ मे भी नमाज की तरहा शर्ते है।
२) जैसे नमाज के लिए वजु जरुरी है वैसे ही तवाफ के लिए भी वजु जरुरी है।
३) जैस नमाज के लिए कपडे पाक और सतर छुपा हुआ हो वैसे तवाफ के लिए कपडे पाक हो और सतर छुपा हुआ हो।

४) जैसे नमाज के लिए नियत जरूरी है वैसे तवाफ के लिए हिजरे अस्वद से पहेले नियत जरूरी है। (नियत दिल मे की जाए ना के मुंह से)
५) जैसे नमाज तकबीर कह कर शुरू करते है वैसे तवाफ के लिए हिजरे अस्वद के सामने हो कर तकबीर कहे और हिजरे अस्वद को बोसा दे (इस को इस्तलाम कहते है)
६) जैसे नमाज में एक रकात के बाद फौरन दुसरी रकात पढी जाती है वैसे ही तवाफ मे खाना काबा के अतराफ चक्कर लगाए, वो चक्कर मे वक्फ (गॅप) ना हो।
७) जैसे नमाज मे किबले की तरफ या आस्मान की तरफ नजर उठाना मकरूह है वैसे तवाफ करते वक्त खाना काबा को देखना मकरुह है।
८) जैसे नमाज सलाम फेर कर पुरी की जाती है वैसे ही दो रकात तवाफे वाजीब नमाज पढ कर तवाफ पुरा किया जाता है।
९) जैसे नफील नमाज की नियत करने के बाद अगर हम नमाज तोड दे तो फिर इस नफील नमाज को दोबारा पढना वाजीब होता है इसी तरहा से अगर तवाफ के कुछ चक्कर लगाकर छोड दे तो फिर इस का दोहराना या पुरा करना वाजीब होगा।
१०) अगर चार चक्करो से पहेले आप का वजु टुटता है तो वजु कर के पुरा तवाफ यानी ७ चक्कर शुरू से लगाए। अगर चार चकरो के बाद वजु तुटता है तो वजु करने के बाद सिर्फ बचे हुए चक्कर ही लगाए।
११) अगर आपने सात चकरो की बजाए आठ चक्कर लगाए तो फिर आप को छ: (६) चक्कर और लगाकर दुसरा तवाफ भी पुरा करना वाजीब होगा।
१२) जो कुछ दुआए हज की किताबो मी लिखी है इस देखकर पढने से बहेतर है के आप को जो दुआए याद है वो समझकर मांगे।

तवाफ

नोट : तवाफ के दौरान कोई खास दुआ या आयत पढना साबीत नही है। आप को जो दुआ आती है वो समझ कर मांगे। इसी तरहा से तवाफ मे दुआ पढना कुरआन पढने से अफजल है।

रुक्ने यमनी (यमनी कॉर्नर) के पास आकर दुआ खत्म कर दे। हो सके तो रुकने यमनी को अपने दोने हाथो से या सिधे हाथ से छु ले, या चुम ले। अगर भिड की वजह से नही छु सके तो सिर्फ देख ले, यहा हाथो के इशारे से ना चुमे। फिर रुक्ने यमनी से हजरे अस्वद तक दुआ पढे। (रुकने यमन और हजरे अस्वद के बिच की दिवार पर ७० हजार फरीश्ते होते हैं जो दुआ पर आमीन कहने के लिए मुकर्रर किए गए है। इस मुकाम पर आप जो चाहे वो दुआ किजीए या कुरआनी दुआ पढे)। अब आप हजरे अस्वद के पास आएंगे। इसतरहा आप का एक चक्कर पुरा हुआ।

दुसरे चक्कर के लिए आप फिर हजरे अस्वद के सामने आ कर हजरे अस्वद की तरफ मुंह कर ले फिर दुर से नियत कर ले और हाथो को उठाकर इस्तेलाम कर ले। फिर दुसरा तवाफ शुरु करे और इसी तरीके से खत्म करे।

सात चक्कर हो जाने के बाद हजरे अस्वद के पास आने के बाद आप पहले की तरहा हाथो को कानो तक उठाकर "बिस्मील्लाही अल्लाहु अकबर" कह कर हाथो को उठाकर इस्तेलाम कर करे। ये याद रहे के जब भी तवाफ करे उस मे फेरे सात होते है और इस्तीलाम आठ।

- आठवा इस्तीलाम करने के बाद आप के तवाफ पुरे हुए। अब आप मकामे इब्राहीम की तरफ आए और वहा पर मकरुर वक्त ना हो तो दो रकात नमाज़ तवाफ की आप सुन्नत अदा कर के दुआ मांगे। पहेली रकात में सुरा काफेरून पढे और दुसरी रकात में सुरे इख्लास पढना सुन्नत है। मकामे इब्राहीम पर ज़्यादा भिड होती है इसलिए जरूरी नही है के आप वही नमाज़ पढे, आप हरम मे भी जहा जगह मिले वहा नमाज़ पढ सकते है। इस के बाद आप आबे जम-जम खुप पेट भर कर पिए।

- जम जम का पानी पिने के बाद अगर कोई थकान या मजबुरी ना हो तो सफा-मरवा की "स-ई (भाग दौड)" के लिए तयार हो जाए। अगर थकान हो तो आराम कर ले फिर "स-ई" कर ले। याद रखे "स-ई" के दौरान कांधा खुला ना रखे। सफा मरवा करने के लिए एक दरवाजा है जो सफा मरवा को जाता है, ये दरवाजा किसी से भी मालुम कर लिजीएगा। वहा पर आप पहोच जाए तो पहेले आप सफा पर चढे (थोडा सा उंचा) और वहा पर आप "स-ई" की नियत करेंगे। नियत दिल के इरादे का नाम है। सफा की पहाडी पर पहोचने के बाद पहेले आप कुरआन की आयत को तिलावत करे।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ
حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ
اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

ये दुआ पढने के बाद आप "अल्हमदुलिल्लाह अल्लाहु अकबर" कह कर निचे की दुआ पढे

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۔ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهُ ۔ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ ۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

- ये पढने के बाद दुआ करे। फिर आप मरवा जाएंगे। अब यहा दो रास्ते होंगे एक जाने के लिए और एक आने के लिए। आप जाने वाले पर चले, थोडा आगे जाने पर देखेंगे के एक हरे रंग की लाईट साईड मे लगी हुई है और थोडे फासले पर दुसरे खंबे पर हरे रंग की लाईट लगी हुई है, इन दोनो खंबो के दरम्यान मर्द हजरात को थोडासा दौडना होता है लेकीन औरते ना दौडे वो अपनी नॉर्मल स्पीड मे चले। अब आप जाए सिधे मरवा तक, तो ये एक चक्कर मुकम्मल हुआ। जब आप हर चक्कर मुकम्मल करे तो कुरआन की वही आयत जरूर पढे। (नोट: हर चक्कर पर उपर दी हुई ये आयत ३ बार पढे और हर बार ये आयत पढने के बाद दुआ करे) फिर मरवा से सफा की तरफ आएंगे। सफा से मरवा की तरफ आते वक्त भी दो लाईटे होंगी उन के दरम्यान मर्द हजरात थोडा सा तेज चलेंगे। इस तरहा मरवा पर सात चक्कर मुकम्मल होंगे। सात चक्कर मुकम्मल करने के बाद तकरीबन आप का उमरा हो चुका है। (नोट: निचे के मजले पर स-ई करने में दुश्वारी है तो पहेले मजले पर भी कर सकते है)। इस के बाद हल्क (सर मुंडवाना, सर गंजा करना) या तक्सीर (बाल कटवाना) करवाना सुन्नते करीमा है। औरते हल्क नही कर सकती, बहेने तक्सीर इस तरहा करे के अपनी इंगली मे पुरे बाल लपेट ले उंगली के १/४ के बराबर काट ले। जैसे ही बाल कटेंगे आप एहराम की पाबंदी से बाहर आएंगे। अगर हजे किरान की नियत है तो आप अभी भी एहराम की पाबंदीयो से बाहर नही होंगे। अब आम कपडे पहेने और उस मे नफली तवाफ करे, काबातुल्ला की आप ज्यारत करे, कोशिश करे के कोई लम्हा मक्का मे ज़ाया ना हो यहा तक के आठ जिलहिज्जा का दिन आ जाए।
- आठ जिलहिज्जा को आप फजर की नमाज़ मस्जीदे हरम मे अदा करे ये सुन्नते करीमा है। फिर आप मस्जीदे हरम से ही एहराम पहेने ये बहोत बहेतर है और चाहे तो अपने होटल से भी पहेन सकते है। एहराम पहेन्ने के बाद अब आप "लब्बैक हज्जन" कह कर हज की नियत करेंगे। फिर आप तलबिहा पढेंगे **"लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लबैका लाशरीका-लका-लबैक इन्नल-हम्दा वन-न्यामता लका वल-मुल्का लाशरीका-लका"** (जब भी एहराम बांधेंगे तो बाद मे यही पढेंगे)। फिर वहा से आप **मिना** के लिए रवाना होंगे। कभी कभी आप को होटल से ही मिना की तरफ जाना पडता है तो कोई हरज नही है। सुन्नत ये है के आप फजर की नमाज़ मस्जिदे हरम मे पढे और ज़ोहर से पहेले आप मिना पहोच जाए। ज़ोहर (२ रकात), असर(२ रकात),, मगरीब (३ रकात),, ईशा (२ रकात), और अगले दिन की फजर (२ रकात), ये पाच नमाज़े मिना मे अदा करना सुन्नते करीमा है। वहा पर आप के खैमे पहेले से लगे हुए होंगे,

आप को बाकायदा उसका कार्ड दिया जाएंगा। मिना मे आप कोशिश करे के आप का वक्त ज़ाया ना हो, ज़िक्रे इलाही करे, आलीम से मसले मसाईल मालुम करते रहे। आप पुरा दिन मिना मे रहेंगे और नौ (९) जिलहिज्जा को फजर की नमाज़ मिना मे पढेंगे। अब नौ जिहिज्जा को आप को **अराफात के मैदान** मे जाना है। मैदाने आराफात वो मैदान है जिस मे सुरज गुरुब (sun set) होने से पहेले अगर एक लमहा भी दाखील हो जाता है तो हाजी हो जाता है। सुरज गुरुब होने से पहेले पहोचना अच्छा होता है क्यो के बगैर दम का होता है। गुरुबे आफताब के बाद पहोचेंगा तो हाजी तो बन जाएगा लेकीन दम लाज़ीम होता है। अराफात के मैदान मे आप को मगरीब तक रुकना है। मगरीब से पहेले निकल जाने पर दम लाज़ीम हो जाएगा। लेकीन याद रखे के अराफात के मैदान मे मगरीब की नमाज़ नही पढनी है। ये पढनी होगी **मुजदलीफाह** मे जा कर। अराफात के मैदान मे ज़ोहर अपने वक्त मे पढीएगा, असर अपने वक्त मे पढीएगा। मैदाने आराफात मे जो खुदबा चल रहा होता है उसे गैर से सुनिएगा। असर से मगरीब तक कोशीश करे के अल्लाह के बारगाह मे खुप दुआ करे और माफी मांगे। मगरीब होने के बाद आप **मुजदलीफाह** मे तलबीहा कहते हुए जाए अब आप को मुजदलीफाह मे ठहरना है। आप मगरीब और इशा की नमाज़ एक साथ पढेंगे लेकीन इशा के वक्त मे (इस दिन मगरीब की नमाज़ इशा के वक्त पढी जा रही है लेकीन कज़ा नही है अदा ही है)। एक आजान और दो इकामत से नमाज पढे। मगरीब के तीन फर्ज पढे, फिर इकामत पढे और इशा के २ फर्ज पढे, इस तरीके से मगरीब और इशा की नमाज़ पढ ले। मुजदलीफाह मे रात गुजारना सुन्नत है। इस के बाद फजर की नमाज़ के बाद सुरज निकलने तक थोडा सा भी ठहरना वाजीब है। अब आप **मिना** की तरफ रवाना हो जाए।

नोट : अगर आप आधी रात तक मुजदलीफाह पहोचे, आधी रात को ईशा का वक्त खत्म हो जाता है, तो वक्त खत्म होने से पहेले आप रास्ते में जहा है वही ईशा की नमाज पढ ले, नमाज को जाने ना दे।

- अब आप मिना की तरफ रवाना हो जाए, अब १० जिलहिज्जा शुरू हो चुका होंगा। अब आप फजर अव्वल वक्त मे पढे और पढते ही आप मिना की तरफ रवाना हो जाए। मुजदलिफा मे आप ६० के करीब कंकर जमा करने कोशीश कर ले। (कंकरी की साईज बकरे की मेंमनी (potty) के बराबर होनी चाहिए या बडे चने के बराबर होनी चाहिए।) कंकरी मारने का वक्त फजर के बाद से शुरु होगा। सिर्फ बडे शैतान को कंकरी मारनी है, सात कंकरी मारनी है। आप (ﷺ) ने फरमाया के जिस की कंकरी कबुल होती है उसको आसमान पर उठा लिया जाता है इस लिए इतनी कंकरीया मार के भी कंकरीया नज़र नही आती। कंकरी खुद मारनी होगी, ये वाजीब है। लेकीन अगर कोई बिमार है, बहोत ज़्यादा कमजोर और बुढा है और खुद कंकरी भिड मे नही मार सकता तो फिर वो किसी को नाईब बना सकता है (यानी उस की तरफ कोई दुसरा कंकर मारेगा)। अगर तंदरुस्त है फिर भी नाईब बनाएगा तो दम लाज़ीम हो जाएगा। सुरज डुबने से पहेले कंकर मारना सुन्नते करीमा है। लेकीन अगर रात मे भी मारेंगे तो वाजीब अदा हो जाएगा लेकीन सुन्नत के खिलाफ होगा। औरते बच्चे और कमजोर लोग जो दिन मे ना मार सके रात मे जाकर मार ले, इस मे कोई हरज नही है। कंकरी मारने का तरीका ये है के आप सात कदम के फासले पर या तिन कदम के फासले पर खडे हो जाए, सिधे हाथ मे अंगुठे और शहादत की उंगली से कंकरी पकडे और हाथ उठाकर शैतान को मारे। हर कंकरी को मारते हुए "बिस्मील्लाही अल्लाहु अकबर" पढ ले तो मुस्तहब है, कम से कम आप को सात कंकरी मारनी होगी। सात कंकरी मारने के बाद अब आप को दुसरा काम करना है "कुर्बानी"। कंकरी हौज में गिरना काफी है, शैतान को (सुतुन को) लगना जरूरी नही है।
- कुर्बानी हज के शुकराने के बदले हरम मे की जाती है। दुसरी कुर्बानी आप को बकरी ईद की करनी होगी, जहा आप रहते है वहा किसी को वकील बना दे और बकरी ईद की कुर्बानी वहा करवा दे। हज के दौरान कुर्बानी के लिए किसी भरोसे के लायक इंसान को कुर्बानी की जिम्मेदारी दे। अगर कंकर मारने के बाद हल्क कर दिया तो दम लाज़ीम हो जाएगा। ऐसे शख्स को कुर्बानी की जिम्मेदारी दे जो कुर्बानी कर के आप को बता दे के कुर्बानी हो चुकी है, इस के बाद आप हल्क करा सकते है। कुर्बानी और हल्क कराने के बाद आप हालते एहराम से बाहेर आ जाएंगे। इसके बाद नॉर्मल कपडो में जाकर तवाफ करेंगे। जैसा तवाफ का तरीका बताया है वैसा करे, फिर दो रकात तवाफ की नमाज़ पढे, आबे जम-जम पिये, इस के बाद सफा-मरवा भी आप अदा करे। १० जिलहिज्जा को आप ने चार बडे काम कर लिए १) शेतान को कंकरी मारी,

२) कुर्बानी, ३) हल्क बनाया, ४) तवाफ वगैरा किया। अब आप दोबारा मिना आए। रात मिना मे ही गुजारे।

- मिना मे रात गुजारने के बाद अगले दिन ११ और १२ जिलहिज्जा को आप को तीनो शैतानो को कंकरे मारनी है और मिना मे ही रहना है। ११ और १२ को सब से पहेले आप को छोटे शैतान को ७ कंकरी मारेंगे। छोटे शैतान को कंकरी मारने के बाद सीधी तरफ (दायी तरफ) खडे हो कर दुआ करेंगे ये सुन्नत है। फिर दरम्याने शैतान को ७ मारेंगे, दरमियाने शैतान को कंकरी मारने के बाद बायी तरफ (उलटी तरफ) खडे हो कर दुआ करेंगे ये सुन्नत है। और फिर बडे शैतान को ७ कंकरी मारेंगे (बडे शैतान को कंकर मारने के बाद कोई दुआ नही)। कंकरी मारने का वक्त ज़वाल के बाद शुरु होगा। अगर ११ और १२ को ज़वाल से पहेले कंकरी मारी तो नही होगी।

  अगर १३ तारीख को भी ठहर आप ठहर गए तो १३ को भी कंकरी मारनी चाहिए। १२ तारीख को कंकरी मारने के बाद आप सुरज डुबने से पहेले पहेले निकल कर अपने होटल मे चले जाए।
- अगर आप ने हजे तमट्टव की नियत की है तो तवाफे रुखस्त वाजीब होता है। ये आखरी तवाफ होता है। ये तवाफ आप आम कपडो मे ही करेंगे। तवाफ के बाद स-ई वगैरा नही है, सिर्फ तवाफ करेंगे। तवाफे रुखस्त करने के बाद अब आप का हज हो गया।

  नोट : मस्जीदे आयशा से लोग बार बार उमराह करते है, ये साबीत नही है। एक ही बार उमरा करना साबीत है। तवाफ जितनी चाहे कर सकते है।
- इस के बाद आप अगर मदिने मुनव्वरा नही गए थे तो मदिने की तरफ रवाना हो। मदिने मे आप पहोचने के बाद होटल मे जाए, फ्रेश हो जाए, थोडा आराम कर ले, अच्छे कपडे पहेने, सुर्मा और इतर लगाए और फिर हाजरी के लिए चले। पहेले आप सिधा कदम रख के मस्जीद मे दाखील हो। बडे बडे उलेमा ने फरमाया के सुनेहरी जाली को हाथ ना लगाए बलके चार कदम के फासले पर खडे हो। और पहले नबी-ए-करीम (ﷺ) की बारगाह मे सलाम पेश करे। "अस्सलातो अस्सलामु अलैका या रसुलुल्लाह"। फिर अबुबुकरे सिद्दीक रजि की खिदमत मे सलाम पेश करे, फिर उमरे फारुक रजि. की खिदमत मे सलाम पेश करे. फिर अल्लाह तआला की बारगाह मे जो दुआ आप मांगना चाहते हो मांगे। दुआ मांगते वक्त किबला रुख हो कर दुआ मांगे (नबी (ﷺ) के मजारे मुबारक की जानीब मुंह कर के दुआ ना मांगे) और नबी (ﷺ) को वास्ता या वसीला ना बनाए।

मस्जिदे-नबवी में हाज़री देने का सही तरीका

१. मस्जीदे नबवी जाना फर्ज नही है और ना ही ये हज या उमरा का कोई हिस्सा है। लेकीन मस्जीदे नबवी (ﷺ) जाना बाईसे अज्र और सवाब है यानी मस्जीदे नबवी जाना इबादत है।
२. चुंके मस्जीदे नबवी जाना इबादत है इसलिए मस्जीदे नबवी जाने की नियत होनी चाहिए। नियत दिल में की जाए ना के मुंह से।
३. मस्जीदे नबवी में नमाज पढने का सवाब १००० (एक हजार) है ना के ५०,०००/- (पचास हजार)।
४. शरीयत मे मस्जीदे हरम, मस्जीदे नबवी और मस्जीदे अकसा की जियारत का सवाब आया है, इस के अलावा किसी भी मुकाम की जियारत का कोई सवाब नही है। आज कल लोग कहते है के, अजमेर की दरगाह की जियारत ७ बार की जाए तो एक हज का सवाब मिलता है और फला दरगाह पर जाने का फला सवाब है, ये सब झुठ है। इसी तरहा से लोग कहते है के अली शहेबाज कलंदर की दरगाह पर गरीबो का हज होता है ये भी बिल्कुल गलत बात है।
५. दज्जाल मदिना और मक्का में दाखील नही हो पाएंगा।
६. जिस तरहा मक्का हरम है, मदिना भी हरम है। इसलिए मदिने की भी हुरमत है। इसलिए मदिने में कोई भी गलत काम नही किया जा सकता, यहा तक के पेड के पत्ते भी नही झाडे जा सकते।

नोट : मस्जीदे नबवी के बारे में बहोत सारी जईफ और झुठी रिवायते बयान की जाती है। मिसाल के तौर पे- १) जिस ने हज किया लेकीन मस्जीदे नबवी नही गया तो उस ने रसुलुल्लाह (ﷺ) को रुसवा किया. **२)** जिस ने मस्जीदे नबवी में ८ दिन नमाज पढी उस को फला फला फायदा होगा । **३)** मस्जीदे नबवी में एक नमाज का सवाब ५० हजार के बराबर है। **४)** काबा शरीफ को पहीली नजर में देख कर जो दुआ मांगी जाती है वो कबुल होती है।

मस्जीदे नबवी में हाजरी देने का सही तरीका :

१. जब आप मस्जीदे नबवी मे पहोंच जाए तो मस्जीद मे दाखील होते वक्त जो दुआ पढते है वही दुआ पढे।
२. अब आप कोशिश करे की रियाजुल जन्ना (जन्नत की एक क्यारी) मे जाए। रियाजुल जन्ना जा कर २ रकात नफील नमाज पढीए। मौका मिले तो फर्ज नमाज भी उसी जगह पढ लिजीए। याद रहे के ये तमाम आमाल सुन्नत है, इन आमाल को करने के लिए किसी मोमीन को तकलीफ पहोचाना हराम है। लेहाजा कोशिश करे के इत्मीनान के साथ जाए और ये सुन्नत को अंजाम देने के लिए कोई हराम कान ना करे।
३. फिर नबी-ए-अकरम (ﷺ) के रोजे मुबारक की तरफ जाए। आप (ﷺ) के रोजे पर जा कर आप (ﷺ) पर दुरूद भेजे और आप (ﷺ) को सलाम करे। **"अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसुलुल्लाह, या अबु-बकर सिद्दीक (रजि), या उमर खत्ताब (रजि)"**। अब आप की जियारत हो चुकी।
४. चुंके हम हर इबादत को दुआ के लिए वसीला बना सकते है तो इस इबादत को भी हम दुआ के लिए वसीला बना सकते है। मिसाल के तौर पे - कुरआन मे अल्लाह तआला फरमाता है इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और उन के बेटे इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के तालुके से के, जब वो दोनो काबे की तामीर करते तो कहते "ऐ अल्लाह हम को इस अमल से कबुल कर"।

दिगर जियारते :

१. घर से वजु कर के मस्जीदे कुबा (इस्लाम की पहेली मस्जीद) जा कर २ रकात नफील नमाज पढने वाले को एक उमराह करने का सवाब मिलता है।
२. ओहद पहाड के बारे में अल्लाह के रसुल (ﷺ) ने फरमाया के, ओहद पहाड हम से मोहब्बत करता है और मैं ओहद पहाड से मोहब्बत करता हुँ और ओहद पहाड जन्नत के पहाड में से एक पहाड है।
३. ओहद के शहीदो की कबरो पर जियारत कर के उन के लिए दुआ मांग सकते है, इसी तरहा से जन्नतुल बकी के कब्रस्तान मे सहाबा इकराम दफन है, वहा जा कर आप जियारत कर के उन के लिए दुआ मांग सकते है।
४. मदिना के तारीखी मुकामात पर वक्त हो तो जाए, वहा के रहेने वाले को साथ ले कर जाए क्युं के वहा के रहनेवाले ही सब कुछ बता सकते है, वरना हुकुमत ने बहोत सी जगह बंद कर दी है।

१०० प्यारी बातें

१. अकलमंद अपने आप को निचा कर के बुलंदी हासील करता है और नादान अपने आप को बढा कर जिल्लत उठाता है।
२. उस चिराग की तरहा बनो, जो गरीब की झोपडी में भी उतनी ही रौशनी देता है जितनी रौशनी एक बादशाह के महल में देता है।
३. उस वक्त तक कोई फैसला ना करो जब तक तुम्हारे खुन की गर्दीश और दिल की धडकन पुरसुकुन ना हो जाए।
४. जिस ने तुझे तेरा ऐब बताया, अगर तुझे अकल हो तो बेशक उस ने तुझ पर एहसान की इंतेहा कर दी।
५. दुनिया तुम्हे उस वक्त तक नही हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ।
६. इंसान का अपने दुश्मनो से इंतेकाम का सब से अच्छा तरीका ये है की वो अपनी खुबियों में इजाफा करें
७. दुश्मनों के दरमियान ऐसे रहो जैसे १ जबान ३२ दांतो के दरमियान रहती है, मिलती सब से है दबती किसी से नही।

८. जिस का राबिता खुदा के साथ हो वो नाकाम नही होता, नाकाम वो होता है जिस की उमीदें दुनिया से वाबस्ता (दुनिया से तालुक) हो।
९. जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बरदाश्त कर ले, और साबीत कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है।
१०. शर्म की कशीश (खिंचाव) हुस्न से ज्यादा होती है।
११. रोना दिल को रौशन करता है।
१२. औलाद के लिए जो भी चिज घर लाओ पहेले लडकी को दो फिर लडके को।
१३. दुनिया में सब से खतरनाक गुस्सा जवानी का है।
१४. लोग तुम्हारी अकल से तुम्हारी शख्सीयत का वजन करते है लेहाजा तुम अपनी अकल का वजन इल्म (knowledge) से बढाओ।
१५. खुबसुरत की कमी को अख्लाक (attitude) पुरा कर सकता है, मगर अख्लाक की कमी को खुबसुरती पुरा नही कर सकती।
१६. ऐसी गुरबत (गरीबी) पर सबर करना जिस में इज्जत महेफुज हो, उस अमिरी से बहेतर है जिस में जिल्लत और रुसवाई हो।
१७. अगर बहु को सताओगे तो अपनी बेटी के सदमात बर्दाश्त करना पडेंगे।
१८. मोहब्बत सब से करो लेकीन उस से और भी ज्यादा करो जिस के दिल में तुम्हारे लिए तुम से भी ज्यादा मोहब्बत है।
१९. जिस को तुम से सच्ची मोहब्बत होगी वो तुम को फुजुल और ना-जायज चिजो से रोकेगा।
२०. तेरा नफ्स बहोत किंमती है इसे जन्नत से कम किसी किंमत पर मत बेच।
२१. खास और आम दोस्त में इतना फरक होता है, आम दोस्त सिर्फ तारीफ करता है लेकीन खास दोस्त तारीफ के साथ तंकीद भी करता है।
२२. जहा सच्चाई और खुलुस नजर आए वहां दोस्ती करो, वरना तुम्हारी तनहाई ही तुम्हारा बेहतरीन साथी है।
२३. अगर तुम पहाड से गिरे तो ये तेरे लिए इतना नुकसान-दे नही जितना के तु किसी की नजरो से गिर जाए।
२४. अगर दुनिया बहेतरीन जगह होती तो यहा कोई रोता हुआ पैदा ना होता।
२५. तमाम नेकीया ३ चिजो में जमा कर दी गई है १) निकाह, २) खामोशी, ३) गुफ्तगु
२६. उस शख्स से दोस्ती मत करो जो अपनी माँ से उंची आवाज में बात करते है, क्युं की जो अपनी माँ की इज्जत नही करता, वो दोस्त की इज्जत कैसे करेगा।
२७. जब दुश्मन पर तुम को काबु हासील हो तो उस पर काबु पाने का शुक्रिया ये है के उस के कसुर (गलती) को माफ कर दो।
२८. अपने किसी भी मामले में सलाह ऐसे लोगो से लिया करो जिन के दिलो में अल्लाह तआला का खौफ हो।
२९. रहेमते इलाही को पाने वाली बेहतरीन चिज ये है के अपने दिल में तमाम इंसानो के लिए हमदर्द और महेरबान रहो।
३०. दौलतमंदी की मस्ती से खुदा की पनाह मांगो ये एक ऐसी लंबी मस्ती है के उस से बहोत देर से होश आता है।
३१. नेकी करो और शर (तकलीफ) के लिए तयार रहो फिर भी तुम्हे नेकी ही करना है क्युं के नेकी का सिला सिर्फ अल्लाह देने वाला है।
३२. बखील (कंजुस) का माल पत्थर की तरहा बेकार है।
३३. बारीश का कतरा सिप और सांप दोनो ही के मुंह में गिरता है लेकीन सिप उसे मोती और सांप उसे जहर बना देता है, जिस की जैसी जर्फ वैसे उस की तख्लीक।
३४. अगर तुम उसे ना पा सको जिसे तुम चाहते हो तो उसे जरूर पा लेना जो तुम्हे चाहता है क्युंके चाहने से चाहे जाने का एहसास ज्यादा खुबसुरत है।
३५. ऐ इंसान, तु अपनी पसंद में खुदा की पसंद को भुल गया, अगर खुदा की पसंद पर अमल करे तो तेरी पसंद भी तुझे मिल जाए।

३६. कामयाबी हौसलो से मिलती है, और हौसले दोस्तो से मिलते है, और दोस्त मुकद्दरो से मिलते है, और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है।
३७. इंसान का नुकसान, माल और जान का चले जाना नही, इंसान का सब से बडा नुकसान किसी की नजर से गिर जाना है।
३८. दोस्त के साथ कभी भी ऐसी लडाई मत करना के लडाई जित जाओ और अपने बहेतरीन दोस्त को हार जाओ।
३९. "इख्तीयार, ताकत और दौलत" ये ऐसी चिजे है जिन के मिलने से लोग बदलते नही बेनकाब होते है।
४०. अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो ऐसा बदला लो की सामने वाला जिंदगीभर याद रखे, और ऐसा बदला "माफ" कर देना है।
४१. परेशानी तजकिरा करते रहन से बढ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है, सबर करने से खत्म हो जाती है, और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है।
४२. दोस्त हो या परींदा, उस को आजाद छोड दो। अगर लौट कर आया तो वो तुम्हारा है, अगर नही आया तो कभी तुम्हारा था ही नही।
४३. अगर तुम्हे एक दुसरे की नियतो का इल्म होता तो तुम एक दुसरे को दफन भी ना करते।
४४. किसी का दिल ना दुखाओ क्युंके तुम भी दिल रखते हो।
४५. गुफ्तगु चांदी है और खामोशी सोना।
४६. तुम्हारा अपने भाई से मिलते वक्त मुस्कुरा देना भी सदका है।
४७. अगर तु किसी के साथ एहसान करे तो मख्फी (छुपा कर) रख और जब तेरे साथ कोई और एहसान करे तो उस को जाहीर कर।
४८. झुठ बोल कर जित जाने से बहेतर है के सच बोल कर हार जाओ।
४९. दिल में बुराई रखने से बहेतर है नाराजगी जाहीर कर दो।
५०. गरीब वो है जिस का कोई दोस्त ना हो।
५१. अपने जबान ती तेजी उस (मां-बाप) पर मत आजमाओ जिस ने तुम्हे बोलना सिखाया।
५२. अगर रिज्क अकल और दानिश (होंशियारी) से मिलता तो जानवर, बेवकुफ जिंदा ही ना रहते।
५३. तुम अच्छा करो और जमाना तुम्हे बुरा समझे ये तुम्हारे हक में बहेतर है बजाए इस के तुम बहेतर करो और जमाना तुम्हे बहेतर समझे।
५४. अकलमंद इंसान वो है जो अपने हक से कम लेने पर राजी रहे और दुसरो को उन के हक से ज्यादा देने के लिए तयार रहे।
५५. अगर तुम किसी को धोका देने में कामीयाब हो जाओ, ये मत समझना के वो कितना बेवकुफ था, बल्की सोचना की उस को तुम पर कितना भरोसा था।
५६. जो मुसीबत तुझे अल्लाह के तरफ ले जाए वो आजमाईश है, और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दुर कर दे वो सजा है।
५७. गुनाह की हकीकत ये है के, गुनाहो की शुरूआत मकडी के जाले की तरहा कमजोर होती है और अंजाम जहाज के लंगर की तरहा मजबुत होता है।
५८. दुनिया तुम्हे उस वक्त तक नही हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ।
५९. अपने दिन का आगाज सदका दे कर शुरु करो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नही की जाएगी।
६०. नमाज पढने वाले को अगर इल्म हो जाए के वो कैसी नेमतो से घिरा हुआ है तो वो कबी सजदे से सर नही उठाएगा।
६१. बेवकुफ का दिल उस के मुंह में है और अकलमंद की जबान उस के दिल में है।
६२. अगर जिंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमजदा लोगो के गम सुना करो कभी दुखी नही रहोगे।
६३. नफरत गुनाह से करो गुनाह करने वाले से नही शायद तुम्हारी मोहब्बत मे आ कर वो गुनाह करना ही छोड दे।

६४. वो गुनाह जिस का तुम्हे रंज हो, अल्लाह के नजदीक उस नेकी से बहेतर है जिस से तुम में गुरुर पैदा हो जाए।
६५. किसी ने हजरत अली (रजि) से पुछा : दोस्त और भाई मे क्या फरक है? आप ने फरमाया : भाई सोना है और दोस्त हिरा है। उस आदमी ने कहा : आप ने भाई को कम किंमत और दोस्त को किंमती चिज से क्युं तश्बीह दी? तो आप ने फरमाया : सोने में अगर दरार आ जाए तो उस को पिघला कर बिल्कुल पहेले जैसा बनाया जा सकता है, जब के हिरे में एक दरार आ जाए तो वो कभी भी पहेले जैसा नही बन सकता।
६६. अगर किसी का जर्फ (दिमाग) आजमाना हो तो उस को ज्यादा इज्जत दो। वो आला (ज्यादा) जर्फ हुआ तो आप को और इज्जत देगा और कम जर्फ हुआ तो खुद को आला जर्फ समझेगा।
६७. बुरा दोस्त आग की मानींद है, अगर जलता होगा तो आप को जला देगा, और अगर बुझा होगा तो आप के हाथ काले कर देगा।
६८. आजमाए हुए को आजमाना बेवकुफी है।
६९. लोगो की जरुरतो का तुम से वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है।
७०. अपने दुश्मन को १ हजार दफा मौका दो के वो तुम्हारा दोस्त बन जाए पर अपने दोस्त को १ भी मौका ना दो के वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए।
७१. सब से बडा गुनाह वो है जो करने वाले की नजर मे छोटा हो।
७२. गरीब वो है जिस का कोई दोस्त ना हो।
७३. जब मेरी दुआ कुबुल हो तो मैं खुश होता हुँ क्युं के इस में मेरी मर्जी है और जब कुबुल ना हो तो मै और खुश होता हुँ क्युं के ये अल्लाह की मर्जी है।
७४. अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दुर से देख रहे हो, या फिर गुरुर से देख रहे हो।
७५. गुलाब का फुल बनो क्युंके ये फुल उस के हाथ में भी खुश्बु छोड देता है जो इसे मसल कर फेंक देता है।
७६. दो चिजे सारी जिंदगी में आएंगी, १) गुस्से की हालत मे कोई फैसला ना करो, २) खुशी की हालत मे कोई वादा मत करो।
७७. इंसान भी कितना अजीब है, जब किसी चिज से डरता है तो उस से दुर भागता है, और जब अल्लाह से डरता है तो उस के और करीब हो जाता है।
७८. दुनियादारो की सोहबत इख्तीयार ना करो क्युंके अगर तु तंगदस्त हुआ तो ये तुझे छोड देंगे और अगर तु दौलतमंद हुआ तो तुझ से हसद (जलन) करेंगे।
७९. ये ना सोचो के अल्लाह दुआ फौरन कबुल क्युं नही करता, ये शुक्र करो के अल्लाह हमारे गुनाहो की सजा फौरन नही देता।
८०. चारे बातें इल्म का निचोड है : १) अल्लाह की इतनी इबादत करो जितनी तुम्हे अल्लाह की जरूरत है। २) अल्लाह की नाफरमानी इतनी करो जितना अल्लाह के अजाब पर सबर कर सकते हो। ३) दुनिया के लिए इतना अमल करो जितना के तुम्हे दुनिया में रहना है। ४) आखीरत के लिए इतना अमल करो जितना के तुम्हे वहा रहना है।
८१. किसी की मदत करते वक्त उस के चेहरे की जानीब मत देखो, हो सकता है उस की शिर्मींदा आँखे तुम्हारे दिल में गुरुर का बीज बो दे।
८२. इबादत ऐसी करो जिस से तुम्हारी रुह को मजा आए क्युंके जो इबादत दुनिया में मजा ना दे वो आखीरत मे क्या जज़ा देगी।
८३. बेशक दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स की दो बिवीयां हो, १ को राजी करता है तो दुसरी रुठ जाती है।
८४. नेक लोगो की सोबत इख्तीयार करो के नेक बन जाओगे, बुरो की सोहबत से परहेज करो बदी से दुर हो जाओगे।
८५. तिन काम किसी के दिल में आप की इज्जत बढाते है : १) सलाम करना, २) किसी को जगह देना, ३) असल नाम से पुकारना
८६. अच्छी जिंदगी गुजारने के दो तरीके है : १) जो पसंद है उसे हासील कर लो या फिर २) जो हासील है उसे पसंद कर लो।

८७. तिन इंसान ३ चिजो से महेरूम रहेंगे : १) गुस्से वाला दुरुस्त फैसले से, २) झुठा इज्जत से, ३) जल्दबाज कामयाबी से।
८८. तुम्हारे ३ दोस्त है, १ तुम्हारा दोस्त २ तुम्हारे दोस्त का दोस्त ३ तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन। तुम्हारे ३ दुश्मन है, १ तुम्हारा दुश्मन, २ तुम्हारे दुश्मन का दोस्त, ३ तुम्हारे दोस्त का दुश्मन।
८९. कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज ना होना क्युं के कुदरत का कानुन है के जिस दरख्त के पास ज्यादा मिठा फल होता है उसे लोग ज्यादा पत्थर मारते है।
९०. जो तुम्हारी कदर नही करता तुम उस की और भी ज्यादा कदर करो, क्युंके जिंदगी के किसी मोड पर उसे तुम्हारी कदर का एहसास जरूर होगा।
९१. तुम किसी को चाहो और वो तुम्हे ठुकरा दे तो ये उस की बद-नसीबी है और उस के बाद तुम उस को जबदरस्ती अपनाना चाहो तो ये तुम्हारे नफ्स की जिल्लत है।
९२. दिन को रिज्क की तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हे रिज्क देता है।
९३. ये जिंदगी २ दिन की है, १ दिन तुम्हारे हक में और १ दिन तुम्हारे मुखालीफ (खिलाफ)। जिस दिन तुम्हारे हक में है तो उस दिन गुरुर मत करना और जिस दिन तुम्हारे मुखालीफ हो उस दीन सबर करना।
९४. जब तुम दुनिया की मुफ्लीसी (गरीबी) से तंग आ जाओ और रिज्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका दे कर अल्लाह से तिजारत (धंदा, बिजनेस) करो।
९५. जो दुख दे उस से तालुक ना रखो और जिस से तालुक ना रखो उसे दुख ना दो।
९६. इंसान गुनाह करने की वजह से जहान्नुम मे नही जाता बल्की गुनाह पर मुतमईन (इतमीनान) रहने और तौबा ना करने की वजह से जहान्नुम मे जाता है।
९७. खुबसुरती कपडो से नही इल्म और अदब से होती है।
९८. हर शख्स की किंमत वो हुनर है जो उस के अंदर है।
९९. दौलत मिट्टी की तरहा है और मिट्टी को पैर के निरचे रखना चाहिए। अगर सर पे चढ गए तो कबर बन जाएगी और कबर जिंदा इंसानो के लिए नही होती।
१००.गुनाह जवान का भी बद है मगर बुढे का बद-तर है।